माननीय अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति

ओरियेन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लि॰

बनाम

रणबीर कुमार सिंह एवं अन्य

M.A. No.44 of 2009. Decided on 22nd June, 2018.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धारा 166—जानलेवा दुर्घटना—अधिकरण द्वारा 70,800/- रू॰ का मुआवजा अधिनिर्णीत—बीमा कंपनी ने दावा याचिका में किये गये किसी प्रकथन से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार नहीं किया है न ही उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है—गुणक की गणना मृतक की आयु के आधार पर की जानी है-मृतक 18 वर्ष का था तथा अविवाहित था—अधिकरण को उसके व्यक्तिगत व्ययों के मद में आय के 50% की कटौती करना चाहिए था—मृतक की मासिक आय 1350/- रूपया प्रतिमाह आकलित-बीमा कंपनी को 1,08,000/- रूपया के वर्धित मुआवजा का भुगतान 6% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया।

(पैराएँ 8 से 13)

निर्णयज विधि.—(2009) 6 SCC 121; 2017 (4) JBCJ 388—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. G.C. Jha, For the Appellant; Mr. Arbind Kr. Choudhary, For the Res. no.3.

न्यायालय द्वारा.-यह अपील मोटर यान दुर्घटना दावा मामला संख्या 23 वर्ष 1995 में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण सह प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 12.09.2008 के निर्णय तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध निर्दिष्ट है जिसके द्वारा विद्वान अधिकरण ने आवेदन के दाखिले की तिथि से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ 70,800/- की राशि अधिनिर्णीत किया है जो अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1-दावेदार को भुगतेय था।

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 दावेदार के ब्रजेश कुमार सिंह नामक अविवाहित पुत्र की मृत्यु निबंधन सं॰ B.E.M. - 9899 वाले ट्रक से शिवशंकर सिंह की मोटर पार्ट्स की दुकान तथा गोदाम के निकट बैजनाथपुर, देवघर में 16.08.1995 को लगभग 6:00 बजे प्रातः होने वाली मोटर यान दुर्घटना में हो गयी थी। यह दावा किया गया था कि मृतक ब्रजेश कुमार सिंह अपनी मृत्यु के समय लगभग 18 वर्ष की आयु का था तथा एक कुशल मोटर पार्ट्स मैकेनिक था तथा 45 रूपया प्रतिदिन कमा रहा था। इस अपील के प्रत्यर्थी सं॰ 2 जो दावा याचिका में विपक्षी पक्षकार सं॰ 1 था, उक्त दुर्घटना के समय निबंधन संख्या B.E.M. -9899 वाले ट्रक का चालक था तथा इस अपील का प्रत्यर्थी सं॰ 3 जो दावा याचिका में विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 था, निबंधन सं॰ B.E.M. 9899 वाले ट्रक का स्वामी है। अधिकरण में ट्रक के स्वामी तथा चालक दोनों उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने दावा का प्रतिवाद किया। अपीलार्थी विपक्षी पक्षकार संख्या 3 ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी ने अपने लिखित कथन में सामान्य बचाव लेने के अतिरिक्त अभिवचन किया कि दावेदार ने कोई प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था, अतएव वह दावा का हकदार नहीं है।

3. परस्पर विरोधी अभिवचनों के आधार पर, विद्वान अधिकरण ने निम्नलिखित छह मुद्दे विरचित किये थे:—

(i) क्या दावेदार का दावा पोषणीय है?

(ii) क्या दावेदार का कोई वैध वाद हेतुक है?

(iii) क्या मृतक की मृत्यु 16.08.1995 को निबंधन संख्या B.E.M. 9899 वाले ट्रक के चालक की उपेक्षापूर्ण तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी?

(iv) क्या दुर्घटना की तिथि पर, निबंधन संख्या B.E.M. 9899 वाला ट्रक ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यहाँ बीमीत था?

(v) क्या दावेदार ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी से दावा पाने का हकदार है? तथा अगर हाँ तो कौन सी राशि का?

(vi) क्या दावेदार किसी अन्य अनुतोष या अनुतोषों का हकदार है?

4. अपने मामले के समर्थन में, दावेदार ने दस्तावेजों को सिद्ध करने के अतिरिक्त सात गवाहों को परीक्षित किया किन्तु अपीलार्थी–विपक्षी पक्षकार सं॰ 3 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, विद्वान अधिकरण ने मुद्दा संख्या 3 तथा 4 का उत्तर दावेदार के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए दिया कि मृतक की मृत्यु 16.8.1995 को निबंधन संख्या B.E.C. 9899 वाले ट्रक के चालक के उपेक्षापूर्ण तथा लापरवाह चालन के कारण हुई थी तथा चूँकि ट्रक 18.10.1994 से 17.10.1995 के बीच की अवधि के लिए अपीलार्थी–विपक्षी पक्षकार संख्या 3–ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी के यहाँ बीमित था अतएव, विद्वान अधिकरण ने पाया था कि निबंधन सं॰ B.E.M. 9899 वाला ट्रक ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी के यहाँ बीमित था। विद्वान अधिकरण ने मृतक की दैनिक आय को 45 रूपया प्रतिदिन के रूप में भी स्वीकार किया तथा दावेदार की आयु 50 वर्ष निर्धारित किया तथा उक्त आयु के आधार पर 11 का गुणक लागू किया तथा मृतक के व्यक्तिगत व्ययों के मद में राशि के 1/3 की कटौती करने के उपरांत, विद्वान अधिकरण ने मुआवजा के मद में 1,18,800/- रूपया अधिनिर्णीत किया तथा आगे दाह संस्कार व्यय के मद में 2,000/- की धनराशि अधिनिर्णीत किया। इस प्रकार, विद्वान अधिकरण ने कुल मिलाकर 1,20,800/- रूपये अधिनिर्णीत किया किन्तु, चूँकि दावेदार को अंतरिम मुआवजा के तौर पर 50,000/- रूपया की राशि पहले ही अधिनिर्णीत की जा चुकी थी, अतएव, विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी–विपक्षी पक्षकार सं॰ 3 को 70,800/- रूपये का भुगतान वसूली होने की अवधि तक 6% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ दावेदार को करने का निर्देश दिया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जी॰ सी॰ झा ने **(2009) 6 SCC 121** में प्रकाशित **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए निवेदन किया कि चूँकि मृतक अविवाहित था, विद्वान अधिकरण ने व्यक्तिगत तथा जीवन संबंधी व्ययों के मद में 1/3 की कटौती करने में त्रुटि कारित की थी तथा निवेदन किया कि चूँकि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक के अविवाहित होने की स्थिति में व्यक्तिगत तथा जीवन संबंधी व्ययों के संबंध में 50% की कटौती की जानी चाहिए, अतएव, विद्वान अधिकरण ने अतिरिक्त राशि अधिनिर्णीत करके त्रुटि कारित की है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अधिकरण अभिलेख में दावेदार द्वारा रखे गये साक्ष्यों का मूल्यांकन उसके उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सका था तथा तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दावेदार के पक्ष में मुद्दों के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए अपर्याप्त हैं क्योंकि दावेदार दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अतएव, यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अधिकरण को दावेदार को मुआवजा की ऐसी उच्च राशि अधिनिर्णीत नहीं करना चाहिए था।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरबिन्द कुमार चौधरी निवेदन करते हैं कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि दावेदार मुआवजा के अतिरिक्त अंत्येष्टि व्ययों के पारंपरिक शीर्ष पर युक्तियुक्त

मुआवजा पाने का भी हकदार है जो 15,000/- रूपया होना चाहिए था तथा विद्वान अधिकरण को दावेदार को उक्त राशि अधिनिर्णीत करना चाहिए था किन्तु इसके बजाय अधिकरण ने 2,000/- रूपये की तुच्छ राशि अधिनिर्णीत की है, अतएव, दावेदार 13,000/- की अंतर की राशि का हकदार है। यह निवेदन किया गया है कि अधिकरण ने दावेदार की आयु के आधार पर गुणक लागू करके त्रुटि कारित किया था तथा निवेदन किया कि मृतक की आयु के आधार पर अधिकरण द्वारा गुणक लागू करना चाहिए था जो कि अधिकरण द्वारा 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 3 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे आक्षेपित अधिनिर्णय का बचाव किया तथा निवेदन किया कि अपीलार्थी-विपक्षी पक्षकार संख्या 3 के कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण तथा दावेदार के गवाहों के परिसाक्ष्य को गंभीरतापूर्वक चुनौती नहीं देने के कारण अधिकरण ने उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मृतक की मृत्यु निबंधन संख्या B.E.M. 9899 वाले ट्रक के चालक के लापरवाह तथा उपेक्षापूर्ण चालन के कारण 16.08.1995 को हुई थी तथा उपयुक्त रूप से मृतक की आय 45 रूपया प्रतिदिन आकलित किया तथा यह कि निबंधन संख्या B.E.M. 9899 वाला ट्रक अपीलार्थी-विपक्षी पक्षकार संख्या 3 के यहाँ बीमित था।

7. अधिवक्ता संघ में किये गये परस्पर विरोधी निवेदनों को सुनकर तथा अभिलेख का परिशीलन करके इस अपील में विचार हेतु निम्नलिखित दो बिन्दु उद्भूत होते हैं:-

(i) क्या अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उपयुक्त प्रकार से मूल्यांकन किया था?

(ii) मुआवजा की कौन सी अन्य राशि का दावेदार हकदार है?

8. अब अभिनिर्धारण हेतु प्रथम बिन्दु पर आते हैं, जहाँ तक अभिलेख पर साक्ष्य की अनुपस्थिति के संबंध में अपीलार्थी के तर्क का संबंध है, अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत, मैं पाता हूँ कि दावेदार ने दुर्घटना घटित होने के चश्मदीद गवाह समेत सात गवाहों की परीक्षा की है तथा गवाहों ने मृतक की आय तथा दावेदार की आयु के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है। अभिलेख का परिशीलन यह भी प्रकट करता है कि लिखित कथन में बीमा कंपनी ने दावा याचिका में किये गये किसी प्रकथन से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार नहीं किया है न ही उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऐसी परिस्थितियों में, मैं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में कोई बल नहीं पाता हूँ कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विद्वान अधिकरण के लिए इस निष्कर्ष पर आने के लिए अपर्याप्त है कि मृतक की मृत्यु निबंधन संख्या B.E.M. 9899 वाले ट्रक के चालक की उपेक्षापूर्ण तथा लापरवाह चालन के कारण हुई थी या यह कि उसकी दैनिक आय 45 रूपया प्रतिदिन थी तथा यह कि दुर्घटना के समय पर उसकी आयु 18 वर्ष थी या यह कि विद्वान अवर न्यायालय साक्ष्य की उसके उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं कर सका था। निर्धारण हेतु प्रथम बिन्दु का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है।

9. अब अभिनिर्धारण हेतु दूसरे मुद्दे पर आते हुए, जहाँ तक कि निजी तथा जीवन यापन संबंधी व्ययों की कटौती के संबंध में अपीलार्थी के तर्क का संबंध है, **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य (ऊपर)** के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 31 को निर्दिष्ट करना समीचीन है जो निम्नवत पठित है:-

"31. जहाँ मृतक अविवाहित था तथा दावेदार माता-पिता हैं, तब कटौती भिन्न सिद्धांत पर की जाती है। ***अविवाहितों के संबंध में, सामान्यतः, 50% की कटौती निजी जीवन-यापन के व्ययों के तौर पर की जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक अविवाहित व्यक्ति की अपने आप पर अधिक व्यय करने की***

प्रवृत्ति होगी। *अन्यथा भी, उसका विवाह जल्द ही होने की संभावना होती है, जिस स्थिति में माता-पिता तथा भाई-बहनों को दिये जाने वाले योगदान में काफी अधिक कटौती होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अध्यधीन पिता की स्वयं अपनी आय होने की संभावना होगी तथा वह एक आश्रित नहीं माना जायेगा तथा केवल माता को आश्रित माना जायेगा। तत्प्रतिकूल साक्ष्य की अनुपस्थिति में, भाई एवं बहनों को आश्रित नहीं माना जायेगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र होंगे तथा कमा रहे होंगे या विवाहित होंगे, या पिता पर आश्रित होंगे।'' (जोर डाला गया)*

10. इस चरण पर, **2017(4) JBCJ 388** में प्रकाशित **नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 61 को उद्धृत करना लाभदायक होगा, जो निम्नवत पठित है:-

"61. पूर्वोक्त विश्लेषण की दृष्टि में, हम अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने को अग्रसर होते हैं:-

(i) संतोष देवी में दो न्यायाधीशों की पीठ को मामले को वृहतर पीठ को निर्दिष्ट करने का परामर्श देना चाहिए था क्योंकि यह उस दृष्टिकोण से एक भिन्न दृष्टिकोण ले रहा था जो सरला वर्मा में एक समन्वय पीठ के निर्णय में लिया गया था। ऐसा इसलिए है कि समान संख्या की समन्वय पीठ उस दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण नहीं ले सकती जो एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा लिया गया है।

(ii) चूँकि राजेश ने रेशमा कुमारी में निर्णय पर विचार नहीं किया है, जो समय के पूर्विक बिन्दु पर दिया गया था, राजेश का निर्णय एक आबद्धकारी पूर्व निर्णय नहीं है।

(iii) आय निर्धारित करते हुए भावी संभावनाओं के मद में मृतक की आय में वास्तविक वेतन के 50% की वृद्धि की जानी चाहिए, जहाँ मृतक स्थायी काम पर लगा था तथा 40 वर्ष से कम आयु का था। 30% की वृद्धि की जानी चाहिए, अगर मृतक 40 से 50 वर्ष के बीच का था। अगर मृतक 50 से 60 वर्ष के बीच का था, 15% की वृद्धि की जानी चाहिए। वास्तविक वेतन का पठन वास्तविक वेतन से कर घटाकर किया जाना चाहिए।

(iv) अगर मृतक स्वनियोजित था या नियत वेतन पर कार्यरत था, सिद्ध की गयी आय के 40% की वृद्धि किया जाना आवश्यक हो सकता है जहाँ मृतक 40 वर्ष से कम आयु का था। 25% की वृद्धि की जानी चाहिए जहाँ मृतक 40 से 50 वर्ष के बीच का था तथा 10% की जहाँ मृतक 50 से 60 वर्ष के बीच की आयु का था, इसे परिकलन की आवश्यक विधि मानी जानी चाहिए। स्थापित आय का अर्थ आय घटाव कर अवयव।

(v) गुणक का निर्धारण करने के लिए, व्यक्तिगत तथा जीवन यापन के व्ययों हेतु कटौती करने हेतु अधिकरणों तथा न्यायालयों को सरला वर्मा के पैराग्राफों 30 से 32 द्वारा मार्गनिर्देशित होना चाहिए जिसे हमने इसके पहले उद्धृत किया है।

(vi) गुणक का चयन सरला वर्मा में दी गयी तालिका सहपठित उस निर्णय के पैराग्राफ 42 में जैसा इंगित है, उसके अनुसार किया जाना चाहिए।

(vii) ***मृतक की आयु गुणक लागू करने के लिए आधार होना चाहिए।***

(viii) ***पारंपरिक शीर्षों अर्थात् संपदा की हानि, साहचर्य की हानि तथा अंत्येष्टि के व्ययों पर तर्कसंगत राशि क्रमशः 15,000/-, 40,000/- तथा 15,000/-***

रूपये होना चाहिए। पूर्वोक्त राशियों में प्रत्येक तीन वर्षों में 10% की दर से वृद्धि की जानी चाहिए।'' *(जोर डाला गया)*

11. सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य (ऊपर) में विधि की स्थापित सिद्धांत की दृष्टि में तथा पक्षों का यह स्वीकृत मामला होने के कारण कि मृतक एक अविवाहित था निश्चित रूप से विद्वान अधिकरण ने उसके व्यक्तिगत तथा जीवन–यापन के व्ययों के केवल 1/3 की कटौती करने में त्रुटि कारित की है तथा विद्वान अधिकरण को अपने निजी व्ययों के मद में उसकी आय के 50% की कटौती करनी चाहिए थी। **नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (ऊपर)** में स्थापित विधि के सिद्धांत के अनुसार, अधिकरण ने दावेदार की आयु पर गुणक का परिकलन करने में त्रुटि कारित की है क्योंकि विधि का यह आदेश है कि गुणक की गणना मृतक की आयु पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से **प्रणय सेठी (ऊपर)** में स्थापित विधि के सिद्धांत की दृष्टि में, प्रत्यर्थी सं॰ 1–दावेदार अंत्येष्टि व्ययों के पारंपरिक शीर्ष पर 15,000/- रूपया का हकदार है किन्तु ऐसी हकदारी के विरूद्ध विद्वान अधिकरण ने केवल 2,000/- रूपये अधिनिर्णीत किया है। विधि के स्थापित सिद्धांत की दृष्टि में जैसा कि उपर चर्चा की गयी है, मोटर यान दुर्घटना दावा केस संख्या 23 वर्ष 1995 में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण सह प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 12.09.2008 का आक्षेपित निर्णय तथा अधिनिर्णय निम्नवत उपान्तरित किया जाता है:–

मृतक की मासिक आय 45 रूपये प्रतिदिन आकलित किये जाने के कारण जो 1350 रूपया प्रति महीना आता है तथा **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य (ऊपर)** में स्थापित विधि के निबंधनों में अपने व्यक्तिगत तथा जीवन–यापन के व्ययों के मद में 50% की कटौती करने के उपरांत परिवार के प्रति उसका योगदान 675 रूपया प्रति महीना अर्थात् 8,100/- रूपया प्रतिवर्ष आता है तथा मृतक की आयु 18 वर्ष होने को ध्यान में रखते हुए प्रयोज्य गुणक 18 होगा (देखें **प्रणय सेठी (ऊपर)** का पैराग्राफ 61(vi) तथा (vii) तथा **सरला वर्मा (ऊपर)** का पैराग्राफ 42] इस प्रकार, दावेदार मुआवजा के मद में 1,45,800/- रूपये का हकदार है किन्तु जैसा कि पहले ही उपर अभिनिर्धारित किया गया है, मुआवजा के अतिरिक्त वह अंत्येष्टि व्ययों के पारंपरिक शीर्ष के अधीन अंतर की राशि के मद में 13,000/- रूपये का हकदार है। इस प्रकार कुल राशि में 13,000/- रूपया जोड़कर, वह 1,58,800/- का हकदार है। चूँकि प्रत्यर्थी संख्या 1–दावेदार अंतरिम मुआवजा के मद में 50,000/- रूपये का हकदार है, वह अपीलार्थी–विपक्षी पक्षकार सं॰ 3–ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी से 1,08,800/- अधिक प्राप्त करने का हकदार है। दिनांक 4.11.2010 के आदेश का परिशीलन प्रकट करता है कि अधिनिर्णय का निष्पादन इस शर्त पर स्थगित किया गया था कि अपीलार्थी विचारण न्यायालय में अधिनिर्णीत राशि का 50% निक्षेपित करेगा जो solvent security के विरूद्ध दावेदार प्रत्यर्थी को संवितरित किया जायेगा।

12. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रतिशत की दर से अधिनिर्णीत साधारण ब्याज उपयुक्त प्रतीत होता है।

13. उपर की गयी चर्चाओं की दृष्टि में, अपीलार्थी– विपक्षी पक्षकार संख्या 3–ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी को 1,08,800/- रूपयों के साथ दावा याचिका के संस्थापन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रतिवर्ष की दर पर इसपर साधारण ब्याज जोड़कर इसमें से इस न्यायालय में दिनांक 25.2.2009 के चालान के माध्यम से बीमा कंपनी द्वारा जमा की गयी 25,000/- रूपया की सांविधिक राशि को घटाकर तथा इस अपील में पारित दिनांक 4.11.2010 के आदेश के निबंधनों में बीमा कंपनी

के द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1-दावेदार को जमा की गयी राशि अगर कोई हो, को घटाकर इस अपील के अभिलेख में उपस्थित होने वाले बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

14. इस निर्णय की एक प्रति की आपूर्ति आवश्यक अनुपालन के लिए अभिलेख में उपस्थित होने वाले अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा इस निर्णय की एक प्रति विद्वान अधिकरण को भी तुरंत भेजी जाय।

15. रजिस्ट्री को इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा इस अपील के साथ निक्षेपित 25,000/- रूपया की उक्त सांविधिक राशि मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण-सह-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, देवघर को उपयुक्त रीति से भेजने का रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है जो उपयुक्त पहचान किये जाने पर प्रत्यर्थी सं॰ 1-दावेदार को भुगतेय होगा।

16. परिणामतः, यह अपील पूर्वोक्त उपांतरणों के साथ निस्तारित किया जाता है।

माननीय राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

नायक ललन राय

बनाम

योगेन्द्र महतो एवं अन्य

S.A. No.165 of 2015. Decided on 6th July, 2018.

(क) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 46—भारतीय संविदा अधिनियम, 1872—धारा 23—रैयती भूमि के अंतरण पर वर्जन—अधिभोगी रैयत जो पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, एक अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को जो उसी जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें भूमि अवस्थित है, जिले के उपायुक्त के पूर्वानुमति से अपनी भूमि अंतरित कर सकता है—पिछड़ा वर्ग समुदाय से न आने वाले व्यक्ति (क्रेता) द्वारा पिछड़ा वर्ग से आने वाले व्यक्ति (विक्रेता) को किया गया विक्रय का करार छो॰ अ॰ अधिनियम की धारा 46 द्वारा वर्जित है—ऐसा निबंधन निबंधन प्राधिकारी द्वारा निबंधित भी नहीं किया जा सकता है तथा किसी न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती है-वादी ने शून्य करार के अनुपालन के लिए वाद दाखिल किया है—वादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है—चूँकि भूमि पिछड़ा वर्ग से वर्ग के बाहर आने वाले व्यक्ति को अंतरण किये जाने योग्य नहीं है तथा इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुतोष से इनकार करके तथा डिक्री उलट करके उपयुक्त प्रकार से विवेक का प्रयोग किया गया है-अपील खारिज। (पैराएँ 9 से 14 एवं 16)

(ख) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963—धारा 20—संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन—अगर संविदा की कोटि का कोई वैध करार है जो प्रवर्तनीय है, तब भी विनिर्दिष्ट अनुतोष से इनकार किया जा सकता है, किन्तु विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना है—तब, अगर पक्षों के बीच संविदा है, न्यायालय को तथ्यों तथा परिस्थितियों की संपूर्णता को विचार में लेते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना है। (पैराएँ 16 से 20)

निर्णयज विधि.—Mr. Lakhan Kr. Sahay, For the Appellant; None, For the Respondents.

अधिवक्तागण.—1987 SCC 340—Relied.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी वादी है।

3. वादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद इस आधार पर दाखिल किया है कि गाँव बूटी, थाना सदर, जिला राँची के खाता संख्या 153 पुनरीक्षण सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1822 से संबंधित 11 डिस्मिल 108 वर्ग फीट भूमि के विक्रय के लिए प्रतिवादी के साथ 25,000/- रूपया की प्रतिफल राशि के लिए दिनांक 31.08.1987 का करार हुआ था जिसमें से 5,000/- रूपये का भुगतान अग्रिम के तौर पर उन्हें उसी तिथि को किया गया है तथा प्रतिवादी भूमि हदबंदी अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत विक्रय विलेख निष्पादित करने पर सहमत हुआ था यद्यपि बाद में यह पता चला था कि ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

4. विचारण न्यायालय ने छह मुद्दों की विरचना की है जो इसमें नीचे उद्धृत किये जाते हैं:-

(i) क्या वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 3 सहित प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के विरूद्ध पोषणीय है?

(ii) क्या वादी को इन प्रतिवादीगण के विरूद्ध यथा अभिकथित कोई वाह हेतुक प्राप्त हुआ है?

(iii) क्या वाद राम किशोर महतो तथा काशीनाथ महतो नामक आवश्यक पक्षकारों जिनमें से दोनों बीखन महतो थाना सदर जिला राँची के पुत्र हैं, का संयोजन न किये जाने पर पोषणीय है?

(iv) क्या वादी द्वारा निष्पादित तथा प्राप्त तथाकथित करार कपट, दुर्व्यपदेशन तथा प्रपीड़न कारित करके प्राप्त किया गया है?

(v) क्या वादी ने 4 डिस्मिल भूमि पर किसी मकान का निर्माण कराया है?

(vi) इन प्रतिवादी संख्याओं 1 तथा 2 के विरूद्ध कौन से अनुतोष/अनुतोषों का वादी हकदार है?

5. सभी मुद्दों को वादी के पक्ष में निपटाया गया था तथा तद्नुसार वाद डिक्री किया गया है।

6. व्यथित होकर, प्रतिवादी ने अपील दाखिल किया है जो अभिधान अपील संख्या 12 वर्ष 2013 है। अपीलीय न्यायालय ने विचारण हेतु दो बिन्दुओं को विरचित किया है जो यहाँ पर नीचे उद्धृत किये जाते हैं:-

(a) क्या वादी तथा मूल प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के बीच दिनांक 31.08.1987 का विक्रय का करार वैध तथा वैधानिक करार है, जो इसके विनिर्दिष्ट पालन द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है?

(b) क्या अवर न्यायालय ने उक्त विक्रय के करार/विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद डिक्री करने में विधि या तथ्य में कोई दोष कारित किया है?

7. वादी ने अपने वादपत्र में अपने आप को नायक ललन राय पुत्र श्री महेन्द्र राय जाति ब्राह्मण, धर्म हिन्दू निवासी ग्राम राजपुरा, थाना अरवल, जिला गया बताया है। इस प्रकार, यह स्वीकृत स्थिति है कि वादी जाति से ब्राह्मण है तथा जिला गया का निवासी है न कि राँची का।

8. वर्तमान मामला पिछड़ी जाति से गैर पिछड़ी जाति के स्वामित्व वाली भूमि के अंतरण का है।

9. छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 46 जो प्रासंगिक प्रावधान है, यहाँ पर नीचे उद्धृत किया जाता है:-

"46. ***रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर निर्बंधन.****–(1) किसी रैयत द्वारा अपनी जोत या इसके किसी भाग में अपने अधिकार का –*

(a) अभिव्यक्त या विवक्षित किसी ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्षों से अधिक है या किसी संभावित स्थिति में अधिक हो सकती है, बंधक या पट्टा द्वारा, या

(b) विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा द्वारा किया गया कोई भी अंतरण किसी भी सीमा तक वैध नहीं होगाः

परन्तु यह कि कोई रैयत अपनी जोत या इसके किसी भाग का सात वर्षों से अधिक नहीं होने वाली अवधि के लिए या अगर बंधकिती बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बि० एवं उ० अधिनियम VI वर्ष 1935) के अधीन निबंधित हो या समझी गयी हो, पंद्रह वर्षों से अधिक नहीं होने वाली अवधि के लिए भुगत बंधा बंधक कर सकेगाः

परंतु यह भी कि–

(a) अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उपायुक्त के पूर्वानुमोदन से अपनी जोत या अपनी जोत के किसी भाग का विक्रय, विनिमय, दान या वसीयत द्वारा एक अन्य व्यक्ति को जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा जो उसी पुलिस थाने के स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर का निवासी है जहाँ भूमि अवस्थित है, अंतरण कर सकेगाः

(b) ***अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, उपायुक्त के पूर्वानुमोदन से अपनी जोत या अपनी जोत के एक भाग में अपने अधिकार का विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत या पट्टा द्वारा एक अन्य व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति या यथास्थिति पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तथा जो उसी जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसके भीतर जोत स्थित है, अंतरण कर सकता है।***

(c) कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत या इसके किसी भाग में अपने अधिकार का किसी समिति या बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम VI वर्ष 1935) के अधीन निबंधित या निबंधित समझे जाने वाले बैंक को या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (5 वर्ष 1970) के प्रथम अनुसूची के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट बैंक को या एक ऐसी कंपनी या निगम को जिसका स्वामित्व राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अंशतः राज्य सरकार तथा अंशतः केन्द्र सरकार के पास है या जिसके द्वारा इसमें इक्यावन प्रतिशत से अधिक शेयर धारित है तथा जिसे कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, अंतरण कर सकेगा; एवं

(d) कोई अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं है, अपनी जोत या इसके किसी भाग का विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत, बंधक या अन्यथा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर सकता है।

(2) किसी रैयत द्वारा अपनी जोत या इसके किसी भाग में अपने अधिकार का अंतरण उप–धारा (1) के अधीन भूस्वामी पर बाध्यकारी होगा।

(3) ***उप–धारा (1) के उल्लंघन में किसी गया कोई भी अंतरण निबंधित नहीं किया जायेगा या किसी प्रकार से न्यायालय द्वारा सिविल, दाण्डिक या राजस्व अधिकारिता के प्रयोग में मान्य नहीं ठहराया जायेगा।***

(3A) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी चीज के होने के बावजूद, किसी जोत या इसके किसी भाग से संबंधित सिविल प्रकृति के सभी वादों में उपायुक्त आवश्यक पक्षकार होंगे जिसमें वाद के पक्षकारों में से एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

(4) उस अवधि के अवसान के उपरांत तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय जिसके लिए रैयत ने उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन अपनी जोत या इसके किसी भाग में अपने अधिकार का अंतरण किया है, उपायुक्त रैयत के आवेदन पर ऐसी जोत या इसके भाग पर विहित रीति में कब्जा दिलायेंगे।

(4A)(a) उपायुक्त स्वप्रेरणा से या अधिभोगी रैयत द्वारा जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, अपने समक्ष अंतरण के बातिलीकरण के लिए इस आधार पर दाखिल आवेदन पर कि अंतरण उप–धारा (1) के द्वितीय परंतुक के खंड (क) के उल्लंघन में किया गया था, यह अभिनिर्धारित करने के लिए विहित रीति में जाँच करा सकेंगे कि क्या अंतरण उप–धारा (1) के द्वितीय परंतुक के खंड (क) के उल्लंघन में किया गया है:

परंतु यह कि उपायुक्त द्वारा ऐसा कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जबतक कि यह अधिभोगी रैयत द्वारा अपनी जोत या इसके किसी भाग के अंतरण की तिथि से बारह वर्षों की अवधि के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है:

परंतु यह भी कि इस उप–धारा के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई आदेश पारित करने के पहले, उपायुक्त संबंधित पक्षों को मामले में सुनवायी का एक युक्तिसंगत अवसर उपलब्ध करायेंगे।

(c) अगर इस उप–धारा के खंड (क) में निर्दिष्ट जाँच कराने के उपरांत उपायुक्त पाते हैं कि ऐसा अंतरण करने में उप–धारा (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, तब वह आवेदन अस्वीकार कर देंगे तथा अंतरक द्वारा अंतरिती को भुगतान किया जाने वाला ऐसा वाद व्यय अधिनिर्णीत करेंगे जो कि मामले के परिस्थितियों में वह उपयुक्त समझते हों।

(d) अगर इस उप–धारा के खंड (क) में निर्दिष्ट जाँच कराने के उपरांत उपायुक्त पाते हैं कि ऐसा अंतरण उप–धारा (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के उल्लंघन में किया गया था, वह अंतरण बातिल कर देंगे तथा ऐसी जोत या इसके भाग, यथास्थिति से अंतरिती को बेदखल कर देंगे तथा अंतरक को इसका कब्जा दिलायेंगे:

परंतु यह और कि अगर अंतरिती ने ऐसी जोत या इसके भाग पर किसी भवन या संरचना का निर्माण करा लिया है, अगर अंतरक इसका मूल्य देने को तैयार नहीं है, आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो ऐसे आदेश की तिथि से दो वर्षों की अवधि के बाद का न हो, जैसा कि उपायुक्त अनुमति प्रदान करें, इसे हटाने का आदेश अंतरिती को देंगे, जिसमें विफल रहने पर उपायुक्त ऐसे भवन या संरचना को हटवायेंगे:

परंतु यह और कि जहाँ उपायुक्त संतुष्ट हैं कि अंतरिती ने छोटानागपुर अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1969 (राष्ट्रपति का अधिनियम सं० 4 वर्ष 1969) के प्रारंभ के पूर्व ऐसी जोत या इसके भाग पर एक बड़ी संरचना या भवन का निर्माण करा लिया है, वह इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों के बावजूद उप–धारा (1) के दूसरे

परंतुक के खंड (क) के उल्लंघन में किये गये ऐसे अंतरण को विधिमान्यता प्रदान कर सकते हैं, अगर अंतरिती समीप में समतुल्य मूल्य का वैकल्पिक जोत या इसका भाग, यथास्थिति उपलब्ध कराता है या अंतरक के पुनर्वास के लिए उपायुक्त द्वारा निर्धारित किया जाने वाला पर्याप्त मुआवजा का भुगतान करता है।

***स्पष्टीकरण.**–इस धारा में ''सारवान संरचना या भवन'' से अभिप्रेत है जाँच कराने की तिथि को पाँच हजार रूपये से अधिक मूल्य का भवन या संरचना, किन्तु इसमें किसी ऐसी मूल्य की किसी संरचना या भवन सम्मिलित नहीं है जिसकी सामग्री को सारवान अवमूल्यन उपगत किये बिना हटाया नहीं जा सकता है।*

(5) इस धारा की कोई भी बात किसी रैयत के अपनी जोत या इसके किसी भाग में अपने अधिकार के अंतरण (अन्यथा अवैध नहीं) की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी जो मानभूम जिले को छोड़कर छोटानागपुर प्रमंडल में 1 जनवरी 1903 के पहले की गयी है या मानभूम जिले में 1 जनवरी, 1909 के पहले की गयी है।

(6) इस धारा में (तथा धारा 47 में)–

(a) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है ऐसी जाति, प्रजाति या जनजाति जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट हैं:

(b) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है ऐसा जनजाति समुदाय या ऐसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के भाग या समूह जो संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट हैं; एवं

(c) ''पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है ऐसी जनजाति, नागरिकों के वर्ग जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी करके सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है।

10. सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, अधिभोगी रैयत जो पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, अपनी भूमि जिले के उपायुक्त के पूर्वानुमोदन से एक अन्य पिछड़ा वर्ग को अंतरित कर सकता है, जो उस जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसके अंतर्गत जोत अवस्थित है।

11. वर्तमान मामला राँची जिले से संबंधित है, तथा सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार कोई पूर्विक अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है न ही अभिवचन किया गया है। इस प्रकार, एक गैर पिछड़ा वर्ग (क्रेता) द्वारा पिछड़ा वर्ग (विक्रेता) को किया गया विक्रय का करार सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 द्वारा प्रतिबंधित है।

12. इसके अतिरिक्त सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 का उप-खंड 3 स्पष्ट करता है कि ऐसा अंतरण भी निबंधन प्राधिकार द्वारा निबंधित नहीं किया जा सकता है तथा इसे किसी न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किया जा सकता है।

13. उक्त परिचर्चाओं की दृष्टि में, यह प्रकट है कि करार सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 के उल्लंघन में किया गया है।

14. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(g) तथा 2(h) के प्रासंगिक प्रावधान यहाँ पर नीचे उद्धृत किये जाते हैं:-

2(g) विधि द्वारा अप्रवर्तनीय करार शून्य कही जाती है;

2(h) विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार एक संविदा है;

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 दृष्टांत (i) यहाँ पर नीचे उद्धृत किया जाता है:–

क की संपदा विधायिका के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राजस्व के बकायों के लिए बेची जाती है, जिसके द्वारा व्यतिक्रमी संपदा खरीदने से निषिद्ध किया गया है। ख क के साथ समझौता करके खरीददार बन जाता है तथा जिस धन का ख ने भुगतान किया है, उसे प्राप्त करके क की संपदा समनुदेशित करने पर सहमति प्रदान करता है। करार शून्य है, क्योंकि यह संव्यवहार को प्रभावी रूप से एक व्यतिक्रमी से किया गया क्रय बना देता है तथा इस प्रकार यह विधि का उद्देश्य विफल कर देगा। (i) क की संपदा विधायिका के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राजस्व के बकायों के लिए बेची जाती है, जिसके द्वारा व्यतिक्रमी को संपदा का क्रय करने से निषिद्ध किया गया है। ख क के साथ समझौता करके क्रेता बन जाता है तथा जिस धन का ख ने भुगतान किया है, उसे प्राप्त करके क की संपदा समनुेशित करने पर सहमत होता है। ***करार शून्य है, क्योंकि यह संव्यवहार को प्रभावी रूप से एक व्यतिक्रमी द्वारा किया गया क्रय बना देता है तथा इस प्रकार यह विधि का उद्देश्य विफल कर देगा।''***

(जोर डाला गया)

15. उक्त धारा से, यह स्पष्ट है कि विधि के उल्लंघन में किया गया करार एक शून्य करार है तथा संविदा की परिभाषा में नहीं आता है।

16. इस प्रकार दिनांक 31.08.1987 का अभिकथित करार शून्य करार है तथा संविदा की परिभाषा में नहीं आता है तथा वादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने शून्य करार के पालन के लिए वाद दाखिल किया है जैसी उपर चर्चा की गयी है।

17. अपीलीय न्यायालय ने मामले पर उपयुक्त प्रकार से विचार किया है तथा तद्नुसार निष्कर्ष उलट दिया है, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि दिनांक 31.08.1987 का करार शून्य है तथा सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 द्वारा प्रतिबंधित है तथा इस प्रकार अपीलार्थी संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए अनुतोष पाने का हकदार नहीं है।

18. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20, जो प्रासंगिक है प्रावधान करती है कि अगर वैध करार है जो प्रवर्तनीय संविदा के तुल्य है, फिर भी विनिर्दिष्ट अनुपालन से वंचित किया जा सकता है किन्तु विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए।

19. पराकुन्नन वीटील जोसेफ पुत्र मैथ्यू बनाम नेदुम्बरा कुरूविला के पुत्र एवं अन्य के **1987 SCC 340** में प्रकाशित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पैरा 14 यहाँ पर नीचे उद्धृत किया जाता है:–

14. ***विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20 न्यायालयों को विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान करने के संबंध में न्यायिक स्वविवेक परिरक्षित करता है। न्यायालयों को मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर बारीकी से विचार करना चाहिए। न्यायालय मात्र इस कारण से विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान करने को आबद्ध नहीं है कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। विधायन के पीछे की मंशा भी न्यायिक फैसले में अंकित की जानी चाहिए। न्यायालय को इसपर विचार करने की सावधानी बरतनी चाहिए कि इसका उपयोग वादी को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए दमन करने के एक उपकरण के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।*** *उच्च न्यायालय उस मंशा पर विचार करने में विफल रहा है जिससे वर्गीज ने वाद संस्थित किया था। यह इसलिए संस्थित किया गया था क्योंकि कुरूविला परिसंपदा प्राप्त नहीं कर सका था तथा मैथ्यू इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वर्गीज द्वारा वाद का sheer anchor विक्रय का करार प्रदर्श A1 है। चूँकि चेट्टियार ने इसके अंतर्गत अपने अधिकारों का त्याग कर दिया है, वर्गीज एक समनुदेशिती के तौर पर उस करार को प्रवर्तित कराने का एक बेहतर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता था।* *(जोर डाला गया)*

20. फिर भी, अगर पक्षों के बीच करार है, न्यायालय को तथ्यों एवं परिस्थितियों को पूरी तरह से विचार में लेते हुए अपने स्वविवेक का प्रयोग करना है।

21. वर्तमान मामले में चूँकि भूमि पिछड़ा वर्ग से वर्ग के बाहर के किसी व्यक्ति को गैर अंतरणीय है एवं इस प्रकार अनुतोष से इनकार करके एवं डिक्री उलटकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त प्रकार से ऐसे स्वविवेक का प्रयोग किया गया है।

22. उक्त परिचर्चा की दृष्टि में, यह न्यायालय वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता है, तद्नुसार इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

माननीय आनंद सेन एवं अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्तिगण

राज कुमार यादव उर्फ मंजीत जी

बनाम

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1095 of 2016. Decided on 28th August, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 146 वर्ष 2011 में जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 26 अगस्त, 2016 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 29 अगस्त, 2016 के दण्डादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 65B—साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ग्रहण किया जाना—साक्ष्य अधिनियम मौखिक साक्ष्य देकर किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाण अनुध्यात नहीं करता है या इसका बढ़ावा नहीं देता है अगर साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है—केवल तभी जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के निबंधनों में सम्यक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसकी वास्तविकता को लेकर प्रश्न उद्भूत होगा तथा उस स्थिति में अधिनियम की धारा 45A का अवलम्ब लिया जा सकता है। (पैरा 16)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 364, 120B, 302 तथा 201—अपहरण, षडयंत्र, हत्या तथा साक्ष्य गायब किया जाना—आजीवन कारावास—अपीलार्थीगण की पहचान संदेहास्पद—अपीलार्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही कोई सामग्री यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत की गयी है कि उग्रवादी संगठन तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ था जिसके परिणामतः अपीलार्थी को पेश करने में विलम्ब हुआ था—इस मामले में न तो अपहरण के बिन्दु पर और न ही हत्या के बिन्दु पर कोई चश्मदीद गवाह है—अभियोजन द्वारा मृतक के कॉल डिटेल रिपोर्ट की मदद से तथा सिम कार्ड द्वारा भी अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा अपहरण का अपराध किया जाना सिद्ध करने का प्रयास किया गया था—ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं—साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के निबंधनों में किसी प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर भरोसा किया गया है—कॉल डिटेल रिपोर्ट, सिम कार्ड तथा कॉल डिटेल रिपोर्ट की विषयवस्तु तथा सिम कार्ड को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है—अपीलार्थी द्वारा की गयी अभिकथित संस्वीकृति भी संदिग्ध है—अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 16 एवं 17)

निर्णयज विधि.—(2014) 10 SCC 473—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Yogendra Prasad and Madan Prasad, For the Appellant; Ms. Vandana Bharti, For the Respondent.

आदेश

आनंद सेन, न्यायमूर्ति.–यह दाण्डिक अपील सत्र विचारण सं॰ 146 वर्ष 2011 में विद्वान जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 26 अगस्त, 2016 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 29 अगस्त, 2016 के दण्डादेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 364, 120B, 302, 201 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया था तथा दोषसिद्ध किया गया था; तथा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने तथा 10,000/- रूपये के जुर्माना का भुगतान करने, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120B/302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा 10,000/- रूपया के जुर्माना का भुगतान करने तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का सामान्य कारावास तथा 5,000/- रूपया का जुर्माना का भुगतान करने का दण्डादेश प्रदान किया गया था तथा जुर्माना का भुगतान करने के व्यतिक्रम में, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364, 120B/302 के अधीन प्रत्येक के लिए एक वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए छह महीने का सामान्य कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी दण्डादेशों को साथ–साथ चलने का आदेश दिया गया है। निर्णय के अनुसार, 25,000/- रूपये की जुर्माना राशि में से मुआवजा के तौर पर 10,000/- रूपया की राशि मृतक व्यक्तियों के प्रत्येक आश्रितों को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. अभियोजन मामला अभिजीत समूह में कार्यरत एक अभियंता रोहित सिंह (अ॰ सा॰ 2) के लिखित रिपोर्ट पर आधारित है। यह अभिकथित किया गया है कि 17.03.2011 को लगभग 19.45 बजे अभियंता जितेन्द्र सिंह तथा जाल रचने वाले मुकेश यादव ने अभिजीत ग्रूप पावर प्लांट, चकला में अपना काम पूरा करने के उपरांत मोटरसाईकिल से चंदवा के लिए प्रस्थान कर गये थे। जब वे 11 बजे रात्रि तक नहीं पहुँचे थे, सूचक ने कंपनी के अन्य व्यक्तियों के साथ उनकी तलाश करना प्रारंभ कर दिया था। इस बीच, 18.05.2011 को 01.20 बजे रात्रि को जितेन्द्र द्वारा मोबाईल सं॰ 8757777160 से मोबाईल सं॰ 935026556 तथा 896965576 पर यह कहते हुए एक फोन कॉल प्राप्त किया था कि वह तथा मुकेश यादव मारे पीटे जा रहे हैं तथा एक करोड़ रूपये की फिरौती की मांग की जा रही है, जिसकी व्यवस्था सूचक द्वारा की जाय। सूचक ने विश्वास किया कि उक्त व्यक्तियों ने फिरौती के लिए उक्त व्यक्तियों का अपहरण किया था।

3. उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर, चंदवा पुलिस थाना मामला सं॰ 22 वर्ष 2011 अज्ञात लोगों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364A/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दर्ज की गयी थी। अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने अपीलार्थी राज कुमार यादव उर्फ मंजीत जी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया तथा शेष तीन व्यक्तियों अर्थात् दयाल यादव, कमलेश यादव तथा मनोज यादव के विरूद्ध अन्वेषण लम्बित रखा गया था। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 364A, 302, 201, 120B तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए आरोप 24.1.2012 को विरचित किया गया था। आरोपों को अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया तथा स्पष्ट किया गया था, जिससे उसने इनकार किया तथा विचारण किये जाने का दावा किया।

4. अभियोजन ने आरोपों को सिद्ध करने के क्रम में, कुल मिलाकर 8 गवाहों की परीक्षा की है– अ॰ सा॰ 1 तेतर तुरी, अ॰ सा॰ 2 रोहित सिंह (सूचक), अ॰ सा॰ 3 निशांत यादव, अ॰ सा॰ 4 कैलाश साव, अ॰ सा॰ 5 असलम उर्फ छोटू, अ॰ सा॰ 6 मो॰ फिरोज खान, अ॰ सा॰ 7 अखिलेश प्रसाद मंडल (अन्वेषण पदाधिकारी) तथा अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ विनय कुमार। उक्त के अतिरिक्त अभियोजन ने निम्नलिखित भी प्रदर्शित कराया है:–

(i) प्रदर्श 1– तेतर तूरी का जब्ती सूची पर हस्ताक्षर

(ii) प्रदर्श 2 – लिखित रिपोर्ट पर रोहित सिंह का हस्ताक्षर

(iii) प्रदर्श 1/1 – जब्ती सूची पर असलम खान उपर्फ छोटू खान का हस्ताक्षर

(iv) प्रदर्श 1/2 – जब्ती सूची पर फिरोज खान का हस्ताक्षर

(v) प्रदर्श 3 – औपचारिक प्राथमिकी

(vi) प्रदर्श 4 – दिनांक 24.03.2011 की प्रथम जब्ती सूची (माइक्रोमैक्स मोबाईल एवं सिम की जब्ती के संबंध में)

(vii) प्रदर्श 4/1 – दिनांक 25.03.2011 की द्वितीय जब्ती सूची (मोटरसाईकिल के संबंध में)

(viii) प्रदर्श 5 – अभियुक्त राज कुमार यादव का संस्वीकृति बयान (24.03.2011)

(ix) प्रदर्श 6 – जितेन्द्र सिंह की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट

(x) प्रदर्श 7 – महेश यादव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट

(xi) प्रदर्श 8 – संपूर्ण सी० डी० आर० (मृतक जितेन्द्र सिंह तथा मुकेश यादव के मोबाइल की)

(xii) प्रदर्श 9 से 9/15 – लकड़ियों से ढंके मोटरसाइकिल के छायाचित्र तथा शवों के छायाचित्र

(xiii) प्रदर्श 10 – प्राधिकार पत्र

(xiv) प्रदर्श 11 – मृतक मुकेश यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट

(xv) प्रदर्श 12 – मृतक जितेन्द्र सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट

(xvi) तात्विक प्रदर्श I – मोबाईल सेट

(xvii) तात्विक प्रदर्श II – सिम कार्ड

(xviii) तात्विक प्रदर्श III – 140/- रूपये नकद

(xix) तात्विक प्रदर्श IV – जब्त बाईक की चाभी।

5. अ॰ सा॰ 1 तेतर तूरी है, जिसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी उपस्थिति में कुछ भी नहीं हुआ था तथा उसने पुलिस के समक्ष कुछ भी नहीं कहा है, किन्तु, उसने जब्ती सूची पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है, जो प्रदर्श 1 के तौर पर चिन्हित की गयी थी। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

6. अ॰ सा॰ 2 रोहित सिंह है, जो सूचनादाता है। उसने कथन किया कि वह चंदवा में अभिजीत पावर प्लांट का कर्मचारी था। 17.03.2011 को जब वह राँची से लौटा था, उसे पता चला था कि जितेन्द्र तथा मुकेश, जो उक्त प्लांट में अभियंता तथा फैब्रिकेटर थे 5:45 बजे शाम में चंदवा प्रस्थान किया था, किन्तु, वे लापता हो गये थे। 17/18.03.2011 को, पुलिस की मदद से उसने उनकी तलाश करने का प्रयास किया था, किन्तु, वे नहीं मिले थे। उसने कथन किया कि जितेन्द्र के मोबाईल संख्या 8757777160 से लगभग 1:20 बजे प्रात: फोन आया था। व्यक्ति ने कहा था कि उनका अपहरण कर लिया गया था तथा 1 करोड़ रूपये के फिरौती की मांग की जा रही थी। उसने आगे कहा कि उसने उक्त तथ्य की सूचना पुलिस को दी थी। उसने लिखित रिपोर्ट पर अपनी लिखावट तथा हस्ताक्षर को पहचाना, जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया कि जितेन्द्र ने किसी व्यक्तियों के नाम नहीं बताये थे जिन्होंने उनका अपहरण किया था।

7. अ॰ सा॰ 3 निशांत यादव है, जिसने उसी प्रकार से कथन किया है जैसा अ॰ सा॰ 2 द्वारा कथन किया गया है। उसने कथन किया कि उसने भी जितेन्द्र के फोन नंबर से फोन कॉल प्राप्त किया था तथा जितेन्द्र कह रहा था कि उनका अपहरण कर लिया गया है तथा उन्हें मारा पीटा जा रहा है। उसने सूचित किया कि फिरौती के तौर पर 1 करोड़ रूपये की मांग की गयी थी तथा अगर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, उन्हें मार दिया जायेगा। उसने यह भी कथन किया कि जितेन्द्र ने किसी व्यक्ति के नाम नहीं बताये थे जिसने उन्हें अभिकथित रूप से अपहरण किया था।

8. अ॰ सा॰ 4 कैलाश साव है, जिसने कथन किया कि वह घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है न ही उसका कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिसके परिणामत: उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 5 असलम उर्फ छोटू है, जिसने उसी प्रकार से अभिसाक्ष्य दिया है तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

10. अ॰ सा॰ 6 मो॰ फिरोज खान है, जो एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ का अंगरक्षक है। उसने कहा कि 24.03.2011 को अपीलार्थी को टोरी रेलवे स्टेशन के निकट गिरफ्तार किया गया था। उसने प्रकट किया कि अभिजीत समूह के जितेन्द्र सिंह तथा मुकेश यादव नामक दो वरीय अभियंता का अपहरण कर लिया गया था। उसने वह स्थान बताया था जहाँ उन्हें रखा गया था तथा उस स्थान को प्रकट किया था जहाँ मोटरसाईकिल छिपाई गयी थी। उसने यह भी प्रकट किया कि शवों को सिसई पहाड़ी के पास छिपाया गया था। इस गवाह ने कहा कि मोटरसाईकिल जो गाड़ी संख्या GJ 12AS 3227 वाली सी॰ डी॰ डॉन मोटरसाईकिल थी, गहरे जंगल से बरामद की गयी थी। इस गवाह ने आगे कथन किया कि जितेन्द्र सिंह तथा मुकेश यादव दोनों के शवों को सिसई पहाड़ी से बरामद किया गया था। बरामदगी किये जाने के उपरांत, अभियुक्त–अपीलार्थी को शवों के साथ चंदवा पुलिस थाना लाया गया था। इस गवाह ने मोटरसाईकिल की जब्ती के संबंध में जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर किये थे, जिसे प्रदर्श 1/2 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने अभियुक्त–अपीलार्थी को पहचाना था।

प्रति परीक्षण में यह अभिलिखित किया गया है कि इस गवाह ने कमलेश यादव की पहचान राज कुमार यादव (अपीलार्थी) के तौर पर की थी जो काला टी शर्ट पहने था। प्रति परीक्षण में उसने यह भी कहा था कि जब्त मोटरसाईकिल न्यायालय में नहीं है। वे 24.03.2011 को सिसई पहाड़ी गये थे जहाँ शवों के अलावा अन्य सामग्रियों को बरामद नहीं किया गया था। कोई कुल्हाड़ी या गैंता नहीं पाया गया था। वह यह नहीं जानता है कि मृत्यु समीक्षा कहाँ की गयी थी। वह उन परिधानों के बारे में कुछ नहीं कह सका था जो शव पर था। शवों पर चोटों के बिन्दु पर यह गवाह चुप रहा था।

11. अ॰ सा॰ 7 अखिलेश प्रसाद मंडल इस मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। उसने कथन किया है कि 19.03.2011 को वह चंदवा पुलिस थाने में प्रभारी पदाधिकारी के तौर पर तैनात था। उसने स्वयं पुलिस थाना केस संख्या 22/2011 का अन्वेषण प्रारंभ किया था। 17.03.2011 को लगभग 7:45 बजे शाम में, सूचक रोहित सिंह ने सूचित किया था कि ग्लास्टिकल कंपनी के अभियंता तथा फैब्रिकेटर अर्थात् जितेन्द्र सिंह तथा मुकेश यादव, जो अभिजीत समूह के अधीन कार्यरत थे, मोटरसाईकिल से चंदवा के लिए निकले थे, किन्तु वे अपने घर नहीं पहुँचे थे। पुन: 18.03.2011 को 01:20 बजे रात्रि को जितेन्द्र ने मोबाईल संख्या 8757777160 से मोबाईल संख्या 9350265556 तथा 896965576 पर कॉल किया था तथा बताया था कि अपराधियों ने उन्हें तथा मुकेश को जंगल में पकड़ रखा था, उसे मार–पीट रहे थे तथा 1 करोड़ रूपये के फिरौती की मांग कर रहे थे तथा सूचक से धन की व्यवस्था करने को कहा था। ऐसी सूचना के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 364A, 34 के अधीन अपराधों के लिए 19.03.2011 को पुलिस थाना केस संख्या 22/2011 दर्ज की गयी थी तथा उसके अनुदेश पर अन्वेषण उप–निरीक्षक रतन लाल साह को सुपुर्द किया गया था। अन्वेषण पदाधिकारी ने रोहित सिंह, निशांत यादव, तेतर तूरी, असलम खान, पुलिस 692, मो॰ फिरोज खान, कॉन्सटेबल 483 विनय कुमार राम, कैलाश साव तथा अन्य गवाहों, जिन्होंने घटना का समर्थन किया है, के कथन अभिलिखित करने का कथन किया है। अन्वेषण के अनुक्रम में, अन्वेषण पदाधिकारी ने प्रथम घटनास्थल अर्थात् नगर मोड़ का निरीक्षण किया है, जो N.H. 99 पर स्थित है, जहाँ सड़क 20 फीट चौड़ी है तथा घटनास्थल का विवरण दिया है। इस स्थान पर, मोटरसाईकिल के मडगार्ड के टूटे हुए टुकड़े बरामद तथा जब्त किये गये थे। तत्पश्चात जितेन्द्र

सिंह तथा मुकेश यादव के मोबाईल फोन के सी॰ डी॰ आर॰ प्राप्त किये गये थे। जितेन्द्र सिंह के मोबाईल संख्या 8757777160 का आई॰ एम॰ ई॰ आई॰ 910045206277870 तथा मुकेश यादव के मोबाईल संख्या 9973694444 का आई॰ एम॰ ई॰ आई॰ 356267014033660 था। सी॰ डी॰ आर॰ आगे प्रकट करता है कि मुकेश यादव के सिम का उपयोग तीन अन्य मोबाईल सेटों में किया गया था, अर्थात् (1) 359834032190910, (2) 357995000877920 तथा (3) 910040795911810 में, जिसके उपरांत संदिग्ध सेटों की छानबीन करने पर तीन नंबर पाये गये थे, अर्थात् सेट संख्या (1) - 7250250886 से 7250250886 तथा 8102502952 पाये गये थे। इस बीच, अन्वेषण पदाधिकारी ने संदिग्ध मोबाईलों का सत्यापन किया था तथा परमेश्वर यादव, राजकुमार यादव तथा अन्य के साथ अन्वेषण संचालित किया था। इस अनुक्रम में, एक गुप्तचर ने 23.03.2011 को सूचित किया कि घटना मनजीत द्वारा कारित की गयी थी। पुनः 24.03.2011 को गुप्तचर द्वारा बताये जाने पर, मंजीत को टोरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ करने पर, गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम राज कुमार यादव उर्फ मंजीत जी बताया था तथा संदिग्ध मोबाईल संख्या 7250957020 उससे बरामद किया गया था। इस सिम का उपयोग अपहरण के समय मुकेश कुमार के मोबाईल सेट पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, मोबाईल संख्या 8102502952, 140/- रूपये की नकद राशि, फोटोग्राफ तथा एक मुहरबंद सिम बरामद किया गया था जो जब्त किया गया था, गवाहों की उपस्थिति में एक जब्ती सूची तैयार की गयी थी। अभियुक्त-अपीलार्थी ने पुलिस थाना में 24.03.2011 को इकबालिया बयान दिया था जिसे अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था। अभियुक्त के बताने पर मोटरसाईकिल बरामद किया गया था तथा शवों को भी बरामद किया गया था। मोटरसाईकिल गहरे जंगल से बरामद किया गया था जहाँ इसे नदी के निकट एक गुफा में लकड़ी के लट्ठों से ढंककर रखा गया था। तत्पश्चात जितेन्द्र सिंह तथा मुकेश यादव के शवों को सिसई पहाड़ी से बरामद किया गया था। शवों को 20-25 फीट गहरी खाई में रखा गया था जहाँ से उन्हें निकालना काफा कठिन था। अभियुक्त-अपीलार्थी राज कुमार ने उन्हें बताया कि शवों को उत्तरी छोर से निकाला जा सकता है जहाँ भवनाग गाँव अवस्थित है। तत्पश्चात एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰, लातेहार कुछ बल के साथ शवों का निरीक्षण करने गये तथा अन्वेषण पदाधिकारी, राज कुमार यादव तथा थाने से कुछ पुलिस बल तथा सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ के साथ भवनाथ गाँव की ओर गये, किन्तु, भवनाथ गाँव पहुँचने के पहले उनके तथा सी॰ पी॰ आई॰ (एम॰) के उग्रवादियों के बीच गोलियाँ चली जो देर रात तक चली, जिसमें सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ के कॉन्सटेबल अमरदीप सिंह तथा सिम्प्लेक्स कंपनी के अजीत सिंह की मृत्यु हो गयी थी। तत्पश्चात एस॰ पी॰, पलामू की मदद से 25.03.2011 को जितेन्द्र सिंह तथा मुकेश यादव के शवों को बाहर निकाला गया था तथा मृत्यु समीक्षा तैयार किया गया था। शवों की बरामदगी के उपरांत, अन्वेषण पदाधिकारी (अ॰ सा॰ 7) ने कथन किया कि वह राज कुमार यादव के साथ नदी के निकट गये थे तथा मोटरसाईकिल संख्या GJ 12AS 3277 के संबंध में जब्ती सूची तैयार की तैयार की थी। मोटरसाईकिल का पिछला मडगार्ड तथा लाईट टूटे हुए थे। अन्वेषण पदाधिकारी (अ॰ सा॰ 7) ने फिर कहा है कि उसने आर॰ आई॰ एम॰ एस॰ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया था। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्त राज कुमार यादव ने अपने इकबालिया बयान में दयाल यादव, कमलेश यादव तथा मनोज यादव नामक अन्य सहयोगियों के नाम बताये थे। अन्वेषण पदाधिकारी (अ॰ सा॰ 7) ने अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अन्वेषण लम्बित रखते हुए राज कुमार यादव के विरूद्ध उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 364A, 302, 201, 120B तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोपपत्र संख्या 81/11 दिनांक 16.06.2011 प्रस्तुत किया। इस गवाह ने आगे कथन किया कि अग्रेतर अन्वेषण के अनुक्रम में उसने पाया कि आई॰ एम॰ ई॰ आई॰ सं॰ 357995000877920 में उपयोग

में लाया गया संदिग्ध नंबर 9905590567 था जो गाँव सौरंडाग, पुलिस थाना बालूमठ के नाम में है। 16.03.2011 तथा 17.03.2011 को इस संख्या का टावर लोकेशन क्रमशः बालूमठ तथा चकला में था तथा 20.03.2011 को यह बालूमठ क्षेत्र में था। अन्य संदिग्ध मोबाईल संख्या 810250952 भी चकला, बालूमठ, लोहारजी इत्यादि क्षेत्र में पाया गया था। राज कुमार यादव ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि उक्त अवधि के दौरान कमलेश धन लाने बालूमठ गया था। इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल कमलेश यादव द्वारा किया गया था। अन्वेषण के दौरान, ऐसे कई मोबाईल संख्याओं का उपयोग किये जाने का पता चला था, जो जाली व्यक्तियों के नाम में प्राप्त किये गये पाये गये थे। इस गवाह ने कथन किया है कि कमलेश यादव ने अभियंता के अधीन कार्य किया था जिसकी मृत्यु हो गयी थी तथा कमलेश यादव ने कथन किया था कि वह अभियंता के अधीन कार्य कर रहा था, अतः 2,00,000/- रूपये की फिरौती लेने के उपरांत अभियंता की हत्या करने का प्रस्ताव लाया गया था। दोनों मृतकों की हत्या कमलेश द्वारा 20.03.2011 को गोली मारकर कर दी गयी थी, जिसका समर्थन राज कुमार यादव द्वारा अपने इकबालिया बयान में किया गया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि 17.10.2011 को पुलिस थाना केस संख्या 78/2011 में कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को खेलारी पुलिस थाना में गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने अपने नाम दयाल यादव तथा पंकज यादव बताये थे। पंकज यादव वास्तव में कमलेश यादव उर्फ छोटू था। 9.05.2011 को पेशी वारंट के आधार पर इन दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को रिमांड पर लिया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया कि चूँकि उस गवाह का स्थानान्तरण कर दिया गया था, उसने इस मामले का प्रभार प्रभारी पदाधिकारी, चंदवा को 26.06.2012 को सुपुर्द कर दिया था। इस गवाह ने प्रदर्श 3, प्रदर्श 4, प्रदर्श 4/1, प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, प्रदर्श 7, प्रदर्श 8, प्रदर्श 9 से 9/15, प्रदर्श 10 तथा तात्विक प्रदर्श I से IV की पहचान की थी।

प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि राज कुमार को 24.03.2011 को गिरफ्तार किया गया था, किन्तु उसे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सका था क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के उपरांत, पुलिस तथा एम॰ सी॰ सी॰ के उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई थी तथा अभियुक्त भी अस्पताल भेजा गया था तथा अस्पताल से डिस्चार्ज किये जाने के उपरांत 29.03.2011 को उसे पेश किया गया था। इसके अतिरिक्त उसने कथन किया है कि उसने राज कुमार यादव का कोई दाण्डिक इतिहास नहीं पाया था। उसने यह भी कथन किया है कि उसने इस बिन्दु पर अन्वेषण नहीं किया था कि घटना के दौरान प्रयुक्त सेल फोन किस प्रकार से अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया था जो बासुदेव मुंडा के नाम पर था।

12. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ विजय कुमार है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियाँ पायी थीः–

(1) कुचला हुआ अस्थिभंग

(i) 1.13 cm x 9 cm आकार का बायाँ सामने का टेम्पोरल बोन अंतर्ग्रस्त करने वाला तथा अस्थिभंग वाले क्षेत्र के अस्थि के टूटे हुए भाग गायब थे।

(ii) सेगिटल सेच्योर से 3 सेमी तथा लम्बीऑड सेच्योर से 2 सेमी दायें पेराइटल बोन के पिछले भाग में 3 cm x 2 cm आकार का

(iii) मिडिल एंटीरियर भाग में एंटीरियो पोस्टिरियर रूप से रखा दायें पेराईटल बोन के पार्श्व भाग पर 9 सेमी लम्बा रेखीय अस्थिभंग

(2) बायें प्रथम पसली तथा स्टर्नम के लाइन जंक्शन पर उलटे तथा छिले हुये किनारे वाला 1 सेमी व्यास का प्रवेश का आग्येयायुध जख्म। स्टर्नम को खरोंच पहुँचाते हुए दायीं ओर होकर गोली गुजर गयी तथा मिड कैलिबुलर लाइन में दायें मध्य भाग को तोड़ते हुए निकल गयी जहाँ से यह उपर की ओर पिछले भाग से परावर्तित हुई तथा दायें क्लेविकल तथा ह्यूमरस के जंक्शन के 1/2 इंच नीचे 3 cm x 2 cm का निकास जख्म बनाया तथा वहाँ से शरीर के उपरी भाग से गोली बरामद की गयी है।

चिकित्सक ने मत दिया है कि उक्त उपहतियाँ मृत्युपूर्व प्रकृति की हैं। अस्थिभंग कड़े तथा भोथरे पदार्थ द्वारा कारित किया गया था तथा आग्नेयायुध उपहति गोली द्वारा कारित की गयी थी। मृत्यु सिर की उपहति के कारण हुई थी। मृत्यु के बाद व्यतीत समय 5 दिन ± 2 दिन था।

13. साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा की गयी थी। उसने बचाव में साक्ष्य देने से इनकार किया।

14. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह पूरी तरह से अपीलार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य न होने का मामला है। वह निवेदन करते हैं कि संपूर्ण मामला अ॰ सा॰ 6 के साक्ष्य पर टिका है जो कथन करता है कि इस अपीलार्थी को टोरी रेलवे स्टेशन के निकट गिरफ्तार किया गया था तथा उसने संपूर्ण घटना प्रकट किया। वह निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 6 एक पुलिस पदाधिकारी है तथा पुलिस पदाधिकारी के समक्ष कोई भी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी को कॉल डिटेल रिपोर्ट तथा मोबाइल सिम कार्ड के उपयोग के आधार पर अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अधीन मान्यता नहीं है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का संबंध है तथा प्रमाणन की अनुपस्थिति में कॉल डिटेल रिपोर्ट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जिसपर अभियोजन अपीलार्थी का दोष सिद्ध करना चाहता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अ॰ सा॰ 7 के अनुसार, अपीलार्थी को टोरी स्टेशन पर 24 मार्च, 2011 को गिरफ्तार किया गया था, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से, अपीलार्थी को बिना किसी स्वीकार्य कारण के 29 मार्च, 2011 को अर्थात् अपनी गिरफ्तारी के पाँच दिनों के बाद रिमांड पर लिया गया था। अन्वेषण पदाधिकारी के अनुसार, यद्यपि इस प्रभाव का एक कारण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था कि माओवादियों से मुठभेड़ हुई थी तथा अपीलार्थी को भी इलाज के लिए भर्ती किया गया था, फिर भी न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी के लिए कोई दस्तावेज या उग्रवादियों के साथ पुलिस मुठभेड़ दर्शाने वाली सामग्री अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी थी तथा उस दृष्टि में, उसका निरोध भी दोषपूर्ण था, तथा उस अवधि के दौरान उसकी संस्वीकृति स्वैच्छिक नहीं है। वह निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 6 न्यायालय में अपीलार्थी को पहचानने में विफल रहा है, जो स्वयं अभिसाक्ष्य से ही प्रकट है क्योंकि उसने कमलेश यादव की पहचान राजकुमार यादव (अपीलार्थी) के तौर पर की है।

15. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि इस अपीलार्थी ने इसके संबंध में विस्तृत विवरण दिया है कि पीड़ित का किस प्रकार से अपहरण किया गया था तथा हत्या की गयी थी। वह निवेदन करते हैं कि कॉल डिटेल रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सुझाती है कि अपीलार्थी तथा अन्य अभियुक्तगण मृतक का अपहरण तथा हत्या करने में शामिल था। वह निवेदन करते हैं कि साक्ष्य तथा परिस्थितियाँ एक साथ रखे जाने पर एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि यह अपीलार्थी अपराध कारित करने का दोषी है।

16. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता तथा साथ ही राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले ए॰ पी॰ पी॰ को भी सुना है। स्वीकृत रूप से, अपहरण के बिन्दु पर या हत्या के बिन्दु पर इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। संपूर्ण अभियोजन मामला अ॰ सा॰ 6 के साक्ष्य पर आधारित है जो एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ का अंगरक्षक है, जिसने कथन किया था कि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था तथा उसकी संस्वीकृति पर अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्रियाँ तथा शव बरामद किया गया था। अपीलार्थी तथा अन्य लोगों द्वारा अपहरण का तथ्य अभियोजन द्वारा मृतक व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिपोर्ट तथा साथ ही सिम कार्ड द्वारा स्थापित तथा सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के निबंधनों में किसी प्रमाणन की अनुपस्थिति में अभियोजन द्वारा इन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर भरोसा किया गया है। इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि अभियोजन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को सिद्ध करने के लिए धारा 65B में यथा अधिकथित शर्तों का पालन नहीं किया गया है। **अनवर पी॰ वी॰**

बनाम पी॰ के॰ बशीर [(2014) 10 SCC 473] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अधिकथित किया है कि केवल तभी जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के निबंधनों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्यक् रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसकी सत्यता को लेकर प्रश्न उद्भूत होगा, तथा उस स्थिति में अधिनियम की धारा 45A का अवलम्ब लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम मौखिक साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाण अनुध्यात नहीं करता या इसे बढ़ावा नहीं देता, अगर साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, जैसी विधि अभी भारत में है। इस मामले में, हम पाते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। इस प्रकार, कॉल डिटेल रिपोर्ट, सिम कार्ड तथा कॉल डिटेल रिपोर्ट की अंतर्वस्तुयें तथा सिम कार्ड को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 7 ने कमलेश यादव की पहचान इस अपीलार्थी के तौर पर की है। अभियोजन का मामला यह नहीं है कि यह अपीलार्थी कमलेश यादव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार, अपीलार्थी की पहचान के संबंध में भी संदेह है।

17. इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि इकबालिया बयान एक पुलिस अधिकारी के समक्ष की गयी है वह भी तब जब वह 24 घंटे से अधिक की अभिरक्षा में रखा गया था तथा उस समय के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था। अ॰ सा॰ 7 के अनुसार, अपीलार्थी को 24 मार्च, 2011 को गिरफ्तार किया गया था तथा स्वीकृत रूप से अपीलार्थी को 29 मार्च, 2011 को रिमांड पर लिया गया था। अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा जो स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया था, वह किसी समर्थनकारी प्रमाण के बिना है। अपीलार्थी का मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया था न ही यह दर्शाने के लिए सामग्री प्रस्तुत की गयी है कि उग्रवादी संगठन तथा पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हुआ था, जिसके परिणामत: अपीलार्थी की पेशी में विलम्ब हुआ था। अ॰ सा॰ 6 जो दावा करता है कि वह अपीलार्थी की गिरफ्तारी के उपरांत हर समय उपस्थित था, किसी उग्रवादी हमले के बारे में कुछ भी कथन नहीं करता है। इस प्रकार, इस अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से की गयी संस्वीकृति की प्रकृति संदेहपूर्ण है। जैसा की उपर चर्चा की गयी है, स्वीकृत रूप से घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तथा केवल कॉल डिटेल रिपोर्ट के आधार पर, इस अपीलार्थी को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था तथा उसकी अभिकथित इकबालिया बयान प्राप्त किया गया था। चूँकि अपीलार्थी को आलिप्त करने का आधार अर्थात् कॉल डिटेल रिपोर्ट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को विचार में नहीं लिया जा सकता, हम पाते हैं कि इस मामले में अपीलार्थी को आलिप्त करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है। इस प्रकार, संदेह का लाभ प्रदान करके, हम इस अपील को अनुज्ञात करते हैं तथा सत्र विचारण सं॰ 146 वर्ष 2011 में जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 26 अगस्त, 2016 का दोषसिद्धि का निर्णय तथा 29 अगस्त, 2016 का दण्डादेश अपास्त करते हैं। अपीलार्थी जो अभिरक्षा में है, को तत्काल रिहा करने तथा स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है, अगर उसकी अभिरक्षा किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।

18. अवर न्यायालय अभिलेखों को तत्काल इस निर्णय की एक प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाय।

अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

श्रीमती परदीन ओराँव

बनाम

सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से एवं अन्य

W. P. (S) No. 5651 of 2016. Decided on 16th August, 2018.

श्रम एवं औद्योगिक विधि—अनुकंपा पर नियुक्ति—हकदारी—किसी गायब कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करने के प्रयोजन से कर्मचारी की सिविल मृत्यु एवं प्राकृतिक मृत्य के बीच कोई अंतर नहीं है—किसी गायब कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है-पक्षों के बीच समझौते को किसी गायब कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने से वंचित करने के लिए कोयला कंपनी के एकपक्षीय निर्णय द्वारा उपांतरित नहीं किया जा सकता—आक्षेपित आदेश अवैधानिक अभिनिर्धारित किया गया। (पैराएँ 3 से 7)

अधिवक्तागण.—M/s M.M. Pal, Mohua Palit, Leena Mukherjee, For the Petitioner; Mr. D.K. Chakraverty, For the Respondents.

आदेश

याची दिनांक 3.8.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा उसके पुत्र की नियुक्ति का दावा अस्वीकार कर दिया गया है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित, याची का पति जो मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन नियोजित था, 3.10.2002 से गायब था; इस संबंध में एक रिपोर्ट 6.11.2002 को दर्ज करायी गयी थी। अभिधान वाद सं॰ 124 वर्ष 2009 में याची के पति की सिविल मृत्यु की घोषणा 13.7.2002 को गयी थी। इस वाद में मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ को पक्षकार-प्रतिवादी के तौर पर नियोजित किया गया था तथा इसने वाद का प्रतिवाद किया है। प्रत्यर्थीगण ने अभिवचन किया है कि दिनांक 20.9.2004 के एक आदेश द्वारा याची का पति सेवा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर सेवा से हटाया गया था। जब याची के पुत्र की अनुकंपा पर नियुक्ति तथा पेंशन समेत सेवोपरांत लाभों का भुगतान याची को नहीं किया गया था तथा दिनांक 2.11.2013 के आदेश द्वारा उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया था, वह W.P.(S). No. 330 वर्ष 2014 में इस न्यायालय के पास आयी थी तथा दिनांक 3.8.2015 के आदेश द्वारा याची के पति की सेवा समाप्ति का आदेश अभिखंडित किया गया था। **''मुन्नी देवी बनाम सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य'' [W.P.(S) No. 7438 वर्ष 2013** तथा **''बिजय कुमार प्रधान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य'' [W.P.(S). No. 3956 वर्ष 2011** में पारित आदेशों पर विचार करके जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक गायब कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, प्रत्यर्थीगण को याची के पुत्र की अनुकंपा पर नियुक्ति के दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 3.8.2016 का आक्षेपित आदेश प्रतिबिंबित करता है कि याची के दोनों पुत्र 18 वर्ष से अधिक आयु के थे।

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 प्रावधानित करता है कि अगर यह सिद्ध किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में उन लोगों द्वारा 7 वर्षों से नहीं सुना गया है जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना करते, अगर वह जीवित होता, तब यह सिद्ध करने का भार कि वह जीवित है, उसपर है जो इसे अभिपुष्ट करता है। याची ने अभिधान वाद सं॰ 124 वर्ष 2009 में सिविल न्यायालय द्वारा अपने पति की सिविल मृत्यु की घोषणा को अभिलेख पर लाया है। इस उच्च न्यायालय समेत विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि एक गायब कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति देने के प्रयोजन से कर्मचारी की सिविल मृत्यु एवं स्वाभाविक मृत्यु के बीच कोई अंतर नहीं है। **''पोदीन देवी बनाम सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लि॰ एवं अन्य'' [W.P. (S). No. 4946 वर्ष 2011]** में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 150 वर्ष 2014 में खंडपीठ के समक्ष प्रत्यर्थी-सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा चुनौती दी गयी थी तथा लेटर्स पेटेन्ट अपील की खारिजी के उपरांत मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले जाया गया था, किन्तु, मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गयी थी। इस प्रकार मुद्दा निष्कर्षित होता है कि इस आधार पर कि मृतक कर्मचारी

के आश्रित की नियुक्ति के लिए एन॰ सी॰ डब्लू॰ ए॰ में कोई प्रावधान नहीं है, गायब कर्मचारी की अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए दाखिल आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. प्रत्यर्थी–मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा लिये गये इस दृष्टिकोण पर कि किसी गायब कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ विस्तारित नहीं करने का नीति निर्णय लिया गया है, यह अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता है कि दिनांक 9.12.2013 के परिशिष्ट L के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज 19.10.2013 को जयपुर में आयोजित निदेशकों (पी॰) की 102वीं बैठक की परिचर्चा टिप्पणी को निर्दिष्ट करता है। सर्वप्रथम, पूर्वोक्त चर्चा टिप्पणी कोल कंपनी का नीति निर्णय नहीं बनेगा तथा अगर ऐसा कोई निर्णय लिया भी गया है, इस न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में, यह याची के पुत्र को अनुकंपा पर नियुक्ति को अस्वीकार करने का एक आधार नहीं हो सकता। पक्षों के बीच समझौता जो लिखित में दी गयी है तथा जिसे सामान्य रूप से नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट कहा जाता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18 के अधीन प्रवर्तनीय है तथा इसकी शर्तें सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं, जो कि कोयला कंपनी के एकपक्षीय निर्णय द्वारा किसी गायब कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने से वंचित करते हुए उपांतरित नहीं किया जा सकता। पूर्वोक्त परिचर्चा टिप्पणी अबाध्यकर तथा एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ के प्रावधानों के विपरीत अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट में ऐसा कोई अपवर्जन खंड नहीं है जिसके अधीन किसी गायब कर्मचारी जिसकी सिविल मृत्यु हुई है, के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

5. याची के पुत्र के अनुकंपा पर नियुक्ति के दावे को अस्वीकार करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा लिया गया एक अन्य आधार यह है कि वह स्वयं मेसर्स सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन नियोजित है, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.7.2018 थी। मेरी राय में यह याची के पुत्र के अनुकंपा पर नियुक्ति के दावे को अस्वीकार करने का एक आधार नहीं हो सकता। काफी समय पहले लिया गया नीतिगत निर्णय पेश किया गया है जो दोहरे नियोजन के मामलों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण द्वारा लिया गया था। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत याची के पुत्रों का नाम उपयुक्त प्रकार से आश्रित के तौर पर अभिलिखित किया गया है। यह तथ्य कि उनके नाम याची की सेवा पुस्तिका में अभिलिखित हैं, याची के पुत्र को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करने का अपात्र नहीं बनायेगा।

6. याची द्वारा पेंशन हेतु दावे पर, यह अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता है कि उसका पति सी॰ एम॰ पी॰ एस॰ 98 का एक सदस्य था जिसके अधीन अंशदान के एक भाग की कटौती कर्मचारी के वेतन से की जाती है। याची के पति के वेतन से लगातार 10 वर्षों की सेवा के लिए कोई कटौती नहीं की गयी है, जो कि पेंशन के प्रदान के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि है। 3.10.2002 को उसके गायब होने की सूचना दी गयी थी तथा, अतएव, उसके वेतन से इसके उपरांत किसी अंशदान की कटौती नहीं की गयी थी ताकि उसे सी॰ एम॰ पी॰ एस॰ 98 के अधीन पेंशन का हकदार बनाया जा सके, किन्तु, अंशदायी भविष्य निधि में की गयी योगदान की राशि ब्याज के साथ याची को भुगतेय है।

7. 3.8.2016 का आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा याची के पुत्र को अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा अस्वीकार कर दिया गया था, अवैधानिक अभिनिर्धारित किया जाता है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 छह सप्ताह के भीतर याची के पुत्र की पात्रता का आकलन करेंगे। परियोजना पदाधिकारी–प्रत्यर्थी सं॰ 4 छह सप्ताह के भीतर याची के अंशदायी भविष्य निधि के योगदानों के भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज अग्रसारित करेंगे। उसके द्वारा दी गयी सेवा के लिए भूतपूर्व कर्मचारी को भुगतेय उपदान का भुगतान भी इसी अवधि के भीतर याची को किया जायेगा।

8. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

माननीय राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

लखन चंद्र प्रामाणिक एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

S.A. No.63 of 2016. Decided on 13th March, 2018.

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882—धाराएँ 43 एवं 119—अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण—टी॰ पी॰ अधिनियम की धारा 43 अंतरिती को संरक्षण देता है जो कपट का पीड़ित है—समय के किसी पश्चातवर्ती बिन्दु पर, अगर अंतरिती के पक्ष में कोई हित सृजित होता है तब, यह अंतरिती को अंतरित हो जायेगा—अपीलार्थी/वादी द्वारा कारित कपट की दृष्टि में वह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार कोई संरक्षण पाने का हकदार नहीं है—अपीलार्थी वाद भूमि लौटाने का दायी है—अपील खारिज। (पैराएँ 9 से 12 एवं 16)

आदेश

अपीलार्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री मंजुल प्रसाद को सुना तथा स्थायी अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता श्री विनीत प्रकाश को सुना।

2. वादीगण–अपीलार्थीगण ने वादपत्र के अनुसूची C भूमि पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को अवरोधित करने वाले स्थायी व्यादेश की डिक्री प्रदान करने के लिए तथा साथ ही भूमि के उतने ही क्षेत्रफल के लिए जैसा की वादपत्र के अनुसूची B में दिया गया है, वादीगण के पक्ष में विनिमय विलेख निष्पादित करने का प्रतिवादीगण को निर्देश देने वाले डिक्री तथा वाद व्यय के लिए भी सिविल न्यायाधीश (कनीय डिवीजन) सं॰ 1, धनबाद के न्यायालय के समक्ष अभिधान वाद सं॰ 94 वर्ष 1993 दाखिल किया है।

3. विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी–प्रतिवादी–झारखंड राज्य आवास बोर्ड को नोटिस निर्गत किया था, जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित कथन दाखिल किया था।

4. अवर न्यायालय ने कई मुद्दों को विरचित किया है जिससे मुद्दा संख्या 4 तथा 5 को यहाँ पर नीचे उद्धृत किया जाता है:–

(iv) क्या वादी तथा प्रतिवादी ने अपनी–अपनी भूमियों का विनिमय किया था तथा क्या उनका अपने–अपने विनिमयित भूमि पर कब्जा है?

(v) क्या वादी का विनिमय योजना के अनुसार वाद भूमि पर कोई अधिकार, अभिधान तथा हित है?

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत, निष्कर्ष अभिलिखित किया कि जब तथाकथित विनिमय विलेख पर 1981 में हस्ताक्षर किया गया था, वादीगण–अपीलार्थीगण अनुसूची B भूमि के स्वामी नहीं थे। इस प्रकार वादीगण–अपीलार्थीगण द्वारा यह दर्शाते हुए कपट कारित करके विनिमय विलेख पर हस्ताक्षर किया गया था कि वे अनुसूची B भूमि के स्वामी थे।

6. अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। इस प्रकार, दोनों अवर न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है।

7. इस चरण पर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इसे न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है कि बाद में उन्होंने वर्ष 1987 में एक विक्रय विलेख द्वारा अनुसूची B संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त किया था। यह निवेदन किया गया है कि अनुसूची B संपत्ति पर अभिधान अर्जित करने के उपरांत, उन्होंने विनिमय

को विधिमान्यता प्रदान करने के लिए प्राधिकार के समक्ष मामले का परिशीलन किया था क्योंकि उन्होंने अनुसूची B भूमि पर अभिधान अर्जित किया था।

8. वर्तमान वाद 1993 में दाखिल किया गया है। अपीलार्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 43 का अवलम्ब लेने का प्रयास किया है, जो निम्नवत पठित है:-

*43. **अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो बाद में अंतरित संपत्ति में हित अर्जित करता है.**-जहाँ कोई व्यक्ति (कपटपूर्वक या) गलत रूप से व्यपदेशन करता है कि वह कतिपय अचल संपत्ति का अंतरण करने को प्राधिकृत है, तथा प्रतिपफल की प्राप्ति पर ऐसी संपत्ति अंतरित करने का कथन करता है, ऐसा अंतरण अंतरिती के विकल्प पर किसी हित पर कार्य करता है जिसे अंतरक ऐसे किसी समय के दौरान ऐसी संपत्ति में अर्जित कर सकता था जिसके दौरान अंतरण की संविदा विद्यमान थी।*

इस धारा की कोई भी बात उक्त विकल्प के मौजूद होने को ध्यान में लिये बिना प्रतिपफल हेतु सद्भाव में अंतरितियों के अधिकारों को दुर्बल नहीं करेगी।

दृष्टांत

क जो कि एक हिन्दु है जो अपने पिता ख से अलग हुआ है, ग को तीन भूमियाँ अ, ब और स यह कथन करते हुए बेचता है कि क इसे अंतरित करने को प्राधिकृत है। इन तीन भूमियों में से स भूमि विभाजन के उपरांत ख द्वारा रखे जाने के परिणामतः क की नहीं हैऋ किन्तु ख की मृत्यु पर क उसका उत्तराधिकारी होने के नाते स प्राप्त करता है। ग के विक्रय की संविदा विखंडित न करने के कारण यह क को उसे स सुपुर्द करने की अपेक्षा कर सकता है।

9. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 के परिशीलन से, यह प्रकट है कि अंतरक की कपटपूर्ण कार्रवाई से अंतरिती को एक सुरक्षा प्रदान की गयी है।

इस प्रकार, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 अंतरिती को सुरक्षा प्रदान करती है, जो कपट का पीड़ित है। यह अनुबद्ध किया गया है कि समय के किसी पश्चातवर्ती बिन्दु पर, अगर अंतरक के पक्ष में कोई हित निर्मित होता है, तब इसे अंतरिती को अंतरित किया जायेगा। यह प्रावधान अंतरक द्वारा कारित कपट को शून्य बनाने के लिए बनाया गया है।

10. वर्तमान मामले में अंतरक अर्थात् वादी जिसने विनिमय विलेख पर हस्ताक्षर किया है, अच्छी तरह से यह जानते हुए कि वह भूमि का स्वामी नहीं था तथा इस प्रकार सार्वजनिक भूमि के साथ कपट कारित किया है।

11. वादी द्वारा कारित कपट की दृष्टि में, वह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार कोई संरक्षण पाने का हकदार नहीं है, जैसा उपर उत्कथित किया गया है:-

12. वस्तुतः, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 119 प्रासंगिक प्रावधान है, जो नीचे उत्कथित किया जाता है:-

*"119. **विनिमय में प्राप्त वस्तु से वंचित पक्षकार के अधिकार.**-अगर विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अन्य पक्षकार के अभिधान में त्रुटि के कारण विनिमय में उसे प्राप्त वस्तु या वस्तु के किसी भाग से वंचित हो जाता है, तब जबतक कि विनिमय के निबंधनों से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, ऐसा अन्य पक्षकार तद्द्वारा कारित क्षति के लिए या इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उसके अधीन या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति अंतरित वस्तु लौटाने का दायी होता है, अगर यह अभी भी किसी प्रतिपफल*

के भुगतान के बगैर ऐसे अन्य पक्षकार या उसके वैधानिक प्रतिनिधि या अंतरिती के कब्जे में है।''

13. उक्त धारा का परिशीलन मात्र इसे स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति, जो विनिमय से प्रभावित हुआ है, के विकल्प पर भूमि वापस पाने का हकदार है, अगर अन्य व्यक्ति का कब्जा है।

14. वर्तमान मामले में, वादी-अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है कि उसका अभी भी वाद भूमि का कब्जा है।

तद्नुसार, अपीलार्थी-वादी वाद भूमि वापस लौटाने का दायी है तथा वह इसे अधिनियम की धारा 119 (उक्त) के आदेशानुसार प्रतिधारित नहीं कर सकता है।

15. यह भी उल्लेख करना उपयोगी है कि ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि प्राधिकार, जिसने आवास बोर्ड की ओर से विनिमय विलेख पर हस्ताक्षर किया है, विधि में ऐसा करने को सक्षम था।

16. उक्त परिचर्चा तथा दोनों अवर न्यायालयों के सहवर्ती निष्कर्षों की दृष्टि में, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान अपील में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है तथा इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

माननीय अपरेश कुमार सिंह एवं रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्तिगण

राजेश उपाध्याय

बनाम

उषा देवी उर्फ उषा उपाध्याय

F. A. No. 154 of 2016. Decided on 23rd April, 2018.

हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13(1)(ib)—तलाक—पत्नी की ओर से क्रूरता तथा परित्याग—अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दर्ज परिवाद मामले में दोषसिद्ध किया गया है—वह प्रत्यर्थी के लिए वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए युक्तियुक्त कारण था—विवाह में क्रूरता के लिए प्रत्यर्थी के बजाय अपीलार्थी उत्तरदायी रहा था—कुटुम्ब न्यायालय का निष्कर्ष अभिपुष्ट—अपील खारिज। (पैराएँ 13 से 15)

अधिवक्तागण.—Mr. Diwakar Upadhyay, For the Appellant; Mr. Shekhar Prasad Sinha, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.-पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी-पति अभिधान वैवाहिक वाद सं॰ 412 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 31 मई, 2016 के निर्णय तथा डिक्री से व्यथित है। वाद क्रूरता तथा परित्याग के आधारों पर विवाह के विघटन के लिए संस्थित किया गया था।

3. <u>वादी/पति का मामला</u>

याची का विवाह हिन्दु रीति रिवाजों के अनुसार 7 जून, 2006 को प्रत्यर्थी के साथ धनबाद में हुआ था। वे वैवाहिक गृह में शांतिपूर्वक रह रहे थे, किन्तु यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने परेशानी उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। समस्या का मुख्य कारण यह था कि वादी अपने माता-पिता की मृत्यु के उपरांत अपने बड़े भाई के साथ रहा करता था, जो प्रत्यर्थी को स्वीकार्य नहीं था। उसने परिवार

के शेष सदस्यों से विभाजन तथा बंटवारा की मांग करना प्रारंभ कर दिया जो तनाव का कारण बन गया। यह भी अभिकथित किया गया है कि याची पर प्रत्यर्थी के माता-पिता द्वारा घरजमाई बनने पर दबाव दिया गया था। उसे पड़ोसियों तथा मित्रों के सामने गंदी भाषा में गाली दिया गया था जिसने वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया था। उससे वैवाहिक गृह को छोड़ दिया तथा याची की अनुमति प्राप्त किये बिना फरवरी, 2007 में अपने माता-पिता के घर चली गयी। उसने टेलीफोन पर भी उससे बात करने से मना कर दिया। याची तथा उसके परिवार के सदस्यों ने उसे वापस लाने के लिए कई बार प्रत्यर्थी से संपर्क किया तथा अंत में 1 सितम्बर, 2009 को गये किन्तु प्रत्यर्थी ने कई बार उसे धमकी दी थी कि उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामले में फंसा दिया जायेगा।

4. <u>प्रत्यर्थी का मामला।</u> प्रत्यर्थी ने विवाह का तथ्य स्वीकार किया किन्तु उन सब आरोपों से इनकार किया जो परिवाद में अभिकथित किया गया है। उसने अभिकथित किया कि उसे याची द्वारा उसके ससुराल से धक्के मारकर बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया था। उसने याची तथा उसके बड़े भाई के बीच कोई विभाजन करने या अलग रहने को कभी नहीं कहा था और न ही उसे याची तथा उसके परिवार को कभी भी गाली दी थी। प्रत्यर्थी ने कभी भी याची को घरजमाई बनने को नहीं कहा था बल्कि केवल अपनी आदतें सुधारने तथा पूरी प्रतिष्ठा, मान एवं सम्मान के साथ रखने का आग्रह किया था। उसने कभी भी याची का घर नहीं छोड़ा था न तो फरवरी, 2007 को और न ही किसी अन्य तिथि को। तत्पश्चात्, तलाक याचिका दाखिल करने की तिथि पर भी उनका संयुक्त खानपान तथा पूजा पाठ हो रहा था। वह भी उसके साथ रहने को तैयार है, किन्तु याची ने ही दहेज की मांग के लिए उसे वैवाहिक गृह से बाहर निकाल दिया है। उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध परिवाद मामला सी॰ पी॰ सं॰ 49/2010 दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी ने प्रतिवाद किया कि उसे लगातार मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था किन्तु परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर वह चुप रही तथा अंत में याची द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया था। वैवाहिक वाद की कार्यवाहियों के दौरान भी मध्यस्थता विफल रही थी।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी निवेदनों के आधार पर, न्यायनिर्णयन के लिए निम्नलिखित मुद्दे विरचित किये गये थे:-

(i) क्या वाद पोषणीय है?

(ii) क्या याची को प्रत्यर्थी द्वारा क्रूरता के अध्यधीन किया गया था?

(iii) क्या प्रत्यर्थी ने स्वैच्छिक रूप से परित्याग किया था या क्या प्रत्यर्थी को याची द्वारा क्रूरता के अध्यधीन किया गया था?

(iv) क्या याची तलाक की डिक्री पाने का हकदार है?

(v) कौन से अनुतोष या अनुतोषों का याची हकदार है?

6. याची ने अपने मामले के समर्थन में स्वयं की अ॰ सा॰ 1 के तौर पर, अ॰ सा॰ 2 वनी भूषण उपाध्याय जो उसका बड़ा भाई है तथा अ॰ सा॰ 3 शंभू सिंह की परीक्षा कराई है। प्रत्यर्थी ने स्वयं की ब॰ सा॰ 1 के तौर पर तथा अपने पिता ब॰ सा॰ 2 के तौर पर परीक्षा कराई है।

7. क्रूरता तथा परित्याग से संबंधित मुद्दा सं॰ II तथा III को विचार हेतु एक साथ लिया गया था।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार किया तथा याची के गवाहों के कथन के आधार पर इस मत पर आया कि याची ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा था कि प्रत्यर्थी ने अपने बड़े भाई से अलग होने को कभी कहा था जिसके साथ वह संयुक्त रूप से रह रहा था। दूसरी ओर, अ॰ सा॰ 2 तथा 3 ने भी यह कथन नहीं किया है कि याची का अपने बड़े भाई के साथ संयुक्त रूप से रहना ही पक्षों के बीच कलह की असली वजह थी। अतएव याची तथा उसके गवाहों ने अभिवचन

के इस भाग के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, अगर यह थोड़ा भी सत्य था। इसके अतिरिक्त, याची ने साक्ष्य के दौरान एक भिन्न मामला निर्मित किया था। उसने अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही थी तथा उसने कुछ तंत्र-मंत्र की भी बात की थी जिसने याची का वैवाहिक जीवन बर्बाद कर दिया था। अ॰ सा॰ 1 के अनुसार, प्रत्यर्थी ने एक विक्षिप्त महिला की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था तथा वह लम्बे समय तक आकाश की तरफ देखते रहती थी तथा किसी जादू टोने की बात करती थी। जब उसके कृत्यों पर आपत्ति की गयी थी उसने उसे गाली दी थी तथा उसपर वार भी किया था।

9. अ॰ सा॰ 2 ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान यह भी कथन किया है कि जब प्रत्यर्थी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए उसके घर धनबाद आयी थी, तब बहुत ही जल्द उसने सम्प्रेक्षित किया था कि वह सदैव याची से झगड़ते रहती थी तथा उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। अ॰ सा॰ 3 ने कथन किया कि वह चाइबासा में याची के घर गया था तथा प्रत्यर्थी को सदैव रूखा व्यवहार करते पाया था जिससे याची को अपमान कारित हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने पाया कि याची के गवाहों के मुँह से स्थापित नया मामला अभिवचनों द्वारा समर्थित नहीं था। अतएव, उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर, याची ने अपने कथन में स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी विधि स्नातक थी तथा उसने चाइबासा के जिला न्यायालय में निबंधन की व्यवस्था की थी, किन्तु उसने आगे उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया तथा यह कि वह सदैव रोते रहती थी। याची का यह प्राख्यान विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को इस कारण से स्वीकार नहीं था कि अ॰ सा॰ 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया था कि विवाह संपन्न होने के पहले वे अपने पूरे परिवार के साथ प्रत्यर्थी को देखने गये थे।

10. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने सम्प्रेक्षित किया कि जब प्रत्यर्थी के आचरण, व्यवहार तथा मानसिक हालत के बारे में याची तथा उसके परिवार के सदस्यों की पूरी संतुष्टि के उपरांत विवाह संपन्न किया गया था तथा उसकी मानसिक हालत के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, तब साक्ष्य के दौरान स्थापित नया मामला संभावित के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

11. प्रत्यर्थी ने अपने अभिसाक्ष्य में अपने विवाह के दो महीने के उपरांत याची द्वारा दहेज के तौर पर 1 लाख रूपये तथा मोटरसाईकिल की मांग के कारण उत्पीड़न तथा मारपीट किये जाने की शिकायत की थी। उसके अनुसार, उसे 18.8.2007 को उसपर निर्दयतापूर्वक प्रहार किया गया था तथा उसके ललाट पर घोर उपहति आयी थी। उसके पिता ने उसका इलाज कराया था तथा उसे बचाया था। 12.2.2009 को उसपर प्रहार किया गया था। इस संबंध में सी॰ पी॰ केस सं॰ 49/2010 दाखिल किया गया था। पैरा 14 में उसने कथन किया था कि वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है अगर उसे दहेज की अवैधानिक मांग के लिए उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। ब॰ सा॰ 2 ने लिखित कथन में किये गये कथनों तथा प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन किया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि याची तथा उसके परिवार के सदस्य सदैव धन तथा मोटरसाईकिल के लिए प्रत्यर्थी के साथ मारपीट किया करते थे तथा उत्पीड़ित किया करते थे तथा वह उन उपहतियों का इलाज कराने के लिए उसे वापस ले आया था जो उसने उसके हाथों प्राप्त किया था। वह अभी भी उसे याची के साथ भेजने के लिए तैयार है अगर उसे दहेज की मांग के लिए भविष्य में प्रताड़ित नहीं किया जाता है।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद तात्विक साक्ष्य तथा विवाह में क्रूरता की अवधारणा पर विचार करके इस निष्कर्ष पर आया कि याची विवाह के विघटन की मांग करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित सीमा तक इस आधार को सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा था। विद्वान न्यायालय के मत में क्रूरता ऐसी प्रकृति का आचरण होना चाहिए जिससे जीवन या शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो या ऐसा खतरा होने की युक्तियुक्त शंका उत्पन्न करे। क्रूरता पति-पत्नी के बीच

सामान्य टूट फूट से थोड़ा भिन्न है तथा उनके बीच के झगड़े की प्रत्येक घटना क्रूरता नहीं होती है। याची यह सिद्ध करने में विफल रहा था कि प्रत्यर्थी ने कभी भी याची को ऐसी क्रूरता के अध्यधीन किया था जिसने उसे मानसिक वेदना तथा व्यथा कारित हुई थी। याची द्वारा परीक्षित गवाह ने ऐसा कुछ भी कथित नहीं किया था जो उसके मन में यह धारणा सृजित करता हो कि उसे ऐसी प्रकृति के क्रूरता के अध्यधीन किया गया था जो उसके मन में युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न किया था कि वह अब और जीवित नहीं रह पायेगा। अतएव, यह मुद्दा उसके विरूद्ध निर्णीत किया गया था। परित्याग के बिन्दु पर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने याची के भाई अ॰ सा॰ 2 के कथन से पाया कि प्रत्यर्थी 6 जुलाई, 2008 को पंचायती होने के उपरांत ससुराल गयी थी तथा कुछ समय तक वहाँ रही थी, यद्यपि इस तथ्य से अ॰ सा॰ 1 याची द्वारा इनकार किया गया था। अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य के आलोक में विद्वान न्यायालय ने पाया कि वाद अभिकथित परित्याग के 2 वर्षों की सांविधिक अवधि की समाप्ति के पहले 4 सितम्बर, 2009 को संस्थित किया गया था। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने परित्याग का गठन करने वाले दो आवश्यक शर्तों पर परिचर्चा किया अर्थात् (i) अलगाव का तथ्य तथा (ii) सहवास स्थायी रूप से समाप्त करने का आशय तथा अंतत: इस निष्कर्ष पर आया था कि याची यह दर्शाने में विफल हुआ था कि प्रत्यर्थी ने वाद के संस्थापन के पहले 2 वर्षों की अवधि तक उसका परित्याग किया था। परित्याग के इस मुद्दे का निर्णय उसके विरूद्ध किया गया था। तद्नुसार, सम्पूर्ण वाद 10,000/- रूपये के वाद व्यय के साथ खारिज किया गया था।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों आधारों पर विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के निष्कर्षों की आलोचना की है। वह निवेदन करते हैं कि याची तथा उसके दो अन्य गवाहों ने गुणागुण पर मामले का समर्थन किया है। उनका अभिसाक्ष्य दर्शाता है कि प्रत्यर्थी असामान्य ढंग से व्यवहार किया करती थी। वह तंत्र-मंत्र पर जोर दिया करती थी तथा मना करने पर अपशब्दों का प्रयोग किया करती थी। प्रत्यर्थी अपने परिवार से बंटवारा की मांग करने तथा अपने भाई से अलग रहने पर भी जोर डाला करती थी। प्रत्यर्थी के लिए विवाह के कुछ समय के बाद याची के साथ दुर्व्यवहार करने का यही कारण था। किन्तु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के इस निष्कर्ष को खारिज करने में सक्षम नहीं रहे हैं कि साक्ष्य के दौरान रखे गये मानसिक विक्षिप्तता तथा मानसिक अस्वस्थता से संबंधित अभिवचन का याची द्वारा अपने वादपत्र में अभिवचन नहीं किया गया था तथा उसकी ओर से रखा गया यह पूरी तरह से नया मामला है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता परित्याग के बिन्दु पर निष्कर्ष को गलत बताने में सक्षम नहीं रहे हैं क्योंकि अ॰ सा॰ 2 याची-अपीलार्थी के बड़े भाई ने स्वयं कहा कि पति-पत्नी के बीच 16 जुलाई, 2008 को एक पंचायती करायी गयी थी तथा तत्पश्चात वह याची के साथ कुछ अवधि तक रही थी। अगर ऐसा है, तब हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ib) के अवयव के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर याची अ॰ सा॰ 1 तथा उसके बड़े भाई अ॰ सा॰ 2 के कथनों के बीच एक विरोधाभाष है। वाद अभिकथित परित्याग की तिथि से 2 वर्षों की आज्ञापक अवधि पूरा हुये बिना 4 सितम्बर, 2009 को संस्थापित किया गया था। सारत:, अपीलार्थी दोनों आधारों पर विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के निष्कर्षों को खारिज करने में सक्षम नहीं रहा है। निवेदन के अनुक्रम के दौरान यह भी परिलक्षित हुआ है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा दाखिल सी॰ पी॰ सं॰ 49/2010 में दोषसिद्ध किया गया है। अगर ऐसा है, वैवाहिक गृह छोड़ने का प्रत्यर्थी के लिए एक युक्तिसंगत कारण था। सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिये गये इस निष्कर्ष का यह दर्शाने का प्रभाव भी होगा कि विवाह में क्रूरता के लिए प्रत्यर्थी के बजाय अपीलार्थी उत्तरदायी रहा है।

14. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय में दिये गये निष्कर्ष का समर्थन किया है। वह निवेदन करते हैं कि क्रूरता या परित्याग के अवयव के निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के मूल्य पर निश्चायक रूप से स्थापित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी सदैव अपीलार्थी के साथ मान एवं प्रतिष्ठा के साथ रही थी, किन्तु यह पति था, जो ऐसा करने अनिच्छुक रहा था। उसने मध्यस्थता के दौरान भी अपनी अनिच्छा दर्शायी है। उन परिस्थितियों में, अपीलार्थी को स्वयं अपनी गलती का लाभ लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

15. हमने पक्षों के निवेदनों तथा अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया है तथा आक्षेपित निर्णय का भी परिशीलन किया है। पूर्वोक्त परिचर्चाओं के आधार पर तथा उपर दिये गये तात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण करके, हम विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के निष्कर्षों में छेड़छाड़ करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अतएव अपील विफल होती है। तद्नुसार यह खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री की जाती है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

रघुबीर सिंह

बनाम

केश्वर साव एवं अन्य

W.P.(C) No. 910 of 2007. Decided on 7th August, 2018.

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XLI नियम 27—अतिरिक्त साक्ष्य की प्रस्तुति-अपीलीय चरण पर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए आवेदन पर अंतिम सुनवायी के चरण पर विचार किया जाना चाहिए—किन्तु, अगर गुणागुणों पर यह पाया जाता है कि सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन प्रकटतः सीधे एक तकनीकी अभिवचन पर खारिज कर दिये जाने का दायी है कि सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन का निर्णय अपील की अंतिम सुनवायी के चरण पर किया जाना चाहिए, तब अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। (पैराएँ 5 एवं 7)

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XLI नियम 27—अतिरिक्त साक्ष्य की प्रस्तुति—अगर कोई वाद एक विनिर्दिष्ट आधार पर विफल हो गया है, तब पक्षकार को अपीलीय चरण पर उस मुद्दे पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति प्रदान करना उसके मामले में कमी को भरने की अनुमति प्रदान करने के तुल्य होगा—उपयुक्त कारण भी दर्शाया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय में साक्ष्य पेश क्यों नहीं किया गया था। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.—(2012) 8 SCC 148; (2007) 14 SCC 257—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Indrajit Sinha, Arpan Mishra, For the Petitioner; Mr. Shashank Shekhar Pd., For the Respondents.

आदेश

याची जो अभिधान वाद सं॰ 55 वर्ष 2002 में वादी है, अभिधान अपील सं॰ 72 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 9.1.2007 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा मूल बन्दोबस्ती दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

2. अभिधान वाद सं॰ 55 वर्ष 2002 वाद भूमियों पर वादी के अधिकार, अभिधान, हित तथा कब्जा की घोषणा के लिए तथा वाद भूमियों पर अपने कब्जे की संपुष्टि की घोषणा के डिक्री प्रदान किये जाने के लिए संस्थापित किया गया था। उन्होंने अभिवचन किया है कि खेवट सं॰ 8 के खाता सं॰ 1 भूखंड सं॰ 28 तथा 30 को मूल रूप से सामिलात मालिकान के बाकस्त लगान पानीवाला के तौर पर अभिलिखित किया गया था। राधा बिहारी लाल तत्कालीन भूस्वामी उक्त भूमि पर अनन्य रूप से काबिज थे, जो जमीन्दारी निहित होने के पहले वादी के पिता गोविंद साव के पक्ष में व्यवस्थापित किया गया था जिसकी मृत्यु वर्ष 1994 में हो गयी थी तथा तत्पश्चात वादी का वाद भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा हो गया था। प्रतिवादीगण ने लिखित कथन दाखिल करके वाद का प्रतिवाद किया था यह अभिवचन करते हुए कि वाद सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 91 के अधीन वर्जित है, किन्तु, वादी द्वारा वर्णित पक्षों की वंशावली प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार की गयी थी। याची के पिता के पक्ष में भूतपूर्व भूस्वामी द्वारा बन्दोबस्ती प्रतिवादीगण द्वारा विवादित की गयी थी।

3. भूखंड सं॰ 30 खेवट सं॰ 8 के अधीन गठित 46.2/2 डिस्मिल भूमि पर वादी के अधिकार, अभिधान, तथा हित की घोषणा करते हुए वाद आंशिक रूप से डिक्री किया गया था। वादी ने अभिधान वाद सं॰ 55 वर्ष 2002 में दिये गये निर्णय तथा डिक्री को चुनौती देते हुए अब अभिधान अपील सं॰ 72 वर्ष 2005 दाखिल किया है। लम्बित अपील में उसने मूल बन्दोबस्ती दस्तावेजों को पेश करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है जो उसके अनुसार प्रतिवादियों को सुपुर्द किये गये थे किन्तु उसे लौटाया नहीं गया था तथा अंतत: तब पाया था जब प्रतिवादीगण के मकान में आगजनी हुई थी। यह आवेदन अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

4. (2012) 8 SCC 148 में प्रकाशित **''भारत संघ बनाम इब्राहिमुद्दीन एवं एक अन्य''** में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्पण मिश्रा निवेदन करते हैं कि सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन पर अपील के अंतिम सुनवाई के समय विचार किये जाने की आवश्यकता होती है तथा ऐसा होने के कारण, अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 16.11.2006 का आवेदन खारिज करके मुद्दे का पूर्व निर्णय किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने W.P. (C) No. 7527 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 30.4.2018 का आदेश निर्दिष्ट किया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नवत सम्प्रेक्षित किया है:-

> *"3. सि० प्र० सं० के आदेश XLI के नियम 27 का उप-नियम 1 आज्ञा देता है कि अतिरिक्त साक्ष्य अपीलीय चरण पर ग्रहण नहीं किया जायेगा। किन्तु, उप-नियम 1(a), (aa) तथा (b) के अधीन सांविधिक अपवाद हैं। यह प्रावधानित करता है कि अगर कोई साक्ष्य जो ग्रहण किया जाना चाहिए, किसी न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जिसकी डिक्री के विरूद्ध अपील दाखिल की गयी है, इसे साक्ष्य में स्वीकार किया जाना चाहिए (खंड a)। खंड (aa) के अधीन अगर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की मांग करने वाला पक्षकार सिद्ध करता है कि सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद अपीलीय चरण पर साक्ष्य में प्रस्तुत करने को इप्सित दस्तावेज अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस चरण पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि सि० प्र० सं० के नियम 27 के उप-नियम 1 के खंड (a) एवं खंड (aa) के अधीन अंतिम सुनवायी के समय पर अपीलीय न्यायालय द्वारा उपेक्षा की जा सकती है न कि उसके पहले। सि० प्र० सं० के आदेश XLI के नियम 27(1) का वास्तविक आशय तथा भावार्थ यह है कि अगर निर्णय सुनाने में अपीलीय न्यायालय को सक्षम बनाने के लिए कोई दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार किया जाना या गवाह परीक्षित किया जाना आवश्यक है, खंड (a) तथा खंड (aa) के अधीन अपवादों को देखते हुए, अपीलीय न्यायालय दस्तावेज पेश किये जाने या गवाह की परीक्षा किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। किन्तु, खंड (a) तथा खंड (aa) ही केवल ऐसा दृष्टांत नहीं हैं जिसमें अतिरिक्त साक्ष्य*

को अपीलीय चरण पर साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। नियम 27(1)(b) अपीलीय न्यायालय को किसी अन्य सारवान कारण से किसी दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार करने की शक्ति अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त करता है। प्रकटतः, आदेश XLI नियम 27(1) के अधीन लगाये गये निर्बन्धनों के निरपेक्ष रहते हुए, अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य में कोई दस्तावेज स्वीकार करने अपीलीय चरण पर गवाहों की परीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।

4. जिस चरण पर सि० प्र० सं० के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन का निर्णय किया जाना चाहिए वह अपील की अंतिम सुनवाई का चरण है; अपील में पक्षों के उपस्थित होने के उपरांत यह अंतिम सुनवायी के लिए रखा जाता है। दोनों पक्षों द्वारा अपील में अपने-अपने तर्क समाप्त करने के पहले सि० प्र० सं० के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन का निर्णय नहीं किया जा सकताऋ उस चरण के पहले अपीलीय न्यायालय यह मत निर्मित नहीं कर सकता है कि क्या कोई दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं अथवा किसी गवाह की परीक्षा की जानी चाहिए या नहीं। (2012) 8 SCC 148 में प्रकाशित ''भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं एक अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार सम्प्रेक्षित कियाः-

"49. सि० प्र० सं० के आदेश 41 नियम 27 के अधीन आवेदन पर गुणागुणों पर अपील की सुनवायी के समय पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता किया जा सके कि क्या प्रस्तुत किये जाने को ईप्सित साक्ष्य तथा/या दस्तावेजों का अंतर्ग्रस्त मुद्दों पर कोई प्रासंगिकता/लेना देना है। अतिरिक्त साक्ष्य की ग्राह्यता वर्तमान मुद्दे की प्रासंगिकता पर निर्भर नहीं करता है, या तथ्य पर क्या आवेदक के पास पूर्ववर्ती चरण पर ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर था या नहीं किन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए या किसी अन्य सारवान कारण से पेश किये जाने को इप्सित साक्ष्य की आवश्यकता है। अतएव, परीक्षण यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय पेश किये जाने को इप्सित अतिरिक्त साक्ष्य को विचार में लेते हुए स्वयं के समक्ष रखी सामग्रियों पर निर्णय सुनाने में सक्षम है। ऐसा अवसर केवल तब उद्भूत होगा अगर साक्ष्य जैसा कि यह है, की परीक्षा करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि कुछ अंतर्निहित त्रुटि या कमी न्यायालय को प्रतीत होती है।''

5. यह सत्य है कि अपीलीय चरण पर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए आवेदन पर अंतिम सुनवाई के चरण पर विचार किया जाना चाहिए, किन्तु, इस सामान्य नियम का एक अपवाद है तथा वह यह है कि अगर गुणागुणों पर यह पाया जाता है कि सि० प्र० सं० के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन प्रकटत: एक तकनीकी अभिवचन पर संक्षिप्त रूप से खारिज किये जाने का दायी है कि सि० प्र० सं० के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन का निर्णय अपील की अंतिम सुनवायी के चरण पर किया जाना चाहिए, अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं होती।

6. सि० प्र० सं० का आदेश XLI नियम 27(1) प्रावधानित करता है कि पक्षकारों को अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए चाहे यह मौखिक हो या दस्तावेजी। किन्तु नियम 27 के अधीन इस परिसीमा का नियम 27 में ही अपवाद किया गया है। यह प्रावधानित करता है कि अगर कोई दस्तावेज जो न्यायालय द्वारा साक्ष्य में प्राप्त किया जाना चाहिए था जिसकी डिक्री से अपील दाखिल की गयी है किन्तु साक्ष्य में स्वीकार नहीं की गयी है (खंड (a)) तथा अगर किसी पक्षकार ने सिद्ध किया है कि सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद वाद के विचारण के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका था (खंड (aa)), अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। किन्तु, अगर यह पाया जाता है कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन खंड (a) तथा खंड (aa) के अधीन वर्णित उपरोक्त दो दृष्टांतों के अंतर्गत नहीं आता है, मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

7. दिनांक 9.1.2007 के आक्षेपित आदेश में अपीलीय न्यायालय ने अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी जिसकी परीक्षा अ॰ सा॰ 5 के तौर पर की गयी थी, ने अपनी परीक्षा के दौरान प्रदर्श B-2 के तहत प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बन्दोबस्ती दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी है बल्कि, पैराग्राफ 58 में अपनी परीक्षा के दौरान यह प्रतीत होता है कि उसने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बन्दोबस्ती दस्तावेजों को स्वीकार किया है। अब अपीलार्थी बन्दोबस्ती दस्तावेजों के एक भिन्न समूह को पेश करने की अनुमति दिये जाने की मांग करता है जिसे उसने अभिधान वाद सं॰ 55 वर्ष 2002 की कार्यवाही में पेश नहीं किया था तथा, वस्तुत: प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बन्दोबस्ती दस्तावेजों को स्वीकार किया था। अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये जाने को ईप्सित दस्तावेज वादपत्र में निर्दिष्ट नहीं किये जाते हैं (देखें आदेश VII नियम 14(1) तथा (2) तथा अभिधान वाद सं॰ 55 वर्ष 2002 के विचारण के दौरान वादी ने इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति प्रदान किये जाने की मांग नहीं की थी। (देखें आदेश VII नियम 14(3) सि॰ प्र॰ सं॰)। अपीलार्थी द्वारा अभिवचन किया गया मामला यह नहीं है कि सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद इन दस्तावेजों को वाद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। मामले का एक अन्य पहलू है जिसे अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता है। अगर कोई वाद विनिर्दिष्ट आधार पर विफल हो गया है, किसी पक्षकार को मुद्दे पर अपीलीय चरण पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना उसे मामले में कमी को भरने की अनुमति प्रदान करने के तुल्य होगा। अभिधान वाद सं॰ 55 वर्ष 2002 में निर्णय की वैधता का परीक्षण वाद में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लम्बित अपील में किया जाना चाहिए।

8. सामान्य नियम यह है कि सामान्यत: अपीलीय न्यायालय को अवर न्यायालय के अभिलेख से परे नहीं जाना चाहिए तथा अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उन मामलों के सिवाय जहाँ नियम 27 में इंगित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं। **(2007) 14 SCC 257** में प्रकाशित **''के॰आर॰ मोहन रेड्डी बनाम नेटवर्क आई॰ एन॰ सी॰ प्रबंध निदेशक के प्रतिनिधित्व में''** में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्प्रेक्षित किया है कि इसके अधीन कोई आदेश पारित करने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति सीमित है। इसके अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष अभिलिखित करना चाहिए कि इसके अधीन प्रगणित एक या अन्य शर्तें पूरी होती है। इसको लेकर एक अच्छा कारण भी दर्शाया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय में साक्ष्य पेश नहीं किया गया था।

9. अपीलार्थी द्वारा अभिवचनित तथ्य उसका मामला सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के खंड (a) या (aa) की परिधि के अंतर्गत नहीं लाते हैं।

10. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्श B-2 के तहत दाखिल बन्दोबस्ती दस्तावेज अभ्यापत्ति के साथ स्वीकार किये गये थे। इस परिप्रेक्ष्य में यह अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता है कि न्यायालय में दिया गया अ॰ सा॰ 5 का साक्ष्य सारवान साक्ष्य है जिसके आधार पर वाद का निर्णय किया जाना है।

11. उक्त तथ्यों तथा इसमें इसके उपर इंगित कारणों से, मैं मामले में हस्तक्षेप करने का ईच्छुक नहीं हूँ तथा तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

माननीय अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति

महादेव हजाम

बनाम

बुधनी देवी एवं अन्य

Second Appeal No. 73 of 1992 (R). Decided on 17th May, 2018.

अभिधान अपील सं॰ 71 वर्ष 1987 में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, हजारीबाग के दिनांक 22.5.1992 के निर्णय तथा डिक्री के विरूद्ध

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 100—वाद भूमि पर अधिकार, अभिधान तथा हित की घोषणा तथा कब्जे की संपुष्टि के लिए वाद-अवर न्यायालयों ने प्रतिवादीगण तथा वादी की ओर से परीक्षित गवाहों के साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा किया है तथा इस निष्कर्ष पर आया है कि वादी वाद भूमि पर अभिधान तथा कब्जा सिद्ध करने में विफल रहा है-सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 100 के अधीन शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जो कि तथ्य का अंतिम न्यायालय है जबतक कि इसे अनुचित नहीं पाया जाता है—वादी-अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील खारिज।

(पैराएँ 10, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.—(AIR) 1996 PATNA 156; AIR 1995 SC 1607; AIR 1997 Pat. 67—Referred; 2003 (2) JLJR 708; (2010) 15 SCC 530; (1999) 4 SCC 350—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s. Bhaiya Vishwajeet Kumar, Avishek Chandra, Ranjeet Kumar, For the Appellant; Mr. Vijay Kant Dubey, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.-पक्षों को सुना।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन यह द्वितीय अपील इस द्वितीय अपील के वादी-अपीलार्थी द्वारा दाखिल अभिधान वाद सं॰ 7 वर्ष 1981 में पारित मुंशिफ, कोडरमा के निर्णय तथा डिक्री को अपास्त करते हुए अभिधान अपील सं॰ 71 वर्ष 1987 में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, हजारीबाग के दिनांक 22.5.1992 के निर्णय तथा डिक्री के विरूद्ध दाखिल की गयी है तथा वाद भूमि की अनुसूची A भूमि पर अधिकार, अभिधान तथा कब्जे की घोषणा एवं कब्जे की संपुष्टि के लिए तथा अन्य अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है।

3. इस द्वितीय अपील के वादी अपीलार्थी का मामला यह है कि श्रीमती पातो कुमारी ने वादी के पिता बोदी हजाम को डर रैयत प्रदान करके इसके अधीन स्थायी अधिकार के कागजात के साथ वाद भूमि के संबंध में कब्जा दिलाया था। वादी का पिता अन्य भूमि के साथ इसपर काबिज बना रहा, जिसे भी वर्ष 1996 संबत में डर रैयत दस्तावेज के माध्यम से उसे दिया गया था। वादी के पिता बोदी हजाम की मृत्यु के उपरांत वर्ष 1960 में, वादी का वाद भूमि पर कब्जा बना रहा तथा उक्त भूमि के संबंध में श्रीमती पातो कुमारी को किराया का भुगतान किया गया था। खाता सं॰ 612 की भूमि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 83(2) के अधीन वर्ष 1996 में अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया था किन्तु खतियान की टिप्पणी कॉलम में वादी का दर्जा श्रीमती पातो कुमारी के रैयत के अधीन सिकमीदार के तौर पर अभिलिखित किया गया था। यद्यपि खतियान वादी के नाम में तैयार किया गया था किन्तु टिप्पणी कॉलम में सिकमीदार की प्रतिष्टि के कारण, वादी को श्रीमती पातो कुमारी से वाद भूमि के संबंध में विक्रय विलेख लेने का परामर्श दिया गया था। परिणामत:, श्रीमती पातो कुमारी ने वादी के पक्ष में 200/- रूपये के प्रतिफल पर वाद भूमि तथा अन्य भूमि के संबंध में 2.5.1973 को एक निबंधित विक्रय विलेख निष्पादित किया था तथा वादी ने अपना नाम नामांतरित करवाया था तथा खाता सं॰ 612 की भूमि के संबंध में बिहार राज्य को किराया का भुगतान किया था। वादी का यह भी मामला है कि वादी तथा उसके पिता ने अनुसूची 'A' भूमि को धान के खेतों में सम्परिवर्तित करा लिया था जो पहले टाँड़ भूमि थी। वादी का आगे मामला यह है कि प्रतिवादीगण का वाद भूमि पर कोई अधिकार, अभिधान या कब्जा न होने के कारण उसके कब्जे में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते थे, जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन

कार्यवाही में परिणत हुआ था तथा बाद में, इसे दं० प्र० सं० की धारा 145 के अधीन कार्यवाही में सम्परिवर्तित कर दिया गया था तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी ने मामले का एकपक्षीय निर्णय किया था। वादी ने स्पष्ट प्रकथन किया है कि उसने प्रतिवादीगण तथा संपूर्ण संसार को पूरी तरह से बाहर करते हुए वाद भूमि तथा अन्य भूमि पर काबिज रहकर वाद भूमि पर प्रतिकूल रूप से अभिधान अर्जित किया है।

4. अपने लिखित कथन में प्रतिवादीगण ने सामान्य बचाव लेने के अतिरिक्त वादपत्र में वादी द्वारा किये गये प्रकथनों से पूरी तरह से इनकार किया तथा अभिवचन किया कि वाद भूखंड ग्राम तिलैया के भूकर सर्वेक्षण खाता संख्या 331 का भाग था। विगत भूकर सर्वेक्षण के दौरान, ठाकुरी सोनार तथा बरहो सोनार भूमियों के रैयत थे तथा तद्नुसार ग्राम तिलैया के खाता संख्या 331 की भूमि उक्त रैयत ठाकुरी सोनार तथा बरहो सोनार के नाम में अभिलिखित की गयी थी। उक्त ठाकुरी सोनार तथा बरहो सोनार ने भूकर सर्वेक्षण के कुछ वर्षों के बाद 0.34 एकड़ की माप की भूमि खेती के लिए प्रतिवादी सं० 3 को दे दी थी तथा बाद में, उन्होंने वर्ष 1994 संबत में प्रतिवादी सं० 3 के साथ उक्त भूमि का स्थायी डर रैयत बन्दोबस्त किया था तथा तत्पश्चात उक्त रैयत ठाकुरी सोनार तथा बरहो सोनार ने 51/- रूपया की सलामी प्राप्त करके एक डर रैयत हुकुमनामा निष्पादित किया था तथा प्रदान किया था तथा उस दिन से, प्रतिवादी सं० 3 ने स्थायी डर रैयत की हैसियत से अभिलिखित रैयत ठाकुरी सोनार तथा बरहो सोनार तथा संपूर्ण संसार की जानकारी में भूमि पर फसलें उगाना तथा तथा इसके फसलें विभाजित करना प्रारंभ कर दिया था। प्रतिवादीगण का आगे मामला यह है कि प्रतिवादी सं० 3 ने अपने भूखंड सं० 2645 को अपनी अन्य भूमियों को भूखंड सं० 2644 के साथ मिला दिया था तथा भूमि में सुधार किये थे तथा उक्त भूमि को टाँड़ भूमि से धान खेत में सम्परिवर्तित कर दिया था। पुराने भूखंड संख्या 2644 तथा नये भूखंड संख्या 4812 एवं 4813 की 0.18 एकड़ माप वाली शेष भूमि दिनांक 15.2.1977 के निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से प्रतिवादी सं० 1 के नाम पर प्रतिवादीगण द्वारा इसपर काबिज रैयत दिलो कुमारी से खरीदा गया था तथा उक्त खरीद के उपरांत प्रतिवादीगण का नये भूखंड सं० 4812 तथा 4813 की भूमि के तत्सम पुराने भूखंड सं० 2644 की शेष 18 डिसमिल भूमि पर कब्जा हो गया था। प्रतिवादीगण का यह भी मामला है कि वादी ने सर्वेक्षण अमला तथा श्रीमती पातो कुमारी के आदमियों के साथ साठगाँठ करके हेरफेर करके खाता सं० 612 के खतियान में नाम दर्ज करवा लिया था।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने परस्पर विरोधी अभिवचनों के आधार पर कुल छह मुद्दों की विरचना की थी। मुख्य मुद्दा मुद्दा सं० 4 इस प्रकार है – ''क्या वादी वाद भूमि पर अभिधान तथा कब्जे की घोषणा करवाने के हकदार हैं?'' विद्वान विचारण न्यायालय ने मुद्दे का निर्णय वादी के पक्ष में किया तथा वाद डिक्री किया।

6. प्रतिवादीगण ने जिला न्यायाधीश, हजारीबाग के समक्ष अपील दाखिल किया तथा इसे अभिधान अपील सं० 71 वर्ष 1987 के तौर पर पंजीकृत किया गया था। अभिधान अपील सं० 71 वर्ष 1987 अंततः सुना गया था एवं विद्वान चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा निपटाया गया था जिन्होंने अपील अनुज्ञात किया तथा विचारण न्यायालय का निर्णय तथा डिक्री अपास्त किया तथा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, वादी द्वारा वर्तमान द्वितीय अपील दाखिल की गयी है। स्वीकरण के समय, विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्न इस न्यायालय द्वारा विरचित किये गये हैं:–

> *(i) क्या अवर अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किये बिना विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय तथा डिक्री को अपास्त करने तथा वाद खारिज करने में विधि की घोर त्रुटि कारित की है कि क्या प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में अधिकार अभिलेख की सत्यता की उपधारणा का खंडन करने में सक्षम थे?*

(ii) क्या विद्वान अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के लिए दिये गये कारणों पर विचार किये बिना अभिधान अपील में अपीलीय न्यायालय के तौर पर अधिकारिता का प्रयोग करके इसे उलट सकता था?

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भैया विश्वजीत कुमार ने निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य पर विचार किया है तथा इसपर विश्वास करने के लिए कारण बताया है तथा उसके पास गवाहों का व्यवहार देखने का लाभ था जो कि अवर अपीलीय न्यायालय के पास नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया था कि प्रतिवादीगण मौखिक साक्ष्य देकर अधिकार अभिलेख की सत्यता की उपधारणा का खंडन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय अभिलेख में साक्ष्य का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन करने में विफल रहा है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से भिन्नता करने का कोई कारण समनुदेशित नहीं किया है। अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1996 PATNA 156** में प्रकाशित **बीबी रियाजन खातून एवं अन्य बनाम सदरूल आलम एवं अन्य** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में अवर अपीलीय न्यायालय ने केवल अ॰ सा॰ का कथन निर्दिष्ट किया है तथा कोई कारण समनुदेशित किये बिना इसपर अविश्वास किया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भरोसा किये गये साक्ष्य के संदर्भ में न तो कोई बिन्दु विरचित किया गया है और न ही कोई परिचर्चा की गयी है, अत: माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि द्वितीय अपील में ऐसा निर्णय बरकरार रखे जाने की आवश्यकता नहीं है तथा उस मामले में दान की वैधता के चार तत्व मौजूद होना सिद्ध किये जाने की अनुपस्थिति में, दान वैधानिक अभिनिर्धारित किया गया था। उस मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस निर्णय में किये गये सम्प्रेक्षणों के आलोक में विधि के अनुसार अपील का नये सिरे से निर्णय करने के लिए मामले को अवर अपीलीय न्यायालय भेजा जाना चाहिए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **AIR 1995 SC 1607** में प्रकाशित **एस॰ वी॰ आर॰ मुदलियार (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य बनाम श्रीमती रजाबु एफ॰ बुहारी (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें उस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेक्षित किया गया था कि तथ्य का निष्कर्ष उलटने के पहले, अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये कारणों को ध्यान में रखना होता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1997 Pat. 67** में प्रकाशित **श्रीमती सोना देवी बनाम नगीना सिंह एवं अन्य** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है जिसमें उस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 21 में निम्नवत अभिनिर्धारित किया है–

''संहिता के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों की दृष्टि में जब कभी भी अवर अपीलीय न्यायालय का निर्णय उलटे जाने का एक निर्णय होता है, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटते समय विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये कारणों पर विचार करना अपीलीय न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य होता है तथा उन कारणों को भी उलटा जाना चाहिए।''

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे 2003(2) JLJR 708 में प्रकाशित **द्वारिका सोनार एवं अन्य बनाम मोस्मात बिल्गुली एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय की सहवर्ती पीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया है जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभिधान, कब्जे की वापसी की घोषणा तथा सर्वेक्षण अभिलेख में की गयी प्रविष्टि को चुनौती देने के लिए वाद दाखिल करने हेतु परिसीमा की अधिकतम अवधि अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तिथि से बारह वर्ष है। **द्वारिका सोनार (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय की सहवर्ती पीठ ने विधि के इस स्थापित सिद्धांत की भी पुनरावृत्ति की है कि अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख साक्ष्य में ग्राह्य है तथा अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख में उस प्रविष्टि से एक उपधारणा जुड़ी होती है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का प्रतिवाद किया तथा निवेदन किया कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण हेतु बिन्दु की विरचना की है तथा अभिलेख पर मौजूद मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विस्तारपूर्वक परिचर्चा की है तथा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के साथ मुख्य रूप से इस कारण से मतांतर रखा है कि वादी के गवाहों द्वारा प्रतिवादीगण के मामले के संबंध में किये गये महत्वपूर्ण स्वीकृतियों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था तथा अतएव, विद्वान अवर न्यायालय के तथ्यों का अंतिम न्यायालय होने के कारण उपयुक्त प्रकार से तथ्यों के निष्कर्ष पर आने से, इस अपील में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है, अतएव, प्रथम अपीलीय न्यायालय के तथ्यों का अंतिम न्यायालय होने के कारण इसके तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की इस न्यायालय की सीमित अधिकारिता होने को ध्यान में रखते हुए यह अपील किसी गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज किया जाय।

9. अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत, मैं पाता हूँ कि अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विरचित किये हैं:-

''क्या वादी वाद भूमि पर अभिधान की घोषणा तथा कब्जे की सम्पुष्टि पाने का हकदार है?''

विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विचार में लिया है कि यद्यपि पातो कुमारी ने प्रदर्श 1 के तौर पर चिन्हित दिनांक 2.5.73 का विक्रय विलेख निष्पादित किया था किन्तु बाद में, उसने 8.5.73 को विक्रय विलेख रद्द कर दिया था, जिसे प्रदर्श B के तौर पर चिन्हित किया गया है। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने इसपर भी विचार किया है कि यद्यपि वादी ने श्रीमती पातो कुमारी द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन के बारे में अभिवचन किया है फिर भी वादी के अभिधान का दावा केवल लम्बे कब्जे पर आधारित है तथा श्रीमती पातो कुमारी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख पर आधारित नहीं है। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने अ॰ सा॰ 2 लाल मोहन सिंह के परिसाक्ष्य पर विचार किया है, जो यद्यपि वादी का गवाह है, किन्तु उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वाद भूमि वाद के संस्थापन के काफी समय पहले से प्रतिवादीगण के कब्जे में है तथा चूँकि वादी ने श्रीमती पातो कुमारी को प्रतिफल धनराशि का भुगतान नहीं किया था, अतएव, श्रीमती पातो कुमारी ने विक्रय विलेख रद्द कर दिया। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने अ॰ सा॰ 3 बुधन धोबी के परिसाक्ष्य पर भी विचार किया है जिसने कथन किया है कि वादी के नाम पर कोई आर॰ एस॰ खतियान दाखिल नहीं किया गया है। अवर अपीलीय न्यायालय ने अ॰ सा॰ 4 होरिल यादव का अभिसाक्ष्य भी निर्दिष्ट किया है, जो यद्यपि वादी का गवाह है किन्तु उसने कथन किया है कि सुकरी राना जो प्रतिवादी सं॰ 1 का पिता है, ने विवादित भूमि को धान के खेत में सम्परिवर्तित कर दिया था तथा अ॰ सा॰ 4 ने आगे अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि विवादित भूमि मूल रूप से ठाकुरी सोनार तथा बरहो सोनार की थी, जिसने भूमियों को सुखरी राना को डर रैयत के रूप में दे दी थी तथा सुखरी राना की मृत्यु के उपरांत, उसके पुत्रों का वाद भूमि पर कृषि कार्य का कब्जा है तथा उसने यह भी कहा कि श्रीमती पातो कुमारी ने वाद भूमि दिलो कुमारी को बेच दी थी तथा दिलो कुमारी ने बाद में भूमि गंगा राना को बेच दी थी। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य पर भी विचार किया था इस सीमा तक कि अ॰ सा॰ 4 ने कथन किया था कि वादी तथा उसके पिता का विवादित भूमि से कुछ भी लेना-देना नहीं था तथा वादी ने केवल प्रतिवादी को परेशान करने के लिए वाद दाखिल किया है तथा वादी ने कपट कारित करके आर॰ एस॰ खतियान में अपना नाम अभिलिखित करवा लिया था। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने आगे अ॰ सा॰ 5 - विशेश्वर नारायण सिंह के अभिसाक्ष्य पर विचार किया था जिसने अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया था कि विवादित भूमि विगत पंद्रह वर्षों से गंगा राना प्रतिवादी के खेती के कब्जे में थी, तथा अ॰ सा॰ 5 का अभिसाक्ष्य 12.10.1985 को अभिलिखित किया गया था तथा अ॰ सा॰ 5 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वादी के नाम पर विक्रय विलेख

के निष्पादन के पहले, वादी का वाद से कोई सरोकार नहीं था। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवादियों तथा वादी की ओर से परीक्षित गवाहों के साक्ष्य पर बारीकी से परिचर्चा किया है तथा इस निष्कर्ष पर आया कि वादी वाद भूमि पर अभिधान तथा कब्जे को सिद्ध करने में विफल रहा है।

10. पक्षों की सुनवायी करने तथा अवर न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री समेत अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के उपरांत, मैं पाता हूँ कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने सभी प्रासंगिक तथ्यों, साक्ष्यों तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय, जो कि तथ्य का अंतिम न्यायालय है, द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जबतक कि इसे अनुचित नहीं पाया जाता है, जैसा कि **(2010) 15 SCC 530** में प्रकाशित **गुरवचन कौर एवं अन्य बनाम सालिक्रम (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से,** के मामले के पैरा 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत पुनरावृति की गयी है:–

> *"10.* ***यह स्थापित विधि है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय, जो कि तथ्य का अंतिम न्यायालय है, द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जबतक कि इसे अनुचित नहीं पाया जाता है।*** *स्थिति यह होने के कारण, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय वादी तथा प्रतिवादी के बीच भूस्वामी काश्तकार के संबंध के मुद्दे पर तथा किराया के भुगतान में प्रतिवादी द्वारा कारित व्यतिक्रम पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य का निष्कर्ष उलटने में न्यायोचित नहीं था।''* *(जोर डाला गया)*

11. [2006(4) JCR 281 (Jhr)] में प्रकाशित **मो॰ मुर्तजा बनाम मो॰ इसराइल एवं एक अन्य** तथा **[2006(4) JCR 285 (Jhr)]** में प्रकाशित **अरबिन्द कुमार सिन्हा बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड)** के मामले में इस न्यायालय की सहवर्ती पीठों ने **(1999) 4 SCC 350** में प्रकाशित **अरूमुघम बनाम सुंदरमबल** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि ''यह न्यायालय विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय के निर्णय तथा डिक्री में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि अवर अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये कारणों पर विचार करने में विफल रहा था।'' **(जोर डाला गया)**

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता किसी विशिष्ट साक्ष्य के किसी विनिर्दिष्ट दृष्टांत को इंगित नहीं कर सके थे जिसपर विचार नहीं किया जा रहा है। मामले के संपूर्ण तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं इसमें इसके उपर की गयी परिचर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय यह है कि इस अपील के ग्रहण किये जाते समय विरचित विधि के सारवान प्रश्न उद्भूत नहीं होते हैं क्योंकि अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष एक तथ्यों का निष्कर्ष है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

13. परिणामत:, मैं इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ जो कि तद्नुसार, खारिज किया जाता है किन्तु इन परिस्थितियों में किसी व्यय कि बिना। अवर न्यायालय अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ तुरंत अवर न्यायालय भेजा जाय।

माननीय राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

श्रीमती मुनिया देवी

बनाम

भारत संघ

Misc. Appeal No. 98 of 2015. Decided on 26th April, 2018.

रेलवे अधिनियम, 1989—धाराएँ 123(c) एवं 124-A—अप्रिय घटना में यात्री की मृत्यु—मृतक के पॉकेट में टिकट नहीं पाया जाना यह अभिनिर्धारित करते हुए दावा को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है कि मृतक एक सद्भावी यात्री नहीं था-रेलवे स्टेशन पर चलती रेलगाड़ी में चढ़ने का प्रयास करने वाला यात्री अप्रिय घटना की परिभाषा के अधीन आच्छादित है तथा तद्नुसार, वह रेलवे अधिनियम की धारा 124(A) के अधीन मुआवजा पाने का हकदार है—जो सुविधायें रेलवे द्वारा अपने यात्रियों को दी जा रही है वह मानकों के अनुरूप नहीं हैं—अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है, यह उपधारित किया जाता है कि वह एक वैध टिकट के साथ यात्रा कर रहा है तथा यह सिद्ध करने का भार रेलवे पर होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास टिकट नहीं है तथा इस प्रकार, वह एक सद्भावी यात्री नहीं है—मृतक एक सद्भावी यात्री था—8,00,000/- रूपये का मुआवजा अधिनिर्णीत। (पैराएँ 9 से 12, 16 से 20)

निर्णयज विधि.—(2008) 9 SCC 527; (2001) 3 SCC 714—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Prabhat Kr. Sinha, For the Appellant; M/s Mahesh Tiwari, Abhishek Kr. Dubey, For the Resp.-Railway.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी-रेलवे के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान अपील केस सं॰ OA (IIU)/RNC/2010/0017 में सदस्य (तकनीकी) रेलवे दावा अधिकरण, राँची न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 3.2.2015 के निर्णय से उद्भूत होती है, जिसमें दावेदार/अपीलार्थी द्वारा दाखिल दावा अस्वीकार कर दिया गया है।

3. दावा याचिका दावेदार/अपीलार्थी द्वारा उसमें यह कहते हुए दाखिल की गयी है कि उसका पुत्र अर्थात् राजा चौधरी 2.6.2009 को हटिया-जम्मूतवी एक्सप्रेस से मूरी से टाटानगर जा रहा था तथा जब वह चलती ट्रेन में चढ़ रहा था, वह दुर्घटनावश गिर पड़ा था जो कि उसकी बायीं टांग काटे जाने में परिणत हुआ था। उसे आर॰ आई॰ एम॰ एस॰ राँची रेफर किया गया था जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था।

4. दावा अधिकरण ने तीन मुद्दों की विरचना की है, जो निम्नवत पठित हैं:-

''(1) क्या मृतक राजा चौधरी पुत्र स्व० गनौरी चौधरी एक सद्भावी यात्री था?

(2) क्या रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(c)(2) के अधीन यथा परिभाषित अप्रिय घटना राजा चौधरी पुत्र स्व० गनौरी चौधरी को 2.6.2009 को हटिया-जम्मूतवी एक्सप्रेस पर चढ़ते समय घटित हुई थी?

(3) क्या आवेदक मुआवजा जैसा दावा किया गया है, तथा अन्य अनुतोषों, अगर कोई हो का हकदार है?''

5. जहाँ तक सद्भावी यात्री से संबंधित मुद्दा सं॰ 1 का संबंध है, रेलवे दावा अधिकरण ने निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि मृतक के शव से कोई टिकट बरामद नहीं किया गया था, किन्तु गवाह (ए॰ डब्ल्यू॰ 2) ने तथा अंतिम रिपोर्ट में, यह वर्णन किया गया है कि मृतक टिकट खरीदने के उपरांत ट्रेन पर चढ़ा था।

6. रेलवे पुलिस तथा दावेदार के गवाह द्वारा अभिलिखित सूचना सत्यापित करने के लिए, पुलिस पदाधिकारियों से एक रिपोर्ट की मांग की गयी थी, जिसने सूचना दी है कि मृतक के शव से टिकट नहीं पाया गया था।

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट–प्रदर्श R-5 के परिशीलन से, यह प्रकट होता है कि मृतक के शव से कुछ भी नहीं पाया गया है सिवाय उस कपड़े के जो वह पहने था।

यहाँ इसपर विचार करना प्रासंगिक है कि गवाह के बयान के अनुसार मृतक के पास एक मोबाईल तथा पर्स था।

7. हमारे देश में यह सामान्य बात है कि जब कभी भी दुर्घटना होती है, मृतक के शव से शव से कुछ भी नहीं पाया जाता है तथा एक पैसा भी नहीं पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में, मृतक के पैकेट से टिकट का नहीं पाया जाना दावा खारिज करने के लिए एक आधार नहीं हो सकता यह अभिनिर्धारित करके कि मृतक एक सद्भावी यात्री नहीं था।

8. रेलवे स्टेशन में या ट्रेन में कोई वैध टिकट खरीदे बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि रेलवे ने प्राधिकृत/अप्राधिकृत व्यक्ति की जाँच करने के लिए अपने कर्मचारी नियुक्ति कर रखे हैं तथा ट्रेन में भी, ऐसे व्यक्ति की जाँच करने के लिए ट्रेवेलिंग टिकट एक्जामिनर (संक्षेप में टी॰ टी॰ ई॰) नियोजित किये गये हैं, जिसके पास एक वैध टिकट नहीं है।

इस प्रकार, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा है, यह उपधारित किया जाता है कि वह एक वैध टिकट लेकर यात्रा कर रहा/रही है तथा यह सिद्ध करने का भार रेलवे प्राधिकारियों पर है कि ऐसा व्यक्ति वैध टिकट लिये नहीं था तथा इस प्रकार, वह एक सद्भावी यात्री नहीं है। रेलवे प्राधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। दावा प्राधिकरण ने यह मानकर गलत प्रकार से कार्यवाही की है कि भार दावेदार पर है।

इसके अतिरिक्त इस आधार पर अभिलिखित निष्कर्ष कि कोई टिकट नहीं पाया गया था, भी गलत है क्योंकि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतक के शव से कुछ भी नहीं पाया गया है तथा इस तथ्य पर अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है।

9. उक्त परिचर्चाओं की दृष्टि में, जहाँ तक मुद्दा सं॰ 1 का संबंध है, दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष उलटा जाता है तथा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मृतक सद्भावी यात्री था।

मुद्दा सं॰ 2 का निर्णय दावा अधिकरण द्वारा दावेदार/वर्तमान अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है।

10. इस चरण पर, रेलवे के विद्वान अधिववक्ता श्री अभिषेक कुमार दूबे ने अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को चुनौती दी है इस आधार पर कि चूँकि मृतक चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था तथा इस प्रकार, यह घटना अप्रिय घटना की परिभाषा में आच्छादित नहीं है जैसा कि रेलवे अधिनियम की धारा 123(c)(2) में परिभाषित है।

11. रेलवे के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये तर्कों का विरोध करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **(2008)9 SCC 527** में प्रकाशित **भारत संघ बनाम प्रभाकरण विजय कुमार एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा करके निवेदन किया है कि वर्तमान मामला पूर्वोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से आच्छादित है। **प्रभाकरण विजय कुमार (ऊपर)** के मामले में दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ सं॰ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47 एवं 52 यहाँ पर नीचे उत्कथित किया जाता है:–

''9. अपील में, केरल उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण का था कि मृतक को ट्रेन जो कि गतिशील थी, में चढ़ने के व्यग्रता में उपहतियाँ आयी थी, जो कि प्रत्यर्थीगण के

अनुसार भी मामला था। अतएव, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक ''यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से यात्री का दुर्घटनावश गिरना'' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता था, जैसा कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(c) में परिभाषित है।

10. हमारा मत है कि इससे वैधानिक रूप से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि क्या मृतका वास्तव में ट्रेन के अंदर था जब वह नीचे गिर पड़ा था या क्या वह केवल ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था जब वह गिर पड़ा था। हमारे मत में दोनों स्थितियों में यह ''यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से यात्री का दुर्घटनावश गिरने'' के तुल्य है। अतएव, यह एक अप्रिय घटना है जैसा कि रेलवे अधिनियम की धारा 123(c) में परिभाषित किया गया है।

11. निस्संदेह, यह संभव है कि अभिव्यक्ति ''यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से यात्री का दुर्घटनावश गिरना'' अभिव्यक्ति के दो निर्वचन किये जा सकते हैं। पहला यह है कि यह केवल तब लागू होता है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया है और तत्पश्चात ट्रेन से गिर पड़ता है, जबकि दूसरा यह है कि यह ऐसी स्थिति सम्मिलित करता है जहाँ कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा है तथा ऐसा करते समय गिर पड़ता है। चूँकि रेलवे अधिनियम में मुआवजा के लिए प्रावधान लाभप्रद विधायन है, हमारे मत में, इसका उदार तथा व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिए न कि संकीर्ण तथा तकनीकी निर्वचन। अतएव, हमारे मत में उपर उल्लिखित दो निर्वचनों में से बाद वाला निर्वचन अर्थात् वह निर्वचन जो संविधि के उद्देश्य को अग्रतर करता है तथा अपने प्रयोजन पूरा करता है, को वरीयता दी जानी चाहिए। देखें कुनाल सिंह बनाम भारत संघ (एस० सी० सी० पैरा 9) बी० डी० शेट्टी बनाम सियट लि० (एस० सी० सी० पैरा 12) तथा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम ई० एस० आई० कार्पोरेशन।

12. यह सुस्थापित है कि अगर किसी लाभप्रद तथा कल्याणकारी विधायन में प्रयुक्त शब्दों के दो अर्थान्वयन संभव हैं, उस अर्थान्वयन जो अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है तथा लोगों के लाभ के लिए है जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था, को वरीयता दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, लाभप्रद तथा कल्याणकारी संविधियों का एक उदार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए न कि शाब्दिक या कठोर अर्थान्वयन देखें अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कं० लि० बनाम कर्मकार (ए० आई० आर० पैरा 7), जीवनलाल लि० बनाम अपीलीय प्राधिकरण (ए० आई० आर० पैरा 11) ललप्पा लिंगप्पा बनाम लक्ष्मी विष्णु टेक्सटाईल मिल्स लि० (ए० आई० आर० पैरा 13) एस० एम० निलाजकर बनाम टेलीकॉम जिला प्रबंधक (एस० सी० सी० पैरा 12)

13. हिन्दुस्तान लीवर लि० बनाम अशोक विष्णु केट में इस न्यायालय ने सम्प्रेक्षित कियाः– (एस० सी० सी० पृष्ठ 347–48, पैरायें 41–42)

''41. इस संबंध में, हम लाभप्रद रूप से कर्मकार बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार कर सकते हैं, जिसमें चिनप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति ने रिपोर्ट के पैरा 4 में निम्नलिखित सम्प्रेक्षण कियाः– (एस० सी० सी० पैरा 76)

''4. सांविधिक निर्वचन के सिद्धांत सुस्थापित हैं। उदारपूर्ण अर्थान्वयन के संविधियों जैसे कि समाज कल्याण विधायन तथा मानवाधिकार विधायनों में आने वाले शब्दों को एक संक्षिप्त आयाम में नहीं रखा जा सकता है। इन विधायनों का अर्थान्वयन करने में शाब्दिक अर्थान्वयन करने से बचा जाना चाहिए तथा इसके गलत प्रयोग को पहचाना जाना चाहिए तथा कम किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों को ऐसी संविधियों के ''हावभाव'', ''विषयवस्तु'' तथा ''परिप्रेक्ष्य'' से अधिक सरोकार होना चाहिए (हमने प्रेन बनाम साइमंड्स में लार्ड विल्बरफोर्स के मत से शब्दों को ग्रहण किया है। इस मत

में लार्ड विल्बरपफोर्स ने इंगित किया कि विधि को शाब्दिक अर्थान्वयन के किसी द्वीप पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए अपितु तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अवियुक्त भाषा के परे जाँच करनी चाहिए, जिसमें वे वर्णित हैं; विधि का निर्वचन शुद्धतः भाषायी कारकों पर नहीं किया जाना चाहिए। हमारे समक्ष उद्धृत मामलों में से एक अर्थात सुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम सेन्ट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल सह श्रम न्यायालय में, हमारे पास यह कहने का अवसर आया थाः- (एस० सी० सी० पृष्ठ 447, पैरा 6)

''6. .... लाभप्रद संविधियों के निर्वचन में शब्दार्थगत विशिष्टियों को गलत प्रकार से रखा जाता है। कल्याणकारी संविधियों को अवश्य ही एक व्यापक अर्थान्वयन प्राप्त होना चाहिए। जब कतिपय प्रकार की रिष्टि के विरूद्ध अनुतोष प्रदान करने के लिए विधायन की रचना की जाती है, न्यायालय को व्युत्पत्ति विषयक भटकाव करके अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।''

42. फ्रैंसिस बेनियन ने अपने सांविधिक निर्वचन, द्वितीय संस्करण में अपनी पुस्तक के भाग XV में कार्यशील अर्थान्वयन नियम पर विचार किया है। उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन की प्रकृति पर भाग XX में पृष्ठ 659 में इस प्रकार विचार किया गया हैः-

''किसी अधिनियम का उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन वह है जो विधायी उद्देश्य को -

(a) अधिनियमन के शाब्दिक अर्थ का पालन करके प्रभाव प्रदान करता है जहाँ वह अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुरूप है (इस संहिता में उद्देश्यपूर्ण तथा शाब्दिक अर्थान्वयन कहा गया), या

(b) संकुचित अर्थान्वयन करके प्रभाव प्रदान करता है जहाँ शाब्दिक अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुरूप नहीं है (संहिता में उद्देश्यपूर्ण एवं संकुचित अर्थान्वयन कहा गया)।

पृष्ठ 661 पर, लेखक ने शाब्दिक अर्थान्वयन की तुलना में ''उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन'' की विषयवस्तु पर विचार किया है। विद्वान लेखक ने निम्नवत सम्प्रेक्षित किया हैः-

***उदारपूर्ण अर्थान्वयन के साथ तुलना.**-यद्यपि शब्द ''उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन'' नया नहीं है, प्रचलन में इसका आना अपीलीय न्यायालयों द्वारा शाब्दिक अर्थान्वयन से विचलन इंगित करता है। लार्ड डिप्लॉक ने 1975 में कहा थाः ''अगर हम पिछले 30 वर्षों से सांविधिक अर्थान्वयन के प्रश्नों पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वास्तविक निर्णयों पर विचार करते हैं, हम सांविधिक प्रावधानों के शुद्ध रूप से शाब्दिक अर्थान्वयन से उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन के प्रति झुकाव के साक्ष्य द्वारा प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता।'' मामले पर लार्ड डिप्लॉक द्वारा इस प्रकार से सारांश किया गया था-*

.....मैं वहाँ एक उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन अपनाने का अनिच्छुक नहीं हूँ जहाँ प्रयुक्त विधायी भाषा का शाब्दिक अर्थान्वयन लागू करना एक ऐसे परिणामों की ओर ले जायेगा जो कि स्पष्ट रूप से अधिनियम के उद्देश्यों को विफल करेगा। किन्तु ऐसा करने में जिस कार्य को करने के लिए न्यायालय बनाये गये हैं, एक ऐसा ही अर्थान्वयन है, वहाँ भी जहाँ यह अधिनियम के शब्दों का पठन अंतर्ग्रस्त करता है जो इसमें अभिव्यक्त रूप से सम्मिलित नहीं किये गये हैं।'' (जोर डाला गया)

*14. **हमारे मत में, अगर हम अभिव्यक्ति रेलवे अधिनियम की धारा 123(c) में ''यात्रियों को ले जाने वाली रेलगाड़ी से यात्री का दुर्घटनापूर्वक गिरना'' अभिव्यक्ति का निर्बन्धनात्मक अर्थ अपनाते हैं, हम अधिकांश संख्या में रेलवे यात्रियों को रेलवे दुर्घटनाओं में मुआवजा पाने से वंचित कर***

देंगे। यह सुज्ञात है कि हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं चूँकि हर कोई हवाई जहाज से या निजी कार में यात्रा करने का खर्च नहीं उठा सकता। अभिव्यक्ति का निर्बंधित तथा संकुचित अर्थ प्रदान करके हम रेलगाड़ी दुर्घटना के पीड़ितों की बड़ी संख्या (विशेषकर गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को) को मुआवजा प्राप्त करने से वंचित कर देंगे। अतएव, हमारे मत में, अभिव्यक्ति ''यात्रियों को ले जाने वाली रेलगाड़ी से यात्री का दुर्घटनावश गिरना'' में वे दुर्घटनायें सम्मिलित हैं जब कोई सद्भावी यात्री अर्थात एक वैध टिकट या पास के साथ यात्रा करने वाला यात्री रेलगाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा है तथा इस प्रक्रिया में नीचे गिर पड़ता है। अन्य शब्दों में, उद्देश्यपूर्ण न कि शाब्दिक अर्थान्वयन इस अभिव्यक्ति का प्रदान किया जाना चाहिए।

16. दुर्घटना जिसमें श्रीमती अब्जा की मृत्यु हुई थी, धारा 124-A के परंतुक द्वारा आच्छादित नहीं है। दुर्घटना धारा 124-A के परंतुक के खंडों (a) से (e) में वर्णित कारणों में से किसी के कारण हुई थी। अतएव, हमारे मत में, वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से रेलवे अधिनियम की धारा 124-A के मुख्य भाग द्वारा आच्छादित है न कि इसके परंतुक द्वारा।

17. धारा 124-A रेलवे दुर्घटनाओं के मामले में कठोर दायिता या दोषरहित दायिता अधिकथित करती है। अतएव, अगर कोई मामला धारा 124-A की परिधि में आता है, यह पूर्णतः अप्रासंगिक हो जाता है कि दोष किसका था।

43. भारत में, संविधान का अनुच्छेद 38(1) कहता है ''राज्य यथासंभव प्रभावी रूप से सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित तथा संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों के अनुरूप होगा।'' इस प्रकार, हमारे संविधान में एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर प्रकार्य करना तथा अपने सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना राज्य का कर्तव्य है।

44. विभिन्न सामाजिक कल्याण संविधियों में कठोर दायिता का सिद्धांत दोष के निरपेक्ष रहते हुए मृत्यु एवं उपहतियों के विरूद्ध लोगों को बीमा प्रदान करने के लिए अपनाया गया है।

45. इस प्रकार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3 नियोजन के अनुक्रम में तथा इससे उद्भूत उपहतियों के लिए मुआवजा का प्रावधान करता है, तथा यह मुआवजा नियोक्ता की ओर से हुई उपेक्षा के लिए नहीं है, बल्कि कतिपय प्रकार के जोखिमों के विरूद्ध कर्मकार को प्रदान किया गया एक प्रकार का बीमा है।

46. इसी प्रकार से, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-A, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140 तथा 163-A, सार्वजनिक दायिता बीमा अधिनियम, 1991 इत्यादि कठोर दायिता के सिद्धांत समाविष्ट करते हैं।

47. किन्तु, कठोर दायिता के सिद्धांत के अतिरिक्त रेलवे अधिनियम की धारा 124-A तथा अन्य संविधियों में, हम एम० सी० मेहता मामले में इस न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निर्णय की दृष्टि मे सांविधिक प्रावधानों के परे कठोर दायिता की विधि विकसित कर सकते हैं तथा हमें ऐसा करना चाहिए। हमारे मत में, हमें वर्तमान मामले जैसे मामलों में दायिता निर्धारित करने के लिए नये सिद्धांत विकसित करना है।

52. ***उक्त की दृष्टि में, हमारा मत है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि रेलवे की ओर से कोई दोष नहीं था, या यह कि योगदायी उपेक्षा हुई थी, पूर्ण रूप से भ्रम पर आधारित है तथा अतएव अस्वीकार किया जाना है।''***

12. इस प्रकार, इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विराम लगा दिया गया है कि किसी रेलवे स्टेशन पर चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा यात्री अप्रिय घटना की परिभाषा के अधीन आच्छादित है तथा तद्नुसार, वह रेलवे अधिनियम की धारा 124(A) के अधीन मुआवजा पाने का हकदार है।

13. यहाँ पर यह विचार करना प्रासंगिक है कि देश के इस भाग में रेलगाड़ी में अत्यधिक भींड़ होने के कारण तथा साथ ही रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के कम समय तक रूकने के कारण, यात्रीगण रेलगाड़ी से उतरने की जल्दबाजी में होते हैं इस तथ्य के कारण कि जब रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर आती है, कई यात्री होते हैं, कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो रेलगाड़ी पर होते हैं, कुछ रेलगाड़ी से उतरने की जल्दबाजी में होते हैं तथा कुछ यात्री रेलगाड़ी में चढ़ने की जल्दबाजी में होते हैं।

14. इस तथ्य पर भी न्यायिक रूप से गौर करना महत्वपूर्ण है कि कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की लम्बाई भी रेलगाड़ी की लम्बाई की तुलना में कम है, जिसका परिणाम यह होता है कि रेलगाड़ी के सामान्य डिब्बे प्लेटफॉर्म पर नहीं होते हैं तथा यात्रियों को चढ़ने-उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कई स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म तथा डिब्बे का संरेखन भी सही नहीं होता है तथा कई बार, यह होता है कि यात्रीगण प्लेटफॉर्म तथा रेलगाड़ी के डिब्बे के बीच फंस जाते हैं। किसी ठहराव पर अर्थात् हाल्ट पर प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता है। जो सुविधायें रेलवे द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, वे मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इस तथ्य पर भी गौर किया गया है कि अत्यधिक भींड़-भाड़ वाले रेलगाड़ियों को हरा सिग्नल दे दिया जा रहा है जो यात्रियों का जीवन जोखिम में डालकर चल रहे हैं।

15. उक्त परिचर्चा तथा इस बिन्दु पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की दृष्टि में, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि अपीलार्थी रेलवे अधिनियम की धारा 124-A की आज्ञा के अनुसार मुआवजा पाने का हकदार है।

16. तद्नुसार, इस मुद्दे कर निर्णय भी दावेदार के पक्ष में किया जाता है।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क किया गया है कि **(2001) 3 SCC 714** में प्रकाशित **राठी मेनन बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दृष्टि में, दावेदार मुआवजा राशि पाने का हकदार है, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। **राठी मेनन (ऊपर)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 29 तथा 30 को बेहतर अधिमूल्यन के लिए इसमें इसके नीचे उत्कथित किया जाता है:-

> *''29. निर्वचन जो कि खंडपीठ ने किया है, से परिणत होने वाला अन्यायोचित परिणाम एक अन्य स्तर पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसे रेलवे दुर्घटना या अप्रिय घटना में चोटें आयी है, तुरंत आवेदन करने में असमर्थ हो गया था तथा वह कुछ वर्षों के बाद आवेदन करता है अतएव, क्या वह दुर्घटना की तिथि को प्रचलित धन मूल्य के निबंधनों में मुआवजा पाता है? मान लें कोई अधिकरण आवेदन दाखिल करने के कुछ वर्षों के उपरांत गलत प्रकार से दावा खारिज कर देता है तथा दावेदार अपील में उच्च न्यायालय के पास जाता है। जैसा कि आजकल प्रायः होता है, कुछ उच्च न्यायालय कई वर्षों के व्यतीत होने के उपरांत ही ऐसी अपील ग्रहण कर सकते थे तथा अगर इतने वर्षों के उपरांत अपील दावेदार के पक्ष में निर्णीत की जाती है, कितना दुख होता है अगर अधिनिर्णीत राशि केवल दुर्घटना की तिथि पर इंगित आंकड़ों के निबंधनों में ही राशि अधिनिर्णीत की जाती है।*
>
> *30.* ***इन सबसे, हमारी निश्चित राय है कि दावा अधिकरण को मुआवजा का भुगतान करने का आदेश करते समय इसपर विचार करना चाहिए कि नियमावली क्या विहित करती है।''***

18. इस प्रकार, दावेदार मुआवजा की उस राशि का हकदार होगा जो आज की तारीख पर प्रचलित है।

19. तद्नुसार, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि दावेदार रेलवे दुर्घटना तथा अप्रिय घटना (मुआवजा) संशोधन नियमावली, 2016 के निबंधनों में 8,00,000/- (रूपया आठ लाख) का मुआवजा पाने का हकदार है, मुआवजा की सांविधिक राशि 1.1.2017 के प्रभाव से 4,00,000/- से 8,00,000/- तक बढ़ा दी गयी है।

20. प्रत्यर्थी को दावेदार को दावा आवेदन की तिथि से 7½% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 8,00,000/- (आठ लाख रूपये) की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

21. उक्त निर्देश के निबंधनों में, वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

बादल चंद्र महतो एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3061 of 2013. Decided on 27th July, 2018.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धारा 18—भूमि का अर्जन—निर्देश की खारिजी—याचीगण गरीब विस्थापित व्यक्ति हैं—याचीगण अतिरिक्त मुआवजा के संबंध में सांविधिक ब्याज का दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसे याचीगण को प्रदान किया जा सकता है ऐसे किसी आदेश के अनुसरण में जो पूर्वोक्त मामलों में गुणावगुणों पर पारित किया जा सकता है और अवर न्यायालय का याचीगण को अपना मामला गुणागुण पर रखने के लिए अवसर देने के बाद गुणागुण पर उनका मामला विनिश्चत करने का निर्देश दिया जाता है—आक्षेपित आदेश अपास्त और निर्देश मामला पुनर्स्थापित—याचीगण के अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के मुताबिक याचीगण अतिरिक्त राशि पर सांविधिक ब्याज के कारण किसी दावा के हकदार नहीं होंगे जिसे रिमांड के इस आदेश पर अवर न्यायालय द्वारा पारित किए जानेवाले आदेश के अनुसरण में भुगतेय पाया जा सकता है। (पैराएँ 3 से 6)

अधिवक्तागण.—Mr. H. Waris, For the Petitioners; Mr. Ashutosh Kumar Singh, For the Respondents.

आदेश

याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेशों के तहत जिन्हें विद्वान उपन्यायाधीश II, सरायकेला द्वारा पारित किया गया है, एल॰ ए॰ केस सं॰ 67 वर्ष 1991, एल॰ ए॰ केस सं॰ 68 वर्ष 1991 और एल॰ ए॰ केस सं॰ 69 वर्ष 1991 के संबंध में क्रमशः 14.9.2004, 9.8.2004 तथा 17.7.2004 को व्यतिक्रम के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन मामलों को खारिज किया गया है।

2. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इन याचीगण जो गरीब विस्थापित व्यक्ति हैं को एक अवसर प्रदान किया जा सकता है। रिट याचिका के पैराग्राफ सं॰ 6 को निर्दिष्ट करके वह निवेदन करते हैं कि याची सं॰ 3 जो उक्त मामलों की देखभाल कर रहा था बीमार हो गया था और जाँडिस से पीड़ित था और तत्पश्चात वह उपस्थित नहीं हुआ था और विद्वान अधिवक्ता जिन्हें मामलों में काम पर लगाया गया था भी उपस्थित नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेशों द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम,

1894 की धारा 12 के अधीन पारित अधिनिर्णय संपुष्ट किए गए थे। वह दोहराते हैं कि याचीगण गरीब विस्थापित व्यक्ति हैं और उन पर अत्यन्त प्रतिकूलता कारित होगी यदि आक्षेपित आदेश अपास्त नहीं किए जाते हैं।

3. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ये पुराने मामले हैं, याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वे अतिरिक्त मुआवजा, यदि हो, जिसे निर्धारित एवं याचीगण को प्रदान किया जा सकता है जब एक बार मामले पुनर्स्थापित किए जाते हैं और विद्वान अवर न्यायालय को याचीगण को गुणागुण पर अपना मामला रखने का अवसर देने के बाद गुणागुण पर मामला विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। वह निवेदन करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचीगण के कृत्यों/लोपों के कारण कारित विलंब के कारण प्रत्यर्थियों पर प्रतिकूलता कारित नहीं हो, वे सांविधिक ब्याज का दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसके याचीगण किसी अतिरिक्त अनुतोष जिसे अवर न्यायालय द्वारा याचीगण को प्रदान किया जा सकता है के कारण हकदार हो सकते हैं।

4. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपना मामला अग्रसर करने में याचीगण की ओर से घोर उपेक्षा हुई है और तद्नसार वह निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश अपास्त नहीं किए जा सकते हैं।

5. किंतु, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए और याचीगण के अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए कि याचीगण अतिरिक्त राशि, यदि हो, जिसे किसी आदेश जिसे इन मामलों में गुणागुण पर पारित किया जा सकता है के अनुसरण में याचीगण को अधिनिर्णीत किया जा सकता है, पर सांविधिक ब्याज का दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं, यह न्यायालय आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने इच्छुक हैं और याचीगण को आज के दिन से दो माह की अवधि के भीतर विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हैं और विद्वान अवर न्यायालय अर्थात विद्वान उपन्यायाधीश II, सरायकेला को मामला सुनने एवं विधि के अनुरूप इसे विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि पूर्वोक्त आदेश द्वारा न्याय का उद्देश्य पूरा होगा क्योंकि प्रत्यर्थीगण मामलों के निपटान में विलंब के कारण पीड़ित नहीं होंगे जो याचीगण और अथवा उनके अधिवक्ता के कृत्यों/लोपों के कारण हुआ है क्योंकि याचीगण के अधिवक्ता ने सांविधिक ब्याज, यदि हो, जिसे प्रतिप्रेषण के इस आदेश पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के अनुसरण में भुगतेय पाया जा सकता है, के कारण याचीगण का दावा छोड़ दिया है।

6. पूर्वोक्त निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ यह रिट याचिका निपटायी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचीगण के अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के मुताबिक याचीगण अतिरिक्त राशि, यदि हो, जिसे प्रतिप्रेषण के इस आदेश पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के अनुसरण में भुगतेय पाया जा सकता है, पर सांविधिक ब्याज के कारण किसी दावा के हकदार नहीं होंगे।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी (3 में)

किशोर ओराँव (1485 में)

बनाम

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (SJ) Nos. 3 of 2004 with 1485 of 2003. Decided on 1st May, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 569 वर्ष 2002 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ VII राँची द्वारा पारित दिनांक 5.9.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 12.9.2003 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 363 एवं 366A—अवयस्क लड़की का अपहरण—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—इस मामला का सूचक अनुश्रुत गवाह है—प्राथमिकी आठ माह के विलंब के बाद दाखिल की गयी है—किसी ने नहीं देखा कि अपीलार्थी उसकी अवयस्क पुत्री को ले गयी है–यह सिद्ध करने के लिए कोई चीज नहीं है कि पीड़िता घटना के समय पर अवयस्क थी—अन्वेषण अधिकारी ने पीड़िता लड़की की आयु सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण पत्र संग्रहित नहीं किया है—अ॰सा॰ ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है और उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है—अभियोजन अवयस्क बालिका को फुसलाकर अपहरण करने में अपीलार्थीगण का कोई संबंध सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है—अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर आरोपों से दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 25 से 28)

अधिवक्तागण.–M/s Ashok Kr. Jha, Devesh Krishna, For the Appellant; Mrs. Niki Sinha, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं श्री अशोक कुमार झा एवं श्री देवेश कृष्ण और राज्य के लिए उपस्थित अपर लोक अभियोजक श्रीमती निकी सिन्हा सुने गए।

2. परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी एवं किशोर ओराँव ने सत्र विचारण सं॰ 569 वर्ष 2002 में अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट VII, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.9.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 12.9.2003 के दंडादेश के विरूद्ध पृथक अपीलों को दाखिल किया है जिसके द्वारा अपीलार्थियों परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी तथा किशोर ओराँव को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366A के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उसी निर्णय द्वारा सह-अभियुक्त अर्थात किरण ओराँव को दोषमुक्त किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्येक को 5 वर्षों का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपया जुर्माना और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में छह माह का सामान्य कारावास अधिनिर्णीत करके दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366A के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूपसे चलने का निर्देश दिया गया था।

3. दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर दोनों अपीलार्थियों ने पृथक अपीलों को दाखिल किया है। परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी ने दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 3 वर्ष 2004 दाखिल किया है जबकि किशोर ओराँव ने दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 1485 वर्ष 2003 दाखिल किया है।

4. फर्दबयान में यथा कथित अभियोजन मामला पीड़िता के पिता, बिगू ओराँव द्वारा नागरी ओ॰ पी॰, पी॰ एस॰ रातू के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपनी अवयस्क पुत्री को फुसलाने के बारे में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर आधारित है। सूचक ने कथिन किया है कि उसकी लगभग 15 बर्षीया अवयस्क पुत्री को जर्रा टोली के रूपन मुन्डा की पुत्री परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी द्वारा आठ माह पहले यह कहकर फुसलाया गया है कि वह उसको नौकरी दिलवाएगी। किंतु, तब से उसकी पुत्री के बारे में सूचना नहीं है। सूचक ने आगे कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री की तलाश करने का सर्वोत्तम प्रयास किया, किंतु अपनी पुत्री का अता-पता नहीं लगा सका था। इस प्रकार वह विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस थाना आया।

5. लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी रातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 66/2002 दिनांकित 1.6.2002 भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दर्ज की गयी थी और अन्वेषण के बाद पुलिस ने तीन व्यक्तियों अर्थात परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी, किरन ओराइन एवं किशोर ओराँव के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366A/34 के अधीन दिनांक 10.7.2002 का आरोप-पत्र दाखिल किया। अपराध का संज्ञान लिया गया है और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। समस्त तीनों अभियुक्तों अर्थात परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी, किरन ओराइन एवं किशोर ओराँव के विरूद्ध 5.11.2002 को विद्वान पंचम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/34 एवं 366A/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया है जिसके प्रति अपीलार्थियों ने अभिवचन किया है कि वे निर्दोष हैं और इस प्रकार उनका विचारण किया गया था।

6. अभियोजन ने कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया है और प्रदर्श 1 के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य भी दिया है जो प्राथमिकी पर हस्ताक्षर है और प्रदर्श 2 औपचारिक प्राथमिकी है। दिनांक 16.7.2003 का दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थियों का बयान दर्ज करने के बाद बचाव ने न तो किसी गवाह का परीक्षण किया है न ही दस्तावेजी साक्ष्य दिया है। पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त किरण ओराइन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366A के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया है और उक्त दोषमुक्ति के विरूद्ध राज्य अथवा सूचक द्वारा अपील दाखिल नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366A के अधीन दोषसिद्ध किया है और पृथक रूप से दोनों शीर्षों के अधीन पाँच वर्ष का कठोर कारावास अधिनिर्णीत किया है और 2000/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित किया है और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

7. दोनों अपीलार्थीगण ने उसी आक्षेपित निर्णय से उद्भूत होने वाली अपील पृथक रूप से दाखिल किया है और इस दशा में यह न्यायालय एक ही निर्णय पारित कर रहा है क्योंकि संपूर्ण साक्ष्य सामान्य है।

8. परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार झा और किशोर ओराँव के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश कृष्णा ने इस मामला में जोरदार तर्क किया है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि आक्षेपित निर्णय विकृत है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है।

9. अपीलार्थियों के विद्धान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 1 साधो ओराँव, सूचक का पुत्र, घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। इस गवाह ने केवल यह कहा है कि अनुमति के बिना परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी द्वारा उसकी बहन को ले जाया गया था किंतु वह तिथि प्रकट नहीं कर सका था कि कब उसकी बहन को ले जाया गया था और न ही उसने कहा कि उसकी बहन पुनिया को नौकरी देने ले जाया गया है।

10. सूचक के एक अन्य पुत्र चरवा ओराँव का परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी द्वारा अनुमति के बिना उसकी बहन को ले जाया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा 11 पर कथन किया है कि गौरी एवं सुमारी ने प्रकट किया था कि पुनीया लामडीह रेलवे स्टेशन जाते हुए गायब हो गयी थी।

11. बिरसी ओराइन का परीक्षण अ॰ सा॰ 3 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण के दौरान कथन किया है कि उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था और न ही वह जानती है कि पुनिया को कौन ले गया है।

12. पीड़िता की माता एवं सूचक की पत्नी सुको ओराइन का परीक्षण अ॰ सा॰ 4 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि उसकी लगभग 15-16 वर्षीया पुत्री को परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी द्वारा ले जाया गया है। उसने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 4 में आगे कथन किया है कि जब सुमारी एवं गौरी असम से लौटी, तब वह सूचना पा सकी थी कि उसकी पुत्री को ले जाया गया है। पैरा 5 में उसने कहा कि सुमारी एवं गौरी ईंट की भट्ठी में काम करने असम गयी थी और उन्होंने कहा कि परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी द्वारा पुनिया को ले जाया गया है।

प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा 19 पर इस गवाह (अ॰ सा॰ 4) ने कथन किया है कि परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी ने तीन व्यक्तियों अर्थात सुमारी, गौरी एवं पुनिया को फुसलाया था। उसे अपनी पुत्री के गायब होने के बारे में गौरी एवं सुमारी द्वारा सूचित किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में उसने कथन किया है कि गौरी एवं सुमारी ने उसे उसकी पुत्री के गायब होने के बारे में बताया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 16 एवं 18 में उसने कथन किया है कि गौरी एवं सुमारी ने प्रकट किया था कि पुनिया का स्टेशन पर बेचा गया था। उसने आगे प्रतिपरीक्षण के पैरा 19 पर कथन किया है कि गौरी एवं सुमारी ने प्रकट किया था कि उसकी पुत्री पुनिया गौरी एवं सुमारी के साथ लामडीह स्टेशन गयी थी जहाँ पुनिया एक लड़का से मिली थी जिसने उसे खाना दिया और उसको पिक्चर देखने भी ले गया क्योंकि वह पुनिया के साथ अत्यन्त मित्रवत हो गया था और वह उक्त लड़का के साथ गयी थी।

13. इस मामला के अन्वेषण अधिकारी नगारी पुलिस थाना का ए॰ एस॰ आई॰ एम॰ सरन का परीक्षण अ॰ सा॰ 5 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने प्रदर्श 1 के रूप में फर्दबयान तथा प्रदर्श 2 के रूप में औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है। इस गवाह (अ॰ सा॰ 5) ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरंभिक प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दर्ज की गयी थी किंतु बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 366A भी जोड़ी गयी है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366A/34 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया।

इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 8 में स्पष्टतः कथन किया था कि गौरा मुंडाइन एवं सोमारी मुंडाइन ने असम से लौटने के बाद संपूर्ण घटना के बारे में यह कथन करते हुए प्रकट किया कि पुनिया ओराइन को नावा टोली लाया गया था और दोनों अभियुक्तगण सरदारनी किरन ओराइन के घर में थे और परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी पुनिया को नावाटोली लायी। किशोर ओराँव एवं अन्य मजदूर किरन ओराइन के घर पहुँचे और वहाँ से किशोर ओराँव एवं अन्य हटिया रेलवे स्टेशन पुनिया के साथ गए। किरन ओराइन भी हटिया रेलवे स्टेशन गयी। झोपड़ी देवी उर्फ परवतिया देवी नावा टोली लौट गयी। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि सूचक ने उसके समक्ष कथन किया है कि किशोर ओराँव पुनिया, गौरी मुंडाइन और 5-6 व्यक्तियों के साथ असम, कोयला नगर गए और नामडीह रेलवे स्टेशन पहुँचने पर वे वहाँ रूके। उक्त यात्रा में लगभग 25-26 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति भी वहाँ था जो मजदूरों के साथ मित्रवत हो गया और दावा किया कि वह भी कोयला नगर, असम जा रहा है। उसने उनको खाना दिया, पिक्चर दिखाया और शराब पिलाया। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि अज्ञात व्यक्ति ने टिकट खरीदने के लिए मजदूरों से पैसा मांगा और उक्त अज्ञात व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति एवं पुनिया के साथ रेलवे टिकट खरीदने गया। वहाँ पुनिया और अज्ञात व्यक्ति गायब हो गए। अन्य श्रमिकों ने बताया कि पुनिया उन अज्ञात लोगों के साथ गयी थी। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 12 में यह कथन भी किया है कि इटवा मुंडा (जिसका इस मामला में अ॰ सा॰ 6 के रूप में परीक्षण किया गया है) ने कहा है कि पुनिया की माता भोजन–वस्त्र के साथ उसको लायी और वह ईंट की भट्ठी में स्वेच्छा से काम करने जा

रही था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 में कथित किया है कि अनेक मजदूर ईंट की भट्ठी में काम करने प्रत्येक वर्ष जाते हैं। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 15 में स्पष्टत: कथन किया है कि उसने पुनिया की आयु के संबंध में प्रमाणपत्र संग्रहित नहीं किया है।

14. एटवा मुंडा का परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि एक वर्ष पहले गौरी, पुनिया, सुमारी जैसी उसकी गाँव की लड़कियाँ ईंट भट्ठी में काम करने जा रही थी। पुनिया अपनी जीविका अर्जित करने ईंट भट्ठी जा रही थी और उसकी माता, छोटी भाभी एवं भाई ने उसको रास्ता के लिए खाना दिया और आधा रास्ता उसके साथ आए। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि सूचक के ज्येष्ठ पुत्र ने उसकी माता से पुनिया के बारे में पूछा, तब उसकी माता ने कहा कि वह ईंट भट्ठी में काम करने गयी थी जिस पर उसके पुत्र चरवा ओराँव ने उसपर प्रहार किया और अपनी माता से पूछा कि उसने क्यों पुनिया को ईंट भट्ठी पर काम करने की अनुमति दिया।

अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस गवाह (अ॰ सा॰ 6) ने कथन किया है कि पुलिस ने उससे पूछा था और उसने प्रकट किया कि पुनिया नामडीह रेलवे स्टेशन से अज्ञात व्यक्ति के साथ भाग गयी क्योंकि वह स्वेच्छा से गयी थी वह पहले भी भट्ठी पर काम करने गयी थी।

15. चरिया ओराइन का परीक्षण अ॰ सा॰ 7 के रूप में किया गया है। वह सह ग्रामीण है और वह भी पहले ईंट भट्ठी में काम करने गयी थी। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने कथन किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं किया है। वह दो माह बाद झोपड़ी देवी उर्फ परवतिया देवी के साथ ईंट भट्ठा पर काम करने गयी। तब गौरी ने उसको प्रकट किया कि पुनिया भाग गयी है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि सहग्रामीण प्रत्येक वर्ष ईंट भट्ठा पर काम करने जाती है। इस गवाह के आगे कथन किया है कि उसे नहीं मालूम कि पुनिया किसके साथ भागी है।

16. बिगुआ ओराँव का परीक्षण इस मामला में अ॰ सा॰ 8 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि लगभग डेढ़ वर्ष पहले उसकी पुत्री को परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी द्वारा काम करने असम ले जाया गया था।

इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में, कथन किया है कि उसने गौरी एवं सुमारी से, जो पुनिया के साथ गयी थी, घटना के बारे में सूचना पाया। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि पुनिया गौरी एवं सुमारी के साथ ईंट भट्ठी में काम करने असम गयी। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि जब आठ माह बाद गौरी एवं सुमारी असम से लौटी, उसे पता चल सका था कि पुनिया अज्ञात व्यक्ति के साथ गयी थी। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 9 में कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि पुनिया कब घर से गयी।

17. गौरी का परीक्षण अ॰ सा॰ 9 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि पुनिया और सुमारी उसके साथ जीविका अर्जित करने असम गयी। वे ट्रेन पकड़ने जर्रा टोली से हटिया गए और लामडीह रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ उन्हें भोजन एवं टिकट दिया गया था और वे अज्ञात व्यक्ति के साथ पिक्चर देखने गए जिसने मजदूरों को मिठाई दिया। उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुनिया को धन दिया गया था। पुनिया उक्त अज्ञात व्यक्ति के साथ टिकट खरीदने गयी। पुनिया ने टिकट खरीदने के लिए धन मांगा किंतु उनके (मजदूरों) पास धन नहीं था। वहाँ से पुनिया अज्ञात व्यक्ति के साथ गयी और उसे समय पर अभियुक्तगण भी उनके साथ थे।

अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा 4 पर इस गवाह के कथन किया है कि पुनिया स्वेच्छा से जीविका अर्जित करने गयी।

18. सुधी मुंडा का परीक्षण अ॰ सा॰ 10 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि गौरी, सुमारी एवं पुनिया ईंट भट्ठी पर काम करने गयीं। जब गौरी ईंट भट्ठी से लौटी, उसने प्रकट किया कि पुनिया गायब हो गयी थी।

19. सवाई मुंडाइन का परीक्षण अ॰ सा॰ 11 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि पुनिया जीविका अर्जित करने गयी थी और उस समय तक वह चिनि बगान में ईंट भट्ठी पर कार्यरत थी, जब वे असम पहुँचे, तब उसने सूचना पाया कि पुनिया लामडीह रेलवे स्टेशन से अज्ञात व्यक्ति के साथ भाग गयी थी।

20. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद 16.7.2003 को दं॰प्र॰सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया है।

21. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 6 गौरी का साक्ष्य सुमारी देवी (जिसका परीक्षण नहीं किया गया है) के साथ सूचना का एकमात्र स्रोत है क्योंकि स्वयं सूचक ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराओं 6, 7 एवं 9 में स्वीकार किया है कि गौरी (अ॰ सा॰ 9) और सुमारी (जिसका परीक्षण नहीं किया गया है) आठ माह बाद असम में ईंट भट्ठी से लौटी और उन्होंने प्रकट किया कि पुनिया किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ भाग गयी थी और इस दशा में अ॰ सा॰ 8 बिगुआ ओराँव इस मामला का सूचक, का साक्ष्य गौरी अ॰ सा॰ 9 गौरी एवं सुमेरी (जिसका मामले में परीक्षण नहीं किया गया है) द्वारा किए गए प्रकटीकरण पर आधारित है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि गौरी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 363 या 366A की परिधि में ला सकता था।

21A. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 361, 363 एवं 366A प्रस्तुत किया जिन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है:–

धारा 361. ***विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण.****–जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयुवाले को, या यदि वह नारी हो तो, अठारह वर्ष कम आयु वाले को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।*

स्पष्टीकरण.*–इस धारा में ''विधिपूर्ण संरक्षक'' शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख–रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्ण न्यस्त किया गया है।*

अपवाद.*–इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरूद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए।*

धारा 363. ***व्यपहरण के लिए दण्ड.****–जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*

अपराध का वर्गीकरण.*–इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।*

*धारा 363A. **भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यवहरण या विकलांगीकरण.**–(1) जो कोई किसी अप्राप्तवय का इसलिए व्यवहरण करेगा या अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुये अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*

(2) जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जहां कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय की विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तवय का व्यवहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

(4) इस धारा में,–

(a) ''भीख मांगने'' से अभिप्रेत है–

(i) लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने या चीजें बेचने के बहाने से अथवा अन्यथा करना,

(ii) भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राईवेट परिसर में प्रवेश करना,

(iii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना,

(iv) भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन के अप्राप्तवय का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना;

(b) अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो–

(i) यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है; या

(ii) यदि नारी है, तो अठारह वर्ष से कम आयु की है।

*धारा 366 : **विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना या उत्प्रेरित करना.**–जो कोई किसी स्त्री का व्यवहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुये अथवा उपयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरूपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।*

*धारा 366A : **अप्राप्तवय लड़की का उपापन.**–जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या*

विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, या कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

*धारा 366B : **विदेश से लड़की का आयात करना.**–जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू–कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या एतद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुये करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।]*

22. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 6 एटवा मुंडा द्वारा दिया गया बयान कि पुनिया की माता ने उसको भोजन दिया और आधा रास्ता उसके साथ गयी, दर्शाता है कि पुनिया अपनी माता की सहमति से ईंट भठ्ठी में काम करने और जीविका अर्जित करने जा रही थी अत: भारतीय दंड संहिता की धारा 366A के अधीन मामला नहीं बनता है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366A के अधीन अपराध गठित करने के लिए अवयव गायब हैं। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे कथन किया है कि यदि अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 9 के साक्ष्य का संयुक्त पठन किया जाता है, तब अभिलेख पर लाए गए सामग्री एवं साक्ष्य सुझाते हैं कि पुनिया वयस्क होने के नाते अपने मित्रों गौरी एवं सुमारी के साथ अपनी जीविका अर्जित करने असम गयी थी। इन गवाहों अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 9 ने कहीं नहीं अभिकथन किया है कि उन्हें परबतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी द्वारा फुसलाया गया था और इस दशा में यह ऐसा मामला है जहाँ गाँव के तीन लड़कियाँ अपनी जीविका अर्जित करने गयी और रास्ते में उनमें से एक लड़की एक लड़का के साथ चली गयी और विद्वान विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 9 के साक्ष्य का संवीक्षण किए बिना गलत रूप से अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366 के अधीन दोषसिद्ध किया है।

23. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे निवेदन किया कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विकृत है क्योंकि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते हुए अ॰ सा॰ 1 से 11 तक एक ही साक्ष्य दर्ज किया है और इस दशा में आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने योग्य है।

24. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती निकी सिन्हा ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में जोरदार तर्क किया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक निवेदन करती हैं कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश गवाहों के साक्ष्य जिसे अभिलेख पर लाया गया है पर आधारित है, किंतु वह निष्पक्षत: निवेदन करती है कि अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 9 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है। अपर लोक अभियोजक अभिलेख से स्पष्ट करने में विफल रही है कि मामला के सूचक जो घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है ने गौरी अ॰ सा॰ 9 एवं सुमारी (जिसका मामले में परीक्षण नहीं किया गया है) से सूचना पाया जब वे आठ माह बाद असम से लौटीं। गौरी ने सूचक को सूचित किया है कि पुनिया गायब थी और इस तथ्य कि परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी ने गौरी, सुमारी एवं पुनिया को फुसलाया है का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने गौरी, सुमारी एवं पुनिया को परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी के साथ अपना घर छोड़ते हुए नहीं देखा है।

25. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं श्री अशोक कुमार झा एवं श्री देवेश कृष्णा तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती निकी सिन्हा को सुनने के बाद तथा अभिलेख के परिशीलन से इस

न्यायालय का मत है कि अ॰ सा॰ 6 जो इस मामला का सूचक है अनुश्रुत गवाह है और प्राथमिकी आठ माह के विलंब के बाद दाखिल की गयी है जब गौरी एवं सुमारी असम से लौटी जहाँ वे जीविका अर्जित करने पुनिया (पीड़िता) के साथ गयीं थी और उन्होंने सूचक को सूचित किया कि पुनिया अज्ञात व्यक्ति के साथ भाग गयी थी और किसी ने परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी को उसकी अवयस्क पुत्री को ले जाते देखा है। इस न्यायालय का यह मत भी है कि अभियोजन ने यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कोई चीज नहीं लाया है कि पीड़िता पुनिया अभिकथित घटना के समय पर अवयस्क थी और अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 5 एम॰ सरन ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा 15 पर स्वीकार किया है कि उसने पीड़िता लड़की की आयु सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाणपत्र संग्रहित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 6 एटवा मुंडा जिसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है का साक्ष्य अभियोजन मामला ठुकराने के लिए पर्याप्त है क्योंकि अपने मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसके गाँव की लड़कियाँ अर्थात पुनिया, सुमरी एवं गौरी असम में ईंट भट्ठा में काम करने एवं अपनी जीविका अर्जित करने गयी थी। पुनिया की माता, भाभी एवं भाई ने उसको भोजन दिया था और आधा रास्ता उसके साथ गए। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि सूचक के ज्येष्ठ पुत्र ने पुनिया के बारे में पूछा, तब उसकी माता ने प्रकट किया कि वह अपनी जीविका अर्जित करने गयी थी, जिस पर उसके पुत्र ने उस पर मुक्का से प्रहार किया। यह दर्शाता है कि पुनिया अपनी माता की सहमति से गयी थी, यही कारण है कि उसने भोजन दिया था और उसकी माता, भाभी एवं भाई आधा रास्ता उसके साथ गए थे। यही कारण है कि ज्येष्ठ पुत्र द्वारा पुनिया की माता पर प्रहार किया गया था। इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन मामला नहीं बनता है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 कहती है कि अपराध केवल तब गठित हो सकता है जब अवयस्क को उसके संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाया जाता है। यह मामला अभियोजन द्वारा दर्ज साक्ष्य पर आधारित है कि लड़की पुनिया अपनी माता, भाभी एवं भाई की सहमति से गयी है। इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366A के अवयवों का परीक्षण भी किया और पाता है कि इन अपीलार्थियों के विरूद्ध अपराध गठित करने के लिए अवयव मौजूद नहीं है। अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 9 अर्थात एटवा मुंडा, चरिया ओराइन एवं गौरी ने क्रमश: प्रकट किया कि पुनिया जीविका अर्जित करने के बाद असम से लौटते हुए लगभग 25-26 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के साथ संबंध विकसित कर लिया था जिसने उसको पिक्चर दिखाया, लामडीह स्टेशन पर खाना दिया और इस दशा में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 366 के अधीन अपराध नहीं बनता है।

26. उक्त तथ्यों के समेकित प्रभाव के कारण इस न्यायालय का मत है कि अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं अ॰ सा॰ 6, 7 एवं 9 अर्थात एटवा मुंडा, चरिया ओराइन एवं गौरी क्रमश: के साक्ष्य ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है और उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है। सूचक की अवयस्क पुत्री पुनिया की आयु दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है। यह न्यायालय विश्वास नहीं करता है कि अ॰ सा॰ 4 सुको ओराइन एवं अ॰ सा॰ 8 सूचक बिगू ओराँव की पुत्री पुनिया अवयस्क लड़की थी। अन्वेषण अधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि उसने पुनिया की आयु अभिनिश्चित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र संग्रहित नहीं किया है। सूचना केवल अ॰ सा॰ 9 गौरी एवं सुमारी (जिसका इस मामला में परीक्षण नहीं किया गया है) द्वारा आठ माह बाद असम से लौटने के बाद दी गयी सूचना के आधार पर अनुश्रुत गवाहों द्वारा दी गयी थी। अ॰ सा॰ 4 सुको ओराइन का साक्ष्य भी इस न्यायालय को अ॰ सा॰ 6 एटवा मुंडा द्वारा दिए गए

साक्ष्य की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है जिसने कथन किया है कि पुनिया की माता, भाभी एवं भाई ने उसको भोजन दिया था और आधा रास्ता उसके साथ भी गयी। अभियोजन उसको फुसला कर अवयस्क लड़की का अपहरण करने में परवतिया देवी उर्फ झोपड़ी देवी एवं किशोर ओराँव का कोई संबंध स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366A के अधीन अपराध नहीं बन सकता है।

27. उक्त समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, सत्र विचारण सं॰ 569 वर्ष 2002 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ VIII, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.9.2003 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 12.9.2003 का दंडादेश अपास्त करके अपीलार्थियों को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है।

28. तद्नुसार, अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जो जमानत पर हैं को उनके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

29. तद्नुसार, दोनों दांडिक अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं।

30. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को भेजे जाएँ।

माननीय अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति

फाकू मियाँ एवं अन्य

बनाम

भारत संघ

M.A. No.48 of 2012. Decided on 20th April, 2018.

रेलवे अधिनियम, 1989—धाराएँ 123(c) एवं 124A—अप्रिय घटना में यात्री की मृत्यु—दावा आवेदन की खारिजी—पीड़ित ने चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिर जाने के कारण पायी गयी उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया—घटनास्थल के निकट रेलवे स्टेशन नहीं था और यह रेलवे का मामला नहीं है कि मृतक चलती ट्रेन से उतरने लगा और इस प्रक्रिया में वह गिर गया न्यायालय गवाहों ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि मृतक दुर्घटनपावश नीचे गिर गया था—रेलवे द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया—रेलवे दावा अधिकरण ने मुआवजा के लिए आवेदन खारिज करने में घोर गलती किया और यह सुयोग्य मामला है जहाँ अपीलार्थीगण मुआवजा के हकदार हैं और वह भी बढ़ायी गयी दर पर–रेलवे को 8,00,000/- रू॰ मुआवजा की राशि भुगतान 9% ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 16 से 20)

निर्णयज विधि.–(2008)9 SCC 527; (2010)12 SCC 443; (2001) 3 SCC 714; (2002)4 SCC 306—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Basav Chatterjee, Rajesh Kr. Jha, For the Appellants; M/s Vijay Kr. Sinha, Ram Nivas Roy, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.—पक्षगण सुने गए।

2. यह विविध अपील मामला सं॰ TAU/RNC/2001/0018 में रेलवे दावा अधिकरण, राँची न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 3.1.2012 के निर्णय/अधिनिर्णय के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन मुआवजा दावा खरिज किया गया है।

3. आवेदक अपीलार्थीगण का मामला संक्षेप में यह है कि मृतक राजू अंसारी 28.3.2001 को ट्रेन सं॰ 8605 अप (झारखंड एक्सप्रेस) में अपने पिता जिसका परीक्षण AW 1 के रूप में किया गया है और अपने कजिन जिसका परीक्षण AW2 के रूप में किया गया है और AW2 की पत्नी एवं पुत्री सहित अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक ही टिकट पर यात्रा कर रहा था। सामान्य मूल यात्रा टिकट प्रदर्श A5 चिन्हित किया गया है। राजू अन्य के साथ सद्भावपूर्ण यात्रियों के रूप में बोकारो स्टील सिटी से नयी दिल्ली तक यात्रा कर रहा था और इस प्रकार यात्रा करते हुए राजू अंसारी पारसनाथ रेलवे स्टेशन एवं कोडरमा रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिर गया और उपहति पाया। राजू ने उक्त दुर्घटनावश गिरने के कारण पायी गयी उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया। रेलवे दावा अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी ने अपना लिखित कथन दाखिल किया जिसमें यह अभिवचन किया गया था कि फर्दबयान के मुताबिक, मृतक राजू गेट पर थूकने गया था और उसका मस्तक खंभा से टकरा गया और वह गिर गया। विरोधी अभिवचनों के आधार पर अधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किया:–

विवाद्यकः

1. क्या राजू अंसारी की मृत्यु 28.3.2001 को झारखंड एक्सप्रेस से दुर्घटनावश गिरने के कारण हुई?

2. क्या वह उक्त ट्रेन का यात्री था?

3. अनुतोष?

4. अपने मामला के समर्थन में आवेदकों—अपीलार्थियों ने कुल दो गवाहों का परीक्षण किया अर्थात फाकू मियाँ जो मृतक का पिता था और जिसका परीक्षण AW1 के रूप में किया गया है और मोहम्मद नसीम जो मृतक का कजिन था जिसका परीक्षण AW2 के रूप में किया गया है और मोहम्मद नसीम जो मृतका का कजिन था जिसका परीक्षण AW2 के रूप में किया गया था। मौखिक परिसाक्ष्य के अतिरिक्त, अपीलार्थियों ने प्राथमिकी की प्रति सिद्ध किया जिसे प्रदर्श A1 चिन्हित किया गया था, अंतिम रिपोर्ट जिसे प्रदर्श A2 चिन्हित किया गया है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श A3 चिन्हित किया गया था, मृतक के मृत शरीर की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श A4 चिन्हित की गयी थी और अन्य सहयात्रियों के साथ मृतक का मूल यात्रा टिकट प्रदर्श A5 चिन्हित किया गया था। किंतु प्रत्यर्थी ने न तो किसी गवाह का परीक्षण किया न ही कोई दस्तावेज सिद्ध किया।

5. रेलवे दावा अधिकरण ने आक्षेपित निर्णय में उपधारित किया कि केवल दरवाजा से मस्तक बाहर निकालना चोट लगने का कारण हो सकता है और इस निष्कर्ष पर आया कि मृत्यु स्व–कारित उपहति के कारण हुई जो रेलवे अधिनियम की धारा 124A के अपवाद (b) में आच्छादित है और दावा आवेदन खारिज कर दिया।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री वासव चटर्जी निवेदन करते हैं कि अधिकरण ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की इसके सही परिप्रेक्ष्य में अधिमूल्यन नहीं करने में गलती किया और यह निवेदन भी किया कि अधिकरण का निष्कर्ष कि मृत्यु स्वकारित उपहति के कारण हुई, उपधारणा पर आधारित है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अधिकरण यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि रेलवे अधिनियम में मुआवजा के प्रावधान विधान के लाभदायक टुकड़ें हैं और इनकी उदार एवं व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और न कि संकुचित एवं तकनीकी। अपने प्रतिवाद के समर्थन में

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ बनाम प्रभाकरण विजया कुमार एवं अन्य, (2008) 9 SCC 527,** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसके पैराग्राफों 8, 11 एवं 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

''8. किंतु, ब० सा० 1 डी० सज्जन जो रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर था का साक्ष्य अ० सा० 2 का साक्ष्य संपुष्ट करता है। ब० सा० 1 ने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने एक लड़की को ट्रेन की ओर दौड़ते तथा ट्रेन में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा और वह गिर गयी। उसने आगे कथन किया है कि मृतका अब्जा ने ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास किया था और चलती ट्रेन से गिर गयी थी इस कारण, से अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यह रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(c) में अभिव्यक्ति के अर्थ के अंतर्गत ''अशोभनीय दुर्घटना'' नहीं थी क्योंकि यह यात्रियों को ढोने वाले ट्रेन से यात्री का दुर्घटनावश गिरना नहीं था।

''11. निःसंदेह यह संभव है कि अभिव्यक्ति यात्री ढोने वाले ट्रेन से यात्री का दुर्घटनावश गिरना'' की दो व्याख्याएँ की जा सकती हैं, पहला कि यह केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जो वस्तुतः ट्रेन के अंदर है और तत्पश्चात ट्रेन से गिर जाता है जबकि दूसरी व्याख्या यह है कि यह ऐसी स्थिति सम्मिलित करता है जहाँ व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और ऐसा करने का प्रयास करते हुए गिर जाता है। ***चूँकि रेलवे अधिनियम में मुआवजा के लिए प्रावधान विधान का लाभदायक टुकड़ा है, हमारे मत में, इसकी उदार एवं व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और न कि संकुचित एवं तकनीकी अतः हमारे मत में, पूर्वोल्लिखित दो व्याख्याओं में से बाद वाली व्याख्या अर्थात जो संविधि का उद्देश्य अग्रसर करती है और इसका प्रयोजन पूरा करती है*** *को कुणाल सिंह बनाम भारत संघ (SCC para 9), बी० डी० शेट्टी बनाम सिएट लि० (SCC para 12) और भारत परिवहन निगम बनाम ई० एस० आई० निगम के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिए।''*

''14. हमारे मत में, यदि हम रेलवे अधिनियम की धारा 123(c) में ''अभिव्यक्ति यात्री ढोने वाले ट्रेन से यात्री का दुर्घटनावश गिरना'' का निर्बंधनात्मक अर्थ अपनाते हैं, हम रेलवे दुर्घटनाओं में मुआवजा पाने से रेलवे यात्रियों की विशाल संख्या को वंचित करेंगे। ***यह सुज्ञात है कि हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो रेलवे ट्रेनों द्वारा यात्रा करते हैं क्योंकि हर कोई वायुयान द्वारा अथवा प्राइवेट कार में यात्रा नहीं कर सकता हैं अभिव्यक्ति को निर्बंधनात्मक एवं संकुचित अर्थ देकर हम रेलवे अधिनियम के अधीन मुआवजा पाने से ट्रेन दुर्घटनाओं के पीड़ितों की विशाल संख्या (विशेषतः गरीब एवं मध्यवर्गीय लोग) का वंचित करेंगे। अतः हमारे मत में, अभिव्यक्ति ''यात्रियों को ढोने वाले ट्रेन से यात्री का दुर्घटनावश गिरना'' सद्भावपूर्ण यात्री अर्थात वैध टिकट अथवा पास के साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति सम्मिलित करती है जो रेलवे ट्रेन में घुसने का प्रयास कर रहा है और प्रक्रिया में गिर जाता है। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति की प्रयोजनात्मक और न कि शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए।''***

(जोर दिया गया)

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **जमीला एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2010)12 SCC 443,** मामला में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफों 7, 10, 11 एवं 12 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

''7. ***हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर रूप से गलती किया कि आवेदक अधिनियम की धारा 124A***

के अधीन किसी मुआवजा के हकदार नहीं थे क्योंकि स्वयं अपनी उपेक्षा के कारण ट्रेन से गिरने पर मृतक की मृत्यु हुई थी। प्रथमतः, रेलवे का मामला कि मृतक श्री हफीज उपेक्षापूर्ण तरीके से ट्रेन के डब्बा के खुले दरवाजा पर खड़ा था जहाँ से वह गिर गया, पूर्णतः अनुमान पर आधारित है। स्वीकृत रूप से, ट्रेन से मृतक के गिरने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और इसलिए रेलवे के मामला का समर्थन करने के लिए साक्ष्य बिलकुल नहीं है कि दुर्घटना इसके द्वारा सुझाए गए तरीके से हुई। द्वितीयतः, भले ही यह माना जाना है कि स्वयं अपनी उपेक्षा के कारण ट्रेन से गिरने से मृतक की मृत्यु हो गयी, इसका अधिनियम की धारा 124A के अधीन भुगतेय मुआवजा पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

10. रेलवे द्वारा इससे इनकार नहीं किया गया है कि एम० हाफिज वैध टिकट पर इस पर यात्रा करते हुए ट्रेन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। अतः, वह स्पष्टीकरण द्वारा यथा स्पष्टीकृत धारा 124A के प्रयोजन से स्पष्टतः ''यात्री'' था। अब यह देखा जाना है कि धारा 124A के अधीन, मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व रेलवे प्रशासन की ओर से किसी दोषपूर्ण कृत्य, उपेक्षा अथवा व्यतिक्रम को ध्यान में लिए बिना है। किंतु धारा का परन्तुक कहता है कि रेलवे प्रशासन का किसी मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व नहीं है यदि यात्री की मृत्यु अथवा उसको उपहति खंडों (a) से (e) तक वर्णित किसी कारण के चलते कारित हुई थी।''

*11. **''वर्तमान मामला पर वापस आते हुए, रेलवे का मामला यह नहीं है कि एम० हफीज की मृत्यु आत्महत्या का मामला अथवा स्वकारित उपहति का परिणाम थी। यह मामला भी नहीं है कि स्वयं अपने दांडिक कृत्य के कारण उसकी मृत्यु हुई अथवा वह नशे की हालत में था अथवा वह पागल था अथवा किसी प्राकृतिक कारण अथवा रोग से उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार, ट्रेन से उसका गिरना स्पष्टतः दुर्घटनावश था।''***

*12. **जिस तरीके से रेलवे द्वारा दुर्घटना का पुनर्रचना किया जाना इप्सित किया गया है कि मृतक ट्रेन के डब्बा के खुले दरवाजा पर खड़ा था जहाँ से वह गिर गया, स्वयं रेलवे द्वारा उपेक्षा कहा गया है। अब इस प्रकार की उपेक्षा जो भारतीय ट्रेनों में असामान्य नहीं है, वही चीज नहीं है जो धारा 124A के परन्तुक के खंड (c) में उल्लिखित दांडिक कृत्य है। खंड (c) के अधीन परिकल्पित दांडिक कृत्य का द्वेषपूर्ण आशय अथवा आपराधिक मनःस्थिति का तत्व होना होगा। चलती ट्रेन के डब्बा के खुले दरवाजा पर खड़ा होना उपेक्षापूर्ण कृत्य, लापरवाह कृत्य भी, हो सकता है किंतु किसी और चीज के बिना यह निश्चय ही दांडिक कृत्य नहीं है। इस प्रकार, इसके पक्ष में सबकुछ मानने के बाद भी रेलवे का मामला विफल होगा।''***

(जोर दिया गया)

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि 4,00,000/- रुपयों का मुआवजा इप्सित करते हुए दावा आवेदन दाखिल किया गया था किंतु **रथि मेनन बनाम भारत संघ, (2001)3 SCC 714,** में पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तारपूर्वक रेलवे दुर्घटना एवं अशोभनीय घटना (मुआवजा) संशोधन नियमावली, 2016 के निबंधनानुसार बढ़ाए गए मुआवजा के भुगतान के लिए परिस्थितियों एवं कारणों पर चर्चा किया है और संप्रेक्षित किया है कि मुआवजा के रूप में भुगतान किए जाने वाले धन का मूल्य अनेक वर्ष बीतने के बाद वही नहीं होगा क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण जीवनयापन व्यय में वृद्धि के कारण धन की खरीद शक्ति घट जाती है।

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि **रथि मेनन (ऊपर)** मामला में अधिकथित निर्णयाधार भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एन॰ परमेश्वरन पिल्लई एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2002)4 SCC 306,** मामला में दोहराया गया है जिसके पैराग्राफों 28 एवं 29 का पठन निम्नलिखित है:–

> *''28. केंद्र सरकार एक दशक के अंतराल के बाद मुआवजा राशि में आँकड़ा बदलते हुए केवल मुआवजा का धन मूल्य अद्यतन करने की इच्छा से प्रभावित हुआ था। दूसरे शब्दों में, आपको दस वर्ष पहले किसी व्यक्ति को जो भुगतान करना था, वही नहीं हो सकता है यदि करेन्सी नोटों के उसी अंक में आज इसका भुगतान किया जाता है। वास्तविकता का सामना करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने आँकड़ा परिवर्तित किया।*
>
> *29. खंड न्यायपीठ द्वारा की गयी व्याख्या से परिणत होने वाला अन्यायोचित परिणाम एक और तल पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति जिसने रेलवे दुर्घटना में अथवा अशोभनीय घटना में उपहति पाया, तुरन्त आवेदन देने में निशक्त था और वह कुछ वर्ष बाद आवेदन करता है उसे धन मूल्य जो घटना की तिथि पर प्रचलित थी के निबंधनानुसार मुआवजा पाना है अतएव, क्या मान लें कि किसी अधिकरण ने आवेदन दाखिल करने के कुछ वर्ष बाद दावा गलत रूप से खारिज कर दिया और दावादार अपील में उच्च न्यायालय के पास जाता है। चूँकि अब ऐसा प्रायः होता है, कुछ उच्च न्यायालय अनेक वर्षों के बीतने के बाद ऐसी अपील सुन सकते हैं और यदि इतने अधिक वर्षों बाद दावादार के पक्ष में अपील विनिश्चित किया जाता है, कैसा दुर्भाग्य है यदि दुर्घटना की तिथि पर उपदर्शित उपदर्शित आँकड़ा के निबंधनानुसार राशि अधिनिर्णीत की जाती है।''*

10. आगे, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **एम॰ ए॰ सं॰ 267 वर्ष 2010** में दिनांक 8.12.2017 के आदेश के तहत श्री **धरणीधर शर्मा बनाम भारत संघ मामला** में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने **रथि मेनन (ऊपर)** जिसके पैराग्राफ 13 का पठन निम्नलिखित है के निर्णय पर विश्वास करते हुए 9% वार्षिक दर के साथ 8,00,000/- रुपयों के बढ़ाए गए मुआवजा के भुगतान का निर्देश दिया:–

> *''13. मुआवजा के लिए अपीलार्थी का दावा रेलवे अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 124A पर आधारित था। उक्त धारा स्वयं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 28 वर्ष 1994 के मुताबिक पुरः स्थापित की गयी थी। धारा ने किसी 'अशोभनीय घटना' जो रेलवे के कामकाज के क्रम में होती है के पीड़ितों को मुआवजा अधिनिर्णीत किया जाना प्रावधानित किया। अभिव्यक्ति ''अशोभनीय घटना'' संशोधन अधिनियम 28 वर्ष 1994 के मुताबिक संविधि में ऐसी अभिव्यक्ति संसद द्वारा अंतः स्थापित किए जाने के पहले रेलवे अधिनियम के प्रति नई थी। इसके पहले रेलवे केवल ''दुर्घटना'' के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान कर सकता था। चूँकि अधिनियम में दुर्घटना की परिभाषा अन्य प्रकार की आपदाओं के उदाहरणों जो प्रायः ट्रेन यात्रा के दौरान होते हैं को समाविष्ट नहीं करती थी, संसद ने अपनी बुद्धिमता में आपदाओं, मानव निर्मित एवं अन्यथा दोनों, की नयी कोटि मुआवजा का दावा करने के लिए वाद हेतुक के रूप में अंतःस्थापित करने का निर्णय किया।''*

11. अत:, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि रेलवे दावा अधिकरण का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाए और प्रत्यर्थी को दावा आवेदन की दाखिली की तिथि से 9% वार्षिक दर पर ब्याज के साथ विनिर्दिष्ट समय के भीतर रेलवे दुर्घटना एवं अशोभनीय घटना

(मुआवजा) संशोधन नियमावली, 2016 के संशोधित प्रावधान के निबंधनानुसार 8,00,000/- रुपयों के बढ़ाए गए मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

12. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिन्हा ने **एफ॰ ए॰ ओ॰ मामला सं॰ 421 वर्ष 2012 दिनांकित 8.1.2014 (बिमला देवी एवं एक अन्य बनाम भारत संघ)** में पारित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर विश्वास किया जिसमें उस मामला की तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जहाँ यात्री चल रही सुपर फास्ट ट्रेन से गिर गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि **जमीला एवं अन्य (ऊपर)** मामला का निर्णयाधार इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रयोज्य नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अधिकरण ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि मृतक राजू अंसारी की मृत्यु स्वकारित उपहति के कारण हुई और यह मामला रेलवे अधिनियम की धारा 124A के अपवाद (b) के अधीन आच्छादित है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि इस अपील में गुणागुण नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाए।

13. इस मामला में विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर इस अपील में विनिश्चित करने के लिए एकमात्र बिन्दु यह है कि क्या दावादार/अपीलार्थी मुआवजा के हकदार हैं और यदि हाँ तब क्या वे इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में बढ़ाए गए मुआवजा के हकदार हैं।

14. अभिलेख के परिशीलन के बाद, मैंने पाया कि AW1 अर्थात फाकू मियाँ ने मृतक का पिता होने के नाते अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्टत: कथन किया है कि राजू अंसारी की मृत्यु 28.3.2001 को पारसनाथ रेलवे स्टेशन एवं कोडरमा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन सं॰ 8605 अप (झारखंड एक्सप्रेस) से दुर्घटनावश गिर जाने के कारण हुई। उसके प्रतिपरीक्षण में उससे केवल एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या उसका पुत्र अविवाहित था। उसके अभिसाक्ष्य के संबंध में प्रतिपरीक्षण बिलकुल नहीं है कि राजू अंसारी की मृत्यु चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के कारण हुई। अत:, किसी प्रतिपरीक्षण की अनुपस्थिति में, AW1 के परिसाक्ष्य का भाग कि राजू अंसारी की मृत्यु चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के कारण हुई थी, चुनौतीहीन बना हुआ है।

15. जहाँ तक AW 2 अर्थात मोहम्मद नसीम के अभिसाक्ष्य का संबंध है, उसने यह कथन भी किया है कि राजू अंसारी डब्बा के दरवाजा पर गया और वह हवा के तेज झोंका के कारण झटका लगने से अपना संतुलन खो बैठा और चलती ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हुआ। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह है और उसने राजू अंसारी के गिरने के बाद चेन खींचा और सहयात्रियों की मदद से राजू अंसारी का मृत शरीर गार्ड के डब्बा में लाया गया था जहाँ प्राथमिक उपचार किया गया था और कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुँचने के पहले राजू अंसारी की मृत्यु हो गयी।

16. उसके परिसाक्ष्य कि राजू अंसारी दुर्घटनावश गिर गया था, विवादित करने के लिए AW 2 मोहम्मद नसीम का प्रति परीक्षण नहीं किया गया है और उसके परिसाक्ष्य का उक्त भाग चुनौतीहीन बना हुआ है। दूसरी ओर, रेलवे द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। जहाँ तक **बिमला देवी एवं एक अन्य बनाम भारत संघ (ऊपर)** में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निष्पक्षत: निवेदन करते हैं कि **बिमला देवी (ऊपर)** के तथ्यों के असमान घटनास्थल के निकट रेलवे स्टेशन नहीं था और रेलवे का मामला यह नहीं है कि मृतक चलती ट्रेन से उतरने लगा और प्रक्रिया गिर गया। अत:, इस न्यायालय का सुविचारित

दृष्टिकोण है कि **बिमला देवी (ऊपर)** का निर्णयाधार इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि इस मामला के तथ्य एवं परिस्थिति बिलकुल भिन्न हैं।

17. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की दृष्टि में, जैसा **जमीला एवं अन्य (ऊपर), प्रभाकरण विजया कुमार एवं अन्य (ऊपर)** और **श्री धरणीधर शर्मा (ऊपर)** में अभिनिर्धारित किया गया है, और ऊपर चर्चा किए गए इस मामला में अंतर्ग्रस्त तथ्यों की दृष्टि में मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि रेलवे दावा अधिकरण, राँची न्यायपीठ ने मुआवजा के लिए आवेदन खारिज करने में घोर गलती किया है और यह सुयोग्य मामला है जहाँ अपीलार्थीगण मुआवजा के हकदार हैं और **रथि मेनन (ऊपर), एन॰ परमेश्वरन पिल्लई (ऊपर)** एवं **श्री धरणीधर शर्मा (ऊपर)** में सुस्थापित विधि के सिद्धांत के कारण बढ़ाए दर पर।

18. तद्नुसार, प्रत्यर्थी रेलवे को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से तीन माह के भीतर दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से उसपर 9% वार्षिक सरल ब्याज दर के साथ रेलवे दुर्घटना एवं अशोभनीय घटना (मुआवजा) संशोधन नियमावली, 2016 के निबंधनानुसार 8,00,000/- (आठ) लाख रुपयों की बढ़ायी गयी मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

19. आवश्यक कार्रवाई के लिए इस आदेश की प्रति प्रत्यर्थी/रेलवे के विद्वान अधिवक्ता को सौंपी जाए और मामला सं॰ TAU/RNC/2001/0018 का अभिलेख रेलवे दावा अधिकरण, राँची न्यायपीठ को वापस भेजा जाए।

20. परिणामस्वरूप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

माननीय रोंगोन मुखोपाध्याय एवं राजेश शंकर, न्यायमूर्तिगण

संग्राम मुन्डा

बनाम

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 342 of 2015. Decided on 21st May, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 580/2007 में श्री ओम प्रकाश सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश I खूंटी द्वारा पारित दिनांक 24.3.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 31.3.2015 के दंडादेश के विरूद्ध।

डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धारा 3—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या—जादू टोना का संदेह—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—अ॰ सा॰ का साक्ष्य इस तथ्य पर भरोसा करने की ओर ले जाता है कि अपीलार्थी ने एक अन्य अभियुक्त के साथ घर में प्रवेश किया, मृतक को घसीटा तथा अंततः उसकी हत्या की गई—मात्र इसलिए कि अ॰ सा॰ मृतका से संबंधित हैं, उन्हें पक्षपाती गवाह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके साक्ष्य का पर्याप्त संपुष्टिकरण प्रतीत होता है जो साक्ष्य का पूर्णतः विश्वसनीय टुकड़ा है—सूचक और स्वतंत्र गवाहों का गैर परीक्षण अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं होगा—अभियोजन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा सम्यक रूप से समर्थित किया गया है—अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 10, 18, 21, 22 एवं 23)

निर्णयज विधि.–AIR 1953 SC 364; (1977) 4 SCC 452; (1981) 3 SCC 675—Relied.

अधिवक्तागण.–Ms. Rita Kumari, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the State.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुश्री रीता कुमारी और राज्य के विद्वान ए॰पी॰पी॰ श्री सतीश कुमार केसरी सुने गए।

2. अपीलार्थी सत्र विचारण सं॰ 580/2007 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश I, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 24.3.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 31.3.2015 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 तथा डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए 5000/- रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और आगे उसे डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए 1000/- रुपयों के जुर्माना के साथ तीन माह का कठोर कारावास भुगतान का दंडादेश दिया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि 24.7.2007 को अपराह्न लगभग 8 बजे सूचक (चंद्रा सिंह) अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में था। यह अभिकथित किया गया है कि समय के प्रासंगिक बिन्दु पर विमल स्वांसी उर्फ लड्डू सिंह और अपीलार्थी संग्राम मुंडा बलुआ से लैस होकर आए थे और मृतक तुपन सिंह सूचक का पिता, को ले गए थे और मुक्कों-ईंटों से उसकी हत्या कर दी। यह भी अभिकथित किया गया है कि सूचक एवं अन्य ने मृतक को बचाने का प्रयास किया किंतु उन्हें गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गयी थी।

4. पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए कर्रा पी॰ एस॰ केस सं॰ 44/2007 संस्थित किया गया था।

5. अन्वेषण का परिणाम आरोप-पत्र की दाखिली में हुआ जिसके अनुसरण में भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 452/302/34 के अधीन और डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 3/4 के अधीन भी संज्ञान लिया गया था। संज्ञान के बाद मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ आरोप विरचित किया गया था। अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। विचारण आरंभ होने के बाद और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज करने के पहले सहअभियुक्त विमल स्वांसी फरार हो गया और तद्नुसार विचारण अलग किया गया था।

6. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से 8 गवाहों का परीक्षण किया गया।

7. अ॰ सा॰ 1 (कृष्णा मुंडा) ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया था, अत: उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

8. अ॰ सा॰ 2 (घाना मुंडा) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह नहीं कह सकता है कि किस प्रकार तूपन सिंह (मृतक) की मृत्यु हुई थी। इस गवाह ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। उसने प्रदर्श 1/1 चिन्हित अभिग्रहण सूची पर भी अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। उसने कथन किया है कि तूपन सिंह का मृत शरीर देखने पर उसके परिवार को सूचित किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 3 (महेन्द्र सिंह) मृतक का पुत्र है और चश्मदीद गवाह है। इस गवाह ने कथन किया है कि 24.7.2007 को अपराह्न लगभग 8 बजे वह सूचक एवं मृतक सहित अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि विमल स्वांसी और संग्राम मुंडा (अपीलार्थी) बलुआ एवं लाठी से लैस होकर आए थे और तूपन सिंह का अता-पता पूछ रहे थे जिसे उन्होंने 'डायन' बताया। उसने आगे कथन किया है कि तूपन सिंह का पता लगने पर अभियुक्तों द्वारा उसे जबरन घसीटा गया था

और दोनों उसपर प्रहार करने लगे। बाद में, मृतक को ट्यूबवेल के निकट चौराहा पर ले जाया गया था और उसकी हत्या की गयी थी। उसने आगे कथन किया है कि उसके भाई चंद्र सिंह (सूचक) द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गयी थी। इस गवाह ने भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि दोनों अभियुक्त उसके पिता के विरूद्ध जादू-टोना करने का अभिकथन करते थे। उसने आगे कथन किया है कि घटना स्थल के निकट अनेक घर थे। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसके पिता ने स्वयं पर मुक्का, डंडा और बलुआ के काठ के भाग द्वारा प्रहार किए जाने के कारण अपने शरीर पर अनेक उपहतियों को पाया।

10. अ॰ सा॰ 4 (सीता देवी) मृतक की पत्नी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तिथि पर जब वह अपने घर में थी, दोनों अभियुक्त उसके पति को जबरन ले गए थे। उसने यह कथन भी किया है कि वे उसे ट्यूब वेल के निकट चौराहा पर ले गए थे और उसकी हत्या की थी। उसने यह कथन भी किया कि विमल स्वांसी ने अपनी कमीज एवं बलुआ घटनास्थल पर छोड़ दिया। था इस गवाह ने दोनों अभियुक्तों को कटघरा में पहचाना/उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया है कि हल्ला सुनने पर अनेक व्यक्ति वहाँ जा हुए। उसने यह कथन भी किया है कि गाँववालों से दुश्मनी नहीं है और अभियुक्त मृतक पर जादू-टोना करने का संदेह करते थे।

11. अ॰ सा॰ 5 (मुन्नी देवी) अ॰ सा॰ 3 की पत्नी है जिसने कथन किया कि अभियुक्तगण बलुआ एवं डंडा से लैस होकर उसके घर में घुसे थे और जबरन उसके ससुर को ले गए थे। उसने यह भी कथन किया कि वे मृतक को ट्यूबवेल के निकट चौराहा पर ले गए थे और उसकी हत्या की थी। उसने अभियुक्तों को मुक्का एवं डंडा से अपने ससुर पर प्रहार करते देखा था।

12. अ॰ सा॰ 6 (सुखदेव कुमार सिंह) टूपन सिंह का पोता है जिसने भी अ॰ सा॰ 3, 4 एवं 5 द्वारा यथा प्रकट घटना का समर्थन किया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को अपने दादा को 'डायन' कहते सुना था।

13. अ॰ सा॰ 7 (सरजू पंडित) अन्वेषण अधिकारी है जिसने हत्या के बारे में सूचना मिलने पर थाना डायरी प्रविष्टि किया था और तत्पश्चात ग्राम मुतपा गया जहाँ उसने चंद्रा सिंह (सूचक) का फर्दबयान दर्ज किया। इस गवाह ने फर्दबयान सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया है। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया है और घटना स्थल से बलुआ और कमीज भी जब्त किया। इस गवाह ने घटना स्थल वर्णित किया है और जबरन घसीटे जाने का निशान भी पाया है। उसने गवाहों का बयान लिया है और मृतक का मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा। शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसने आरोप पत्र दाखिल किया।

14. अ॰ सा॰ 8 (डॉ॰ सुधीर कुमार सिन्हा) ने मृतक तूपन सिंह के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहति पाया:-

बाह्य उपहतियाँ:-

(i) बाए भौंह पर 1½x½x अस्थि तक गहरा विदीर्ण जख्म।

(ii) दाएँ भौंह पर 1"x1"x अस्थि तक गहरा विदीर्ण जख्म।

(iii) अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर 1"x1" और बाएँ भाग पर 1"x1" का सूजन।

(iv) दाएँ कान पर 1"x1/4"x1/4" का विदीर्ण जख्म।

(v) दाएँ कान के इर्दगिर्द की त्वचा खून से सनी।

(vi) बाएँ कोहनी पर 1"x½"x1/4" का विदीर्ण जख्म।

(vii) दाएँ ऊपरी बाँह पर 2"x2" का सूजन

(viii) दाएँ घुटने पर 1"x1" का खरोंच।

(ix) बाएँ घुटने पर 1"x1" का खरोंच।

(x) छाती के दाएँ भाग पर 2"x2" का डिप्रेस्ड क्षेत्र

विच्छेदन करने पर:-

(i) फ्रंटल अस्थि और दाएँ ह्यूमरस अस्थि का फ्रैक्चर

(ii) दाएँ पसली सं० 5, 6, 7 एवं 8 का फ्रैक्चर

(iii) समस्त फ्रैक्चर क्लॉट के साथ विदीर्ण टिशु

(iv) क्लॉट से घिरा दाएँ फेफड़ा पर 1"x1"x का कैविटी तक गहरा विदीर्ण जख्म

मृत्यु का कारण-कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित आघात एवं हेमरेज के कारण

मृत्यु से बीता समय-24 घंटा

शव परीक्षण के समय पर डॉक्टर ने मत दिया कि फ्रंटल अस्थि का फ्रैक्चर लठियों द्वारा कारित किया जा सकता है। पसलियों का फ्रैक्चर जोर से पैर मारने द्वारा कारित हो सकता है। अन्य उपहतियाँ भारी लाठी के प्रहारों के कारण हो सकती है। उक्त उपहतियाँ मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है।

15. अपीलार्थी का दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन परीक्षण किया गया था जिसमें उसने अपराध की कारिता में भाग लेने से इनकार किया है।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुश्री रीता कुमारी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि अभियोजन के मुताबिक, मृतक तूपन सिंह का मृत शरीर पूरी रात ट्यूब वेल के निकट पड़ा था और उसके परिवार का कोई 'सदस्य उसके मृत शरीर को अपने घर नहीं ले गया था जो उक्त व्यक्तियों की ओर से अत्यन्त अस्वाभाविक आचरण है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 4 के विवरण के मुताबिक मुहल्ला के अनेक लोग जमा हुए थे किंतु एक भी स्वतंत्र गवाह अपीलार्थी के विरूद्ध अभिसाक्ष्य देने आगे नहीं आया है। अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करती हैं कि अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 का साक्ष्य इस तथ्य की दृष्टि में पूर्णत: अविश्वसनीय है कि वे समस्त मृतक तूपन सिंह के साथ संबंधित होने के नाते पक्षपाती गवाह हैं, विद्वान विचारण न्यायालय को उक्त गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से सूचक चंद्र सिंह का अभियोजन द्वारा परीक्षण कभी नहीं किया गया था जो आगे अभियोजन मामला पतला करता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब हुआ है क्योंकि घटना अपराह्न लगभग 8 बजे हुई अभिकथित की गयी है, किंतु पुलिस को अगले दिन सूचित किया गया था और प्राथमिकी के संस्थापन में ऐसे अत्यधिक विलंब के लिए अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अत:, इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी अपने विरूद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

17. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री सतीश कुमार केसरी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन यह निवेदन करते हुए किया है कि अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 घटना के चार चश्मदीद गवाह हैं और मात्र

इसलिए कि वे मृतक से संबंधित हैं, यह किसी तरीके से उनका साक्ष्य पतला नहीं कर सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य पर्याप्त रूप से चाक्षुक साक्ष्य संपुष्ट करता है क्योंकि डॉक्टर ने भी मत दिया है कि मृत्यु कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा मृतक द्वारा पायी गयी उपहतियों के कारण कारित हुई थी और वस्तुतः गवाहों के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि मुक्कों-डंडों के अलावा बलुआ के काठ वाले भाग का उपयोग भी मृतक पर प्रहार करने में किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि साक्ष्य यह भी प्रकट करता है कि अभियुक्तगण विगत दो वर्षों से मृतक द्वारा जादू-टोना किए जाने के विरूद्ध अभिकथन करते थे और मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्तों के पास यह पर्याप्त हेतु था।

18. हमने अवर न्यायालय अभिलेखों का परिशीलन किया है और पक्षों के अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्यतः अ॰ सा॰ 3, 4, 5, 6 के साक्ष्य पर आधारित है जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं। वस्तुतः, दो घटना स्थल प्रतीत होते हैं। पहला मृतक तूपन सिंह का घर जहाँ से अभियुक्त विमल स्वांसी और संग्राम मुंडा मृतक को जबरन घसीट कर ले गए थे। दूसरा घटना स्थल ट्यूब वेल के निकट चौराहा है जहाँ मृतक को जबरन ले जाया गया था और उसकी मृत्यु की ओर ले जाने वाला अभियुक्तों द्वारा निर्मम प्रहार किया गया था। पहली घटना अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 के साक्ष्य द्वारा निश्चयात्मक रूप से समर्थित की गयी है क्योंकि ये गवाह घर में उपस्थित थे जब अभियुक्तगण तूपन सिंह को खोजते हुए आए थे और तूपन सिंह को पाने पर वे उसे जबरन घसीट कर ले गए थे। अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 द्वारा विरोध किया गया था किंतु उन्हें अभियुक्तों द्वारा धमकी दी गयी थी और बाद में दोनों अभियुक्तों ने ट्यूबवेल के निकट मृतक की हत्या की थी। वस्तुतः, गवाहों ने घटना भी देखा है जो ट्यूबवेल के निकट हुई थी जहाँ मृतक तूपन सिंह का मृत शरीर अंततः पाया गया था। अन्वेषण अधिकारी, जिसका बाद में अ॰ सा॰ 7 के रूप में परीक्षण किया गया था ने स्पष्टतः प्रकट किया कि घटना स्थल ने घसीटे जाने का संकेत दिया जो आगे अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता के बारे में अभियोजन मामला सिद्ध करता है। यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 4 द्वारा यथा प्रकट उनकी उपस्थिति के बावजूद किसी स्वतंत्र गवाह के गैर परीक्षण पर काफी जोर दिया है, किंतु ऐसा गैर परीक्षण अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 के संगत एवं जबरदस्त साक्ष्य की दृष्टि में अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं होगा। मात्र इसलिए कि अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 मृतक तूपन सिंह से संबंधित हैं, उन्हें पक्षपाती गवाह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके साक्ष्य जो पूर्णतः विश्वसनीय है को पर्याप्त संपुष्टि प्रतीत होती है।

19. दलीप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, AIR 1953 SC 364, जो हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य के अधिमूल्यन के संबंध में आरंभतम मामलों में से एक है में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

> *''26. गवाह सामान्यतः स्वतंत्र माना जाता है जब तक वह ऐसे स्रोत से नहीं आता है जिसके कलंकित होने की संभावना है और उसका सामान्यतः अर्थ है जबतक गवाह के पास अभियुक्त को झूठा फँसाने की इच्छा रखने के लिए उसके विरूद्ध दुश्मनी जैसा कारण नहीं है। साधारणतः, निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को छुपाने और निर्दोष व्यक्ति को फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सत्य है कि जब भावनाएँ उग्र*

हैं और दुश्मनी का निजी कारण है, निर्दोष व्यक्ति जिसके विरूद्ध गवाह की दोषी के साथ दुश्मनी है को घसीटने की प्रवृति है, किंतु ऐसी आलोचना के लिए नींव डालनी होगी और संबंध का तथ्य मात्र नींव होने से काफी दूर प्रायः सत्य की निश्चित प्रत्याभूति है।''

20. पियारा सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1977)4 SCC 452, मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हितबद्ध अथवा बैरपूर्ण गवाह के साक्ष्य का सावधानी से संवीक्षण किया जाना है किंतु मात्र पक्षपाती गवाह होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

21. हरि ओबुला रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1981)3 SCC 675, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की त्रि–न्यायाधीश न्यायपीठ का समरूप दृष्टिकोण था जिसका पठन निम्नलिखित है:–

''13..... यह सुस्थापित है कि हितबद्ध गवाह आवश्यकतः अविश्वसनीय गवाह नहीं हैं। पक्षपात भी स्वयं में शपथ पर दिए गए परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने अथवा अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है। न ही यह शाश्वत सिद्धांत के रूप में अधिकथित किया जा सकता है कि हितबद्ध साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार कभी नहीं निर्मित कर सकता है जब तक स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा तात्विक विशिष्टियों में तात्विक सीमा तक संपुष्ट नहीं किया जाता है। आवश्यक केवल यह है कि हितबद्ध गवाह के साक्ष्य को सावधानी पूर्ण संवीक्षण के अध्यधीन किया जाना चाहिए और सतर्कता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि ऐसे संवीक्षण पर, हितबद्ध परिसाक्ष्य अंतर्निहित रूप से विश्वसनीय अथवा अधिसंभाव्य पाया जाता है, यह स्वयं में, मामला विशेष की परिस्थितियों में, उस पर दोषसिद्धि अधिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।''

22. पूर्वोक्त उद्घोषणाओं से स्पष्ट है कि समस्त हितबद्ध गवाहों का साक्ष्य अधिक सतर्कता एवं चौकसी से संवीक्षित किया जाना है, किंतु ऐसा साक्ष्य मात्र इस अभिवचन पर ठुकराया नहीं जा सकता है कि वे मृतक से संबंधित हैं और, इसलिए, पक्षपाती गवाह हैं। जैसा कथन हमने ऊपर किया है कि अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 के साक्ष्य के सावधानीपूर्ण संवीक्षण पर उनका साक्ष्य इस तथ्य को विश्वसनीयता देता है कि अपीलार्थी विमल स्वांसी के साथ जबरन घर में घुसा था, तूपन सिंह को घसीटा था और अंततः ट्यूब वेल के निकट उसकी हत्या की थी। अतः, अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 के साक्ष्य की पवित्रता उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं संपुष्टिकारी प्रकृति की दृष्टि में मात्र इसलिए पतली नहीं की जा सकती है अथवा ठुकरायी नहीं जा सकती है क्योंकि अपीलार्थी ने अभिवचन किया है कि वे हितबद्ध गवाह हैं।

23. जहाँ तक सूचक के गैर परीक्षण के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का संबंध है, ऐसा साक्ष्य, जैसी चर्चा ऊपर की गयी है, अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 के साक्ष्य की पृष्ठभूमि में अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं होगा जो तूपन सिंह की हत्या की कारिता में अपीलार्थी की भागीदारी सिद्ध करते हैं, बचाव अ॰ सा॰ 3, 4, 5 एवं 6 के साक्ष्य में सूराख करने में विफल रहा हैं। वस्तुतः अभियोजन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा सम्यक रूप से समर्थित किया गया है। अतः, ऐसे गवाह विश्वसनीय हैं और उनका परिसाक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 तथा डायन प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन दोषसिद्धि किया है। अतः, अभियोजन द्वारा अपना मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने पर हम दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार, अपील गुणागुण रहित होने के कारण इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

माननीय राजेश शंकर, न्यायमूर्ति

मनोज कुमार सिन्हा एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2750 of 2018. Decided on 14th June, 2018.

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963—धारा 16(c)—अभिधान वाद—याचीगण वर्ष 1986 में याचीगण की माता और प्रश्नगत भूमि के मूल स्वामी के बीच निष्पादित किया गया बताए गए विक्रय करार के बूते पर प्रश्नगत परिसर पर अपने अधिकारवान कब्जा का दावा कर रहे हैं—चूँकि विनिर्दिष्ट पालन के लिये वादों से उद्‌भूत होनेवाली अपीलें अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं, नगरपालिका आयुक्त को उनके विरूद्ध बेदखली आदेश पारित करने का प्राधिकार नहीं था—याचीगण का मामला यह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कोई व्यादेश का आदेश पारित किया गया है, बल्कि मूल न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दाखिल वाद पहले ही खारिज कर दिए गए हैं—राँची नगर निगम भूमि/संपत्ति जिसे इसको संपत्ति के वास्तविक स्वामी द्वारा दान में दिया गया है से याचीगण को बेदखल करने के लिए अपनी अधिकारिता के अंतर्गत है—रिट याचिका खारिज। (पैराँ 5, 6, 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.—Mr. Ayush Aditya, For the Petitioners; M/s Rajiv Anand, Ashish Verma, Priya Aggrawal, For the Resp.-State; Mr. Prashant Kumar Singh, For the Resp.-RMC.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका ई॰ सी॰ केस सं॰ 3 वर्ष 2018 में प्रत्यर्थी सं॰ 4, नगरपालिका आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची द्वारा पारित दिनांक 7.6.2018 के आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा याचीगण को सड़क चौड़ा करने के लिए राँची नगर निगम (आर॰ एम॰ सी॰) को दान दिए गए परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया है।

2. रिट याचिका में यथा कथित मामला की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि किसी कृपा शंकर जायसवाल ने खाता सं॰ 27, भूखंड सं॰ 754, ग्राम कल्याणपुर थाना सं॰ 245, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची के अधीन भूमि (इसमें इसके बाद ''उक्त भूमि'' के रूप में निर्दिष्ट) का भाग बेचने के लिए याची सं॰ 1 की माता मोस्मात कौशल्या देवी और याची सं॰ 2 एवं 3 की माता सुशीला देवी के साथ दिनांक 25.1.1986 का दो भिन्न विक्रय करार किया था और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन उनको इसका प्रतीकात्मक कब्जा दिया। तत्पश्चात, याचीगण की माताओं ने उक्त भूमि पर घर निर्मित किया और अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसमें निवास कर रही थीं। याचीगण के हित पूर्वाधिकारियों का नाम राँची नगर निगम के अभिलेख में सम्यक रूप से नामांतरित किया गया था और उनके पक्ष में पानी–बिजली का कनेक्शन भी प्रदान किया गया था। और आज की तिथि वे इसके बदले किराया/कर का भुगतान कर रहे हैं। चूँकि दिनांक 25.1.1986 के विक्रय करार के निबंधनानुसार विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किए गए थे, याचीगण की माताओं द्वारा 29.7.2015 को विनिर्दिष्ट पालन के लिए वादों अर्थात अभिधान वाद सं॰ 105 एवं 106 वर्ष 2015 को दाखिल किया गया था, किंतु इन्हें दिनांक 22.2.2017 के आदेश के तहत खारिज किया गया था। तद्‌द्वारा व्यथित होकर, न्यायिक आयुक्त, राँची के न्यायालय के समक्ष सिविल अपील सं॰ 12 वर्ष 2017 एवं 13 वर्ष 2017 दाखिल किए गए हैं जो अभी भी लंबित

है। इस बीच, याचीगण ने दिनांक 5.4.2018 के पत्र सं॰ 448 में अंतर्विष्ट नोटिस प्राप्त किया, जिसके द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि भवन योजना सं॰ 54/455/10 मंजूर किया गया है और उक्त मंजूरी के निबंधनानुसार, भूस्वामी ने भूमि के 9.18 डिसमिल के संबंध में राँची नगर निगम के पक्ष में दान विलेख निष्पादित किया है जिस पर परिवाद के मुताबिक याचीगण अवैध रूप से काबिज हैं। याचीगण को राँची नगर निगम के नगरपालिका आयुक्त, राँची के न्यायालय में 14.4.2018 तिथि नियत करते हुए 48 घंटों के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचीगण ने नोटिस का उत्तर दाखिल किया और दावा किया कि वे दिनांक 25.1.1986 के विक्रय करार के फलस्वरूप उक्त भूमि पर काबिज है किंतु नगरपालिका आयुक्त, राँची ने दिनांक 7.6.2018 के आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि याचीगण उक्त भूमि के अवैध अधिभोग में हैं और आगे संबंधित अधिकारी को इसका कब्जा लेने का निर्देश दिया।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है क्योंकि आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण उक्त भूमि के अवैध अधिभोग में नहीं हैं बल्कि उन्हें विक्रय करार के फलस्वरूप इसका प्रतीकात्मक कब्जा दिया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने भूमि के अपने परस्पर भाग पर घर निर्मित किया है और उसमें रह रहे हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए वादों को भी दाखिल किया था और मूल न्यायालय द्वारा इनकी खारिजी के बाद याचीगण द्वारा दाखिल अपीलें अभी भी लंबित हैं। यह निवेदन भी किया गया है कि उक्त भूमि से संबंधित विवाद अभी भी अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, अत: नगरपालिका आयुक्त को याचीगण के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित करने का प्राधिकार नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण के विरूद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही अधिक्रमण कार्यवाही है, किंतु उनके विरूद्ध आदेश पारित करते हुए बिहार (अब झारखंड) सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया था। याचीगण को आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था क्योंकि दिनांक 7.6.2018 के आदेश की प्रति उनको 9.6.2018 को उपलब्ध करायी गयी थी जो शनिवार था और सोमवार की सुबह अर्थात 11.6.2018 को राँची नगर पालिका, परिषद, राँची के अधिकारियों ने याचीगण का दुकान सील कर दिया था, जिसमें जल्दी खराब होने वाले माल पड़े थे, तद्द्वारा याचीगण को अपूरणीय क्षति एवं उपहति कारित हुआ था। आगे यह निवेदन किया गया है कि मामला शुद्धत: सिविल वाद है जिसे केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है और इस प्रकार, नगरपालिका आयुक्त द्वारा पारित आदेश किसी अधिकारिता के बिना है। यह निवेदन भी किया गया है कि याचीगण ने 2015 में ही विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित किया है, जब कि राँची नगर निगम, राँची के आदेश द्वारा नोटिस वर्ष 2018 में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, याचीगण द्वारा दाखिल अपीलें अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित थीं जब झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अधीन नोटिस जारी किया गया था और, इसलिए, दिनांक 7.6.2018 का आदेश एवं ई॰ सी॰ केस सं॰ 3 वर्ष 2018 में संपूर्ण कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने की दायी हैं।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी राँची नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश याचीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण उक्त भूमि पर अवैध रूप से काबिज हैं जिसे इसके स्वामी द्वारा आर॰ एम॰

सी॰ को सम्यक रूप से दान में दिया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने भवन योजना जिसमें उक्त भूमि का कुछ भाग राँची नगर निगम को दान में दिया गया था के विरूद्ध नगरपालिका आयुक्त, राँची के समक्ष बिहार नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 188 सहपठित धाराएँ 192 एवं 193 के अधीन आपत्ति दाखिल किया था। नगरपालिका आयुक्त ने दिनांक 1.10.2015 के आदेश के तहत याचीगण की आपत्ति अस्वीकार कर दिया, जिसे उनके द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी और इस दशा में, इसने अंतिमता प्राप्त कर लिया। इस प्रकार, याचीगण शुद्ध हृदय से इस न्यायालय के पास नहीं आए हैं और इस दशा में वे असाधारण रिट अधिकारिता के अधीन किसी अनुतोष के योग्य नहीं हैं।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और रिट याचिका की विषयवस्तु का परिशीलन किया गया। याचीगण वर्ष 1986 में याचीगण की माताओं और प्रश्नगत भूमि के मूल स्वामी के बीच निष्पादित किए गए बताए गए विक्रय करार के बूता पर प्रश्नगत परिसर पर अपने अधिकारवान कब्जा का दावा कर रहे हैं जबकि आर॰ एम॰ सी॰ ने प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 जो उक्त भूमि के रजिस्टर्ड स्वामी हैं द्वारा निष्पादित दान विलेख के बूता पर उक्त भूमि पर अपनी कार्रवाई को न्यायोचित ठहराया है।

6. चूँकि विनिर्दिष्ट पालन के लिए वादों की खारिजी के विरूद्ध याचीगण द्वारा दाखिल अपीलें अभी भी अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उक्त भूमि पर याचीगण के दावा के गुणागुण पर टिप्पणी करना समुचित नहीं होगा क्योंकि यह अपीलीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रभावित कर सकता है।

7. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि कुछ अन्य भूमि सहित उक्त भूमि वर्ष 2012 में संतोष कुमार जायसवाल और सुनील कुमार जायसवाल, दोनों कृपा शंकर जायसवाल के पुत्र, द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 को बेची गयी थी। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 का उक्त भूमि पर आवासीय-सह-वाणिज्यिक भवन निर्मित करने का आशय था और इस दशा में, उन्होंने आर॰ एम॰ सी॰ से योजना मंजूर करवाया और अपनी भूमि का कुछ भाग रोड चौड़ा करने के लिए आर॰ एम॰ सी॰ को दान में दिया। जब याचीगण को नक्शा मंजूर होने के बारे में जानकारी हुई, उन्होंने इस आधार पर कि आर॰ एम॰ सी॰ को दान में दी गयी भूमि याचीगण की संपत्ति है और प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 को इसे दान में देने का अधिकार नहीं है, भवन योजना के रद्दकरण के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 188 सहपठित धाराएँ 192 एवं 193 के अधीन नगर पालिका आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के समक्ष आपत्ति दाखिल किया। नगर पालिका आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची ने दिनांक 1.10.2015 के आदेश के तहत याचीगण का दावा खारिज करते हुए संप्रेक्षित किया कि वे उक्त भूमि पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे। याचीगण ने किसी उच्चतर फोरम के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिया था, इस प्रकार उक्त आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर लिया। इस बीच उक्त भूमि पर अधिक्रमण अभिकथित करते हुए याचीगण के विरूद्ध परिवाद प्राप्त किया गया था जिसके अनुसरण में ई॰ सी॰ केस सं॰ 3 वर्ष 2018 संस्थित किया गया था और याचीगण को कारण बताने का नोटिस दिया गया था और अंततः डब्लू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 3072 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 4.5.2017 के इस न्यायालय के आदेश पर विश्वास करते हुए उनके विरूद्ध 7.6.2018 को बेदखली आदेश पारित किया गया था।

8. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि दिनांक 7.6.2018 का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में पारित किया गया है। किंतु, अभिलेख के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि याचीगण को उक्त कार्यवाही में नोटिस दिया गया था और उन्होंने अपना उत्तर दाखिल किया। चूँकि याचीगण का दावा पहले ही नगरपालिका आयुक्त द्वारा दिनांक 1.10.2015 के आदेश के तहत विनिश्चित

किया गया था और ई॰ सी॰ केस सं॰ 3 वर्ष 2018 में याचीगण द्वारा यही दृष्टिकोण लिया गया था, नगरपालिका आयुक्त ने पूर्व आदेश जिसने अंतिमता प्राप्त कर लिया था पर विश्वास करते हुए याचीगण के विरूद्ध बेदखली का आक्षेपित आदेश पारित किया। क्योंकि वे भूमि के रजिस्टर्ड स्वामी द्वारा राँची नगर निगम को दान में दी गयी संपत्ति पर काबिज थे। याचीगण ने इस न्यायालय के समक्ष भी वही दृष्टिकोण लिया है जो उन्होंने नगरपालिका आयुक्त के समक्ष लिया था। इस प्रकार, मैं विद्वान नगरपालिका आयुक्त के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ। याचीगण ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किया है कि उन्हें अपने दावा के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अवर न्यायालय के समक्ष पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। भले ही याचीगण का दावा स्वीकार किया जाता है, उनपर कोई प्रतिकूलता कारित हुई नहीं प्रतीत होती है क्योंकि याचीगण ने उक्त भूमि पर अपने प्रथम दृष्टया अधिकार, अभिधान एवं हित के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लाया है। इसके विपरीत, अभिलेख से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 उक्त भूमि के रजिस्टर्ड स्वामी हैं और आवासीय-सह-वाणिज्यिक भवन के नक्शा को मंजूर करवाने के लिए उन्होंने भूमि जो याचीगण के कब्जा में है सहित भूमि का भाग राँची नगर निगम को दान में दिया।

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तर्क पर काफी जोर दिया गया है कि चूँकि विनिर्दिष्ट पालन के लिए वादों से उद्‌भूत होने वाली अपीलें अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, नगरपालिका आयुक्त को उनके विरूद्ध बेदखली आदेश पारित करने का प्राधिकार नहीं था। याचीगण का मामला यह नहीं हैं कि उनके पक्ष में अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यादेश का कोई आदेश पारित किया गया है, बल्कि मूल न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दाखिल वादों को पहले ही खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, राँची नगर निगम उक्त भूमि/संपत्ति जिसे संपत्ति के वास्तविक स्वामी द्वारा इसे दान में दिया गया है से याचीगण को बेदखल करने के लिए अपनी अधिकारिता के अंतर्गत है।

10. पूर्वोक्त परिस्थिति पर विचार करते हुए, मैं नगरपालिका आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची द्वारा पारित दिनांक 7.6.2018 के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ ताकि असाधारण रिट अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके। किंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश याचीगण के मामला पर किसी लंबित सिविल कार्यवाही में प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा।

11. तद्‌नुसार, रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

राज कुमार सोगानी उर्फ राज कुमार जैन एवं अन्य

बनाम

नंद किशोर खंडेलवाल एवं अन्य

W.P.(C) No. 4018 of 2012. Decided on 10th May, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XXII नियम 4(2)—अतिरिक्त लिखित कथन—सी॰पी॰सी॰ के आदेश XXII नियम 4(2) के अधीन प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल कर सकता है—किंतु, प्रतिस्थापित प्रतिवादी मूल प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित कथन अपनाना चुन सकता है और यदि ऐसा किया गया है, इस आधार पर कि प्रतिवादी

के प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधि अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहा है, ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए वाद रखा नहीं जा सकता है—सामान्यतः पक्षों को गुणागुण पर वाद का प्रतिवाद करने और सर्वोत्तम साक्ष्य देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए—टेक्निकल नॉक-आउट से बचना चाहिए। (पैरा 15)

अधिवक्तागण.—Mr. Ayush Aditya, For the Petitioners; None, For the Respondents.

आदेश

अभिलेख प्रकट करते हैं कि प्रत्यर्थीगण पर वर्ष 2012 में ही नोटिस वैध रूप से तामील किया गया था किंतु वे वर्तमान कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए हैं।

2. याचीगण, अभिधान वाद सं॰ 21 वर्ष 1993 में प्रतिवादी सं॰ 1(a), (b) एवं 1(c), दिनांक 24.5.2012 के आदेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा वाद उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए रखा गया था और दिनांक 19.6.2012 के आदेश से भी व्यथित है जिसके द्वारा दिनांक 24.5.2012 के आदेश की वापसी इप्सित करने वाला आवेदन अस्वीकार किया गया है।

3. अभिधान वाद सं॰ 21 वर्ष 1993 बंधक के मोचन की डिक्री के लिए संस्थित किया गया था। याचीगण वाद में प्रतिवादी सं॰ 1 के विधिक उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि हैं। प्रतिवादी सं॰ 1 की मृत्यु 5.9.2006 को हो गयी। दिनांक 22.7.2010 के आदेश द्वारा उसके स्थान में याचीगण प्रतिस्थापित किए गए थे। दिनांक 19.6.2012 का आक्षेपित आदेश दर्ज करता है कि 27.7.2011 को याचीगण पर समन तामील किया गया था, किंतु उन्होंने अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल नहीं किया था और वाद में उपस्थित नहीं हुए थे और परिणामस्वरूप, दिनांक 24.5.2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा वाद उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए रखा गया था।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपने अधिवक्ता अर्थात भैया नागेन्द्र नारायण की मृत्यु के कारण वाद में याचीगण का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और उनको अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने के लिए केवल पाँच दिन का समय देने के बाद 24.5.2012 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए वाद रखा गया था।

5. सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 4(2) के अधीन प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल कर सकता है, किंतु, प्रतिस्थापित प्रतिवादी मूल प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित कथन अपनाना चुन सकता है और यदि ऐसा किया गया है, इस आधार पर कि प्रतिवादी के प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधि अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने में विफल हुआ है, ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध वाद एकपक्षीय सुनवाई के लिए नहीं रखा जा सकता है। निःसंदेह, 27.7.2011 को उन पर समन के तामील के बाद याचीगण ने मामलों में कदम नहीं उठाया है, किंतु उन्होंने अपनी ओर से ऐसे व्यतिक्रम के लिए तर्क संगत स्पष्टीकरण दिया है। याचीगण ने अभिवचन किया है कि अधिवक्ता की मृत्यु के बारे में सूचना उनको अधिवक्ता के लिपिक द्वारा 2.6.2012 को दी गयी थी और उन्होंने 4.6.2012 को दिनांक 24.5.2012 के आदेश की वापसी इप्सित करने वाला आवेदन दाखिल किया है। उक्त तथ्यों में, मेरा मत है कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश IX नियम 7 के अधीन आवेदन विचारण न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञात किया जाना चाहिए था। यह इस कारण से भी आवश्यक है कि सामान्यतः पक्षों को गुणागुण पर वाद का प्रतिवाद करने और सर्वोत्तम साक्ष्य देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, टेक्निकल नॉक आउट से बचना चाहिए।

6. इस प्रकार, दिनांक 24.5.2012 और 19.6.2012 के आक्षेपित आदेशों में गंभीर दुर्बलता पाते हुए इन्हें अपास्त किया जाता है। याचीगण दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना अतिरिक्त लिखित कथन,

यदि हो, दाखिल करेंगे किंतु प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा दाखिल लिखित कथन में अभिवचनित तथ्यों के विस्तृत वर्णन अथवा स्पष्टीकरण तक कठोरतापूर्वक सीमित और वे चार सप्ताह की अवधि के भीतर गवाहों की सूची दाखिल करेंगे यदि पहले ही इसे दाखिल नहीं किया गया है।

7. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

शांति कुमार केशवदेव पोद्दार उर्फ एस॰ के॰ पोद्दार

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

W.P.(C) No.3815 of 2010. Decided on 14th May, 2018.

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1952—धारा 8(1)(b)—स्थावर संपत्ति अधिग्रहण एवं अर्जन नियमावली, 1953—नियम 9(5)(i)—माध्यस्थम की नियुक्ति—मुआवजा के संबंध में विरोध याची द्वारा स्वयं मुआवजा प्राप्त करने के समय पर दर्ज किया गया था—याची ने 15 दिनों की अवधि के भीतर अथवा अपना विरोध दर्ज किया था और तत्पश्चात एक माह की अवधि के भीतर याचिका भी दाखिल किया था—याची ने जो कुछ भी करना था किया था और याची पर विलंब अथवा ढिलाई अभ्यारोपित नहीं किया जा सकता है—उपायुक्त को माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से मामला भारत संघ को निर्दिष्ट करना चाहिए था—झारखंड राज्य को मामला में माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से मामला महानिदेशक, रक्षा संपदा को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया गया—रिट याचिका अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.—1995 Suppl. (4) SCC 660—Distinguished.

अधिवक्तागण.—M/s Vikas Pandey, Piyush Poddar, For the Petitioner; M/s Rajiv Sinha, Niraj Kumar, For the Respondents; Mr. Arup Kumar Dey, For the Resp. No.4.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री विकास पांडे सुने गए।

2. प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 की ओर से उपस्थित श्री नीरज कुमार, अधिवक्ता द्वारा सहायित भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल श्री राजीव सिन्हा सुने गए।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अरूण कुमार डे सुने गए।

4. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गयी है:—

(a) राँची नगरपालिका, ग्राम मोराबादी (अब बरियातू), राँची के वार्ड 1 में 1.51 एकड़ क्षेत्रफल माप वाली एम० एस० भूखंड सं० 94 जो याची के नाम है जिसे दिनांक 27.2.1987 की अधिसूचना के तहत अर्जित किया गया है अर्थात याची की भूमि के संबंध में न्यायोचित एवं समुचित मुआवजा के नियतकरण के लिए स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1952 (इसमें इसके बाद आर० ए० आई० पी० अधिनियम कहा गया) की धारा 8(1) (b) के निबंधनानुसार माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश के लिए

(b) आर॰ ए॰ आई॰ पी॰ अधिनियम की दृष्टि में उक्त भूमि के संबंध में आवर्ती मुआवजा नियत करने के लिए।''

5. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि राँची शहर में मोराबादी में अवस्थित नगरपालिका सर्वे भूखंड सं॰ 94 में 1.51 एकड़ मापवाली भूमि संबंधित प्रत्यर्थियों द्वारा स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अधीन शक्ति के प्रयोग में अर्जित की गयी थी। वह निवेदन करते हैं कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 30.4.1986 के पत्र सं॰ 7777/7/Q31LA (COLL)/ 192/S/D (भूमि) के तहत याची की पूर्वोक्त संपत्ति सहित भूमि के विशाल टुकड़ा का स्थायी रूप से अर्जित करने के लिए मंजूरी प्रदान किया और तद्नुसार एल॰ ए॰ केस सं॰ 2 (मिलिट्री) वर्ष 86-87 शुरु किया गया और याची के नाम में अधिनिर्णय तैयार किया गया था और उपायुक्त, राँची ने अधिनिर्णीती को 5,55,482.19/- रुपया का भुगतान मंजूर किया। याची निवेदन करता है कि अधिनिर्णय 1.3.1989 को तैयार किया गया था और याची ने 8.3.1989 को विरोध के अधीन उक्त राशि प्राप्त किया था। तत्पश्चात, याची ने 7.4.1989 को एल॰ ए॰ केस सं॰ 2 (मिलिट्री) वर्ष 86-87 में समाहर्ता (उपायुक्त, राँची) के न्यायालय में याचिका दाखिल किया जो माध्यस्थम की नियुक्ति और माध्यस्थम द्वारा मुआवजा के विनिश्चयकरण के लिए मामला निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी है। याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन नियमावली, 1953 के नियम 6 के प्रावधानों के मुताबिक विरोध अधिनिर्णय की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज किया गया था और तत्पश्चात याची ने अधिनिर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद 7.4.1989 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विस्तारपूर्ण याचिका सम्यक रूप से दाखिल किया। याची के अनुसार, 17.4.1989 को दाखिल उक्त याचिका सक्षम प्राधिकारी द्वारा माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से प्रत्यर्थी सं॰ 1 को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था किंतु ऐसी कार्रवाई नहीं किए जाने पर याची ने इस रिट याचिका को दाखिल किया है। वह निवेदन करते हैं कि माध्यस्थम की नियुक्ति प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा की जानी होगी और न कि राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा और मुआवजा स्वीकार करने के समय पर विरोध दर्ज किए जाने के बावजूद, जिसे 7.4.1989 को विस्तारपूर्ण याचिका दाखिल करके पूरित किया गया था, प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा माध्यस्थम की नियुक्ति नहीं की गयी है और इसलिए माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से प्रत्यर्थी सं॰ 1 को समुचित निर्देश दिया जाए। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 को माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 1 को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया जाए। वह निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन पक्षों के बीच फॉर्म के॰ में करार नहीं हुआ है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उपायुक्त, राँची द्वारा जारी दिनांक 23.9.2010 के पत्र के तहत माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए झारखंड राज्य के अनेक प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था।

7. प्रत्यर्थी भारत संघ के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि भारत संघ द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याची माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए अधिनिर्णय की तिथि से लगभग 20 वर्ष बीतने के बाद इस उच्च न्यायालय के पास आया है। याची की प्रार्थना परिसीमा द्वारा वर्जित है। स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन नियमावली, 1953 के नियम 9(5) (i) में स्पष्टत: अधिकथित किया गया है और **1995 Supp (4) SCC 660 (भारत संघ एवं अन्य बनाम मुंशा एवं अन्य)** में प्रकाशित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक भी, कि मुआवजा

की मात्रा से व्यथित कोई व्यक्ति माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए मुआवजा की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित में सक्षम प्राधिकारी के पास जा सकता है और तद्नुसार प्रत्यर्थी भारत संघ के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिशपथ पत्र में भारत संघ द्वारा लिए गए पूर्वोक्त दृष्टिकोण के कारण याची को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद यह न्यायालय पाता है कि 1.3.1989 को अधिनिर्णय तैयार किया गया था जिसे याची द्वारा 8.3.1989 को विरोध के अधीन प्राप्त किया गया था।

9. स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन नियमावली, 1953 के नियम 9(5)(i) का पठन निम्नलिखित है:–

> *"9.5(i) प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्ताव की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्ताव के अपने स्वीकरण अथवा अन्यथा सक्षम प्राधिकारी को लिखित में संसूचित करेगा। यदि वह प्रस्ताव स्वीकार करता है, सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार की ओर से उसके साथ फॉर्म 'के०' में करार करेगी।"*

10. इस तथ्य से, यह न्यायालय पाता है कि मुआवजा के संबंध में विरोध याची द्वारा स्वयं मुआवजा की प्राप्ति के समय पर किया गया था। तद्नुसार, फॉर्म के॰ में कोई करार करने का प्रश्न नहीं है जिसे स्वीकृत रूप से वर्तमान मामला में नहीं किया गया है। बाद में, याची ने माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक माह के भीतर 7.4.1989 को अपना विस्तारपूर्ण याचिका दाखिल किया किंतु उपायुक्त ने मामला प्रत्यर्थी सं॰ 1 को निर्दिष्ट करने के बजाए माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन राज्य सरकार के अनेक प्राधिकारियों को मामला निर्दिष्ट किया है और यह प्रतीत होता है कि इस कारण से भारत संघ द्वारा माध्यस्थम नियुक्त नहीं किया जा सका था। आगे यह प्रतीत होता है कि माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से भारत संघ को संसूचना नहीं भेजी गयी है। यह न्यायालय पाता है कि याची ने 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना विरोध दर्ज किया था और तत्पश्चात एक माह की अवधि के भीतर याचिका भी दाखिल किया था और तद्नुसार याची जो कुछ भी कर सकता था, उसने किया था और मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में याची को विलंब या ढिलाई के लिये उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। यह न्यायालय आगे पाता है कि उपायुक्त को माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से मामला प्रत्यर्थी सं॰ 1 को निर्दिष्ट करना चाहिए था किंतु इसके बजाए उपायुक्त ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों को पत्रों को जारी किया था जिसने मामला में आगे विलंब कारित किया है। आगे, यह न्यायालय पाता है कि भारत संघ द्वारा निर्दिष्ट **भारत संघ बनाम मुंशा (ऊपर)** में निर्णय किसी भी तरीके से प्रत्यर्थियों की मदद नहीं करता है क्योंकि वर्तमान मामला में विरोध याची द्वारा स्वयं मुआवजा की प्राप्ति के समय पर दर्ज किया गया था और तद्नुसार पक्षों के बीच फॉर्म के॰ के अधीन करार नहीं हुआ था। पूर्वोक्त ताथ्यिक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं॰ 4 को मामला में माध्यस्थम की नियुक्ति के प्रयोजन से मामला प्रत्यर्थी सं॰ 1 को निर्दिष्ट करने का निर्देश देता है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है और आगे प्रत्यर्थी सं॰ 1 को प्रत्यर्थी सं॰ 4 से संसूचना की प्राप्ति से दो माह की अवधि के भीतर स्थावर संपत्ति

का अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 8 सहपठित स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन नियमावली, 1953 के निबंधनानुसार माध्यस्थम नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

11. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याची के दावा के गुणागुण पर विचार नहीं किया है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

श्रीमती पूनम दास एवं अन्य

बनाम

श्रीमती सियामनि शर्मा एवं अन्य

W.P.(C) No.3174 of 2010. Decided on 16th May, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश VIII, नियम 1—लिखित कथन—परिसीमा—लिखित कथन दाखिल करने की अधिकतम अवधि 120 दिन है—सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII, नियम 1 के अधीन प्रावधानित अवधि यद्यपि पक्षों पर बाध्यकारी है, न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है—समुचित मामलों में लिखित कथन दाखिल करने की अवधि न्यायालयों द्वारा बढ़ायी जा सकती है—परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII, नियम 1 के अधीन आवेदन में प्रयोज्य नहीं है—सामान्यतः पक्षों को गुणागुण पर वाद का प्रतिवाद करने एवं साक्ष्य देने की अनुमति दी जाएगी—टेक्निकल नॉक आउट से बचना न्यायालय का दृष्टिकोण होना चाहिए। (पैरा 4)

निर्णयज विधि.—(2005) 4 SCC 480—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Jay Shankar Tiwary, Neeta Krishna, For the Petitioners; Mr. Abhishek Kumar Dubey, For the Respondents.

आदेश

याचीगण, अभिधान वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 में प्रतिवादी सं॰ 3, 5 एवं 6 दिनांक 16.3.2010 के आदेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा दिनांक 2.7.2009 एवं 8.9.2009 के आदेशों की वापसी के लिए उनका आवेदन अस्वीकार किया गया है।

2. अभिधान वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 श्रीमती सियामनि शर्मा द्वारा स्वयं का सर्वमंगलम का अध्यक्ष और उक्त सोसाइटी के सदस्य होने का दावा करते हुए घोषणा की डिक्री के लिए संस्थित किया गया था कि सोसाइटी की आम सभा के निर्णय द्वारा दिनांक 4.11.2007 का समाप्ति आदेश और दिनांक 6.11.2007 की समस्त संसूचनाएँ जिनके द्वारा सोसाइटी में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गयी है, अवैध, शून्य एवं अप्रवृत्त है। वादीगण ने यह घोषणा भी इप्सित किया है कि 26.8.2007 को की गयी सर्वमंगलम सोसाइटी की प्रबंध कमिटी की बैठक की विवरणी अवैधानिक अवैध एवं अप्रवृत्त है। जब प्रतिवादीगण वाद में उपस्थित नहीं हुए थे, प्रतिवादी सं॰ 3 एवं 5 को दिनांक 2.7.2009 के आदेश द्वारा लिखित कथन दाखिल करने से अपवर्जित किया गया था तथा प्रत्यथी। सं॰ 6 को दिनांक 8.9.2009 के आदेश द्वारा लिखित कथन दाखिल करने से अपवर्जित किया गया था। इन आदेशों द्वारा वाद प्रतिवादी सं॰ 3, 5 एवं 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के लिए रखा गया था। अन्य प्रतिवादियों जिन पर 24.2.2009 को तामील किया गया था को भी दिनांक 25.5.2009 के आदेश द्वारा लिखित कथन दाखिल करने से

अपवर्जित किया गया था। यह अभिवचन करते हुए कि उन्हें अभिधान वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 के लंबित रहने की जानकारी नहीं थी और उनपर वाद में समन तामील नहीं किया था, प्रतिवादी सं॰ 3, 5 एवं 6 ने पूर्वोक्त आदेशों जिनके द्वारा वाद उनके विरूद्ध एकपक्षीय रखा गया था कि वापसी इप्सित करते हुए दिनांक 12.10.2009 एवं 20.11.2009 का आवेदन दाखिल किया इन आवेदनों को दिनांक 16.3.2010 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज किया गया है।

3. दिनांक 16.3.2010 के आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए याचीगण ने दिनांक 13.1.2010 के आदेश की प्रति अभिलेख पर लाया है जिसके द्वारा विचारण न्यायाधीश ने प्रतिवादी सं॰ 1, 2 एवं 4 को अभिधान वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 में लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दिया है। उक्त आदेश में, विचारण न्यायाधीश ने दर्ज किया है कि प्रतिवादियों का बहुमूल्य हित वाद में अंतर्ग्रस्त है।

4. सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश VIII नियम 1 प्रावधानित करता है कि समन के तामील के 30 दिनों के भीतर प्रतिवादीगण बचाव का अपना लिखित कथन दाखिल करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2002 के संशोधन द्वारा 30 दिनों की यह अवधि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 के परन्तुक के अधीन 90 दिनों तक बढ़ायी गयी है। (अब यह अवधि दिनांक 23.10.2015 के संशोधन द्वारा 120 दिनों तक बढ़ायी गयी है। संहिता के अधीन प्रावधान जिन्हें संशोधित किया गया है, जैसे सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश VIII नियम 1, वाद के शीघ्रातीशीघ्र निपटनान के लिए आशयित है। विवाद कि क्या सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 के अधीन विहित अवधि आज्ञापक है या निदेशात्मक, जिसे सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 में वर्ष 2002 के संशोधन के बाद सुलगाया गया था को **कैलाश बनाम ननकू, (2005)4 SCC 480** में निर्णय सहित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब यह सुस्थापित है कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 के अधीन प्रावधानित अवधि यद्यपि पक्षों पर बाध्यकारी है, न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है और समुचित मामलों में लिखित कथन दाखिल करने की अवधि न्यायालयों द्वारा बढ़ायी जा सकती है। दिनांक 16.3.2010 का आक्षेपित आदेश केवल याचीगण का दृष्टिकोण दर्ज करता है कि उन पर समन तामील नहीं किया गया था। यदि याचीगण द्वारा किया गया पूर्वोक्त अभिवचन झूठा नहीं पाया गया है। उन्होंने वाद में अपनी विलंबित उपस्थिति के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिया है; विचारण न्यायाधीश ने दिनांक 16.3.2010 के अपने आदेश में निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि याचीगण पर वाद में उनकी उपस्थिति के पहले समन तामील नहीं किया गया था। एकपक्षीय आदेशों की वापसी के लिए याची द्वारा दाखिल आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए दिनांक 16.3.2010 के आदेश में परिलक्षित एक अन्य आधार यह है कि याचीगण ने विलंब की माफी इप्सित करते हुए आवेदन दाखिल नहीं किया है। विचारण न्यायाधीश का संप्रेक्षण विधि की जानकारी की कमी परिलक्षित करता है। सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 के अधीन आवेदन में, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 प्रयोज्य नहीं है। सामान्यत: पक्षों को साक्ष्य देने तथा गुणागुण पर वाद का प्रतिवाद करने की अनुमति दी जाएगी और जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है टेक्निकल नॉकआउटस से बचना न्यायालय का दृष्टिकोण होना होगा।

5. उक्त तथ्यों में, दिनांक 16.3.2010 के आक्षेपित आदेश में गंभीर दुर्बलता पाते हुए इसे अभिखंडित किया जाता है। रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। याचीगण 15.6.2018 को अथवा इसके पहले लिखित कथन दाखिल करेंगे और तत्पश्चात अभिधान वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 में विचारण शीघ्रातीशीघ्र अग्रसर होगा।

6. दिनांक 26.11.2010 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

7. इस आदेश की प्रति तुरन्त फैक्स के माध्यम से विचारण न्यायालय को संप्रेषित की जाए।

माननीय अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति

सहोदरा कुमारी

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (SJ) No.180 of 2006. Decided on 30th April, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 59 वर्ष 2005 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1 गुमला द्वारा पारित दिनांक 28.11.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धराएँ 363, 367 एवं 379—अपहरण एवं चोरी—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त-अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है—प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब स्वयं में अभियोजन मामला पर संदेह करने एवं इसे त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है—अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अनेक ग्रामीण सूचक के घर में जमा हुए और पीड़िता के बारे में पूछताछ किया और अभियुक्त अपीलार्थी को पूरी रात सूचक के घर में निरूद्ध किया गया था—यह सुयोग्य मामला नहीं है जहाँ अभियोजन मामला केवल प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के आधार पर त्यक्त किया जाना है—अभियुक्त अपीलार्थी को सही प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 363/367 एवं 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है—दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश संपुष्ट किया गया—अपील खारिज की गयी।

(पैराएँ 18 एवं 20)

निर्णयज विधि.—2006 (9) SCC 794—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Mohit Prakash, Vani Kumari, For the Appellants; Addl. P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

2. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ I, गुमला द्वारा सत्र विचारण सं॰ 59 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 28.11.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 367 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने एवं 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया है और पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दो वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. लिखित रिपोर्ट में प्रकट अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि 12.12.2004 को जब सूचक अपनी पत्नी के साथ सोनाटंगर में अपने कार्यस्थल गया था जहाँ वे पत्थर काटने के काम में लगे हुए थे, उसकी लगभग नौ वर्षीया पुत्री पुनीता तथा लगभग साढ़े तीन वर्षीय पुत्री सुनीता घर में थी। जब सूचक शाम 5 बजे अपने घर लौटा, उसे उसकी छोटी पुत्री द्वारा सूचित किया था कि सूचक की बड़ी पुत्री ने बक्सा तोड़ दिया था और सूचक ने पाया कि बक्सा में रखा गया 1500/- रुपया और उसकी पुत्री पुनीता का अन्य सामान उक्त बक्सा में नहीं था और उसकी पुत्री पुनीता भी गायब थी। तलाश किए जाने पर,

सूचक को जानकारी हुई कि उसकी पुत्री पुनीता पटरा टोली बस अड्डा पर खडी थी। पटरा टोली बस अड्डा पहुँचने पर सूचक ने अपनी पुत्री पुनीता को अभियुक्त–अपीलार्थी सहोदरा कुमारी के साथ खड़ा पाया। सूचक उन दोनों का अपने घर लाया। सूचना पाने पर गाँववाले सूचक के घर में जमा हुए और पूछताछ पर अभियुक्त अपीलार्थी ने सूचित किया कि वह इसके लिए 1000/- रुपया कमीशन पाने पर सूचक की पुत्री को दिल्ली ले जा रही थी और पूछताछ करने पर सूचक को जानकारी हुई कि अभियुक्त अपीलार्थी सहोदरा कुमारी लड़कियों की पेशेवर डीलर है। तब अभियुक्त को पुलिस थाना लाया गया था और सूचक की लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रायडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004, दर्ज किया और मामला का अन्वेषण किया।

4. अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, गुमला ने अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/34, 371/34 एवं 379/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया। अभियुक्त अपीलार्थी के आरोपों के प्रति निर्दोषिता का अभिवचन करने पर उसका विचारण किया गया था। अपने मामला के समर्थन में, अभियोजन ने कुल दस गवाहों का परीक्षण किया जबकि बचाव ने किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया।

5. अ॰ सा॰ 1 प्रदीप मिंज ने कथन किया है कि 12.12.2004 को शाम में वह रायडीह बस अड्डा में था। सूचक ने अपनी गायब पुत्री पुनीता को बस अड्डा में पाया। अभियुक्त अपीलार्थी पुनीता के साथ थी। गाँववाले और सूचक पुनीता और अभियुक्त अपीलार्थी को सूचक के घर लाए। गाँववालों द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी ने प्रकट किया कि वह छोटी लड़कियों को फुसलाती है और दिल्ली ले जाती है। अभियुक्त अपीलार्थी ने आगे प्रकट किया कि वह अवयस्क लड़कियों को घरेलू काम में लगवाती थी और इसके लिए अभियुक्त अपीलार्थी को प्रति लड़की 1000/- रुपया का भुगतान किया जाता है। अभियुक्त अपीलार्थी ने यह भी प्रकट किया कि एक सह अभियुक्त अर्थात शशि भी उसके काम में मदद करती है। अभियुक्त अपीलार्थी ने प्रकट किया कि पुनीता ने उसे 1500/- रुपया दिया जो पुनीता सूचक के घर से बक्सा तोड़ने के बाद लायी थी और अभियुक्त अपीलार्थी ने उक्त राशि शशि को दिया था। अभियुक्त अपीलार्थी ने आगे प्रकट किया कि वह पहले भी इस तरह का काम कर चुकी है। अ॰ सा॰ 1 ने न्यायालय में अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना। अभियुक्त अपीलार्थी ने भी अपना दोष संस्वीकार किया। अपने प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी सहोदरा को पकड़ा गया था और सूचक के घर लाया गया था। अ॰ सा॰ 1 एवं 20-25 अन्य व्यक्ति वहाँ जमा हुए।

6. अ॰ सा॰ 2 ज्ञानी बेक ने कथन किया है कि घटना 12.12.2004 की है। हल्ला सुनने पर, वह सूचक के घर गयी। उसने अभियुक्त अपीलार्थी को वहाँ बैठे देखा। अभियुक्त अपीलार्थी ने प्रकट किया कि वह पुनीता देवी को दिल्ली ले जा रही थी और आगे प्रकट किया कि वह प्रत्येक लड़की को दिल्ली ले जाने के लिए 1000/- रुपया कमीशन पाती है। अ॰ सा॰ 2 ने भी न्यायालय में अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना 'अपने प्रतिपरीक्षण में' उसने कथन किया कि हल्ला पर अनेक लोग जमा हुए।

7. अ॰ सा॰ 3 सबियल कुजुर ने कथन किया है कि वह 12.12.2004 को शाम 6 बजे सूचक के घर गयी। अभियुक्त अपीलार्थी सूचक की पुत्री को फुसला कर दिल्ली ले जा रही थी और पीड़िता को बस अड्डा लायी थी। अ॰ सा॰ 3 द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी ने प्रकट किया कि उसे प्रत्येक

लड़की को दिल्ली ले जाने के लिए 1000/- रुपयों का भुगतान किया जाता है। अभियुक्त अपीलार्थियों ने यह भी संस्वीकार किया कि उसने धन लिया जो सूचक के बक्सा में रखा था। अभियुक्त अपीलार्थी को पूरी रात सूचक के घर में निरूद्ध किया गया था और अगले दिन उसे पुलिस थाना ले जाया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि अभियुक्त अपीलार्थी पर प्रहार नहीं किया गया था।

8. अ॰ सा॰ 4 प्रकाश कुजुर ने कथन किया है कि 12.12.2004 को 6 बजे शाम में वह पटरा टोली बस अड्डा पर था। सूचक ने अ॰ सा॰ 4 को प्रकट किया कि अभियुक्त अपीलार्थी सूचक की पुत्री पुनीता को दिल्ली ले जा रही थी। गाँव वालों ने अभियुक्त अपीलार्थी को पकड़ा और उसको सूचक के घर ले गए। उसे पूरी रात सूचक के घर में रखा गया था। अभियुक्त अपीलार्थी ने संस्वीकार किया कि उसकी सहयोगी शशि सूचक का बक्सा तोड़वाने के बाद धन ले गयी थी। अभियुक्त अपीलार्थी को पूरी रात सूचक के घर निरूद्ध किया गया था और अगले दिन उसे पुलिस को सौंपा गया था। अपने प्रति–परीक्षण में अ॰ सा॰ 4 ने कथन किया है कि उस समय पर अनेक लोग बस अड्डा में थे।

9. अ॰ सा॰ 5 जसिंता मिंज ने कथन किया है कि वह 12.12.2004 को शाम 6 बजे हल्ला सुनकर सूचक के घर गयी। उसे मालूम हुआ कि अभियुक्त अपीलार्थी सूचक की पुत्री पुनीता को दिल्ली ले जा रही थी। अभियुक्त अपीलार्थी ने संस्वीकार किया कि उसकी एक सहयोगी शशि कुमारी है और शशि ने 1500/- रुपया लिया जो सूचक के घर में बक्सा में रखा हुआ था। अ॰ सा॰ 5 ने न्यायालय में अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि वह महिला मंडल के समस्त सदस्यों को नाम नहीं बता सकती है जो सूचक के घर में उपस्थित थी।

10. अ॰ सा॰ 6 रघु लोहरा मामला का सूचक है। उसने कथन किया है कि वह अपनी पत्नी के साथ पत्थर काटने सोना टांड गाँव गया था और उनकी पुत्री पुनीता एवं सुनीता घर पर थी। जब वह काम से लौटा, उसने पाया कि उसकी बड़ी पुत्री घर में नहीं थी। उसकी छोटी पुत्री सुनीता ने उसको सूचित किया कि खिराखाड़ की दो लड़कियाँ उनके घर आयी थीं और वे पुनीता को फुसलाकर अपने साथ ले गयीं। सूचक ने अपनी पुत्री को खोजा और उसे मालूम हुआ कि उसकी पुत्री पत्थरटोला बस अड्डा पर थी। बस अड्डा पहुँचने पर अ॰ सा॰ 6 ने अपनी पुत्री को पाया। उसकी पुत्री ने प्रकट किया कि अभियुक्त अपीलार्थी सहोदरा उसे दिल्ली ले जा रही थी। सहोदरा वहाँ उपस्थित थी और सूचक अ॰ सा॰ 6 द्वारा पूछे जाने पर सहोदरा ने प्रकट किया कि वह पुनीता को प्रशिक्षित करने उसे ले जा रही थी। पुनीता उस समय पर लगभग 9 वर्षीया थी। उस दिन अभियुक्त अपीलार्थी और उसकी सहयोगी शशि ने उसके घर से 1500/- रुपया चुराया। सूचक अ॰ सा॰ 6 ने अभियुक्त अपीलार्थी को 1500/- रुपया लौटाने को कहा अन्यथा वह उसे पुलिस थाना ले जाएगा। सहोदरा ने प्रकट किया कि उसे एक लड़की को दिल्ली ले जाने के लिए कमीशन के रूप में 1000/- रुपया मिलता था। सूचक अपनी पुत्री एवं अभियुक्त अपीलार्थी को अपने घर लाया वह रात होने के कारण अगले दिन अभियुक्त अपीलार्थी को पुलिस थाना ले गया जो सूचक अ॰ सा॰ 6 के घर से दूर था। अगले दिन उसने मामला रिपोर्ट किया और उसकी लिखित रिपोर्ट प्रदीप मिंज द्वारा तैयार किया गया था और उसने अंगूठा का निशान लगाया। उसने न्यायालय में अभियुक्त अपीलार्थी सहोदरा को पहचाना। अपने प्रतिपरीक्षण में, अ॰ सा॰ 6 ने कथन किया है कि उसने 500/- रुपयों का तीन नोट अपने बक्सा में रखा था। बस अड्डा में भारी भीड़ थी।

11. अ॰ सा॰ 7 स्वयं पीड़िता पुनीता है। गवाह के रूप में उसका परीक्षण करने के पहले साक्ष्य देने के लिए उसकी क्षमता अभिनिश्चित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उससे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसने कथन किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी न्यायालय में उसके अभिसाक्ष्य देने के लगभग सात माह पहले रविवार को दिल्ली ले जा रही थी। एक अन्य शशि नामक महिला अभियुक्त अपीलार्थी के साथ थी। अभियुक्त अपीलार्थी और शशि अ॰ सा॰ 7 के घर आयी और अ॰ सा॰ 7 को अपने साथ दिल्ली चलने को कहा क्योंकि अ॰ सा॰ 7 के पास अच्छा कपड़ा नहीं है। वे दोनों उसको उसके घर से आधा कि॰ मी॰ पर अवस्थित बस अड्डा ले गयी। उसका पिता शाम में बस अड्डा आया और दोनों अ॰ सा॰ 7 तथा अभियुक्त अपीलार्थी को अपने घर ले गया। शशि बस अड्डा से भाग गयी। गाँव वालों की उपस्थिति में अभियुक्त अपीलार्थी ने कथन किया कि वह अ॰ सा॰ 7 को काम पर लगाने दिल्ली ले जा रही थी। अपने प्रति परीक्षण में अ॰ सा॰ 7 ने कथन किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी केवल घटना की तिथि पर उसके घर आयी थी। पुलिस द्वारा अ॰ सा॰ 7 का परीक्षण किया गया था। अभियुक्त अपीलार्थी के मामा का घर अ॰ सा॰ 7 के गाँव में है। अ॰ सा॰ 7 ने आगे कथन किया कि वह बिरस मनि देवी को जानती है जो उसकी सौतेली माता है।

12. अ॰ सा॰ 8 बिरस मनि देवी पीड़िता पुनीता की माता है। उसने कथन किया है कि वह अपने पति के साथ काम करने गयी थी। अपने घर वापस पहुँचने पर उसे पता चला कि अभियुक्त अपीलार्थी पुनीता को बस अड्डा ले गयी थी। उसका पति बस अड्डा गया और पुनीता एवं अभियुक्त अपीलार्थी को लाया। अभियुक्त अपीलार्थी ने गाँववालों की मौजूदगी में संस्वीकार किया कि वह पुनीता को दिल्ली ले जा रही थी। उसने न्यायालय में अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि वह अपने पति की दूसरी पत्नी है।

13. अ॰ सा॰ 9 पॉल मिंज ने कथन किया है कि घटना 12.12.2004 की है। शाम लगभग 5 बजे हल्ला सुन कर वह अ॰ सा॰ 6 के घर गया। अभियुक्त अपीलार्थी को अ॰ सा॰ 4 के घर ले जाया गया था। अ॰ सा॰ 9 को जानकारी हुई कि अभियुक्त अपीलार्थी अ॰ सा॰ 6 सूचक की पुत्री को ले जा रही थी किंतु उसे बस अड्डा पर पकड़ा गया था। पुनीता की आयु लगभग 7 वर्ष होगी। सुभद्रा अभियुक्त अपीलार्थी सहोदरा के रूप में भी जानी जाती है। पुलिस द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया गया है। अभियुक्त अपीलार्थी ने अ॰ सा॰ 9 एवं अन्य को प्रकट किया कि वह प्रत्येक लड़की को दिल्ली ले जाने के लिए 1000/- रुपया कमीशन पाती है और यह कथन भी किया कि एक अन्य लड़की अर्थात शशि दिल्ली जाने के लिए अवयस्क लड़कियों को फुसलाने में अभियुक्त अपीलार्थी की मदद करती है। उसने यह भी संस्वीकार किया कि उसने सूचक के बक्सा का ताला तुड़वाया और धन ले लिया। अ॰ सा॰ 9 ने भी अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना जो न्यायालय में उपस्थित थी। अपने प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 9 ने कथन किया है कि जब वह अ॰ सा॰ 6 के घर गयी, वहाँ अ॰ सा॰ 6 के घर में 12-15 व्यक्ति थे।

14. अ॰ सा॰ 10 घीना किस्कू मामला का आई॰ ओ॰ है। उसने इस मामला में किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है। उसने सूचक का पुनर्बयान और अभियुक्त अपीलार्थी का बयान भी दर्ज किया है। अ॰ सा॰ 10 ने घटना स्थल का वर्णन किया है। उसने अन्य अभियुक्त शशि कुमारी के संबंध में कोई सुराग नहीं पाया था। उसको अन्य अभियुक्त शशि कुमारी के संबंध में अन्वेषण जारी रखा। लिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है। अपने प्रति परीक्षण में अ॰ सा॰ 10 ने कथन किया है कि अभियुक्त को गाँववालों द्वारा पुलिस थाना लाया गया था। उसने अन्वेषण के दौरान बक्सा जब्त नहीं किया था। अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी का

बयान न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था जिसमें उसने अपने विरूद्ध साक्ष्य में आने वाले अभिकथन से इनकार किया और निर्दोषिता का अभिवचन किया। विद्वान अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विचार में लेने के बाद अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया जैसा पहले ही उपर उपदर्शित किया गया है।

15. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती वीणा कुमारी निवेदन करती हैं कि विद्वान अवर न्यायालय ने साक्ष्य के अधिमान के विरूद्ध निर्णय पारित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर इसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा। सह अभियुक्त शशि के बारे में किसी सूचना की अनुपस्थिति में अभियोजन का संपूर्ण मामला अत्यन्त संदेहपूर्ण बन जाता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में लेने में विफल रहा कि घटना स्थल से पुलिस थाना की दूरी केवल दो कि॰ मी॰ होने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब अभियोजन मामला के बारे में संदेह सृजित करता है। यह निवेदन भी किया गया है कि अपीलार्थी के कब्जा से किसी बस टिकट अथवा धन की बरामदगी की अनुपस्थिति में विद्वान अवर न्यायालय को अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि अभियोजन मामला संदेह पूर्ण है। अत:, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी पहले ही दंडादेश की अवधि भुगत चुकी है।

16. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि समस्त दस गवाहों ने अभियोजन मामला का समर्थन किया है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/367 एवं 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं, अत: अभियुक्त अपीलार्थी को सही प्रकार से उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है, अत: अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाए।

17. न्यायालय में किए गए निवेदनों को सुनने तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि अ॰ सा॰ 7 पुनीता मामला की पीड़िता है। उसने स्पष्टत: कथन किया कि उसे अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा फुसलाया गया था। उसके परिसाक्ष्य के किसी तात्विक भाग के लिए अ॰ सा॰ 7 का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, अत: यह चुनौतीहीन बना रहता है। यह स्वीकार किया जाना है कि अ॰ सा॰ 7 का मौखिक परिसाक्ष्य अन्य गवाहों के परिसाक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है जो अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा उनके समक्ष स्वेच्छापूर्वक की गयी न्यायिकेतर संस्वीकृति के गवाह भी हैं जिसमें उसने संस्वीकार किया कि उसने पीड़िता पुनीता का उसके माता–पिता के विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण किया और सूचक अ॰ सा॰ 6 के बक्सा में रखे 1500/- रुपया की चोरी भी किया। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि अभियोजन के किसी तात्विक गवाह के परिसाक्ष्य की किसी तात्विक विशिष्टियों का प्रति परीक्षण नहीं किया गया है, इसे अभियोजन गवाहों के परिसाक्ष्य को त्यक्त अथवा अविश्वास करने के लिए किसी तर्क संगत कारण की अनुपस्थिति में स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि यह अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/367 एवं 379 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त है।

18. जहाँ तक प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के संबंध में अपीलार्थी के प्रतिवाद का संबंध है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब स्वयं में अभियोजन मामला पर संदेह एवं त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। **साहब राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 (9) SCC**

794, में सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित संप्रेक्षित करके विधि के सुस्थापित सिद्धांत का दोहराया है:–

> *''इस न्यायालय की विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब स्वयं में अभियोजन मामला पर संदेह करने एवं इसे त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब न्यायालय को यह पता करने के लिए तर्क करेगा कि क्या तर्क संगत स्पष्टीकरण दिया गया है और यदि दिया गया है, क्या यह संतोषजनक है।''*

यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि सूचक और मामला के गवाह देहाती लोग हैं। घटना दिसंबर माह में जाड़े के मौसम में हुई। जाड़ा में सूर्यास्त जल्द होता है। सूचक ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अंधेरी रात थी और पुलिस थाना दूरी पर था। अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि सूचक के घर में अनेक ग्रामीण जमा हुए और पीड़िता के बारे में पूछताछ किया और अभियुक्त अपीलार्थी को पूरी रात सूचक के घर में निरूद्ध किया गया था, अत: इस पृष्ठ भूमि में मामला के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह सुयोग्य मामला नहीं है जहाँ अभियोजन मामला केवल प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के आधार पर त्यक्त किया जाना है। ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है और अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/367 एवं 379 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है। तद्नुसार, सत्र विचारण सं॰ 59 वर्ष 2005 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट 1, गुमला द्वारा पारित दिनांक 28.11.2005 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश संपुष्ट किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या अपीलार्थी ने अभिरक्षा में दंडादेश की संपूर्ण अवधि भुगत लिया है और यदि अपीलार्थी ने अभिरक्षा में दंडादेश की अवधि भुगत लिया है, उसे तुरन्त अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाना चाहिए यदि उसे दंडादेश भुगतने के बाद पहले ही निर्मुक्त नहीं किया गया है।

19. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

20. परिणामत:, यह अपील किसी गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

मेसर्स रामकुमार हरिशंकर एवं अन्य

बनाम

राजेश कसेरा एवं अन्य

W.P.(C) No. 1841 of 2007. Decided on 10th May, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XXII नियम 3(1) सहपठित धारा 151—प्रतिस्थापन—मूल वादी के स्थापन में प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की खारिजी—नियम 5 के अधीन जाँच के बाद सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 3 अथवा 4 के अधीन पारित आदेश सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLIII नियम 1 के अधीन अपीलनीय नहीं है— यह सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 2(2)

निबंधनानुसार डिक्री नहीं है और यदि ऐसा है, सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 96 के अधीन भी अपील नहीं होगी—इस मामला के तथ्यों में आक्षेपित आदेश को चुनौती देनेवाली रिट याचिका अपोषणीय अभिनिर्धारित की गयी तथा खारिज की गयी, किन्तु याचीगण को सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गयी।

(पैराएँ 3, 4 एवं 5)

निर्णयज विधि.—(2011) 12 SCC 773—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Ayush Aditya, For the Petitioner; Mr. Gaurav Abhishek, For the Respondents.

आदेश

याचीगण अभिधान अपील सं॰ 17 वर्ष 1994 में पारित दिनांक 12.12.2006 के आदेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा मूल मकान मालिक के विधिक उत्तराधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को लंबित अपील में प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

2. याचीगण अभिधान (बेदखली) वाद सं॰ 58 वर्ष 1989 में प्रतिवादीगण हैं, वाद दिनांक 16.10.1993 के निर्णय द्वारा डिक्री किया गया था जिसके विरूद्ध प्रतिवादियों द्वारा अभिधान अपील सं॰ 17 वर्ष 1944 दाखिल किया गया था। दिनांक 22.4.1996 के निर्णय के तहत अपील की खारिजी पर याचीगण ने एस॰ ए॰ सं॰ 42 वर्ष 1996 दाखिल किया जिसे अनुज्ञात किया गया था और मामला अवर अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। प्रतिप्रेषण के बाद, अभिधान अपील सं॰ 17 वर्ष 1974 लंबित रहने के दौरान मूल वादी गोपाल कैसरा की मृत्यु 25.1.2002 को हो गयी। वह मकानमालिक एवं स्वामी अर्थात हरिबक्श पोद्दार की ओर से किराया संग्राहक था। याचीगण ने मूल मकानमालिक हरिबक्श पोद्दार के विधिक उत्तराधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिधान अपील सं॰ 17 वर्ष 1994 में एकमात्र प्रत्यर्थी के प्रतिस्थापन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 4 सहपठित सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन आवेदन दाखिल किया। प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 जो वादी गोपाल कसेरा के दत्तक पुत्र और पुत्री हैं ने स्वयं का मूल वादी के विधिक उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए मूल वादी के स्थान में अपने प्रतिस्थापन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 3(1) के अधीन आवेदन दाखिल किया है। दिनांक 12.12.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा मूल मकान मालिक के विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से मूल वादी के प्रतिस्थापन के लिए याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन खारिज किया गया है और प्रत्यर्थीगण जो स्वयं का मूल वादी के विधिक उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया गया है।

3. सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश XXII पक्षों की मृत्यु, विवाह एवं दिवालियापन की स्थिति में प्रतिस्थापन के लिए प्रक्रिया विहित करता है। नियम 1 घोषणा करता है कि वादी अथवा प्रतिवादी की मृत्यु वाद का उपशमन कारित नहीं करेगा यदि वाद का अधिकार जीवित रहता है। नियम 5 के अधीन जाँच के बाद सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 4 के अधीन अथवा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 3 के अधीन पारित आदेश सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLIII नियम 1 के अधीन अपीलनीय नहीं है। यह सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 96 के अधीन भी अपील नहीं होगी। **मंगलुराम देवगन बनाम सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य, (2011)12 SCC 773,** में सादृश्य तथ्यों में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है:—

> *''11. अब हम आवेदक को उपलब्ध उपचारों पर विचार कर सकते हैं जिसका मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में वाद के पक्ष के रूप में जोड़े जाने के लिए संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अधीन आवेदन अस्वीकार किया गया है। संहिता के अधीन उपलब्ध सामान्य उपचार, जब कभी भी सिविल न्यायालय संहिता के अधीन आदेश पारित करता है, निम्नलिखित हैं:*

(i) जहाँ आदेश संहिता की धारा 2(2) के अधीन यथापरिभाषित ''डिक्री'' है, (संहिता की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील के लिए प्रावधान के साथ) संहिता की धारा 96 के अधीन अपील होगी।

(ii) जहाँ आदेश ''डिक्री'' नहीं है बल्कि ऐसा आदेश है जो धारा 104 अथवा आदेश 43 नियम 1 में वर्णित आदेशों में से एक है, (द्वितीय अपील के लिए किसी प्रावधान के बिना) संहिता की धारा 104 के अधीन अथवा संहिता की धारा 104 सहपठित आदेश 43 नियम 1 के अधीन अपील होगी।

(iii) यदि आदेश न तो ''डिक्री'' है न ही धारा 104 अथवा आदेश 43 नियम 1 में वर्णित अपीलीय'' आदेश'' है, संहिता की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण होगा यदि यह उस धारा की आवश्यकता संतुष्ट करता है।''

''22. अतः, नियम 5 के अधीन जाँच के बाद आदेश 22 नियम 3 के अधीन आवेदन खारिज करने वाला आदेश और परिणामस्वरूप वाद खारिज करने वाला आदेश डिक्री नहीं है।''

'23. चूँकि दिनांक 31.8.1996 का आदेश न तो संहिता की धारा 96 के अधीन अपीलनीय आदेश है न ही धारा 104 एवं आदेश 43 नियम 1 के अधीन अपीलनीय आदेश है, आदेश 22 नियम 3 के अधीन आवेदक का उपचार पुनरीक्षण दाखिल करना है। अतः उच्च न्यायालय अपने दृष्टिकोण में सही था कि प्रश्न का न्यायनिर्णयण कि क्या आदेश 22 नियम 3 के अधीन आवेदन में आवेदक मृतक वादी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वैध वसीयत के अधीन वसीयतदार था, डिक्री नहीं था और इसलिए आवेदक का उपचार पुनरीक्षण दाखिल करना था।''

4. मंगलूराम देवनगन में निर्णय की दृष्टि में, प्रतिवाद कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद, अंतर्वर्ती आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण नहीं होगा, सामान्य प्रतिपादना के रूप में सही हो सकता है किंतु इस मामला के तथ्यों में, दिनांक 12.12.2006 के आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 3 के अधीन आवेदन अनुज्ञात किया गया है को चुनौती देनेवाली रिट याचिका अपोषणीय अभिनिर्धारित की जाती है।

5. तद्नुसार, रिट याचिका अपोषणीय के रूप में खारिज की जाती है, किंतु याचीगण को छह सप्ताह के भीतर सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ।

6. दिनांक 6.8.2007 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

बब्लू साहू

बनाम

झारखण्ड राज्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 40 of 2004. Decided on 18th April, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 21 वर्ष 2002 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 24.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 307 एवं 325—हत्या का प्रयास एवं उपहति—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—घटना क्षणिक आवेश में हुई—हत्या करने का अपीलार्थी की ओर से

आशय नहीं है—पीड़ित ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है और संपूर्ण मामला केवल पीड़ित की पत्नी के परिसाक्ष्य पर आधारित है—भा॰दं॰सं॰ की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 325 के अधीन दोषसिद्धि न्यायालय की अनुमति से शमनीय है—अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 17 एवं 18)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Chaturvedi, Amit Kumar Choubey, For the Appellants; Mr. Ashok Kumar No. 2, For the State.

न्यायालय द्वारा.—श्री अमित कुमार चौबे द्वारा सहायित श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी अपीलार्थी के अधिवक्ता और राज्य के अपर लोक अभियोजक श्री अशोक कुमार सं॰ 2 सुने गए।

2. वर्तमान दांडिक अपील विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा सत्र विचारण सं॰ 21 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 24.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307 एवं 325 के अधीन किए गए अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है। आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील दाखिल की गयी है जिसे इस माननीय न्यायालय के समक्ष 19.1.2004 को ग्रहण किया गया है और तब से मामला लंबित है।

3. अभियोजन मामला जैसा प्राथमिकी में बनाया गया है, 25.10.2001 को सायं 5.30 बजे घाघरा प्राथमिक अस्पताल वार्ड में एस॰ आई॰ एन॰ एन॰ जायसवाल, घाघरा पी॰ एस॰ द्वारा दर्ज घायल करमा महतो के भाई सुखदेव महतो के फर्दबयान पर आधारित है, जहाँ सूचक ने कथन किया कि उसके भाई करमा महतो ने भूमि पर खेती किया है जिसमें किसी प्रकाश साहू का पशु घुस गया और चरने लगा। जिस पर उसका भाई आया और प्रकाश साहू को फटकारा तथा उस पर मुक्का-तमाचा से प्रहार किया। इस बीच, प्रकाश साहू का भाई बबलू साहू आया और कोरी (खेती में प्रयुक्त तेज धार वाला उपकरण) के भोथरा भाग से करमा महतो के मस्तक पर प्रहार किया और एक बार प्रहार करने के बाद भाग गया। करमा महतो की पत्नी के हल्ला करने पर यह गवाह वहाँ गया और अपने भाई जो बेहोश था के मस्तक पर उपहति देखा। सूचक सहग्रामीणों के साथ उसको घाघरा अस्पताल लाया जहाँ उसके भाई का इलाज हुआ। सूचक ने आगे कथन किया है कि उसका भाई बेहोश था और बोलने में सक्षम नहीं था। सूचक ने अभिकथित किया कि बबलू साहू ने उसकी हत्या करने के आशय से कोरी के भोथरे भाग से उसके भाई पर प्रहार किया।

4. फर्दबयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया और बाद में अन्वेषण पश्चात भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 327, 325 एवं 307 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। अपराध का संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने 25.7.2002 को एकमात्र अपीलार्थी के विरूद्ध भा॰दं॰सं॰ की धारा 307 एवं 325 के अधीन आरोप विरचित किया।

5. अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया है। डॉ॰ बेंडिक मिंज का अ॰ सा॰ 1, घायल की पत्नी पूर्णिमा देवी का अ॰ सा॰ 2, सूचक सुखदेव महतो का अ॰ सा॰ 3, बोधन महतो का अ॰ सा॰

4, कुंदन कुमार पांडे का अ॰ सा॰ 5, करमा महतो (पीड़ित) का अ॰ सा॰ 6, शिव कुमार पांडे का अ॰ सा॰ 7 और राजेन्द्र झा (औपचारिक गवाह) का अ॰ सा॰ 8 के रूप में परीक्षण किया गया है। मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन ने करमा महतो की उपहति रिपोर्ट को प्रदर्श 1, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 1/1, एक्सरे प्लेट को प्रदर्श 1/2, गवाह के मत रिपोर्ट को प्रदर्श 1/3, फर्दबयान पर प्रभारी-अधिकारी के पृष्ठांकन को प्रदर्श 2, प्राथमिकी के प्रदर्श 2/1 और केस डायरी को प्रदर्श 3 के रूप में लाया है। इसके अतिरिक्त, बचाव ने किसी डी॰ डब्लू॰ कुलदीप सिंह (औपचारिक गवाह) का भी परीक्षण किया है जिसने करमा महतो, सुखदेव महतो द्वारा दाखिल सुलह याचिका सिद्ध किया है और जिस पर बबलू साहू के बाएँ अंगूठा का निशान है और इसे प्रदर्श (क) चिन्हित किया गया है। डॉ॰ बेंडिक मिंज जिनका परीक्षण अ॰ सा॰ 1 के रूप में परीक्षण किया गया है जिन्होंने घायल करमा महतो (अ॰ सा॰ 6) पर तीन उपहतियाँ पाया है:–

"(i) बाएँ टेम्पोरल स्काल्प के उपरी भाग पर 1"x1/3" अस्थि तक गहरा विदीर्ण जख्म।

(ii) टेम्पोरल स्काल्प के बाएँ भाग पर 1/2"x1/3" का खरोंच।

(iii) आक्सीपीटल क्षेत्र के उपर मस्तक के स्काल्प पर 3/4"x1/3"x अस्थि तक गहरा विदीर्ण जख्म।''

ये उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी जिन्हें 12 घंटों के भीतर कारित किया गया है।

6. डॉक्टर ने अपना मत आरक्षित रखा है और बाद में यह पाया गया था कि हेमाटोमा के साथ बाएँ भाग पर सिर की खाल की हड्डी में फ्रैक्चर था जो गंभीर प्रकृति का था। डॉक्टर ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है। जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है और डॉ॰ ए॰डी॰एन॰ प्रसाद द्वारा जारी एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उपहति गंभीर प्रकृति की थी क्योंकि हेमाटोमा के साथ बाएँ भाग पर सिर की खाल हड्डी में फ्रैक्चर था और डॉ॰ ए॰ डी॰ एन॰ प्रसाद का हस्ताक्षर एवं रिपोर्ट प्रदर्श 1/1 के रूप में सिद्ध किया गया है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श 1/2 के रूप में प्रदर्शित की गयी है और अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में प्रभारी अधिकारी द्वारा दाखिल मत रिपोर्ट 1/3 चिन्हित की गयी है। प्रतिपरीक्षण के दौरान, इस गवाह ने कथन किया है कि वह नहीं कह सकता है कि कौन सी उपहति पीड़ित पर पहली बार कारित की गयी थी और पीड़ित के शरीर पर कारित उपहति एक हथियार अथवा भिन्न हथियारों द्वारा कारित की गयी थी।

7. घायल की पत्नी एवं घटना की चश्मदीद गवाह पूर्णिमा देवी का अ॰ सा॰ 4 के रूप में परीक्षण किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि जब उसका पति धान के खेत से पशु हटा रहा था, बबलू आया और उसके पति पर कोरी से प्रहार किया जिस कारण उसका पति गिर गया। प्रहार कोरी के भोथरे भाग से किया गया था। उसके पति ने मस्तक पर उपहति पाया जिस कारण वह जमीन पर गिर गया किंतु वह बेहोश कभी नहीं हुआ और तत्पश्चात शोरगुल सुनने पर लोग आए और उसको उसके घर ले गए और तत्पश्चात उसे इलाज के लिए घाघरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्टत: कथन किया है कि उनकी अपीलार्थी बब्लू साहू के साथ पूर्व दुश्मनी नहीं है।

8. मामला के सूचक सुखदेव महतो का परीक्षण अ॰ सा॰ 3 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि वृहस्पतिवार को अपराह्न 5 बजे घटना हुई और करमा की पत्नी के हल्ला पर वह घटनास्थल के निकट गया जहाँ करमा महतो की पत्नी ने प्रकट किया कि बबलू ने उसके पति पर प्रहार किया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने व्यक्ति के मस्तक पर उपहति देखा जहाँ से खून बह रहा था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि आरंभ में वे घायल को घर लाए और बाद

में उसे घाघरा अस्पताल लाया गया था जहाँ उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था क्योंकि उसका भाई वहाँ भरती था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा, उसका भाई जमीन पर गिरा था और वार्तालाप नहीं हुआ था घायल अस्पाताल लाया गया था।

9. बोधन महतो का परीक्षण अ॰ सा॰ 4 के रूप में किया गया है और अपने मुख्य परीक्षण के दौरान उसने कथन किया है कि वह नहीं जानता था कि किसने करमा महतो पर प्रहार किया है।

10. कुंदन कुमार पांडे का परीक्षण अ॰ सा॰ 5 के रूप में किया गया है। उसने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि किसने करमा महतो पर प्रहार किया है।

11. करमा महतो का परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया है। वह मामला का घायल पीड़ित है और अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि उसने सदिच्छा से मामला में सुलह किया है और मामला अग्रसर करना नहीं चाहता है।

12. शिव कुमार पांडे का परीक्षण अ॰ सा॰ 7 के रूप में दिया गया है और उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

13. राजेन्द्र झा का परीक्षण अ॰ सा॰ 8 के रूप में किया गया है। वह अधिवक्ता लिपिक है और प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पृष्ठांकन प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध किया है जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है और औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 2/1 है और घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 87 वर्ष 2001 की केस डायरी सं॰ 1 से 51 प्रदर्श 3 है। यद्यपि केस डायरी प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए थी।

14. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद 15.12.2003 को अपीलार्थी बबलू साहू का धारा 313 के अधीन परीक्षण किया गया था। बचाव ने भी एक बचाव गवाह कुलदीप सिंह का परीक्षण किया है जो अधिवक्ता लिपिक है और न्यायालय का औपचारिक गवाह है। सुलह याचिका पर सूचक, अपीलार्थी एवं पीड़ित करमा महतो का हस्ताक्षर प्रदर्श (क) चिन्हित किया गया है।

15. अपने जूनियर श्री ए॰ के॰ चौबे द्वारा सहायित अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चौबे और विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री अशोक कुमार सं॰ 2 सुने गए। अभिलेख पर लाए गए अवर न्यायालय अभिलेख, प्राथमिकी एवं साक्ष्य का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन मामला नहीं बनता है क्योंकि ऐसा अपराध करने का अपीलार्थी की ओर से आशय नहीं है और वार दोहराया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने कोरी की तेज धार का उपयोग नहीं किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि हत्या करने के लिए अपीलार्थी के लिए मध्यक्षेपी परिस्थिति नहीं थी यदि उसका आशय था। ऐसी हत्या करने में आशय की कमी के कारण आरोप गलत रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन विरचित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्राथमिकी के मुताबिक क्षणिक आवेश में अपीलार्थी ने उसके भाई पर प्रहार किया है और ऐसी स्थिति के अधीन यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी ने एक बार पीड़ित पर प्रहार किया है यद्यपि पीड़िता ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया है और पीड़ित ने अपीलार्थी के साथ सुलह भी किया है और इस दशा में किसी तर्कपूर्ण सामग्री के बिना अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और पक्षों के बीच सुलह की दृष्टि में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 325 के अधीन दोषसिद्धि संपोषणीय नहीं है क्योंकि पक्षों ने पहले ही सुलह कर लिया है और भा॰ दं सं॰ की धारा 325 न्यायालय की अनुमति से शमनीय है।

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सं॰ 2 ने मामला में जोरदार तर्क किया है और आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है। विद्वान ए॰पी॰पी॰ ने निवेदन किया है कि प्राथमिकी में अभिकथन

है कि हत्या के आशय से अपीलार्थी बबलू साहू ने पीड़ित करमा महतो के मस्तक पर कोरी के भोथरे भाग से प्रहार किया। राज्य के अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया है कि प्राथमिकी तथा अभियोजन द्वारा लाए गए साक्ष्य के मुताबिक एकल वार किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि डॉक्टर ने मस्तक पर विनिर्दिष्ट उपहति पाया है किंतु इस न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके थे कि किस प्रकार डॉक्टर द्वारा कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा मस्तक पर कारित तीन उपहतियाँ पायी गयी थी।

17. दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परिशीलन के बाद, इस न्यायालय का मत है कि पीड़ित करमा महतो ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है और संपूर्ण मामला करमा महतो की पत्नी अ॰ सा॰ 2 पूर्णिमा देवी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है। अभिलेख के परिशीलन से, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन कुछ बल पाता है। यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का करमा महतो (अ॰ सा॰ 6) की हत्या करने का आशय नहीं था क्योंकि अपीलार्थी तेज धार वाला उपकरण लिए था किंतु अभिकथन के मुताबिक अपीलार्थी ने भोथरे भाग का उपयोग किया है और वह भी केवल एक बार। बाद में घटना क्षणिक आवेश पर हुई क्योंकि पशु ने धान चरा था जिसके लिए अपीलार्थी ने पीड़ित के भाई पर प्रहार किया और इस दशा में ऐसी पृष्ठभूमि के अधीन अपीलार्थी की ओर से हत्या करने का आशय नहीं है। इसके अतिरिक्त, करमा महतो जो मामला का पीड़ित है ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषणीय है जैसा कथन ऊपर किया गया है। जहाँ तक धारा 325 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, यह न्यायालय की अनुमति से शमनीय है और अ॰ सा॰ 6 (करमा महतो) के मुताबिक उसने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि उसने सदिच्छा से सुलह किया है और मामला अग्रसर करना नहीं चाहता है। इसके अतिरिक्त, अभिकथन के मुताबिक केवल एक बार भोथरे भाग से अपीलार्थी द्वारा पीड़ित पर किया गया था किंतु डॉक्टर (अ॰ सा॰ 1) ने मस्तक पर तीन उपहति पाया है जिसे अभियोजन द्वारा समुचित रूप से कभी स्पष्ट नहीं किया गया है।

18. इस प्रकार, उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 87 वर्ष 2001, जी॰ आर॰ सं॰ 702 वर्ष 2001 के तत्सम, से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 21 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 24.12.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी बबलू साहू को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307 एवं 325 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और अपीलार्थी जो जमानत पर है को उसके जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

19. तद्नुसार अपील अनुज्ञात की जाती है।

20. अभिलेख संबंधित अवर न्यायालय को भेजे जाएं।

माननीय डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰ एवं राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

चिदानंद झा एवं एक अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No.474 of 2016 with I.A. No. 9459 of 2017. Decided on 3rd April, 2018.

झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 38, 48, 49 एवं 58(a)—वेतन का भुगतान नहीं किया जाना—यदि कर्मचारी मंजूर पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया जाता है, वह किसी वेतनमान का हकदार नहीं है—नियुक्ति सम्यक रूप से मंजूर पद का अस्तित्व पूर्वानुमानित करती है और यदि यह सम्यक रूप से मंजूर पद के विरूद्ध नहीं किया जाता है, की गयी नियुक्ति विधि में अकृतता है—वेतन सदैव मंजूर पद के लिए निर्मुक्त किया जाता है—मंजूर पद की अनुपस्थिति में सरकारी धन वेतन के रूप में निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है—अपील खारिज की गयी।

(पैराएँ 8, 9, 13 एवं 14)

निर्णयज विधि.—(2006) 8 SCC 67; 2007 (1) SCC 408—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Gautam Rakesh, Onkar Nath Tiwary, For the Appellants; M/s Sharad Kaushal, H.K. Mehta, For the Respondents.

राजेश कुमार, न्यायमूर्ति.—

आई॰ ए॰ सं॰ 9459 वर्ष 2017

यह अंतर्वर्ती आवेदन लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करने में 15 दिनों के विलंब की माफी के लिए अपीलार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर तथा अंतर्वर्ती आवेदन के पैरा 4 में कथित कारणों को देखते हुए वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करने में विलंब की माफी के लिए युक्तियुक्त कारण हैं।

3. तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 9459 वर्ष 2017 अनुज्ञात किया जाता है और लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करने में विलंब माफ किया जाता है।

एल॰पी॰ए॰सं॰ 474 वर्ष 2016

वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील के संक्षिप्त तथ्य

4. अपीलार्थियों को विद्यालय की प्रबंधन कमिटी द्वारा 26.2.1981 को नियुक्त किया गया था (परिशिष्ट I)/अपीलार्थी सं॰ 1 को वर्ग III पद पर और अपीलार्थी सं॰ 2 को वर्ग IV पद पर पंडित बिनोदानंद झा बालिका संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक विद्यालय, देवघर में नियुक्त किया गया है:—

(i) आगे यह दावा किया गया है कि 22.7.1986 को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के सचिव द्वारा अपीलार्थियों की नियुक्ति अनुमोदित की गयी है।

(ii) यह दावा भी किया गया है कि अपीलार्थियों को 1.1.1985 से 31.3.1990 की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया है और तत्पश्चात यद्यपि वे कार्यरत हैं, आज की तिथि तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(iii) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने अपीलार्थी के विद्यालय जैसे विद्यालय के गैर शिक्षण स्टाफ का भुगतान रोकने के लिए दिनांक 20.1.1994 का आदेश जारी किया है।

5. उक्त तथ्यों की दृष्टि में अपीलार्थियों ने अप्रिल 1990 के प्रभाव से वेतन की प्रार्थना करते हुए डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2314 वर्ष 2003 दाखिल करके इस न्यायालय के पास आए हैं क्योंकि बिना कारण इसे अवैध रूप से रोक दिया गया है।

6. इस न्यायालय ने 2.3.2012 को मामला निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार को वापस भेजते हुए आदेश पारित किया है। और अपीलार्थियों/याचियों को आदेश

की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दिया है और ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार तत्पश्चात दो माह की अवधि के भीतर अपीलार्थियों/याचियों द्वारा दाखिल अभ्यावेदन विनिश्चित करेगा। यह भी संप्रेक्षित किया गया है कि यदि अपीलार्थियों का दावा वास्तविक पाया जाता है, तब उस स्थिति में वेतन शीघ्रातीशीघ्र निर्मुक्त करना होगा।

इस न्यायालय के आदेश के बूता पर अपीलार्थियों ने प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया है जिसे दिनांक 25.10.2012 के मेमो सं॰ 2878 (परिशिष्ट 11/1) के तहत अंतिम रूप से निपटाया गया है।

7. अपीलार्थियों का दावा प्रत्यर्थियों द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि पद जिस पर अपीलार्थियों ने नियुक्त किए जाने का दावा किया है और कार्यरत हैं, मंजूर पद नहीं है।

8. उक्त तथ्यों एवं राज्य के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर आए हैं कि चूँकि पद जिस पर अपीलार्थीगण कार्यरत हैं, तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा मंजूर नहीं किया गया था और मामला के उस दृष्टिकोण में वे किसी वेतन के भुगतान के हकदार नहीं हैं।

9. पक्षों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि पद जिन पर अपीलार्थियों को नियुक्त किया गया है, रिक्त एवं मंजूर पद थे।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि इसे भरे जाने के पहले पद को सृजित और/अथवा मंजूर करना होगा यदि कर्मचारी मंजूर पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया गया है, वह किसी वेतनमान का हकदार नहीं है।

नियुक्ति सम्यक रूप से मंजूर पद पूर्वानुमानित करती है और यदि यह सम्यक रूप से मंजूर पद के विरूद्ध नहीं किया गया है, की गयी नियुक्ति विधि में अकृतता है अर्थात आरंभ से शून्य है।

जहाँ तक वेतन का संबंध है, इसे सदैव मंजूर पद के लिए निर्मुक्त किया जाता है। मंजूर पद की अनुपस्थिति में सरकारी धन वेतन के रूप में निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है।

झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियमों 38, 48, 49 एवं 58(a) को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *''38. स्थायी पद का अर्थ है वेतन की निश्चित दर वाला और समय सीमा के बिना मंजूर पद।*
>
> *48. अस्थायी पद का अर्थ है, वेतन की निश्चित दरवाला तथा सीमित समय के लिए मंजूर पद।*
>
> *49. पदकालिक पद का अर्थ है स्थायी पद जिसे कोई सरकारी सेवक सीमित अवधि से अधिक के लिए धारण नहीं कर सकता है। संदेह की स्थिति में, राज्य सरकार विनिश्चित करेगी कि पद विशेष पदावधि पद है या नहीं।*
>
> *58 (a) इन नियमों में विनिर्दिष्टतः बनाए गए किसी अपवाद और खंड (b) के प्रावधानों के अध्यधीन, सरकारी सेवक उस तिथि के प्रभाव से जिस पर वह उस पद का कर्तव्य भार धारण करता है, अपनी पदावधि से संबद्ध वेतन एवं भत्ता पाना शुरू करेगा और उनको पाना बंद करेगा ज्योंही वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देता है।''*

10. उक्त नियम स्पष्टत: सुझाते हैं कि विधि के अनुरूप पद सृजित एवं मंजूर किया जाना होगा, केवल तब नियुक्ति की जा सकती है और ऐसे पद के धारक को आगे वेतन निर्मुक्त किया जा सकता है।

11. वर्तमान मामला में, जैसा पहले ही अभिनिर्धारित किया गया है, अपीलार्थीगण मंजूर पद के धारक नहीं हैं और इस दशा में उनकी नियुक्ति विधि में अकृतता है और वे किसी वेतन के हकदार नहीं हैं।

12. विधि की उक्त प्रतिपादना **मध्य प्रदेश राज्य बनाम योगेश चंद्र दूबे, (2006)8 SCC 67**, मामला में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा समर्थित है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ बनाम कर्मकार, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि॰, 2007 (1) SCC 408,** मामला में दिए गए निर्णय के पैरा 18 में अनुमोदित किया गया है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ (ऊपर) में दिए गए निर्णय के पैरा 18 को यहाँ नीचे उद्धत किया जाता है:–

> *''18. मध्य प्रदेश राज्य बनाम योगेश चंद्र दूबे मामला में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसे भरे जाने के पहले पद सृजित और/अथवा मंजूर करना होगा। यदि कर्मचारी मंजूर पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया जाता है, वह किसी वेतनमान का हकदार नहीं है। हमारे मत में, पूर्वोक्त निर्णय का निर्णयाधार पूरी तरह से वर्तमान मामला के तथ्यों के प्रति भी लागू होता है।''*

13. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ (उपर) मामला में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में विधि पहले ही सुस्थापित की गयी है कि व्यक्ति को गैर-मंजूर पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया जा सकता है और आगे उस व्यक्ति का दावा है कि वह उक्त पद पर कार्यरत है जो विद्यमान नहीं है, अत: वह किसी वेतन का हकदार नहीं है क्योंकि याची ने गैर मंजूर पद के विरूद्ध काम किया है जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।

14. पूर्वोक्त तथ्यों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में सार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

मिखाइल सोरेन्ग उर्फ मिखाईल खरिया

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

C.W.J.C. No. 3963 of 2000. Decided on 12th July, 2018.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धाराएँ 49(5) एवं 71A—भूमि का पुनर्स्थापन—छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 71A के अधीन शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा—याची संपत्ति जिससे वह बेदखल किए जाने का दावा करता है से बेदखली की तिथि नहीं दे सका था—याची ने समर्पण के रजिस्टर्ड विलेख से 30 वर्षों से अधिक के अवसान पर भूमि के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन दाखिल किया था—अस्वीकृति का आक्षेपित आदेश मान्य ठहराया गया—रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराए 11 से 14)

निर्णयज विधि.–(2008) 8 SCC 340—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. P.P.N. Roy, For the Petitioner; Mr. Rajiv Anand, For the Resp.-State; Mr. Sandeep Verma, For Respondent No. 3.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ रॉय सुने गए।

2. प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित जी॰ ए॰ IV श्री राजीव आनन्द सुने गए।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 3 के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री संदीप वर्मा सुने गए।

4. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:–

''विद्वान आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिविजन, राँची (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा गुमला राजस्व पुनरीक्षण सं॰ 113/89 में पारित परिशिष्ट 2 पर दिनांक 11.7.2000 का आदेश अभिखंडित करने के लिए जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 4 R15 वर्ष 1988-89 में अपर समाहर्ता, गुमला द्वारा सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के अधीन पारित दिनांक 28.4.89 के पुनर्स्थापन आदेश के अभिखंडन के निबंधनानुसार पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया गया था।''

5. याची के वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के पूर्वज इस मामला में अंतर्ग्रस्त अभिलिखित अभिधारी थे और याची द्वारा एस॰ ए॰ आर॰ न्यायालय के समक्ष भूमि के पुनर्स्थापन के लिए छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 30 वर्ष 1986-87 संख्यांकित किया गया था और एस॰ ए॰ आर॰ अधिकारी द्वारा याची के पक्ष में अनुज्ञात किया गया था।

6. इस आदेश के विरूद्ध एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 4 R15 वर्ष 1988-89 प्राइवेट प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल की गयी थी जिसे खारिज किया गया था।

7. तत्पश्चात प्राइवेट प्रत्यर्थी ने पुनरीक्षण दाखिल किया जिसे गुमला राजस्व पुनरीक्षण सं॰ 113 वर्ष 1989 संख्यांकित किया गया था। यह पुनरीक्षण आवेदन आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिविजन, राँची द्वारा दिनांक 11.7.2000 के आक्षेपित निर्णय के तहत यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुज्ञात किया गया है कि याची द्वारा वर्ष 1986-87 में दाखिल पुनर्स्थापन आवेदन समय वर्जित था और अभिनिर्धारित करते हुए उन्होंने अभिलिखित अभिधारी द्वारा निष्पादित दिनांक 5.11.1952 के समर्पण के रजिस्टर्ड विलेख पर विचार किया है जिसे बाद में वर्ष 1955 में प्राइवेट प्रत्यर्थी के पक्ष में बंदोबस्त किया गया बताया गया था।

8. याची के अधिवक्ता एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 4R15 वर्ष 1988-89 के अपीलीय आदेश को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि याची का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि दिनांक 5.11.1952 का समर्पण का रजिस्टर्ड विलेख स्वयं याची के पूर्वजों के साथ कपट करके तैयार किया गया था और वह आगे निवेदन करते हैं कि इस दस्तावेज के निष्पादन के पहले उपायुक्त की पूर्वानुमति नहीं ली गयी थी। किंतु, तर्क के दौरान याची के अधिवक्ता याची की बेदखली की तिथि नहीं दे सके थे और वह निवेदन करते हैं कि वर्ष 1952 में निष्पादित समर्पण के रजिस्टर्ड विलेख के आधार पर पुनर्स्थापन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

9. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन भूमि के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन याची द्वारा वर्ष 1986-87 में दाखिल किया गया था और इस रिट याचिका के परिशिष्ट–2 में यथा अंतर्विष्ट आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिविजन, राँची द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याची के पूर्वजों जो संपत्ति के अभिलिखित अभिधारी थे को काफी पहले वर्ष 1952 में छोटानागपुर विल्लंगमित संपदा के पक्ष में दिनांक 5.11.1952

के समर्पण के रजिस्टर्ड विलेख द्वारा बेदखल किया गया था और वर्तमान प्रत्यर्थी का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि संपत्ति उनके पक्ष में वर्ष 1955 में बंन्दोबस्त की गयी थी।

10. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि पुनर्स्थापन आवेदन समय वर्जित था क्योंकि पुनर्स्थापन आवेदन केवल वर्ष 1986-87 अर्थात 30 वर्ष से अधिक के अवसान के बाद दाखिल किया गया था। वह विनेदन करते हैं कि **''सीता साहू बनाम झारखंड राज्य''** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 में उल्लिखित शब्द ''किसी समय पर'' अभिलिखित अभिधारी के युक्तियुक्त समय के परे अपना आवेदन दाखिल करने के लिए हकदार नहीं बनाता है। वह निवेदन करते हैं कि विद्वान आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया है कि पुनर्स्थापन आवेदन समय वर्जित है और पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया है और आक्षेपित आदेश में अवैधता अथवा विकृतता नहीं है। अतः, आक्षेपित आदेश सही प्रकार से पारित किया गया है।

11. यह न्यायालय पाता है कि मूल न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर नहीं है। यह न्यायालय यह भी पाता है कि आवेदन जिसे याची द्वारा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन भूमि के पुनर्स्थापन के लिए दाखिल किया गया था भी अभिलेख पर नहीं है। अपीलीय आदेश अभिलेख पर जिसे इस रिट याचिका के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न एवं चिन्हित किया गया है। यह न्यायालय आगे पाता है, जैसा पहले ही ऊपर दर्ज किया गया है, याची के अधिवक्ता तर्क के दौरान संपत्ति से बेदखली की तिथि नहीं दे सके थे जिससे वह बेदखल किए जाने का दावा करते हैं।

12. यह न्यायालय आगे पाता है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा परिसीमा के बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है। यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 5.11.1952 के रजिस्टर्ड लिखत द्वारा वर्ष 1952 में अभिलिखित अभिधारी द्वारा समर्पण की तिथि से बेदखली की तिथि की संगणना किया है और तद्नुसार अभिनिर्धारित किया है कि याची द्वारा दाखिल भूमि के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन समय वर्जित थे। **सीतु साहू एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य, (2004)8 SCC 340,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 14 पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना होगा। वर्तमान मामला में याची ने दिनांक 5.11.1952 के समर्पण के रजिस्टर्ड विलेख से 30 वर्षों से अधिक के अवसान के बाद भूमि के पुनर्स्थापन के लिए वर्ष 1986-87 में आवेदन दाखिल किया था और याची के अधिवक्ता याची की बेदखली की तिथि उपदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए हैं। इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची युक्तियुक्त समय के भीतर अपना आवेदन दाखिल करने में विफल रहा है और तद्नुसार उसका आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था। इस न्यायालय का आगे सुविचारित दृष्टिकोण है कि आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा 5.11.1952 अर्थात समर्पण विलेख के रजिस्ट्रेशन की तिथि के रूप में बेदखली की तिथि लेते हुए भूमि के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित बताया गया था, किसी अवैधता अथवा विकृतता से पीड़ित नहीं है।

13. सीतु साहू (ऊपर) मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही अंतरण कपटपूर्ण पद्धति द्वारा है, छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन भूमि के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन युक्तियुक्त समय के भीतर दाखिल किया जाना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शब्द ''किसी समय पर'' की व्याख्या इस अर्थ में की गयी है कि पुनर्स्थापन आवेदन युक्तियुक्त अवधि के भीतर दाखिल किया जाना होगा। पूर्वोक्त निर्णय (सीता साहू) के पैरा 14 का पठन निम्नलिखित है:–

''14. अब हम श्री नरसिम्हा के अंतिम तर्क का परीक्षण करेंगे कि अंतरण कपटपूर्ण था। इस पर भी, हमें संदेह है कि अपीलार्थीगण सफल होने के हकदार हैं, हमें संव्यवहार के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यह भी मान सकते हैं कि अंतरण कपटपूर्ण था। तब भी, जैसा इब्राहिम पटनम में अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 71A के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल युक्तियुक्त समय के भीतर किया जा सकता था। वर्तमान अपील के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम संतुष्ट नहीं हैं कि विशेष अधिकारी ने युक्तियुक्त समय के भीतर धारा 71A के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किया। चालीस वर्ष का अवसान निश्चय ही शक्ति के प्रयोग के लिए युक्तियुक्त समय नहीं है भले ही यह परिसीमा अवधि द्वारा घेरा नहीं गया है। हम जयमंगल ओराँव मामला में इस न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षण से अपने दृष्टिकोण के प्रति समर्थन प्राप्त करते हैं जो भी ऐसा मामला था जो विधि के समरूप प्रावधान के अधीन उद्भूत हुआ। वहाँ इस न्यायालय ने दृष्टिकोण लिया कि धारा 46(4)(a) जो उसमें कथित किसी भी ढंग से अंतरण प्रभावी बनाने के पहले उपायुक्त की पूर्वानुमति परिकल्पित करता है, केवल वर्ष 1947 से (दिनांक 5.1.1948 के प्रभाव से) पुरः स्थापित की गयी थी और समय के प्रासंगिक बिन्दु के दौरान जब उस मामला में समर्पण किया गया था (15.1.1942) ऐसा प्रावधान विद्यमान नहीं था। अतः, स्पष्टतः, 1938 में ऐसा प्रावधान विद्यमान नहीं था और यही तर्क लागू होता है।''

14. इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पुनर्स्थापन आवेदन समर्पण के रजिस्टर्ड विलेख से 30 वर्षों की अवधि के परे दाखिल किया गया था, यह न्यायालय विद्वान आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिविजन, राँची द्वारा पारित दिनांक 11.7.2000 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता अथवा विकृतता नहीं पाता है और तद्नुसार यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

पुष्पलता

बनाम

श्रीमती स्नेहलता गोयल एवं अन्य

W.P.(C) No. 3298 of 2016. Decided on 17th July, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 47—डिक्री के निष्पादन के प्रति आपत्ति—सी॰पी॰सी॰ की धारा 47 के अधीन निष्पादन न्यायालय की शक्ति डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन अथवा संतुष्टि से संबंधित प्रश्नों तक सीमित है—विभाजन वाद में निर्णय एवं डिक्री की वैधता तथा विधिकता पर निष्पादन न्यायालय को निष्कर्ष देने की अधिकारिता नहीं है—न्यायालय जिसने डिक्री पारित किया है की अधिकारिता में जाँच में गुणागुण पर डिक्री की वैधता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए—आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 के अधीन दाखिल आवेदन इसके मूल स्थान में पुनर्स्थापित किया गया। (पैराएँ 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.—(1970)1 SCC 670; (2005) 7 SCC 791—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Indrajit Sinha, Shresth Gautam, For the Petitioner; M/s Anil Kumar Sinha, Sandeep Verma, For the Respondents

आदेश

याची जो विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 में प्रतिवादी सं० 3 है दिनांक 10.3.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा राँची न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर डिक्री के निष्पादन के प्रति सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन उसका आवेदन अस्वीकार किया गया है।

2. याची द्वारा लिया गया दृष्टिकोण यह है कि विवाद्यक अधिक सटीक रूप से राँची न्यायालय की अधिकारिता के प्रति आपत्ति जिसे किसी चरण पर निश्चयात्मक रूप से विनिश्चित नहीं किया गया था, सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन में न्यायनिर्णीत किया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय यह घोषित नहीं कर सकता है कि याची–निर्णीत ऋणी को सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

3. संक्षिप्त रूप से कथित, विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 श्रीमती सरोजा रानी द्वारा अनुसूची 'B' एवं अनुसूची 'C' संपत्तियों में 1/4 हिस्सा की सीमा तक विभाजन के लिए आरंभिक डिक्री के लिए संस्थित किया गया था। याची को विभाजन वाद में प्रतिवादी सं० 3 बनाया गया था। विभाजन वाद में वादी स्व० राय श्री कृष्ण की पुत्री है और प्रतिवादी सं० 2 एवं 3 उसकी सगी बहन है जबकि प्रतिवादी सं० 1 उसकी माता है। प्रतिवादी सं० 1 एवं 3 तथा प्रतिवादी सं० 2 ने अपना पृथक लिखित कथन दाखिल किया है। किंतु अपने लिखित कथनों को दाखिल करने के बाद प्रतिवादीगण विभाजन वाद में उपस्थित नहीं हुए थे और वाद एकपक्षीय डिक्री किया गया था। आरंभिक डिक्री 13.6.1990 को तैयार की गयी थी जिसे याची द्वारा प्रथम अपील सं० 43 वर्ष 2015 में चुनौती दी गयी है। निष्पादन मामला सं० 7 वर्ष 1992 विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 में तैयार की गयी आरंभिक डिक्री के निष्पादन के लिए दाखिल किया गया था किंतु निष्पादन मामला 15.1.2009 को व्यतिक्रम में खारिज किया गया था और यह कथन किया गया है कि निष्पादन मामला के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन भी खारिज किया गया है। इस बीच, प्रतिवादी सं० 1 की मृत्यु 9.2.1996 को हो गयी। वादी की माता की मृत्यु के बाद द्वितीय अंतिम डिक्री 18.12.2003 को तैयार की गयी है और तत्पश्चात प्रतिवादी सं० 2 द्वारा द्वितीय निष्पादन मामला सं० 5 वर्ष 2014 दाखिल किया गया है। याची के अनुसार, दोनों अंतिम डिक्रियों के निष्पादन के लिए द्वितीय अंतिम डिक्री तैयार किया जाना तथा द्वितीय निष्पादन मामला सं० 5 वर्ष 2014 का आरंभ किया जाना सटीक कारण है जिसके चलते वह विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 में तैयार की गयी डिक्री की निष्पादनीयता के प्रति आपत्ति करते हुए सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन दाखिल करने के लिए मजबूर हुई थी। क्योंकि इसके पहले उसके पास सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन अपनी आपत्ति दाखिल करने का अवसर नहीं था। याची के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि दिनांक 5.4.1991 की अंतिम डिक्री तथा दिनांक 18.12.2013 की द्वितीय अंतिम डिक्री को याची द्वारा प्रथम अपील सं० 74 वर्ष 2015 में चुनौती दी गयी है।

4. प्रत्यर्थियों ने सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन के प्रति इस आधार पर आपत्ति किया कि जब एक बार दिनांक 13.6.1990 के निर्णय के तहत विभाजन वाद डिक्री किया गया था और डिक्री तैयार की गयी थी, राँची न्यायालय की अधिकारिता के प्रति इस आधार पर आपत्ति की अनुसूची 'B' संपत्ति का आइटम सं० (i) याची के पिता के हिस्सा में कभी नहीं आया, अस्वीकार करना होगा। अभिधान वाद सं० 114 वर्ष 1998 जिसे याची द्वारा इस आधार पर संस्थित किया गया था कि विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 में निर्णय एवं डिक्री कपट करके प्राप्त की गयी थी और विभाजन वाद में निर्णय एवं डिक्री को चुनौती देते हुए बनारस न्यायालय में दाखिल अभिधान वाद सं० 176 वर्ष 2000 के प्रति निर्देश में प्रत्यर्थीगण का अभिवचन यह है कि पूर्वोक्त वादों की खारिजी की दृष्टि में राँची न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित विवाद्यक निष्कर्षित कर देना होगा और यदि ऐसा है इन वादों की खारिजी सी० पी० सी० की

धारा 47 के अधीन आवेदन की पोषणीयता के लिए न्यायनिर्णीत अथवा कम से कम आन्वयिक न्याय निर्णीत गठित करेगा।

5. निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 10.3.2016 के आदेश द्वारा सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन ग्रहण के चरण पर यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया है कि निष्पादन न्यायालय को अधिकारिता के आधार पर डिक्री की वैधता के प्रति आपत्ति ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है और आपत्तिकर्ता को वर्तमान याचिका दाखिल करने का विधिक अधिकार नहीं है। निष्पादन न्यायालय द्वारा दर्ज पूर्वोक्त निष्कर्ष रिट याचिका में विवादित विवाद्यक बन गया है।

6. दिनांक 10.3.2016 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करने के लिए प्रत्यर्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने **''वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम राजा भाई अब्दुल रहमान एवं अन्य, (1970)1 SCC 670,** में निर्णय पर विश्वास किया है।

7. सी० पी० सी की धारा 47 प्रावधानित करती है कि वाद जिसमें डिक्री पारित किया गया था में वाद के पक्षों अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन अथवा संतुष्टि से संबंधित समस्त प्रश्न निष्पादन न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाएँगे और न कि पृथक वाद द्वारा। प्रकटतः, सी०पी०सी० की धारा 47 की भाषा व्यापक है। निःसंदेह, सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता सीमित है, किंतु अब यह सुस्थापित है कि डिक्री की निष्पादनीयता, जहाँ डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता की कमी का अभिवचन किया गया है, निष्पादन न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है। (देखें**: हरशद चिमन लाल मोदी बनाम डी० एल० एफ० यूनिवर्सल लि० एवं एक अन्य, (2005)7 SCC 791)**

8. पक्षों के अभिवचन से यह प्रकट है कि पहली बार में विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 ग्रहण करने के लिए राँची न्यायालय की अधिकारिता के प्रति आपत्ति की गयी है। यह आपत्ति विभाजन वाद में पारित दिनांक 13.6.1990 के निर्णय में दर्ज की गयी है**;** निश्चय ही, अधिकारिता पर विवाद्यक विरचित नहीं किया गया था। वाद एकपक्षीय डिक्री किया गया था। व्यतिक्रम में अभिधान वाद सं० 114 वर्ष 1998 की खारिजी का अर्थ भी याची द्वारा उठाए गए अधिकारिता का विवाद्यक निष्कर्षित करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। समान रूप से सत्य वाराणसी न्यायालय में संस्थित अभिधान वाद सं० 176 वर्ष 2000 की खारिजी पर विधि में अवस्था होगी। उस मामला में वादपत्र सी० पी० सी० के आदेश VII नियम 11 के अधीन अस्वीकार किया गया था, किंतु नया वाद संस्थित करने पर वर्जना नहीं होगी। (देखें**:** सी० पी० सी० का आदेश VII नियम 13) पूर्वोक्त विवाद्यक जो पक्षों के अभिवचनों से उद्भूत होते हैं पर निष्पादन न्यायालय द्वारा आरंभ में ही सी०पी०सी० की धारा 47 के अधीन आवेदन खारिज करते हुए विचार नहीं किया गया है। आखिरकार, यह विभाजन वाद जिसमें विवाद्यक कि क्या अनुसूची 'B' संपत्ति की आइटम सं० (i) राय श्री कृष्ण के परिवार की थी या नहीं**;** केंद्रीय विवाद्यक नहीं होगा।

9. निष्पादन न्यायालय ने विधि में गंभीर गलती किया जब इसने संप्रेक्षित किया है कि निष्पादन न्यायालय को अधिकारिता के आधार पर डिक्री की वैधता के प्रति आपत्ति ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। सी० पी० सी० की धारा 47 के अधीन याची ने गुणागुण पर डिक्री की वैधता को चुनौती नहीं दिया है बल्कि उसके द्वारा किया गया अभिवचन यह है कि डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है क्योंकि इसे ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जिसे विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 ग्रहण करने की क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं थी। यह कथन किया गया है कि आरंभिक डिक्री और दोनों अंतिम डिक्रियाँ इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन हैं। शायद, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता के अनुसार उन अपीलों को दाखिल करने में अत्यन्त विलंब है, उक्त तथ्यों में, मेरे मत में, यह संप्रेक्षित करते हुए कि ''विभाजन वाद सं० 154 वर्ष 1985 में पारित निर्णय एवं डिक्री बिलकुल विधिक एवं वैध और निष्पादनीय है और

उक्त निष्पादन सही प्रकार से डिक्री धारक द्वारा किया गया है जो उसके तख्ता में आवंटित संपत्तियों का कब्जा लेने की पूर्णत: हकदार है,'' निष्पादन न्यायालय ने पुन: विधि में गंभीर गलती किया। परस्पर विरोधी प्रतिवादों का परीक्षण किए बिना, पूर्वोक्त संप्रेक्षण करते हुए निष्पादन न्यायालय ने शक्ति का प्रयोग किया है जो इसमें विधित: निहित नहीं है। मेरे मत में, निष्पादन न्यायालय अभिनिर्धारित नहीं कर सकता है कि विभाजन वाद सं॰ 154 वर्ष 1985 में पारित निर्णय एवं डिक्री बिलकुल विधिक एवं वैध है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 के अधीन इसकी शक्ति डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन अथवा संतुष्टि से संबंधित प्रश्नों तक सीमित है। विभाजन वाद में निर्णय एवं डिक्री की वैधता एवं विधिकता पर निष्पादन न्यायालय को निष्कर्ष देने की अधिकारिता नहीं है। केवल अपीलीय न्यायालय वाद में निर्णय एवं डिक्री की वैधता, वैधानिकता या अन्यथा का निर्णय कर सकता है। न्यायालय जिसने पारित किया है की अधिकारिता में जाँच को गुणागुण पर डिक्री की वैधता के साथ भ्रमित नहीं की जानी चाहिए।

10. पूर्वोक्त कारणों से, निष्पादन मामला सं॰ 5 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 10.3.2016 के आक्षेपित आदेश में गंभीर दुर्बलता पाते हुए इसे अपास्त किया जाता है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 के अधीन दाखिल दिनांक 20.5.2015 का आवेदन इसके मूल स्थान में पुनर्स्थापित किया जाता है। पक्षगण 27.7.2018 को निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब न्यायालय ''ग्रहण पर'' सुनवाई की तिथि नियत करेगी।

11. इस तथ्य की दृष्टि में कि पक्षगण 30 वर्ष से अधिक से वाद कर रहे हैं, सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 के अधीन शीघ्रातीशीघ्र और न्यायोचित बहाना छोड़कर पक्षों को स्थगन प्रदान किए बिना छह माह के भीतर विनिश्चित किया जाएगा।

12. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

माननीय अनन्त विजय सिंह, न्यायमूर्ति

राज्य, इंसपेक्टर के माध्यम से (प्रवर्तन अधिकारी) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

बनाम

सुभाष चंद्र वर्षानी एवं एक अन्य

Acquittal Appeal No. 19 of 2006. Decided on 10th April, 2018.

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952—धाराएँ 14(IA), 14(IB)—कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि एवं नियोक्ता अंशदान जमा करने में विफलता—दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील—प्रत्यर्थीगण अधिनियम, 1952 की धाराओं 14(IA), 14 (IB) के प्रावधानों का अनुपालन करने में व्यतिक्रमी थे—दंडाधिकारी अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है और मामला में अंतर्ग्रस्त विधि के प्रावधानों पर चर्चा किए बिना प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त किया है—आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया और निर्णय के लिए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। (पैराएँ 15 एवं 16)

अधिवक्तागण.—Mr. Yogendra Prasad, For the Appellant; Mr. G.M.Singh, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान दोषमुक्ति अपील दांडिक एम॰ पी॰ सं॰ 430/2006 में माननीय खंड न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 12.7.2006 के आदेश के अनुसरण में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 378 के अधीन दाखिल की गयी है

जिसके द्वारा माननीय न्यायाधीशों ने श्री अजित कुमार मोदी, जे॰ एम॰, प्रथम श्रेणी, सरायकेला द्वारा C/ 2 केस सं॰ 141/1996, टी॰ आर॰ सं॰ 943/2005 के तत्सम, में पारित दिनांक 30.9.2005 की दोषमुक्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान किया है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धाराओं 14(IA), 14(IB) के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया था और दोनों प्रत्यर्थियों को उनके परस्पर जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित कर दिया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि प्रत्यर्थीगण कान्द्रा में हरिशचंद्र विद्या मंदिर के नाम में विद्यालय चला रहे थे और संस्थान में 20 व्यक्ति नियोजित थे और संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 सुभाष चंद्र वर्षानी और प्रत्यर्थी सं॰ 2 एस॰ बी॰ सिंह, क्रमश: उक्त संस्थान के अवैतनिक सचिव एवं कार्यकारी प्रबंधक थे।

3. कर्मचारी भविष्य निधि के प्रवर्तन अधिकारी ने संस्थान का निरीक्षण किया और पाया कि प्रत्यर्थीगण जुलाई 1992 से सितंबर 1992 तक कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि तथा नियोक्ता अंशदान जमा करने में विफल रहे। यह भी पाया गया था कि प्रत्यर्थीगण उसी अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन निधि में बीमा राशि जमा करने में विफल रहे हैं। प्रत्यर्थीगण उक्त अवधि के लिए उक्त स्थापन का अभिलेख भी प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

4. तत्पश्चात, प्रवर्तन ने उसी अपराध के संबंध में अभियोजन रिपोर्ट ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला के समक्ष दाखिल किया जिन्होंने ई॰ पी॰ एफ॰ एण्ड एम॰ पी॰ अधिनियम की धारा 14(IA), 14(IB) के अधीन अपराध का संज्ञान लिया और मामला विचारण एवं निपटान के लिए अंतरित किया। प्रत्यर्थियों को अभियोग स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

5. अभियोजन ने मामला में तीन गवाह प्रस्तुत किया। अ॰ सा॰ 1 सुबीर कुमार सरकार है जो भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में लिपिक है। उसने अभियोजन रिपोर्ट (प्रदर्श 1) और मंजूरी आदेश (प्रदर्श 2) सिद्ध किया है।

6. अ॰ सा॰ 2 रविन्द्र सिंह है जो भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में वरीय पर्यवेक्षक है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थीगण ने मार्च 1982 से दिसंबर 1992 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि कार्यालय में भविष्य निधि राशि जमा नहीं किया है और उन्होंने कार्यालय में मासिक रिटर्न भी नहीं दाखिल किया था।

7. अ॰ सा॰ 3 महेश्वर प्रसाद चौरसिया भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी है और मामला का सूचक भी है जिसने अभियोजन रिपोर्ट तथा मंजूरी आदेश सिद्ध किया है (जिन्हें पहले ही प्रदर्श 1 एवं 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है)। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि संस्थान का कोड नंबर BR12503 था और उसने प्रदर्श 4 के रूप में विद्यालय के नाम में भविष्य निधि कोड नंबर तथा आवंटन आदेश भी सिद्ध किया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थियों ने ई॰ पी॰ एफ॰ राशि जमा नहीं किया है और मासिक रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दो-तीन बार संस्थान का निरीक्षण किया था किंतु संस्थान ने उसके समक्ष निरीक्षण के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था। उसने विद्यालय की ओर से दाखिल फॉर्म V प्रदर्श 3 के रूप में सिद्ध किया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि ई॰ पी॰ एफ॰ अधिनियम की धारा के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी और प्रत्यर्थियों के विरूद्ध विनिश्चित की गयी थी और उन्हें त्रुटि हटाने का निर्देश दिया गया था। किंतु प्रत्यर्थियों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया था।

8. बचाव ने अपने मामला के समर्थन में दां॰ एम॰ पी॰ सं॰ 811, 812, 813, 814, 815, 816 एवं 817 वर्ष 2003 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.1.2005 का आदेश दाखिल किया जिसे प्रदर्श A चिन्हित किया गया था।

9. पक्षों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने C/2 केस सं॰ 141 वर्ष 1996, टी॰ आर॰ सं॰ 943/2005 के तत्सम, में श्री अजित कुमार मोदी, जे॰ एम॰, प्रथम श्रेणी सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 30.9.2005 के दोषमुक्ति के निर्णय के तहत प्रत्यर्थियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14(IA), 14(IB) के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया और दोनों प्रत्यर्थियों को उनके परस्पर जमानत बंधपत्रों के दायित्व से उन्मोचित भी कर दिया।

10. तत्पश्चात, अपीलार्थी ने अपील करने की अनुमति इप्सित करते हुए दां॰ एम॰ पी॰ सं॰ 430/2006 दाखिल किया है जिसे माननीय खंड न्यायपीठ के दिनांक 12.7.2006 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था और अपीलार्थी को दोषमुक्ति अपील दाखिल करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। तद्नुसार, अपीलार्थी द्वारा वर्तमान दोषमुक्ति अपील दाखिल की गयी है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

12. यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अपील 21.8.2006 को दाखिल की गयी है और दिनांक 14.11.2006 के आदेश के तहत अपील सुनवाई के लिए ग्रहण की गयी थी। यह अपील 15.1.2018 को इस न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गयी थी और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर मामला को 24.1.2018 को और तत्पश्चात 3.4.2018 को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया गया था। चूँकि प्रत्यर्थीगण 3.4.2018 को उपस्थित नहीं थे, अत: मामला 10.4.2018 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

13. आज जब मामला बुलाया गया था, अपीलार्थी को विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय समुचित रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल करने में विफल रहा है और गलत रूप से प्रत्यर्थियों को उनके विरूद्ध विरिचत आरोपों से दोषमुक्त किया है।

14. प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रदर्श A की दृष्टि में आक्षेपित निर्णय में अवैधता नहीं है।

15. संपूर्ण अभिलेख एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थीगण कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14(IA), 14(IB) के प्रावधान का अनुपालन करने में व्यतिक्रमी था। विद्वान दंडाधिकारी अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहे हैं और मामला में अंतर्ग्रस्त विधि के प्रावधानों पर चर्चा किए बिना प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया है।

16. मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह अपील अनुज्ञात की जानी है और आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए और विधि के अनुरूप निर्णय पारित करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

17. विचारण न्यायालय को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थियों को विचारण न्यायालय में अपना मामला रखने के लिए उनको अवसर देने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

18. विचारण न्यायालय को आदेश संसूचित किया जाए।

19. कार्यालय को संपूर्ण अवर न्यायालय अभिलेख विचारण न्यायालय को भेजने का निर्देश भी दिया जाता है।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

नादिरा खातून

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5891 of 2012. Decided on 19th June, 2018.

जन वितरण प्रणाली—वितरण के लिए किरासन तेल का गैर-आवंटन—यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई नीतिगत निर्णय अथवा सामग्री मौजूद नहीं है कि एक परिवार में किरासन तेल के वितरण के लिए एक से अधिक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जा सकती है—प्रत्यर्थियों ने अचानक किसी कारण के बिना और उस प्रभाव के किसी कारण बताओ नोटिस के बिना याची को किरासन तेल आवंटित करना रोक दिया—याची किरासन तेल के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति धारक है और अनुज्ञप्ति रद्द कभी नहीं की गयी है—याची के विरूद्ध कदाचार का अभिकथन नहीं है—प्रखंड आपूर्ति अधिकारी को याची को किरासन तेल आवंटित करने का निर्देश दिया गया जैसा किरासन तेल का अन्य समस्थित अनुज्ञप्ति धारकों को आवंटित किया जा रहा है। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.—Mr. Samavesh Bhanj Deo, For the Petitioner; Mrs. Amrita Kumari, For the Respondents.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित होनेवाले अधिवक्ता श्री समावेश भज देव को सुना।

2. प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता अम्रिता कुमारी को सुना गया।

3. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गयी है:—

''प्रत्यर्थियों को कारण बताने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कि क्यों और किन परिस्थितियों के अधीन याची को वितरण के लिए किरासन तेल आवंटित/आपूर्त नहीं किया जा रहा है यद्यपि वह बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के अधीन वैध अनुज्ञप्ति धारक है। और आगे याची को ठेला विक्रेता के रूप में वितरण के लिए तुरन्त किरासन तेल का आवंटन करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए।''

4. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची को पाकुड़ जिला में महेशपुर प्रखंड में खुदरा विक्रेता के रूप में अनुज्ञप्ति सं॰ 29/2003 के तहत किरासन तेल के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी थी और वह पूरी इमानदारी से अपना काम कर रही थी। उसकी ओर से अनुज्ञप्ति के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। वह निवेदन करते हैं कि याची को किसी शिकायत के बिना 2003 से 2010 तक वितरण के लिए नियमित रूप से किरासन तेल आवंटित/आपूर्त किया जा रहा था। किंतु अचानक कुछ कारणों से जो याची को ज्ञात नहीं थे, वर्ष 2010 से प्रत्यर्थियों ने याची को वितरण प्रयोजन से किरासन तेल आवंटित करना रोक दिया। वह निवेदन करते हैं कि प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के अधीन दिनांक 10.9.2010 के मेमो सं॰ 87 में अंतर्विष्ट सूची तैयार की गयी थी जिसमें याची का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या सम्मिलित नहीं की गयी थी। वह निवेदन करते हैं कि याची की अनुज्ञप्ति कभी नहीं रद्द की गयी थी, किंतु प्रत्यर्थियों ने अचानक अवैध एवं मनमाने रूप से याची को किरासन तेल आबंटित करना रोक दिया।

5. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस मामला में प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया है और प्रत्यर्थियों ने प्रतिशपथपत्र के पैराग्राफ 9 में विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण लिया है कि याची का पति भी

किरासन तेल का खुदरा विक्रेता है, इसलिए उसी परिवार में एक से अधिक विक्रेता को किरासन तेल के वितरण की अनुमति नहीं दी जाए, वह निवेदन करते हैं कि प्रतिशपथपत्र के मुताबिक यह विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण के सिद्धांत के विरूद्ध है। किंतु, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता किरासन तेल की खुदरा अनुज्ञप्ति के संबंध में प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए किसी नीति निर्णय को इंगित नहीं कर सके थे जो उपदर्शित करता हो कि परिवार के केवल एक सदस्य को किरासन तेल के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति दिया जा सकता है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद यह न्यायालय पाता है कि स्वीकृत रूप से याची किरासन तेल के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति सं॰ 29/03 की धारक है और उक्त अनुज्ञप्ति कभी नहीं रद्द की गयी है और प्रत्यर्थियों ने अचानक किसी कारण के बिना और इस प्रभाव के किसी कारण बताओ नोटिस के बिना याची को किरासन तेल आवंटित करना बंद कर दिया। प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थियों ने दृष्टिकोण लिया है कि पति भी किरासन तेल का खुदरा विक्रेता है और किरासन तेल के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति उसी परिवार में एक से अधिक विक्रेता को प्रदान नहीं की जा सकती है। किंतु, यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई नीतिगत निर्णय अथवा सामग्री नहीं है कि एक परिवार में किरासन तेल के वितरण के लिए एक से अधिक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, प्रतिशपथ पत्र के परिशीलन से प्रतीत होता है कि याची के विरूद्ध कदाचार का अभिकथन नहीं है।

7. इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि चूँकि याची किरासन तेल के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति सं॰ 29/2003 धारण कर रही है और स्वीकृत रूप से अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का आदेश पारित नहीं किए जाने पर प्रत्यर्थियों को इस आधार पर कि उसका पति भी किरासन तेल के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति धारक है, याची को किरासन तेल के आवंटन से इनकार नहीं किया जा सकता है।

8. तद्नुसार, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर याची को किरासन तेल आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है जैसा किरासन तेल के अन्य समस्थित अनुज्ञप्ति धारकों को आवंटित किया जा रहा है।

माननीय प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति

अरविन्द कुमार एवं अन्य (286 में)

पन्ना लाल प्रसाद उर्फ पन्ना लाल प्रसाद (6149 में)

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P. (S) Nos. 286 of 2013 with 6149 of 2010. Decided on 19th September, 2018.

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000—धारा 72—वेतनमान में विसंगति दूर किया जाना—वेतनमान के वर्गीकरण की शक्ति वेतन पुनरीक्षण समिति में निहित है तथा न्यायालय को वेतनमान में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए जबतक कि यह मनमानेपन से कलंकित न हो—झारखंड राज्य के सृजन के पूर्व से मौजूद सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा—समान अवस्थिति वाले कर्मचारियों के लिए दो वेतनमान विहित करने का कोई औचित्य नहीं होगा—

आक्षेपित आदेश अपास्त तथा प्रत्यर्थीगण को याचीगण के वेतनमान में मौजूद विसंगति को दूर करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–1989 (1) SCC 121; 1993 (Supp.) (1) SCC 1; 2009 (1) J.C.R 32 (Jhr.); 2007 (1) JCR 135 (Jhr.) 2007 (1) JCR 92 (Jhr.)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Saurabh Shekhar, Rishiraj Verma, (in 286); Mr. Prabhash Kumar (in 6149), For the Petitioners; Ms. Kanchan Kumari (in 286); Mr. Rajesh Kr. Singh (in 6149), For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–चूँकि पूर्वोक्त आवेदनों में अंतर्ग्रस्त मुद्दे तथ्यों एवं विधि के सम्मिलित प्रश्न से संबंधित हैं तथा इप्सित प्रार्थना कमोबेश समान हैं, उनके अधिवक्ताओं की सहमति से, दोनों रिट याचिकाओं को एक साथ सुना जाता है तथा इस सम्मिलित आदेश द्वारा निपटाया जाता है।

डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 286 वर्ष 2013

2. पूर्वोक्त आवेदन में, याचियों ने प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा निर्गत दिनांक 8.6.2010 के आदेश के आक्षेपित भाग को अभिखंडित करके वेतनमान में विसंगति को दूर करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की मांग की है जिसके द्वारा कर्मचारियों को 5,000-8,000/- रू॰ का वेतनमान प्रदान करने के लिए सामान्य आदेश पारित किया गया था जिन्हें 1.4.1981 के पहले नियुक्त किया गया था जबकि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को 4,000-6,000/- रू॰ का निम्नतर वेतनमान प्रदान किया गया है जिन्हें 1.4.1981 के बाद सहायक/लिपिकीय संवर्ग के पद पर नियुक्त किया गया है।

3. आवेदन सं॰ 286/2013 में यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचीगण को क्रमशः दिनांक 12 जून, 1981, 25 फरवरी, 1983, 4 जुलाई, 1983, 11 मार्च, 1986 तथा 3 दिसम्बर, 1996 के विभिन्न आदेशों के तहत वन संरक्षक के अधीन सम्यक रूप से गठित समिति द्वारा सर्किल सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था तथा उक्त पद पर नियुक्ति के उपरांत, उन्होंने प्राधिकारियों को परम संतुष्टि कराते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। तत्कालीन बिहार राज्य में फिटमेंट कमिटि का गठन किया गया था, चूँकि पाँचवें वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसायें तथा फिटमेंट कमिटि की अनुशंसायें दिनांक 8.2.1999 के संकल्प के तहत अपनायी गयी है। उक्त संकल्प के अनुसरण में, अंचल सहायक का वेतनमान 5,000-8,000/- रू॰ के वेतनमान में निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी है। याचीगण पाँचवें वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा पर आधारित 1.1.1996 के प्रभाव से वेतनमान बढ़ाये जाने की उम्मीद कर रहे थे। तत्कालीन बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत, झारखंड राज्य के वित्त विभाग ने दिनांक 8.10.2001 के मेमो के तहत नियुक्ति की तिथि के आधार पर दो भिन्न वेतनमान के निर्धारण का आदेश निर्गत किया तथा 1.4.1981 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गयी थी। कट-ऑफ तिथि के अनुसार, जिन लोगों को 1.4.1981 के पहले नियुक्त किया गया था, उन्हें 5,000-6,000/- रू॰ का वेतनमान दिया गया था तथा 1.4.1981 के उपरांत नियुक्त अंचल सहायकों को 4,000-6,000/- रूपया का वेतनमान दिया जाना था। रिट आवेदन में इसकी पुनरावृत्ति की गयी है कि बिहार राज्य ने 22.10.2007 का परिपत्र निर्गत किया है जिसके द्वारा फिटमेंट कमिटि की अनुशंसायें सभी अंचल सहायकों को 1.1.1996 के प्रभाव से 5,000-8,000/- के वेतनमान के संबंध में कार्यान्वित की गयी है जैसा कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 से प्रकट है। कर्मचारियों के एक ही वर्ग में वेतनमान की विसंगति तथा असंगतता से व्यथित होकर,

याचीगण ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 4 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है तथा अभ्यावेदनों पर विचार करके, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने दिनांक 10.12.2002 के पत्र के तहत वेतनमान की विसंगति दूर करने तथा 5,000-8,000/- रूपया का वेतनमान प्रदान करने की सचिव को अनुशंसा की है, जैसा कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 5 से प्रकट है। समान स्थिति वाले कर्मचारियों द्वारा इसी प्रकार का मुद्दा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1080 वर्ष 2004 में उठाया गया था तथा उक्त रिट याचिका संबंधित प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को विधि के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रतिप्रेषित करके निपटाया गया था। उक्त आदेश के अनुसरण में, एक निर्णय लिया गया है उसमें यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अब कोई विसंगति विद्यमान नहीं है तथा 1.4.1981 की कट-ऑफ तिथि जैसा कि विहित की गयी है सही है। पूर्वोक्त आदेश इस रिट आवेदन में रिट आवेदन के परिशिष्ट 7 के तहत आक्षेपित है। रिट आवेदन के परिशिष्ट 7 के तहत आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका अपनी व्यथा के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचीगण दाखिल की गयी है।

4. याचीगण द्वारा दिनांक 26.4.2017 का सम्पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि नियुक्ति के समय सभी याचीगण के पास इंटरमिडियट की अपेक्षित अर्हता थी, जो सर्किल सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता थी तथा सर्किल सहायक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों का इतिहास एक जैसा होने के कारण जिसे सम्पूरक शपथपत्र के परिशिष्ट 9 के अनुसार **पन्ना लाल प्रसाद बनाम झारखंड राज्य** के मामले में **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1080 वर्ष 2004** में पारित आदेश में ध्यान में लिया गया है।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर निवेदन किया कि वेतन निर्धारण के लिए दो भिन्न कट-ऑफ तिथियाँ प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों द्वारा तय की गयी है अर्थात् 1.4.1981 के पहले नियुक्त व्यक्तियों के लिए 5,000-6,000/- रूपये का वेतनमान प्रदान किया गया था, जबकि 1.4.1981 के उपरांत नियुक्त व्यक्तियों के लिए 4,000-6,000/- रूपये का वेतनमान मनमाने तथा भेदभावपूर्ण रूप से प्रदान किया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के प्रतिकूल दो भिन्न वेतनमान देने के लिए 1.4.1981 की कट-ऑफ तिथि का निर्धारण तथा इसके उपरांत फिटमेंट कमिटि की अनुशंसायें समान स्थिति वाले कर्मचारियों की वेतन विसंगति में परिणत हुई है तद्द्वारा एक वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 7 के तहत लिया गया आक्षेपित निर्णय बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 के प्रतिकूल है।

6. रिट आवेदन में उठाये गये तर्कों का प्रतिवाद करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा दिनांक 22.11.2017 की संशोधित रिट याचिका का प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है। प्रति शपथ पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया गया है कि याचीगण की समस्या का काफी लम्बा इतिहास रहा है तथा याचीगण को पहले ही विवाद उठाना चाहिए था। वस्तुतः वर्ष 1971 में पदों तथा वेतनमानों की सूची में, जिन्हें 1971 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया गया था, वन संरक्षकों के कार्यालयों में तैनात अवर श्रेणी सहायक के पद का कोई जिक्र नहीं है। इसके अतिरिक्त न तो तृतीय और न ही चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति और न ही फिटमेंट सह वेतन पुनरीक्षण समिति ने विसंगति पर परिचर्चा किया है तथा प्रति शपथपत्र के परिशिष्ट A के अनुसार फिटमेंट कमिटि की रिपोर्ट में यथा वर्णित रिपोर्टों में से किसी में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। फिटमेंट कमिटि की रिपोर्ट का पैराग्राफ 27.5.2 तथा 27.5.3 प्रति शपथपत्र के परिशिष्ट A के तौर पर संलग्न किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य ने 8.2.1999 को एक संकल्प जारी किया था जिसमें यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारित, समेकित वेतनमान या समय वेतनमान वाले पदों के लिए उपयुक्त वेतनमान निर्गत करना संभव नहीं रहा है। विहित अर्हता, कर्तव्यों की प्रकृति, पुनरीक्षित वेतनमान तथा अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर जाँच करने तथा उपयुक्त परामर्श के लिए ऐसे मामलों को वित्त विभाग को निर्दिष्ट करने का परामर्श दिया जाता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्तमान पदधारक मौजूदा वेतनमान में वर्तमान दर पर भत्ते तथा अंतरिम राहत आहरित करना जारी रखेंगे जबतक कि प्रति शपथपत्र के परिशिष्ट B के अनुसार अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता। तत्कालीन बिहार राज्य के निर्णय के निबंधनानुसार, वित्त विभाग ने वन विभाग में सर्किल सहायकों का वेतनमान निर्धारित किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि जहाँ तक वन विभाग में कार्यरत उन सर्किल सहायकों का संबंध है जिन्हें 1.4.1981 के पहले नियुक्त किया गया था तथा जिन्हें 5,000-8,000/- का वेतनमान प्रदान किया गया था, यह निवेदन किया गया है कि उक्त वेतनमान फिटमेंट अपीलीय कमिटि के इन निष्कर्षों के निबंधनों में प्रदान किया जा रहा है कि सहायकों को 5,000-8,000/- का वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक वन विभाग में अंचल निरीक्षक के मामले का संबंध है, फिटमेंट कमिटि ने रिपोर्ट के पैरा 27.5.3 में 5,000-8,000/- के वेतनमान का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक 1.4.1981 के उपरांत नियुक्त लोगों को 4,000-6,000/- का वेतनमान दिये जाने का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि इसके पीछे का तर्काधार रिट आवेदन के ही परिशिष्ट 2 में समाविष्ट है। यही पत्र वित्त विभाग, झारखंड राज्य द्वारा निर्गत किया गया है तथा उक्त संकल्प का खंड 3 इसे स्पष्ट कर देता है कि वेतनमान 1.4.1981 के पहले नियुक्त लोगों तक सीमित होगा तथा उक्त पद ऐसे कर्मचारियों के साथ समाप्त हो गये हैं जो उक्त पद धारण किये हुये थे तथा सेवानिवृत्त हो गये हैं। अब से, उक्त पद मुफस्सिल संवर्ग के स्थापन में अंतरित हो गये हैं तथा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण दिनांक 8.2.1999 के मेमो के तहत निर्गत संकल्प तथा समय-समय पर इसके अनुसरण में निर्गत विभागीय पत्र के अनुसार किया जायेगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि मुफस्सिल संवर्ग में सहायक 4,000-6,000/- का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे याचीगण भी उक्त वेतनमान पाने के हकदार होंगे।

<u>डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6149 वर्ष 2010</u>

7. संक्षिप्त तथ्य जो डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6149 वर्ष 2010 में प्रकट किये गये हैं यह है कि याची पहले 1.4.1981 के उपरांत वन विभाग में सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 30.12.1981 के संकल्प के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान 580-860/- के वेतनमान के साथ पुनरीक्षित किया गया था तथा 580-860/- का वेतनमान भी 5,000-8,000/- के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया था किन्तु राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दिनांक 6.11.2001 के पत्र के तहत 1.4.1981 के पहले तथा 1.4.1981 के उपरांत सहायकों के लिए दो भिन्न वेतनमान सृजित किये थे। रिट आवेदन में यह प्रकथन किया गया है कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1080 वर्ष 2004 में दिनांक 19.2.2010 के आदेश के अनुसरण में, राज्य सरकार का दिनांक 8.6.2010 का त्रुटिपूर्ण आदेश वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया है जो रिट आवेदन में आक्षेपित है।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर निवेदन किया है कि कट-ऑफ तिथि निर्धारित करके कर्मचारियों के एक ही वर्ग की विषमता का मुद्दा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1080 वर्ष 2004 में दिनांक

19.2.2010 के निर्णय में आमेलन के अनुसार अवैधानिक अभिनिर्धारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि उक्त निर्णय के पैराएँ 17 से 20 के परिशीलन पर, यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया है कि निर्णय अयुक्तिसंगत, अन्यायोचित तथा पूर्वाग्रहग्रस्त है, अतएव, न्यायिक पुनर्विलोकन के अध्यधीन है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 75 वर्ष 2011 में पारित दिनांक 17 मई, 2012 के आदेश की दृष्टि में, आदेश जो वर्तमान मामले में 1.2.2011 को पारित किया गया था, अपास्त कर दिया गया है तथा एल॰ पी॰ ए॰ इस माननीय न्यायालय द्वारा नये सिरे से सुनवायी के लिए अनुज्ञात किया गया था।

9. रिट आवेदन में किये गये प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा दिनांक 14.7.2017 का प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है। प्रति शपथपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया गया है कि वन संरक्षक के कार्यालय के अनुसार, चौथे वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के आधार पर केवल मुफ्फसिल स्थापन का वेतनमान मंजूर किया जाता है, अतएव, याचीगण जो 1.4.1981 के पहले या इसके उपरांत नियुक्त किये गये थे, मुफ्फसिल स्तरीय अनुसचिवीय कर्मचारी हैं जिसके लिए 580-860/- रूपये का वेतनमान 1.4.1981 के प्रभाव से प्रदान किया गया था। फिटमेंट-सह-विगत वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर, इस वेतनमान को प्रति शपथपत्र के परिशिष्ट D के तहत दिनांक 30.12.1981 के संकल्प के अनुसार 1.1.1996 के प्रभाव से 4,000-6,000/- रूपया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वित्त आयोग ने वन विभाग के अंचल कार्यालयों के सहायकों के लिए किसी पृथक वेतनमान की अनुशंसा नहीं की थी जो मुफ्फसिल स्तरीय कर्मचारी की तुलना में उच्चतर वेतनमान आहरित कर रहे थे अतएव, मामला सर्किल कार्यालयों के सहायकों के अभ्यावेदन पर झारखंड सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया गया था। वित्त विभाग ने मामले की विस्तृत संवीक्षा के उपरांत अंचल कार्यालयों के सहायकों को दो कोटियों में विभाजित करने का निर्णय किया: प्रथम कोटि उन लोगों की थी जिन्हें 1.4.1981 के पहले नियुक्त किया गया था तथा दूसरी कोटि उन सहायकों की थी जिन्हें 1.4.1981 के उपरांत नियुक्त किया गया था। वित्त विभाग ने प्रति शपथपत्र के परिशिष्ट E के अनुसार दिनांक 30.12.1981 के संकल्प के पैराग्राफ 8 की दृष्टि में 5,000-8,000/- का वेतनमान अस्वीकार कर दिया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से याची को 1.4.1981 के उपरांत अंचल कार्यालय में एक सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था एवं, अतएव, वह मुफ्फसिल स्तरीय अनुसचिवीय कर्मचारी है तथा परिशिष्ट E में अंतर्विष्ट वित्त विभाग के पत्र के अनुसार 4,000-6,000/- का वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कार्य मूल्यांकन या वेतनमान निर्धारण का समीकरण वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों के प्राथमिक प्रकार्य हैं, जिसमें सामान्यत: न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसा कि **1989(1) SCC 121** में प्रकाशित **उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम एस॰ पी॰ चौरसिया एवं अन्य** के मामले में तथा **1993 (Supp.) (i) SCC-1** में प्रकाशित **सचिव, वित्त विभाग एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल निबंधन सेवा संघ** के भी मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 8.6.2010 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में पूरी तरह वैधानिक एवं वैध हैं तथा उक्त आदेश में तर्कपूर्ण कारण वर्णित किये गये हैं।

10. याची की ओर से दिनांक 27.7.2017 का उत्तर/प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि बिहार सरकार ने फिटमेंट कमिटि तथा फिटमेंट अपीलीय कमिटि की उसी अनुशंसा पर विश्वास करते हुए दिनांक 26.10.2007 के संकल्प के तहत कट-ऑफ तिथि 20.12.2000 निर्धारित की थी तथा आदेश दिया था कि 20.12.2000 के पहले नियुक्त सहायकों को 5,000-8,000/- का वेतनमान दिया जायेगा, जो कि युक्तिसंगत तथा तर्कपूर्ण होगा। मामला की उत्पत्ति तब हुई थी जब

बिहार अविभाजित था एवं याची प्रत्युत्तर शपथपत्र के परिशिष्ट 6 के तहत दिनांक 26.10.2007 के संकल्प के अनुसार उसी संवर्ग में था। आगे यह निवेदन किया गया था कि माननीय न्यायालय ने **बिशेश्वर प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 176 वर्ष 2005)** का मामला 18.10.2008 को निपटाया था जिसे **2009(1) J.C.R. 32 (Jhr.)** में प्रकाशित किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक ही संवर्ग में दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं।

11. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6149 वर्ष 2010 की सुनवायी के दौरान **2007(1) JCR 135 (Jhr.)** में प्रकाशित मामले (**सुधीर कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य)** तथा **2007(1) JCR 92 (Jhr.) (सत्येन्द्र कुमार दूबे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** में प्रकाशित निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

12. पूर्वोक्त रिट याचिकाओं में दाखिल अभिवचनों, प्रति शपथपत्र तथा साथ ही प्रत्युत्तर के परिशीलन पर, निर्धारित किये जाने वाला मुद्दा निम्नवत है:–

(I)(a) क्या 1.4.1981 के तौर पर निर्धारित कट–ऑफ तिथि प्राप्त किये जाने को ईप्सित उद्देश्य पर तर्कसंगत रूप से आधारित है।

(b) क्या पाँचवें वेतन पुनरीक्षण कमिटि के उपरांत 1.4.1981 के पहले तथा उपरांत नियुक्त सर्किल सहायकों के पद पर दो भिन्न वेतनमान 5,000-8,000/- एवं 4,000-6,000/- एक वर्ग के भीतर वर्ग सृजित करता है ताकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी हो।

(c) क्या झारखंड राज्य के सृजन के पहले दिनांक 8.2.1999 की फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा झारखंड राज्य पर प्रयोज्य होगा या इसमें कोई परिवर्तन पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 के प्रावधान के प्रतिकूल होगा।

(II) बिहार राज्य ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 के अनुसार 1.1.1996 के प्रभाव से सर्किल सहायकों के संवर्ग के लिए 5,000-8,000/- रूपये का एकल वेतनमान बनाये रखने के लिए दिनांक 22.10.2007 का परिपत्र निर्गत किया है किन्तु याचीगण जिन्हें 1.4.1981 के बाद नियुक्त किया गया है, को वैधानिक रूप से अमान्य आधारों पर 4,000-6,000/- के अपेक्षाकृत कम वेतनमान में रखा गया है। याचीगण दावा करते हैं कि वे निम्नलिखित आधारों पर 1.4.1981 के पहले नियुक्त व्यक्तियों के समतुल्य हैं:–

(क) नियुक्तियाँ एक ही संवर्ग में एक ही पद पर की गयी है।

(ख) 1.4.1981 के पहले की गयी नियुक्तियाँ तथा पद दोनों एक ही प्रकृति के कार्य करते हैं।

(ग) 1.4.1981 के पूर्व शैक्षणिक अर्हता तथा पद इंटरमिडियट है, सभी याचीगण इंटरमिडियट उत्तीर्ण हैं।

(घ) इसके अतिरिक्त, याची डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 1080 वर्ष 2004 में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की दृष्टि में 5,000-8,000/- रूपये के एकीकृत वेतनमान में रखे जाने के हकदार हैं।

(III) फिटमेंट कमिटि की दिनांक 8.2.1999 की अनुशंसा 1.4.1981 के पहले तथा 1.4.1981 के बाद नियुक्त लोगों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। तत्कालीन बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत, उक्त भिन्नता जो कि आक्षेपित आदेश में की गयी है, बिहार राज्य की दिनांक 22.10.2007 की

अधिसूचना द्वारा मिटा दी गयी प्रतीत होती है किन्तु कर्मचारियों के उसी समूह के लिए वर्ग में एक वर्ग निर्मित किया गया है।

(IV) बेहतर मूल्यांकन के लिए, पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा, जो निम्नवत पठित है:–

*''72. **बिहार एवं झारखंड में सेवाओं से संबंधित प्रावधान.**–(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले मौजूदा बिहार राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत है, उस दिन को तथा से बिहार राज्य के कार्यकलापों के संबंध में औपबंधिक रूप से सेवायें प्रदान करता रहेगा जबतक कि उससे केन्द्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा झारखंड राज्य के कार्यकलापों के संबंध में औपबंधिक रूप से सेवायें प्रदान करना आवश्यक न हो:*

परंतु यह कि नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के उपरांत इस धारा के अधीन कोई निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा।

(2) नियत दिन के उपरांत यथासंभव यथाशीघ्र, केन्द्र सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उत्तदाधिकारी राज्य जिसमें उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित किया जायेगा तथा वह तिथि जिसके प्रभाव से ऐसा आवंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जायेगा, निर्धारित करेगी।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप–धारा (2) के प्रावधानों के अधीन उत्तराधिकारी राज्य आवंटित किया गया है, अगर वह उसमें पहले से ही सेवायें प्रदान नहीं कर रहा है, ऐसी तिथि से उत्तराधिकारी राज्य में सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, जिसपर संबंधित सरकारों के बीच सहमति बने या ऐसे करार के व्यतिक्रम में, उस रीति में जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(VI) पूर्वोक्त प्रावधान के सादे पठन पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि झारखंड राज्य के सृजन के पूर्व से मौजूदा सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु फिटमेंट कमिटि सर्किल सहायक के 1.4.1981 के पहले तथा इसके बाद नियुक्त लोगों के वेतनमानों के दो समूहों को मान्यता प्रदान नहीं करता है।

(VII) अब यह अनिर्णीत विषय नहीं है कि वेतनमान के वर्गीकरण के लिए शक्ति वेतन पुनरीक्षण कमिटि में निहित है तथा न्यायालय को वेतनमान में परिवर्तन करने का अनिच्छुक होना चाहिए जबतक कि यह अवैधानिकताओं तथा अमान्य आधारों पर आधारित मनमानेपन से कलंकित न हो।

(VIII) किन्तु वर्तमान मामले में, इस तथ्य की दृष्टि में कि प्रकटत: 1.4.1981 के पहले तथा इसके उपरांत नियुक्त लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है तथा समान रूप से स्थित कर्मचारियों के लिए दो वेतनमान विहित करने के लिए कोई औचित्य नहीं होगा।

13. पूर्वोक्त कारणों के तार्किक परिणाम के तौर पर, दिनांक 8.6.2010 के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, इसे अभिखंडित किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थीगण को दिनांक 8.10.2001 के आक्षेपित आदेश का भाग अभिखंडित करके तथा 4,000/-6,000/- के स्थान पर 5,000-8,000/- का वेतनमान प्रदान करने के लिए पंचम वेतन पुनरीक्षण कमिटि के उपरांत गठित फिटमेंट कमिटि की अनुशंसाओं के आधार पर याचीगण के वेतनमान में विसंगति दूर करने का आदेश दिया जाता है। पूर्वोक्त कार्य एक युक्तिसंगत अवधि के भीतर अधिमानत: आदेश की प्रति/संसूचना की प्राप्ति की तिथि से 4 महीनों के भीतर पूरा किया जाय।

14. पूर्वोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

शंकर चौधरी (दोनों में)

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W. P. (C) Nos. 1564, 810 of 2018. Decided on 13th September, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 47—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धाराएँ 11, 18, 30, 53 एवं 54—अधिनिर्णय का प्रभाजन—धारा 11 के अधीन निर्धारित मुआवजे की राशि अथवा अधिनिर्णय पर अभ्यापत्ति केवल समाहर्ता के समक्ष उठायी जा सकती है जो विवाद को न्यायालय के निर्णय हेतु निर्दिष्ट करेगा—अधिनिर्णय को केवल न्यायालय द्वारा धारा 18 के अधीन रेफरेंस में पुनः खोला जा सकता है तथा किसी भी परिस्थिति में अधिनिर्णय जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है, को न्यायालय द्वारा या समाहर्ता द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 54 के अधीन चुनौती दिये जाने पर ही फिर से खोला जा सकता है अन्यथा नहीं—सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 47 अभिधान के विवादित प्रश्नों की जाँच किया जाना अनुध्यात नहीं करता है और न ही कोई दावा जैसा कि याची द्वारा रखा गया है, इसके अधीन न्यायनिर्णीत किया जा सकता है—निष्पादन कार्यवाहियों में विभिन्न आवेदकों द्वारा रखे गये दावे आवश्यक रूप से विभाजन हेतु दावे होते हैं जिसे निष्पादन न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है—रिट याचिकायें खारिज। (पैराएँ 6, 7, 12 से 16)

निर्णयज विधि.—(1996) 4 SCC 178—Referred; AIR 1966 SC 237; (1997) 6 SCC 280; (1996) 9 SCC 84; (1996) 7 SCC 218; AIR 1965 SC 304; (1995) 6 SCC 233; AIR 1965 SC 304—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Ajit Kumar, Chanchal Jain, For the Petitioners; Mr. Chandra Shekhar Singh, For the State.

आदेश

दोनों रिट याचिकाओं में निष्पादन केस सं॰ 01/2010 एवं 02/2010 में पारित दिनांक 29.11.2017 का सम्मिलित आदेश चुनौती के अधीन है।

2. याची की ओर से उठाया गया प्रतिवाद यह है कि उसके द्वारा दाखिल किया गया दिनांक 28.3.2016 का आवेदन सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 47 के अधीन दाखिल किया गया है तथा निष्पादक न्यायालय को अधिनिर्णय के प्रभाजन के लिए परस्पर विरोधी दावों का निर्णय करने की शक्तियाँ हैं। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अजित कुमार ने **(1996) 4 SCC 178** में प्रकाशित **''शहरी समुन्नयन ट्रस्ट, जोधपुर बनाम गोकुल नारायण (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं एक अन्य''** में दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है।

3. संक्षिप्त रूप से कथित, प्रश्नगत भूमि ग्राम रामगढ़ में खाता सं॰ 353 के अंतर्गत भूखंड संख्याओं 34, 39 एवं 41/1, कुल क्षेत्रफल 1.15 एकड़ से गठित है। किसी मानिक चंद चौधरी सम्मिलित पूर्वज जिसके तीन बेटे थे, रिचपाल चौधरी, कालू राम चौधरी, तथा सूरज मल चौधरी, ने अपने पुत्र रिचपाल चौधरी के नाम पर पूर्वोक्त भूमि खरीदी। याची दावा करता है कि उसका नैसर्गिक पिता कालू राम चौधरी था, किन्तु, उसे सूरज मल चौधरी द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया था। उक्त सूरज मल चौधरी की एक बेटी थी, गीता देवी जो कि प्रत्यर्थी सं॰ 7 है; रिचपाल चौधरी की मृत्यु निस्संतान हो गयी। पूर्वोक्त भूमियाँ एल॰ ए॰ केस सं॰ 12/85-86 के तहत अर्जित की गयी थी जिसमें कालू राम चौधरी के नाम पर अधिनिर्णय तैयार किया गया था; तोषण तथा 12% ब्याज के अतिरिक्त 1,56,180/- रूपया का मुआवजा निर्धारित

किया गया था। कालू राम चौधरी द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर भूमि का मूल्यांकन किये जाने पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन एल॰ आर॰ केस सं॰ 06/88 एवं एल॰ आर॰ केस सं॰ 20/90 के तहत दो पृथक रेफरेंस किये गये थे। रेफरेंस मामलों के लम्बित रहने के दौरान, कालू राम चौधरी की मृत्यु हो गयी तथा उसके स्थान पर उसकी पत्नी–मोस्मात धापा को प्रतिस्थापित किया गया था। अंतत:, विशेष न्यायाधीश–सह–भूमि अर्जन मामला ने भूमि का मूल्य 10,000/- रूपया प्रति डिस्मिल तक बढ़ा दिया। फिर भी व्यथित रहने पर, मोस्मात धापा ने मूल आदेश सं॰ 51 वर्ष 2005 संक्षेप में एफ॰ ए॰ सं॰ 51 वर्ष 2005 दाखिल किया, जिसे कुल मुआवजा राशि तीन महीनों के भीतर जमा करने, अगर पहले ही जमा नहीं किया गया है, का प्रत्यर्थी–राज्य को निर्देश देकर दिनांक 27.3.2014 के आदेश द्वारा खारिज किया गया था। एफ॰ ए॰ सं॰ 51 वर्ष 2005 के लम्बित रहने के दौरान मोस्मात धापा की मृत्यु हो गयी तथा उसके स्थान पर गोपाल लाल चौधरी, गिरधारी लाल चौधरी तथा वर्तमान याची ने अपने आप को मोस्मात धापा के पुत्र होने का दावा करते हुए उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया जिसे दिनांक 18.12.2007 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था, किन्तु अपील अंतिम रूप से निपटाये जाने के पहले ही गिरधारी लाल चौधरी की भी 29.5.2011 को मृत्यु हो गयी; उसकी पत्नी की 29.6.2011 को मृत्यु हो गयी। दिनांक 30.1.2013 के आदेश के तहत, गिरधारी लाल चौधरी के वैधानिक उत्तराधिकारियों तथा वारिसों के प्रतिस्थापन हेतु दाखिल आई॰ ए॰ सं॰ 2441 वर्ष 2011 अनुज्ञात किया गया था। अपील खारिज किये जाने के उपरांत, दिनांक 12.2.2016 का 1,21,12,968/- रूपये की मांग ड्राफ्ट न्यायालय में जमा की गयी थी; एल॰ आर॰ केस सं॰ 20/90 में ब्याज के साथ कुल अधिनिर्णय राशि 70,08,620/- रूपयों पर तथा एल॰ आर॰ केस सं॰ 06/88 में 51,04,348/- रूपयों पर संगणित की गयी है। पूर्वोक्त रेफरेंस मामलों में तैयार किये गये अधिनिर्णयों को प्रवर्तित कराने के लिए, दो निष्पादन मामले प्रारंभ किये गये हैं।

4. याची शंकर चौधरी के नाम पर तैयार की गयी दिनांक 12.2.2016 का यह मांग ड्राफ्ट पक्षों के बीच कलह का कारण बन गयी है। याची ने सम्पूर्ण मुआवजे पर अपना दावा करते हुए आवेदन दाखिल किया है। उसने यह स्थिति सामने लाया है कि अधिनिर्णीती मोस्मात धापा की मृत्यु के उपरांत, उसके पास अधिनिर्णय के प्रभाजन के प्रति अभ्यापत्ति करने का कोई अवसर नहीं था एवं, इसलिए, उसके द्वारा दाखिल दिनांक 28.3.2016 का आवेदन गुणागुणों पर निर्णीत किये जाने की आवश्यकता है।

5. पचास वर्षों से अधिक समय पूर्व **AIR 1966 SC 237** में प्रकाशित **''जी॰ एच॰ ग्राण्ट डी॰ आर॰ (सभी अपीलों में) बनाम बिहार राज्य (सभी अपीलों में)''** में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्प्रेक्षित किया है कि भूमि अर्जन अधिनियम एक सुगठित योजना प्रकट करता है। अधिनियम में तीन प्रावधान हैं, अर्थात् धारा 11, 18 एवं 30 जो मुआवजा के प्रभाजन पर विचार करता है। धारा 11 के अधीन धारा 9 के अधीन नोटिस दिये जाने के अनुसरण में अभ्यापत्ति, अगर कोई हो, जैसा कि किसी हितबद्ध व्यक्ति ने कथन किया है, पर समाहर्ता द्वारा जाँच संचालित कर लिये जाने के उपरांत समाहर्ता भूमि में हित रखने वाले के रूप में ज्ञात या विश्वास किये जाने वाले समस्त व्यक्तियों के बीच मुआवजा का प्रभाजन करेगा, जिसके या जिसके दावे से उसे जानकारी है, कि क्या वह उसके समक्ष उपस्थित हुए हैं या नहीं। इसी चरण पर धारा 30 अस्तित्व में आती है। यह प्रावधानित करता है कि अगर धारा 11 के अधीन प्रदान किये गये मुआवजे के प्रभाजन को लेकर कोई विवाद उद्भूत होता है, समाहर्ता ऐसे विवाद को न्यायालय के निर्णय हेतु निर्दिष्ट कर सकता है। धारा 18 प्रावधानित करता है कि किसी हितबद्ध व्यक्ति के लिखित आवेदन पर जिसने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, समाहर्ता मामले को न्यायालय के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट करेगा। धारा 18 के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा अधिनिर्णय के प्रति अभ्यापत्ति भूमि के मापन, मुआवजा की राशि, व्यक्ति जिसे यह भुगतेय है, अथवा हितबद्ध व्यक्तियों के बीच मुआवजे के प्रभाजन तक सीमित होगी। यह एक ऐसी स्थिति अनुध्यात करता है जिसमें एक से अधिक अधिनिर्णीती होंगे तथा

धारा 18 के अधीन यथा इंगित मुद्दे पर अभ्यापत्ति एक अथवा एक से अधिक लोगों द्वारा उठायी गयी है। धारा 30 प्रभाजन को लेकर विवाद भी अनुध्यात करता है। यह प्रावधानित करता है कि अगर कोई धारा 11 के अधीन निर्धारित मुआवजा या इसके किसी भाग के प्रभाजन को लेकर या उन व्यक्तियों जिन्हें यह या इसका कोई भाग भुगतेय है, को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, समाहर्ता ऐसे विवाद को न्यायालय के निर्णय हेतु निर्दिष्ट कर सकता है।

6. धारा 18 तथा धारा 30 के बीच मूल अंतर यह है कि धारा 18 आज्ञापक है तथा जब मामले में हितबद्ध किसी व्यक्ति से समाहर्ता द्वारा कोई लिखित अभ्यापत्ति प्राप्त की जाती है, मामले को समाहर्ता द्वारा न्यायालय के निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जबकि धारा 30 आज्ञापक नहीं है। धारा 30 वैवेकिक है तथा समाहर्ता या तो हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उठाये गये विवाद का निर्णय कर सकता है या यह ऐसे विवाद को न्यायालय के निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर सकता है। धारा 18 तथा धारा 30 के बीच अन्य भिन्नताओं पर यहाँ पर चर्चा किया जाना आवश्यक नहीं है, जो अभिलिखित किया जाना प्रासंगिक है, वह यह है कि भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय या धारा 11 के अधीन निर्धारित मुआवजा की राशि के प्रति अभ्यापत्ति केवल समाहर्ता के समक्ष उठायी जा सकती है जो विवाद को निर्णय के लिए न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। धारा 18 तथा धारा 30 की परिधि, विस्तार तथा प्रयोज्यता पर जमा धूल अब सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा निपटा लिया गया प्रतीत होता है; धारा 30 धारा 18 के पहले आती है। धारा 11 के अधीन निर्धारित मुआवजा के प्रभाजन पर विवाद समाहर्ता द्वारा न्यायालय के निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, जबकि अभ्यापत्तिकर्ता के लिखित आवेदन पर हितबद्ध व्यक्तियों के बीच अधिनिर्णय में मुआवजा के प्रभाजन पर विवाद को समाहर्ता द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। प्रकटत: धारा 30 को धारा 12 के अधीन अधिनिर्णय के अंतिमता प्राप्त करने के पहले प्रयोज्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 12 के अधीन अधिनिर्णय के अंतिमता प्राप्त करने के उपरांत ही इसे धारा 18 के अधीन या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन तथा आपवादिक मामलों में या जहाँ वाद दाखिल करके कपट कारित करने का अभिकथन है, चुनौती दी जा सकती है।

7. समाहर्ता के समक्ष कार्यवाहियों के चरण पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे जबतक कि विवाद न्यायालय के निर्णय हेतु निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता। विधायी आशय धारा 53 के अधीन प्रतिबिंबित होता है जो ''न्यायालय'' में कार्यवाहियों को निर्दिष्ट करता है। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3(d) ''न्यायालय'' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय। अधिनियम ही ''समाहर्ता के अधिनिर्णय'' तथा ''न्यायालय के अधिनिर्णय'' के बीच एक विभेद करता है। जब धारा 18 के अधीन या धारा 30 के अधीन समाहर्ता द्वारा एक रेफरेंस किया जाता है, धारा 3(d) के अधीन परिभाषित न्यायालय अधिकारिता उपधारित करता है तथा रेफरेंस मामले में पारित अंतिम आदेश ''न्यायालय का अधिनिर्णय'' बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की एक लम्बी श्रृंखला में अभिनिर्धारित किया है कि भूमि अर्जन समाहर्ता एक न्यायालय नहीं है तथा न्यायालय से मूल सिविल अधिकारिता का न्यायालय अभिप्रेत होगा जिसे ''अधिनियम'' के अधीन रेफरेंस किया जायेगा। (देखें **(1997) 6 SCC 280** में प्रकाशित **''तोता राम बनाम उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य'')**

8. किन्तु, अधिनियम के अधीन ऐसे प्रावधान हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता को निर्दिष्ट करते हैं। धारा 14 तथा 40 प्रावधानित करती है कि अधिनियम के अधीन जाँच करने के प्रयोजन से समाहर्ता समन की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा गवाहों की उपस्थिति उसी प्रकार से तथा उसी रीति में प्रवर्तित करायेगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित है। धारा 53 जहाँ तक कि वे अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी चीज के असंगत नहीं हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन

न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर प्रयोज्य बनाती है। तथा धारा 26 एवं धारा 54 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अधीन यथा परिभाषित अधिनिर्णय को डिक्री मानने के लिए समझी जाने वाली परिकल्पना निर्मित करती है। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 53 अभिव्यक्ति ''जहाँ तक कि वे इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी चीज के असंगत हों, उसके सिवाय'' से प्रारंभ होता है। धारा 53 प्रकटत: ऐसी भाषा से युक्त है जो इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल किसी चीज की अनुमति नहीं है, जो कि अन्यथा संहिता के अधीन उपबंधित किया जा सकता था। भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन प्रावधानों के गहरे अध्ययन के बगैर तथा जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से पाया जा सकता है, अधिनियम के अधीन योजना इंगित करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता अपने सारवान भाग में भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में प्रयोज्य नहीं बनायी गयी है। यह कहना एक चीज है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान कार्यवाहियों में लागू होंगे, किन्तु यह पूरी तरह से एक भिन्न चीज है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के सदृश प्रावधान कार्यवाही में लागू किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, रिट कार्यवाही में प्रतिस्थापन, संशोधन, पुनर्विलोकन इत्यादि के लिए आवेदन का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिद्धांतों पर किया जाता है जैसे कि आदेश 1 नियम 10, आदेश 6 नियम 17 तथा आदेश 47 नियम 1 एवं 2, किन्तु तब हम सभी जानते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता रिट कार्यवाही में लागू नहीं होती है। **(1996) 9 SCC 84** में प्रकाशित **''अंबे देवी (श्रीमती) बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य''** में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्प्रेक्षित किया है कि भूमि अर्जन अधिनियम की योजना सिविल प्रक्रिया संहिता से असंगत है; संहिता केवल विवाद का निर्णय करने के लिए प्रक्रियात्मक प्रारूप विहित करता है। **(1996) 7 SCC 218** में प्रकाशित **''लक्ष्मी चंद एवं अन्य बनाम ग्राम पंचायत, कररिया एवं अन्य''** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि अर्जन अधिनियम स्वअंतर्विष्ट संहिता होने के कारण अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में सिविल न्यायालयों को अधिकारिता होगी। ''अंबे देवी'' में सहस्वामी द्वारा अभिवचन किया गया था कि सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 1 नियम 10 के अधीन सभी आवश्यक एवं उपयुक्त पक्षकारों को अभियोजित किया जाना अपेक्षित है एवं इसलिए इस तथ्य के निरपेक्ष रहते हुए कि सहस्वामियों में से एक ने धारा 18(2) के अधीन भूमि अर्जन पदाधिकारी को लिखित आवेदन नहीं दिया था, ऐसा सहस्वामी ऐसे अन्य सहस्वामी द्वारा दाखिल आवेदन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिये जाने के उपरांत भी रेफरेंस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत वर्धित मुआवजा पाने का हकदार है कि अधिनियम की धारा 53 केवल उस सीमा तक प्रयोज्य है जहाँ तक संहिता के अधीन यथा अनुध्यात विचारण की प्रक्रिया इत्यादि का संबंध है।

9. भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन सांविधिक प्रावधानों के पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, 1,21,12,968/- रूपया की संपूर्ण अधिनिर्णय राशि का दावा करने के लिए निष्पादन मामला सं॰ 01/2010 एवं 02/2010 में याची द्वारा दाखिल दिनांक 28.3.2016 के आवेदन की जाँच की जानी चाहिए।

10. एफ॰ ए॰ सं॰ 51 वर्ष 2005 खारिज किये जाने के उपरांत, याची यह प्राख्यान करते हुए दावा उठाने का आशय रखता है कि संपत्तियाँ जिसके संबंध में दिनांक 12.4.2005 का अधिनिर्णय मोस्मात धापा के नाम में तैयार किया गया था, उसके हिस्से में आयी थी तथा यही कारण है कि मांग ड्राफ्ट उसके नाम में तैयार किया गया है, तथा, वस्तुत: केवल उसने ही एल॰ आर॰ कार्यवाहियाँ अभियोजित की है तथा किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमें के व्यय का वहन नहीं किया है। निष्पादन मामला सं॰ 01/2010 तथा 02/2010 में दाखिल आवेदनों के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में उसने अपने आप को मोस्मात धापा के वैधानिक प्रतिनिधि के तौर पर प्रक्षेपित किया है। याची ने एक मामला तैयार किया है कि सूरज मल चौधरी की कोई संतान नहीं थी तथा अपनी मृत्यु के समय पर वह अवयस्क था तथा इसलिए वह कालू राम चौधरी तथा धापा देवी के अभिभावकत्व के अधीन रहा था। संपूर्ण अधिनिर्णय का दावा करने के

लिए याची अभिवचन करता है कि मानिक चंद चौधरी के पुत्रों के बीच सौहार्द्रपूर्ण बंटवारा के अधीन अर्जनाधीन भूमियाँ अनन्य रूप से उसके हिस्से में आयी थी तथा केवल उसने ही एल॰ आर॰ कार्यवाहियों का अभियोजन किया है। उसने प्राख्यान किया है कि उसके अन्य भाईयों या किसी वंशज का प्रश्नाधीन भूमियों में कोई हित शेष नहीं बचा है। गिरधारी लाल चौधरी के वैधानिक उत्तराधिकारियों के उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के माध्यम से प्रतिस्थापन को याची द्वारा यह कहते हुए चुनौती दी गयी प्रतीत होती है कि वे एक रूटीन तरीके से अभिलेख पर आये हैं तथा चूँकि लम्बित एफ॰ ए॰ सं॰ 51 वर्ष 2005 में उनके प्रतिस्थापन के अधीन संपत्तियों में उनका कोई हित नहीं बचा है।

11. दिनांक 28.3.1016 के आवेदन पर अधिनिर्णय राशि में अपने-अपने हिस्से का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा कई अभ्यापत्तियाँ दाखिल की गयी हैं। निष्पादन मामले में अपने प्रतिस्थापन के लिए स्वर्गीय गिरधारी लाल चौधरी के दोनों पुत्रों राकेश कुमार चौधरी तथा नीलेश कुमार चौधरी द्वारा सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 22 नियम 4 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया है। याची द्वारा इस आवेदन पर इस आधार पर अभ्यापत्ति की गयी है कि आवेदक और उनके पिता स्वर्गीय गिरधारी लाल चौधरी ने अपने आप को भूमि अर्जन कार्यवाहियों से पीछे हटा लिया था तथा उनका अर्जित संपत्तियों में कोई हित नहीं है, संभवत: वे स्वर्गीय गिरधारी लाल चौधरी के वैधानिक वारिस हैं। आवेदकों ने दिनांक 30.3.2016 का एक अन्य आवेदन यह दावा करते हुए दाखिल किया है कि केवल वे ही अधिनिर्णीत राशि प्राप्त करने के हकदार हैं न कि याची शंकर चौधरी। उन्होंने यह प्राख्यान किया है कि याची ने अधिनिर्णीत राशि हड़पने की दृष्टि से किसी प्रकार मोस्मात धापा के वैधानिक उत्तराधिकारी के तौर पर अपना नाम प्रतिस्थापित करवा लिया है। श्रीमती रेणु देवी तथा रीना अग्रवाल, जिनमें से दोनों स्वर्गीय गिरधारी लाल चौधरी की पुत्रियाँ हैं, द्वारा ''कोई आपत्ति नहीं'' बताते हुए एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया है। उन्होंने यह भी प्रकथन किया है कि याची शंकर चौधरी मोस्मात धापा तथा स्वर्गीय गिरधारी लाल चौधरी का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने यह अभिवचन भी किया है कि शंकर चौधरी ने संपूर्ण डिक्री राशि हड़पने के लिए निष्पादन मामले में अपना नाम अंत:स्थापित करवा लिया है। सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 के अधीन आवेदन गीता देवी के सिवाय छह व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया गया है, जिनमें से सभी स्वर्गीय कालू राम चौधरी की पुत्रियाँ होने का दावा कर रही हैं। इस आवेदन के पैराग्राफ 13 में उन्होंने अभिवचन किया है कि अगर विभाजन फिर से खोला जाता है वे अधिनिर्णय में अपने हिस्से का दावा रख सकते हैं जिसे पहले उन्होंने शंकर चौधरी के पक्ष में त्याग कर दिया था। आवेदक अर्थात् राकेश कुमार चौधरी तथा नीलेश कुमार चौधरी तथा याची शंकर चौधरी ने मामले में कई शपथपत्र/प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किये हैं।

12. प्रकटत:, पूर्वोक्त आवेदनों में आवेदकों द्वारा दावों का एक संपूर्ण समूह उठाया गया है। अधिनिर्णय में अपने हिस्से या संपूर्ण अधिनिर्णय के लिए अपने अधिकार का प्राख्यान करने के अतिरिक्त, वे अधिनिर्णय में कोई हिस्सा प्राप्त करने के याची शंकर चौधरी में कोई अधिकार होने से इनकार कर रहे हैं। तथा एफ॰ ए॰ सं॰ 51 वर्ष 2005 में पारित इस न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा गोपाल लाल चौधरी, राकेश कुमार चौधरी, नीलेश कुमार चौधरी, रेणु अग्रवाल, रीना चोरीवाल तथा शंकर चौधरी को मोस्मात धापा के वैधानिक उत्तराधिकारियों के तौर पर प्रतिस्थापित किया गया है। मेरे मत में, एफ॰ ए॰ सं॰ 51 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 27.3.2014 के अंतिम आदेश द्वारा पूर्वोक्त आदेश द्वारा यथा उपान्तरित धारा 26 के अधीन तैयार की गयी डिक्री ने अंतिमता प्राप्त कर लिया है तथा इसे निष्पादक न्यायालय द्वारा फिर से खोला नहीं जा सकता है, निश्चित रूप से ''न्यायालय के अधिनिर्णय'' के अधीन मुआवजा के प्रभाजन के लिए नहीं। **AIR 1965 SC 304** में प्रकाशित **''कोथामसू कनाकराथम्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य''** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय

की अधिकारिता केवल इसे रेफरेंस किये जाने के आधार पर उद्भूत होती है। उक्त मामले में धारा 30 के अधीन रेफरेंस विभिन्न दावेदारों के बीच मुआवजा के प्रभाजन के संबंध में किया गया था, किन्तु, रेफरेंस न्यायालय ने मुआवजा की राशि के संबंध में भी कार्यवाही की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चाहे राज्य ने रेफरेंस न्यायालय द्वारा मुआवजा की राशि के निर्णयन पर आपत्ति उठायी हो या नहीं, अतात्विक है तथा मुआवजा की राशि के रेफरेंस की अनुपस्थिति में न्यायालय रेफरेंस के अधीन विषय से सीधे संबंधित मामले पर विचार करने की अधिकारिता उपधारित नहीं कर सकता था।

13. काफी समय पहले यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भूमि अर्जन अधिनियम एक संपूर्ण संहिता है (देखें **(1995) 6 SCC 233** में प्रकाशित **''भारत संघ बनाम बुध सिंह एवं अन्य''।** यह पूरी तरह से एक भिन्न मामला है कि न्यायालय में कार्यवाहियों के दौरान अधिनिर्णय के अधीन अधिकारों के न्यागमन या समनुदेशन के परिणामस्वरूप अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए प्रतिस्थापन हेतु आवेदन दाखिल किया जाता है। किन्तु, अगर याची जैसे किसी व्यक्ति को निष्पादन में अधिनिर्णय के प्रभाजन पर अभ्यापत्ति उठाने की अनुमति दी जाती है, यह भूमि अर्जन पदाधिकारी को अधिनियम की धारा 12 के अभिव्यक्त प्रावधान के उल्लंघन में अंतिम अधिनिर्णय फिर से खोलने में सक्षम बनायेगा। अधिनिर्णय धारा 18 के अधीन रेफरेंस में केवल न्यायालय द्वारा ही दोबारा खोला जा सकता है तथा किसी अधिनिर्णय को जिसने अंतिमता प्राप्त कर लिया है, किसी भी परिस्थिति में समाहर्ता द्वारा या न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 54 के अधीन चुनौती के माध्यम से ही दोबारा खोला जा सकता है अन्यथा नहीं। (देखें **AIR 1965 SC 304** में प्रकाशित **कोथामसू कनाकराथम्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य''।**

14. आवश्यक रूप से, निर्णय उसका एक प्राधिकार होता है जिसका यह निर्णय करता है। ''शहरी समुन्नयन न्यास'' में केन्द्रीय संशोधन अधिनियम 68 वर्ष 1984 की प्रयोज्यता की प्रभावी तिथि मुद्दागत थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर जिला न्यायाधीश को संशोधन अधिनियम के अधीन अतिरिक्त लाभों को प्रदान करने की अधिकारिता की अंतर्निहित रूप से कमी थी, अधिनिर्णय की वैधता पर लिये गये अभिवचन की जाँच करने को अग्रसर हुआ। केन्द्रीय एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 23(2), 23(1-a) तथा 28 के अधीन तोषण, ब्याज तथा अतिरिक्त राशि अधिनिर्णीत करने की जिला न्यायाधीश की अंतर्निहित कमी वहाँ अंतर्ग्रस्त मुख्य मुद्दा था। विधि के प्रधान सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री जिसमें अंतर्निहित अधिकारिता की कमी है, एक अकृतता है तथा यह कि अकृतता का अभिवचन विचारण तथा सांपार्श्विक कार्यवाही जिसमें डिक्री प्रवर्तित कराने की ईप्सा की गयी है, स्थापित किया जा सकता है, कि सर्वोच्च न्यायालय ने ''शहरी समुन्नयन न्यास'' में सम्प्रेक्षित किया है कि सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 47 निष्पादन कार्यवाहियों पर लागू होगी।

15. इसके अतिरिक्त, सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 47 अभिधान के विवादित प्रश्नों की जाँच कराना अनुध्यात नहीं करता है न ही ऐसा कोई दावा जैसा कि याची द्वारा उठाया गया है, इसके अधीन न्यायनिर्णीत किया जा सकता है। निष्पादन कार्यवाहियों में विभिन्न आवेदकों द्वारा उठाये गये दावे अनिवार्य रूप से विभाजन हेतु दावे हैं जिसे निष्पादन न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 47 के अधीन उद्देश्यपूर्वक दाखिल किया गया याची का आवेदन विद्वान न्यायाधीश द्वारा उपयुक्त प्रकार से ग्रहण नहीं किया गया है।

16. उक्त परिचर्चा का अंतिम परिणाम यह है कि दिनांक 29.11.2017 के आक्षेपित आदेश को दी गयी चुनौती में कोई गुणागुण नहीं है तथा तद्नुसार, दोनों रिट याचिकायें खारिज की जाती हैं।

माननीय डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰ एवं अमिताभ के॰ गुप्ता, न्यायमूर्ति

उदय कुमार सिंह

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

I.A. Nos. 5327 with L.P.A. No.15 of 2018. Decided on 10th July, 2018.

परिसीमा अधिनियम, 1963—धारा 5—अपील—परिसीमा का वर्जन—परिसीमा की विधि एक सारवान विधि है तथा इसके किसी पक्षकार के अधिकार तथा उद्भूत होने वाली बाध्यता पर निश्चित परिणाम होते हैं—एकबार स्वयं अपने आचरण द्वारा एवं पर्याप्त कारण दर्शाकर विलम्ब को स्पष्ट करने में अन्य पक्षकार की विफलता के परिणामतः किसी पक्षकार के पक्ष में किसी मूल्यवान अधिकार के प्रोद्भूत होने पर केवल आवेदक के कहने पर उस अधिकार को वापस लेना अयुक्तिसंगत होगा—विलम्ब माफ करने के लिए न्यायालय के विवेक का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त कारण एक पूर्वशर्त है—लेटर्स पेटेन्ट अपील परिसीमा द्वारा वर्जित होने के तौर पर निस्तारित की गयी। (पैराएँ 3, 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.—(2010) 8 SCC 685; (2012) 8 SCC 524; (2013) 10 SCC 627; 2014 (2) JBCJ 312 (SC) : (2014) 11 SCC 351—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Krishna Murari, For the Appellant; Mrs. Neelam Tiwary, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰.—यह अंतर्वर्ती आवेदन वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करने में 3235 दिनों के विलम्ब की माफी के लिये परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है तथा यह लेटर्स पेटेन्ट अपील रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 371 वर्ष 2009 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये दिनांक 30.1.2009 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनकर तथा पैरा सं॰ 5 तथा इसके आगे कथित कारणों पर विचार करके, यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त रिट याचिका खारिज किये जाने के उपरांत, यद्यपि अपीलार्थी को उपयुक्त प्रकार से परामर्श दिया गया था, जैसा कि अंतर्वर्ती आवेदन के पैरा 5 में कथित है, कोई लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल नहीं की गयी थी तथा इस अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक समय गंवाया गया था। तर्क से प्रवाहित स्वर्णिम सिद्धांत यह है कि दूसरों के कहने पर अपीलार्थी ने गलत कार्रवाई की है। यह इस अपीलार्थी का विशेषाधिकार है कि वह किससे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। वह सक्षम व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सका था। वस्तुतः, इस अंतर्वर्ती आवेदन में दिये गये कारण वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करने में 3235 दिनों के विलम्ब के लिए युक्तिसंगत कारण नहीं हैं, अतएव, आई॰ ए॰ सं॰ 5327 वर्ष 2018 खारिज किया जाता है।

3. (2010) 8 SCC 685 में प्रकाशित **बलबन्त सिंह बनाम जगदीश सिंह** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ सं॰ 25 एवं 26 में जो संप्रेक्षित किया गया है, वह निम्नवत पठित है:-

> *''25. हम यहाँ पर कथन कर सकते हैं कि* ***अगर शब्दों ''पर्याप्त कारण'' का उदारपूर्ण अर्थान्वयन किया जाता है, यह पूरी तरह से युक्तिसंगत समय तथा संबंधित पक्षकार के उपयुक्त आचरण की अवधारणा के अंतर्गत आयेगा। उदारपूर्ण अर्थान्वयन अंतःस्थापित करने का उद्देश्य सामान्यतः ''युक्तिसंगतता'' की अवधारणा को अंतःस्थापित करना है जैसा कि इसे इसके सामान्य अर्थों में समझा जाता है।***

26. ***परिसीमा की विधि एक सारवान विधि है तथा इसके किसी पक्षकार के अधिकार तथा उद्‌भूत होने वाले आबद्धताओं पर निश्चित परिणाम होते हैं।*** *इन सिद्धांतों का पालन दिये गये मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए उपयुक्त रूप से किया जाना चाहिए तथा लागू किया जाना चाहिए।* ***एकबार पर्याप्त कारण एवं स्वयं अपने आचरण दर्शाकर विलम्ब को स्पष्ट करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप पहले पक्ष का मूल्यवान अधिकार प्रोद्‌भूत हो जाने पर केवल आवेदक के कहने पर उसका अधिकार छीनना अयुक्तिसंगत होगा विशेषकर जब विलम्ब उस पक्षकार की उपेक्षा, व्यतिक्रम, या अकर्मण्यता का परिणाम हो।*** *न्याय दोनों पक्षों को समान रूप से किया जाना चाहिए। केवल तभी न्याय के उद्‌देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई पक्षकार अपने अधिकारों तथा उपचारों को प्राप्त करने में पूरी तरह से लापरवाह रहा है, अन्य पक्षकार को उसके मूल्यवान अधिकार जो उसे सतर्कतापूर्वक कार्रवाई करने के परिणामतः विधि में उद्‌भूत हुआ है, से वंचित करना समान रूप से अन्यायोचित होगा।'' (जोर डाला गया)*

4. (2012) 8 SCC 524 में प्रकाशित **सिसिली कल्लारक्कल बनाम सेहिकल फैक्टरी** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 6, 7 एवं 8 में अभिनिर्धारित किया गया है, जो कि निम्नवत पठित है:–

''6. इस न्यायालय ने अंशुल अग्रवाल बनाम नोयडा में एक ऐसे विषय में विलम्ब की माफी की परिधि को स्पष्ट किया है जहाँ विशेष न्यायालयों/अधिकरणों को व्यथित व्यक्तियों को शीघ्रतापूर्ण उपचार प्रावधानित करने के लिए गठित किया गया है तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उनमें से एक है। ***अतएव, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामलों में विलम्ब की माफी के लिए आवेदन पर विचार करते हुए न्यायालय को संविधि(यों) के अधीन विहित परिसीमा की विशेष अवधि को ध्यान में रखना चाहिए।***

7. ***वर्तमान मामले में, बिना किसी पर्याप्त कारण के ऐसे किसी असामान्य विलम्ब को माफ करना विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के लिए विधायिका द्वारा विहित अवधि के स्थान पर इस न्यायालय द्वारा परिसीमा की अवधि प्रतिस्थापित करने के तुल्य होगा। अतएव, हम विलम्ब माफ करने का कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं देखते हैं।***

8. अतएव, मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में जैसा कि इसमें इसके उपरांत स्पष्ट किया गया है, हम इन याचिकाओं को ग्रहण करने के ईच्छुक नहीं हैं। ***इसे विलम्ब के आधार पर खारिज किया जाता है।''*** *(जोर डाला गया)*

5. (2013) 10 SCC 627 में प्रकाशित **लोंधे प्रकाश भगवान बनाम दत्तात्रेय एकनाथ माने** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पैराग्राफ सं॰ 9 निम्नवत पठित है:–

''9. अगर हम यह मान भी लेते हैं कि उस मामले में न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए किसी संविधि में कोई परिसीमा विहित नहीं है, तब क्या कोई व्यथित व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी भी समय न्यायालय के पास आ सकता है? उत्तर नहीं होना चाहिए। ***अगर किसी संविधि में यथोचित मंच के समक्ष जाने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की जाती है, तब उस मामले में उसे एक युक्तिसंगत समय के भीतर न्यायालय के समक्ष आना होगा। इस न्यायालय ने इसी प्रकृति के मामले को निपटाते हुए कई अवसरों पर अभिनिर्धारित किया कि जहाँ कोई परिसीमा विहित नहीं भी की गयी है, वहाँ याचिका युक्तियुक्त समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।*** *हमारे सुविचारित मत में, 9 वर्षों एवं 11 महीनों की अवधि कुछ और नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को उपचार का अनुसरण करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाना है तथा इसके लिए कोई तर्कपूर्ण कारण प्रस्तुत किये बगैर न्यायालयों को ऐसे मामले में इसे माफ करने की शक्ति नहीं*

है। (देखें सिसिली कल्लारकल बनाम वाहन कारखाना, उड़ीसा राज्य बनाम ममता मोहंती एवं के० आर० मुद्गल बनाम आर० पी० सिंह)। ***इन मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनावश्यक विलम्ब के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए।*** *इसके अतिरिक्त, अब यह उल्लिखित किया जाना है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पहले दिन से प्रत्यर्थी 1 की जानकारी में थी किन्तु उसने इतने लम्बे समय तक कोई कदम नहीं उठाया था।''* *(जोर डाला गया)*

6. (2014) 11 SCC 351 [: 2014 (2) JBCJ 312 (SC)] में प्रकाशित **ब्रिजेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ सं॰ 6, 10, 11 एवं 15 में यह अभिनिर्धारित किया गया है, जो निम्नवत पठित है:–

''6. परिसीमा, विलम्ब तथा त्रुटियों एवं ऐसे विलम्ब की माफी के विवाद्यकों की न्यायालयों द्वारा प्रतिदिन जाँच एवं स्पष्टीकरण किया जा रहा है। ***परिसीमा की विधि विधिक सूक्ति interest reipublicae ut sit finis litium (जन कल्याण के लिए किसी मुकदमे पर परिसीमा लगाया जाता है) में परिकल्पित है। परिसीमा की विधि पक्षों के अधिकारों को विनष्ट करने के लिए आशयित नहीं है, बल्कि विचार यह है कि प्रत्येक विधिक उपचार को विधायी रूप से एक नियत समयावधि के भीतर सक्रिय रखा जाना चाहिए।***

10. न्यायालयों को विलम्ब की माफी के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में अन्याय उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना नहीं चाहिए। किन्तु न्यायालय को ऐसा आवेदन अनुज्ञात करते समय विलम्ब तथा अनावश्यक विलम्ब के बीच एक भिन्नता करनी पड़ती है क्योंकि सद्भाविता की कमी या अकर्मण्यता या उपेक्षा किसी पक्षकार को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के संरक्षण से किसी पक्षकार को वंचित कर देगा। ***विलम्ब की माफी के लिए न्यायालयों द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए पर्याप्त कारण एक पूर्व शर्त है। इस न्यायालय ने बारंबार अभिनिर्धारित किया है कि जब आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाता है तथा यह कि विलम्ब उपयुक्त प्रकार से, संतोषप्रद रूप से तथा विश्वासोत्पादक रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तब न्यायालय केवल सहानुभूतिपूर्ण आधारों पर विलम्ब माफ नहीं कर सकता है।***

11. ***यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति वाद हेतुक उद्भूत होने के ठीक बाद अथवा तुरंत बाद न्यायालय आकर अनुतोष प्राप्त करता है तब अन्य पक्षकार विलम्बित चरण पर न्यायालय आकर इसका लाभ नहीं ले सकता है इस कारण से कि उन्हें किसी तत्पर व्यक्ति की प्रार्थना पर हुए आदेश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।***

15. ***वर्तमान मामले में, तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा 10 वर्ष 2 महीने एवं 29 दिनों के अत्यधिक विलम्ब पर विचार करने के उपरांत, उच्च न्यायालय ने विलम्ब की माफी के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया था।''*** *(जोर डाला गया)*

7. तद्नुसार, यह लेटर्स पेटेन्ट अपील परिसीमा द्वारा वर्जित होने के तौर पर निपटायी जाती है।

माननीय राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

श्रीमती सबिया देवी एवं अन्य

बनाम

भारत संघ, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के माध्यम से

M.A. No. 51 of 2013. Decided on 19th July, 2018.

रेलवे अधिनियम, 1989—धाराएँ 123(c) एवं 124-A—अप्रिय घटना—रेलगाड़ी से गिरने के कारण यात्री की मृत्यु—दावा आवेदन की खारिजी—शव की मृत्यु समीक्षा में कोई बरामदगी न होने का वर्णन किया जाना प्राधिकारी की ओर से लापरवाह दृष्टिकोण दर्शाता है तथा इस आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि चूँकि मृतक के शव से कोई टिकट बरामद नहीं किया गया था एवं इस प्रकार अप्राधिकृत यात्री था—मृतक एक सद्भावी यात्री था—दुर्घटना अप्रिय घटना के अधीन आच्छादित है तथा दावेदार मुआवजा पाने के हकदार हैं—4,00,000/- रूपया का मुआवजा अधिनिर्णीत। (पैराएँ 8, 10, 15 से 18)

निर्णयज विधि.—2018 (2) JBCJ 478 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Rajesh Kumar Jha, Ashok Kumar Singh, For the Appellants; Mr. Gautam Rakesh, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी–रेलवे के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान दावा आवेदन मृतक अर्थात् नागेश्वर साव की पत्नी, पुत्री, पिता तथा माता द्वारा 19.1.2004 को दाखिल किया गया है। दावा आवेदन में यह प्रकथन किया गया है कि मृतक 1.10.2003 को उपयुक्त टिकट लेकर द्वितीय दर्जे के डब्बे में शर्मातार स्टेशन से गोमो की यात्रा रेलगाड़ी (ई॰ एम॰ यू॰ यात्री गाड़ी) से कर रहा था। जब रेलगाड़ी हजारीबाग रोड स्टेशन पहुँची थी, मृतक ने दरवाजे के निकट आकर थूकने का प्रयास किया था, तथा इस प्रकार दुर्घटनापूर्वक गिरने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी।

3. रेलवे दावा अधिकरण ने तीन विवाद्यकों की विरचना की है जिसे इसमें इसके नीचे उत्कथित किया जाता है:–

(i) क्या नागेश्वर साव की मृत्यु चलती रेलगाड़ी ई० एम० यू० पैसेन्जर से दुर्घटनापूर्वक गिरने के कारण हुई थी?

(ii) मृतक के आश्रित कौन हैं?

(iii) अनुतोष तथा व्यय।

4. सद्भावी यात्री से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए, दावा अधिकरण ने पाया है कि चूँकि कोई टिकट बरामद नहीं किया गया है, मृतक को सद्भावी यात्री नहीं कहा जा सकता है।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जब मृतक तथा अमित साव नामक उसका बड़ा भाई द्वितीय दर्जे में यात्रा कर रहे थे, उपधारणा की जानी चाहिए कि वे उपयुक्त टिकट लेकर यात्रा करने वाले सद्भावी यात्री थे। चूँकि किसी व्यक्ति को प्लेटफार्म पर आने या रेलगाड़ी पर चढ़ने या अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं है, अगर उनके पास एक वैध टिकट नहीं है। प्रत्येक चरण पर, रेलवे ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने या रेलगाड़ी पर चढ़ने या यात्रा जारी रखने के लिए अप्राधिकृत व्यक्ति को छानने के लिए प्राधिकारीगण तैनात किये हैं।

6. आगे यह निवेदन किया गया है कि दावा आवेदन में यह विनिर्दिष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि उनके पास वैध टिकट था जो कि दुर्घटना में खो गया है तथा उस प्रभाव का शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। इस प्रकार, दावेदारों द्वारा आरंभिक भार का उन्मोचन किया गया है तथा इसे असिद्ध करना रेलवे प्राधिकारियों पर था कि मृतक एक सद्भावी यात्री नहीं था।

7. आगे यह कथन किया गया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के परिशीलन से, यह प्रकट है कि मृतक के शव से कोई बरामदगी नहीं की गयी है। ये सामान्य परिघटनायें हैं बल्कि मृत्यु समीक्षा तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनाया गया लापरवाह दृष्टिकोण है।

8. यात्रा करने वाला व्यक्ति सामान्यतया कुछ पैसे, कुछ वस्तुयें, बटुआ तथा रूमाल इत्यादि अपने पैकेट में रखता है। यह सामान्य है। शव की मृत्यु समीक्षा में कुछ भी बरामद न होने का वर्णन किया जाना प्राधिकार का लापरवाह दृष्टिकोण है तथा इस आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि चूँकि मृतक के शव से कोई टिकट बरामद नहीं किया गया था तथा इस प्रकार वह अप्राधिकृत यात्री था।

9. प्रत्यर्थी–रेलवे के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है किन्तु वे अभिलेख पर कोई ऐसी सामग्री नहीं ला सके थे जो सुझाव देता हो कि मृतक एक सद्भावी यात्री था।

10. उक्त परिचर्चा की दृष्टि में, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि मृतक एक सद्भावी यात्री था।

11. जहाँ तक अप्रिय घटना का संबंध है, यह स्वीकार किया गया है कि दरवाजे से थूकते समय, पैर फिसलने के कारण मृतक चलती रेलगाड़ी से गिर पड़ा था, बाद में उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी थी।

12. इस प्रकार, क्या मृतक का कृत्य स्वकारित उपहति की परिभाषा में आता है या नहीं, यही निर्णीत किया जाने वाला एकमात्र मुद्दा है।

13. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ बनाम रीना देवी** के मामले में **2018 (2) JBCJ 478 (SC)** में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है जिसके पैराग्राफ 16.6 को इसमें इसके नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *16.6 हम पूर्वोक्त दृष्टिकोण बरकरार रखने में असमर्थ हैं क्योंकि स्वकारित उपहति की परिकल्पना ऐसी उपहति कारित करने का आशय होना आवश्यक बनायेगा न कि केवल विशिष्ट स्तर की उपेक्षा। ऐसा करना योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत का अवलम्ब लेने के तुल्य होगा जो कि ''दोष न होने'' के सिद्धांत पर आधारित दायिता के मामले में नहीं किया जा सकता। हम इस संबंध में यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं० लि० बनाम सुनील कुमार में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो अधिकथित करता है कि पीड़ित की उपेक्षा का अभिवचन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-A के अधीन दोष न होने के सिद्धांत पर आधारित दावा में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि रेलगाड़ी पर चढ़ने या रेलगाड़ी से उतरने के क्रम में होने वाली मृत्यु या उपहति मुआवजा प्राप्त करने हेतु पीड़ित की ''अप्रिय घटना'' होगी तथा केवल योगदायी कारक के तौर पर पीड़ित की उपेक्षा के अभिवचन पर धारा 124-A के परंतुक के अधीन नहीं आयेगा।*

14. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **जमीला एवं अन्य बनाम भारत संघ** के मामले में **(2010) 12 SCC 443** में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भी भरोसा किया है जिससे पैराग्राफ 6 से 12 को इसके नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *6. उच्च न्यायालय के समक्ष, रेलवे की ओर से अधिनियम की धारा 124-A के परंतुक पर भरोसा किया गया था जो प्रावधानित करता है कि रेलवे प्रशासन द्वारा उस धारा के अधीन किसी मुआवजा का भुगतान नहीं किया जायेगा अगर यात्री की (क) आत्महत्या करने या आत्महत्या करने का प्रयास करने, (ख) स्वकारित उपहति, या (ग) स्वयं उसके दाण्डिक कृत्य के कारण मृत्यु हुई हो या उपहति आयी हो। अधिनियम की धारा 154 का संदर्भ किया गया था जो प्रावधानित करता है कि अगर कोई व्यक्ति*

जल्दबाजी में या उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य करता है, तथा कृत्य या विलोप से यात्रा कर रहे व्यक्ति या रेलवे की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, वह एक ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। रेलवे की ओर से आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि मृतक एम० हाफिज जो उपेक्षापूर्ण तरीके से यात्रा कर रहा था, दरवाजे के पास बैठा था, जहाँ से वह मगरवारा रेलवे स्टेशन के निकट गिर गया, जहाँ रेलगाड़ी नहीं रूकती है। (यह इंगित किये जाने की आवश्यकता है कि यह तर्क अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकता था, क्योंकि स्वीकृत रूप से दुर्घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था)। उच्च न्यायालय ने रेलवे की ओर से रखे गये तर्कों को स्वीकार किया तथा निम्नलिखित सम्प्रेक्षित करते हुए अपील अनुज्ञात कर दिया:-

''पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित तथ्यों तथा विधि के आधार पर, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में उपेक्षापूर्वक होने वाली घटना के लिए पीड़ित को ही दोष दिया जाना है तथा इसलिए यह मामला अप्रिय घटना की परिभाषा द्वारा आच्छादित नहीं है। किन्तु, जहाँ तक मुआवजा का संबंध है, दावेदार का मामला धारा 124-A के प्रावधानों द्वारा आच्छादित है क्योंकि स्वयं अपनी उपेक्षा के कारण मृतक रेलगाड़ी से गिर पड़ा था जो कि उसकी मृत्यु में परिणत हुआ था। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के आलोक में कि मृतक ने चलती रेलगाड़ी के खुले दरवाजे पर जाकर स्टेशन द्वारा सुरक्षा की कोई सावधानी बरते बिना उपेक्षापूर्ण ढंग से कार्य किया था जो कि उसकी मृत्यु में परिणत हुआ था।''

7. हम इस सुविचारित दृष्टिकोण के हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर रूप से त्रुटि की थी कि आवेदक अधिनियम की धारा 124-A के अधीन कोई मुआवजा पाने के हकदार नहीं थे, क्योंकि मृतक की मृत्यु स्वयं अपनी उपेक्षा के कारण रेलगाड़ी से गिरने के कारण हुई थी। सर्वप्रथम, रेलवे का मामला कि मृतक एम० हाफिज रेलगाड़ी के डब्बे के खुले दरवाजे पर उपेक्षापूर्ण ढंग से खड़ा था जहाँ से वह गिर पड़ा था, पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित है। स्वीकृत रूप से रेलगाड़ी से मृतक के गिरने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है एवं, इसलिए, रेलवे के इस मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि दुर्घटना इसके द्वारा सुझायी गयी रीति में हुई थी। द्वितीयतः, ***अगर यह मान भी लिया जाता है कि मृतक स्वयं अपनी उपेक्षा के कारण रेलगाड़ी से गिर गया था तथा मृत्यु हो गयी थी, तब भी इसका अधिनियम की धारा 124-A के अधीन भुगतेय मुआवजा पर कोई प्रभाव नहीं होगा।***

8. रेलवे अधिनियम, 1989 का अध्याय XIII दुर्घटना के कारण यात्रियों की मृत्यु एवं उपहति के लिए रेलवे प्रशासन की दायिता पर विचार करता है। अध्याय की पहली धारा 123 परिभाषा खंड है। खंड (ग) ''अप्रिय घटना'' को परिभाषित करती है, जो कि वर्तमान मामला के लिए प्रासंगिक है, निम्नवत है:-

''123. (c) 'अप्रिय घटना' से अभिप्रेत है-

*(1)(i)-(iii) * * *

(2) यात्रियों को ले जाने वाली रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिरना।''*

9. अधिनियम की धारा 124-A निम्नवत प्रावधानित करती है:-

124-A. ***कष्टदायी दुर्घटना के आधार पर क्षतिपूर्ति.****-(1) जब रेलवे के कार्य के अनुक्रम में कोई कष्टदायी दुर्घटना घटित होती है, तब चाहे रेलवे प्रशासन की कोई गलत रीति से कार्य या लापरवाही या त्रुटि हो या न हो व यात्री जो घायल हो गए हैं या उन यात्रियों, जिनकी मृत्यु हो गयी है, के आश्रित को ऐसी कार्यवाही को पोषित करने व क्षतिपूर्ति के प्रावरण इसके बारे में क्षति के लिए रेलवे प्रशासन किसी भी अन्य विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए उस सीमा तक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि विहित किया जाय। केवल उस नुकसानी के लिए जो कि दुर्घटना में जिसमें मृत्यु हो या किसी यात्री को क्षति ऐसी कष्टदायी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हो,*

परन्तु इस धारा के अंतर्गत किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा, यदि यात्री की मृत्यु या उसे क्षति निम्न के कारण होती है–

(a) उसके द्वारा हत्या या आत्महत्या करने पर,

(b) स्वयं को घायल कर लेने पर,

(c) उसके स्वयं के आपराधिक कृत्य से,

(d)उसके द्वारा नशे की हालत या पागलपन की अवस्था में कोई कृत्य किया जाता है,

(e) किसी भी प्राकृतिक कारण या बीमारी या चिकित्सकीय या शल्य उपचार जब तक कि इस प्रकार के उपचार उपरोक्त कष्टदायी दुर्घटना के द्वारा कारित नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण*.–इस धारा के अंतर्गत यात्रियों से अर्थ–*

(i) रेलवे कर्मचारी जो ड्यूटी पर है।

(ii) एक व्यक्ति जिसने यात्रा के लिए वैध टिकट खरीदा, रेल द्वारा यात्रा के लिए जा रहे यात्रीगण या एक वैध टिकट लिए व्यक्ति जो कि कष्टदायी दुर्घटना का शिकार हो जाता है।

10. रेलवे द्वारा इससे इनकार नहीं किया गया है कि एम० हाफिज एक वैध टिकट लेकर रेलगाड़ी पर यात्रा करते हुए इसपर से गिर पड़ा था तथा मृत्यु हो गयी थी। अतएव, स्पष्ट रूप से धारा 124-A के उद्देश्य से यात्री था जैसा कि स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब यह देखा जाना है कि धारा 124-A के अधीन मुआवजा का भुगतान करने की दायिता रेलवे प्रशासन की ओर से किसी दोषपूर्ण कृत्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम पर विचार किये बगैर होती है। किन्तु धारा का परंतुक कहता है कि रेलवे प्रशासन को मुआवजा का भुगतान करने की कोई दायिता नहीं होगी अगर यात्री की मृत्यु या उसको उपहति खंडों (क) से (ङ) में प्रगणित कारणों में से किसी के कारण कारित हुई हो।

11. वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, रेलवे का यह मामला यह है कि एम० हाफिज की मृत्यु आत्महत्या का एक मामला था या स्वकारित उपहति का परिणाम थी। यह भी मामला नहीं है कि उसकी मृत्यु स्वयं उसके दाण्डिक कृत्य के कारण हुई थी या वह नशे की हालत में था या वह पागल था या उसकी मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण या बीमारी से हुई थी। इस प्रकार, रेलगाड़ी से उसका गिरना स्पष्ट रूप से दुर्घटनावश है।

12. जिस प्रकार से रेलवे द्वारा दुर्घटना को प्रस्तुत करने की ईप्सा की गयी है, कि मृतक रेलगाड़ी के खुले दरवाजे के पास खड़ा था जहाँ से वह गिर पड़ा था, उसे स्वयं रेलवे द्वारा उपेक्षा बताया गया है। अब इस प्रकार की उपेक्षा जो कि भारतीय रेलगाड़ियों में काफी असामान्य नहीं है, धारा 124-A के परंतुक के खंड (ग) में वर्णित दाण्डिक कृत्य के समान चीज नहीं है। ***खंड (ग) के अधीन परिकल्पित दाण्डिक कृत्य में***

दुर्भावना या आपराधिक आशय का एक तत्व होना चाहिए। चलती रेलगाड़ी के डिब्बे के खुले दरवाजे के पास खड़ा रहना एक उपेक्षापूर्ण कृत्य हो सकता है, उतावलेपन में किया गया कार्य भी हो सकता है किन्तु, किसी और चीज के बिना यह निश्चित रूप से एक दाण्डिक कृत्य नहीं है। इस प्रकार, रेलवे का मामला सबकुछ इसके पक्ष में उपधारित करने के उपरांत भी विफल होना चाहिए।

15. उक्त निर्णयों के आधार पर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मात्र यह तथ्य कि वह दरवाजे से थूकने का प्रयास कर रहा था तथा यह कृत्य अपवाद खंड में नहीं आयेगा जैसा कि रेलवे अधिनियम की धारा 124(a) से (e) में वर्णित है।

16. उक्त निवेदन तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में, यह न्यायालय पाता है कि दुर्घटना अप्रिय घटना के अधीन आच्छादित है, तद्नुसार, दावेदार मुआवजा पाने का हकदार है।

17. इस चरण पर, प्रत्यर्थी–रेलवे के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि **रीना देवी (ऊपर)** के मामले में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वह राशि अधिनिर्णीत की जायेगी जो कि दुर्घटना की तिथि को प्रचलित है न कि अधिनिर्णय की तिथि पर। आगे यह निवेदन किया गया है कि अधिनिर्णय की तिथि पर मुआवजा की राशि 4,00,000/- (चार लाख रूपये) थी।

18. तद्नुसार, यह न्यायालय **रीना देवी (ऊपर)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा के अनुसार दावेदार को 4,00,000/- (चार लाख रूपये) अधिनिर्णीत करता है।

19. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इसी निर्णय अर्थात् **रीना देवी (ऊपर)** के अनुसार दावेदार दुर्घटना की तिथि अर्थात् 1.10.2003 से ब्याज पाने के हकदार हैं।

20. तद्नुसार, दुर्घटना की तिथि से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है।

21. उक्त निर्देश के साथ, वर्तमान अपील एतद्द्वारा अनुज्ञात की जाती है।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

मनगोविंद महतो एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

C.W.J.C. No.355 of 2000 (R). Decided on 29th June, 2018.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धाराएँ 20 एवं 71-A—अभिधृति धारक के दोहरे अधिकार—क्या कोई व्यक्ति दोहरे हैसियत से अर्थात् एक अभिधृति धारक के तौर पर तथा एक रैयत के तौर पर भूमि धारण कर सकता है तथा क्या उच्चतर अधिकार निम्न अधिकार पर अभिभावी होगी—रैयत का अधीनस्थ अधिकार अभिधृति धारक के उच्चतर अधिकार में विलीन हो गया—केवल उच्चतर अधिकार अर्थात् अभिधृति धारक के अधिकार अवर अधिकार अर्थात् रैयती अधिकार पर अभिभावी होंगे—छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71-A इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आकर्षित नहीं होते थे–प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन ही परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर दिये जाने का दायी था। (पैराएँ 12 एवं 13)

अधिवक्तागण.–Dr. H. Waris, For the Petitioners; M/s Aditya Raman, Priya Agarwal, For the State.

आदेश

याचीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता डॉ॰ एच॰ वारिस को सुना।

2. प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री आदित्य रमन को सुना।

3. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:–

''इस रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 में अंतर्विष्ट एस० ए० आर० अपील सं० 69 वर्ष 1989–90 में प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा पारित दिनांक 21.11.1994 के आदेश तथा परिशिष्ट 4 में अंतर्विष्ट सिंहभूम राजस्व पुनरीक्षण सं० 47 वर्ष 1995 में प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा पारित दिनांक 14.12.1999 के आदेश को अभिखंडित करने के लिए''।

4. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 18.8.2006 के आदेश के तहत इस न्यायालय द्वारा विधि के निम्नलिखित दो प्रश्नों को विरचित किया गया था तथा उन्होंने निर्णय के लिए माननीय खंडपीठ को निर्दिष्ट किया था:–

''(i) क्या कोई व्यक्ति दोहरी हैसियत से अर्थात् अभिधृति धारक के तौर पर एवं रैयत के तौर पर भूमि धारण कर सकता है तथा क्या अवर अधिकार पर उच्चतर अधिकार अभिभावी होगा?

(ii) क्या अभिधृति धारक के तौर पर किसी व्यक्ति के दोहरे अधिकार जिसे वह 1920 के पहले धारण कर रहा था, को छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 20 द्वारा हुए पश्चातवर्ती संशोधन द्वारा बाद में छीन लिया गया कहा जा सकता है जो कि 1920 में प्रभावी हुआ था तथा क्या उक्त प्रावधान की भूतलक्षी प्रभाविता है?''

5. पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर माननीय खंड पीठ द्वारा दिनांक 6.7.2011 के आदेश के तहत दिया गया था तथा मामले को गुणावगुणों पर निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश को प्रतिप्रेषित किया गया था।

6. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त प्रश्न सं॰ (i) का उत्तर माननीय खंडपीठ द्वारा दिया गया था तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 20 की उप–धारा (1) के निबंधनों में किसी जोत में दोहरी क्षमता में केवल उच्चतर अधिकार निम्न अधिकार पर अभिभावी होंगे।

7. अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि जहाँ तक प्रश्न सं॰ (ii) का संबंध है, यह निर्णीत किया गया था कि धारा 20 द्वारा धारा 20 के प्रवर्तन में आने के पहले किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगा, बल्कि केवल प्रोद्भूत अधिकार को पुनर्मान्यता प्रदान की गयी थी जो कि अन्यथा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के फलस्वरूप उसे प्रोद्भूत हुई हो।

8. किन्तु, यह निवेदन किया गया था कि माननीय खंडपीठ ने एक रेफरेंस न्यायालय होने के कारण तथ्य के इस निष्कर्ष की जाँच नहीं की थी कि क्या प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 15 के पूर्वज मुची राम भूमिज केवल अभिधृति धारक थे या रैयत थे या राजस्व अभिलेखों में दोनों के तौर पर अभिलिखित थे क्योंकि प्रथम न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय दोनों के निष्कर्ष इन बिन्दुओं पर भिन्न–भिन्न हैं। ऐसी परिस्थितियों में, मुद्दों का उत्तर देते हुए, माननीय खंडपीठ ने मामले को एकल न्यायाधीश द्वारा सुने जाने के लिए छोड़ दिया।

9. पूर्वोक्त दो प्रश्नों का उत्तर जिसे माननीय खंडपीठ को निर्दिष्ट किया गया था, दिनांक 6.7.2011 के आदेश के पैरा 6 से 8 में दिया गया है जिसे इसमें नीचे त्वरित संदर्भ के लिये नीचे उत्कथित किया जाता है:–

''6. उपर निर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा दिये गये निर्वचन तथा याचीगण द्वारा निर्दिष्ट तर्कों की दृष्टि में उक्त दो प्रश्नों को विरचित किया गया था तथा खंडपीठ को निर्दिष्ट किया गया था।

धारा 20 की असंशोधित उप–धारा (1) जो कि 1908 के अधिनियम में था, निम्नवत है:–

''20(1) जब किसी अधिभोगी जोत का तात्कालिक भूस्वामी स्वत्वधारी या एक स्थायी अभिधृतिधारक है, तथा जोत में भूस्वामी एवं रैयत का संपूर्ण हित अंतरण, उत्तराधिकार या अन्यथा द्वारा उसी व्यक्ति में एकीकृत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जोत में अधिभोग का अधिकार प्रतिधारित नहीं करेगा, किन्तु स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति–धारक, यथास्थिति के तौर पर भूमि धारण करेगा; किन्तु इस उप–धारा की कोई भी बात किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करेगी।''

अधिनियम, 1908 की धारा 20 की उप–धारा (1) संशोधन के उपरांत निम्नवत है:–

''जब किसी अधिभोग धारक का तात्कालिक भूस्वामी एक स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति धारक है तथा जोत में भूस्वामी एवं रैयत का संपूर्ण हित अंतरण, उत्तराधिकार या अन्यथा द्वारा उसी व्यक्ति में एकीकृत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति धारक, यथास्थिति के तौर पर भूमि धारण करेगा, तथा इसे किसी अधीनस्थ अधिकार द्वारा धारण नहीं करेगा, किन्तु इस उप–धारा की कोई भी बात किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।''

7. धारा 20 की पुरानी एवं साथ ही नयी उप–धारा (1) का परिशीलन मात्र प्रकट करता है कि यह दो अधिकारों के विलय के प्रभाव को आच्छादित करने के लिए विशेष प्रावधान है तथा यह कहता है कि अगर किसी अधिभोगी जोत का कोई भूस्वामी एक स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति धारक है तथा जोत में भूस्वामी एवं रैयत का संपूर्ण हित अंतरण, उत्तराधिकार या अन्यथा द्वारा उसी व्यक्ति में एकीकृत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति धारक, यथास्थिति के तौर पर भूमि धारण करेगा, तथा जोत में अधिभोग का अधिकार प्रतिधारित नहीं करेगा तथा यह स्पष्ट किया गया था कि यह किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी। धारा 20 की नयी उप–धारा (1) द्वारा केवल एक स्थिति जो उच्चतर अधिकार की सर्वोच्चता के संबंध में स्पष्ट है, शब्दों ''एवं इसे किसी अधीनस्थ अधिकार द्वारा धारण नहीं करेगा'' को जोड़कर अभिव्यक्त शब्दों के उपयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतएव, धारा 20 के उप–धारा (1) के संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि किसी व्यक्ति जो कि एक अधिभोगी जोत का भूस्वामी स्वत्वधारी या एक स्थायी अभिधृति धारक था, को कुछ अधिकार प्रदान किया गया था तथा अगर यह जोत में अभिधृति अधिकार भी अर्जित करता है तब वह इसे स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति धारक के तौर पर धारण करेगा, स्पष्ट रूप से अवर अधिकार के अपने उच्चतर अधिकार में विलय के उपरांत अधीनस्थ अधिकार का धारक नहीं रहेगा।

अतः, प्रश्न सं० 1 का उत्तर दिया जाता है मानो यह अभिनिर्धारित किया गया हो कि धारा 20 की उप–धारा (1) के निबंधनों में दोहरी हैसियत से किसी जोत में केवल उच्चतर अधिकार अवर अधिकार पर अभिभावी होगा।

8. अगला प्रश्न रैयती अधिकार के अर्जन के साथ स्थायी अभिधृति धारक या स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति धारक के उपर निर्दिष्ट अधिकारों के साथ उक्त विलय पर धारा 20 के प्रभाव के संबंध में है।

इसके लिए, हम विधिक स्थिति की जाँच करते हैं, क्योंकि यह 1909 का था, जो कि वह वर्ष है जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं० 5 से 15 के पूर्वज को अभिधृति धारक तथा रैयत के तौर पर भी अभिलिखित किया गया था। (हम रेफरेंस के न्यायालय के तौर पर तथ्य के निष्कर्ष की जाँच नहीं कर रहे हैं कि क्या प्रत्यर्थी सं० 5 से 15 के पूर्वज मुची राम भूमिज केवल अभिधृति धारक था या राजस्व अभिलेखों में दोनों के तौर पर अभिलिखित था क्योंकि प्रथम न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष इन मुद्दों पर भिन्न-भिन्न हैं)। मुख्य प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है यह है कि क्या धारा 20 द्वारा ऐसे व्यक्ति का कोई अधिकार छीन लिया गया है। हमारा सुविचारित मत यह है कि जबतक कि संविधि में विनिर्दिष्ट रूप से प्रावधानित न किया जाय या आवश्यक विवक्षा द्वारा विधि को अधिनियमन की तिथि से प्रभावी समझा जाता है तथा जब कभी विवाद उत्पन्न होता है, तब वह विधि प्रासंगिक होगी तथा जब कभी भी विवाद उत्पन्न होता है, तब वह विधि प्रासंगिक होती है जो कि ऐसे विधि के आधार पर दावा पेश करने के समय पर प्रवर्तित है, जो कि अधिकार के संपूर्ण होने के अध्यधीन है, जिसके नये अधिनियमन द्वारा प्रभावी बनाये जाने की ईप्सा की गयी है। यहाँ वर्तमान मामले में, चूँकि हमने पहले ही संप्रेक्षित किया है कि उच्चतर अधिकार रखने वाला व्यक्ति निम्न अधिकार भी अर्जित करता है तब उच्चतर अधिकार प्रभावित नहीं होता है, बल्कि निम्न अधिकार उच्चतर अधिकार में विलीन हो जाता है। स्वीकृत रूप से रैयत स्वत्वधारी या स्थायी अभिधृति धारक के अधिकार के निम्न अधिकार रखता है तब धारा 20 की उप-धारा (1) के अनुसार जिस व्यक्ति के उच्चतर एवं निम्न अधिकार, दोहरे अधिकार थे, उसे उच्चतर अधिकार के अनुसार संपत्ति पर संव्यवहृत सभी प्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार था। किन्तु, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जिस व्यक्ति के उच्चतर अधिकार थे, वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है क्योंकि उच्चतर अधिकार द्वारा वह भूमि अंतरित कर सकता था तथा निम्न अधिकार के अधीन वह भूमि अंतरित नहीं कर सकता था तथा अब उसके द्वारा किया गया अंतरण उसके अंतरण के विरूद्ध जाता है किन्तु वैधानिक स्थिति वही रह जाती है कि जिस व्यक्ति का संपत्ति का उपभोग करने का बेहतर अधिकार था वह धारा 20 की पुरानी एवं नयी उप-धारा (1) के निरपेक्ष रहते हुए अपने इस बेहतर अधिकार का प्रयोग कर सकता था। कोई प्रोद्भूत अधिकार छीने जाने की ईप्सा नहीं की गयी है बल्कि यह केवल प्रोद्भूत अधिकार की मान्यता है जो कि अन्यथा उस व्यक्ति को छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम के अधीन दिये गये अधिकार के फलस्वरूप उसे प्रोद्भूत हो सकता था। अतएव, प्रश्न सं० 2 का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि धारा 20 द्वारा धारा 20 के प्रवर्तन में आने के पहले किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत कोई भी अधिकार छीना नहीं गया है।''

10. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, याची के अधिवक्ता निम्नवत निवेदन करते हैं:-

(a) वर्तमान प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों अर्थात् प्रेम सिंह भूमिज एवं अन्य लोगों ने मौजा सूरी के थाना सं॰ 26 के अधीन खाता सं॰ 111 के अधीन भूखंड सं॰ 822, 887, 886, 917, 916, 915, 914 तथा 867 के 4.17 एकड़ माप वाले भूमि जिसे आर॰ पी॰ केस सं॰ 151 वर्ष 1978-79 के तौर पर निर्बोधित किया गया था, के प्रत्यावर्तन के लिए छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दालभूम, जमशेदपुर के समक्ष आवेदन दाखिल किया। आवेदक ने दावा किया कि विवादित भूमि भूकर सर्वेक्षण, 1909 में आवेदक के नाम में अभिलिखित की गयी थी तथा आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। यह अभिकथित किया गया था कि याचीगण के पूर्वजों ने 1964 के सर्वेक्षण में भूमि अपने नाम पर अभिलिखित करवा लिया था तथा भूमि का कब्जा ले लिया था। अंचल अधिकारी से रिपोर्ट की मांग की गयी थी जो दर्शाता था कि भूमि 1964 के सर्वेक्षण बन्दोबस्ती में याचीगण के नाम में अभिलिखित की गयी थी।

(b) याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त संपत्ति प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के पूर्वज मुची राज भूमिज के नाम में अभिलिखित सी॰ एस॰ भूखंड सं॰ 805, 806 एवं 744 में मौजा सूरी के तौजी सं॰ 1 खेवट सं॰ 6 के अधीन सी॰ एस॰ खाता सं॰ 33 से अनुलग्न है। वह निवेदन करते हैं कि ये तत्सम पुरानी भूखंड संख्यायें हैं।

(c) याचीगण का आगे मामला यह है कि मुची राम भूमिज ने दिनांक 16.6.1903 के निर्बंधित पट्टा द्वारा भूतपूर्व भूस्वामी से किराये पर संपत्ति ली थी तथा तद्नुसार वह संपत्ति का अभिधृति धारक बन गया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि संपत्ति का अभिधृति धारक भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा अभिधृति सृजित करने का हकदार है तथा अपने अधिकार के परिणामस्वरूप अभिधृति धारक अर्थात् मुची राम भूमिज ने दिनांक 28.6.1943 तथा 13.11.1945 के निर्बंधित पट्टा के तहत याचीगण के पूर्वजों के पक्ष में अभिधृति सृजित की थी तथा वर्ष 1953 में बन्दोबस्ती भी करायी थी जिसके उपरांत कब्जा प्रदान किया गया था तथा तत्पश्चात याचीगण के पूर्वजों का संपत्ति पर कब्जा हो गया था तथा अब याचीगण का प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जा है।

(d) वह आगे निवेदन करते हैं कि मुची राम भूमिज के पौत्रों में से एक ने जमींदारी के निहित होने के समय पर रिटर्न दाखिल किया था तथा रिटर्न में याचीगण के पूर्वजों को अभिधान धारकों के तौर पर प्रक्षेपित किया गया था तथा यही स्थिति मुआवजा मामला सं॰ 6 वर्ष 59–60 में थी। वह निवेदन करते हैं कि याचीगण के पूर्वजों के अभिधान धारक के तौर पर दर्जे को निजी प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों द्वारा निरंतर मान्यता मिली थी तथा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन निहित होने के उपरांत, याचीगण के पूर्वजों का दर्जा रैयत का बन गया था तथा तद्नुसार उन्होंने बिहार राज्य को किराया का भुगतान किया था। वह निवेदन करते हैं कि इस स्थिति की दृष्टि में छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 71-A के प्रावधान इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में बिल्कुल भी प्रयोज्य नहीं थे चूँकि याचीगण किसी रैयत द्वारा भूमि के अंतरण के फलस्वरूप संपत्ति धारण नहीं करते थे बल्कि उन्होंने मूल जमीन्दार से अंतरण द्वारा संपत्ति अर्जित किया था तथा वे निर्बंधित बन्दोबस्ती के परिणामस्वरूप रैयत की हैसियत से संपत्ति धारण कर रहे थे।

(e) वह निवेदन करते हैं कि मामले के इस पहलू पर एस॰ ए॰ आर॰ पदाधिकारी द्वारा उपयुक्त प्रकार से विचार किया गया था तथा एस॰ ए॰ आर॰ पदाधिकारी ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया था। वह, आगे निवेदन करते हैं कि अन्यथा भी याचीगण के पूर्वजों का निर्बंधित दस्तावेज के फलस्वरूप संपत्ति पर कब्जा हुआ था तथा उनका निरंतर संपत्ति पर कब्जा बना हुआ था तथा इसलिए आवेदन जो दाखिल किया गया था वह परिसीमा द्वारा वर्जित था।

(f) किन्तु, वह निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामले में विधि के बिन्दु का निर्णय कर दिया गया है तथा मामले के अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शायेंगे कि मुची राम भूमिज संपत्ति का अभिधृति धारक था तथा तद्नुसार उसके पास अभिधृति सृजित करने का अधिकार था जो कि याचीगण के पूर्वजों के पक्ष में सम्यक रूप से सृजित किया गया था।

(g) तद्नुसार, मुची राम भूमिज के वंशजों का दावा कि उन्हें गलत प्रकार से बेदखल कर दिया गया था, पूर्णतः अनाधारित है तथा उनका मामला अस्वीकार कर दिये जाने का दायी है।

(h) यद्यपि, प्राईवेट प्रत्यर्थीगण इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, याचीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान प्रत्यर्थीगण का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि याचीगण ने अवैधानिक साधनों का प्रयोग करके संपत्ति अपने पक्ष में अंतरित करवा लिया तथा उन्होंने एक विनिर्दिष्ट अभिवचन लिया

है कि मुची राम भूमिज, उनके पूर्वजों का एक मध्यवर्ती अधिकार धारक तथा साथ ही अधिभोग अधिकार रखने वाले रैयत के तौर पर दोहरा दर्जा था। इस प्रकार, वह छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 के अधीन भूमि अन्य लोगों को विशेषकर गैर आदिवासियों को बन्दोबस्त नहीं कर सकता था अथवा पट्टे पर नहीं दे सकता था।

(i) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अपील मूल प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी थी जिसे एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 69 वर्ष 1989-90 के तौर पर संख्यांकित किया गया था तथा अपीलीय न्यायालय ने अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया था तथा भूमि के प्रत्यास्थापन का आदेश पारित किया गया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि अपीलीय न्यायालय के आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय इस विचार से प्रभावित हो गया था कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य से गैर आदिवासी समुदाय को अंतरण किया गया था तथा अभिलेख पर मौजूद सभी सामग्रियों के बावजूद अपीलीय प्राधिकारी ने बिना किसी कारण के भूमि के अंतरण की विशुद्धता पर संदेह किया था। अपीलीय प्राधिकारी का यह भी दृष्टिकोण था कि रीति रिवाजों के अनुसार संपत्ति एक अन्य गाँव के निवासी को अंतरित नहीं किया जा सकता था।

(j) याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसी किसी प्रथा को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है जो अंतरण की प्रकृति को निवारित करता हो जो इस मामले में अंतर्ग्रस्त हो तथा मात्र इस कारण से कि संपत्ति आदिवासी से गैर आदिवासी को अंतरित की गयी है, अपने आप में अंतरण को दूषित नहीं करता है अगर यह अन्यथा विधि के अनुरूप पाया जाता है।

(k) इसके विरूद्ध, याचीगण ने पुनरीक्षण दाखिल किया था जिसे सिंहभूम राजस्व पुनरीक्षण सं॰ 47 वर्ष 95 के तौर पर संस्थापित किया गया था तथा याचीगण द्वारा जो मुख्य तर्क पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था, वह यह था कि विपक्षी पक्षकार विवादित भूमि के अभिधृति धारक थे न कि रैयत एवं इसलिए वे छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A का अवलम्ब नहीं ले सकते थे।

(l) यह भी तर्क दिया गया था कि चूँकि वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पूर्वज संपत्ति के अभिधृति धारक थे, उन्होंने उचित रूप से निबंधित दस्तावेजों के माध्यम से याचीगण के पूर्वजों के पक्ष में संपत्ति अंतरित किया था तथा ऐसे अंतरण में कोई अवैधानिकता नहीं है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचीगण द्वारा दाखिल पुनरीक्षण को यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया था कि धारा 20(1) की कोई भूतलक्षी प्रभाविता नहीं थी तथा अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पूर्वज भूमि बन्दोबस्त कराने के हकदार नहीं थे क्योंकि यह उनकी रैयती भूमि थी तथा अभिनिर्धारित किया कि रैयत के अवर रैयत हो सकते हैं किन्तु वह एक अन्य रैयत को रैयती भूमि बन्दोबस्त नहीं कर सकता है।

(m) प्राधिकारी ने आगे अभिनिर्धारित किया कि काबूलियत के अनुसार याचीगण का दर्जा अवर रैयत का नहीं था तथा अभिनिर्धारित किया कि गाँव की परम्परागत विधि के अनुसार भूमि उसी गाँव में निवास करने वाले व्यक्ति को बन्दोबस्त की जानी थी। उक्त प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि कपटपूर्ण साधनों द्वारा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 का उल्लंघन हुआ है तथा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 के धारा 71A के अवयव मौजूद हैं तथा इसलिए इस मामले के तथ्यों में यही प्रावधान लागू होता है। परिसीमा के बिन्दु पर, उक्त प्राधिकारी ने आगे अभिनिर्धारित किया कि याचीगण का नाम पहली बार 1966 में अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट किया गया था तथा आवेदन वर्ष 1978 में दाखिल किया गया था, इसलिए, याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–राज्य के अधिवक्ता ने प्रति–शपथपत्र के पैरा 8 को निर्दिष्ट करके निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों द्वारा भूमि की अभिकथित बन्दोबस्ती अवैधानिक थी तथा यह छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 का उल्लंघन करता था। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 15 के पूर्वजों की अभिलिखित भूमि थी जो अधिभोगी रैयत थे तथा याचीगण दूसरे गाँव के निवासी हैं। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्रति शपथपत्र के पैरा 10 में, यह वर्णन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण रैयत थे न कि भूस्वामी।

12. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के उपरांत तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से रिट याचिका अनुज्ञात करने का ईच्छुक है।

(a) आर॰ पी॰ केस सं॰ 151 वर्ष 1978–79 में एस॰ ए॰ आर॰ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन जमीन्दारी के निहित होने के समय मुची राम भूमिज के पौत्रों में से एक द्वारा दाखिल रिटर्न एवं मुआवजा मामला सं॰ 6 वर्ष 59–60 के अभिलेखों जिन्हें मुची राम भूमिज के पौत्रों द्वारा दाखिल किया गया था तथा रिटर्न दाखिल किया गया था, समेत अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है कि मुची राम भूमिज एक अभिधृति धारक था तथा इसपर कोई विवाद नहीं है कि अभिधृति धारक को अभिधृति सृजित करने का एक अतिरिक्त अधिकार था। इस आधार पर एस॰ ए॰ आर॰ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुची राम भूमिज ने एक अभिधृति धारक होने के कारण उपयुक्त प्रकार से निर्बंधित दस्तावेज के माध्यम से याचीगण के पूर्वजों के पक्ष में अभिधृति सृजित किया था तथा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया था।

(b) इसके विरूद्ध, वर्तमान प्राईवेट प्रत्यर्थियों द्वारा यह अपील दाखिल की गयी थी जिसे एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 69 वर्ष 1989–90 के तौर पर संख्यांकित किया गया था तथा अपीलीय न्यायालय ने एस॰ ए॰ आर॰ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करते हुए मामले के इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है तथा अपने आप को अपनिदेशित किया है तथा इस तथ्य से प्रभावित हुआ था कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य से एक अन्य समुदाय के सदस्य को संपत्ति अंतरित किया गया था तथा अंतरण की विशुद्धता पर संदेह किया था तथा अभिनिर्धारित किया था कि अन्यथा भी अंतरण न्यायोचित नहीं हो सकता था क्योंकि याचीगण के पूर्वज एक अन्य गाँव के थे। दूसरी ओर, अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था तथा दूसरी ओर अपीलीय प्राधिकारी ने कुछ रीति रिवाजों के बारे में वर्णित किया था यद्यपि किसी रीति रिवाज को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है।

(c) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध, याचीगण ने आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया था तथा विद्वान आयुक्त ने भी मामले का उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया था। यद्यपि, मुआवजा मामले से संबंधित याचीगण का निवेदन अभिलिखित किया गया था किन्तु पुनरीक्षण न्यायालय ने उन दस्तावेजों को विचार में नहीं लिया था जो याचीगण द्वारा मूल न्यायालय के समक्ष याचीगण का मामला सिद्ध करने के लिए पेश किया गया था तथा कुछ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों द्वारा इसका समर्थन किया गया था।

(d) पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आगे अभिनिर्धारित किया कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 20(1) के प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान नहीं किया जा सकता है तथा अभिनिर्धारित किया कि 1920 के पहले जोत के अभिधृति धारक का रैयती अधिकार संशोधित धारा 20 द्वारा प्रभावित नहीं होता है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह भी पाया कि भूकर सर्वेक्षण 1903 के दौरान तैयार की गयी खतियान में, वर्तमान प्राईवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों को तैयार की गयी खतियान में विवादित भूमि के संबंध में रैयत तथा साथ ही अभिधृति धारक के तौर पर दर्शाया गया है।

(e) पूर्वोक्त की दृष्टि में, यह न्यायालय पाता है कि अभिलेख पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 20(1) के अंत:स्थापन के उपरांत प्राईवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वज अभिधृति धारक थे न कि रैयत यद्यपि 1903 के भूकर सर्वेक्षण में प्राईवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों को रैयत तथा अभिधान धारक के तौर पर दर्शाया गया था तथा रैयत का अधीनस्थ अधिकार अभिधान धारक के उच्चतर अधिकार में विलीन हो गया था। तद्नुसार, अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर विद्वान एस॰ ए॰ आर॰ न्यायालय ने उचित रूप से छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन दाखिल आवेदन को अस्वीकार कर दिया किन्तु न तो अपीलीय न्यायालय और न ही पुनरीक्षण न्यायालय ने विपरीत निष्कर्ष देते हुए मामले के इस पहलू एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का उपयुक्त प्रकार से मूल्यांकन किया था।

(f) ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय पाता है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 20 में संशोधन के पहले या उपरांत संपत्ति के अभिधृति धारक थे तथा रैयत नहीं थे तथा उनका अभिधृति सृजित करने का अधिकार था। ऐसा इस कारण से है कि प्रश्न सं॰ (i) जैसा कि पैरा 4 में उद्धृत किया गया है, का उत्तर माननीय खंडपीठ द्वारा दिया गया है तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 20 की उप-धारा (1) के निबंधनों में किसी जोत में दोहरी हैसियत में अर्थात् (अभिधृति धारक तथा साथ ही रैयत), केवल उच्चतर अधिकार रखने वाला अर्थात् अभिधृति धारक निम्न अधिकार अर्थात रैयती अधिकार पर अभिभावी होगा। तद्नुसार, यह न्यायालय पाता है कि इस मामले में अंतर्ग्रस्त अंतरण में कोई अवैधानिकता नहीं थी तथा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आकर्षित नहीं होती थी।

(g) इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचीगण द्वारा इस आधार पर उठाये गये परिसीमा का अभिवचन स्वीकार किया था कि अधिकार अभिलेख में याचीगण का नाम केवल वर्ष 1966 में ही जोड़ा गया था तथा आवेदकों को वर्ष 1969 में आवेदकों के इस निवेदन पर बेदखल किया गया था कि आवेदकों ने कभी भी 1966 के पहले भूमि अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष पेश नहीं किया था। याचीगण का विनिर्दिष्ट मामला यह था कि याचीगण के पूर्वजों का निर्बंधित दस्तावेजों के फलस्वरूप संपत्ति पर कब्जा हुआ था तथा आक्षेपित आदेश पारित करते हुए विद्वान आयुक्त द्वारा मामले के इस पहलू की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है। इसके अतिरिक्त आवेदकों के पूर्वजों द्वारा निर्बंधित दस्तावेजों का निष्पादन विवादित नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि मात्र इसलिए कि याचीगण के पूर्वज 1966 के पहले अधिकार अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए राजस्व प्राधिकारियों के पास नहीं गये थे, यह दिनांक 28.6.43 तथा 13.11.45 के निर्बंधित दस्तावेजों के आधार पर याचीगण का दावा अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन ही बेदखली की तिथि से युक्तियुक्त समय बाद दाखिल किये जाने से परिसीमा द्वारा वर्जित के तौर पर खारिज किये जाने योग्य था।

13. पूर्वोक्त निष्कर्षों तथा कारणों की दृष्टि में, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। इस रिट याचिका के परिशिष्ट 3 में अंतर्विष्ट एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 69 वर्ष 1989-90 में प्रत्यर्थी सं॰ 3 (अपीलीय प्राधिकारी) द्वारा पारित दिनांक 21.11.94 का आक्षेपित आदेश तथा परिशिष्ट 4 में अंतर्विष्ट सिंहभूम राजस्व पुनरीक्षण सं॰ 47 वर्ष 1995 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 (पुनरीक्षण प्राधिकारी) द्वारा पारित दिनांक 14.12.99 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं।

माननीय राजेश शंकर, न्यायमूर्ति

राजेन्द्र प्रसाद केशरी (5210 में)

मीना बिश्वास (5216 में)

दीपक कुमार बिश्वास (5215 में)

अशोक कुमार झा (5217 में)

अजय कुमार दास (5222 में)

बनाम

झाररखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P. (C) Nos. 5210, 5216, 5215, 5217 with 5222 of 2017. Decided on 25th September, 2018.

किराया एवं बेदखली—परिसर/दुकानों से बेदखली—नगरपालिका आयुक्त ने गाँधी वाचनालय से उनकी बेदखली के उपरांत याचीगण को वैकल्पिक परिसर/दुकान उपलब्ध कराने के कदम उठाये हैं—किन्तु, चूँकि याचीगण ने अपना-अपना व्यवसाय खो दिया है जो उनकी आजीविका का साधन था, याचीगण को यथोचित आवेदन दाखिल करके परिसरों/दुकानों के आवंटन का उन्हें विकल्प उपलब्ध कराते हुए नगरपालिका आयुक्त के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैराएँ 4 एवं 8)

निर्णयज विधि.—2018 (3) JBCJ 73—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Lakhan Chandra Roy, For the Petitioners; M/s LCN Shahdeo, Prem Pujari Roy, For the Resp.-State; Mr. Vijay Shankar Jha, For Resp. Nos. 3 to 6.

आदेश

डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5210 वर्ष 2017 एवं डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5216 वर्ष 2017 में कार्यालय द्वारा यथा इंगित त्रुटियों की उपेक्षा की जाती है।

रिट याचिकाओं का वर्तमान समूह देवघर सदर अस्पताल, देवघर के सामने टावर चौक के निकट स्थित ''गाँधी वाचनालय'' में अवस्थित उनके परिसरों/दुकानों से उन्हें बेदखल न करने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को देने के लिए दाखिल किया गया है।

2. याचीगण का मामला यह है कि ''गाँधी वाचनालय'' में परिसरों/दुकानों को प्रत्यर्थी-देवघर नगर निगम, देवघर द्वारा पट्टा विलेख द्वारा किराये पर दिया गया था जो समय-समय पर पुनर्नवीकृत किया जाना जारी रहा था। प्रश्नगत परिसरों/दुकानों का वैध पट्टा रखने के बावजूद, याचीगण को ''गाँधी वाचनालय'' में परिसरों/दुकानों'' को खाली करने को कहा गया था। अगर याचीगण को अपने-अपने परिसरों/दुकानों से बेदखल किया जाता है, वे अपनी आजीविका तथा व्यवसाय खो देंगे।

3. प्रत्यर्थी-देवघर नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता अनुदेश पर निवेदन करते हैं कि याचीगण को पहले ही ''गाँधी वाचनालय'' में परिसरों/दुकानों से बेदखल कर दिया गया है तथा इसका भवन जीर्णशीर्ण दशा में होने के कारण अब गिरा दिया गया है।

4. चूँकि रिट याचिकाओं में की गयी प्रार्थना मुख्यत: ''गाँधी वाचनालय'' में अपने-अपने परिसरों/दुकानों से याचीगण को बेदखल करने से अवरूद्ध करने की है जिसे अब गिरा दिया गया है, इस

संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। किन्तु, याचीगण को वैकल्पित परिसर/दुकान प्रदान/आवंटित करने से संबंधित मुद्दा अभी भी विद्यमान है।

5. 2018 (3) JBCJ 73 में प्रकाशित **''देवघर जिला काँग्रेस कमिटि बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य''** के मामले में, इस न्यायालय ने दिनांक 14.3.2018 के आदेश के तहत ''गाँधी वाचनालय'' भवन के भंजन से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए, निम्नवत सम्प्रेक्षित किया है:–

> *''पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि में, मैं रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है। किन्तु, प्रत्यर्थी सं० 2 एवं 3 को भवन (गाँधी वाचनालय, देवघर) को भंजित करने के लिए कोई कदम उठाने से पहले मौजूदा अधिभोग प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। याची को अपना कार्यालय चलाने के लिए वैकल्पिक परिसर पाने के लिए प्रत्यर्थी सं० 2 एवं 3 के पास जाने का विकल्प होगा।* ***इसी प्रकार से, उक्त भवन के अन्य अधिभोगी/अभिधारी जो लम्बे समय से अपना-अपना कारोबार चला रहे हैं, भी वैकल्पित परिसरों के प्रदान/आवंटन के लिए उक्त प्राधिकारियों के समक्ष जा सकते हैं जिसपर जिला प्रशासन एवं नगर निगम देवघर की प्रासंगिक नीति तथा साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त प्राधिकारियों द्वारा विचार में लिया जायेगा कि याची एवं अन्य किरायेदार/दुकानदार लम्बे समय से अपने-अपने प्रयोजनों से उक्त भवन अर्थात् गाँधी वाचनालय के अधिभोग में रहे हैं।''***

6. इस न्यायालय द्वारा **''देवघर जिला काँग्रेस समिति'' (ऊपर)** के मामले में किये गये पूर्वोक्त सम्प्रेक्षण के परिशीलन पर, यह प्रतीत होगा कि उक्त मामला के याची एवं साथ ही उक्त भवन के अन्य किरायेदारों/दुकानदारों को वैकल्पित परिसरों के आवंटन के लिए जिला प्राधिकारियों/देवघर नगर निगम के पास जाने की जाने की छूट दी गयी थी, उक्त प्राधिकारियों को जिला प्रशासन एवं देवघर नगर निगम की प्रासंगिक नीतियों तथा साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनके आग्रहों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था कि उक्त मामले का याची एवं अन्य किरायेदार/दुकानदार लम्बे समय से उक्त भवन अर्थात् गाँधी वाचनालय के अधिभोग में रहे हैं।

7. देवघर नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 12.9.2018 का मेमो सं॰ 2854 में अंतर्विष्ट पत्र की एक प्रति प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 3-नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम, देवघर ने याची को सूचित किया है कि उन्हें पुराने मीना बाजार बस स्टैंड के भीतर स्थित 5 (पाँच) दुकानें आवंटित की गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सूचित किया गया है कि कुछ और स्थानों की पहचान विक्रय जोन के तौर पर विकसित करने के लिए पहचाना गया है, जिसका प्रस्ताव लम्बित है तथा अगर याचीगण उक्त स्थानों पर अपने-अपने कारोबार चलाना चाहते हैं, तब वे नगर प्रबंधक को सूचित कर सकते हैं।

8. इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने ''गाँधी वाचनालय'' से याचीगण की बेदखली के उपरांत उनको वैकल्पित परिसर/दुकानें उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये हैं। किन्तु, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचीगण ने अपनी जीविका खो दी है जो कि उनकी जीविका का प्राथमिक स्रोत थी, याचीगण को यथोचित आवेदन दाखिल करके परिसरों/दुकानों के आवंटन के लिए विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी सं॰ 3 बिना किसी अनुचित विलम्ब के याचीगण को दुकानों/परिसरों के आवंटन के लिए अधिमानत:

उक्त आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताहों की अवधि के भीतर सम्यक कदम उठायेगा। अगर प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा यह पाया जाता है कि याचीगण द्वारा आग्रहित विनिर्दिष्ट परिसरों/दुकानों को आवंटित करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत आवंटन आदेश पूर्वोक्त अवधि के भीतर निर्गत किया जायेगा। किन्तु, अगर यह पाया जाता है कि याचीगण के परिसरों/दुकानों का आवंटन वैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, वैकल्पित परिसरों/दुकानों के आवंटन का प्रस्ताव प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा याचीगण को दिया जायेगा तथा याचीगण के व्यवसायिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे आवंटन के लिए कदम उठाये जायेंगे तथा यह कि उन्होंने ''गाँधी वाचनालय'' भवन के विभंजन के कारण अपने-अपने व्यवसाय खो दिये हैं। यह भी सम्प्रेक्षित किया जाता है कि अगर याचीगण को आवंटित किये जाने वाले परिसर/दुकानें खराब हालत में हैं, इसका देवघर नगर निगम के व्ययों पर शीघ्रतापूर्वक पुनरूद्धार किया जायेगा।

9. रिट याचिकायें तद्नुसार पूर्वोक्त स्वतंत्रता एवं निर्देश के साथ निपटायी जाती है।

आई॰ ए॰ सं॰ 6238 वर्ष 2018 (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5215 वर्ष 2017 में), आई॰ ए॰ सं॰ 6241 वर्ष 2018 (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5217 वर्ष 2017 में) एवं आई॰ ए॰ सं॰ 6237 वर्ष 2018 (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5222 वर्ष 2017 में) भी निपटायी जाती है।

मेमो सं॰ 2854 दिनांक 12.9.2018 में अंतर्विष्ट पत्र की प्रति अभिलेख पर ली जाती है।

माननीय प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति

गिरिजा देवी एवं एक अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 6661 of 2007. Decided on 14th September, 2018.

सेवा विधि—वेतनमान—एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अधीन लाभ प्रदान करने के साथ पुनरीक्षित वेतनमान देने की प्रार्थना—याचीगण को रिक्त स्वीकृत पदों पर ड्रेसिंग सहायकों के तौर पर नियुक्त किया गया था जिसके लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा अध्यपेक्षा प्राप्त की गयी है—प्रत्यर्थीगण को ड्रेसिंग सहायकों के पद पर याचीगण को वेतनमान एवं पारिणामिक पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्देश दिया गया तथा ड्रेसिंग सहायकों के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि से वेतन के अंतर के बकायों को निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया एवं वेतनमान में पुनरीक्षण करने के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अधीन लाभ प्रदान करने तथा वेतन के बकायों का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.—Mr. Saurabh Shekhar, For the Petitioners; M/s Shahid Khan, Suraj Prakash, Razaullah Ansari, For the Respondents.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शेखर तथा प्रत्यर्थी-राज्य के लिए उपस्थित होने वाले स्थायी अधिवक्ता (खान) के विद्वान सहायक अधिवक्ता श्री सूरज प्रकाश तथा रजाउल्लाह अंसारी की सहायता से श्री शाहिद खान विद्वान स्थायी अधिवक्ता (खान) को सुना।

2. रिट याचिका शीर्षक में, याची ने ड्रेसिंग सहायक के पद पर याचीगण को वेतनमान प्रदान करने का प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने वाले यथोचित निर्देश जारी करने की मांग की है जो कि वह पद है जिसपर याचीगण को नियुक्त किया गया था, जिसक वेतनमान 950-1500/- रूपया है जो कि पारिणामिक पुनरीक्षित वेतनमान के उपरांत 3050-4590/- रूपया है तथा इसके अतिक्ति ड्रेसिंग सहायक के पद पर अपने नियुक्ति की तिथि से वेतन के अंतर के बकायों की निर्मुक्ति की भी प्रार्थना की है क्योंकि उन्हें वेतनमान से कम वेतन प्रदान किया गया है तथा इसके अतिरिक्त वेतनमान अर्थात् 3050-4590/- के वेतनमान में पुनरीक्षण करने के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अधीन तुरंत लाभ प्रदान करने तथा वेतन के अंतर के बकायों को ब्याज के साथ निर्मुक्त करने की भी प्रार्थना की है।

3. रिट आवेदन के लम्बित रहने के दौरान, मूल याची सं॰ 1 की मृत्यु के कारण मृतक–याची के स्थान पर उसके वैधानिक वारिसों को प्रतिस्थापित किया गया है, चूँकि दिनांक 6.9.2017 के आदेश के तहत मुकदमा करने का अधिकार शेष था जबकि याची सं॰ 2 अधिवर्षित हो गया है।

4. अनावश्यक विवरणों से बचते हुए, तथ्य जो कि रिट याचिका में वर्णित किया गया है यह है कि याचीगण को रिक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध ड्रेसिंग सहायक के पद पर आदेश सं॰ 94 के तहत 1.6.1979 को नियुक्त किया गया था जिसके लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा अध्यपेक्षा तैयार की गयी थी। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि याचीगण को ड्रेसिंग सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था, वे 950-1400/- रूपया का वेतनमान प्राप्त करने के हकदार थे, किन्तु प्रारंभ से ही याचीगण को 775-1025/- रूपया का वेतनमान प्रदान किया गया था। आगे यह प्रकथन किया गया है कि 13 फरवरी, 1999 को प्रकाशित बिहार गजट के उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि ड्रेसिंग सहायक के पद का रेफरेंस क्रम सं॰ 269 पर दिया गया है तथा तत्सम विद्यमान वेतनमान 950-1500/- रूपया है तथा इसका तत्सम पुनरीक्षित वेतनमान 3050-4590/- रूपया है तथा चूँकि याचीगण अपेक्षाकृत कम वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने दिनांक 27.7.2006 तथा 22.8.2006 के अभ्यावेदनों के तहत अपनी व्यथाओं के निवारण के लिए बारंबार अभ्यावेदन किये थे जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा अनसुना कर दिया गया था। याचीगण के पास कोई विकल्प तथा प्रभावकारी उपचार न बचने के कारण, उन्हें अपनी व्यथाओं के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आने को विवश किया गया है।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया है कि स्वीकृत रूप से, याचीगण की नियुक्ति रिक्त स्वीकृत पद के विरूद्ध ड्रेसिंग सहायक के पद पर आदेश सं॰ 94 के तहत 1.6.1979 को की गयी थी जिसके लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा अध्यपेक्षा तैयार की गयी है तथा 13 फरवरी, 1999 को प्रकाशित बिहार गजट के अवतरांश से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ड्रेसिंग सहायक के पद का रेफरेंस क्रम सं॰ 269 पर दिया गया है तथा उक्त पद का तत्सम विद्यमान वेतनमान 950-1400 रूपया है तथा इसका तत्सम संशोधित वेतनमान 3050-4590 रूपया है तथा इस तथ्य के परिणामत: कि याचीगण को ड्रेसिंग सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था, वे 950-1500 रूपया का वेतनमान पाने के हकदार हैं तथा इसका तत्सम पुनरीक्षित वेतनमान 3050-4590 रूपया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी होने के कारण अत्यधिक मनमाना है।

6. रिट आवेदन में किये गये प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा एक प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया है कि श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह तथा श्री प्रमोद सिंह को मूलत: नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची द्वारा दिनांक 1.6.1979 के आदेश के तहत रू॰ 155-190/- के वेतनमान में वर्ग IV के पद पर नियुक्त किया गया था। याचीगण को फिटमेंट कमिटि/वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में समय-समय पर वर्ग IV के वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त हुआ था जैसा कि उसकी सेवा पुस्तिका में वर्णित है।

नियुक्ति वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान		
रू॰ 155-190/-	1.1.81	1.1.86	1.1.96
	350-425/-	775-1025/-	2550-3200/-

आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि ड्रेसिंग सहायक एक वर्ग III पद है, किन्तु याचीगण को मूलत: वर्ग IV कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था तथा उन्हें कभी भी वर्ग IV से वर्ग III के पद पर प्रोन्नत नहीं किया गया था तथा उसकी दृष्टि में भी, याचीगण वर्ग III का वेतनमान अर्थात् 3050-4590/- का वेतनमान पाने के हकदार नहीं हैं जैसा कि रिट याचिका में प्रार्थना की गयी है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से दिनांक 8.7.2011 का सम्पूरक प्रति शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। उक्त शपथपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया गया है कि याची श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह को स्मॉल पॉल्ट्री ड्रेसिंग प्लांट में ड्रेसिंग सहायक के तौर पर 1979 में नियुक्त किया गया था, जो कि वर्ग IV का एक पद है तथा वह वर्ग IV के कर्मचारी के तौर पर ही 30.6.2010 को सेवानिवृत्त हुआ था। उसे 9.8.1999 के प्रभाव से ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ प्रदान किया गया था तथा इस प्रकार, उसने वर्ग IV कर्मचारी के तौर पर विभाग में पदग्रहण किया था तथा वर्ग IV कर्मचारी के तौर पर ही वह सेवानिवृत्त हुआ था। आगे यह निवेदन किया गया है कि श्री प्रमोद सिंह ने भी वर्ग IV कर्मचारी के तौर पर विभाग में पदग्रहण किया था तथा वह अभी भी कोडरमा जिला में वर्ग IV कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहा है तथा उसे ए॰ सी॰ पी॰ के लाभ भी प्रदान किये गये हैं।

8. प्रतिशपथपत्र एवं सम्पूरक प्रति शपथपत्र में रखे गये तर्कों की पुनरावृत्ति करने के अतिरिक्त, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया है कि याचीगण की प्रार्थना पहले ही मान ली गयी है तथा रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

9. परस्पर विरोधी निवेदनों पर गंभीरता से विचार करने तथा अभिलेखों का परिशीलन करने पर, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याची निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों के कारण हस्तक्षेप किये जाने का एक मामला निर्मित करने में सक्षम रहा है:-

(i) स्वीकृत रूप से, याचीगण को रिक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध ड्रेसिंग सहायक के पद पर आदेश सं॰ 94 के तहत 1.6.1979 को नियुक्त किया गया था, जिसके लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग से अध्यपेक्षा प्राप्त की गयी थी तथा 13 फरवरी, 1999 को प्रकाशित बिहार गजट के उद्धरण से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ड्रेसिंग सहायकों के पद का रेफरेंस क्रम सं॰ 269 पर दिया गया है तथा उक्त पद का तत्सम विद्यमान वेतनमान 950-1400 रूपया है तथा इसका तत्सम पुनरीक्षित वेतनमान 3050-

4590 रूपया है तथा इस तथ्य के परिणामतः कि याचीगण को ड्रेसिंग सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है, वे 950-1400 रूपया का वेतनमान पाने के हकदार हैं तथा इसका तत्सम पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान 3050-4590 रूपया है।

10. पूर्वगामी पैराओं में कथित कारणों की दृष्टि में तथा तार्किक परिणाम के तौर पर, प्रत्यर्थीगण को याचीगण को ड्रेसिंग सहायक के पद का वेतनमान प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जो कि वह पद है जिसपर याचीगण को नियुक्त किया गया है, जो कि 950-1500/- रूपया है तथा जिसका पारिणामिक संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 3050-4590/- रूपया है तथा इसके अतिरिक्त उनके ड्रेसिंग सहायकों के पद पर नियुक्त किये जाने की तिथि से वेतन के अंतर के बकायों को निर्मुक्त करने का भी निर्देश दिया जाता है तथा साथ ही वेतनमान अर्थात् 3050-4590/- रूपया के वेतनमान में पुनरीक्षण करने के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अधीन लाभ प्रदान करने तथा वेतन के अंतर के बकायों को निर्मुक्त करने का भी निर्देश दिया जाता है।

11. परिणामतः, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

माननीय रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति

एस॰ एम॰ तनवीर

बनाम

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Rev. No. 262 of 2018. Decided on 7th August, 2018.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 448, 341, 323, 307, 354 एवं 506—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 227 एवं 320—हत्या का प्रयास, गृह अतिचार, चोट पहुँचाना, लज्जा भंग करने का प्रयास करना तथा दाण्डिक अतिचार—दाण्डिक मामले से उन्मोचन की ईप्सा करने वाले आवेदन का अस्वीकरण—पीड़ित को उसके शरीर पर केवल सामान्य उपहति आयी है—अब जाकर, पक्षों को सद्‌बुद्धि आयी है—मामला पक्षों के बीच सुलझा लिये जाने के कारण, यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार है—दाण्डिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.—2014 (2) JBCJ 254 (SC) : (2014) Crl.L.J. 2436—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Anil Kumar, Chandana Kumari, For the Petitioner; APP, For the State; Mr. Rishu Ranjan, For the O.P. No. 2.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार तथा विपक्षी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री रिशु रंजन को सुना।

2. यह आवेदन विद्वान न्यायिक आयुक्त-XVII, राँची द्वारा एस॰ टी॰ केस सं॰ 684 वर्ष 2016 में पारित दिनांक 16.2.2018 के आदेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन उन्मोचन के लिए दाखिल आवेदन खारिज कर दिया गया था।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि सूचक के पति को आयी उपहति को सामान्य प्रकृति के होने का मत दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि विवाद जलाशय

के संबंध में था जिसे पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है। सम्पूरक शपथपत्र को निर्दिष्ट करते हुए, यह निवेदन किया गया है कि घटना की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर समझौता कर लिया गया था तथा इसलिए **(2014) Cr.L.J 2436 [: 2014 (2) JBCJ 254 (SC)]** में प्रकाशित **नरिन्दर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य** के मामले में अधिकथित सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के अधीन न्याय के उद्देश्यों के लिए संपूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति है।

4. विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री रिशु रंजन ने समझौता का तथ्य स्वीकार किया है तथा निवेदन किया है कि मामले पर पक्षों के बीच मध्यस्थता केन्द्र, सिविल न्यायालय, राँची के समक्ष समझौता कर लिया गया है तथा उसे कोई व्यथा नहीं है अगर संपूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियाँ अभिखंडित तथा अपास्त कर दी जाती है।

5. प्राथमिकी में किये गये अभिकथनों से यह प्रतीत होता है कि सूचक के काश्तकार अपने समर्थकों के साथ सूचक के पति की हत्या करने के इरादे से आये थे। अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त ने सूचक के पति को चाकू, रॉड तथा डंडे से मारा-पीटा था। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 31 वर्ष 2014 संस्थापित किया गया था। अन्वेषण के उपरांत, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 448, 341, 323, 307, 354 एवं 506 के अधीन आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसरण में संज्ञान लिया गया था। याची द्वारा उन्मोचन के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया था जो यद्यपि 16.2.2018 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जो कि वर्तमान आवेदन में आक्षेपित आदेश है।

6. यह प्रतीत होता है कि विवाद जलाशय के उपयोग के संबंध में उद्भूत हुआ था, जो पक्षों के बीच मध्यस्थता केन्द्र, सिविल न्यायालय, राँची के समक्ष ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर सुलझा लिया गया है जो कि समझौते में ही वर्णित है। सूचनादाता द्वारा इसपर भी सहमति प्रदान की गयी है कि लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 31 वर्ष 2014 के अतिरिक्त, जो कि वर्तमान मामले से संबंधित है, एक अन्य मामला लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 30 वर्ष 2014 पर भी हुये समझौते की दृष्टि में कार्यवाही नहीं की जायेगी। यह प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.2.2018 के आक्षेपित आदेश में ही उल्लिखित किया था कि विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 के पति को घोर उपहति आयी थी किन्तु उक्त तथ्य पर याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा विवाद किया गया है तथा उन्होंने उपहति रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की है जिसका परिशीलन किया गया है। यह प्रतीत होता है कि सी॰ टी॰ स्कैन रिपोर्ट भी दर्शाता है कि मस्तिष्क की त्वचा सामान्य पायी गयी थी तथा उपहति सामान्य प्रकृति का होने का मत दिया गया था।

7. क्या किसी अशमनीय अपराध के मामले में इस न्यायालय को शमन करने की शक्ति है, इसपर विचार करने के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा **नरिन्दर सिंह (ऊपर)** के मामले में दिया गया निर्णय उद्धृत किया गया है तथा मार्गनिर्देश जो पक्षों के बीच हुये समझौते को पर्याप्त मूल्य देते हुए तथा समझौते को स्वीकार करते हुए संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने तथा दाण्डिक कार्यवाहियाँ जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से इनकार करने या कार्यवाहियाँ अभिखंडित करते हुए उच्च न्यायालय के लिए अधिकथित की गयी है, निम्नवत पठित है:-

> *''31. पूर्वोक्त परिचर्चा की दृष्टि में, हम निम्नलिखित सिद्धांत संक्षिप्त करते हैं एवं अधिकथित करते हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय बन्दोबस्ती स्वीकार करते हुए तथा कार्यवाहियों को अभिखंडित करते हुए या दाण्डिक कार्यवाहियों को जारी रखने के निर्देश के साथ बन्दोबस्ती स्वीकार करने से इनकार करते हुए संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने तथा पक्षों के बीच बन्दोबस्ती को पर्याप्त उपचार प्रदान करने में मार्गदर्शित होगा:-*

(I) संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्ति को उस शक्ति से विभेदित किया जाना है जो कि संहिता की धारा 482 के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए न्यायालय में निहित है। निःसंदेह संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय को उन मामलों में भी दाण्डिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति है जो कि शमनीय नहीं हैं, जहाँ पक्षों ने स्वयं अपने बीच मामले में समझौता कर लिया है। किन्तु, इस शक्ति का प्रयोग यदा-कदा एवं सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

(II) जब पक्षों ने समझौता कर लिया है तथा उस आधार पर दाण्डिक कार्यवाहियों के अभिखंडन के लिए याचिका दाखिल की जाती है, ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक निम्न सुनिश्चित करना होगा-

(i) न्याय का उद्देश्य सुनिश्चित करना, या

(ii) किसी न्यायालय की आदेशिका का दुरूपयोग रोकना।

शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को पूर्वोक्त दोनों उद्देश्यों में से किसी पर मत निर्मित करना होगा।

(III) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना है जो मानसिक अधमता का जघन्य एवं गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि जैसे अपराध अंतर्ग्रस्त करते हैं। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं तथा इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसी विशेष संविधि के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों के लिए या लोक सेवकों द्वारा उस हैसियत से कार्य करते हुए कारित अपराध केवल पीड़ित एवं अपराधी के बीच समझौता होने के आधार पर अभिखंडित नहीं किया जाता है।

(IV) दूसरी ओर, उन दाण्डिक मामलों के प्रमुख रूप से तथा प्रधान रूप से सिविल प्रकृति के होने के कारण, विशेषकर वाणिज्यिक सम्व्यवहार से उद्भूत होने या वैवाहिक संबंधों से उद्भूत होने वाले मामले होने के कारण अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए जब पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद को सुलझा लिया हो।

(V) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को यह जाँच करना होता है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ तथा धूमिल है तथा दाण्डिक मामलों का जारी रहना अभियुक्त को भारी दमन एवं प्रतिकूलता कारित करेगा तथा दाण्डिक मामले को अभिखंडित न करके उसे अत्यधिक अन्याय कारित होगा।

(VI) भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की कोटि में आयेगा एवं इसलिए समाज के विरूद्ध सामान्यतः अपराध के तौर पर माना जायेगा न कि केवल व्यक्ति के विरूद्ध। किन्तु, उच्च न्यायालय केवल इस कारण से अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं करेगा कि प्राथमिकी में भा० दं० सं० की धारा 307 का वर्णन है या इस प्रावधान के अधीन आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए इसकी जाँच करने का विकल्प खुला होगा कि क्या भा० दं० सं० की धारा 307 का समामेलन इसकी खातिर किया गया है या अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य संग्रहित किया है, जो कि अगर सिद्ध किया जाता है, भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन आरोप सिद्ध करने की ओर ले जायेगा। इस प्रयोजन से, आयी उपहतियों की प्रकृति का अवलोकन करने का विकल्प उच्च न्यायालय के लिए खुला होगा, क्या ऐसी उपहति शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक भागों पर किया गया है, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति इत्यादि। पीड़ित को आयी उपहति के संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट सामान्यतया मार्गदर्शक कारक हो सकता है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय इसकी जाँच

कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ तथा नगण्य है। पहले मामले में यह समझौता स्वीकार करने से इनकार कर सकता है तथा दाण्डिक कार्यवाहियों को अभिखंडित कर सकता है जबकि बाद वाले मामले में पक्षों के बीच पूर्ण समझौते पर आधारित अपराध का शमन करने का अभिवचन स्वीकार करना उच्च न्यायालय के लिए अनुमान्य होगा। इस चरण पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पक्षों के बीच बन्दोबस्ती का परिणाम उनके बीच मेलजोल में परिणत होने जा रहा है जो उनके बीच भावी संबंध समुन्नत बनायेगा।

(VII) इसका निर्णय करते समय कि क्या संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, समझौता का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन मामलों में जहाँ अभिकथित अपराध किये जाने के तुरंत बाद समझौता किया गया है तथा मामले में अभी भी अन्वेषण चल रहा है, उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाहियों/अन्वेषण को अभिखंडित करके समझौता स्वीकार करने में उदार हो सकता है। यह इस कारण से है कि इस चरण पर अन्वेषण अभी जारी है तथा यहाँ तक कि आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार से, उन मामलों में जहाँ आरोप विरचित किया गया है किन्तु साक्ष्य प्रारंभ होना शेष है या साक्ष्य अभी भी शैशवावस्था में है, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुकूल रूप से करने में परोपकार दर्शा सकता है, किन्तु उपर वर्णित परिस्थितियों/सामग्रियों का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने के उपरांत। दूसरी ओर, जहाँ अभियोजन साक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है या साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत मामला तर्क के चरण पर है, सामान्यतया उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय मामले का गुणागुण पर अंतिम रूप से निर्णय करने तथा इस निष्कर्ष पर आने में सक्षम होगा कि क्या भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन अपराध किया गया है या नहीं। इसी प्रकार से, उन मामलों में जहाँ विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषसिद्धि अभिलिखित की जा चुकी है तथा मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण पर है, मात्र पक्षों के बीच समझौता इसे अपराधी की दोषसिद्धि में परिणत करते हुए इसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा जो विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषसिद्ध किये गये हैं। यहाँ भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन आरोप सिद्ध किया गया है तथा दोषसिद्धि पहले ही जघन्य अपराध के लिए अभिलिखित किया गया है तथा, इसलिए, ऐसे अपराध के दोषी पाये गये दोषसिद्ध को बख्शने का प्रश्न ही नहीं है।''

8. उक्त पैराग्राफ का शर्त (VI) भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध के संबंध में है तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सूचक को आयी उपहति के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट संयुक्त रूप से एक मार्गदर्शक कारक हो सकता है तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में, समझौते का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **नरिन्दर सिंह (ऊपर)** के मामले में निर्णय से संकेत लेते हुए यह प्रतीत होता है कि घटना कथित रूप से 2.2.2014 को घटित हुई थी तथा मामले पर 26.2.2014 को समझौता किया गया था। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के लम्बित रहने के दौरान तथा घटना घटित होने के तुरंत बाद पक्षों को सद्‌बुद्धि आ गयी थी। चिकित्सा रिपोर्ट यह तथ्य भी इंगित करता है कि पीड़ित के शरीर पर सामान्य उपहति आयी थी।

9. नरिन्दर सिंह (ऊपर) के मामले में निर्णय की दृष्टि में तथा इस तथ्य की दृष्टि में कि मामले पर पक्षों के बीच सुलह कर लिया गया है तथा इस न्यायालय द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार है।

उपरोक्त की दृष्टि में, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है तथा विद्वान आयुक्त -XVII, राँची द्वारा पारित दिनांक 16.2.2018 के आदेश समेत एस॰ टी॰ केस सं॰ 684 वर्ष 2016 के संबंध में संपूर्ण दाण्डिक कार्यवाही, जिसके द्वारा याची द्वारा उन्मोचन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता (दं॰ प्र॰ सं॰) की धारा 227 के अधीन दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, एतद्द्वारा अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

माननीय अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

बंधनी कमीन एवं एक अन्य

बनाम

सेन्ट्रल कोल फिल्ड लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 1767 of 2018. Decided on 12th September, 2018.

श्रम एवं औद्योगिक विधि—अनुकंपा पर नियुक्ति—विलम्बित आवेदन—समय के प्रासंगिक बिन्दु पर, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए समय सीमा 6 महीने थी—याची ने 23.10.2014 को आवेदन किया था—याची का मामला दिनांक 21.1.2012 के परिपत्र पर आधारित है—आवेदन स्वीकृत रूप से 23.10.2014 को किया गया था—याची का दावा न्यायनिर्णीत करने के पहले, प्रत्यर्थी-सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.—Mr. Deen Bandu, For the Petitioners; M/s Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सेन्ट्रल कोलफिल्ड लि॰ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचीगण मृतक कर्मचारी रोगा करमली की विधवा तथा पुत्र हैं जिसकी मृत्यु सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन सरूबेरा कोलियरी, रामगढ़ में कोटि IV के अधीन लोहार की हैसियत के कार्य करते रहने के दौरान कर्तव्य पर रहते 9.12.1999 को मृत्यु हो गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने दिनांक 21.2.2012 के परिपत्र (परिपत्र-6) के आलोक में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए दावा किया है।

3. प्रत्यर्थी सी॰ सी॰ एल॰ के विद्वान अधिवक्ता के अनुदेश के अनुसार, अनुकंपा पर नियुक्ति का उसका दावा पहले कर्मचारियों के मृत्यु के समय पर यथा प्रयोज्य 6 महीनों की अवधि के अधिक समय बाद आवेदन किये जाने के तौर पर समय वर्जित होने के कारण दिनांक 10.12.2003 के पत्र सं॰ 8331 के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। परिशिष्ट 6 पर रखा परिपत्र 24.10.2011 को आयोजित संयुक्त परामर्श समिति की बैठक एवं 30.12.2011 की पश्चातवर्ती बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के उन कर्मचारियों के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए लिये गये निर्णय पर आधारित है जिसे पहले कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 6 महीनें से अधिक के विलम्ब के आधार पर कर्मचारी की मृत्यु से 1 से 1½ वर्षों तक के विलम्ब होने पर अस्वीकार कर दिया गया था। समय सीमा का विस्तार कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 1½ वर्षों तक किया गया था तथा यह विलम्बित आधार पर खेद प्रकट किये गये मामलों की पुनर्परीक्षा के लिए 12.12.1995 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी है। प्रासंगिक समय पर, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा 6 महीने थी। याची के मामले के अनुसार, उसने

23.10.2004 को आवेदन किया था। प्रत्यर्थी-सी॰ सी॰ एल॰ के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह आवेदन भी समय वर्जित है क्योंकि इसे परिपत्र जारी करने की तिथि से 1½ वर्षों की अवधि के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए था। याचीगण अनुकंपा पर नियुक्ति के अपने दावे के संबंध में 2018 में इस न्यायालय के समक्ष आया है।

4. अभिलेख पर लाये गये तात्विक तथ्यों के आलोक में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करके तथा प्रत्यर्थी-सी॰ सी॰ एल॰ के विद्वान अधिवक्ता के अनुदेशों के आधार पर, याचीगण का मामला दिनांक 21.1.2012 के परिशिष्ट 6 पर रखे परिपत्र पर आधारित है। स्वीकृत रूप से आवेदन 23.10.2004 को किया गया है। इस प्रकार, याची के मामले का न्यायनिर्णयन करने के पहले, यह उपयुक्त समझा जाता है कि प्रत्यर्थी-सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन सक्षम प्राधिकारी ऐसे आवेदन पर इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन का निर्णय करेंगे।

5. रिट आवेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

सुशील कुमार बंका

बनाम

विजय कुमार माहेश्वरी उर्फ चितलंगिया एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 6094 of 2017. Decided on 20th June, 2018.

झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011—धाराएँ 21(4) एवं 36—परिसीमा अधिनियम, 1963—अनुच्छेद 118—भारत का संविधान—अनुच्छेद 226-निष्कासन याचिका-बचाव की अनुमति प्रदान करने की ईप्सा करने वाले आवेदन की परिसीमा-प्रतिवादीगण को समन की तामीला कब करायी गयी थी तथा प्रतिवाद करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि क्या थी, इन सभी मुद्दों का निर्णय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले के अभिलेख की जाँच करने पर किया जायेगा—रिट याचिका अधिनियम की धारा 36 के अधीन सांविधिक अपील के प्रभावकारी उपचार की दृष्टि में पोषणीय नहीं है-याची को अपील दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—Mr. Shashank Shekhar, For the Petitioner; Mr. Rahul Saboo, For the Resp. no.1;

आदेश

पक्षों को वैध रूप से तामीला करायी गयी है।

2. याची जे॰ बी॰ सी॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2016 में पारित दिनांक 16.9.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा प्रतिवादी को बचाव करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3. याची की ओर से रखा गया बचाव यह है कि झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 21(4) सहपठित परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 118 के अधीन, बचाव करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रतिवादी को समन की तामीला के 10 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। याची ने प्राख्यान किया है कि समन 2.6.2016 को निर्गत किया गया था, जो 3.6.2016 को प्रतिवादी को तामील कराया गया था, किन्तु, उसने 17.8.2016 को प्रतिवाद करने की ईप्सा करते हुए आवेदन दाखिल किया है।

4. प्रत्यर्थी ने इसपर विवाद करते हुए एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है कि 3.6.2016 को उन्हें जे॰ बी॰ सी॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2016 में समन की तामीला करायी गयी थी।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल साबू ने रिट याचिका की पोषणीयता पर प्रारंभिक अभ्यापत्ति उठायी है इस आधार पर कि दिनांक 16.9.2016 के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध याची को 2011 अधिनियम की धारा 36 के अधीन सांविधिक अपील का एक उपचार है। किन्तु, याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक शेखर प्रतिवाद करते हैं कि दिनांक 16.9.2016 का आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अधिकारितावीहीन है एवं, इसलिए, ऐसे आदेश के विरूद्ध रिट याचिका दाखिल की जायेगी।

6. क्या जे॰ बी॰ सी॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2016 में पारित दिनांक 16.9.2016 का आक्षेपित आदेश अधिकारिता विहीन है अथवा नहीं यह मुख्यत: दो तथ्यों पर निर्भर करेगा; प्रतिवादीगण पर समन की तामीला कब करायी गयी थी तथा प्रतिवाद करने की अनुमति की ईप्सा करने के आवेदन की तिथि क्या थी। इन सभी मुद्दों का निर्णय मामले के अभिलेख की परीक्षा पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा किया जा सकता था। झारखंड भवन (पट्टा, किराया, एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 36 के अधीन, अपीलीय प्राधिकारी को मामले में और अधिक जाँच करने की शक्तियाँ हैं।

7. उक्त तथ्यों में, अधिनियम की धारा 36 के अधीन सांविधिक अपील के प्रभावकारी उपचार की दृष्टि में, यह रिट याचिका अपोषणीय अभिनिर्धारित किया जाता है, किन्तु, याची को दिनांक 16.9.2016 के आदेश के विरूद्ध चार सप्ताहों की अवधि के भीतर अपील दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

8. रिट याचिका निस्तारित किया जाता है।

माननीय एच॰ सी॰ मिश्रा एवं रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्तिगण

घुंजु कुजुर

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1368 of 2006. Decided on 3rd October, 2018.

एस॰ टी॰ सं॰ 23 वर्ष 2006 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 24.7.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 26.7.2006 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 324—जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धारा 3—हत्या एवं उपहति-जादूटोना करने का संदेह—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश—यद्यपि चार चश्मदीद गवाहों द्वारा अभियोजन मामले का पूरी तरह से समर्थन किया गया है किन्तु ये सभी गवाह निकट संबंधी हैं तथा वे अत्यंत हितबद्ध गवाह हैं—अनुश्रुत गवाह भी मृतका का पति होने के नाते एक हितबद्ध गवाह है—घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है—यद्यपि मृतका को आयी उपहति ऐसी है जिसने अत्यधिक रक्तस्राव कारित किया होता किन्तु पुलिस द्वारा घटनास्थल से रक्त का कोई धब्बा जब्त नहीं किया गया था या पाया नहीं गया था—अभियुक्त को उसी दिन उसके घर से गिरफ्तार किया गया था किन्तु उससे अपराध के किसी हथियार की बदामदगी नहीं की गयी है तथा इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अपराध

का हथियार बरामद क्यों नहीं किया जा सका था—अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे सिद्ध करने में विफल रहा है—यद्यपि हितबद्ध चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए था—विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त। (पैराएँ 13 से 15)

अधिवक्तागण.—Mr. Ram Lakhan Yadav, For the Appellant; Mr. Rajneesh Vardhan, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. एकल अपीलार्थी एस॰ टी॰ सं॰ 23 वर्ष 2006 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 24.7.2006 के आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 26.7.2006 के दण्डादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दोषी पाया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 324 तथा जादू–टोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है। दण्डादेश के बिन्दु पर सुनने पर, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कठोर कारावास तथा जादू–टोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए तीन महीनों का कठोर कारावास भुगतने का दण्ड दिया गया है तथा सभी दण्डादेशों को साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला सूचक अनु करकेट्टा के फर्दबयान के आधार पर 3.11.2005 को लगभग 6.45 बजे प्रातः उसके गाँव मझटोली, थाना रायडीह, जिला गुमला में संस्थापित किया गया था, जिसमें उसने कथन किया है कि पिछली शाम को लगभग 7.00 बजे में अभियुक्त घुंजा कुजुर ने अपने गाँव के अखाड़ा के निकट झगड़ा किया था, इस बहाना पर कि उसकी माँ तथा चाची जादूटोना कर रही थी तथा अपने हाथ में गुप्ती लेकर सूचक की हत्या करने के इरादे से उसका पीछा किया था। सूचक अपने बचाव के लिए अपने घर की ओर दौड़कर गया तथा जब वह अपने घर की ओर जाने वाली गली में था, उसकी मां एवं चाची पीटो बेक उसे बचाने आये, जिसपर घुंजु ने सूचक की मां पर गुप्ती से प्रहार किया जिससे उसके बाँह में उपहति आयी तथा उसने उसकी चाची पीटो बेक पर भी गुप्ती से उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे खून बहने की उपहतियाँ आयी जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। सूचनादाता ने कथन किया है कि वह भी घटना में घायल हुआ था, तथा उनपर इसलिए प्रहार किया गया था क्योंकि अभियुक्त उसकी मां एवं चाची को डायन बता रहे थे। सूचक के फर्दबयान के आधार पर, रायडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 64 वर्ष 2005 जो कि जी॰ आर॰ सं॰ 738 वर्ष 2005 के तत्सम है, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 323 एवं 324 एवं जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4 के अधीन अपराधों के लिए एकल अभियुक्त के विरूद्ध संस्थापित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने मामले में आरोपपत्र पेश किया था।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये जाने के उपरांत, अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 302 एवं 324 के अधीन तथा साथ ही जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किया गया था तथा अभियुक्त के दोषी न होने तथा विचारण का दावा किये जाने पर, उसे विचारण पर रखा गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन द्वारा अन्वेषण पदाधिकारी तथा डॉक्टर जिन्होंने मृतक के शव की पोस्टमार्टम परीक्षा की थी, समेत आठ गवाहों की परीक्षा की गयी थी। डॉक्टर जिन्होंने सूचक या उसकी माता के उपहतियों की जाँच की थी, का परीक्षण मामले में नहीं किया गया है।

5. अ॰ सा॰ 1 अनु करकेट्टा इस मामले का सूचनादाता है तथा उसने घटना के चश्मदीद गवाह के तौर पर अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि घटना दीपावली के अवसर पर घटित हुई थी तथा यह सूर्यास्त का समय था। वह अपने गाँव के अखाड़ा पर था, जहाँ घुंजु कुजुर एक गुप्ती लेकर आया तथा उसे बताना प्रारंभ किया कि उसकी माता तथ चाची जादूटोना कर रही थी, जिसका इस गवाह द्वारा विरोध किया गया था, जिसपर उसने इस गवाह का पीछा किया था। यह गवाह अपने बचाव में अपने घर की ओर गया था, तथा जब वह अपने घर आया था, उसकी मां एवं उसकी चाची उसे बचाने आये थे तथा उन्होंने भी शोर मचाया था। अभियुक्त ने उसकी मां पर गुप्ती से प्रहार किया था जिससे उसकी छाती एवं बायें हाथ पर उपहतियाँ आयी थी, एवं इसके उपरांत उसने गुप्ती उसकी चाची की छाती में भेद दिया था, जिसके कारण वह गिर गयी थी। उसने यह भी कहा है कि वह भी अपनी आँख के निकट गुप्ती के प्रहार से घायल हुआ था तथा अभियुक्त ने महिलाओं को डायन बताकर उन्हें मारा पीटा था। इस गवाह ने यह भी कथन किया कि उसका साला जयराम ओराँव तथा भाई जमुना ओराँव भी घर में उपस्थित थे तथा वे वहाँ आये थे तथा घटना देखा था, एवं इसके उपरांत अभियुक्त गुप्ती लेकर भाग गये थे। इस गवाह ने कथन किया है कि उसकी चाची अभी भी जीवित थी जिसे घर के अंदर लाया गया था, तथा एक घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गयी थी। अगले दिन सुबह में, यह गवाह जयराम ओराँव तथा जमुना ओराँव के साथ थाना गया, जहाँ उसने बयान दिया, जिसपर उसने अपने अंगूठे का निशान लगाया था। उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपनी प्रति–परीक्षा में, इस गवाह ने कथन किया है कि घटना के समय, अंधेरा नहीं था, चूँकि सूर्यास्त का समय था। उसने कथन किया है कि वह घर नहीं पहुँचा था, बल्कि वह गली में था जब उसकी माता एवं चाची उसे बचाने आयी थी। उसने शोर भी मचाया था, किन्तु आसपास के घरों से कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया था। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया।

6. अ॰ सा॰ 2 जयराम ओराँव, अ॰ सा॰ 3 सुको ओराँव, सूचक की माता जो घटना में घायल भी हुई हैं, तथा अ॰ सा॰ 4 जमुना करकेट्टा, सूचक का साला ने भी घटना के चश्मदीद गवाह होने के तौर पर कमोवेश उसी प्रकार से मामले का समर्थन किया है, जैसा कि सूचक अ॰ सा॰ 1 अनु करकेट्टा द्वारा कथन किया गया था। अ॰ सा॰ 3 सूको ओराँव ने न्यायालय में उपहतियों के निशान भी दिखाये थे। उन्होंने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है। अ॰ सा॰ 2 जयराम ओराँव ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के उपरांत, लगभग 4:00 बजे प्रातः वह थाना गया था, जहाँ वह लगभग 6:00 बजे पहुँचा था, जहाँ सूचक का कथन अभिलिखित किया गया था। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 4 जमुना करकेट्टा ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि सुबह में वे पुलिस को सूचना देने थाना गये थे। प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 2 जयराम ओराँव ने इस बात को दोहराया है कि वह अनु के साथ थाना गया था, जहाँ अनु ने अपना बयान दिया था जिसे उसने सुना था। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसके द्वारा शोर मचाये जाने के बाद भी गाँव का कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं आया था।

7. अ॰ सा॰ 5 जगदेव ओराँव, जो कि मृतका का पति है तथा अ॰ सा॰ 6 पालु एक्का अनुश्रुत गवाह हैं, जिन्हें घटना के बारे में बाद में सूचित किया गया था। उन्होंने घर में शव देखा था तथा वे शव की मृत्यु समीक्षा के गवाह भी हैं।

8. अ॰ सा॰ 7 (डॉ॰) संजय कुमार ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण 3.11.2005 को संचालित किया था तथा निम्नलिखित उपहतियाँ पायी थी:–

बायें आंतरिक ऑक्जीलरी रेखा के किनारे छाती पर एक तीक्ष्ण धारदार हथियार से कटने की उपहति, बायीं छाती के पार्श्व में हृदय तक गहरी 1" x 1/2" का भेदनकारी जख्म।

आंतरिक परीक्षण करने पर फेफड़े तथा हृदय दोनों छिद्रित पाये गये थे। बायें थोरासिक कैविटी में भारी मात्रा में रक्त का जमाव पाया गया था। फेफड़े के उपरी हिस्से का निचला भाग तथा हृदय की बायीं धमनी क्षतिग्रस्त पायी गयी थी। कोई अन्य उपहति नहीं पायी गयी थी।

उन्होंने कथन किया है कि उपहतियाँ तीक्ष्ण भेदनकारी हथियार द्वारा कारित मृत्युपूर्व प्रकृति की थी, जो कि गुप्ती हो सकती है, तथा मृत्यु का कारण सदमा तथा रक्तस्राव होना था। उन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट तथा हस्ताक्षर अपनी लिखावट में होना पाया था जिसे प्रदर्श–1 चिन्हित किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 8 फखरू जमा मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। इस गवाह ने कथन किया है कि 3.11.2005 को वह रायडीह पुलिस थाना में उपनिरीक्षक के तौर पर तैनात था तथा प्रात:काल में, पुलिस थाना में अफवाह के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि मझटोली में किसी की हत्या की गयी थी। इस सूचना पर, अन्वेषण पदाधिकारी घटनास्थल गया था, जहाँ उसने अनु करकेट्टा का फर्दबयान अभिलिखित किया था, जिसे उसने सिद्ध किया है तथा इसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। उसने अन्वेषण का प्रभार लिया था तथा उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 3 सिद्ध किया गया था। उसने शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया है जिसे भी उसने केस डायरी से सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। उसने यह भी कथन किया है कि उसने सुको ओराँव की उपहति रिपोर्ट के लिए मेमो तैयार किया था तथा उसने कथन किया है कि इसके पिछले हिस्से पर, डॉक्टर द्वारा उपहति रिपोर्ट दी गयी थी, तथा उसने संपूर्ण दस्तावेज सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था। उसने गवाहों के बयान अभिलिखित किये थे तथा उसने घटनास्थल का विवरण दिया है, जो कि अभियुक्त के घर के निकट एक गली है तथा अन्य व्यक्तियों के घर भी वहाँ स्थित थे। अभियुक्त का घर भी पास में ही स्थित है। उसने कथन किया है कि उसने घटनास्थल से रक्त का कोई धब्बा जब्त नहीं किया था। उसने यह भी कहा है कि 3.11.2005 को ही उसने अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया था तथा इसके उपरांत, उसने आरोप–पत्र प्रस्तुत किया था। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसने घर के अंदर शव पाया था तथा उसने शव के निकट कोई रक्तरंजित मिट्टी नहीं पायी थी। उसने अपराध का कोई हथियार बरामद नहीं किया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आसपास के घरों में निवास करने वाले लोगों के बयान अभिलिखित नहीं किये थे। सूचनादाता ने घटना का समय लगभग 7:00 बजे शाम होना बताया है। उसने त्रुटिपूर्ण अन्वेषण करने का सुझाव दिये जाने से इनकार किया है।

10. अभियुक्त का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने अपने विरूद्ध साक्ष्य होने से इनकार किया है। किन्तु, बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दण्ड का आदेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है, इस तथ्य की दृष्टि में कि सूचनादाता तथा चश्मदीद गवाह के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि सूचनादाता ने भी घायल होने का दावा किया है, किन्तु इस तथ्य का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है। सूचनादाता के माता की उपहतियों को भी सिद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि चिकित्सक जिन्होंने उसकी परीक्षा की थी तथा उपहति रिपोर्ट निर्गत किया था, की परीक्षा अभियोजन द्वारा नहीं की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि

सूचनादाता समेत गवाहों ने कथन किया है कि वे पुलिस थाना गये थे तथा वहाँ मामला दर्ज कराया था, किन्तु प्राथमिकी दर्शाती है कि फर्दबयान सूचनादाता के गाँव में दर्ज किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि मामले में घटनास्थल भी सिद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस द्वारा न तो अभिकथित घटनास्थल पर और न ही सूचनादाता के घर के पास वाली गली से रक्त का कोई धब्बा पाया गया था तथा जब्त किया गया था, जहाँ अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा शव पाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे इंगित किया कि अपीलार्थी को उसके घर से 3.11.2005 को ही गिरफ्तार किया गया था, किन्तु अपराध के किसी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने किसी स्वतंत्र गवाह के बयान अभिलिखित नहीं किये थे। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि यद्यपि चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, फिर भी अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है, तथा यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी को संदेहों का लाभ दिया जाना चाहिए था।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तिसंगत संदेहों के परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है, क्योंकि मामले का समर्थन घटना के चार चश्मदीद गवाहों द्वारा संपूर्ण रूप से किया गया है, जो कि अ॰ सा॰ 1 अनु करकेट्टा, स्वयं सूचनादाता, अ॰ सा॰ 2 जयराम ओराँव, अ॰ सा॰ 3 सुको ओराँव, सूचनादाता की माता तथा घटना में घायल, एवं अ॰ सा॰ 4 जमुना करकेट्टा हैं। मामले का समर्थन दो अनुश्रुत गवाहों द्वारा भी किया गया है जो कि अ॰ सा॰ 5 जगदेव ओराँव, मृतका महिला का पति तथा अ॰ सा॰ 6 पालू एक्का है, तथा इन गवाहों का चश्मदीद साक्ष्य डॉ॰ संजय कुमार (अ॰ सा॰ 7) के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से सम्पोषित होता है तथा उनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 1 के तौर पर सिद्ध किया गया है, जो दर्शाता है कि मृतका की छाती पर तेज धारदार हथियार से कारित भेदनकारी उपहति पायी गयी थी, जिसने फेफड़े एवं हृदय को भेद दिया था, जो कि मृत्यु कारित करने के लिए सामान्य क्रम में पर्याप्त थे। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्ड के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, तथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि यद्यपि अभियोजन मामला चार चश्मदीद गवाहों द्वारा पूरी तरह से समर्थित किया गया है, जो कि अ॰ सा॰ 1 अनु करकेट्टा, अ॰ सा॰ 2 जयराम ओराँव, अ॰ सा॰ 3 सुको ओराँव तथा अ॰ सा॰ 4 जमुना करकेट्टा है, किन्तु ये सभी गवाह निकट संबंधी हैं तथा वे अत्यंत हितबद्ध गवाह हैं। यहाँ तक कि हितबद्ध गवाह अ॰ सा॰ 5 जगदेव ओराँव मृतका का पति होने के कारण एक हितबद्ध गवाह है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, यद्यपि घटना सूर्यास्त के समय या इसके आसपास घटित हुई बतायी गयी है, तथा अन्वेषण पदाधिकारी का साक्ष्य दर्शाता है कि गली के निकट अन्य व्यक्तियों के घर भी थे, जहाँ अभिकथित रूप से घटना घटी थी। अन्वेषण पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने उन व्यक्तियों के बयान अभिलिखित नहीं किये थे, जो अभियोजन मामले के बारे में संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि मृतका पर उपहति ऐसी है जो कि अत्यधिक रक्तस्राव कारित कर सकता था, क्योंकि मृतका के हृदय तथा फेफड़े विदीर्ण हो गये थे, किन्तु पुलिस द्वारा न तो घटनास्थल अर्थात् गली में और न ही उस मकान में रक्त का कोई धब्बा पाया गया था एवं जब्त किया गया था, जहाँ मृतका का शव रखा गया था। इस अभियुक्त को उसके घर से उसी दिन गिरफ्तार किया गया था, किन्तु उससे अपराध के किसी हथियार की जब्ती नहीं हुई है, तथा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अपराध के हथियार को बरामद क्यों नहीं किया जा सका था।

14. पूर्वोक्त परिस्थिति के अतिरिक्त, जो अभियोजन मामला संदेहास्पद बना देता है, हम यह भी पाते हैं कि घटना के समय के संबंध में सूचनादाता तथा गवाहों का साक्ष्य पूरी तरह से संदेहास्पद है। फर्दबयान में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घटना लगभग 7:00 बजे अपराह्न में घटित हुई थी, जबकि साक्ष्य में यह आया है कि घटना के समय अंधेरा नहीं था, बल्कि लगभग सूर्यास्त का समय था। घटना नवम्बर के महीने में घटित होने के कारण लगभग 7:00 बजे अंधेरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त, हम यह भी पाते हैं कि सूचनादाता अनु करकेट्टा ने प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से कथित किया है कि मृतका महिला की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी थी, जबकि साक्ष्य में उसने कथन किया है कि मृतका की मृत्यु घटनास्थल पर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मृत्यु घर में हुई थी, जहाँ उसे लगभग एक घंटे बाद लाया गया था। अन्य चश्मदीद गवाहों के बयान भी इसी प्रकार के हैं। सूचनादाता अनु करकेट्टा ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अगले दिन प्रात:काल में, वह जयराम ओराँव तथा जमुना करकेट्टा के साथ पुलिस थाना गया था, जहाँ उसने पुलिस को फर्दबयान दिया था। अ॰ सा॰ 2 जयराम ओराँव ने भी कथन किया है कि वे लगभग 4:00 बजे प्रात: पुलिस थाना गये थे तथा वे वहाँ लगभग 6:00 बजे प्रात: में पहुँचे थे, जहाँ अनु करकेट्टा ने पुलिस को अपना बयान दिया था जिसे उसने सुना था, तथा अ॰ सा॰ 4 जमुना करकेट्टा ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी कथन किया है कि वे प्रात: काल में पुलिस थाना गये थे, जहाँ मामला दर्ज किया गया था। फर्दबयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसे सूचनादाता के गाँव में अभिलिखित किया गया था न कि पुलिस थाना में, तथा यही साक्ष्य मामले के अन्वेषण पदाधिकारी अ॰ सा॰ 8 फखरू जमा का साक्ष्य है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गवाहों में से कोई भी पुलिस थाना नहीं गया था। अन्वेषण पदाधिकारी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि केवल अफवाह के माध्यम से प्राप्त सूचना पर, वह घटना के गाँव गया था। उसने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने किसी स्वतंत्र गवाह का बयान अभिलिखित नहीं किया था, यद्यपि उसने केस डायरी में घटनास्थल के निकट घर मौजूद होने का वर्णन किया है। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि घटना का समय लगभग सूर्यास्त का होने या लगभग 7:00 बजे शाम का होने के कारण, जो कि गाँव की एक गली है, जिसके दोनों ओर घर हैं, यह पूरी तरह से संदिग्ध बन जाता है कि आसपास में रहने वाले किसी स्वतंत्र व्यक्ति का बयान पुलिस द्वारा अभिलिखित क्यों नहीं किया गया था। मामले में अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा किया गया अन्वेषण पूरी तरह से लापरवाही से किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि केवल हितबद्ध गवाहों के बयानों पर भरोसा करके मामले में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्वेषण पदाधिकारी ने आसपास के घरों में निवास करने वाले स्वतंत्र गवाहों के बयान अभिलिखित करके मामले में स्वतंत्र अन्वेषण करने का कोई कष्ट नहीं उठाया है, न ही उन्होंने रक्त रंजित मिट्टी या अपराध के हथियार को जब्त/बरामद करने के लिए कोई कष्ट उठाया है, यद्यपि अभियुक्त को उसके घर से उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन अभियुक्त का अपने घर में मौजूद होना, तथा फिर भी अपराध में प्रयुक्त कोई सामग्री बरामद न किया जाना अभियोजन मामले को संदिग्ध बना देता है, तथा अभियुक्त की निर्दोषिता की ओर इंगित करता है। हमारी सुविचारित राय है कि इन कारणों से, अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया के परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है, तथा यद्यपि हितबद्ध चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, यह उपयुक्त मामला है जिसमें अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दण्ड का आदेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

15. पूर्वगामी कारणों से, अपीलार्थी घुंजु कुजुर को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 302 एवं 324 तथा जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दण्डित करते हुए एस॰ टी॰ सं॰ 23 वर्ष 2006 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 24.7.2006 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा 26.7.2006 का दण्ड का आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। परिणामत:, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाता है तथा उसे आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी दण्डादेश भुगतते हुए अभिरक्षा में है। उसे तुरंत छोड़े जाने तथा निर्मुक्त किये जाने का निर्देश दिया जाता है, अगर किसी अन्य मामले में उसके निरोध की आवश्यकता नहीं हो।

16. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। अवर न्यायालय अभिलेख तुरंत इस निर्णय की एक प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जायें।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

मोहन महतो एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No.4967 of 2011. Decided on 13th July, 2018.

बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961—धारा 16(3)—अग्रक्रय—अग्रक्रय का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया जाता है अगर अधिनियम के अधीन अग्रक्रय का अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों की प्रयोज्यता हेतु पूर्वापेक्षितों का अनुपालन किया जाता है—दावा का निर्णय उन तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए जो अग्रक्रय हेतु याचिका दाखिल करने की तिथि पर विद्यमान था–याची द्वारा अग्रक्रय हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से वर्तमान में वर्ष 2018 तक लम्बा समय व्यतीत हो गया है किन्तु अग्रक्रय का अधिकार एक सांविधिक अधिकार होने के कारण इसे समय गुजरने के साथ दुर्बल हो गया नहीं कहा जा सकता है—अग्रक्रय हेतु आवेदन के लम्बित रहने के दौरान संपत्ति का कब्जा लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करना या नहीं करना याची के विवेक पर था तथा मात्र इस कारण से कि ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, अग्रक्रय का दावा करने का उसका अधिकार विफल नहीं किया जा सकता या इससे वंचित नहीं किया जा सकता—अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आवेदक को अग्रक्रय का दावा करने से वंचित करता हो अगर आवेदक अग्रक्रय का आवेदन लम्बित रहने के दौरान संपत्ति का कब्जा लेने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है—पुनरीक्षण प्राधिकारी इस बिन्दु पर एक नया आदेश पारित करेंगे कि याचीगण एक पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं तथा अगर याचीगण के पक्ष में निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है तब उनके पास अग्रक्रय हेतु आवेदन अनुज्ञात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। (पैराएँ 29, 32 एवं 38)

निर्णयज विधि.–(2010) 6 SCC 441; (2001)8 SCC 24; (2018) 12 SCC 576; (2017) 1 JCR 224; (2012)1 SCC 656; AIR 2007 SC 2025; 1987 PLJR 455 (DB); 2001 (3) PLJR 469; 1997 (1) PLJR 46 SC (DB); 1995 (1) PLJR 764; 2007 (4) JLJR 198; (1997)2 BLJ 412; 2007 (2) JLJR 662—Referred; (2001) 8 SCC 24; (2010) 6 SCC 441—Relied; 2007 (2) JLJR 662—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. Shanshank Shekhar, For the Petitioners; Mr. Satish Kumar, For the Resp.-State; Mr. S.K. Sharma, For the Pvt. Resp..

आदेश

याचीगण की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री शशांक शेखर को सुना।

2. निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री एस॰ के॰ शर्मा को सुना।

3. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री सतीष कुमार को सुना।

4. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:-

''हदबंदी पुनरीक्षण सं० 14 वर्ष 2009 में सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड के न्यायालय द्वारा पारित अग्रक्रय को अननुज्ञात करने वाले दिनांक 2.7.2011 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित तथा अपास्त करने के लिए, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अग्रक्रय को अनुज्ञात करने वाले उपायुक्त, राँची का आदेश अपास्त कर दिया गया है तथा अग्रक्रय को अननुज्ञात करने वाले भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची का आदेश बरकरार रखा गया है।''

<u>याचीगण की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता के निवेदन</u>

5. इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति लगभग 37 डिस्मिल क्षेत्रफल वाली गाँव डुंगरी टुपुडना जिला राँची में अवस्थित खाता सं॰ 107, भूखंड सं॰ 128 से संबंधित है।

13.2.2001 को मोहन महतो ने खाता सं॰ 107, भूखंड सं॰ 128 की 42 1/2 डिस्मिल भूमि खरीदी तथा भूमि की प्रकृति जैसा कि खतियान में अभिलिखित है, टाँड़ - II है।

दिनांक 13.2.2001 के एक अन्य विक्रय विलेख के माध्यम से, छेदी महतो ने खाता सं॰ 107 भूखंड सं॰ 128 की 42 1/2 डिस्मिल भूमि खरीदी तथा इस संपत्ति की भूमि की प्रकृति भी टाँड़ - II थी जैसा कि खतियान में दर्शाया गया है।

6. चार भिन्न-भिन्न विक्रय विलेखों के माध्यम से, जिनमें से सभी 27.7.2001 के हैं, प्रत्यर्थी सं॰ 2 अर्थात् सतनारायण लाल ने खाता सं॰ 107, भूखंड सं॰ 128 से संबंधित विवादित भूमि निम्नलिखित व्यक्तियों को अंतरित कर दी:-

ननकी देवी को 6 डिस्मिल भूमि,

लाल मुनि देवी को 7 डिस्मिल भूमि,

जानकी देवी को 4 डिस्मिल भूमि,

लीला देवी को 20 डिस्मिल भूमि।

तथा ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं।

7. मोहन महतो तथा छेदी महतो ने अपने आप को संपत्ति का निकटवर्ती रैयत होने के कारण दिनांक 27.7.2001 के सभी क्रयों के संबंध में चार अग्रक्रय आवेदन दाखिल किये, जिसे क्रमश: अग्रक्रय मामला सं॰ 9 वर्ष 2001-02, 11 वर्ष 2001-02, 13 वर्ष 2001-02 तथा 12 वर्ष 2001-02 के तौर पर संख्यांकित किया गया था। निजी पक्षों को नोटिसें निर्गत की गयी थी तथा दिनांक 7.12.2002 के सम्मिलित आदेश द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची ने यह अभिलिखित करके अग्रक्रय आवेदन खारिज कर दिया कि भूमि की प्रकृति कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तित हो गयी है तथा न तो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर परिचर्चा किया था और न ही ऐसा कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि क्या याचीगण बेची गयी संपत्ति के निकटवर्ती रैयत थे या नहीं।

8. दिनांक 7.12.2002 के इस सम्मिलित आदेश से व्यथित होकर, याचीगण ने उपायुक्त, राँची के समक्ष अपील दाखिल किया, जिसे अग्रक्रय मामला सं॰ 164R-15 वर्ष 2002-03 के तौर पर संख्यांकित किया गया था तथा वह निवेदन करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी ने अभिलेख पर मौजूद सभी तात्विक साक्ष्यों पर विचार किया था तथा विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि याचीगण बेची गयी संपत्ति के निकटवर्ती रैयत हैं तथा इसके अतिरिक्त याचीगण द्वारा दाखिल अग्रक्रय हेतु आवेदनों को भी अनुज्ञात किया। इस आदेश के विरूद्ध, निजी प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया, जिसे हदबंदी पुनरीक्षण मामला सं॰ 14 वर्ष 2009 के तौर पर संख्यांकित किया गया था तथा दिनांक 2.7.2011 के आक्षेपित आदेश के तहत निर्णीत किया गया था। याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण निजी प्रत्यर्थियों के पक्ष में अनुज्ञात किया गया था एवं इसलिए यह रिट याचिका दाखिल की गयी है।

9. दिनांक 2.7.2011 के आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण आदेश अभिलेख पर मौजूद किसी साक्ष्य की परिचर्चा नहीं करता है तथा इसके अतिरिक्त वह निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण पदाधिकारी द्वारा इसपर कोई परिचर्चा नहीं की गयी है कि याचीगण निकटवर्ती रैयत हैं या नहीं। वह आगे निवेदन करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि याचीगण निकटवर्ती रैयत हैं, दिनांक 2.7.2011 के पुनरीक्षण आदेश द्वारा अपास्त नहीं किया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन करने एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर मामले का निर्णय करने के बजाय दिनांक 11.12.2010 के आदेश के तहत अंचलाधिकारी से एक रिपोर्ट की मांग की थी तथा इसके उपरांत प्रभारी अपर समाहर्ता के हस्ताक्षराधीन दिनांक 20.4.2011 की एक रिपोर्ट दाखिल की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट में, यह वर्णन किया गया है कि अंचल पदाधिकारी ने जाँच किया है तथा सूचना दिया है कि यद्यपि संपत्ति टाँड़-II के तौर पर अभिलिखित की गयी है, किन्तु स्थल निरीक्षण पर यह पाया गया था कि भूमि पर कृषि संबंधी कोई भी गतिविधि संचालित नहीं की जा रही थी तथा चारदीवारी तथा मकानें बनी हुई हैं तथा भूमि का एक भाग अभी भी खाली पड़ा है।

10. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 11.12.2010 का आदेश ही विधि के अनुरूप नहीं था क्योंकि पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों की परीक्षा करनी होती है तथा नये सिरे से निरीक्षण करने का आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं होती है तथा विकल्प में, वह निवेदन करते हैं कि वर्ष 2011 में कराया गया कोई भी निरीक्षण संपत्ति की प्रकृति के संबंध में किसी उपयोग का नहीं है, विशेषकर जब अग्रक्रय हेतु आवेदन काफी पहले वर्ष 2001 में ही दाखिल किया गया था, तब वर्ष 2011 में संचालित निरीक्षण के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

11. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने विधि में त्रुटि कारित की है तथा इसपर विचार करने में विफल रहा है कि अग्रक्रय से संबंधित विधि बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतीकरण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन विधि का आदेश है। वह निवेदन करते हैं कि दिये गये मामले में, अगर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन अग्रक्रय की विधि की प्रयोज्यता हेतु पूर्व शर्त का पालन किया जाता है, तब अग्रक्रय हेतु आवेदन अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

12. उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया–

(a) ***(2010) 6 SCC 441 (सुरेश प्रसाद सिंह बनाम दुल्हिन फूलकुमारी देवी एवं अन्य)*** *पैरा 20 तथा* ***(2001) 8 SCC 24 (श्याम सुंदर एवं अन्य बनाम राम कुमार एवं एक अन्य)*** *पैरा 17 में प्रकाशित निर्णय पर इस बिन्दु पर भरोसा किया है कि अग्रक्रय के अधिकार को संविधि द्वारा मान्यता मिली है, अतः इसे आज्ञापक माना जाना चाहिए न कि वैवेकिक।*

(b) ***(2018) 12 SCC 576 (गाँधी विजय कुमार बनाम मूलजी उर्फ मूलचंद)*** *पैरा 2 एवं 3 में प्रकाशित निर्णय पर पुनरीक्षणीय अधिकारिता के विस्तार के बिन्दु पर भरोसा किया है तथा निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण अधिकारिता में, न्यायालय से केवल यह देखने की अपेक्षा की जाती है कि क्या निष्कर्ष अवैध हैं या इस अर्थ में अनुचित हैं कि युक्तियुक्त रूप से विवेकशील व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर नहीं आयेगा;*

(c) ***(2017) 1 JCR 224 (कालीपद महतो बनाम बाबी महतैन एवं एक अन्य)*** *में प्रकाशित निर्णय के पैरा 9 एवं 10 पर इस बिन्दु पर कि प्लीडर आयुक्त नियुक्त करके स्थानीय अन्वेषण करने का उद्देश्य साक्ष्य संग्रहित करना नहीं है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। आयुक्त इस प्रश्न का निर्णय करने की स्थिति में नहीं होंगे कि संपत्ति पर किसका कब्जा है। न्यायालय को मामले का निर्णय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या अभिलेख पर पहले से मौजूद साक्ष्य के आधार पर करना होता है।*

(d) ***(2012) 1 SCC 656 (सूरज लैंप एण्ड इंडस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य)*** *में प्रकाशित निर्णय के पैरा 16 एवं 19 पर भरोसा करते हैं यह निवेदन करने के लिए कि विक्रय का करार जो अभिहस्तांतरण का निबंधित विलेख नहीं है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 एवं 55 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगा तथा किसी अचल संपत्ति में कोई अभिधान प्रदान नहीं करेगा और न ही कोई हित अंतरित करेगा।*

(e) ***AIR 2007 SC 2025 (आदिवेक्का एवं अन्य बनाम हनमव्वा कॉम वेंकटेश)*** *में प्रकाशित निर्णय के पैरा 15 पर यह निवेदन करने के लिए कि वाद के किसी पक्षकार की परीक्षा न किये जाने की स्थिति में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना है;*

(f) 1987 PLJR 455 (DB) ***(रामरूप यादव बनाम बिहार राज्य)*** *के पैरा 6 एवं 2001 (3) PLJR 469* ***(दीनानाथ सिंह बनाम बिहार राज्य)*** *के पैरा 9 पर प्रकाशित निर्णय पर यह निवेदन करने के लिए कि अग्रक्रेता निकटवर्ती भूखंड खरीदकर स्वयं निकटवर्ती भूखंड का धारक तथा रैयत बन सकता है;*

(g) 1997 (1) PLJR 46 SC (DB) ***(शिवजी महतो एवं अन्य बनाम अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड एवं अन्य)*** *के पैरा 3 तथा 1995 (1) PLJR 764* ***(राम प्रवेश सिंह बनाम अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड)*** *के पैरा 3 पर प्रकाशित निर्णय पर यह भरोसा करने के लिए कि अग्रक्रय की शर्तें दोहरी है, पहली यह है कि वह पार्श्ववर्ती रैयत का सह–अंशधारी होना चाहिए तथा दूसरा यह है कि अग्रक्रय हेतु आवेदन निबंधन की तिथि से तीन महीनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।*

(h) 2007 (4) JLJR 198 ***(कपिल महतो बनाम झारखंड राज्य)*** *के पैरा 7 पर प्रकाशित निर्णय पर यह निवेदन करने के लिए कि किसी पार्श्ववर्ती रैयत का सह–अंशधारी (अग्रक्रेता का भूमि पर विपक्षी पक्षकार की अपेक्षा उच्चतर अधिकार होता है जिसने गैर कृषि प्रयोजनों से भूमि खरीदा है।*

13. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संपत्ति के विक्रेता को नोटिसें निर्गत की गयी थी, किन्तु वह नोटिस की प्रतिस्थापित तामीला कराये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है तथा तद्नुसार संपत्ति के विक्रेता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो रहा है। वह निवेदन करते हैं कि मामले के अभिलेख से, यह प्रतीत होता है कि संपत्ति का विक्रेता अवर प्राधिकारियों के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुआ था।

<u>प्रत्यर्थी–संपत्ति के खरीददार/प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता के निवेदन</u>

14. जहाँ तक संपत्ति के खरीददार की ओर से उपस्थित होने वाले प्रत्यर्थी अधिवक्ता का संबंध है, यह तर्क किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम का उद्देश्य कृषि भूमि का

अपखंडन होने से रोकना है तथा अगर इस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं होती है, तब ऐसी परिस्थिति के अधीन, अग्रक्रय का आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। वह निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय के आदेशों के अधीन अंचल पदाधिकारी द्वारा संचालित निरीक्षण पर यह प्रतीत होता है कि संपत्ति अब कृषि भूमि के तौर पर उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

15. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी ने संपत्ति के विक्रेताओं के साथ दिनांक 19.1.2001 के करार के तहत संपत्ति के संबंध में विक्रय का करार किया था तथा प्रत्यर्थी का संपत्ति पर कब्जा था, यद्यपि विक्रय विलेख बाद में निष्पादित किये गये थे। वह यह भी निवेदन करते हैं कि यद्यपि खरीदते समय संपत्ति परती थी, किन्तु संपत्ति के खरीददारों ने यह संपत्ति मकान के निर्माण के उद्देश्य से खरीदी थी क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में कई आवासीय गृह थे। वह निवेदन करते हैं कि यह संपत्ति खरीदने के उपरांत, प्रत्यर्थीगण ने अपने-अपने घरों का निर्माण कराया है एवं वह संपत्ति में निवास कर रहे हैं तथा अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि भूमि की प्रकृति अब कृषि से गैर कृषि भूमि में परिवर्तित हो गयी है।

16. उन्होंने पूर्वोक्त अधिनियम के खंड 16(3)(ii) को भी निर्दिष्ट किया है, जो कि प्रावधान करता है कि अग्रक्रेता द्वारा एकबार आवेदन दाखिल कर दिये जाने पर अग्रक्रेता द्वारा अपेक्षित निक्षेप किये जाने पर, वह संपत्ति का कब्जा पाने का हकदार है, इस तथ्य के निरपेक्ष रहते हुए कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3)(i) के अधीन अग्रक्रय हेतु आवेदन निर्णय हेतु लम्बित है। वह निवेदन करते हैं कि वर्तमान याचीगण ने कभी भी खंड 16(3)(ii) के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है, तथा ऐसा नहीं करने के कारण, अग्रक्रय का आवेदन आज वर्ष 2018 में उनके पक्ष में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।

17. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने **(1997) 2 BLJ 412 (राम चंद्र यादव बनाम ए॰ वटी ए॰ ओ॰ अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड)** में प्रकाशित माननीय पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है यह निवेदन करने के लिए कि अग्रक्रय के दावा पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तिथि वह तिथि थी जिसपर अग्रक्रेता द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था तथा उसका अधिकार अग्रक्रय का आवेदन दाखिल किये जाने पर या इसके पहले विफल हो सकता था। वह निवेदन करते हैं कि अग्रक्रय हेतु आवेदन अक्टूबर, 2001 के महीने में दाखिल किया गया था तथा उस समय तक, प्रत्यर्थीगण द्वारा मकान निर्माण कराये जाने की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने अंचल पदाधिकारी की रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया है, जो प्रति शपथपत्र के साथ संलग्न किया गया है, यह निवेदन करने के लिए कि 30.5.2002 को अंचल पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया था कि जहाँ तक कि लीलावती देवी की संपत्ति का संबंध है, घर मिट्टी का बना है; जहाँ तक कि लाल मुनि देवी की संपत्ति का संबंध है, घर बाँस का बना है; जहाँ तक जानकी देवी का संबंध है, घर बाँस का बना है तथा ऐसे निर्माण छह महीने पहले कराये गये हैं। उन्होंने 2007(2) JLJR 662 **(राम प्रसाद साव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में प्रकाशित झारखंड उच्च न्यायालय का एक अन्य निर्णय निर्दिष्ट किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राधिकारियों से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन आवेदन पर विचार करते समय इसकी जाँच करने की अपेक्षा की जाती है कि वह मुख्य उद्देश्य क्या है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा था तथा अगर यह पाया जाता है कि भूमि अंतरक द्वारा प्रतिधारित किया जा रहा था या एक ऐसे उद्देश्य एवं प्रयोजन से एक अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जा रहा था जो कि कृषि भूमि से संबंधित नही है, तब धारा 16(3) के अधीन आवेदन ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

18. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि इस तर्क को प्रतिकूलता कारित किये बगैर कि प्रश्नगत भूमि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन अग्रक्रय की विषय वस्तु नहीं हो सकती थी, क्योंकि भूमि की प्रकृति परिवर्तित कर दी गयी थी तथा संपत्ति खरीदने का उद्देश्य मकान बनाना था, किन्तु फिर भी इसको लेकर मुद्दा कि क्या याचीगण पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं इसपर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है तथा ऐसी परिस्थितियों में, अगर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह संपत्ति अग्रक्रय की विषयवस्तु हो सकती थी, तब भी इस मुद्दे पर अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए तथा उन्होंने पुनरीक्षण के आधारों को निर्दिष्ट किया है, जिसे प्रति शपथपत्र में उत्कथित किया गया है तथा निवेदन किया है कि आधारों में से एक जो पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था, यह था कि याचीगण पार्श्ववर्ती रैयत नहीं हैं।

19. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण के मामले का समर्थन किया है तथा निवेदन करते हैं कि इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में रिट याचिका खारिज किये जाने की दायी है।

<u>इस न्यायालय के निष्कर्ष</u>

20. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने तथा पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि रिट याचीगण मोहन महतो तथा छेदी महतो ने दो भिन्न विक्रय विलेखों द्वारा कतिपय संपत्तियाँ खरीदी थी जिनमें से दोनों 13.2.2001 के थे तथा याचीगण दावा करते हैं कि इन विक्रय विलेखों के परिणामस्वरूप वे इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्तियों के पार्श्ववर्ती रैयत बन गये।

21. निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा यह दावा किया गया है कि इस विक्रय विलेख के पहले, इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपूर्ण संपत्ति के संबंध में विक्रय का करार विक्रेता तथा संपत्ति के खरीददारों के बीच किया गया था तथा दिनांक 27.7.2001 के विक्रय विलेख के तहत, संपत्ति निजी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अंतरित की गयी थी। तत्पश्चात, 27.10.2001 को अग्रक्रय का आवेदन याचीगण द्वारा दाखिल किया गया था।

22. अंचल पदाधिकारी की रिपोर्ट के परिशीलन से, जो दिनांक 30.5.2002 का है, यह प्रतीत होता है कि 30.5.2002 के छह महीने पहले मिट्टी तथा बाँस द्वारा कुछ घर बने थे। यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि तथाकथित मिट्टी या बाँस के घर निश्चित रूप से 27.10.2001 के उपरांत बनाये गये थे, अगर छह महीने की गणना 30.5.2002 से की जाती है। अग्रक्रय हेतु आवेदन 27.10.2001 को दाखिल किया गया था तथा दिनांक 7.12.2002 के आदेश के तहत निर्णय किया गया था।

23. अग्रक्रय के आवेदन में पारित दिनांक 7.12.2002 के आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने इसको लेकर कोई स्पष्ट/निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया था कि क्या याचीगण बेची गयी संपत्ति के पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं। अग्रक्रय का आवेदन खारिज करने का कारण यह था कि भूमि की प्रकृति कृषि से आवासीय में परिवर्तित हो गयी थी तथा यह कि प्रत्यर्थीगण भूमिहीन व्यक्ति हैं।

24. इसके उपरांत, अपील दाखिल किया गया था तथा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार किया गया था, जिन्होंने एक निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि याचीगण पार्श्ववर्ती रैयत हैं तथा प्रत्यर्थीगण न तो बेची गयी संपत्ति के पार्श्ववर्ती रैयत हैं और न ही सह अंशधारी। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 7.12.2002 का आदेश अपास्त कर दिया।

25. इसके उपरांत, वर्तमान निजी प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया जिन्होंने आक्षेपित आदेश द्वारा इसको लेकर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया

है कि क्या याचीगण बेची गयी संपत्ति के पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं। बल्कि उन्होंने इस मुद्दे पर बिल्कुल विचार ही नहीं किया है यद्यपि वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष यह बिन्दु विनिर्दिष्ट रूप से उठाया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने वर्ष 2011 में नये सिरे से निरीक्षण किया था तथा इस निरीक्षण के आधार पर, उन्होंने संपूर्ण मामले का यह अभिनिर्धारित करके निर्णय किया था कि भूमि की प्रकृति परिवर्तित हो गयी है तथा इसलिए पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया गया था। आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि साक्ष्य जो प्राधिकारियों के समक्ष उपलब्ध थे, में से किसी पर भी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परिचर्चा नहीं किया गया है।

26. अब इस न्यायालय के समक्ष, पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर मुख्यतः तीन बिन्दु विचार हेतु उद्भूत होते हैं जो निम्नलिखित हैं:-

(A) क्या पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन अग्रक्रय हेतु आवेदन दाखिल किये जाने के उपरांत एवं क्रय के उपरांत बेची गयी संपत्ति के भूमि के उपयोग में होने वाले किसी परिवर्तन का या बेची गयी संपत्ति खरीदने के उद्देश्य का अग्रक्रेता के अधिकारों से कोई संबंध है?

(B) क्या याचीगण के अग्रक्रय हेतु आवेदन के लम्बित रहने के दौरान संपत्ति का कब्जा लेने के लिए खंड 16(3)(ii) के अधीन याचीगण के अपने अधिकारों का प्रयोग न करने के कारण, अग्रक्रय हेतु आवेदन आज वर्ष 2018 में उनके पक्ष में अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए?

(C) क्या प्रत्यर्थी, संपत्ति के खरीददार के इस दावा का याचीगण के अग्रक्रय के दावे से कोई संबंध है कि विक्रय विलेख के निष्पादन के पूर्व विक्रेता तथा संपत्ति के खरीददार के बीच विक्रय का कोई करार हुआ था?

(D) अगर पूर्वोक्त तीन बिन्दुओं का निर्णय याची के पक्ष में किया जाता है, याचीगण को कौन सा अनुतोष प्रदान किया जा सकता है?

<u>बिन्दु सं॰ A</u>

27. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने **(1997) 2 BLJ 412 (राम चंद्र यादव बनाम ए॰ वटी ए॰ ओ॰, अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड)** में प्रकाशित माननीय पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है, किन्तु यह निर्णय याचीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से अधिकथित करता है कि अग्रक्रय आवेदन के दावे पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तिथि वह तिथि थी, जिसपर अग्रक्रेता द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आवेदन दाखिल किया गया था। अतएव, यह न्यायालय पाता है कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन करते हुए होने वाले किसी पश्चातवर्ती घटनाक्रम का मामले से कोई लेना देना नहीं है।

28. (2001) 8 SCC 24 (श्याम सुंदर एवं अन्य बनाम राम कुमार एवं एक अन्य) में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में, पैरा 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सांविधिक विधि के अधीन अग्रक्रय का अधिकार आज्ञापक अभिनिर्धारित किया गया है न कि केवल वैवेकिक। इस निर्णय का अनुसरण **(2010) 6 SCC 441 (सुरेश प्रसाद सिंह बनाम दुल्हिन फूलकुमारी देवी)** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित पश्चातवर्ती निर्णय में किया गया है जिसका पैरा 20 निम्नवत पठित है:-

''20. रिट याचिका का निपटारा करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश तथा एल० पी० ए० का निर्णय करने वाला उच्च न्यायालय का खंड पीठ यह दृष्टिकोण अपनाता हुआ प्रतीत होता है कि अग्रक्रय का अधिकार एक कमजोर अधिकार है, उपधारित रूप से इस कारण कि पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सुदामा देवी बनाम राजेन्द्र सिंह

में विद्वान एकल न्यायाधीश ने राम प्रवेश सिंह बनाम राजस्व बोर्ड में यह दृष्टिकोण अपनाया है। प्रत्यर्थी सं० 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत पूर्ववर्ती निर्णयों में पटना उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय का चाहे जो भी दृष्टिकोण रहा हो, श्याम सुंदर बनाम राम कुमार में इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने अब अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ अग्रक्रय के अधिकार को संविधि द्वारा मान्यता मिली है, वहाँ इसे आज्ञापक माना जाना चाहिए न कि वैवेकिक। श्याम सुंदर बनाम राम कुमार में हुये निर्णय से प्रासंगिक अवतरांश को यहाँ पर नीचे उद्धृत किया जाता है:-(एस० सी० सी० पृष्ठ 37-38, पैरा 17)

''17. .... सहअंशधारी के अग्रक्रय का अधिकार स्वयं भूमि से संबद्ध संपत्ति की एक घटना है। यह भूमि के साथ संबद्ध एक प्रकार का अवभार है जो भूमि के सह-स्वामी के विरूद्ध या इसके द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। अग्रक्रय के अधिकार के पीछे का मुख्य उद्देश्य, चाहे यह रीति रिवाजों पर आधारित हो या सांविधिक विधि पर, पारिवारिक जोत या संपत्ति में किसी अजनबी के घुसपैठ को रोकना है। अग्रक्रय की विधि के अधीन सह अंशधारी को अपने आप को अजनबी द्वारा खरीदी गयी संपत्ति के भाग के संबंध में उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करवाने का अधिकार है, तद्द्वारा जिसका अर्थ यह है कि जहाँ कोई सहअंशधारी जोत में अपना हिस्सा अंतरित करता है, अन्य सहअंशधारी को ऐसे अंतरण का निषेध करने का अधिकार है तद्द्वारा उस क्षेत्र में जोत अर्जित करने से अजनबी को रोकना है जहाँ अग्रक्रय की विधि अभिभावी है। ऐसे अधिकार को वर्तमान में अराजक, सामंतवादी तथा अप्रचलित बताया जा सकता है किन्तु लगभग दो शताब्दियों तक यही विधि थी जो या तो रीति रिवाजों पर आधारित थी या सांविधिक विधि पर। इसी पृष्ठभूमि में सांविधिक विधि के अधीन अग्रक्रय का अधिकार आज्ञापक अभिनिर्धारित किया गया है न कि वैवेकिक।''

इस प्रकार, अगर 19 वर्षों से अधिक का लम्बा अंतराल रहा है, फिर भी उच्च न्यायालय अपीलार्थी का अग्रक्रय का दावा अस्वीकार नहीं कर सकता था जब दावा संविधि द्वारा मान्यता प्राप्त था, संविधि के अनुरूप दाखिल किया गया था तथा संविधि द्वारा विहित समय के भीतर तथा संविधि द्वारा विहित रीति में दाखिल किया गया था।''

29. इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि अगर अग्रक्रय हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से वर्तमान में वर्ष 2018 तक लम्बा समयान्तराल रहा है किन्तु अग्रक्रय का अधिकार एक सांविधिक अधिकार होने के कारण इसे समय गुजरने के साथ दुर्बल हो गया नहीं कहा जा सकता है। अग्रक्रय का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया जाना चाहिए अगर पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अग्रक्रय का अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए पूर्वापेक्षितों का पालन किया गया है तथा दावा का निर्णय उन तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए जो अग्रक्रय हेतु याचिका दाखिल करने की तिथि को विद्यमान थे। इसपर कोई विवाद नहीं है कि अग्रक्रय हेतु आवेदन याची द्वारा विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप दाखिल किया गया था।

30. मामले की ऐसी दृष्टि में, जो दृष्टिकोण पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है, यह है कि भूमि की प्रकृति परिवर्तित हो गयी है तथा इस निष्कर्ष के लिए अंचल पदाधिकारी के दिनांक 20.4.2011 के रिपोर्ट पर किया गया भरोसा, जिसकी मांग पुनरीक्षण मामले के लम्बित रहने के दौरान पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा की गयी थी, विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। पुनरीक्षण प्राधिकारी को अपने निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर आधारित करना चाहिए था। तद्नुसार पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है।

31. तद्नुसार, बिन्दु सं॰ A का निर्णय याचीगण के पक्ष में किया जाता है।

बिन्दु सं॰ B

32. तर्कों में से एक जो कि प्रत्यर्थीगण द्वारा पेश किया गया है, यह है कि याची ने अग्रक्रय के अपने आवेदन के लम्बित रहने के दौरान संपत्ति का कब्जा लेने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया था एवं इसलिए रिट याचिका खारिज की जाय। यह न्यायालय पाता है कि अग्रक्रय के आवेदन के लम्बित रहने के दौरान संपत्ति का कब्जा लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करना या न करना याची के विवेक के अंतर्गत था तथा मात्र इस कारण से कि ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, अग्रक्रय का दावा करने का उसका अधिकार विफल नहीं किया जा सकता है या इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अधीन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आवेदक को अग्रक्रय के दावे से वंचित करता हो, अगर आवेदक अग्रक्रय हेतु आवेदन के लम्बित रहने के दौरान संपत्ति का कब्जा लेने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। जैसा कि उपर पहले ही अभिनिर्धारित किया गया है अगर अग्रक्रय हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से वर्तमान में वर्ष 2018 तक समय व्यतीत हुआ है किन्तु फिर भी अग्रक्रय का अधिकार सांविधिक अधिकार होने के कारण इसे समय गुजरने के साथ दुर्बल हो गया नहीं कहा जा सकता है। तद्नुसार प्रत्यर्थीगण का यह तर्क एतद्द्वारा खारिज किया जाता है तथा बिन्दु सं॰ B का निर्णय याचीगण के पक्ष में किया जाता है।

33. अन्य निर्णय जिसपर प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा किया गया है, 2007 (2) JLJR 662 में प्रकाशित निर्णय है। यह निर्णय भी किसी भी प्रकार से प्रत्यर्थी की मदद नहीं करता है क्योंकि उस मामले में संपत्ति स्वीकृत रूप से शहर से एक मील के भीतर अवस्थित था तथा वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से शहरीकृत था तथा कृषि प्रयोजनों से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। वर्तमान मामले में, इसी प्रकार का कोई तथ्य अंतर्ग्रस्त नहीं है। वर्तमान मामले में, स्वीकृत रूप से प्रश्नगत संपत्ति टाँड़ - II अर्थात् कृषि भूमि के तौर पर अभिलिखित की गयी है तथा स्वीकृत रूप से अंतरण की तिथि पर इस संपत्ति पर कोई निर्माण नहीं कराया गया था तथा संपत्ति कृषि उपयोग के उपयुक्त थी तथा यह केवल मकान के निर्माण के लिए खरीदी गयी थी। यह इस तथ्य द्वारा भी प्रबल बनाया गया है कि दस्तावेज जिसपर निजी प्रत्यर्थी ने भरोसा किया है, अर्थात् वर्ष 2002 का अंचलाधिकारी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मिट्टी या बाँस की मदद से निर्माण 13.5.2002 के केवल छह महीने पहले किया गया है। आवेदन 27.10.2001 को दाखिल किया गया है, अतएव स्वीकृत रूप से 27.10.2001 को संपत्ति पर कोई निर्माण नहीं हुआ था। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि मात्र इस कारण से कि संपत्ति मकान बनाने के प्रयोजन से खरीदी गयी है यह अधिनियम के प्रावधानों तथा पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अग्रक्रेता के अधिकार को विफल नहीं करेगा। अतएव, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

बिन्दु सं॰ C

34. प्रत्यर्थीगण ने दावा किया है कि इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति बेचे जाने के पहले विक्रेता तथा प्रत्यर्थी के बीच काफी पहले 19.1.2001 का एक करार किया गया था जो याचीगण द्वारा तथाकथित पार्श्ववर्ती संपत्तियों के क्रय के पहले का था तथा विक्रय के ऐसे करार के अनुसरण में प्रत्यर्थीगण को कब्जा भी दिलाया गया था। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 19.1.2001 के विक्रय विलेख सहपठित दिनांक 27.7.2001 के विक्रय विलेख के ऐसे करार के अनुसरण में संपत्ति पर अधिकार का दावा किया है। यह न्यायालय पाता है कि विक्रय के करार के आधार पर याचीगण द्वारा दावे पर विवाद किया गया है तथा यह एक निर्बंधित दस्तावेज नहीं है। यह न्यायालय यह भी पाता है कि अग्रक्रय का दावा करने का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतरण की तिथि को प्रोद्भूत होता है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित **(2012) 1 SCC 656** में प्रकाशित निर्णय में, पैरा 16 से 19 में निम्नवत अभिनिर्धारित किया गया है:-

''16. सं० अं० अधिनियम की धारा 54 इसे स्पष्ट करता है कि विक्रय की संविदा अर्थात् विक्रय का करार अपने आप में उक्त संपत्ति पर कोई प्रभार या हित सृजित नहीं करता है। इस न्यायालय ने नरनदास करसोनदास बनाम एस० ए० कामतम में सम्प्रेक्षित कियाः–(एस० सी० सी० पृष्ठ 254–55, पैराएँ 32–33 एवं 37)

''32. विक्रय की संविदा अपने आप में संपत्ति पर कोई हित या प्रभार सृजित नहीं करता है। इसे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में अभिव्यक्त रूप से घोषित किया गया है। (देखें राम बरन प्रसाद बनाम राम मोहित हाजरा) विक्रय की संविदा द्वारा सृजित व्यक्तिगत आबद्धता की वैश्वासिक प्रकृति को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 3 तथा न्यास अधिनियम की धारा 91 में मान्यता प्रदान की गयी है। विक्रय की संविदा द्वारा सृजित व्यक्तिगत आबद्धता संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 40 में संविदा से उद्भूत होने वाली तथा संपत्ति के स्वामित्व से संबद्ध आबद्धता के तौर पर वर्णित की गयी है किन्तु यह उसमें कोई हित या सुखाचार की कोटि का नहीं है।

33. भारत में, शब्द 'अंतरण' को शब्द 'हस्तांतरण' के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। ..... संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में शब्द 'हस्तांतरण' का अर्थ स्वामित्व हस्तांतरित करने के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

37. .....कि केवल हस्तांतरण निष्पादित किये जाने पर ही, स्वामित्व एक अन्य पक्षकार को अंतरित होता है .....''

17. रामभाऊ नामदेव गजरे बनाम नारायण बापूजी धोत्र में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः– (एस० सी० सी० पृष्ठ 619, पैरा 10)

''10. प्रस्तावित अंतरिती को अधिनियम की धारा 53-A के अधीन उपलब्ध कराया गया संरक्षण केवल अंतरिती के विरूद्ध एक ढाल है। यह अंतरक को प्रस्तावित अंतरिती के कब्जे से छेड़छाड़ करने का गैर हकदार बनाता है जिसे ऐसे करार के अनुसरण में स्वामित्व प्रदान किया गया है। इसका प्रस्तावित अंतरक के स्वामित्व से कुछ भी लेना देना नहीं है जो अंतरिती के पक्ष में निबंधित विक्रय विलेख के निष्पादन द्वारा वैधानिक रूप से हस्तांतरित किये जाने तक संपत्ति का संपूर्ण स्वामी बना रहता है। प्रस्तावित विक्रेता के विरूद्ध कब्जा संरक्षित करने के ऐसे अधिकार को तृतीय पक्ष के विरूद्ध प्रवर्तित नहीं की जा सकती है।''

18. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विक्रय के फलस्वरूप अचल संपत्ति का अंतरण केवल हस्तांतरण का एक विलेख (विक्रय विलेख) हो सकता है। हस्तांतरण के विलेख (सम्यक रूप से स्टांपित तथा निबंधित जैसा कि विधि में अपेक्षित है) की अनुपस्थिति में, किसी अचल संपत्ति में कोई अधिकार, अभिधान या हित अंतरित नहीं किया जा सकता है।

19. विक्रय की कोई संविदा (विक्रय का करार) जो कि हस्तांतरण का निबंधित विलेख (विक्रय विलेख) नहीं है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराओं 54 तथा 55 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगा तथा किसी अचल संपत्ति में कोई हित प्रदान नहीं करेगा या कोई हित अंतरित नहीं करेगा (सं० अं० अधिनियम की धारा 53-A के अधीन प्रदत्त सीमित अधिकार के सिवाय)। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार, विक्रय का करार, चाहे कब्जा के साथ हो या इसके बगैर, एक हस्तांतरण नहीं है। सं० अं० अधिनियम की धारा 54 अधिनियमित करता है कि अचल संपत्ति का विक्रय केवल निबंधित लिखत के द्वारा ही किया जा सकता है तथा विक्रय का करार इसके विषय –वस्तु पर कोई हित या प्रभार सृजित नहीं करता है।''

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के निर्णयाधार की दृष्टि में, यह न्यायालय पाता है कि विक्रय के अभिकथित करार का मामले में कोई लेना–देना नहीं है तथा यह न्यायालय मुद्दा सं० C का निर्णय याचीगण के पक्ष में तथा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध करता है।

मुद्दा सं॰ D

36. अग्रक्रय के आवेदन में पारित दिनांक 7.12.2002 के आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्राधिकार ने इसको लेकर कोई निश्चित/स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया है कि क्या याचीगण बेची गयी संपत्ति के पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं। अपीलीय प्राधिकारी ने एक निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि याचीगण पार्श्ववर्ती रैयत हैं तथा प्रत्यर्थीगण न तो बेची गयी संपत्ति के पार्श्ववर्ती रैयत हैं और न ही सह अंशधारी। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 7.12.2002 का आदेश अपास्त कर दिया। तत्पश्चात, वर्तमान निजी प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है जिन्होंने आक्षेपित आदेश द्वारा इसको लेकर भी कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि क्या याचीगण बेची गयी संपत्ति के पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं। बल्कि उन्होंने इस बिन्दु पर चर्चा भी नहीं किया है, यद्यपि यह बिन्दु वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था। पुनरीक्षण पदाधिकारी ने वर्ष 2011 में नये सिरे से निरीक्षण संचालित किया था तथा इस निरीक्षण के आधार पर, उन्होंने यह अभिनिर्धारित करके संपूर्ण मामले का निर्णय किया था कि भूमि की प्रकृति परिवर्तित हो गयी थी तथा इसलिए पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया गया था। आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि साक्ष्य जो प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, में से किसी पर भी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परिचर्चा नहीं की गयी थी।

37. यह न्यायालय पाता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इसको लेकर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि क्या याचीगण इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति के पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं। इसलिए, इस बिन्दु पर, मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए। तद्नुसार, पुनरीक्षण सं॰ 14 वर्ष 2009 में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 2.7.2011 का आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

38. पक्षों को आज से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है जो इस बिन्दु पर नया आदेश पारित करेंगे कि क्या याचीगण पार्श्ववर्ती रैयत हैं या नहीं तथा अगर यह निष्कर्ष याचीगण के पक्ष में अभिलिखित किया जाता है, तब उन्हें अग्रक्रय का आवेदन अनुज्ञात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अन्य सभी मुद्दों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा पहले ही उपर में किया जा चुका है। पुनरीक्षण प्राधिकारी पक्षों को उपस्थित होने की तिथि से छह महीनों की अवधि के भीतर सुनवायी करने के उपरांत नया आदेश पारित करेंगे। पक्षों के लिए उन सभी साक्ष्यों पर भरोसा करने का विकल्प खुला होगा, जो पहले से ही अभिलेख पर हैं।

माननीय राजेश शंकर, न्यायमूर्ति

हरि नंदन सिंह

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 7295 of 2017. Decided on 4th May, 2018.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005—धारा 6—झारखंड राज्य सूचना आयोग नियमावली, 2005—नियम 6(3) एवं 7—भारत का संविधान—अनुच्छेद 19(1)(a)—सूचना का अधिकार—यदि किसी व्यक्ति जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना इप्सित करता है को सांविधिक प्राधिकारियों (झारखंड राज्य सूचना आयोग) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अपवर्जित किया जाता है, यह विधान का प्रयोजन विफल करेगा—सूचना इप्सित करने वाले को अधिनियम, 2005 के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। (पैराएँ 10, 13, 14 एवं 16)

अधिवक्तागण.—Mr. Hari Nandan Singh, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

याची को सुना गया जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ जबकि प्रत्यर्थियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. दिनांक 20.2.2018 के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थियों की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

3. वर्तमान रिट याचिका अपील सं॰ 26 वर्ष 2015 में मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दिनांक 21.8.2017 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 8) के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा याची को भविष्य में झारखंड राज्य सूचना आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अपवर्जित किया गया है।

4. रिट याचिका में यथा कथित मामला के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसमें इसके बाद ''अधिनियम 2005'' के रूप में निर्दिष्ट) के अधीन 30.8.2014 को प्रत्यर्थी सं॰ 3 लोक सूचना अधिकारी सह-आरक्षी अधीक्षक, बोकारो के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। जब याची आवेदन की तिथि से 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर सूचना नहीं पा सका था, उसने 16.10.2014 को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया। यद्यपि याची ने कुल चार सूचना इप्सित किया, किंतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी-सह-उपमहानिरीक्षक, कोलफील्ड जोन एरिया, बोकारो के निर्देश के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने केवल एक सूचना दिया। तत्पश्चात, याची ने 12.1.2015 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 झारखंड राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील सं॰ 26 वर्ष 2015 दाखिल किया। प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा 30.3.2015 को अपील सुनी गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 3 प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष उपस्थित हुआ और सूचित किया कि शेष सूचना याची को डाक द्वारा सूचना भेजी गयी है और इसकी प्रति प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने दिनांक 30.3.2015 के आदेश के तहत याची को प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया यदि वह संतुष्ट महसूस नहीं करता था और प्रत्यर्थी सं॰ 3 को उक्त आपत्ति निपटाने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात, याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष आपत्ति दाखिल किया किंतु दिनांक 30.3.2015 के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने इसे विनिश्चित नहीं किया था जिसने याची को प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष एक अन्य आवेदन दाखिल करने के लिए मजबूर किया जिस पर अधिनियम वर्ष 2005 की धारा 19(8)(b) एवं 20(1) के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। किंतु, सुनवाई के क्रम में प्रत्यथी सं॰ 2 ने याची को अपने समक्ष भविष्य में उपस्थित होने से अपवर्जित करते हुए दिनांक 21.8.2017 का आक्षेपित आदेश पारित किया।

5. याची व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता है कि यद्यपि उसने आवश्यक सूचना प्राप्त किया है, फिर भी इसे उस अधिनियम, 2005 के अधीन दिए गए आवेदन की तिथि से सात माह के बाद प्रदान किया गया था। अधिनियम, 2005 विहित समय के भीतर सूचना की आपूर्ति की आज्ञा देती है जिसमें विफल होने पर लोक सूचना अधिकारी धारा 19(8)(b) के अधीन परिवादी को भुगतान किए जाने वाले मुआवजा देने और अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन शास्ति के अधिरोपण का दायी होगा। याची ने मुआवजा और समय के भीतर सूचना नहीं देने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 पर शास्ति के बिंदु पर न्याय-निर्णयण इप्सित करने का आशय रखा किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने याची के विरूद्ध निजी अभिकथन करके उसको भविष्य में प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष निजी रूप से उपस्थित होने से अपवर्जित किया जो अवैध एवं मनमाना है।

6. राज्य के अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एशोसिएशन द्वारा कतिपय विवाद्यकों पर न्यायालय कार्य से अनुपस्थित रहने के आह्वान के कारण न्यायालय से अनुपस्थित रहे।

7. याची को व्यक्तिगत रूप से सुना गया।

8. सूचना का अधिकार कमो-बेश सार्वभौम धारणा है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति से प्रत्यक्षत: प्रवाहित होता है, फिर भी इसने सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष एवं दक्ष प्रक्रिया आवश्यक बनाया जिसने देश में अनेक आंदोलनों को उद्भूत किया। भारत में प्रथम एवं सर्वाधिक सुज्ञात सूचना का अधिकार आन्दोलन ग्रामीण मजदूरों एवं किसानों के संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम॰ के॰ एस॰ एस॰) द्वारा 1990 के शुरूआत के दौरान किया गया था। ग्रामीण लेखाबही अर्थात पंचायति राज संस्थानों (स्थानीय स्वशासन में विकास व्यय का लेखाजोखा तथा प्रशासन में पारदर्शिता तक पहुँच के लिए एम॰ के॰ एस॰ एस॰ के संघर्ष को व्यापक रूप से अभिस्वीकृत किया गया था जिसने भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन की ज्वाला जगायी। इस प्रकार, प्रजातंत्र की आवश्यकता परिपूर्ण करने के लिए भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो 12.10.2005 को प्रकाश में आया।

9. अधिनियम, 2005 की धारा 6 सूचना प्राप्त करने के अनुरोध पर विचार करती है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:-

> *"6. **सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध.**-(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलैक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए-*
>
> *(a) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;*
>
> *(b) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,*
>
> *को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :*
>
> *परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।''*

10. धारा 6(1) के प्रावधान विनिर्दिष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना इप्सित करने वाले को समस्त संभव सहायता देना होगा। इस संबंध में विधान मंडल का आशय बिलकुल स्पष्ट है। यद्यपि धारा 6 में शब्द ''केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ''अथवा'' राज्य लोक सूचना अधिकारी का प्रयोग किया गया है किंतु यह अपीलीय प्राधिकारियों के प्रति भी प्रयोज्य है क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि अपील मूल कार्यवाही का जारी रहना है। इस प्रकार, राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते सूचना इप्सित करने वाले को समस्त युक्तियुक्त सहायता प्रदान करने की सांविधिक बाध्यता के अधीन है। एक साधारण व्यक्ति या निरक्षर व्यक्ति सूचना इप्सित कर सकता है क्योंकि उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन संवैधानिक अधिकार और अधिनियम,

2005 के अधीन सांविधिक अधिकार है और यदि व्यक्ति जो अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना इप्सित करता है को सांविधिक प्राधिकारियों के समक्ष निजी रूप से उपस्थित होने से अपवर्जित किया जाता है, यह विधान का प्रयोजन विफल करेगा।

11. झारखंड सरकार ने अधिनियम, 2005 की धारा 27(2)(d)(e) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में झारखंड राज्य सूचना आयोग नियमावली, 2005 (इसमें इसके बाद ''नियमावली, 2005" के रूप में निर्दिष्ट) विरचित किया है जिसे दिनांक 27.2.2005 की अधिसूचना के तहत आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया है। नियमावली, 2005 के नियम 6(3) एवं 7 को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> ***6. धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन अपील.****–(1) लोक प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा उस पदाधिकारी को अभिहित करेगा जिसके समक्ष धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन अपीलें की जायेंगी।*
>
> *(2) ऐसी प्रत्येक अपील के साथ आदेश, अगर कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, की एक प्रति संलग्न की जायेगी तथा विनिर्दिष्ट किया जायेगाः–*
>
> *(i) अपीलार्थी का नाम तथा पता तथा राज्य लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित विशिष्टियाँ जिसके विरूद्ध अपील की गयी है।*
>
> *(ii) राज्य लोक सूचना पदाधिकारी से आदेश, अगर कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, की प्राप्ति की तिथिः*
>
> *(iii) अपील के आधार; एवं*
>
> *(iv) अनुतोष जिसका आवेदक दावा करता है।*
>
> ***(3) धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवायी की एक तिथि निर्धारित करेगा। सुनवायी के लिये नियत तिथि को या आगे की तिथि को जिस तिथि तक अपील प्रास्थगित रखी गयी है, अपीलीय प्राधिकारी पक्षों की सुनवायी करने के उपरांत अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो कि वह उपयुक्त समझे।***
>
> ***(7) धारा 19 की उप–धारा (3) के अधीन अपीलों की प्रक्रियाः–नियम 6 के प्रावधान धारा 19(3) के अधीन दाखिल अपील पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।***

12. नियमावली 2005 का नियम 6(3) विनिर्दिष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि अपीलीय प्राधिकारी पक्षों को सुनने के बाद अपील पर ऐसे आदेशों को पारित करेगा जैसा यह सुयोग्य समझता है। यहाँ भी वाक्यांश ''पक्षों को सुनने वाला'' का उपयोग किया गया है जिस पर आगे शब्द ''करेगा'' का प्रयोग करके जोर दिया गया है। वाक्यांश ''पक्षों को सुनने के बाद करेगा'' पर्याप्त रूप से उपदर्शित करता है कि अपीलीय प्राधिकारी को पक्ष को सुनना होगा और यदि सूचना इप्सित करने वाला अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना नहीं चाहता है, उसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से, केंद्र सरकार ने भी सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 विरचित किया है। नियम 12 के उपनियम (2) का पठन निम्नलिखित है:

> *"(2) आयोग द्वारा अपील की सुनवायी के समय अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।''*

13. इस प्रकार, उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अपीलार्थी निजी रूप से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है और उसे अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। यह सत्य है कि याची जो प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष निजी रूप से उपस्थित हुआ, को कार्यवाही में शिष्टता बनाए रखना चाहिए था, फिर भी

प्रत्यर्थी सं॰ 2 को याची को भविष्य में अपने समक्ष निजी रूप से उपस्थित होने से अपवर्जित करते हुए ऐसा कठोर आदेश पारित नहीं करना चाहिए था जो अन्यथा विधि विरूद्ध है।

14. इस प्रकार, यहाँ उपर की गयी चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि सूचना इप्सित करने वाले को अधिनियम, 2005 के अधीन विहित प्राधिकारियों के समक्ष निजी रूप से उपस्थित होने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। राज्य सूचना आयोग सहित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी अधिनियम, 2005 के अधीन इच्छित सूचना पाने में सूचना इप्सित करने वाले को युक्तियुक्त सहायता देने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

15. प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने अपने आक्षेपित आदेश में **सिविल अपील सं॰ 6454 वर्ष 2011 (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य)** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जो वर्तमान मामला की तथ्यपरक स्थिति में प्रयोज्य नहीं है। यह भी गौर किया जा सकता है कि याची विलंब से सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति के अधिरोपण एवं मुआवजा प्रदान करने के प्रश्न पर न्यायनिर्णयन के लिए आयोग से अनुरोध कर रहा है क्योंकि याची ने दावा किया है कि उसे सात माह बाद सूचना प्रदान की गयी थी जबकि इसे अधिनियम, 2005 के मुताबिक 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए था।

16. तद्नुसार, अपील सं॰ 26 वर्ष 2015 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 21.8.2017 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और याची यदि वह निजी रूप से उपस्थित होना चाहता है सहित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अधिनियम, 2005 के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 3 पर शास्ति के अधिरोपण तथा मुआवजा प्रदान करने के बिंदु पर नया आदेश पारित करने के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 2 को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

17. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

चैतू ओराँव (1063 में)

देवमोहन सिंह (1193 में)

बनाम

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (S.J.) Nos. 1063 with 1193 of 2003. Decided on 13th April, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 196 वर्ष 1995/एस॰ टी॰ सं॰ 75 वर्ष 1998 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II, गुमला द्वारा पारित दिनांक 17.7.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18.7.2003 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 397/412—डकैती एवं चुरायी गयी संपत्ति पर कब्जा—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—भा॰दं॰सं॰ की धारा 412 के अधीन विनिर्दिष्ट आरोप विरचित नहीं किया गया है—अभिग्रहण सूची कूटरचित दस्तावेज सिद्ध की गयी है—गवाहों के अभिसाक्ष्य में उपहति के स्थान के संबंध में विरोधाभास और घर के बाहर अभियुक्तों द्वारा चलायी गयी गोली और घायल पर ऐसी कालिमा लिए उपहति कारित करने के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास है—अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए गए। (पैराएँ 14 एवं 15)

अधिवक्तागण.—Mr. Amit Kr. Choubey, For the Appellant; Mr. Manoj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.—वर्तमान दांडिक अपीलें दोषसिद्धि के एक ही निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत हो रही हैं। अपीलार्थी चैतु ओराँव ने दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 1063 वर्ष 2003 दाखिल किया है और अपीलार्थी देवमोहन सिंह ने दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 1193 वर्ष 2003 दाखिल किया है जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने अपीलार्थी चैतू ओराँव को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन और अपीलार्थी देवमोहन सिंह को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397/412 के अधीन दोषसिद्ध किया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने बलकू साव, चुनीलाल साव, रोपन साव और चैतू ओराँव को धारा 397 के अधीन दोषमुक्त किया है और समस्त अभियुक्तों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन एवं भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120(b) के अधीन भी अपराध के लिए दोषमुक्त किया है। राज्य ने अन्य अभियुक्तों की दोषमुक्ति के विरूद्ध तथा इन दोनों अपीलार्थियों चैतू ओराँव एवं देवमोहन सिंह की दोषमुक्ति के विरूद्ध भी दोषमुक्ति अपील दाखिल नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने चैतू ओराँव एवं देव मोहन सिंह को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन अपराध का दोषी पाया है और उनको पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 1000/- रुपया जुर्माना का भुगतान करने एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। जहाँ तक अपीलार्थी देवमोहन सिंह का संबंध है, उसे पृथक रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 के अधीन दोषसिद्ध किया है और सात वर्षों का कठोर कारावास अधिनिर्णीत किया है। उक्त आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपीलें दाखिल की गयी हैं। दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II), गुमला द्वारा सत्र विचारण सं॰ 196 वर्ष 1995/एस॰ टी॰ सं॰ 75 वर्ष 1998 में पारित किया गया है।

2. अभियोजन मामला सूचक बसंत साव (अ॰ सा॰ 11) के फर्दबयान पर आधारित है जिसे ए॰ एस॰ आई॰ रविन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दर्ज किया गया था। अभियोजन मामला के मुताबिक, सूचक ने कथन किया है कि 16.4.1994 (शनिवार) की रात में रात के भोजन के बाद घर के समस्त सदस्य दरवाजा बंद करके अपने घर में सो रहे थे और दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर वे जाग गए और चोरों के बारे में हल्ला किया जिस पर अभियुक्तों ने बम फोड़ा और धमकी भी दिया कि यदि घर के सदस्य हल्ला करेंगे, वे गोली चलाएँगे। इस पर घर के सदस्यों ने हल्ला करना बंद किया और दरवाजा तोड़ने के बाद अभियुक्तगण घर में घुस गए और एक अभियुक्त बंदूक लिए था जिसने गोली चलाया जो सूचक के पिता भदर साव को लगी और खून बहती उपहति कारित किया। सूचक ने स्पष्टत: कथन किया है कि दरवाजा तोड़ने के बाद पाँच अभियुक्त घर में घुस गए और कुछ अभियुक्तों ने उनका घर घेर लिया। यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने घर में घुसने के बाद बर्तन, हीरो साइकिल, एक एच॰ एम॰ टी॰ कलाई घड़ी, 2.5 हॉर्स पावर की मशीन, चांदी के अन्य गहने वस्त्र एवं 5000/- रुपया नगद लूटा। सूचक ने आगे कथन किया है कि अभियुक्तों द्वारा उनसे अन्य वस्तुओं को प्रकट करने के लिए कहा सूचक ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसके भाई राजेन्द्र साव, माता बालकी देवी पर प्रहार किया गया है और धमकी दी गयी है कि यदि वे हल्ला करेंगे, उनकी हत्या कर दी जाएगी। सूचक ने कथन किया है कि एक अभियुक्त छोटा बंदूक लिए था, अन्य बलुआ, टांगी एवं डंडा लिए थे। सूचक ने कथन किया है कि उस समय पर कमरा में ढिबरी जल रही थी जिसके प्रकाश में उसने अभियुक्तों को पहचाना है। तीन अभियुक्त लंबे, गोरे थे और दो छोटे कद के थे। वे हिंदी भाषा बोल रहे थे और सूचक ने उनको देखने के बाद उनको पहचानने का दावा किया है। अभियुक्तों द्वारा धमकी दिये जाने पर सूचक एवं अन्य ने डकैती की कारिता के दौरान हल्ला नहीं किया था, दो बम विस्फोट किए गए थे जिस कारण कोई भी वहाँ नहीं आया। डकैतों

ने उसके बड़े चाचा चुनीलाल साव पर भी प्रहार किया है और उसके छोटे भाई की पत्नी को निर्वस्त्र किया और उसके सिर का बाल जलाने के लिए माचिस की तीली का उपयोग किया।

3. सूचक के फर्दबयान के आधार पर पुलिस ने दिनांक 17.4.1994 का सिसई पी॰ एस॰ केस सं॰ 39 वर्ष 1994, जी॰ आर॰ सं॰ 257 वर्ष 1994 के तत्सम, दर्ज किया और अन्वेषण के बाद पाँच व्यक्तियों बालकू साव, चुनीलाल साव, रोपन साव, चैता ओराँव एवं बुधु ओराँव एवं इस मामले के फरार के विरूद्ध दिनांक 16.7.1994 का आरोप पत्र सं॰ 31 वर्ष 1994 दाखिल किया।

4. इस अपराध का संज्ञान लिए जाने के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ बालकू साव, चुनीलाल साव, रोपना साव, चैतू ओराँव एवं देवमोहन सिंह के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 एवं 120B के अधीन 2.3.1998 को आरोप विरचित किया गया है और देवमोहन सिंह तथा चैतू ओराँव को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अधीन आरोपित किया गया है किंतु भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया है।

अपीलार्थियों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया, अत: उनका विचारण किया गया।

5. अभियोजन ने कुल 13 गवाहों का परीक्षण किया है किंतु मामला के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। रोपना साव का अ॰ सा॰ 1 महावीर साव का अ॰ सा॰ 2, राजेन्द्र साव (सूचक का भाई) का अ॰ सा॰ 3, इजहार अनवर (डॉक्टर) का अ॰ सा॰ 4, डॉ॰ शकुन्तला पांडे (एक अन्य डॉक्टर) का अ॰ सा॰ 5, रोहित कुमार शर्मा का अ॰ सा॰ 6, भदर साव (घायल एवं सूचक का पिता) का अ॰ सा॰ 7, चिंता देवी (सूचक की पत्नी) का अ॰ सा॰ 8, बालकी देवी (सूचक की माता) का अ॰ सा॰ 9, किरन देवी का अ॰ सा॰ 10, बसन्त साव (मामला का सूचक) का अ॰ सा॰ 11, मोजाहिद अंसारी (अभिग्रहण गवाह) का अ॰ सा॰ 12 एवं कुलदीप सिंह (औपचारिक गवाह) का अ॰ सा॰ 13 के रूप में परीक्षण किया गया है बचाव ने भी एक गवाह श्री चुनी लाल साव (ब॰ सा॰ 1) का परीक्षण किया है जो इस मामला का अभियुक्त भी है।

6. मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियोजन ने अभिग्रहण सूची पर रोपना साव का हस्ताक्षर प्रदर्श 1, बालकी देवी, तारामनि देवी एवं चुनीलाल साव की उपहति रिपोर्टों प्रदर्शों 2, 2/1 एवं 2/2, किरण देवी की उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 3, बसन्त साव की उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 4, राजेन्द्र साव की उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 4/1, फर्दबयान पर बसन्त साव एवं रोपन साव के हस्ताक्षरों प्रदर्श 1/1 एवं 1/2, अभिग्रहण सूची पर मोजाहिर अंसारी का हस्ताक्षर प्रदर्श 5, औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 6, फर्दबयान प्रदर्श 7, अभिग्रहण सूचियाँ 8 से 8/3, लोहरदगा अस्पताल द्वारा जारी राजेन्द्र साव, बसन्त साव, भदर साव एवं बालकी देवी की उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 9 से 9/3 एवं टी॰ आई॰ पी॰ में बर्तनों की पहचान चार्ट प्रदर्श 10 से 10/1 अभिलेख पर लाया है।

7. रोपन साव (अ॰ सा॰ 1) ने कथन किया है कि घटना के बारे में जानने के बाद वह भदर साव के घर गया और डकैती के बारे में जाना और अपराह्न 2-3 बजे वे भदर साव को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। फर्दबयान से प्रतीत होता है कि रोपना साव ने भी फर्दबयान पर हस्ताक्षर किया है।

8. महाबीर साव (अ॰ सा॰ 2), राजेन्द्र साव (अ॰ सा॰ 3) भदर साव (अ॰ सा॰ 7), चिंता देवी (अ॰ सा॰ 8), बालकी देवी (अ॰ सा॰ 9) एवं किरण देवी (अ॰ सा॰ 10) इस मामला के तात्विक गवाह हैं जिन्होंने घटना के अभिकथित दिन पर अपने घर में डकैती की कारिता के बारे में विवरण दिया है जिसके लिए

अन्वेषण बसन्त साव (अ॰ सा॰ 11) द्वारा दिए गए फर्दबयान पर गतिशील बनायी गयी थी। अत: इतना सिद्ध किया गया है कि सूचक के घर में 16.4.1994 को डकैती की गयी थी।

9. अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर हैं जिन्होंने बालकी देवी एवं किरण देवी का परीक्षण किया है और उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 3 प्रस्तुत किया है।

10. कुलदीप सिंह (अ॰ सा॰ 13) अधिवक्ता लिपिक एवं औपचारिक गवाह है जिसने सामग्रियों का टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट सिद्ध किया है जिन्हें अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा बरामद किया गया था।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार चौबे ने निवेदन किया है कि जहाँ तक चैतू ओराँव एवं देव मोहन सिंह का संबंध है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है क्योंकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 12 मुजाहिद अंसारी जो अभिग्रहण गवाह है और जिसने अभिग्रहण सूची प्रदर्श 5 के रूप में सिद्ध किया है, ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसका हस्ताक्षर अभिग्रहण सूची पर है किंतु ये चीजें अभिग्रहण सूची पर लिखी नहीं गयी है बल्कि वे सादा कागज पर है। जहाँ तक धारा 412 के अधीन अवयव का संबंध है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन चैतू ओराँव एवं देव मोहन सिंह का दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य नहीं है और विचारण न्यायालय ने उनको दोषसिद्धि करने में गलती किया है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि जहाँ तक अपीलार्थी देव मोहन सिंह की भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्धि का संबंध है, विद्वान विचारण न्यायालय ने देवमोहन सिंह की परीक्षा पहचान परेड पर विश्वास किया है किंतु इस तथ्य का न्यायिक ध्यान नहीं लेने में पूरी गलती किया है कि अ॰ सा॰ 2 महावीर साव ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्टत: कथन किया है कि जब अभियुक्तों को पकड़ा गया था और पुलिस थाना लाया गया था और उन पर प्रहार किया गया था, उन्होंने पुलिस के समक्ष दोष स्वीकार किया है और उस समय पर उसे अभियुक्तों को पहचानने की अनुमति दी गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि परीक्षा पहचान परेड की संपूर्ण पवित्रता दूषित हो गयी है क्योंकि गवाह ने स्वीकार किया है कि परीक्षा पहचान परेड के पहले उसके पास पुलिस थाना में अभियुक्तों को पहचानने का अवसर था और इस दशा में टी॰ आई॰ पी॰ के आधार पर देव मोहन सिंह की धारा 397 के अधीन दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि समस्त अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्य में मुख्य विरोधाभास है और वे विरोधाभास अभियोजन मामला के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ अभियुक्तगण अभियोजन पक्ष के गोत्रज हैं और अभियोजन पक्ष के पड़ोसी हैं किंतु सूचक ने फर्दबयान जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी देते हुए उन व्यक्तियों का नाम प्रकट नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन इस तथ्य जिसे 12 घंटा से अधिक बाद दर्ज किया गया था प्रकट करने में शुद्ध हृदय से नहीं आया है। घटना के तरीका एवं घटना की कारिता के संबंध में गवाहों का बयान एक-दूसरे का विरोधाभासी है, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कुछ अभियुक्तों जो अभियोजन गवाहों के चाचा एवं भाई हैं के साथ भूमि विवाद है यद्यपि उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। न तो सूचक न ही राज्य ने ऐसी दोषमुक्ति के विरूद्ध कोई अपील दाखिल किया है और तुच्छ आधार पर किसी सामग्री के बिना विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी देव मोहन सिंह को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 के अधीन दोषसिद्ध किया है।

13. राज्य के अपर लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार ने मामला में जोरदार तर्क किया है और आक्षेपित निर्णय का समर्थन करने का अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है किंतु अभियोजन गवाहों के विरोधाभासी साक्ष्य विवादित नहीं किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया है किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से डॉ॰ एम॰ एम॰ सेनगुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, लोहरदगा द्वारा जारी भदर साव की उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 9/2 के साथ अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर धारा 397 के अधीन देवमोहन सिंह को दोषसिद्ध किया है। यद्यपि उक्त डॉक्टर का परीक्षण विचारण न्यायालय में नहीं किया गया है। इस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यदि प्रदर्श 2 को ध्यान में लिया जाता है और फर्दबयान अथवा अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य के साथ इसकी तुलना की जाती है, भदर साव के शरीर पर कारित उपहति के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। उपहति रिपोर्ट सुझाती है कि डॉक्टर ने मध्य भाग में बायीं उपरी बाँह पर 3x2x1 इंच का प्रवेश जख्म पाया है और डिफ्यूज्ड विदीर्णता के साथ और कालिया के साथ मौजूद था किंतु निकासी जख्म नहीं था। बाएँ हयूमरस अस्थि के शाफ्ट का फ्रैक्चर था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि न तो डॉक्टर जिन्होंने इस उपहति रिपोर्ट को जारी किया है का परीक्षण किया गया है और न ही इस मामला के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया गया है और न ही आर॰ एम॰ सी॰ एच॰, राँची की कोई चिकित्सा रिपोर्ट अभिलेख पर लायी गयी है और यदि अ॰ सा॰ 2, 3 एवं 7 का साक्ष्य साथ लिया जाता है, उपहति स्थल के बारे में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 के अधीन व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए ऐसी उपहति रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जहाँ परीक्षा पहचान परेड ने अपनी पवित्रता खो दिया है और अन्य अभियुक्तों को पहले ही भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 के अधीन दोषमुक्त किया गया है। इस दशा में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 के अधीन आरोप जिसे देवमोहन सिंह के विरूद्ध विरचित किया गया है, विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है।

14. पक्षों को सुनने के बाद तथा संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने पर, विशेषत: गवाहों के अभिसाक्ष्य के परिशीलन पर, इस न्यायालय का मत है कि विचारण न्यायालय ने चैतू ओराँव एवं देवमोहन सिंह को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन दोष सिद्ध करने में गलती किया है क्योंकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन विनिर्दिष्ट आरोप विरचित नहीं किया गया है और अभिग्रहण सूची अ॰ सा॰ 12 द्वारा झुठलायी गयी है और अभिग्रहण सूची मुजाहिद अंसारी (अ॰ सा॰ 12) के बयान की दृष्टि में कूटरचित दस्तावेज सिद्ध की गयी है कि उसने सादा कागज पर हस्ताक्षर किया इस दशा में प्रदर्श 5 (अभिग्रहण सूची) की विधि की दृष्टि में विधिक पवित्रता नहीं है। इस न्यायालय ने आगे पाया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 के अधीन देवमोहन सिंह को दोषसिद्ध करना विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है क्योंकि गवाहों के साक्ष्य में उपहति स्थल के संबंध में विरोधाभास है और घर के बाहर अभियुक्तों द्वारा चलायी गयी गोली एवं घायल पर ऐसी कालिमा लिए उपहति कारित करने के संबंध में विरोधाभास है।

15. इस प्रकार, मेरा मत है कि देव मोहन सिंह संदेह का लाभ का हकदार है। मामला के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जी॰आर॰ सं॰ 257 वर्ष 1997 से उद्भूत होनेवाले सिसई पी॰ एस॰ केस सं॰ 39 वर्ष 1994 के सत्र विचारण सं॰ 196 वर्ष 1955/ एस॰ टी॰ सं॰ 75 वर्ष 1998 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II, गुमला द्वारा पारित दिनांक 17.7.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18.7.2003 के दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी चैतू ओराँव को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है और देवमोहन सिंह को भी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 397 तथा 412 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है और दोनों को उनके जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

16. तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है।

17. अभिलेख संबंधित अवर न्यायालय को भेजे जाएँ।

माननीय रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति

उपेन्द्र कुमार सिंह एवं एक अन्य (612 में)

सुधांशु चौधरी (617 में)

बनाम

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cri. Rev. Nos. 612 with 617 of 2008. Decided on 19th June, 2018.

जी॰ आर॰ सं॰ 1837 वर्ष 2002 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 18.2.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश को अभिपुष्ट करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा दांडिक अपील सं॰ 62 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 7.7.2008 के निर्णय के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 341, 323, 427—दोषपूर्ण अवरोध, उपहति एवं रिष्टि—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—चश्मदीद गवाहों ने एक साथ याचीगण के हॉकी स्टिक तथा बंबू स्टिक से लैस होने के बारे में कथन किया जिन्होंने डंपर का अनेक भागों का नुकसान किया था—घटनास्थल स्थापित किया गया—चूँकि याचीगण का कृत्य गवाहों द्वारा स्पष्टतः समर्थित किया गया है, आई॰ ओ॰ का गैर-परीक्षण महत्वहीन बन जाता है—भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323 एवं 427 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि संपोषित की गयी—दंडादेश के प्रति याचीगण वर्ष 2002 से अभियोजन मामला की कठोरता का सामना कर रहे हैं—पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक दंडादेश उपांतरित किया गया है। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.—Mr. Rajesh Lala (in 612); None (in 617), For the Petitioners; Mr. Tapas Roy, For the Opp. Parties.

आदेश

दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 612 वर्ष 2008 में उपस्थित याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश लाला सुने गए। संबंधित दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 617 वर्ष 2008 में याची के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। दोनों मामलों में राज्य को विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री तापस रॉय प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. ये आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा दांडिक अपील सं॰ 62 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 7.7.2008 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित हैं जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा याचीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323 एवं 427 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करनेवाला और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 341 के अधीन अपराध के लिए एक माह का सामान्य कारावास भुगतने और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 427 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्येक को छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश देने वाला जी॰ आर॰ सं॰ 1837 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 18.2.2008 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश अभिपुष्ट किया गया है।

3. प्राथमिकी में किए गए अभिकथन इस प्रभाव के हैं कि 18.7.2002 को अपराह्न 6 बजे सूचक के चालक ने अपना रजिस्ट्रेशन सं॰ BR17G/5178 वाला डंपर बहुरा क्षेत्र कार्यालय के सामने लगाया

था और खाना खाने गया था। यह अभिकथित किया गया है कि इस बीच किसी ने सूचित किया कि 3-4 व्यक्ति डंपर का विंड स्क्रीन तोड़ रहे थे। चालक घटनास्थल पर गया और याचीगण तथा किसी जीतू यादव को ऐसे कृत्य में अंतर्ग्रस्त देखा। जब चालक ने विरोध किया, उसपर प्रहार किया गया था और जब सूचक घटनास्थल पर आया, उसे भी गाली दी गयी थी और भगा दिया गया था। पूर्वोक्त अभिकथनों पर आधारित जोरा पोखर (सुडामडीह) पी॰ एस॰ केस सं॰ 168 वर्ष 2002 संस्थित किया गया था, जिसमें अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और संज्ञान लिए जाने के बाद अभियुक्तों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323, 427, 504 एवं 506 के अधीन अभियोग का सार स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा पाँच गवाहों का परीक्षण किया गया था।

4. अ॰ सा॰ 1 मृत्युंजय महता ने अभिसाक्ष्य दिया था कि जब वह अपने ट्रैक्टर पर लौट रहा था और घटना स्थल पहुँचने पर उसने कुछ व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 17G/5178 वाले डंपर को हॉकी एवं बंबू स्टिक से नुकसान पहुँचाते देखा था। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि जब चालक ने विरोध किया, उसे गाली दी गयी थी और जब डंपर का स्वामी आया, उसे भी गाली दी गयी, थी और भगा दिया गया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने घटना देखा था। अ॰ सा॰ 2 संतोष कुमार यादव डंपर का चालक है जिसने अभिसाक्ष्य दिया था कि घटना की तिथि पर उसने अपना डंपर बहुरा क्षेत्र में लगाया था और खाना खाने गया था। उसने आगे कथन किया कि दो व्यक्ति आए थे और उसको बताया था कि कुछ दुष्ट डंपर का विंड स्क्रीन तोड़ रहे थे। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा और ऐसे कृत्य का विरोध किया, अभियुक्तों द्वारा उस पर प्रहार किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि जब वाहन का स्वामी आया, उसे भी प्रहार के अध्यधीन किया गया था। अ॰ सा॰ 3 शंभु कुमार बर्नवाल सूचक और डंपर का स्वामी है जिसने पूर्णत: घटना का समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि दुष्टों ने हेडलाइट, मेन विंड स्क्रीन, बैक लाइट, लुकिंग ग्लास एवं इंडीकेटर को नुकसान पहुँचाया था। उसने यह कथन भी किया है कि जब उसने विरोध किया, उसे भगा दिया गया था। इस गवाह ने लिखित रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 4 भोला रजक एवं अ॰ सा॰ 5 सागर साव ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया था और उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है जिसे समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। यह कथन भी किया गया है कि डॉक्टर अथवा अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था जिसने बचाव पर प्रतिकूलता कारित किया है।

6. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने वर्तमान आवेदन का विरोध किया है।

7. यह प्रतीत होता है कि दोषसिद्धि चश्मदीद गवाहों अर्थात अ॰ सा॰ 1, 2, 3 के साक्ष्य पर आधारित है। समस्त तीनों गवाहों ने एकसाथ याचीगण के हॉकी एवं बंबू स्टिक से लैस होने के बारे में कथन किया है जिन्होंने डंपर के अनेक भागों को नुकसान पहुँचाया था। नि:संदेह यह सत्य है कि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है, किंतु घटना स्थल बहुरा क्षेत्र कार्यालय के सामने स्थित होना सुस्थापित किया गया है और चूँकि याचीगण के कृत्य का गवाहों अ॰ सा॰ 1, 2, 3 द्वारा स्पष्टत: समर्थन किया गया है, आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण महत्वहीन बन जाता है। अत:, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323 एवं 427 के अधीन अपराधों के लिए दोष सिद्ध करते हुए उपर वर्णित परिस्थितियों पर समुचित रूप से विचार किया गया है। इसे एतद्द्वारा संपोषित किया जाता है।

8. किंतु, दंडादेश जिसे याचीगण पर अधिरोपित किया गया है के संबंध में यह प्रतीत होता है कि याचीगण वर्ष 2002 से अभियोजन मामला की कठोरता का सामना कर रहे हैं। याचीगण कुछ समय तक अभिरक्षा में भी रहे हैं। याचीगण के विरूद्ध यथा अभिकथित अपराध की प्रकृति के साथ पूर्वोक्त तथ्य पर विचार करते हुए याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश की अवधि उनके द्वारा अभिरक्षा में पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित की जाती है।

9. दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

लालदेव महतो उर्फ लालो महतो

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 72 of 2004. Decided on 20th April, 2018.

जी॰ केस॰ संख्या 9 वर्ष 1998/टी॰ आर॰ सं॰ 6 वर्ष 2003 में विद्वान विशेष न्यायाधीश-सह-सत्र न्यायाधीश (एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम) हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा 19.12.2003 के दण्डादेश के विरूद्ध।

स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985—धारा 20(B)(i)—गांजा तथा भांग की जब्ती—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—अभिग्रहण गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है—अभियोजन ने जब्त सामग्री प्रस्तुत नहीं किया है—जब्त सामग्री की गैर-प्रस्तुती एवं प्राप्त किए गए जब्त नमूना एवं रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट की अक्षुण्ण दशा में गैर-प्रस्तुती अभियोजन मामला के लिए घातक है—अभियोजन ने मामले को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है—अपीलार्थियों को संदेह का लाभ प्रदान किया गया—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त।

(पैराएँ 19 से 23)

निर्णयज विधि.—Gorakh Nath Prasad vs. State of Bihar, (2018) 2 SCC 305; Vijay Jain vs. State of Madhya Pradesh, (2013) 14 SCC 52—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Mahesh Tewari, Md. Sahabuddin, For the Appellant; M/s Pankaj Kumar, Suraj Verma, For the State.

न्यायालय द्वारा.—अधिवक्ता मो॰ शहाबुद्दीन द्वारा सहायित अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी एवं अधिवक्ता सूरज वर्मा द्वारा सहायित अपर लोक अभियोजक श्री पंजक कुमार सुने गए।

2. वर्तमान दांडिक अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश-सह-सत्र न्यायाधीश (एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम), हजारीबाग द्वारा जी॰ केस सं॰ 9 वर्ष 1998/टी॰ आर॰ सं॰ 6वर्ष 2003 में पारित दिनांक 17.12.2003 को दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 19.12.2003 के दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20(B)(i) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा 10,000/- रुपया जुर्माना का भुगतान करने एवं जुर्माना के व्यतिक्रम में एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला सूचक प्रदीप कुमार सिन्हा (अ॰ सा॰ 2) (सब इंसपेक्टर उत्पाद शुल्क) द्वारा प्रस्तुत अभियोजन रिपोर्ट पर आधारित है। अभियोजन रिपोर्ट के मुताबिक, सूचक ने 18.5.1998 को सूचना पाया कि कोई लालदेव महतो ग्राम कोईरी टोला, काली मंदिर के निकट, चितरपुर, पी॰ एस॰ रामगढ़ परियोजना, जिला हजारीबाग अवस्थित अपनी दुकान में विनिषिद्ध पदार्थ बेच रहा है। ऐसी सूचना पर सूचक (अ॰ सा॰ 2) प्रदीप कुमार सिन्हा (सबइंस्पेक्टर, उत्पाद शुल्क काँसटेबल तलकेश्वर तिवारी (अ॰ सा॰ 1) एवं अन्य पुलिस कर्मियों के साथ अपराह्न 6.30 बजे अपीलार्थी की दुकान पहुँचा और दुकान की तलाशी पर सूचक ने 250 ग्राम गांजा एवं 250 ग्राम भांग 24 चिलम (गांजा पीने वाला उपकरण) के साथ पोलिथिन पैकेट में अलग से रखा हुआ पाया जिसे सूचक द्वारा अभियुक्त एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में बरामद एवं जब्त किया गया था। अभिग्रहण सूची भी तैयार की गयी थी जिस पर अभियुक्त ने अन्य गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया और अभिग्रहण सूची की एक प्रति अभियुक्त को सौंपी गयी थी। जब्त गांजा एवं भांग का नमूना सूचक द्वारा अभियुक्त से लिए गए थैला में पृथक रूप से मुहरबंद किया गया था और तत्पश्चात सूचक अभियुक्त एवं जब्त सामग्री के साथ अपने कार्यालय आया। सूचक ने अभियुक्त को न्यायालय भेजा है और जब्त सामग्री का नमूना भी रासायनिक परीक्षा के लिए विशेषज्ञ के समक्ष भेजा है।

4. सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा 16.5.2000 को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20(i)(B) के अधीन आरोप विरचित किया है। अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन किया, अतः उसका विचारण किया गया था।

5. अभियोजन ने दो गवाहों का परीक्षण किया है। अ॰ सा॰ 1 तलकेश्वर तिवारी (उत्पाद शुल्क काँसटेबल) है एवं अ॰ सा॰ 2 प्रदीप कुमार सिन्हा (सूचक) सब इंस्पेक्टर एक्साइज है।

6. मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन ने अभिग्रहण सूची प्रदर्श 1, तलाशी सह अभिग्रहण सूची पर गवाहों का हस्ताक्षर प्रदर्श 2 (तलकेश्वर तिवारी का अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर प्रदर्श 2/1 तथा अभिग्रहण सूची पर अभिग्रहण सूची पर दिलदार हुसैन का हस्ताक्षर प्रदर्श 2/2, अभिग्रहण सूची पर अभियुक्त लालदेव महतो का हस्ताक्षर प्रदर्श 2/3, अभियुक्त लालदेव महतो की फॉरवार्डिंग रिपोर्ट पर अ॰ सा॰ 2 का हस्ताक्षर प्रदर्श 3 के रूप में दिया। प्रदर्श 4 सूचक प्रदीप कुमार सिन्हा का अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर है। प्रदर्श 5 श्री ललन प्रसाद सिंह (उत्पाद शुल्क रासायनिक परीक्षक), बिहार द्वारा प्रस्तुत रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट है और प्रदर्श 6 अभियोजन रिपोर्ट है। बचाव ने भी दो गवाहों का बचाव गवाहों के रूप में परीक्षण किया है। सुधेश्वर महतो ब॰ सा॰ 1 एवं सहदेव प्रजापति ब॰ सा॰ 2 है।

7. तलकेश्वर तिवारी, उत्पाद शुल्क काँसटेबल का परीक्षण अ॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि 18.5.1998 को जब वह रामगढ़ में पद स्थापित था, यह गवाह सब इंसपेक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा एवं दिलदार हुसैन तथा धनेश्वर प्रजापति के साथ लालदेव महतो उर्फ लाला महतो की कोइरी टोला, काली मंदिर के निकट, पी॰ एस॰ चितरपुर, रामगढ़ अवस्थित दुकान गया और गवाहों की उपस्थिति में छापा मारा जहाँ 250 ग्राम गांजा अंतर्विष्ट करने वाला पोलिथिन तथा 250 ग्राम भांग अंतर्विष्ट करने वाला एक अन्य पोलिथिन बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त, 24 चिलम अंतर्विष्ट करने वाला पोलिथिन भी बरामद किया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि इन वस्तुओं के संबंध में लालदेव महतो द्वारा वैध कागज अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था और तत्पश्चात इन समस्त वस्तुओं को गवाहों की उपस्थित में अभिग्रहण सूची तैयार करके जब्त किया गया था और इन

समस्त वस्तुओं को बोरा में मुहरबंद किया गया था। इस गवाह ने प्रदीप कुमार सिन्हा, उत्पाद शुल्क इंसपेक्टर जिसने अभिग्रहण तैयार किया का हस्ताक्षर एवं हस्तलेखन सिद्ध किया है और इसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। इस गवाह ने स्वयं अपना हस्ताक्षर एवं गवाहों दिलदार हुसैन तथा धनेश्वर प्रजापति का हस्ताक्षर प्रदर्श 2 से 2/2 के रूप में सिद्ध किया है और अभियुक्त लालदेव महतो का हस्ताक्षर भी अभिग्रहण सूची पर प्रदर्श 2/3 चिन्हित किया गया था। अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था और कागज तैयार करने के बाद कारा भेजा गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस गवाह ने स्वीकार किया है कि सब-इंसपेक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा द्वारा अभिग्रहण सूची तैयार करने पर दुकान के बाहर खड़े 5-7 व्यक्तियों में से दो व्यक्ति बुलाए गए थे और उनका हस्ताक्षर लिया गया था। इसके पहले वह उन दो-व्यक्तियों को नहीं जानता था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि वे अपराह्न 6.30 बजे दुकान पहुँचे और अपराह्न 6.40 बजे तक संपूर्ण प्रक्रिया करने के बाद दुकान से निकले। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में जब्त सामग्री रासायनिक परीक्षक के समक्ष कभी नहीं भेजी गयी थी जिन्हें अभियुक्त के बोरा में जब्त किया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि जब्त सामग्री न्यायालय में उसके समक्ष नहीं है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि स्वयं अ॰ सा॰ 1 ने प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन मामला पर घातक वार किया है क्योंकि उसने अपनी प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 8 में स्वीकार किया है कि जब्त सामग्री उसकी उपस्थिति में रासायनिक परीक्षक के समक्ष कभी नहीं भेजी गयी थी। बाद में इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि जब्त सामग्री न्यायालय में उसके समक्ष मौजूद नहीं है और इस दशा में जब्त सामग्री के रासायनिक परीक्षक की पवित्रता तथा न्यायालय के समक्ष जब्त सामग्री की गैर प्रस्तुती अभियोजन मामला पर घातक वार करता है और इस प्रकार दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

9. प्रदीप कुमार सिन्हा (अ॰ सा॰ 2), सबइंसपेक्टर, उत्पाद शुल्क एवं मामला के सूचक का परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि 18.5.1995 (1998 के बजाए गलत रूप से 1995 टंकित) को जब वह सब इंसपेक्टर, उत्पाद शुल्क के रूप में पदस्थापित था, उसने सूचना पाया कि एक लालदेव महतो नाम का व्यक्ति चितरपुर, कालीमंदिर के निकट, कोइरी टोला में अवैध रूप से गांजा बेच रहा है और तत्पश्चात वह अन्य उत्पाद शुल्क कर्मियों एवं रामगढ़ परियोजना, जिला हजारीबाग के सशस्त्र बल के साथ अपराह्न 6.30 बजे अभियुक्त की दुकान पर गया और गवाहों की उपस्थिति में समुचित तलाशी लिया। तलाशी के दौरान उसने गांजा अंतर्विष्ट करने वाला पोलिथिन तथा भांग अंतर्विष्ट करने वाला एक अन्य पोलिथिन और 24 चिलम अंतर्विष्ट करने वाला तीसरा पोलिथिन बरामद किया। अभियुक्त तुरन्त गिरफ्तार किया गया था और तराजू में गांजा एवं भांग तौला गया था और तत्पश्चात रासायनिक परीक्षक के लिए दोनों ही पोलिथिनों से नमूना लिया गया था। अभियुक्त ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था और न ही जब्त सामग्री के संबंध में कोई कागज दर्शाया है। गांजा एवं भांग दोनों का वजन 250 ग्राम था। अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी और जब्त सामग्री मुहरबंद की गयी थी।

10. जब्त सामग्री आगे अभियुक्त के प्लास्टिक थैला में ली गयी थी और नमूना मुहरबंद किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी जिस पर दो स्वतंत्र गवाहों दिलदार हुसैन एवं घनेश्वर प्रजापति ने उत्पाद शुल्क कॉंसटेबल तलकेश्वर तिवारी के साथ हस्ताक्षर किया। अभिग्रहण सूची की दो प्रतियाँ तैयार की गयी थी। एक प्रति अभियुक्त को सौंपी गयी थी जिसने इसके पीछे हस्ताक्षर किया और अभियोजन रिपोर्ट तथा अभिग्रहण सूची के साथ अभियुक्त अगली तिथि पर न्यायालय को अग्रसारित किया गया था

फॉरवार्डिंग रिपोर्ट प्रदर्श 3 चिन्हित की गयी है और अभिग्रहण सूची पर उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है। बाद में नमूना पटना भेजा गया था। और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी जिसे दाखिल किया गया था। जब सूचक अ॰ सा॰ 2 के रूप में न्यायालय में अभिसाक्ष्य दे रहा था और उक्त रिपोर्ट प्रदर्श 5 चिन्हित की गयी है। उसके द्वारा लिखा, तैयार एवं हस्ताक्षर किया गया अभियोजन रिपोर्ट प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया है।

11. प्रतिपरीक्षण के दौरान, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह सूचक है और इस मामला का अन्वेषण अधिकारी है, इस गवाह ने आगे कथन किया है कि जब वह तलाशी ले रहा था, उसके पास बोरा या बक्सा नहीं था और न ही ऐसी कोई चीज उत्पाद शुल्क कर्मियों के पास थी। इस गवाह ने घटनास्थल सिद्ध किया है कि और आगे कथन किया है कि दो अभिग्रहण गवाहों को वह नहीं जानता था। उन दो व्यक्तियों में से दिलदार हुसैन नया सराय, पी॰ एस॰ रामगढ़, जिला हजारीबाग का निवासी तथा घनेश्वर प्रजापति हेसाला, पी॰एस॰ गिड्डी, जिला हजारीबाग का निवासी था और उक्त गाँव घटनास्थल से क्रमश: 20 कि॰ मी॰ एवं 35 कि॰ मी॰ की दूरी पर अवस्थित थे। उनका हस्ताक्षर लेने के पहले उनको अभिग्रहण सूची पढ़कर सुनाई गयी थी और बाद में अभियुक्त का हस्ताक्षर लिया गया था। उन गवाहों को कार्यालय नहीं लाया गया था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 25 में में स्पष्टत: कथन किया है कि जब्त सामग्री उसके द्वारा जब्त की गयी थी किंतु न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। इस गवाह ने आगे अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 32 में कथन किया है कि जब्त सामग्री लाह की मदद से प्लास्टिक थैला में जब्त की गयी थी और इसी धागा से बांध कर मुहरबंद किया गया था और उसका हस्ताक्षर वहाँ था। मुहरबंद नमूनों को कार्यालय में रखा गया था जो गोल पार्क, रामगढ़ में अवस्थित है। उक्त नमूने एक वर्ष पाँच माह तक उसके पास थे और नमूने जब्ती के एक माह के भीतर रासायनिक परीक्षक को भेजे गए थे। उसके द्वारा रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी किंतु उसे याद नहीं था किस तिथि पर इसे प्राप्त किया गया था। रासायनिक परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अभियुक्त को इसका पुनर्परीक्षण करने का अवसर देते हुए नोटिस नहीं दिया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि वह रासायनिक परीक्षक को नमूना सौंपने स्वयं पटना गया जहाँ रासायनिक परीक्षक के सहायक ने इसे प्राप्त किया। नमूना के संबंध में प्राप्ति रसीद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही उसको कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया था कि मुहरबंद नमूना अक्षुण्ण था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 34 में कथन किया है कि उसे याद नहीं था कि उसने कब रासायनिक परीक्षक का रिपोर्ट प्राप्त किया था किंतु उसने 1.5.2001 को गवाह के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए न्यायालय में इसे प्रस्तुत किया था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 37 पर आगे कथन किया है कि उसने किसी पुलिस थाना को सूचना नहीं दिया था बल्कि 18.5.1998 को अपनी सूचना रजिस्टर में सूचना दर्ज किया था किंतु दर्ज की गयी यही सूचना न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर इस गवाह ने कथन किया है कि उक्त दर्ज सूचना सब इंसपेक्टर, उत्पाद शुल्क रामगढ़ सर्किल के समक्ष उपलब्ध है। इस गवाह ने कथन किया है कि सूचना पाने के बाद उसने टेलीफोन पर सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त को सूचित किया किंतु लिखित आदेश नहीं किया गया था। उसके पास इस संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कागज नहीं है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि उसने नमूना पर मुहर अक्षुण्ण रहने के संबंध में रासायनिक परीक्षक से कोई शपथपत्र नहीं लिया है। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 41 में आगे कथन किया है कि आरोप-पत्र दाखिल करने

के पहले अपनी उच्चतर प्राधिकारी से कोई लिखित अनुमति नहीं लिया है। बचाव पक्ष द्वारा नमूने पर सील की पवित्रता तथा सील एवं उपयुक्त प्रकार से अक्षुण्ण दशा में रासायनिक परीक्षक के समक्ष इसकी प्रस्तुति के संबंध में सुझाव दिया गया था तथा उसके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट किसी सील कवर के अधीन नहीं थी।

12. अभियोजन गवाहों के परीक्षण के बाद, अभियुक्त अपीलार्थी का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था।

13. आगे, बचाव ने दो गवाहों सुधेश्वर महतो का परीक्षण ब॰ सा॰ 1 के रूप में किया है जिसने कथन किया है कि उत्पाद शुल्क अधिकारी ने लालदेव महतो पर प्रहार करने के बाद जबरन उसका हस्ताक्षर सादा कागज पर प्राप्त किया और सहदेव प्रजापति (ब॰ सा॰ 2) ने कथन किया है कि लालदेव महतो से उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा पूछा गया था कि मदिरा कौन बना रहा था जिस पर लालदेव महतो ने उत्तर दिया कि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है।

14. अधिवक्ता मो॰ शहाबुद्दीन द्वारा सहायित अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश निम्नलिखित कारणों से विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है:–

(i) जब्त सामग्री न्यायालय में कभी नहीं प्रस्तुत की गयी थी अथवा भेजी गयी थी।

(ii) मुहरबंद नमूना अक्षुण्ण अवस्था में रासायनिक परीक्षक के समक्ष कभी नहीं प्रस्तुत की गयी थी।

(iii) मुहरबंद लिफाफा न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करने के लिए कभी नहीं प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे नमूने मुहरबंद दशा में रासायनिक परीक्षक के समक्ष भेजे गए थे।

(iv) एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम की धारा 42 का सांविधिक अनुपालन विधितः सिद्ध नहीं किया गया है और न ही सूचक–सह–अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 2 प्रदीप कुमार सिन्हा द्वारा एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम की धारा 42 के उपखंड 2 का अनुपालन किया गया है और इस दशा में उच्चतर अधिकारी को ऐसा छापा मारने के पहले अथवा आरोप पत्र दाखिल करने के पहले अथवा छापा मारने के 72 घंटा बाद भी कोई सूचना दिए बिना सूचक जो उत्पाद शुल्क सब इंसपेक्टर है द्वारा अनुपालन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि इस मामला का सूचक उत्पाद शुल्क अधिकारी है जिसने छापा मारा, अभिग्रहण सूची तैयार किया और उन दोनों गवाहों जो स्वतंत्रा गवाह थे का परीक्षण अभियोजन मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने के लिए कभी नहीं किया गया है और इस दशा में अ॰ सा॰ 2 प्रदीप कुमार सिन्हा जो उत्पाद शुल्क इंस्पेक्टर है के बयान के आधार पर संपूर्ण मामला मनगढ़ंत है और किसी विधिक संवीक्षा के बिना ऐसी सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है।

(v) जब्त सामग्री की पवित्रता स्वयं संदेहपूर्ण है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्टतः कथन किया है कि जब्त सामग्री उसके समक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं है जैसा कथन उसके प्रति परीक्षण के पैरा 10 में किया गया है और बाद में अ॰ सा॰ 2 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 25 में स्वीकार किया है कि जब्त सामग्री न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। आगे पैराग्राफ 32 में अ॰ सा॰ 2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब्त सामग्री का नमूना नहीं रखा गया था बल्कि नमूना मुहरबंद किया गया था और कार्यालय में रखा गया था जो गोल पार्क, रामगढ़ में अवस्थित है जिसे एक वर्ष पाँच माह तक रखा गया था जैसा उसके प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 33 में कथन किया गया है।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट न्यायालय कभी नहीं भेजी गयी थी जैसा मामला के सूचक अ॰ सा॰ 2 के प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 33 से प्रतीत होता है क्योंकि यह कथन किया गया है कि उसने रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त किया किंतु उसे याद नहीं था कि कब उसने इसे प्राप्त किया है।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि इस गवाह ने नमूना सौंपते हुए मुहरबंद समुचित रूप से अक्षुण्ण रहने के संबंध में कोई प्रमाणपत्र नहीं लिया है जैसा उसके प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 39 में कथन किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि रासायनिक परीक्षक से उसके द्वारा प्राप्त की गयी रिपोर्ट उसके पास थी और इसे केवल 1.5.2001 को अपने अभिसाक्ष्य के समय पर प्रस्तुत किया गया है। (इस गवाह का परीक्षण 1.5.2001 एवं 2.5.2001 को किया गया है।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि सूचना रजिस्टर जिसमें अ॰ सा॰ 2 के मुताबिक उसने प्राप्त की गयी सूचना के बारे में उल्लेख किया है कि कोई लालदेव महतो गांजा एवं भांग बेच रहा था, न्यायालय में कभी नहीं प्रस्तुत की गयी है और अ॰ सा॰ 2 के प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 37 से यह प्रतीत होता है कि आरोप पत्र दाखिल करने के पहले उच्चतर अधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी जैसा अ॰ सा॰ 2 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 4 में स्वीकार किया गया है और ऐसी परिस्थिति के अधीन स्वापक औषधि एवं मन:प्रभाव पदार्थ अधिनियम, 1985 जैसे कठोर अधिनियम के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि में संपोषित नहीं की जा सकती है जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रासायनिक परीक्षक द्वारा समुचित रूप से संपुष्ट किए बिना अथवा मुहरबंद नमूना लिफाफा प्रस्तुत किए बिना अथवा जब्त सामग्री न्यायालय में पेश किए बिना केवल अ॰ सा॰ 2 के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर गलत रूप से पारित किया गया है और ऐसी परिस्थिति के अधीन दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि में दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने योग्य है।

18. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री महेश तिवारी ने आगे निवेदन किया है कि रासायनिक परीक्षक, जब्ती गवाहों अथवा स्वतंत्र गवाहों का गैरपरीक्षण अभियोजन मामला के प्रति घातक है क्योंकि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट सूचक द्वारा न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के दौरान खुली दशा में प्रस्तुत की गयी थी और न कि मुहरबंद लिफाफा में जैसी दशा में उसने इसे रासायनिक परीक्षक से प्राप्त किया है और इस दशा में प्रदर्श 5 जो तात्पर्यित रूप से रासायनिक परीक्षक, पटना द्वारा जारी रिपोर्ट है के उपर किसी मुहर के बिना मनगढ़ंत दस्तावेज है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभियोजन ने रासायनिक परीक्षक को बुलाने अथवा रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित मेमो सं॰ के संबंध में रजिस्टर मंगाने के लिए कदम नहीं उठाया है और इस दशा में रासायनिक परीक्षक रिपोर्ट कूटरचित दस्तावेज है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी विधिक पवित्रता नहीं है और इस पर स्टांप नहीं लगा है और इसे अभिसाक्ष्य के समय पर न्यायालय में खुली दशा में सूचक जो हितबद्ध व्यक्ति है द्वारा लंबे समय तक इसे अपने पास रखने के बाद अपीलार्थी को आलिप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

19. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान **गोरखनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2018)2 SCC 305,** के मामले के संबंध में इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त किया है क्योंकि अभिग्रहण गवाह पक्षद्रोही हो गया है। इस मामला में अभिग्रहण गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है किंतु पूर्वोल्लिखित मामला में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया है क्योंकि अभिग्रहण गवाह पक्षद्रोही हो गया है और जब्त सामग्री की गैर प्रस्तुती अभियोजन मामला के प्रति घातक मानी गयी है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान मामला में अभिग्रहण गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया है और अभिग्रहण गवाह वापस रोक लेना अभियोजन मामला के प्रति घातक है क्योंकि अभिग्रहण गवाह ने शायद अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया होता। इसके अतिरिक्त जब्त सामग्री न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट संदेह के घेरे में है और इस दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की दृष्टि में अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है।

20. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि **विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2013)14 SCC 527,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब्त सामग्री एवं जब्त सामग्री के नमूना की गैर प्रस्तुती के कारण दोषसिद्धि अपास्त करके अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है। यही दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2000)10 SCC 567 में** लिया गया है और इस दशा में अपीलार्थी को संदेह का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

21. राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार ने निवेदन किया है कि जब्त सामग्री रासायनिक परीक्षक के समक्ष भेजी गयी थी और यही कारण है कि रिपोर्ट प्रदर्श 5 प्राप्त किया गया है किंतु निष्पक्षत: निवेदन किया है कि जब्त सामग्री न्यायालय के समक्ष कभी नहीं प्रस्तुत की गयी थी।

22. राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री पंकज गुप्ता ने निवेदन किया है कि जहाँ तक रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट की पवित्रता का संबंध है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे उत्पाद शुल्क इंसपेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका अपीलार्थी के प्रति द्वेष नहीं है किंतु निष्पक्षत: निवेदन किया है कि इस मामला में अभिग्रहण गवाह अथवा रासायनिक परीक्षक का परीक्षण नहीं किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस न्यायालय पर बाध्यकारी है।

23. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी एवं राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के बाद एवं अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन ने जब्त सामग्री प्रस्तुत नहीं किया है। आगे, इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है क्योंकि जब्त सामग्री की गैर प्रस्तुती और प्राप्त किए गए जब्त नमूना की गैरप्रस्तुती और अक्षुण्ण दशा में रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट की गैर प्रस्तुती अभियोजन मामला के प्रति घातक है और इस प्रकार जी॰ केस सं॰ 9 वर्ष 1998/टी॰आर॰ सं॰ 6 वर्ष 2003 में विद्वान विशेष न्यायाधीश–सह–सत्र न्यायाधीश (एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम), हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.12.2003 को दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 19.12.2003 का दंडादेश अपास्त करके संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है और अपीलार्थी लालदेव महतो को एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम की धारा 20(i)(B) के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और अपीलार्थी जो जमानत पर है को उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

24. वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है।

25. अवर न्यायालय अभिलेख अवर न्यायालय को भेज जाएँ।

माननीय राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

गुलाम मुस्तफा एवं अन्य

बनाम

मो॰ यूसुफ अंसारी

Second Appeal No.45 of 2016 With I.A. Nos.2926 of 2018, I.A. No.2894 of 2018 & I.A. No.6676 of 2016. Decidedon 15th May, 2018.

विद्वान द्वितीय अपर मुंसिफ, रांची द्वारा अभिधान वाद संख्या 42 वर्ष 2000 में पारित दिनांक 16.6.2014 के निर्णय तथा दिनांक 28.6.2014 की डिक्री को अभिपुष्ट करते हुये सिविल अपील संख्या 47 वर्ष 2014 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-XII, रांची द्वारा पारित दिनांक 26 सितम्बर, 2015 के निर्णय तथा डिक्री के विरूद्ध।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–अभिधान वाद–अगर कोई विक्रय विलेख प्रारंभ से ही नास्ति है, इसे चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है–वाद भूमि को किसी अंतरण के माध्यम से वादी को विरासत से बाहर किया जा सकता है–प्रतिवादीगण द्वारा यह बचाव लिया गया है कि सादा हुक्मनामा के माध्यम से जमीन उनके परिवार की सदस्यों की है–सादा हुक्मनामा अनिबंधित होने के कारण अभिधान का अग्राह्य साक्ष्य है–संबंधित अभिधारी को वास्तविक कब्जे तथा भूस्वामी द्वारा किराये के स्वीकरण के बल पर रैयती अधिकार को सिद्ध करना है–दोनों अवर न्यायालयों ने सादा हुक्मनामा के माध्यम से विरासत की श्रृंखला से वाद संपत्ति को अलग करने के संबंध में प्रत्यर्थीगण के बचाव को ठुकराते हुये सहवर्ती निष्कर्ष दिया है–वादी ने विरासत के आधार पर जमीन पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित को सिद्ध किया है तथा उसकी वंशावली पर भी विवाद नहीं किया गया–वादी का कब्जा भी दोनों अवर न्यायालयों द्वारा घोषित किया गया है–दूसरी अपील खारिज। (पैराएँ 39 से 45)

निर्णयज विधि.–2014 AIR SCW 580, (AIR 2006 SC 3608); (AIR 1962 SC 1314); (AIR 2018 SC 340); AIR 1971 Patna 249—Referred; (2009) 13 SCC 729; AIR 1968 Patna 302—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Manjul Prasad, Jitesh Kumar, Arvind Kumar, For the Appellants; Mr. Shashank Shekhar, For the Respondent.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ संख्या 2926 वर्ष 2018</u>

विधि के और तात्विक प्रश्नों का प्रस्ताव रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा यह अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी एक प्रति का पहले ही प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता को तामीला कराया जा चुका है तथा इस न्यायालय द्वारा विचार किये जानेवाले प्रत्युत्तर के माध्यम से जिनका जवाब दिया जाना है, जो निम्नवत् है:–

''(i) क्या अभिधान की घोषणा तथा कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिये किसी वाद में वादी को अपना मामला सिद्ध करना होता है, क्या वह प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है?

(ii) क्या दोनों अवर न्यायालयों ने केस संख्या C 780 वर्ष 2001 में जुमाउद्दीन अंसारी के साक्ष्य, प्रदर्श E पर विचार न करके गंभीर त्रुटि कारित किया है, अन्यथा वाद परिसीमा की विधि द्वारा वर्जित था?''

2. अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत निवेदन पर विचार करके, अंतर्वर्ती आवेदन–आई॰ ए॰ संख्या 2926 वर्ष 2018–अनुज्ञात किया जाता है तथा अपीलार्थीगण द्वारा विरचित विधि के तात्विक प्रश्नों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है।

आई॰ ए॰ संख्या 2894 वर्ष 2018

3. इस अंतर्वर्ती आवेदन–आई॰ ए॰ संख्या 2894 वर्ष 2018–को दाखिल करके, अपीलार्थीगण द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य रखने, अर्थात्, अभिकथित सादा हुक्मनामा एवं किराये की रसीद को अभिलेख पर लाने के लिये आग्रह किया गया है, जिन्हें उसके लिखित कथन तथा विक्रय विलेख, अर्थात्, प्रदर्श B में भी उल्लिखित किया गया है, जो न तो विचारण न्यायालय के समक्ष, न ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर लाये जा सके थे।

4. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क पर विचार करने के उपरान्त, इस न्यायालय की राय है कि किसी पक्ष की कमी को दूर करने या अंतराल को भरने के लिये इस चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा साक्ष्य का यह हिस्सा न तो मामले का परिणाम बदल सकता है, न ही निर्णय सुनाने के लिये अपेक्षित है।

5. तद्नुसार, आई॰ ए॰ संख्या 2894 वर्ष 2018 खारिज किया जाता है।

एस॰ ए॰ संख्या 45 वर्ष 2016

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

7. प्रतिवादीगण–अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान अपील दाखिल किया गया है जो दोनों अवर न्यायालय में हार गये थे।

8. रांची जिला के कांके पुलिस थाना के थाना संख्या 53 के ग्राम नगरी में अवस्थित खाता संख्या 143, भूखंड संख्या 300, खेबट संख्या 3/2 से संबंधित 49 डिसमिल माप वाली वाद भूमि, जो किसी शेख पच्चू (भूतपूर्व भू–स्वामी) के नाम अभिलिखित है, पर अभिधान, अधिकार एवं हित की घोषणा के लिये तथा कब्जे की पुन:प्राप्ति के लिये भी 25.3.2000 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी द्वारा एक वाद–अभिधान वाद संख्या 42 वर्ष 2000–दाखिल किया गया है।

9. वादी का मामला यह है कि उसका पूर्वाधिकारी, अर्थात्, शेख पच्चू भूतपूर्व जमींदार था, जिसे धन की आवश्यकता थी तथा, अतएव, उसने मौखिक जरपेशगी के रूप में 12/– (बारह रुपये) की प्राप्ति पर चार साल के लिये किसी हसन अली को उक्त संपत्ति दे दी थी। वादी का आगे दावा यह है कि चार वर्ष गुजरने के उपरान्त वाद भूमि पुन:प्राप्त कर ली गयी थी तथा तत्पश्चात्, पूर्वाधिकारी, अर्थात्, शेख पच्चू 1969 तक, अर्थात्, अपनी मृत्यु के दिन तक लगातार रूप से इसके कब्जे में था।

10. वर्ष 1935 में तैयार किये गये पुनरीक्षण सर्वेक्षण खतियान में शेख पच्चू का नाम दर्ज किया गया था। वादी ने एकमात्र पुत्र होने के नाते उक्त संपत्ति विरासत में प्राप्त की थी तथा प्रतिवादीगण द्वारा 4.11.2001 को अवैधानिक रूप से कब्जाविहीन किये जाने तक उसका इसपर शांतिपूर्ण कब्जा बना रहा था। प्रतिवादीगण के प्रतिकूल कृत्य/रवैये से व्यथित होकर, वादी ने अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिये अभिधान वाद संख्या 42 वर्ष 2000 दाखिल किया था। तथापि, वाद दाखिल किये जाने के उपरान्त 4.11.2001 को वाद संपत्ति से वादी के कब्जाविहीन किये जाने पर, संशोधन के तौर पर कब्जे की पुन:प्राप्ति के लिये भी आग्रह किया गया था।

11. प्रतिवादीगण वाद में हाजिर हुये थे तथा लिखित कथन दाखिल किया था, ऐसा बचाव लेते हुये कि वाद भूमि का सादा हुकुमनामा के तहत वर्ष 1939 में किसी शेख हयात को बंदोबस्त कर दिया गया था तथा उक्त शेख हयात ने दिनांक 28.2.1974 के निर्बंधित विक्रय विलेख (प्रदर्श A) के माध्यम

से चार भाईयों, अर्थात्, शेख खुशमुद्दीन, शेख हसमुद्दीन, शेख करीमुद्दीन तथा शेख नईमुद्दीन के पक्ष में उक्त भूमि संयुक्त रूप से बेच दी थी जो सभी शेख सोबराती के पुत्र थे। तत्पश्चात्, दिनांक 10.6.1975 के विक्रय विलेख (प्रदर्श B) के तहत उक्त चार भाईयों ने शेख अलीमुद्दीन को वाद भूमि बेच दी थी, जो वर्तमान प्रतिवादीगण–अपीलार्थीगण का पिता है।

12. यह भी दावा किया गया है कि प्रतिवादीगण को पीछे छोड़ते हुये शेख अलीमुद्दीन की 11.1.1997 को मृत्यु हो गयी थी, जिनका शेख अलीमुद्दीन के वैधानिक वारिस होने के नाते वाद भूमि पर सतत कब्जा रहा है।

13. विचारण न्यायालय ने निम्नांकित मुद्दों को विरचित किया है जिन्हें इसमें नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है:–

1. क्या यथा विरचित वाद पोषणीय है?

2. क्या वादी के पास वाद के लिये वैध वाद हेतुक है?

3. क्या वाद अभित्याग, विबंध एवं उपमति के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है?

4. क्या वाद परिसीमा की विधि तथा प्रतिकूल कब्जे द्वारा वर्जित है?

5. क्या वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अधीन वर्जित है?

6. क्या वादी शेख पच्चू के हित पूर्वाधिकारी ने अपने जीवन काल के दौरान वर्ष 1939 में हुक्मनामा द्वारा शेख हयात के पक्ष में वादभूमि का बंदोबस्त कर दिया था।

7. क्या वादी को वादभूमि पर अभिधान, अधिकार एवं हित है?

8. किस अन्य अनुतोष/अनुतोषों का वादी हकदार है?

14. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सारे साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरान्त वादी के पक्ष में अपना निष्कर्ष दिया है तथा तद्द्वारा वाद डिक्री कर दिया गया है।

15. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादीगण ने एक अपील–अभिधान अपील संख्या 47 वर्ष 2014–दाखिल किया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा विरचित मुद्दों पर विचार किया है तथा मुद्दावार निष्कर्ष दिया है। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्येक मुद्दे पर विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को अभिपुष्ट किया है तथा इस प्रकार, प्रतिवादीगण दोनों अवर न्यायालयों के समक्ष मामला हार चुके हैं एवं इस प्रकार व्यथित होकर वर्तमान अपील दाखिल किया गया है।

16. 7.7.2017 को वर्तमान द्वितीय अपील ग्रहण की गयी है तथा इस अपील में दूसरी अपील की सुनवाई करते समय इस न्यायालय द्वारा विधि के निम्नांकित तात्विक प्रश्नों को विरचित किया गया है:–

"(i) क्या वादीगण द्वारा गुणावगुणों पर इसे चुनौती दिये जाने के अभाव में तथा/या उन्हें अपास्त करने या उनके रद्द किये जाने के लिये आग्रह के अभाव की दृष्टि में प्रदर्श A तथा B में कोई वैधानिक महत्व न होना निर्णीत करते हुये विद्वान अवर न्यायालय का निष्कर्ष सारगर्भित है?

(ii) क्या अभिधान की घोषणा एवं कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिये वाद में वादी को अपना मामला सिद्ध करना होता है। क्या वह प्रतिवादी के दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है?

(iii) क्या दोनों अवर न्यायालयों ने केस संख्या C 780 वर्ष 2001 में जुमाउद्दीन अंसारी के साक्ष्य, प्रदर्श E पर विचार न करने में गंभीर रूप से त्रुटि कारित किया है, अन्यथा वाद परिसीमा की विधि द्वारा वर्जित था?"

अपीलार्थीगण

17. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विधि के पहले तात्विक प्रश्न को निर्दिष्ट करते हुये निवेदन किया है कि प्रदर्श A, अर्थात्, दिनांक 28.2.1974 के विक्रय विलेख तथा प्रदर्श B, अर्थात्, दिनांक 10.6.1975 के विक्रय विलेख को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है, इस तथ्य के बावजूद कि कब्जे की पुन:प्राप्ति के लिये वादपत्र संशोधित किया गया है तथा उक्त दोनों विक्रय विलेखों के अस्तित्व में होने के संबंध में लिखित कथन के माध्यम से कुछ समय तक उन्हें इसकी जानकारी हो गयी थी।

18. चूँकि, वादी द्वारा विक्रय विलेखों को चुनौती नहीं दी गयी है, इस कारण वाद स्वयं पोषणीय नहीं था तथा दोषपूर्ण आग्रह के ही आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य था।

19. जहां तक विधि के दूसरे तात्विक प्रश्न के संबंध में वादी पर भार होने का सवाल है, विद्वान अधिवक्ता ने सिविल अपील संख्या 4702/2004 दिनांक 7.1.2014 में **भारत संघ बनाम वासवी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में **2014 AIR SCW 580** में यथा रिपोर्ट किये गये निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें पैरा 15 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:–

> *''अतएव, वैधानिक स्थिति स्पष्ट है कि अभिधान तथा कब्जे की घोषणा के लिये किसी वाद में वादी केवल अपने ही अभिधान के बल पर सफल हो सकता था तथा अपने ऊपर भार का उन्मोचन करने के लिये इसे पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके ही किया जा सकता था, इस तथ्य के निरपेक्ष कि प्रतिवादीगण ने अपना मामला सिद्ध किया है या नहीं। हमारी राय है कि वादी के स्वयं के अभिधान के सिद्ध होने के अभाव में प्रतिवादीगण द्वारा तैयार किया गया अभिधान सिद्ध पाये जाने पर भी, वादी को आवश्यक रूप से वाद से बाहर करना है।''*

20. उक्त निर्णय को निर्दिष्ट करते हुये, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वादी अपने मामले को सिद्ध करने में विफल रहा है तथा वह प्रतिवादीगण के मामले की दुर्बलता का लाभ नहीं उठा सकता है। सिवाय प्रदर्शों 1 एवं 2, अर्थात्, खेबट एवं खतियान के सिवाय, वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो ऐसा इंगित कर सकता था कि प्रश्नाधीन भूमि राज्य में निहित नहीं हुई है। इसे सिद्ध करने के लिये कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि वादी तथा उसके पूर्वाधिकारी का वादभूमि पर सतत् कब्जा था तथा वादपत्र में किये गये कथन के सिवाय, उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवर न्यायालयों ने उचित परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य का मूल्यांकन नहीं किया है तथा तद्नुसार, इसे निर्णीत किया जाना था कि वादी वादभूमि पर अपने कब्जे को सिद्ध करने में विफल रहा है।

21. जहां तक विधि के तीसरे तात्विक प्रश्न का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि प्रदर्श E वादी के गवाह द्वारा वाद के दाखिल किये जाने के ठीक पहले दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन एक कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कथित किया गया है कि प्रतिवादी–अपीलार्थी का 1975 से वादभूमि पर कब्जा था। अगर साक्ष्य के इस टुकड़े पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया होता, तब वर्तमान वाद परिसीमा की विधि के अधीन वर्जित है।

22. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि विधि के सभी तीन तात्विक प्रश्नों पर, दोनों अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय तथा डिक्री को अपास्त करके वर्तमान दूसरी अपील अनुज्ञात की जानी चाहिए क्योंकि वादी वाद भूमि पर अपने अभिधान को सिद्ध करने में विफल रहा है।

प्रत्यर्थी

23. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पहले यह निवेदन किया कि दोनों अवर न्यायालयों द्वारा सहवर्ती निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है तथा इस कारण, वर्तमान दूसरी अपील पोषणीय नहीं है।

24. विधि के पहले तात्विक प्रश्न को खंडित करते हुये जिसे दिनांक 7.7.2017 के आदेश के तहत विरचित किया गया था, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मुद्दे पर विधि सुस्थापित है कि अगर संपत्ति के लिये किसी अनजान व्यक्ति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, तब इसे चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अभिधान, अधिकार एवं हित की घोषणा के लिये साधारण आग्रह किया गया है तथा विक्रय विलेखों को चुनौती देने के लिये कोई वैधानिक अपेक्षा नहीं है। इस प्रयोजनार्थ, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 2006 ओड़ीसा 21** में रिपोर्ट किये गये आर॰ एफ॰ ए॰ संख्या 80/2003 में दिनांक 12.8.2005 को **प्रगन्या राऊत बनाम हेमप्रभा रे एवं अन्य** के मामले में दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है जिसके पैरा 22 में माननीय ओड़ीसा उच्च न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:–

> *''22. विधि सुस्थापित है कि कोई डिक्री तथा/या कोई निबंधित दस्तावेज, जो अन्यथा प्रारंभ से ही नास्ति है, को अपास्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी डिक्री किसी पक्षकार को उस अधिकार से विहीन नहीं करती है जो वास्तविक मालिक था तथा प्रश्नाधीन दस्तावेज का हस्ताक्षरी या वाद का पक्षकार नहीं था। विधि यह नहीं है कि मात्र इस कारण कि किसी ने कोई विक्रय विलेख प्राप्त कर लिया है, उसे विक्रेता के तौर पर संपत्ति का अभिधान प्राप्त हो गया है तथा उसके अभिधान को घोषित किया जाना है जबतक कि विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विलेख अपास्त नहीं कर दिया जाता है। अगर विक्रय विलेख दहलीज पर नास्ति है, इसे अपास्त करने के लिये कोई कदम उठाये जाने की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता को हस्तांतरण करने का अभिधान नहीं हो सकेगा, तथा ऐसी दशा में अभिधान विलेख कोई अभिधान अंतरित नहीं करता है तथा इसे उस कागज के बराबर भी न मानते हुये उपेक्षित किया जाना है जिसपर इसे लिखा गया है। (देखें (1992) 2 OLR 362 सर्वेश्वर बनाम आयुक्त, समेकन) विधि की ऐसी स्थिति की दृष्टि में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी० मोहन्ती द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि पश्चाती विक्रयों को अपास्त करने के लिये किसी आग्रह के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।''*

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय बरकरार रखा गया है।

25. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रेम सिंह एवं अन्य बनाम बीरबल एवं अन्य (AIR 2006 SC 3608)** के मामले में रिपोर्ट किये गये निर्णय पर भी भरोसा किया है जिसमें पैरा 16 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:–

> *''16. जब कोई दस्तावेज अवैध है, इसके रद्दकरण का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जब कोई दस्तावेज प्रारंभ से नास्ति है, इसे अपास्त करने के लिये कोई डिक्री आवश्यक नहीं होगी क्योंकि यह विधि की दृष्टि में निरर्थक है, क्योंकि यह एक नास्ति होगा।''*

26. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 7.7.2017 के आदेश के तहत विधि का तात्विक प्रश्न अब कोई अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है जिसका ऊपर उद्धृत विधि की स्थापित वैधानिक प्रतिपादना के आलोक में इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिया जाना है।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अधिकथित विधि की यह स्थापित वैधानिक प्रतिपादना है कि विधि का कोई तात्विक प्रश्न होने के लिये, इसे आवश्यक रूप से बहस के योग्य होना है जिसका देश के कानून द्वारा पहले निपटान नहीं किया गया हो। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **चुन्नी लाल बी॰ मेहता एण्ड सन्स लिमिटेड बनाम सेंच्यूरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, (AIR 1962 SC 1314)** में रिपोर्ट किये गये माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय के पैराओं 5 एवं 6 पर भरोसा किया है:–

> *''5. .... जब विधि का कोई प्रश्न उपयुक्त रूप से तर्क-वितर्क योग्य है, जहां इसपर मत के अंतर की कोई गुंजाईश हो या जहां न्यायालय ने कुछ विस्तार से उस*

प्रश्न पर विचार करना तथा वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर परिचर्चा करना आवश्यक समझा था, तब प्रश्न विधि का एक तात्विक प्रश्न होगा। दूसरी ओर, अगर प्रश्न उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा व्यावहारिक रूप से आच्छादित था या अगर प्रश्न का अभिनिर्धारण करने में लागू किये जानेवाले सामान्य सिद्धांत सुस्थापित हैं तथा एकमात्र प्रश्न इन सिद्धांतों को मामले के विशिष्ट तथ्यों पर लागू करने का था, यह विधि का कोई तात्विक प्रश्न नहीं होगा।

6. यह निर्धारित करने के लिये उपयुक्त परीक्षण कि मामले में उठाया गया विधि का कोई प्रश्न तात्विक है या नहीं, मेरी राय में यह होगा कि यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या नहीं या यह प्रत्यक्षतः एवं तात्विक रूप से पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है या नहीं तथा अगर ऐसा है, तब यह या तो इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि इसका इस न्यायालय द्वारा या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निपटान नहीं किया गया है या यह वैकल्पिक दृष्टिकोणों की परिचर्चा के लिये कठिनाई या संभावनाओं से मुक्त नहीं है। अगर प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जा चुका है या प्रश्न का अभिनिर्धारण करने में लागू किये जाने वाले सामान्य सिद्धांत सुस्थापित हैं तथा केवल इन सिद्धांतों को लागू किये जाने का प्रश्न है या यह कि रखा गया अभिवचन स्पष्ट रूप से बेतुका है, प्रश्न विधि का कोई तात्विक प्रश्न नहीं होगा।''

28. विधि के उक्त स्थापित वैधानिक सिद्धांतों की दृष्टि में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान अपील में यथा विरचित विधि के तात्विक प्रश्न विधि के तात्विक प्रश्न नहीं हैं।

29. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **रामाथल बनाम मुराथाथल एवं अन्य (AIR 2018 SC 340)** के मामले में रिपोर्ट किये गये निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें पैराओं 14 एवं 16 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:–

''14. दूसरी अपील में साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के कार्य पर आगे बढ़ना तथा अवर न्यायालय के तथ्य के सहवर्ती निष्कर्षों के साथ छेड़ छाड़ करना उच्च न्यायालय के लिये उपयुक्त नहीं था जो तथ्य का पता लगानेवाले न्यायालय होते हैं। बेहतर मूल्यांकन के लिये इस चरण में हम सि० प्र० सं० की धाराओं 100 तथा 103 के अंशों को प्रस्तुत करना उपयुक्त समझते हैं जो निम्नवत् हैं:–

धारा 100.

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) .....

धारा 103 : उच्च न्यायालय की शक्ति.–.....

(a) ..... या

(b) .....

16. जहां विधायिका का आशय इतना स्पष्ट है, किसी भी प्रकार के कारणों से न्यायालयों के पास धारा 100 की गुंजाईश को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। विधि के अनुसार न्याय का प्रशासन किया जाना है। प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय अवर न्यायालयों के सुविचारित निर्णय को उलट कर अपनी अधिकारिता से आगे चला गया है जो तर्कसंगत विचारविमर्श पर आधारित है। विद्वान न्यायाधीश को साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना था, अतएव, उच्च न्यायालय द्वारा किया गया

समूचा कार्य सि० प्र० सं० की धारा 100 के अधीन प्रदत्त अधिकारिता तथा कार्यक्षेत्र से परे है।''

30. जहां तक वादी पर भार होने से संबंधित विधि के दूसरे तात्विक प्रश्न का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि दोनों अवर न्यायालयों द्वारा ऐसा सहवर्ती निष्कर्ष है कि वादी का हित पूर्वाधिकारी मध्यवर्ती था तथा वादभूमि के बकास्त भूमि होने के कारण, जमींदारी के निहित होने के उपरान्त वादी का पूर्वाधिकारी सांविधिक अभिधारी बन गया था तथा इस कारण, वादी का पूर्वाधिकारी स्वयं अपनी हैसियत में वाद भूमि पर अधिकार, अभिधान एवं हित का धारक था।

31. अवर न्यायालय ने दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी विनिर्दिष्ट निष्कर्ष दिया है कि 1939 से 2001 तक वाद भूमि पर वादी का निरंतर कब्जा रहा है। चूँकि वादी के कब्जे के संबंध में अवर न्यायालयों द्वारा सहवर्ती निष्कर्ष दिया गया है, इस कारण, अपीलार्थी द्वारा उठाया गया मुद्दा संख्या 2 समर्थनीय नहीं है।

32. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1971 Patna 249** में रिपोर्ट किये गये **श्रीमती पूर्णी देवी एवं अन्य बनाम सिबू महतो एवं अन्य** के मामले में दिये गये निर्णय पर भरोसा करते हुये निवेदन किया है कि खतियान में प्रविष्टि सिद्ध करती है कि वादी का वादभूमि पर सतत कब्जा रहा है। उक्त निर्णय के पैरा 10 में, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:–

''10. प्रदर्श 'श' अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल किया गया था यह दर्शाने के लिये कि दोनों मामलों में अधिनिर्णय नाथू राम पोद्दार के नाम तैयार किया गया था। मेरी राय में, अपीलार्थीगण की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि चूँकि नाथू राम पोद्दार के नाम अधिनिर्णय तैयार किया गया था, विवादित जमीनों पर अपने अभिधान तथा कब्जे को सिद्ध करने का भारी भार प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण को था। इसके अलावा, बरमसीया गांव का खतियान, जिसे अंतिम रूप से 23 जनवरी, 1925 को प्रकाशित किया गया था, भी अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल किया गया था एवं प्रदर्श 'ड' के तौर पर अंकित किया गया था। खतियान में, बरमसिया गांव के निवासी डीबू महतो के पुत्र श्याम महतो, गुरूचरण महतो के पुत्रों बानू महतो तथा देवन महतो के नामों का उल्लेख है। भूखंड संख्या 238 में 22 डिसमिल माप वाली जमीन बराबर हिस्सों में बानू महतो तथा देवन महतो के अधिभोग में दर्शायी गयी है। खतियान में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता की एक सांविधिक उपधारणा होती है तथा विवादित जमीन पर बानू महतो तथा देवन महतो के कब्जे की निरंतरता की भी उपधारणा होती है। अतएव, इन उपधारणाओं को खंडित करने का भारी भार प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण पर था।''

33. जहां तक केस संख्या 780 वर्ष 2001 में जमाउद्दीन अंसारी के साक्ष्य से संबंधित मुद्दा संख्या 3 का सवाल है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मुद्दा संख्या 2 एवं 3 कमोवेश एक ही बिन्दु पर हैं। प्रदर्श E द्वारा, अपीलार्थीगण ने इस प्रभाव का साक्ष्य लाने का प्रयास किया है कि प्रतिवादीगण–अपीलार्थीगण का 1975 से वादभूमि पर कब्जा था।

34. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि यह साक्ष्य का एकमात्र टुकड़ा नहीं है, बल्कि विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अन्य मौखिक साक्ष्य भी उपलब्ध थे। इस वादी ने ही छह मौखिक गवाहों को प्रस्तुत किया है तथा प्रत्यर्थीगण ने भी आठ मौखिक गवाहों को प्रस्तुत किया है। अतएव, दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा, पर्याप्त मौखिक साक्ष्य उपलब्ध था तथा सारे

साक्ष्य पर विचार करके दोनों अवर न्यायालयों द्वारा निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि वादी का 1939 से 2001 तक वादभूमि पर सतत कब्जा है।

35. जहां तक प्रदर्श E के साक्ष्यात्मक महत्व का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **(2009) 13 SCC 729** में रिपोर्ट किये गये निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें उक्त निर्णय के **पैरा 26** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:–

''26. कल्पना के किसी भी उड़ान द्वारा किसी दांडिक कार्यवाही में कोई निष्कर्ष एक सिविल कार्यवाही में बाध्यकर नहीं होगा।

एम॰ एस॰ शेरीफ एवं एक अन्य बनाम मद्रास राज्य एवं अन्य, AIR 1954 SCR 397 में, इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष इसको लेकर एक प्रश्न था कि कोई सिविल वाद या कोई दांडिक मामला स्थगित किया जाना चाहिए या नहीं, अगर दोनों लंबित हैं। यह राय दिया गया था कि दांडिक मामले को वरीयता दिया जाना चाहिए।

निर्णयों में परस्पर विरोध की संभावना के संबंध में, यह निर्णीत किया गया था कि विधि ऐसी आकस्मिकता को अभिकल्पित करती है जहां यह अभिव्यक्त रूप से एक न्यायालय के निर्णय को अन्य पर बाध्यकर बनाने या सुसंगत बनाने से भी बचती है, सिवाय दंडादेश या नुकसानी जैसे कतिपय सीमित प्रयोजनों के लिये। यह निर्णीत किया गया था कि विचार किये जानेवाला एकमात्र सुसंगत पहलु उलझन की संभावना थी।''

36. पैरा 26 को निर्दिष्ट करते हुये, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि परिवार या संपत्ति को अजनबी व्यक्ति द्वारा दिये गये साक्ष्य को कोई अधिक महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता है जो प्रदर्श E से जोड़ा जा सकता था, जो उक्त परिवाद मामले में अंतर्ग्रस्त मुद्दे से परे था।

<u>निष्कर्ष :</u>

37. दोनों अवर न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की दृष्टि में, यह प्रतीत होता है कि वादी का वाद भूमि पर 1939 से 2001 तक निरंतर कब्जा रहा है। निष्कर्ष का आधार प्रदर्श 1 एवं 2 तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य था।

38. जहां तक अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर सादा हुक्मनामा तथा किराये की रसीद को पेश करने का संबंध है, सादा हुक्मनामा के आधार पर किसी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है, अपीलार्थीगण को **AIR 1968 Patna 302** में रिपोर्ट किये गये माननीय पटना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय के अनुसार वाद भूमि पर वास्तविक कब्जे को सिद्ध करना है, जिसे इसमें नीचे उत्कथित किया गया है:–

''10. यह सही है कि किसी निबंधित लिखत द्वारा एक वैध कृषि पट्टा सृजित किया जा सकता है जैसा कि जंगल सिंह बनाम मुकुन्द कुमार, AIR 1948 Patna 446 में निर्दिष्ट किया गया था, तथा अगर ऐसा कोई निबंधित दस्तावेज सृजित किया जाता है, पट्टाधारी के अभिधान को सिद्ध करने के लिये कब्जे का परिदाय आवश्यक नहीं है। तथापि, अगर पट्टा निबंधित नहीं किया गया है, तथा, अतएव, अभिधान के साक्ष्य के तौर पर अग्राह्य है, संबंधित अभिधारी के लिये यह दर्शाने का विकल्प सदैव खुला रहेगा कि उसने वास्तविक कब्जे तथा भूस्वामी द्वारा किराये के स्वीकरण के बल पर रैयती हित प्राप्त किया था। दो वैकल्पिक अभिवचनों पर रैयती हित का दावा करनेवाले व्यक्ति पर कोई वैधानिक वर्जन भी नहीं है। वह पट्टा के एक लिखित दस्तावेज के आधार पर ऐसे अधिकार का दावा कर सकता है। तथापि, अगर ऐसा दावा इस आधार पर विफल हो जाता है कि दस्तावेज, जो अनिवार्य रूप से निबंधित कराये जाने योग्य था, निबंधित नहीं कराया गया था, फिर भी भू–स्वामी द्वारा किराये के स्वीकरण के साथ वास्तविक कब्जे पर आधारित उसका वैकल्पिक दावा सफल हो सकता है। उस दशा में,

कब्जे के स्वरूप को सिद्ध करने के साम्पार्श्विक प्रयोजनार्थ गैरनिबंधित पट्टा ग्राह्य होगा।''

39. इस प्रकार, सादा हुक्मनामा अनिबंधित होने के कारण अभिधान के साक्ष्य के तौर पर अग्राह्य है। संबंधित अभिधारी को वास्तविक कब्जे तथा मकानमालिक द्वारा किराये के स्वीकरण के बल पर रैयती हित को सिद्ध करना है।

40. वर्तमान मामले में, सहवर्ती निष्कर्ष देकर दोनों अवर न्यायालयों द्वारा वादभूमि पर कब्जा नकार दिया गया है, अतएव, साक्ष्य का यह टुकड़ा अन्यथा भी वर्तमान अपीलार्थीगण की सहायता करने नहीं जा रहा है।

<u>विधि का तात्विक प्रश्न</u>

"1. क्या वादीगण द्वारा गुणावगुणों पर इसे चुनौती दिये जाने तथा/या उन्हें अपास्त करने या उनके रद्द किये जाने के लिये आग्रह के अभाव में विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा प्रदर्शों A एवं B में कोई महत्व न होना निर्णीत करते हुये दिया गया निष्कर्ष सारगर्भित है?''

41. दोनों पक्षों के तर्क तथा दोनों अवर न्यायालयों द्वारा उद्धृत निर्णय से, जो वैधानिक स्थिति उद्भूत होती है, वह यह है कि अगर कोई विक्रय विलेख प्रारंभ से नास्ति है, इसे चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में जो निश्चित हो चुका है, वह यह है कि तथाकथित सादा हुक्मनामा ने शेख हयात को कोई अभिधान अंतरित नहीं किया था तथा इस कारण, उन व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई पश्चाती संव्यवहार, जो उक्त सादा हुक्मनामा के माध्यम से अधिकार, अभिधान एवं हित का दावा कर रहे थे, नास्ति है तथा विधि में इसे चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ii) क्या अभिधान की घोषणा तथा कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए किसी वाद में वादी को अपना मामला सिद्ध करना होता है। क्या वह प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है?

42. जहां तक विधि के तात्विक प्रश्न का संबंध है, जो अंतिम रूप से सिद्ध है, वह यह है कि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि वाद-भूमि का मूल मालिक शेख पच्चू है, उक्त शेख पच्चू ने हसन अली के पक्ष में उक्त जमीन का बन्दोबस्त किया था तथा, तत्पश्चात्, शेख पच्चू द्वारा इसे पुनःप्राप्त कर लिया गया है, ये तथ्य दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

उक्त निवेदन तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दोनों अवर न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष की दृष्टि में, वादी को विधि के परिचालन तथा विरासत द्वारा वाद-भूमि पर अधिकार, अभिधान एवं हित प्राप्त होता है। वादी का कब्जा भी दोनों अवर न्यायालयों द्वारा सिद्ध किया गया है।

किसी अंतरण के माध्यम से वाद-भूमि को वादी की विरासत से बाहर किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा बचाव लिया गया है कि सादा हुक्मनामा के माध्यम से उक्त जमीन उनके परिवार के सदस्यों का है क्योंकि सादा हुक्मनामा के माध्यम से इसका शेख हयात के पक्ष में बन्दोबस्त किया गया है उक्त सादा हुक्मनामा तथा दोनों अवर न्यायालय द्वारा यथा मांगी गई किराया की रसीद कभी भी पेश नहीं की गयी है।

इस पर विचार करना भी सुसंगत है कि प्रदर्श A जो शेख हयात द्वारा निष्पादित प्रथम विक्रय विलेख है, में सादा हुक्मनामा का कोई उल्लेख नहीं है तथा इस दस्तावेज को प्रदर्श-A के तौर पर प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श B में सादा हुक्मनामा का उल्लेख है जो प्रदर्श A तथा पश्चाती अंतरण की निरन्तरता में है। इससे भी सादा हुक्मनामा के अस्तित्व के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

स्थिति चाहे जो भी हो दोनों अवर न्यायालयों ने सादा हुक्मनामा के माध्यम से विरासत की रेखा से वाद संपत्ति को अलग करने के संबंध में प्रत्यर्थीगण के बचाव को अस्वीकार करते हुये सहवर्ती निष्कर्ष दिया है। इसके अलावा वादी ने विरासत के आधार पर उक्त भूमि पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित को सिद्ध किया है तथा उसकी वंशावली पर भी विवाद नहीं किया गया है, उक्त परिचर्चा की दृष्टि में, मैं यथा विरचित विधि के दूसरे तात्विक प्रश्न में कोई गुण नहीं पाता हूँ तथा तद्नुसार इसका अपीलार्थीगण के पक्ष एवं वादी के विपक्ष में उत्तर दिया जाता है।

(iii) क्या दोनों अवर न्यायालयों ने केस संख्या C 780 वर्ष 2001 में जमाउद्दीन अंसारी के साक्ष्य, प्रदर्श E पर विचार न करके गंभीर त्रुटि कारित किया है, अन्यथा वाद परिसीमा की विधि द्वारा वर्जित था?

43. प्रदर्श E पर विचार न किये जाने से संबंधित विधि का तात्विक प्रश्न वर्तमान मामले के तथ्य से परे है। साक्ष्य के उक्त टुकड़े पर दोनों अवर न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है। साक्ष्य के इस हिस्से के अलावा, अवर न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर अन्य साक्ष्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य निम्नवत् है:–

अ० सा० 1 : मो० हबीब अंसारी।

अ० सा० 2 : महंती मुण्डा।

अ० सा० 3 : मुबारक अंसारी।

अ० सा० 4 : धनेश्वर राम।

अ० सा० 5 : महीबुल अंसारी।

अ० सा० 6 : महमूद अंसारी।

अ० सा० 7 : अब्दुल अजीज।

अ० सा० 8 : मो० युसुफ अंसारी (वादी)

प्रदर्श 1 : खाता संख्या 143 के खतियान की अभिप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श 2 : मौजा–नगरी, थाना–रांची, जिला–रांची के खेवट सं० 3/2 की तौजी।

ब० सा० 1 : अब्दुल कुद्दुस।

ब० सा० 2 : बदरूद्दीन अंसारी।

ब० सा० 3 : गुलाम मुर्तजा।

ब० सा० 4 : मो० रफीक अंसारी।

ब० सा० 5 : गुलाम मुस्तफा (प्रतिवादी)

प्रदर्श A : दिनांक 28.2.1974 के विक्रय विलेख की अभिप्रमाणित प्रति (अभ्यापत्ति के साथ)।

प्रदर्श B : दिनांक 10.6.1975 का विक्रय विलेख।

प्रदर्श C : साबिक खाता संख्या 143 का बंध पर्चा।

प्रदर्श D : प्रकीर्ण केस संख्या 2043/1999 में एस० डी० ओ० द्वारा पारित दिनांक 28.1.2000 के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श E : परिवाद केस संख्या 780/2001 में जमाउद्दीन अंसारी के अभिसाक्ष्य की अभिप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श F : परिवाद केस संख्या 1255 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 5.5.2009 के निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श G : परिवाद केस संख्या 780 वर्ष 2001 में पारित दिनांक 30.8.2003 के निर्णय की प्रति।

उक्त भूमि पर कब्जे के मुद्दे पर, प्रदर्श 1, 2, E, F एवं G के अलावा वादी के गवाहों, अर्थात्, यथा उपरोक्त अ॰ सा॰ 1 से 8 के मौखिक साक्ष्य हैं। प्रतिवादीगण ने कब्जे के बिन्दु पर यथा उपरोक्त 5 बचाव-पक्ष साक्षी भी प्रस्तुत किये हैं।

दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य पर विचार करके, विचारण न्यायालय ने निकर्ष दिया है कि वादी का 1939 से वादभूमि पर कब्जा था तथा इस तथ्य को दोनों अवर न्यायालयों द्वारा अभिपुष्ट किया गया है।

44. उपरोक्त तथ्यपरक पृष्ठभूमि की दृष्टि में, विधि के इस तात्विक प्रश्न का उत्तर भी वादीगण के पक्ष तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिया जाता है।

45. उक्त परिचर्चा के एक संचयी प्रभाव के तौर पर, मैं दूसरी अपील में कोई गुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

46. उक्त की दृष्टि में, अंतर्वर्ती आवेदन-आई॰ ए॰ संख्या 6676 वर्ष 2016-निस्तारित किया जाता है।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

पुष्पा मरांडी

बनाम

झाररखंड राज्य

Cr. Appeal (SJ) No.1252 of 2004. Decided on 25th September, 2018.

सत्र केस सं॰ 14 वर्ष 2003/30 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ 1 पाकुर द्वारा पारित दिनांक 27.3.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 25.7.2003 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 366 एवं 368—अपहरण—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्ति—अपहरण या व्यपहरण के अवयव अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं—एक बार प्रधान अधिनियम अर्थात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन मामला सिद्ध न किये जाने पर तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अपराध गठित करने वाली किसी सामग्री की अनुपस्थिति में, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है—दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त। (पैरा 13)

अधिवक्तागण.—Mr. Birendra Kumar, Amicus Curiae, For the Appellant; Mr. Gauri Shankar Prasad, For the State.

न्यायालय द्वारा.—विद्वान न्यायमित्र श्री बिरेन्द्र कुमार तथा राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री गौरी शंकर प्रसाद को सुना।

2. वर्तमान दाण्डिक अपील सत्र केस सं॰ 14 वर्ष 2003/30 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ I, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 23.7.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय

एवं दिनांक 25.7.2003 के दण्डादेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा अपीलार्थी पुष्पा मरांडी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने का दोषी पाया गया है तथा पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा 500/- रूपया का जुर्माना का भुगतान करने एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में अपीलार्थी को तीन महीनों का कठोर भुगतने का भी दण्ड दिया गया है तथा जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में अपीलार्थी को तीन महीनों का कठोर कारावास भुगतने का भी दण्ड दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया है।

3. अभियोजन मामला 19.6.2002 को पकुड़िया पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष सूचनादात्री मीरू मरांडी (अ॰ सा॰ 5) की लिखित रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें सूचनादात्री ने कथन किया है कि जनवरी के महीने में पुष्पा मरांडी (अपीलार्थी) लगभग 18 वर्षीया उसकी पुत्री के साथ रामपुर हटिया स्थित उसके घर आयी थी तथा वहाँ तीन से चार घंटों तक ठहरी थी। सूचनादात्री ने सोचा कि पुष्पा मरांडी उसकी बेटी पार्बती मुर्मु की सहेली है। बाद में लगभग 4:00 बजे, पुष्पा मरांडी सूचनादात्री की पुत्री के साथ चली गयी। सूचनादात्री ने सोचा कि वे कहीं गये हैं। दो से तीन दिनों के उपरांत, जब सूचनादात्री की पुत्री वापस नहीं लौटी, तब सूचनादात्री का भतीजा सोमेश मरांडी ग्राम सोगले स्थित पुष्पा मरांडी के घर गया, किन्तु पुष्पा मरांडी तथा पार्बती मुर्मु को नहीं पाया। तत्पश्चात, सूचनादात्री तथा अन्य लोगों ने अपने रिश्तेदारों के मकान में पार्बती मुर्मु की तलाश किया, किन्तु तब भी उसका पता नहीं चला था। तलाशी के दौरान, उन्हें सूचना मिली कि कुरन मुर्मु की बेटी दुलार मुर्मु, मटल हंसदा की बेटी तुलसी हंसदा, तथा मझुवा टुडु की बेटी डिडीमोनी टुडु को भी ले जाया गया था। तीन महीने बाद पुष्पा मरांडी ग्राम परकुंडा लौटी। ऐसी सूचना पाकर, सूचनादात्री भी ग्राम परकुंडा पहुँची तथा अपनी बेटी के पता ठिकाने के बारे में पुष्पा मरांडी से पूछताछ की। पुष्पा मरांडी ने उसे बताया कि वह पार्बती मूर्मू को दिल्ली ले गयी थी। सूचनादात्री ने पार्बती मूर्मू का निवास स्थान तथा दूरभाष संख्या भी पूछा, किन्तु उसने नहीं बताया एवं इस प्रकार, सूचनादात्री एवं पार्बती मुर्मु के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। तत्पश्चात, सूचनादात्री ने घटना के बारे में अपने पति तथा परिवार के सदस्यों को बताया। सूचनादात्री के पति तथा परिवार के अन्य सदस्य भी पुष्पा मरांडी से पूछताछ करने ग्राम परकुंडा गये पर उससे मुलाकात नहीं हो सकी। पुनः 19.6.2002 को पुष्पा मरांडी को ग्राम डोमन गरिया में देखा गया था। सूचनादात्री ने संदेह किया कि पुष्पा मरांडी चारों लड़कियों को दिल्ली ले गयी थी तथा उन्हें बेच दिया था।

4. सूचनादात्री की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 के अधीन दिनांक 19.6.2002 को प्राथमिकी निर्बंधित किया जो पकुड़िया पुलिस थाना केस सं॰ 20 वर्ष 2002 था।

5. अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने अपीलार्थी पुष्पा मरांडी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 366, 367, 368, 370 एवं 372 के अधीन दिनांक 30.12.2002 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया जो आरोप पत्रक सं॰ 34 वर्ष 2002 था।

6. दिनांक 16.1.2003 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक 18.1.2003 के आदेश के तहत मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 366 एवं 368 के अधीन 29.1.2003 को अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किया है जिसके प्रति अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवचन किया है तथा इस प्रकार, उसका विचारण किया गया था।

8. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के क्रम में कुल मिलाकर छह गवाहों की परीक्षा कराई है तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किया है।

दूरबीन हंसदा (पार्बती मुर्मु का सह-ग्रामीण) की परीक्षा अ॰ सा॰ 1 के तौर पर की गयी है, फूचन दास की परीक्षा अ॰ सा॰ 2 के तौर पर की गयी है किन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, सोमेश मरांडी (सूचनादाता का सह-ग्रामीण) की परीक्षा अ॰ सा॰ 3 के तौर पर की गयी है, पीड़िता के पिता हूजूर मुर्मु की परीक्षा अ॰ सा॰ 4 के तौर पर की गयी है, मीरू मरांडी (इस मामले की सूचनादात्री) की परीक्षा अ॰ सा॰ 5 के तौर पर की गयी है, तथा राम हरीश निराला (इस मामले के अन्वेषण पदाधिकारी) की परीक्षा अ॰ सा॰ 6 के तौर पर की गयी है।

औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 1 के तौर पर सिद्ध तथा चिन्हित की गयी है।

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का बयान 26.3.2003 को अभिलिखित किया गया है, जिसके बारे में अपीलार्थी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है तथा इस प्रकार, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सुनवायी करने के उपरांत तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध किया, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया है।

दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दण्डादेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश की आलोचना करते हुए अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान दाण्डिक अपील दाखिल की गयी है।

11. विद्वान न्यायमित्र श्री बिरेन्द्र कुमार को सुना।

विद्वान न्यायमित्र ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि में दोषपूर्ण है तथा विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के आवश्यक अवयव वर्तमान मामले में गायब हैं।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने का प्रधान अपराध है। अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है एवं इस प्रकार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है।

विद्वान न्यायमित्र ने इस न्यायालय का ध्यान धारा 368 के प्रावधान की ओर आकर्षित किया है, जो निम्नवत पठित है:—

> *''368. **व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना.**—जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपायेगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति को व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरूद्ध रखा है।*

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि चूँकि व्यपहरण या अपहरण अपीलार्थी समेत अभियुक्त में से किसी के विरूद्ध सिद्ध नहीं किया गया है, इस प्रकार, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया नहीं जा सकता है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया कि यह अपीलार्थी जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोपित किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आरोप से दोषमुक्त किया गया है या राज्य द्वारा या सूचनादाता द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय की विधि के यथोचित न्यायालय के समक्ष आलोचना नहीं की गयी है तथा इस प्रकार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन अपीलार्थी की दोषमुक्ति ने अपनी अंतिमता प्राप्त कर ली है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 1 (दूरबीन हंसदा) एक सहग्रामीण होने के कारण व्यपहरण या अपहरण के अपराध के संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध कुछ भी अभिकथित नहीं किया है न ही ऐसा कुछ सिद्ध किया गया है कि इस अपीलार्थी ने पीड़िता पार्बती मुर्मु को रखा या निरूद्ध किया है क्योंकि पार्बती मुर्मु अपीलार्थी के साथ उसके घर आयी थी तथा पुनः अपीलार्थी के साथ स्वेच्छापूर्वक चली गयी थी।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि प्राथमिकी के परिशीलन तथा अभियोजन गवाहों के साक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि पार्बती मुर्मु लगभग 18 वर्ष की थी तथा उस समय वयस्क होने के लिए न्यूनतम आयु सोलह वर्ष होने की आवश्यकता होती है एवं इस प्रकार, विद्वान न्यायमित्र ने निवेदन किया है कि अगर कोई वयस्क बालिका अपीलार्थी के साथ जाती है, विधि के अधीन कोई अपराध निर्मित नहीं होता है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों में से किसी ने भी यह अभिकथित नहीं किया है कि अपीलार्थी ने पीड़िता पार्बती मुर्मु को अपहृत या व्यपहृत किया है। अभियोजन की ओर से पेश किया गया साक्ष्य यह है कि सूचनादाता की पुत्री पार्बती मुर्मु गायब है तथा अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य के परिशीलन से पुष्पा मरांडी (अपीलार्थी) के विरूद्ध केवल संदेह किया जा सकता है कि वह पार्बती मुर्मु को किसी स्थान पर ले गयी थी किन्तु मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी पुष्पा मुर्मु को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया कि फूचन दास की अ॰ सा॰ 2 के तौर पर परीक्षा की गयी है तथा अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि सोमेश मरांडी की परीक्षा अ॰ सा॰ 3 के तौर पर की गयी है तथा इस गवाह ने कथन किया है कि पार्बती मुर्मु उसके घर से पुष्पा मरांडी के साथ चली गयी थी। फिर भी, यह साक्ष्य अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। पीड़िता के पिता तथा सूचक के पति हुजुर मुर्मु की परीक्षा अ॰ सा॰ 4 के तौर पर की गयी है। यह गवाह स्वीकृत रूप से एक अनुश्रुत गवाह है एवं इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कहा है कि उसने पुष्पा मुर्मु को इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अपराध गठित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है। मामले की सूचनादात्री तथा पीड़िता की माता मीरू मुर्मु की परीक्षा अ॰ सा॰ 5 के तौर पर की गयी है। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 9 में कथन किया है कि उसकी पुत्री पार्बती मुर्मु कभी अकेले नहीं जाया करती थी बल्कि सहग्रामीण

डिडिमोनी तथा दुलार के साथ जाया करती थी तथा दुर्भाग्यपूर्ण दिन को भी वह उन लोगों के साथ मेला देखने गयी थी। इस गवाह ने आगे पैरा 10 में कथन किया है कि पार्बती मुर्मु के घर छोड़ने के 3-4 दिनों के बाद उसने पुलिस को इसके बारे में सूचित नहीं किया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि डिडिमोनी तथा दुलार गाँव में मौजूद नहीं हैं। सूचक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 एवं 368 के अधीन अपराध गठित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। पकुड़िया थाने के प्रभारी पदाधिकारी तथा मामले के अन्वेषण पदाधिकारी राम हरीश निराला की परीक्षा अ॰ सा॰ 6 के तौर पर की गयी है। इस गवाह ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया है। इस गवाह (अ॰ सा॰ 6) ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 4 में निवेदन किया है कि फूलचंद दास ने उसके समक्ष कथन किया है कि जब वे पुष्पा मरांडी (अपीलार्थी) से पूछताछ कर रहे थे, यह परिलक्षित होता है कि चार लड़कियाँ जिनके नाम पार्बती मुर्मु (पीड़िता), दुलार मुर्मु, तुलसी हंसदा तथा डिडिमोनी टुडु हैं, को पुष्पा मरांडी द्वारा प्रलोभित किया गया था तथा लड़कियों को उनके घर से ले जाया गया था किन्तु फूलचंद दास की परीक्षा इस मामले में अ॰ सा॰ 2 के तौर पर किया गया है तथा अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि कोई सामग्री हुये बिना, अपीलार्थी को पुलिस द्वारा आरोपपत्रित किया गया है तथा अभिलेख पर कोई सामग्री हुये बिना बिना विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध किया है यद्यपि उसी आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्धि के लिए मुख्य अपराध है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है, क्योंकि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दण्डादेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

12. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री गौरी शंकर प्रसाद को सुना।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश सुआधारित है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध किया है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि झारखंड राज्य अविवाहित लड़कियों के विरूद्ध कारित अपराध के लिए जाना जाने वाला राज्य है, जिन्हें अभियुक्त द्वारा दिल्ली जैसे महानगरों एवं अन्य बड़े शहरों में काम करने के लिए दबाव देने हेतु अभियुक्त द्वारा ले जाया जाता है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पार्बती मुर्मु अपीलार्थी (पुष्पा मरांडी) के साथ उसके घर गयी थी तथा पुष्पा मरांडी के साथ घर से बाहर भी निकली थी तथा चूँकि पार्बती मरांडी गायब है एवं इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपयुक्त प्रकार से यह अर्थ निकाला गया है कि अपीलार्थी ने पीड़िता पार्बती का अपहरण या व्यपहरण करके गलत प्रकार से परिरूद्ध किया गया है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अन्वेषण पदाधिकारी तथा सूचनादाता ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है एवं इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने उपयुक्त प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध किया है।

13. विद्वान न्यायमित्र श्री बिरेन्द्र कुमार तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरी शंकर प्रसाद, अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेखों अर्थात् प्राथमिकी, आरोप की विरचना, छह अभियोजन गवाहों

का साक्ष्य, अभियोजन पक्ष का एक प्रदर्श तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थी के बयान तथा साथ ही दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश का परिशीलन किया।

इस न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य की संवीक्षा की है। अभियोजन गवाहों के साक्ष्यों के परिशीलन से, इस न्यायालय का यह मत है कि अपहरण या व्यपहरण के अवयव अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने उपयुक्त प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया है, जिसे विधि के यथोचित न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा या सूचनादाता द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। इस न्यायालय ने अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य का भी परिशीलन किया है। अन्वेषण पदाधिकारी, अ॰ सा॰ 6 राम हरीश निराला ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि फूलचंद दास ने उसके समक्ष कथन किया था कि जब वे पुष्पा मरांडी (अपीलार्थी) से पूछताछ कर रहे थे, या परिलक्षित हुआ था कि चार लड़कियों जिनके नाम पार्बती मुर्मु (पीड़िता), दुलार मुर्मु, तुलसी हंसदा तथा डिडिमोनी टुडु थे, को पुष्पा मरांडी द्वारा प्रलोभित किया गया था तथा लड़कियों को उनके घर से ले जाया गया था किन्तु उक्त फूलचंद दास की परीक्षा इस मामले में अ॰ सा॰ 2 के तौर पर की गयी है तथा अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 1 दूरबीन हंसदा, तथा अ॰ सा॰ 3 सोमेश मरांडी अनुश्रुत गवाह हैं, पीड़िता का पिता, हुजुर मुर्मु अ॰ सा॰ 4 भी अनुश्रुत गवाह है तथा अ॰ सा॰ 5 मीरू मरांडी (सूचनादाता) ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 या 368 के अधीन अपराध गठित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

इस प्रकार, इस न्यायालय का यह मत है कि एकबार मामला प्रधान अधिनियम अर्थात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन स्थापित नहीं होने पर तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अपराध गठित करने वाली किसी सामग्री की अनुपस्थिति में, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, जैसी की चर्चा उपर की गयी है, इस न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

तद्नुसार, सत्र केस सं॰ 14 वर्ष 2003/30 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ 1, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 23.7.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय तथा 25.7.2003 का दण्डादेश एतद्द्वारा संदेह का लाभ देकर अपास्त किया जाता है।

14. परिणामत:, वर्तमान दाण्डिक अपील अनुज्ञात की जाती है।

15. अपीलार्थी जो जमानत पर है, को उसके जमानत बंधपत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

16. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरंत भेजा जाय।

17. इस निर्णय से अलग होने के पहले, यह न्यायालय वर्तमान दाण्डिक अपील के निपटारे में विद्वान न्यायमित्र श्री बिरेन्द्र कुमार द्वारा इस न्यायालय को दी गयी सहायता की सराहना करता है। सचिव, झालसा को इस निर्णय की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वान न्यायमित्र श्री बिरेन्द्र कुमार को नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

18. इस निर्णय की एक प्रति झारखंड उच्च विधिक सेवा प्राधिकरण को तुरंत संप्रेषित की जाय।

माननीय अनिरुद्ध बोस, मुख्य न्यायाधीश एवं बी॰ बी॰ मंगलमूर्ति, न्यायमूर्ति

राजेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 449 of 2018. Decided on 1st October, 2018.

विद्यालय विधियाँ—नियुक्ति—सामान्य कोटि के माध्यम से सहायक शिक्षकों का पद—आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि आवेदक पारा शिक्षक थे—आवेदन सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए विहित नियमों के निबंधनों में किये गये थे तथा अपीलार्थीगण ने ''पारा शिक्षकों'' की कोटि के लिए विशेष रूप से आरक्षित कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था—प्रथम न्यायालय का निर्णय अपास्त तथा प्रत्यर्थी-राज्य को अपीलार्थीगण की काउंसिलिंग यथासंभव शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.—M/s Mukesh Kumar Sinha, Pankaj Kumar Sneh, For the Appellants; Mrs. Chandra Prabha, For the Respondents.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 8403 वर्ष 2003</u>

यह अंतर्वर्ती आवेदन अपील दाखिल करने में 169 दिनों के विलम्ब की माफी के लिए दाखिल की गयी है।

हमने विलम्ब की माफी के लिए दाखिल आवेदन का अवलोकन किया है तथा हम पाते हैं कि पर्याप्त कारण था जिसके कारण अपील विहित समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया था।

तद्नुसार, हम अपील दाखिल करने में 169 दिनों के विलम्ब को माफ करते हैं।

आई॰ ए॰ सं॰ 8403 वर्ष 2018 निस्तारित किया जाता है।

<u>एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 449 वर्ष 2018</u>

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. सामान्य कोटि के माध्यम से सहायक शिक्षकों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान किये जाने का अपीलार्थी का अभिवचन विद्वान प्रथम न्यायालय द्वारा इस अभिवचन पर अस्वीकार कर दिया गया है कि अपीलार्थीगण पैरा शिक्षक थे। इस न्यायालय की एक पीठ ने **बिजय कुमार प्रजापति एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 290 वर्ष 2018)** के मामले में 14 अगस्त, 2018 को दिये गये निर्णय में मुद्दे को उस मामले की सदृश स्थिति में आवेदक पारा शिक्षकों के पक्ष में पाया था। हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता से इसको लेकर पूछताछ की थी कि क्या पूर्वोक्त पीठ के निर्णय के विरूद्ध अपील की गयी थी या नहीं तथा उन्होंने इसका उत्तर नहीं में दिया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस अपील में अंतर्ग्रस्त कोई अंतर करने वाली विशेषता हमारे ध्यान में नहीं ला सके थे जो हमें एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता हो। ऐसी परिस्थितियों में, इस अपील में उठाये गये बिन्दु पूरी तरह से अपीलार्थीगण के पक्ष में खंड पीठ के निर्णय द्वारा आच्छादित हैं।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह भी निवेदन किया है कि उनके मुवक्किलों के आवेदन सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए विहित नियमावली के निबंधनों में किये गये थे तथा उनके मुवक्किलों ने ''पारा शिक्षकों'' की कोटि के लिए विशेष रूप से संरक्षित कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था।

4. तद्नुसार, हम विद्वान प्रथम न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं, जो कि अपीलाधीन है, तथा अपीलार्थीगण की काउंसिलिंग यथासंभव यथाशीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश देते हैं ताकि इसे आज से चार महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जा सके।

5. अपीलार्थीगण किसी कार्यालय दिवस पर संबंधित जिले के उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे, जो आज से 12 सप्ताह के बाद का नहीं होगा तथा अगर वे संबंधित जिले के उपायुक्त के पास आवेदन करते हैं, हमारे द्वारा विहित अवधि के भीतर काउंसिलिंग पूरा कराया जायेगा।

6. व्ययों को लेकर कोई आदेश दिये बिना उक्त निबंधनों में अपील अनुज्ञात की जाती है।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

धन सिंह लगूरी एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 64 of 2004. Decided on 27th April, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 123 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट II), चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 20.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 325/34, 452/34 एवं 341/34—उपहति, गृह अतिचार एवं दोषपूर्ण अवरोध—सामान्य आशय—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—स्वयं प्राथमिकी संदेहपूर्ण है—पश्चातवर्ती उपहति रिपोर्ट जिसे चिन्हित किया गया है, आरंभिक उपहति रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है और इस दशा में अपीलार्थी धाराओं 325/34 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है—सूचक को अवरोधित करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 341 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि अभियोजन मामला यह है कि उसपर प्रहार किया गया था और तत्पश्चात अभियुक्त भाग गया किंतु यह तथ्य अन्वेषण अधिकारी द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है जो घटना स्थल पर गया है और घटना स्थल पर कुछ भी असामान्य नहीं पाया है—अपीलार्थियों को संदेह का लाभ प्रदान किया गया—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 24 से 26)

अधिवक्तागण.—M/s Navneet Sahay, Abhishek Kumar, Diwakar Jha, For the Appellant; Mrs. Laxmi Murmu, For the State.

न्यायालय द्वारा.—अधिवक्ता श्री दिवाकर झा द्वारा सहायित अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री नवनीत सहाय एवं राज्य के अपर लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी मुर्मु सुने गए।

2. वर्तमान दांडिक अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-II), चाइबासा द्वारा सत्र विचारण सं॰ 123 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 20.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा पाँच अपीलार्थियों धन सिंह लगूरी, रविन्द्र लगूरी, मंगल सिंह लगूरी, पोदा उर्फ पोदो लगूरी एवं कांडी पिंगुआ को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 325/34, 341/34, 452/

34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के अधीन अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 452/34 के अधीन अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 341/34 के अधीन अपराध के लिए एक माह का सामान्य कारावास अधिनिर्णीत किया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

3. दोषसिद्धि के उक्त आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर, इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दाखिल की गयी है जिसे अपीलार्थीगण को जमानत पर निर्मुक्त करके दंडादेश निलंबित करते हुए 1.4.2004 को ग्रहण किया गया है और तब से अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. अभियोजन मामला 19.11.2002 को अपराह्न 1.30 बजे सदर अस्पताल, चाइबासा, बेड सं॰ 8 में ए॰ एस॰ आई॰ राम स्वार्थ प्रसाद द्वारा दर्ज मना राम पिंगुआ के फर्दबयान पर आधारित है जहाँ सूचक मना राम पिंगुआ (अ॰ सा॰ 1) ने कथन किया है कि कल 18.11.2002 को वह हाट गम्हरिया बाजार से लौटा और अपने घर में उपस्थित था। रात्रि लगभग 8 बजे सहग्रामीण रबि लगुरी एवं धन सिंह लगुरी घर में घुसे, उसे पकड़ लिया, उसको गाली दिया, उसको घर के बाहर घसीटा। इस बीच मंगल सिंह लगुरी, पोदो लगूरी एवं कांडी पिंगुआ भी वहाँ आए और उन सबों ने सूचक पर लाठी, डंडा, लात, मुक्का से प्रहार किया और लाठी द्वारा किए गए प्रहार के कारण सूचक ने अपने मस्तक पर उपहति पाया जिससे खून बह रहा था और सूचक ने अपने शरीर के अन्य भाग पर भी उपहति पाया। झगड़ा सुनने पर पड़ोसी रसिका पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) एवं अन्य वहाँ आए और उनको बचाया और तत्पश्चात रसिका पिंगुआ ने ग्राम मुंडा के साथ उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल, चाइबासा लाए जहाँ उसका इलाज किया गया है।

5. फर्दबयान के आधार पर पुलिस ने दिनांक 19.11.2002 का झिंकपानी (हटगम्हरिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 29/2002, जी॰ आर॰ सं॰ 403 वर्ष 2002 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452/341/323/34 के अधीन संस्थित किया और अन्वेषण के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/452/341/323/504/34 के अधीन दिनांक 31.12.2002 का आरोप-पत्र सं॰ 29 वर्ष 2002 दाखिल किया। अपराध का संज्ञान 9.1.2003 को लिया गया है और दिनांक 12.6.2003 की अधिसूचना के तहत मामला सुपुर्द किया गया है। विद्वान सत्र न्यायालय ने समस्त पाँचों अपीलार्थियों के विरूद्ध दिनांक 28.7.2003 के आदेश के तहत धारा 307/34, 452/34 एवं 341/34 के अधीन आरोप विरचित किया।

6. अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया है और दस्तावेजी साक्ष्य जैसे फर्दबयान पर रसिका पिंगुआ का हस्ताक्षर प्रदर्श 1, मना राम पिंगुआ का दिनांक 19.11.2002 का उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2, मना राम पिंगुआ का दिनांक 28.11.2002 का उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2/1, सूचक का फर्दबयान प्रदर्श 3, फर्दबयान का फॉरवॉडिंग प्रदर्श 3/1 एवं फर्दबयान पर पृष्ठांकन प्रदर्श 3/2, औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 4, उपहति रिपोर्ट का तलब प्रदर्श 5 भी दिया है।

7. मना राम पिंगुआ का परीक्षण अ॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया है। वह इस मामला का सूचक एवं पीड़ित है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि जब वह रात्रि 8 बजे अपने घर के अंदर था, रवि एवं धन सिंह ने उसको पकड़ा और उसको उसके घर के बाहर घसीटा और उस पर प्रहार किया। उसने मंगल सिंह लगूरी, मोनिका (धन सिंह की पत्नी), चामू की पत्नी, चैतन की पत्नी, अरूण की पत्नी पोदो लगूरी और कांडी पिंगुआ एवं अन्य को भी वहाँ उपस्थित देखा। उन्होंने उस पर जुअट (काठ का कुन्दा) से प्रहार किया। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि वह घटना इसलिए हुई क्योंकि यह गवाह और राशिका (अ॰ सा॰ 2) ठेकेदार जो गाँव के बाहर का है के लिए मुंशी

के रूप में कार्यरत थे जो ग्रामीणों को स्वीकार्य नहीं था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 3 में कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन नहीं किया है कि गाँववालों के साथ कुछ दुश्मनी थी बल्कि उसने अपनी अचैतन्य दशा में बयान दिया है और यही कारण है कि उसे याद नहीं है कि उसने सब इंसपेक्टर को क्या कहा था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 4 में आगे कथन किया है कि 18.11.2002 को वह बाजार से लौटते हुए धन सिंह एवं मंगल सिंह से मिला और यह गवाह महिला के साथ था जो मरतिलिया की पत्नी है जब वे शराब पी रहे थे। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि रसिका एवं लडुरा से भिन्न कोई गवाह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और रसिका उसके साथ मुंशी के रूप में कार्यरत था और लडूरा वहाँ उपस्थित था जो उसका सगा भाई है। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में स्वीकार किया है कि वह 48 घंटा तक बेहोश था और उसका बयान केवल उसके होश में आने के बाद दर्ज किया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि उसका बयान क्या था जो उसने पुलिस को दिया था क्योंकि उसे उस प्रासंगिक समय पर कुछ भी याद नहीं था। इस गवाह ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसने केवल एक उपहति पाया जो उसके मस्तक पर है।

8. अधिवक्ता अभिषेक गौतम द्वारा सहायित अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत सहाय ने निवेदन किया है कि जैसा दावा अभियोजन द्वारा किया गया है, इस गवाह का एकमात्र चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 1 है किंतु उसका बयान स्वयं संदेहपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान पैराग्राफ 1 जैसे अभिसाक्ष्य के कतिपय पैराग्राफों की ओर आकृष्ट किया है जहाँ अभियुक्तों की पत्नियों को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है किंतु 'फर्दबयान' में इसका उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों द्वारा गर्दन दबाया जाना भी फर्दबयान में कथित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस गवाह ने कथन किया है कि रसिका उसके साथ मुंशी के रूप में कार्यरत था किंतु जब रसिका का अ॰ सा॰ 2 के रूप में परीक्षण किया गया था, उसने दावा किया कि वह अ॰ सा॰ 1 के घर में कार्यरत था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने पुलिस को जो भी कहा है, वह अचैतन्य दशा में कहा गया था और बाद में उसने स्वीकार भी किया है कि घटना के तुरन्त पहले उसने मदिरा सेवन किया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि चूँकि उसने महिला सदस्य का नाम उल्लिखित नहीं किया है, सब इंसपेक्टर ने उससे कहा कि यदि महिला सदस्य का नाम लिया जाता है, मामला और मजबूत बन जाएगा और अभियोजन मामला को घातक धक्का लगा जब इस गवाह ने कथन किया है कि वह 48 घंटे तक बेहोश रहा और तत्पश्चात उसका बयान दर्ज किया गया था किंतु किसी भी गवाह ने इस तथ्य का कथन नहीं किया है और इस दशा में पाँच व्यक्तियों को दोषसिद्ध करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अ॰ सा॰ 1 के परिसाक्ष्य पर विश्वास विधि के अनुरूप नहीं है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का संवीक्षण नहीं किया है और इस तथ्य का न्यायिक ध्यान नहीं लिया है कि यदि पाँच व्यक्ति लाठी, मुक्कों, लातों एवं जुअट (काठ का कुंदा) से प्रहार करेंगे, तब व्यक्ति पर केवल एक उपहति कैसे कारित करेगी और इस दशा में अ॰ सा॰ 1 का साक्ष्य स्वयं में संदेहपूर्ण है और दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है।

9. राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी मुर्मु ने निवेदन किया है कि यह सत्य है कि सूचक पीड़ित और घटना का चश्मदीद गवाह है और प्राथमिकी घटना का विश्वकोष नहीं है बल्कि सूचक द्वारा दिए गए पश्चातवर्ती बयान केवल घटना स्पष्ट करने के लिए है। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निष्पक्षत: स्वीकार किया है कि कुछ तथ्य नए तथ्य हैं जिन्हें सूचक द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है जब इस न्यायालय ने विद्वान अपर लोक अभियोजक का ध्यान पैराग्राफ 6 की ओर खींचा, विद्वान अधिवक्ता इसे स्पष्ट नहीं कर सकी थी।

10. रसिका पिंगुआ का परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि पोदो लगूरी ने काठ के कुंदा (जुअट) से माना राम पिंगुआ के मस्तक पर प्रहार किया है और उसने खून बहती उपहति पाया और बेहोश हो गया और झगड़ा पर ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण आए। तब मना राम पिंगुआ को पुलिस थाना लाया गया था और वहाँ से सदर अस्पताल, चाईबासा ले जाया गया था। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में भी कथन किया है कि पुलिस ने माना राम से पूछताछ किया किंतु वह कुछ नहीं कह सका था। फर्दबयान पर इस गवाह का हस्ताक्षर सिद्ध एवं प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस गवाह ने कथन किया है कि वह मना राम के घर में काम कर रहा था। अपराह्न 7 बजे मना राम शराब पीने गया और दो मठिया शराब पिया। घटना के समय पर, मना राम, उसका भाई, भाभी (भाई की पत्नी) और माता घर में उपस्थित थे। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि मना राम के मस्तक एवं संपूर्ण शरीर पर प्रहार किया गया था और उपहति कारित की गयी थी जिसे उसने देखा है और वह उसे बचाने गया। जब मना राम गिर गया, अभियुक्तगण भाग गए और पोदो ने जुअट से मना राम पर प्रहार किया है। यह गवाह मना राम पिंगुआ को अस्पताल लाया जहाँ माना राम ने महिला सदस्यों के आने के बारे में भी पुलिस इंसपेक्टर को बताया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मना राम पिंगुआ (अ॰ सा॰ 1) के बयान के मुताबिक, उसने पुलिस से कुछ भी नहीं कहा है जो रसिक पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) के मुख्य परीक्षण के पैराग्राफ 1 के अंतिम भाग से प्रकट होगा और इस दशा में मना राम पिंगुआ (सूचक) के बयान पर फर्दबयान स्वयं संदेहपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि प्रासंगिक समय पर उसका भाई, भाई की पत्नी एवं मना राम पिंगुआ की माता भी उपस्थित थे किंतु उसके भाई की पत्नी एवं माता का इस मामला में परीक्षण नहीं किया गया है। आगे, इस गवाह ने अभियोजन मामला को घातक धक्का दिया है जब उसने कथन किया है कि उसने मस्तक, हाथ एवं संपूर्ण शरीर पर उपहति देखा किंतु पुलिस तलब (प्रदर्श 5) एवं उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 2) प्रकट करता है कि सूचक के मस्तक पर केवल एक उपहति पायी गयी थी। पुलिस तलब (प्रदर्श 5) में केवल यह उल्लेख किया गया है कि मस्तक पर खून बहती उपहति थी और उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 2) से पता चलता है कि 10 cm x 0.7 cm अस्थि तक गहरे आकार का खून के थक्का के साथ स्काल्प की उपरी भाग के दाएँ एन्टेरोमीडियल पर विदीर्ण जख्म पाया गया था और इस दशा में अ॰ सा॰ 2 का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

11. राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी मुर्मु ने निवेदन किया है कि अपनी क्षमता के मुताबिक गवाहों द्वारा संप्रेक्षण किया गया है किंतु यह गवाह घटना का चश्मदीद गवाह है यद्यपि इस गवाह ने कथन किया है कि माना राम पिंगुआ ने पुलिस के समक्ष कुछ भी कथन नहीं किया है।

12. लड़ूरा पिंगुआ का परीक्षण अ॰ सा॰ 3 के रूप में किया गया है। यह गवाह मना राम पिंगुआ का बड़ा भाई है और स्वयं का घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है किंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान, इस गवाह ने कथन किया है कि उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था और आगे उसने कथन किया है कि अभिकथित घटना के समय पर उसके, उसकी पत्नी एवं मना राम पिंगुआ के सिवाए घर में कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि रसिका पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) की उपस्थिति अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य के मुताबिक इस मामला में संदेहपूर्ण है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि जब वह मना राम पिंगुआ को बचाने गया, अभियुक्तों ने उस पर भी उसकी पीठ पर उपहति कारित करते हुए प्रहार किया किंतु इस गवाह द्वारा डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया गया था।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यदि अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य की तुलना की जाती है, तब अ॰ सा॰ 2 की उपस्थिति संदेहपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, इस गवाह ने भी उपहति पाया जैसा उसने अपने प्रतिपरीक्षण में दावा किया है किंतु रसिका पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) द्वारा इस तथ्य का कथन नहीं किया गया है और इस दशा में घटना स्थल पर अ॰ सा॰ 3 की उपस्थिति साक्ष्य की किसी संपुष्टकारी टुकड़े की अनुपस्थिति में संदेहपूर्ण है।

14. जब इस न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 9) श्री राम स्वारथ सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिए गए बयान की ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक का ध्यान आकृष्ट किया कि इस गवाह ने महिला सदस्यों की उपस्थिति के बारे में कभी नहीं कहा है और अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य के पैराग्राफ 2 की ओर ध्यान खींचा, तब विद्वान अपर लोक अभियोजक इसे स्पष्ट नहीं कर सकी थी एवं न्यायोचित नहीं ठहरा सकी थी और इस दशा में इस न्यायालय का मत है कि अ॰ सा॰ 3 (लडुरा पिंगुआ) घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

15. माता पिंगुआ का अ॰ सा॰ 4, सोनाराम पिंगुआ का अ॰ सा॰ 5 और सेरका पिंगुआ का अ॰ सा॰ 6 के रूप में परीक्षण किया गया है। इन तीन गवाहों ने अपने आप को अनुश्रुत गवाह होने का दावा किया है और उन्होंने रसिका से घटना की जानकारी पाया जो उनके घर आया और उनको घटना के बारे में सूचित किया।

16. डॉ॰ बालाकृष्णा सहनी, चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने 19.11.2002 को मना राम पिंगुआ का परीक्षण किया, का परीक्षण अ॰ सा॰ 7 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने 10 cm x 0.7 cm आकार के अस्थि तक गहरे खून के थक्का के साथ स्काल्प के उपरी दाएँ एन्ट्रोमेडियल भाग पर एक विदीर्ण जख्म पाया और एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट पर मत आरक्षित रखा गया था और अपने हस्तलेखन में उपहति रिपोर्ट तथा हस्ताक्षर प्रदर्श 2 और दिनांक 27.11.2002 की एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.11.2002 की पश्चातवर्ती रिपोर्ट प्रदर्श 2/1, के रूप में सिद्ध किया जहाँ डॉक्टर ने एक्सरे के ए॰ पी॰ एवं लेटरल व्यू के आधार पर खोपड़ी के आगे के क्षेत्र में वॉल्ट का डिप्रेश्ड फ्रैक्चर पाया और उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित घातक प्रकृति की घोषित किया।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत सहाय ने निवेदन किया है कि उपहति केवल अस्थि तक गहरी पायी गयी है। घटना के आठ दिन बाद 27.11.2002 को किए गए एक्सरे के आधार पर डॉक्टर के दिनांक 28.11.2002 के मत को किसी एक्सरे रिपोर्ट की अनुपस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्काल्प के फ्रंटल क्षेत्र में वॉल्ट का फ्रैक्चर यदि हुआ था, डॉक्टर प्रदर्श 2 चिन्हित दिनांक 19.11.2002 की आर्रभिक रिपोर्ट में ऐसा कह सकते थे कि अस्थि का फ्रैक्चर था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अधीन परिकल्पित घोर उपहति की ओर आकृष्ट किया है और निष्पक्षत: निवेदन किया है कि घायल के शरीर पर पायी गयी उपहति भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में यथा उल्लिखित किसी कोटि में नहीं आती है और इस दशा में विद्वान विचारण न्यायालय के एक्सरे रिपोर्ट की अनुपस्थिति में डॉक्टर के परिसाक्ष्य पर गलत रूप से विश्वास किया है जैसा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में किया गया है और इस दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है।

18. राज्य की विद्वान अधिवक्ता, श्रीमती लक्ष्मी मुर्मू, अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि यह डॉक्टर का मत है जिसपर वह कुछ नहीं कह सकती हैं जो न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से इसे स्वीकार किया है।

19. राम पूजन सिंह, पुलिस सब इंसपेक्टर जो इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है का परीक्षण अ॰ सा॰ 8 के रूप में किया गया है। उसने रामस्वारथ प्रसाद द्वारा लिखे गए फर्दबयान को प्रदर्श 3 के रूप में, प्रभारी-अधिकारी का पृष्ठांकन प्रदर्श 4 के रूप में किया गया है किंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि उसने इस मामले में किसी चीज का अन्वेषण नहीं किया है और न ही प्रदर्श 3 एवं 4 उसकी उपस्थिति में लिखे गए हैं और एक्सरे प्लेट उसे सौंपी नहीं की गयी थी और न ही उसने कोई जब्ती किया था।

20. इस मामले का अन्वेषण अधिकारी, श्री राम स्वारथ प्रसाद का परीक्षण अ॰ सा॰ 9 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने सूचक का फर्दबयान दर्ज करने के बाद मामला का अन्वेषण किया है और चिकित्सीय तलब प्रदर्श 5 के रूप में सिद्ध की गयी है। फर्दबयान की फॉरवार्डिंग प्रदर्श 3/1 एवं फर्दबयान पर पृष्ठांकन प्रदर्श 3/2 चिन्हित किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि गवाह लड़ूरा पिंगुआ ने उसके समक्ष कभी नहीं कहा है कि घटना के समय पाँच-छह महिलाएँ भी उपस्थित थी और न ही माता पिंगुआ (अ॰ सा॰ 4) ने स्वयं का घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने केस डायरी में उल्लेख नहीं किया है कि कितने दिनों तक मना राम पिंगुआ अस्पताल में रहा। इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि मना राम पिंगुआ ने अभियुक्त के रूप में किसी महिला सदस्य का नाम नहीं लिया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान आगे कथन किया है कि मना राम पिंगुआ ने गोशाला में किए गए प्रहार के बारे में कभी नहीं कहा है। उसने सूचक का वस्त्र जब्त नहीं किया है और घटना स्थल पर कोई हथियार नहीं पाया है। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि उसने एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त नहीं किया है। उसने 28.11.2002 को सूचक का फर्दबयान दर्ज किया है किंतु नहीं पूछा कि एक्सरे किया गया है या नहीं, घटना स्थल गाँव में है।

21. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि अपीलार्थियों ने सूचक पर प्रहार किया है क्योंकि डॉक्टर ने सूचक के मस्तक पर एकल उपहति पाया है जबकि रसिक पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) ने कथन किया है कि उसने सूचक के मस्तक, हाथ एवं संपूर्ण शरीर पर उपहति देखा है। इसके अतिरिक्त मामला के अन्वेषण अधिकारी राम स्वारथ प्रसाद (अ॰ सा॰ 9) ने घटना स्थल पर अपराध में फँसाने वाला कोई हथियार नहीं पाया है और इस दशा में दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है जो फर्दबयान पर आधारित है और दिए गए साक्ष्य एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का आधार निर्मित नहीं कर सकते हैं।

22. विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत सहाय ने आगे स्वीकार किया है कि यदि अ॰ सा॰ 1 का साक्ष्य स्वीकार किया जाता है, प्रति परीक्षण के दौरान पैरा 6 में दिया गया स्वयं फर्दबयान संदेहपूर्ण है यदि पाँच व्यक्तियों ने सूचक पर प्रहार किया है जैसा सूचक ने अभिकथित किया है, तब कम से कम एक उपहति कारित नहीं होगी और वह भी अस्थि तक गहरी जैसा प्रदर्श 2 (उपहति रिपोर्ट) के पैरा 16 में डॉक्टर की उपहति रिपोर्ट है।

23. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि सूचक ने किसी महिला सदस्य के साथ शाम 7 बजे मदिरा सेवन किया था जैसा रसिक पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) द्वारा कथन किया गया है किंतु अ॰ सा॰ 3 की पत्नी एवं सूचक की माता के साथ उस महिला सदस्य का परीक्षण नहीं किया गया है जो वर्तमान मामला के बारे में संदेह सृजित करता है। किसी भी ग्रामीण का इस मामला में परीक्षण नहीं किया गया है और इस दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 325, जब भारतीय दंड संहिता की धारा

320 के अवयव गायब है और भारतीय दंड संहिता की धारा 452 जब सूचक के घर से बाहर ले जाने का अवयव सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि महिला सदस्यों जो घर में उपस्थित थी का इस मामला में परीक्षण नहीं किया गया है, के अधीन सूचक के दोषपूर्ण अवरोध के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन अपराध की पूर्वोक्त पृष्ठ भूमि के अधीन संदेहपूर्ण है। अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के हकदार हैं क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में हेतु स्पष्ट नहीं किया गया है कि घटना क्यों की गयी थी।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्रीमती लक्ष्मी मुर्मु, अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का समर्थन किया है और कथन किया है कि उसमें साक्ष्य में कुछ विरोधाभास है किंतु वह अभियोजन मामला की जड़ तक नहीं जाएगा और विचारण न्यायालय अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34, 452/34 एवं 341/34 के अधीन दोषसिद्ध करने में न्यायोचित है।

24. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत सहाय एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी मुर्मु को सुनने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने से इस न्यायालय का मत है कि धारा 325/34 के अधीन दोषसिद्धि विधि के अधीन संपोषित नहीं की जा सकती है क्योंकि पश्चातवर्ती उपहति रिपोर्ट जिसे प्रदर्श 2/1 चिन्हित किया गया है, आरंभिक उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2 के अनुरूप नहीं है और इस दशा में अपीलार्थी को धारा 325/34 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय का मत यह भी है कि प्राथमिकी स्वयं संदेहपूर्ण है, जो वर्तमान मामला का आधार है स्वयं सूचक के प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 6 एवं रसिक के मुख्य परीक्षण के दौरान अ॰ सा॰ 2 द्वारा किए गए पश्चातवर्ती स्वीकर जहाँ सूचक ने कहा है कि वह 48 घंटे तक बेहोश रहा और तत्पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और स्वयं रसिक पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) ने कहा है कि मना राम पिंगुआ (अ॰ सा॰ 1) द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया था क्योंकि वह बेहोश था और यदि प्राथमिकी का समय लिया जाता है, तब फर्दबयान 19.11.2002 को अपराह्न 1.30 बजे दर्ज किया गया था जो 48 घंटा के भीतर है। इस न्यायालय ने यह भी पाया है कि अ॰ सा॰ 1 की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण है और यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर सामग्री नहीं लायी गयी है कि अपीलार्थी घर में घुसे हैं और दो अपीलार्थियों धनसिंह लगूरी एवं रबि लगूरी सूचक के घर में घुसे थे क्योंकि घर में उपस्थित महिला सदस्यों अर्थात सूचक की माता एवं भाभी का इस मामले में परीक्षण नहीं किया गया है जो घातक है। इस न्यायालय का मत है कि सूचक को अवरूद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि अभियोजन का मामला है कि उस पर प्रहार किया गया था और तत्पश्चात अभियुक्त भाग गया किंतु अन्वेषण अधिकारी द्वारा यह तथ्य संपुष्ट नहीं किया गया है जो घटना स्थल पर गया है और घटना स्थल पर कुछ भी असामान्य नहीं पाया है और जुअट (काठ का कुन्दा) जब्त नहीं किया है जिसका उपयोग पोदा उर्फ पोदो लगूरी (जिसका मामला उपशमनित हो गया है) द्वारा किया गया अभिकथित किया गया है। आगे, अ॰ सा॰ 2 एवं 3 का साक्ष्य संदेहपूर्ण है क्योंकि दोनों घटना का चश्मदीद गवाह का होने का दावा कर रहे है किंतु वे एक-दूसरे की उपस्थिति के बारे में नहीं कह रहे हैं और इस दशा में उनका साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी पृष्ठभूमि के अधीन जहाँ रसिक पिंगुआ (अ॰ सा॰ 2) ने निवेदन किया है कि शाम 7 बजे मान राम पिंगुआ शराब पीने गया और 10 cm x 0.7 cm x अस्थि गहरी ऐसी

उपहति शराब पीने के बाद गिरने के कारण कारित हो सकती है और इस दशा में इस न्यायालय का मत है कि अपीलार्थियों के पक्ष में संदेह का लाभ दिया जा सकता है।

25. उक्त समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए झिंकपानी पानी (हटगम्हरिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 29 वर्ष 2002, जी॰ आर॰ सं॰ 403/2002 के तत्सम, से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 123 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-II) चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 20.12.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त करके अपीलार्थियों को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है। अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाता है।

26. अत: अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जो जमानत पर हैं को उनके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

27. अवर न्यायालय अभिलेख वापस भेजे जाएँ।

माननीय डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰ एवं राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

कांडू मुर्मु उर्फ खांडू मुर्मु

बनाम

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 823 of 2010. Decided on 7th April, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 373 वर्ष 2008 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ VI, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 27 अगस्त, 2010 एवं 31 अगस्त, 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या—सामान्य आशय—आजीवन कारावास—अ॰ सा॰ के अभिसाक्ष्यों में महत्वपूर्ण लोप एवं विरोधाभास हैं—अभियोजन द्वारा अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है—अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन मामला के प्रति घातक है—अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी द्वारा किए गए हत्या का अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 5 एवं 6)

(ख) दांडिक विधि—विचारण न्यायालय का कर्तव्य—जब कभी भी कोई अन्वेषण अधिकारी समन जारी किए जाने के बाद सत्र मामलों में विचारण न्यायालय नहीं आ रहा है जहाँ गवाह के रूप में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, विचारण न्यायालय को अन्वेषण अधिकारी अथवा डॉक्टर के वेतन का भुगतान रोकने के लिए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया और यदि वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, विचारण न्यायालय को उनके पेंशन का भुगतान रोकना चाहिए—यदि अभियोजन अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल हो रहा है, विचारण न्यायालय मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है। (पैरा 5 (viii))

निर्णयज विधि.—2013 (4) JBCJ 517 : 2013 (4) JLJR 157; (2012) 12 SCC 701 : **2013 (1) JBCJ 189** (SC); (2013) 14 SCC 581; (2014) 6 SCC 745 : **2014 (3) JLJ 84 (SC);** (2008) 11 SCC 232—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Yogendra Prasad, Amicus Curiae, Atma Ram Choudhary, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the Respondent.

डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰.—यह दांडिक अपील अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा सत्र विचारण सं॰ 373 वर्ष 2008 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ VI, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 27 अगस्त, 2010 तथा 31 अगस्त 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा इस अपीलार्थी को श्रीमती दुली मुर्मु की हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास और 5000/- रुपयों के जुर्माना से दंडित किया गया है और व्यतिक्रम की स्थिति में एक वर्ष की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास अधिरोपित किया गया है।

2. अभियोजन मामला:

अभियोजन मामला यह है कि 11 अप्रिल, 2008 को अपराह्न 1 बजे सूचक ठाकुर हंसदा (अ॰ सा॰ 4) ने पुलिस को फर्दबयान दिया कि वह जंगल से लकड़ी लाता है और उनको बेचता है और कल 10 अप्रिल, 2008 को अपराह्न 8 बजे जब वह अपने घर में था, उसने 'बचाओ बचाओ' आवाज सुना और इसे सुनने के बाद वह घर के बाहर हाथ में टॉर्च लिए आया और अपनी सास दुली मुर्मु (मृतका) को सड़क के बगल में पड़े देखा और वह पानी मांग रही थी और टॉर्च की रोशनी में उसने कांडु मुर्मु एवं गुरू मुर्मु जो स्वर्गीय छोटू मुर्मु के पुत्र थे को अपने हाथ में 'ठेंगा' लिए देखा और सूचक को देखने के बाद दोनों भाग गए। सूचक ने तब अपनी सास को पानी दिया जिसने उसको बताया कि दो भाइयों कान्डू मुर्मु एवं गुरू मुर्मु ने उस पर ठेंगा' एवं पत्थर से गंभीर रूप से प्रहार किया था और यह कहने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी सूचक ने आगे अभिकथित किया कि वह घटना का कारण नहीं जानता था वह दावा करता है कि कान्डू मुर्मु एवं गुरू मुर्मु ने उसकी सास की हत्या की थी।

अभियोजन द्वारा छह गवाहों का परीक्षण किया गया है:–

अ॰ सा॰ 1	शिवचरण मुर्मु	वह घटना का **अनुश्रुत गवाह** है।
अ॰ सा॰ 2	खेपु मुर्म	वह **अनुश्रुत गवाह** है।
अ॰ सा॰ 3	कंदरी मुर्मु	वह **मृतका दुली मुर्म की पुत्री है।** उसने अभिसाक्ष्य दिया कि गुरु मुर्मु एवं कान्डू मुर्म ने उसपर प्रहार किया था।
अ॰ सा॰ 4	ठाकुर हंसदा	वह **मृतका दुली मुर्मु का दामाद है** और इस मामले का सूचक है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी सास ने उसे कहा था कि गुरू एवं कान्डू ने उसपर प्रहार किया था।
अ॰ सा॰ 5	डॉ॰ जे॰ श्रीनिवास राव	वह डॉक्टर है जिसने दुली मुर्मु के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और **प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया।**
अ॰ सा॰ 6	सुभाष मुर्मु	उसने दुली मांझाइन (मृतका) को कांडू के घर से बहार आते देखा था।

3. <u>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क:-</u>

● अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे इस अपीलार्थी द्वारा किए गए हत्या के अपराध को सिद्ध करने में विफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्यों में महत्वपूर्ण लोप एवं विरोधाभासों का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया है।

● अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि तथाकथित चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 4 चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि उसके अभिसाक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। प्राथमिकी को देखते हुए, मृतका की मृत्यु सड़क पर हुई जबकि उसके अभिसाक्ष्य के मुताबिक वह घर में थी। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी के मुताबिक, अ॰ सा॰ 4 के समक्ष मौखिक मृत्यु कालिक कथन दिया गया था जबकि अभिसाक्ष्य विशेषत: मुख्य परीक्षण के मुताबिक इस गवाह ने मृतक द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। यह उसके अभिसाक्ष्य में मुख्य विरोधाभास है। मामला का यह पहलू विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यित नहीं किया गया है। प्राथमिकी में उल्लिखित घटनास्थल भी अ॰ सा॰ 4 मृतका का दामाद है और इसलिए वह इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि में काफी हितबद्ध था।

● अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 3 के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, वह मृतका की पुत्री है और अत्यन्त हितबद्ध गवाह है। उसने भी घटना स्थल का भिन्न विवरण दिया है जैसा प्राथमिकी में दिया गया है। मृतका ने अपने घर में उपहति पाने के बाद पानी मांगा। कोई नहीं जानता है कि क्या अ॰ सा॰ 3 अपने घर अर्थात अपने पति के घर के बारे में अथवा अपनी माता के घर के बारे में बात कर रही थी। अन्यथा भी, अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्य को देखते हुए किस प्रकार मृत शरीर घर से सड़क पर लाया गया था।

● अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1 अनुश्रुत गवाह है और न कि चश्मदीद गवाह। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 नहीं जानता है कि मृतक पुरुष था या स्त्री, विशेषत: उसके मुख्य परीक्षण को देखते हुए। यह परिलक्षित करता है कि वह तैयार किया गया गवाह है। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उसने एक तीसरा घटना स्थल दिया है क्योंकि प्राथमिकी के मुताबिक मृतका की मृत्यु सड़क पर हुई थी जबकि अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य के मुताबिक यह घर है और अ॰ सा॰ 1 के मुताबिक इस अपीलार्थी के घर के भीतर खुली लड़ाई हुई थी। इस प्रकार, प्रत्येक गवाह घटना स्थल बदल रहा है जिसका अर्थ है कि वे तैयार किये गए गवाह हैं और अविश्वसनीय हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन इस अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडित करते हुए नहीं किया गया है।

● अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि जहाँ तक घटना स्थल का संबंध है, इस अपीलार्थी का सर्वाधिक बहुमूल्य अधिकार अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्यों में महत्वपूर्ण लोप एवं विरोधाभास सिद्ध करने के लिए अन्वेषण अधिकारी का प्रति परीक्षण करने का अधिकार है जिसे सर्वाधिक निर्णायक गवाह का परीक्षण नहीं करके वापस ले लिया गया है जो अन्वेषण अधिकारी हैं।

● अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि एक अभियोजन गवाह अ॰ सा॰ 3 ने कथन किया है कि घर में रक्त का धब्बा था। मामला के इस पहलू पर समुचित रूप से अन्वेषण अधिकारी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सका था क्योंकि अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण कभी नहीं किया गया है। इस प्रकार, अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्य में मुख्य लोप एवं विरोधाभास है और अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन के प्रति घातक है और, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। यह अपीलार्थी 23 मई 2008 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा प्रस्तुत तर्क:–

● राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया अभियोजन गवाहों का मूल्यांकन करने में विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा गलती नहीं की गयी है। अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे इस अपीलार्थी द्वारा किए गए हत्या का अपराध सिद्ध किया है।

● राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने यह निवेदन भी किया है कि अ॰ सा॰ 4 (सूचक) घटना का चश्मदीद गवाह है। अ॰ सा॰ 4 द्वारा स्पष्टत: उल्लेख किया गया है कि मृतका जो सूचक के सास थी ने इस अपीलार्थी एवं एक अन्य अभियुक्त से कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा उपहति पाया। वह मृतका की आवाज सुनकर घटना स्थल पर गया और उसने मृतका को पानी भी दिया था। इस प्रकार मृतका सूचक से बात करने में सक्षम हुई थी। मृतका ने अ॰ सा॰ 4 के समक्ष यह कथन भी किया कि इस अपीलार्थी एवं एक अन्य अभियुक्त ने मृतका के शरीर पर उपहति कारित किया है।

● राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 3 ने संपूर्ण घटना का स्पष्ट विवरण दिया है। इन दोनों गवाहों अर्थात अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 ने घटना स्थल, घटना का समय, घटना का तरीका सिद्ध किया है और इस अपीलार्थी अभियुक्त की गलत पहचान का प्रश्न नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

● राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 5 द्वारा दिया गया चिकित्सीय साक्ष्य अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्यों का संपुष्टिकारी है।

● राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1 ने भी घटना का पूर्ण विवरण दिया है। अ॰ सा॰ 1 स्वतंत्र गवाह है। इस गवाह ने भी घटना स्थल, घटना का समय और यह तथ्य कि इस अपीलार्थी द्वारा मृतका के शरीर पर उपहति कारित की गयी थी, सिद्ध किया है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन गवाहों के साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में गलती नहीं की गयी है और, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा दांडिक अपील ग्रहण नहीं की जा सकती है।

कारण:

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए हम निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण **सत्र विचारण सं॰ 373 वर्ष 2008** में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ VI, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 27 अगस्त, 2010 एवं 31 अगस्त, 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को एतद्द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं:–

(i) अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे इस अपीलार्थी द्वारा किए गए हत्या का अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्यों में महत्वपूर्ण लोप एवं विरोधाभास हैं जिसका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

(ii) अ॰ सा॰ 4 सूचक एवं मृतका का दामाद है। हमने प्राथमिकी तथा अ॰ सा॰ 4 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य का परिशीलन किया है। उसके अभिसाक्ष्य में मुख्य विरोधाभास है। प्राथमिकी के मुताबिक, उसने विवरण दिया है कि वह घटनास्थल पर गया जो सड़क है और मृतका ने उसके समक्ष कथन किया था कि अपीलार्थी एवं एक अन्य अभियुक्त ने ''ठेंगा'' (काठ की छड़ी-कड़ा एवं भोथरे पदार्थ) से उपहति कारित किया था जबकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य के मुताबिक, उसके मुख्य परीक्षण को देखते हुए, उसने कथन नहीं किया है कि मृतका ने दो अभियुक्तों का नाम दिया था जिन्होंने मृतका को घातक उपहति कारित किया है। उसके अभिसाक्ष्य में मुख्य विरोधाभास है जिसका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

(iii) अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य को आगे देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 4 द्वारा घटना स्थल बदला गया है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है जिसने इस अपीलार्थी को आगे लोप, विरोधाभास एवं तात्विक सुधार सिद्ध करने से वंचित किया है।

(iv) अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य, विशेषत: प्रतिपरीक्षण को देखते हुए, उसने विवरण दिया है कि उसकी सास उसके घर आयी और तत्पश्चात उसकी मृत्यु तुरन्त हो गयी और प्रतिपरीक्षण के अंतिम पैराग्राफ में उसने कथन किया है कि जब पुलिस आयी, मृत शरीर सड़क पर था। अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि किस प्रकार मृत शरीर घर से सड़क पर लाया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामला के इस पहलू का भी समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। अ॰ सा॰ 4 इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि में एक अत्यन्त हितबद्ध गवाह है। वह मृतका का दामाद है। इस प्रकार, अ॰ सा॰ 4 अविश्वसनीय गवाह है। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य में मुख्य अंतर हैं। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य में मुख्य अंतर हैं।

(v) अ॰ सा॰ 3 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए, वह मृतका की पुत्री है और इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि में अत्यन्त हितबद्ध गवाह है। इसके अतिरिक्त, उसके अभिसाक्ष्य को देखते हुए, उसने घटना स्थल बदला है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मृतका की मृत्यु पानी पीने के बाद हो गयी जबकि प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि जब पुलिस आयी, मृत शरीर सड़क पर था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। अ॰ सा॰ 3 के प्रति परीक्षण को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और वह अविश्वसनीय गवाह है।

(vi) अ॰ सा॰ 1 के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि वह सहग्रामीण है और उसने प्राथमिकी में कथित घटना से भिन्न विवरण दिया है। अ॰ सा॰ 1 के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, संपूर्ण घटना अपीलार्थी के घर में हुई है जहाँ खुली लड़ाई हुई और तत्पश्चात मृतका सड़क पर आयी जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी जबकि अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य को देखते हुए मृतका अपने घर लौटी थी जहाँ पानी पीने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 द्वारा घटना स्थल को भिन्न-भिन्न विवरण दिया गया है।

(vii) अभियोजन द्वारा अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान मामला के विचित्र तथ्यों, विशेषत: अभियोजन गवाहों द्वारा घटना स्थल, रक्त धब्बा आदि के बारे में जो कथन किया गया है, को देखते हुए, इस मामला में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण अनिवार्य था। वस्तुत: विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अन्वेषण अधिकारी को लाना अभियोजन का कर्तव्य था। अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन के प्रति घातक है।

(viii) अब विचारण न्यायालय के लिए समय आ गया है कि नोटिस जारी किए जाने के बाद भी यदि अन्वेषण अधिकारी न्यायालय नहीं आ रहा है, विद्वान विचारण न्यायालय को वेतन या पेंशन का भुगतान रोकने का आदेश पारित करना चाहिए ताकि गवाह तुरन्त न्यायालय आए। डॉक्टर और/अथवा अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं करना राज्य में फैशन बन गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कठोर आदेश पारित करके स्थिति से बचा जा सकता था। यदि अभियोजन अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल हो रहा है, विचारण न्यायालय मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है। जब कभी भी कोई अन्वेषण अधिकारी अथवा डॉक्टर समन जारी किए जाने के बाद सत्र मामलों में विचारण न्यायालय नहीं आ रहा है जहाँ उसकी गवाह के रूप में उपस्थिति अनिवार्य है, हम एतद् द्वारा विचारण न्यायालय को अन्वेषण अधिकारी एवं डॉक्टर के वेतन का भुगतान रोकने के लिए आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं और यदि वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, विचारण न्यायालय को उनके पेंशन का भुगतान रोकना चाहिए। **झारखंड राज्य बना संजय मंडल,** 2013(4) JLJR 157 **[: 2013 (4) JBCJ 517]**, में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कभी भी कोई अन्वेषण अधिकारी अथवा डॉक्टर साक्ष्य देने न्यायालय नहीं आ रहा है, विचारण न्यायालय अन्वेषण अधिकारी अथवा डॉक्टर अथवा अन्य सरकारी अधिकारियों जो अपनी उपस्थिति के लिए समन जारी किए जाने के बाद न्यायालय में साक्ष्य देने से बच रहा है का वेतन अथवा पेंशन रोकने का आदेश पारित कर सकता है। उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की विशेष अनुमति (दांडिक) सं॰ 5590-5591 वर्ष 2013 में चुनौती दी गयी थी जिसे दिनांक 26 जुलाई, 2013 के आदेश के तहत खारिज किया गया था।

(ix) **राजू बनाम तमिलनाडु राज्य, (2012)12 SCC 701 [: 2013 (1) JBCJ 189 (SC)],** पैराग्राफ 24, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *''24.* ***इस समय हमारा सरोकार गवाहों की चार कोटियों के साथ है.*** *–एक तृतीय पक्ष जो गैर हितबद्ध एवं गैर संबंधी गवाह (जैसे दर्शक या राहगीर); एक तृतीय हितबद्ध पक्ष (जैसे ट्रैप गवाह के रूप में), एक संबंधित और इसलिए हितबद्ध गवाह (जैसे पीड़ित की पत्नी) जो यह देखने के लिए हितबद्ध है कि अभियुक्त दंडित किया जाय; एक संबंधित और इसलिए अभियुक्त को दंडित होता देखने के लिए हित रखने वाला और अभियुक्त के साथ कुछ दुश्मनी रखने वाला। किंतु गवाहों के कोटिकरण से अधिक विवाद्यक वस्तुतः गवाह के साक्ष्य के अधिमूल्यन का है।* ***न्यायालय को अहितबद्ध एवं असंबंधित तृतीय पक्ष गवाहों के साक्ष्य की तुलना में अभियुक्त को दंडित देखने में हित रखने वाले और अभियुक्त के साथ कुछ दुश्मनी रखने वाले संबंधित एवं हितबद्ध गवाह के साक्ष्य का परीक्षण अधिक सतर्कता एवं सावधानी के साथ करना चाहिए। यही अपेक्षित एवं आवश्यक है।''*** *(जोर दिया गया)*

(x) **मो॰ इशाक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2013) 14 SCC 581,** पैराग्राफ 15 एवं 17 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

''15. हरि ओबुला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में इस न्यायालय ने ध्यान में लिए जाने के लिए चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का संवीक्षण करते हुए कतिपय मोटे दिशा निर्देशों को अधिकथित किया; निर्णय के पैरा 13 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित कियाः (SCC pp 683-84)

''13. .... किंतु यह सुस्थापित है कि हितबद्ध साक्ष्य आवश्यकतः अविश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। पक्षपात भी स्वयं में शपथ पर दिया गया साक्ष्य ठुकराने के लिए वैध आधार नहीं है। न ही इसे अपरिवर्तनीय नियम के रूप में अधिकथित किया जा सकता है कि हितबद्ध साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार कभी नहीं निर्मित कर सकता है जब तक स्वतंत्र गवाहों द्वारा तात्विक विशिष्टियों में तात्विक सीमा तक संपुष्ट नहीं किया गया है। ***आवश्यक केवल यह है कि हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य को सावधानीपूर्ण संवीक्षण के अध्यधीन एवं सतर्कता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।*** *यदि ऐसे संवीक्षण पर हितबद्ध परिसाक्ष्य को अंतर्निहित रूप से विश्सनीय अथवा अंतर्निहित रूप से अधिसंभाव्य पाया जाता है, यह स्वयं में मामला विशेष की परिस्थितियों में उस पर दोषसिद्धि आधारित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है।* ***यद्यपि साक्ष्य के अधिमूल्यन के मामला में कठोर नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता है, फिर भी, अधिकांश मामलों में, हितबद्ध अथवा पक्षपाती गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में यह इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहले कदम के रूप में लाभप्रद है कि क्या तात्विक समय पर अपराध स्थल पर गवाह की उपस्थिति अधिसंभाव्य थी।*** *यदि ऐसा है, क्या गवाहों द्वारा वर्णित कथा का आधार, अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्य के साथ संगत होने के चलते, मानव घटनाओं का स्वाभाविक क्रम, इर्दगिर्द की परिस्थितियाँ और मामला की अंतर्निहित अधिसंभाव्यताएँ ऐसे हैं जो विवेकशील व्यक्ति को आश्वस्त करेगा। यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है और गवाह का साक्ष्य न्यायालय को लगभग त्रुटिरहित तथा संदेह मुक्त प्रतीत होता है, यह किसी अन्य स्रोत से संपुष्टि इप्सित किए बिना इसे स्वीकार कर सकता है। चूँकि त्रुटिपूर्ण विश्व में उत्कृष्टता शायद ही पायी जानी है और गवाह का साक्ष्य, खास कर हितबद्ध गवाह का साक्ष्य, सामान्य अलंकरण एवं अतिशयोक्ति से भरा रहता है चाहे यह मुख्य रूप से कितना भी सत्य हो, न्यायालय कुछ आश्वासन मांग सकता है जिसकी प्रकृति एवं सीमा उसके हितबद्ध परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाने के पहले स्वतंत्र साक्ष्य परिस्थितिजन्य अथवा प्रत्यक्ष, से मामला विशेष की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहेगी।* ***हम पुनः जोर दे सकते हैं कि ये केवल मोटे दिशानिर्देश हैं जो प्रायः हितबद्ध परिसाक्ष्य निर्धारत करने में लाभदायी हो सकते हैं और समस्त स्थितियों में एक रूपता से प्रयोज्य कठोर नियम नहीं हैं।''***

17. इस संबंध में जयश्री यादव बनाम उ० प्र० राज्य में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया ***कि क्या गवाह हितबद्ध व्यक्ति हैं और क्या उन्होंने कुछ हेतु से अभिसाक्ष्य दिया था, यह गवाह की विश्वसनीयता जाँचने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है, बल्कि मुख्य मापदंड यह होगा कि क्या घटनास्थल पर उनकी सशरीर उपस्थिति संभव एवं अधिसंभाव्य थी।''*** *(जोर दिया गया)*

(xi) **धनराज बनाम हरियाणा राज्य, (2014)6 SCC 745 [: 2014 (3) JLJ 84 (SC)],** में प्रकाशित मामलों में पैराग्राफ 16 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है उसका पठन निम्नलिखित है:–

''16. राज सिंह के बयान के मुताबिक तीन अभियुक्त मृतक को पूछते हुए आए थे किंतु अन्य संपुष्टिकारी साक्ष्य तथा स्वतंत्र साक्ष्य की अनुपस्थिति में, यह स्थापित नहीं

होता है कि अपीलार्थी अभियुक्त ने अपराध की कारिता में सहअभियुक्त संजय को दुष्प्रेरित किया था। इसके अतिरिक्त, यह बचाव मामला हो सकता है कि उक्त बयान अभियोजन मामला मजबूत करने के लिए पश्चात-विचार के रूप में जोड़ा गया है। ***हमने अभिलेख पर कोई ऐसी सामग्री नहीं पाया है जिसने राज सिंह जो हितबद्ध गवाह है का बयान संपुष्ट करता हो। इसके अतिरिक्त, कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जो अपराध की कारिता के स्थल के निकट अभियुक्त-अपीलार्थी की उपस्थिति स्थापित अथवा उपदर्शित करता है।*** *इसके अतिरिक्त, जैसा विचारण न्यायालय द्वारा बादल के विचारण में गौर किया गया है, आसपास के कच्चा क्षेत्र जहाँ मृतक का शरीर पाया था में पद चिन्ह नहीं पाया गया था।''*

(जोर दिया गया)

(xii) **अरूण भानुदास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008)11 SCC 232** में प्रकाशित मामले में पैराग्राफ 24 एवं 25 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

''24. अ० सा० सुंदरबाई हितबद्ध गवाह है और चिकित्सा अधिकारी सहित स्वतंत्र गवाह से संपुष्टि के बिना उसका परिसाक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए आँखे मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक राजू होश में आया था जब वह उससे अस्पताल में मिली और अपीलार्थी अरूण को उसके दो सहयोगियों के साथ हमलावर के रूप में नामित किया जिन्होंने मृतक के शरीर पर चाकू से उपहति कारित किया। ***उसका परिसाक्ष्य एक अन्य कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज अपने बयान में कथन नहीं किया कि अपनी मृत्यु के पहले घायल राजू ने अपीलार्थी को हमलावर के रूप में नामित किया था और पहली बार न्यायालय में उसने उक्त बयान दिया।***

25. ***यह सुस्थापित विधि है कि मृतक द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन को सतर्कता के साथ ग्रहण किया जाना चाहिए चूँकि बयान देने वाले को किसी प्रति परीक्षण के अध्यधीन नहीं किया जा सकता है।*** *वर्तमान मामला में, स्वीकृत रूप से, अभिकथित मृत्युकालिक कथन किसी डॉक्टर अथवा किसी स्वतंत्र गवाह के समक्ष नहीं किया गया था, बल्कि केवल माता को दिया गया था जो जैसा कथन उपर किया गया है केवल अगले दिन अपराह्न लगभग 3.30 बजे अस्पताल पहुँची जब डॉ० नितिन ने पहले ही राजू का उसकी उपहतियों के लिए ऑपरेशन किया था और तत्पश्चात वह अपनी नासिका में ऑक्सीजन ट्यूब लगाए हुए बेहोश दशा में बिस्तर पर पड़ा था। अभियोजन ने यह सिद्ध करने के लिए कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र अभिलेख पर नहीं लाया है कि मृतक ऑपरेशन के बाद अपनी माता के समक्ष मृत्युकालिक कथन करने की स्वस्थ दशा में था।* ***अभियोजन द्वारा विश्वास किए गए एवं विचारण न्यायालय द्वारा एवं उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए मृतक राजू द्वारा अपनी माता अ० सा० सुंदरबाई को दिए गए अभिकथित मौखिक मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य हमारे दृष्टिकोण में तर्कपूर्ण संतोषजनक एवं विश्वासोत्पादक यह अभिनिर्धारित करने के लिए नहीं था कि मृतक राजू अपनी मृत्यु के पहले अपनी माता को मौखिक मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ दशा में था।***

(xiii) जब कभी भी कोई निकट संबंधी अभिसाक्ष्य दे रहा है, न्यायालय को समस्त चौकसी के साथ उसके अभिसाक्ष्य को देखना होगा। इस मामला में, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 दोनों मृतक के निकट संबंधी हैं और जैसा कथन यहाँ ऊपर किया गया है, उनके अभिसाक्ष्य में मुख्य लोप एवं विरोधाभास है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के समेकित प्रभाव के कारण हम सत्र विचारण सं॰ 373 वर्ष 2008 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ VI पूर्वी सिंहभूम,

जमशेदपुर द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 27 अगस्त, 2010 तथा 31 अगस्त, 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को एतद्द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं। अपीलार्थी अर्थात कान्डू मुर्मु उर्फ खांडू मुर्मु जो अभिरक्षा में है तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामलों में उसकी आवश्यकता नहीं है।

7. तदनुसार, यह दांडिक अपील अनुज्ञात की जाती है और निपटायी जाती है।

माननीय एच॰ सी॰ मिश्रा एवं रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्तिगण

बहादुर सिंह मुंडा उर्फ बहादुर पहान

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 490 of 2009. Decided on 4th October, 2018.

एस॰ टी॰ सं॰ 57 वर्ष 2006 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 30.1.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 2.2.2009 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 302—जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धाराएँ 3 एवं 4—हत्या—जादूटोना का संदेह—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश—मामला केवल दो चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर आधारित है जिसके घर में मृतका महिला की हत्या कारित की गयी थी—मृतका महिला दूसरे गाँव की निवासी थी तथा इन गवाहों के परिवार के लिए बाहरी व्यक्ति थी—वह अभिकथित रूप से इन गवाहों के घर गयी थी जहाँ उसकी हत्या की गयी थी—अभिलेख पर इसको लेकर कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका किसी प्रकार से इन गवाहों से संबंधित थी—इन परिस्थितियों में, अगर मृत्युपूर्व रक्तस्राव की उपहतियों के साथ शव जो उनके घर से पाया गया था, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था, प्रथम संदेह स्वाभाविक रूप से इन गवाहों के विरूद्ध सृजित होता है—ये गवाह अत्यंत हितबद्ध गवाह बन गये तथा उन परिस्थितियों को सिद्ध करना उनका कर्तव्य था जिनमें शव उनके घर से पाया गया था—चश्मदीद गवाहों द्वारा पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गयी थी जो उनके विवरण के बारे में पर्याप्त संदेह उत्पन्न करता है—यद्यपि सूचनादाता ने अपराध कारित करने के बारे में कुछ मंशा होने का अभिकथन किया है, किन्तु मंशा अपराध कारित करने का तात्कालिक हेतुक नहीं था, बल्कि हेतुक लगभग पाँच वर्ष पुरानी थी—पुलिस ने सुविधाजनक रूप से उसी दिन सभी गवाहों के बयान अभिलिखित किये हैं तथा कोई स्वतंत्र अन्वेषण किये बगैर उन्होंने आरोपपत्र प्रस्तुत किया है—रक्त रंजित मिट्टी या कपड़े भी पुलिस द्वारा जब्त नहीं किये गये हैं—पुलिस द्वारा किया गया अन्वेषण पूरी तरह से लापरवाही से किया गया है—अपीलार्थी कम से कम संदेह का लाभ प्रदान किये जाने का हकदार था—अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है—अपीलार्थी को संदेहों का लाभ प्रदान किया गया तथा आरोपों से दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 13 एवं 14)

अधिवक्तागण.—Mr. S.S. Choudhary, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी एस॰ टी॰ सं॰ 57 वर्ष 2006 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 30.1.2009 के आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 2.2.2009 के दण्डादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा एकल अपीलार्थी बहादुर सिंह मुंडा उर्फ बहादुर पहान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है। दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवायी करने पर, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने एवं 2,000/- रूपये के जुर्माने का भुगतान करने तथा जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4 के अधीन प्रत्येक अपराध के लिए तीन महीनों का कठोर कारावास भुगतने से दण्डित किया गया है तथा सभी दण्डादेश साथ साथ चलेंगे।

3. अभियोजन मामला ग्राम परेया, थाना कुचई, जिला सरायकेला में किसी बहादुर मुंडा के घर पर 27.9.2004 को लगभग 11.00 बजे प्रात: में अभिलिखित मृतका लुडारी मुंडाइन के पति सूचक गुरू मुंडा के फर्दबयान के आधार पर संस्थापित किया गया था, जिसमें उसने कथन किया कि पिछले दिन 26.9.2004 को लगभग 12:00 बजे उसकी पत्नी लुडारी मुंडारिन दलभंगा हाट गयी थी, किन्तु चूँकि वह शाम तक वापस नहीं लौटी थी, सूचनादाता ने सोचा कि वह किसी रिश्तेदार के घर चली गयी होगी। 27.9.2004 को परेया गाँव का बहादुर मुंडा चौकीदार के साथ लौटा तथा सूचित किया कि उसकी पत्नी पिछली शाम में बाजार से लौटते समय लगभग 7:00 बजे उसके घर आयी थी, और वे घर में बात कर रहे थे। इस बीच, अभियुक्त बहादुर पहान फरसा से लैस होकर आया तथा लुडारी मुंडाइन पर फरसा से शरीर के विभिन्न भागों पर प्रहार किया, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी एवं तत्पश्चात अभियुक्त उसे धमकी देते हुए भाग गया। अभियुक्त की गाँव में भी तलाश की गयी थी, किन्तु उसे पाया नहीं जा सका था तथा तत्पश्चात 27.9.2004 को सुबह में उक्त बहादुर मुंडा सूचक को उसकी पत्नी की मृत्यु के बारे में सूचित करने आया था। सूचना पाकर, वह बहादुर मुंडा के घर चला गया तथा अपनी पत्नी का शव पाया जिसके शरीर पर रक्तस्राव की उपहतियाँ थी। उसने कहा है कि पाँच वर्ष पहले, अभियुक्त बहादुर पहान की पत्नी की मृत्यु हो गयी थी तथा वह सूचनादाता की पत्नी के विरूद्ध जादूटोना करने का आरोप लगा रहा था, तथा यह अभिकथित किया गया है कि उक्त शत्रुता के कारण, अपराध कारित किया गया था। सूचनादाता गुरू मुंडा के फर्दबयान के आधार पर, अभियुक्त बहादुर पहान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 तथा जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4 के अधीन अपराध के लिए जी॰ आर॰ सं॰ 707 वर्ष 2004 के तत्सम कुचाई थाना केस संख्या 27 वर्ष 2004 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण ग्रहण किया गया था। अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने मामले में आरोपपत्र पेश किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये जाने के उपरांत, अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था तथा अभियुक्त के दोषी न होने का अभिवचन करने तथा विचारण किये जाने का दावा करने पर, उसे विचारण पर रखा गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन द्वारा अन्वेषण पदाधिकारी एवं डॉक्टर जिन्होंने मृतका के शव की शव परीक्षा की थी, समेत आठ गवाहों की परीक्षा की गयी थी।

5. अ॰ सा॰ 4 गुरू मुंडा मामले का सूचनादाता तथा मृतका का पति है, जबकि अ॰ सा॰ 7 शिवचरण सिंह मुंडा मृतका का पुत्र है। इन दोनों गवाहों ने घटना के अनुश्रुत गवाह के तौर पर मामले का समर्थन किया है, यह कथन करते हुए कि पिछले दिन मृतका बाजार गयी थी तथा अगले दिन बहादुर मुंडा उनके घर आया था तथा उन्हें घटना के बारे में सूचित किया था, यह कथन करते हुए कि अभियुक्त बहादुर पहान द्वारा मृतका महिला पर फरसा से प्रहार करके हत्या की गयी थी, जिसपर वे बहादुर मुंडा के घर गये तथा रक्तस्राव की उपहतियों के साथ शव देखा। अ॰ सा॰ 7 शिव चरण सिंह मुंडा ने कथन किया है कि अभियुक्त उसकी मां को डायन बताया करता था, किन्तु यह तथ्य अ॰ सा॰ 4 गुरू मुंडा मृतका के पति द्वारा अपने साक्ष्य में कथित नहीं किया गया है। उसने कथन किया है कि शव देखने के उपरांत, उसने पुलिस को सूचित किया तथा अपना फर्दबयान दिया, जिसपर उसने अपने बायें अंगूठे का निशान लगाया। इन गवाहों के प्रति परीक्षण में इस तथ्य के सिवाय कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि बचाव पक्ष ने घटना के चश्मदीद गवाहों को सुझाव दिया था, जिसके घर में घटना हुई थी कि मृतका गहने पहने हुए थी तथा गहनों के लालच में स्वयं गवाहों द्वारा अपने घर में मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी थी तथा अभियुक्त को झूठमूठ फंसाया गया था। अ॰ सा॰ 4 गुरू मुंडा ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसकी पत्नी के पास गहने नहीं थे।

6. अ॰ सा॰ 5 दुर्गा मुंडा एवं अ॰ सा॰ 6 लालू सिंह मुंडा ने घटना के अनुश्रुत गवाहों के तौर पर मामले का समर्थन किया है, यह कथन करते हुए कि अगले दिन उन्हें घटना के बारे में सूचना मिली थी, तथा उन्होंने मृतक का शव दिया था। अ॰ सा॰ 5 दुर्गा मुंडा शव की मृत्यु समीक्षा का भी गवाह है, जिसपर उसने अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

7. मामले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह अ॰ सा॰ 2 गोमा मुंडाइन तथा अ॰ सा॰ 3 बहादुर मुंडा हैं, जो पत्नी तथा पति हैं तथा जिसके घर में मृतका की हत्या कारित की गयी थी। इन दोनों गवाहों ने कथन किया है कि शाम में लूडारी मुंडाइन उनके घर गयी थी तथा जब वे बात कर रहे थे, अभियुक्त बहादुर पहान फरसा से लैस होकर आया तथा उसपर प्रहार किया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा इसके उपरांत वह भाग गया। उसकी गाँव में भी तलाश की गयी थी, किन्तु उसे पाया नहीं जा सका था। तत्पश्चात चौकीदार एवं मृतका के पति को अगले दिन सूचित किया गया था, जो आये एवं शव देखा एवं तत्पश्चात पुलिस को भी सूचित किया गया था। यद्यपि अ॰ सा॰ 2 गोमा मुंडाइन ने कथन किया है कि घटना रात्रि में लगभग 8:30 बजे घटित हुई थी किन्तु अ॰ सा॰ 3 बहादुर मुंडा ने कथन किया है कि घटना शाम में लगभग 7:00 बजे घटित हुई थी। अ॰ सा॰ 2 गोमा मुंडाइन ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी कथन किया है कि इन गवाहों के घर तथा सूचनादाता के घर के बीच की दूरी केवल 1/2 किलोमीटर है, तथा दलभंगा पुलिस चौकी उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अ॰ सा॰ 3 बहादुर पहान ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि इन गवाहों के घर तथा सूचनादाता के घर के बीच की दूरी केवल 1 किलोमीटर है तथा पुलिस चौकी इससे थोड़ा दूर स्थित है। इन दोनों ने कथन किया है कि पुलिस ने उनके घर से रक्तरंजित कपड़े तथा मिट्टी जब्त की थी। इन दोनों गवाहों ने इस सुझाव से इनकार किया है कि महिला के गहनों के लालच में, उन्होंने मृतका की हत्या कर दी थी तथा उन्होंने अपीलार्थी को झूठमूठ फंसा दिया है।

8. अ॰ सा॰ 1 (डॉ॰) प्रदीप कुमार पाती ने 27.9.2004 को मृतका के शव का शव परीक्षण संचालित किया था तथा मृतका के शव पर निम्नलिखित उपहतियाँ पायी थी:—

(1) बायें पेराईटल क्षेत्र पर मस्तिष्क द्रव्य पर 5" x 1" गहरा छिन्न जख्म।

(2) गर्दन पर दो छिन्न जख्म। पहला दो परिवर्तनीय कॉलम का 10" x 3" आकार का मैंडिबल के नीचे। दूसरा श्वास नली, आहार नली, नलिकायें एवं मुलायम उत्तकों को काटते हुए वर्टीब्रल कॉलम तक गहरा 10" x 3 1/2" आकार का गर्दन के सामने वाले भाग को काटते हुए।

(3) यकृत तथा आंत के छल्लों को काटते हुए आंत्रीय गुहा तक गहरा उदर के पिछले भाग की दीवाल तक गहरा 12" x 4 1/2" आकार का छिन्न जख्म। दोनों भागों के निचली पसलियाँ भी कटी हुई थी अर्थात् नाभी के 5" उपर।

(4) उदर के पिछली दीवार पर बायें भाग पर 5" x 4" आकार का गुहा की गहरायी तक गया छिन्न जख्म तथा आंत के छल्ले ऐंठे हुए थे।

उन्होंने कथन किया है कि सभी उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति के थे तथा तेज धारदार हथियार द्वारा कारित किये गये थे, जो कि फरसा हो सकता है तथा उपहतियाँ गंभीर प्रकृति की थी। मृत्यु उपहतियों के परिणामस्वरूप हुये सदमा तथा रक्तस्राव के कारण कारित हुई थी। इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि मृत्यु के समय से गुजरा समय 4 घंटे के भीतर का है, किन्तु यह कलम की चूक प्रतीत होती है क्योंकि शव परीक्षण रिपोर्ट में गुजरा समय 24 घंटे के भीतर का दर्शाया गया है। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट अपनी लिखावट में तथा हस्ताक्षर के साथ होना सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 8 अरविंद कुमार मांझी मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। यह गवाह ने कथन किया है कि 27.9.2004 को जब वह कुचई थाने के प्रभारी पदाधिकारी के तौर पर तैनात था, उसे अफवाह के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि ग्राम परेया में एक महिला की हत्या कर दी गयी थी। उसने इस सूचना के बारे में सनहा प्रविष्टि की थी तथा घटनास्थल की ओर रवाना हो गया था। उसने कथन किया है कि घटनास्थल ग्राम परेया में अवस्थित बहादुर मुंडा का मकान है, जिसमें उसने मृतका का शव पाया था तथा उसे सूचित किया गया था कि अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या की गयी थी। उसने शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उसने सिद्ध किया है तथा इसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। उसने मृतका के पति का फर्दबयान भी सिद्ध किया है, जिस प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था तथा फर्दबयान पर पृष्ठांकन एवं औपचारिक प्राथमिकी भी उसके द्वारा सिद्ध की गयी है, जिसे प्रदर्श 3/1 एवं 3/2 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसने गवाहों के बयान अभिलिखित किये थे तथा उसने शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया था तथा अभियुक्त को फरार दर्शाते हुए आरोपपत्र पेश किया था। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि उसने सभी गवाहों के बयान 27.9.2004 को ही अभिलिखित किये थे। उसने यह भी कथन किया है कि सूचनादाता के गाँव तथा घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है तथा उसने मृतका के पति द्वारा दी गयी सूचना पर मामला संस्थापित किया था, जो सूचना उसने बहादुर मुंडा से प्राप्त किया था। उसने कथन किया है कि सूचना देने के लिए कोई भी थाना में नहीं आया था, तथा बहादुर मुंडा या उसके परिवार के किसी सदस्य को मामले का सूचनादाता नहीं बनाया गया था। उसने यह भी कहा है कि उसने घटनास्थल से कोई रक्तरंजित कपड़ा या हथियार जब्त नहीं किया था तथा बहादुर मुंडा एवं उसकी पत्नी के सिवाय कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। उसने बहादुर मुंडा एवं उसकी पत्नी के विरूद्ध कोई संदेह होने से इनकार किया है। उसने त्रुटिपूर्ण अन्वेषण करने के सुझाव से इनकार किया है।

10. अभियुक्त का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध साक्ष्य होने से इनकार किया है। मामले में बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में विफल रहा है क्योंकि घटना के केवल दो गवाह हैं जो अ॰ सा॰ 2 गोमा मुंडाइन तथा अ॰ सा॰ 3 बहादुर मुंडा हैं जिसके घर में शव पाया गया था। यह निवेदन किया गया है कि मृतका एक भिन्न गाँव की निवासी थी तथा यह संदेहास्पद है कि मृतका उनके घर कैसे गयी थी तथा केवल इन दो गवाहों के साक्ष्य के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है, जो झूठा फंसाये जाने का एक मामला हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि घटना का कोई अन्य चश्मदीद गवाह नहीं है तथा पुलिस चौकी तथा सूचनादाता का घर भी लगभग केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर था, फिर भी उसी रात्रि में न तो पुलिस को और न ही सूचनादाता को कोई सूचना दी गयी थी, यद्यपि घटना शाम में लगभग 7:00 बजे घटित हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले के अन्वेषण पदाधिकारी ने केवल गवाहों द्वारा उसे दी गयी सूचना के आधार पर लापरवाही भरा अन्वेषण किया है एवं मामले में स्वतंत्र अन्वेषण नहीं किया है। रक्तरंजित मिट्टी तथा मृतका के कपड़े भी पुलिस द्वारा जब्त नहीं किये गये थे तथा अपराध का हथियार भी जब्त नहीं किया गया था। दोनों चश्मदीद गवाहों जिनके घर में एक भिन्न गाँव के महिला का शव पाया गया था, के बयान के आधार पर ही पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, यह उपयुक्त मामला है जिसमें अपीलार्थी को संदेहों का लाभ दिया जाना चाहिए था।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है तथा निवेदन किया कि मामले का घटना के चश्मदीद गवाहों द्वारा पूरी तरह से समर्थन किया गया है, जो अ॰ सा॰ 2 गोमा मुंडाइन तथा अ॰ सा॰ 3 बहादुर मुंडा हैं, जो पत्नी तथा पति हैं, तथा जिनके घर में घटना घटित हुई थी। वे घटना के स्वाभाविक गवाह हैं तथा अन्य गवाहों ने भी अनुश्रुत गवाहों के तौर पर मामले का समर्थन किया है। गवाहों में से किसी ने भी इन दो गवाहों के विरूद्ध कोई संदेह नहीं किया है तथा इन गवाहों का चश्मदीद साक्ष्य अ॰ सा॰ 1 (डॉ॰) प्रदीप कुमार पाती के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से सम्पोषित किया गया है, तथा उनके द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 के तौर पर सिद्ध किया गया है, जो दर्शाता है कि मृतका के शव पर तेज धारदार हथियार से कटने की कई उपहतियाँ पायी गयी थी, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। तद्नुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश में कोई अवैधता नहीं है, तथा इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर एवं अभिलेख का परिशीलन करके, हम पाते हैं कि मामला केवल दो चश्मदीद गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 2 गोमा मुंडाइन तथा अ॰ सा॰ 3 बहादुर मुंडा के साक्ष्य के आधार पर टिका है, जिनके घर में मृतका महिला की हत्या कारित की गयी थी। स्वीकृत रूप से, मृतका महिला एक भिन्न गाँव की निवासी थी तथा इन गवाहों के परिवार की सदस्य नहीं थी। यह अभिकथन किया गया है कि वह इन गवाहों के घर गयी थी जहाँ उसकी हत्या कारित की गयी थी। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका किसी प्रकार से इन गवाहों से संबंधित थी, तथा इन

परिस्थितियों में, अगर मृत्यु पूर्व रक्तस्राव की उपहतियाँ जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, के साथ उनके घर में शव पाया गया था, प्रथम संदेह स्वयं इन गवाहों के विरूद्ध स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। ये गवाह अत्यंत हितबद्ध गवाह बन गये, तथा उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना उनका कर्तव्य था जिनमें शव उनके घर में पाया गया था। अगर वे अभिकथित करते हैं कि अपराध किसी अभियुक्त द्वारा किया गया है, जो एक बाहरी व्यक्ति भी है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होगी कि वे बिना कोई समय गँवाये पहली बार में ही पुलिस एवं मृतका के परिवार के सदस्यों को सूचित करेंगे। वर्तमान मामले में, यद्यपि घटना लगभग 7:00 बजे शाम में घटित हुई थी, किन्तु गृहस्वामियों द्वारा मृतका के पति को भी सूचित नहीं किया गया था यद्यपि स्वीकृत रूप से वह केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे। पुलिस चौकी की दूरी लगभग इतनी ही है, किन्तु चश्मदीद गवाहों द्वारा पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गयी थी, जो उनके वृतांत के बारे में काफी संदेह उत्पन्न करता है। हम यह भी पाते हैं कि सूचनादाता ने अपराध की कारिता के बारे में कुछ मंशा होने का भी अभिकथन किया है, किन्तु वह मंशा अपराध कारित करने की तात्कालिक मंशा नहीं थी, बल्कि मंशा लगभग 5 वर्ष पुरानी है, क्योंकि प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि लगभग 5 वर्ष पहले अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु हो गयी थी तथा वह सूचनादाता की पत्नी के विरूद्ध जादूटोना करने का आरोप लगा रहा था। ऐसी दूरस्थ मंशा अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने तथा दण्डादेश देने का आधार निर्मित नहीं कर सकता है, विशेषकर इस तथ्य की दृष्टि में कि दोनों चश्मदीद गवाहों जिसके घर में हत्या कारित की गयी थी, का आचरण अति संदेहास्पद है, क्योंकि उन्होंने न तो पुलिस को और न ही सूचनादाता को घटना की शाम में ही कोई सूचना दी थी, यद्यपि सूचनादाता एवं पुलिस की मौजूदगी उनके घर से केवल कुछ ही दूरी पर थी। हम अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह भी पाते हैं कि मामले में पुलिस द्वारा व्यावहारिक रूप से कोई अन्वेषण नहीं किया गया था। पुलिस ने अत्यन्त हितबद्ध गवाहों के बयान पर पूरी तरह से भरोसा किया है, तथा आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के बयान अभिलिखित करके उनके बयानों की सत्यता का परीक्षण करने का कोई कष्ट नहीं उठाया है। घटना का समय लगभग शाम में 7:00 बजे का होने के कारण तथा घटना की प्रकृति ऐसी होने के कारण जिसने उस समय काफी शोरगुल उत्पन्न किया होता, आसपास के व्यक्तियों की परीक्षा नहीं किये जाने ने भी अभियोजन मामले को अत्यंत संदेहजनक बना दिया है। पुलिस ने सुविधाजनक रूप से उसी दिन सभी गवाहों के बयान अभिलिखित किया है तथा कोई स्वतंत्र अन्वेषण किये बगैर आरोपपत्र प्रस्तुत किया है। रक्तरंजित मिट्टी एवं कपड़े भी पुलिस द्वारा जब्त नहीं किये गये थे। पुलिस द्वारा किया गया अन्वेषण पूरी तरह से लापरवाही भरा है, बल्कि वर्तमान मामले में इसके नाम के योग्य कोई अन्वेषण ही नहीं हुआ है। हमारा सुविचारित मत है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यद्यपि दोनों अत्यंत हितबद्ध चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, फिर भी अपीलार्थी कम से कम संदेहों का लाभ पाने का हकदार था। इस प्रकार, अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखे जा सकते।

14. पूर्वगामी कारणों से, अपीलार्थी बहादुर सिंह मुंडा उर्फ बहादुर पहान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 तथा जादूटोना (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4 के अधीन अपराध के लिए एस॰ टी॰ सं॰ 57 वर्ष 2006 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक

30.1.2009 के आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 2.2.2009 के दण्डादेश एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को संदेहों का लाभ दिया जाता है तथा उसे आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी दण्डादेश भुगतते हुए अभिरक्षा में है। उसे तुरंत निर्मुक्त करने तथा स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है, अगर किसी अन्य मामले में उसका निरोध आवश्यक नहीं हो।

15. तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है। अवर न्यायालय अभिलेख तुरंत संबंधित न्यायालय को इस निर्णय की एक प्रति के साथ भेजे जायें।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

रबि लोहार एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (SJ) No.360 of 2005. Decided on 4th October, 2018.

एस॰ टी॰ केस सं॰ 374 वर्ष 1994 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 3.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दोनों के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 324/34—अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958—धारा 4—घोर उपहति—सामान्य आशय—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश—सूचनादाता के पुत्र ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसपर अभियुक्त द्वारा तलवार से प्रहार किया गया था जिसके कारण उसे उसकी हथेली पर उपहतियाँ आयी थी तथा उपहतियों के निशान न्यायालय को दिखाये गये हैं—चूँकि प्रहार अंधाधुंध नहीं किया गया था, अतः विचारण न्यायालय ने उपयुक्त प्रकार से अपीलार्थीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन आरोप से दोषमुक्त करके भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 324/34 के अधीन अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है—अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य पर विचार करते हुए हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है—निवेदनों तथा इसपर भी विचार करते हुए कि उपहति रिपोर्टें अभिलेख पर नहीं लायी गयी है तथा घटना वर्ष 1993 की है तथा अभिकथनों की प्रकृति तथा इसपर विचार करते हुए कि अपीलार्थीगण को पहले से दोषसिद्ध नहीं किया गया है, अपीलार्थीगण को समाज में शांति तथा सद्व्यवहार बनाये रखने के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया—दण्डादेश में उपान्तरण के साथ दाण्डिक अपील खारिज। (पैराएँ 14 एवं 15)

अधिवक्तागण.—Mr. S. K. Lall, For the Appellants; Mr. Vikash Kishore, For the State.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस॰ के॰ लाल तथा राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री विकास किशोर को सुना।

2. वर्तमान दाण्डिक अपील एस॰ टी॰ केस सं॰ 374 वर्ष 1994 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 3.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दोनों के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण रबि लोहार एवं लाल सिंह लोहार को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए दो वर्षों का

कठोर कारावास भुगतने एवं 3000/- रूपया का जुर्माना का भुगतान करने का दण्ड सुनाया है तथा जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में पुनः एक महीने का कठोर कारावास भुगतने से दण्डित किया गया है। जहाँ तक अपीलार्थी घांसी राम लोहार का संबंध है, उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है तथा जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में, अपीलार्थी पंद्रह दिनों का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

3. अभियोजन मामला सूचक सोनू लोहार (अ॰ सा॰ 2) द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, राजनगर थाना के समक्ष प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर आधारित है, उसमें यह अभिकथित हुए कि 25.8.1993 को लगभग 8:30 बजे सुबह में सूचनादाता की पत्नी एवं अपीलार्थी घांसी राम की पत्नी संपत्ति के विभाजन के लिए लड़ रहे थे। सूचनादाता अपने पुत्र कृपाल लोहार (अ॰ सा॰ 6) के साथ उन्हें शांत कराने वहाँ गया। इस बीच, सूचनादाता के बड़े भाई घांसी राम लोहार एवं उसका पुत्र रबि लोहार वहाँ आये एवं सूचनादाता से कहा कि उसकी पत्नी झगड़ालू प्रकृति की है तथा उसे झगड़ने से रोका। जिसपर, सूचनादाता ने अपनी पत्नी को शांत कराने का प्रयास किया। इस बीच, घांसी राम लोहार का बड़ा पुत्र लाल सिंह लोहार तलवार से लैस होकर आया तथा कहा कि वह पिता एवं पुत्र दोनों की हत्या कर देगा तथा अंधाधुंध रूप से सोनु लोहार एवं उसके पुत्र कृपाल लोहार पर प्रहार किया। सूचनादाता एवं उसके पुत्र को घांसी राम लोहार एवं रबि लोहार द्वारा पकड़ लिया गया था एवं लाल सिंह लोहार ने उनपर प्रहार किया जिसने सूचनादाता के सिर पर एवं दोनों हाथों पर एवं उसके पुत्र कृपाल लोहार के हथेली पर उपहति कारित किया। घटना गाँव के अन्य व्यक्तियों अर्थात् मकरध्वज प्रधान (अ॰ सा॰ 1) एवं मुनीशंकर प्रधान (अ॰ सा॰ 5) द्वारा देखा गया था एवं तत्पश्चात पुलिस को सूचना दी गयी थी।

4. सूचनादाता के लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने तीनों अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 307/324/341/34 के अधीन जी॰ आर॰ सं॰ 393 वर्ष 1993 के तत्सम राज नगर पुलिस थाना केस सं॰ 36 वर्ष 1993 दिनांक 25.8.1993 से संबंधित प्राथमिकी संस्थापित की गयी थी।

5. अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने लाल सिंह लोहार को फरार दर्शाते हुए घांसी राम लोहार एवं रबि लोहार के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/324/341/34 के अधीन आरोप पत्र सं॰ 47 वर्ष 1993 के तहत प्रथम आरोप पत्र दिनांक 31.10.1993 को प्रस्तुत किया।

बाद में, अभियुक्त/अपीलार्थी लाल सिंह लोहार को भी गिरफ्तार किया गया था तथा पुलिस ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/324/341/34 के अधीन आरोप पत्र सं॰ 57 वर्ष 1993 दिनांक 7.12.1993 के तहत एक अन्य आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

6. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 8.11.1993 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा मामला दिनांक 21.9.1994 के आदेश के तहत सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है।

7. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थीगण के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 307/34 के अधीन 22.1.2000 को आरोप विरचित किया गया है, जिसके प्रति अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने अपनी निर्दोषिता का अभिवचन किया है एवं इस प्रकार, उन्हें विचारण पर रखा गया था।

8. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के क्रम में कुल छह अभियोजन गवाहों की परीक्षा की है तथा प्रदर्श 2 तक कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं।

मकरध्वज प्रधान, जो कि एक अनुश्रुत गवाह है की परीक्षा अ॰ सा॰ 1 के तौर पर की गयी है, सोनू लोहार मामले के एक घायल एवं सूचनादाता की परीक्षा अ॰ सा॰ 2 के तौर पर की गयी है, संजय

कुमार प्रधान की परीक्षा अ॰ सा॰ 3 के तौर पर की गयी है, विपद प्रधान की परीक्षा अ॰ सा॰ 4 के तौर पर की गयी है, इन दोनों अभियोजन गवाहों (अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4) ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है, किन्तु उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है। प्राथमिकी में नामजद गवाह मुनीशंकर प्रधान की परीक्षा अ॰ सा॰ 5 के तौर पर की गयी है, किन्तु उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा सूचनादाता के पुत्र एवं मामले के एक अन्य घायल गवाह कृपाल लोहार की परीक्षा अ॰ सा॰ 6 के तौर पर की गयी है।

लिखित रिपोर्ट पर सोनू लोहार (अ॰ सा॰ 2) के हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है, लिखित रिपोर्ट पर मकरध्वज प्रधान (अ॰ सा॰ 1) के हस्ताक्षर को प्रदर्श 1/1 के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है तथा प्राथमिकी प्रदर्श 2 के तौर पर सिद्ध एवं चिन्हित की गयी है।

9. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के बाद, 11.9.2003 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों/अपीलार्थियों का बयान दर्ज किया गया था, जिसके प्रति अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि उन्हें इस मामले में झूठमूठ फंसाया गया है, क्योंकि चाचा शराब पीने के उपरांत परिवार में व्यवधान कारित किया करते थे।

बचाव पक्ष ने न तो कोई गवाह और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सुनवायी करने तथा अभिलेख पर लाये गये सामग्रियों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया है।

दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने इसकी आलोचना करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान दाण्डिक अपील दाखिल किया है।

11. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री एस॰ के॰ लाल को सुना।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि में दोषपूर्ण है तथा विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि इस मामले में न तो डॉक्टर की और न ही अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा की गयी है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि सूचनादाता सोनू लोहार (अ॰ सा॰ 2) ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया है कि उसपर नरसिंग लोहार द्वारा प्रहार किया गया था, किन्तु अभियोजन ने यह सिद्ध नहीं किया है कि लाल सिंह लोहार तथा नरसिंग लोहार एक ही व्यक्ति हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध हुये बिना इसे गलत प्रकार से वर्णित किया है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण रबि लोहार, लाल सिंह लोहार एवं घासी राम लोहार के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है, किन्तु एक अन्य पीड़ित जो कि सूचनादाता का पुत्र है अर्थात् कृपाल लोहार (अ॰ सा॰ 6) ने यह कथन नहीं किया है कि लाल सिंह लोहार तथा नरसिंग लोहार एक ही व्यक्ति हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि इन अपीलार्थियों का कोई दाण्डिक पूर्ववृत्त नहीं है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्वोक्त निवेदनों पर भरोसा करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 324/34 के अधीन आरोप एवं दोषसिद्धि से दोषमुक्त किया जाय।

12. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री विकास किशोर को सुना।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियेाजक ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया है कि यह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर पारित किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने उपयुक्त प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी एवं डॉक्टर की परीक्षा नहीं की गयी है और न ही उपहति रिपोर्ट अभिलेख पर लाया गया है, किन्तु कृपाल लोहार (अ॰ सा॰ 6) जिसने न्यायालय को उपहति दर्शायी है, के साक्ष्य से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पोषणीय है क्योंकि उपहति एक तेज धारदार हथियार द्वारा कारित की गयी थी जो भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324 की परिधि में आता है।

भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324 निम्नवत पठित है:—

*''324. **खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना.**—उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाय, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुँचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीवजंतु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।''*

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि चूँकि अपीलार्थी लाल सिंह लोहार ने सूचनादाता (सोनू लोहार–अ॰ सा॰ 2) एवं कृपाल लोहार (अ॰ सा॰ 6) पर तलवार से प्रहार किया है तथा अन्य अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने सूचनादाता एवं उसके पुत्र को पकड़े रखा है, इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने उपयुक्त प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यद्यपि सूचनादाता (सोनू लोहार– अ॰ सा॰ 2) ने अपने फर्दबयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण लाल सिंह लोहार ने सूचनादाता एवं उसके पुत्र पर तलवार के माध्यम से प्रहार किया है, किन्तु अ॰ सा॰ 2 के तौर पर विद्वान विचारण न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते हुए इस गवाह ने कथन किया है कि प्रहार नरसिंग लोहार द्वारा किया गया था। कृपाल लोहार (अ॰ सा॰ 6) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसपर लाल सिंह लोहार द्वारा प्रहार किया गया था। इन परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय ने उपयुक्त प्रकार से उपधारित किया है कि लाल सिंह लोहार ही नरसिंग लोहार है।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर पारित किया गया है, इस प्रकार, इस माननीय न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस॰ के॰ लाल तथा राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री विकास किशोर को सुना एवं मामले के संपूर्ण अभिलेख अर्थात् प्राथमिकी, आरोप की विरचना, अभियोजन गवाहों के साक्ष्य, प्रदर्श 2 तक अभियोजन प्रदर्श, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थीगण के बयान एवं साथ ही दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश का भी परिशीलन किया।

14. इस न्यायालय ने सभी छह अभियोजन गवाहों के साक्ष्य की संवीक्षा की है। यह प्रतीत होता है कि संजय कुमार प्रधान (अ॰ सा॰ 3) एवं विपद प्रधान (अ॰ सा॰ 4) को अभियोजन गवाहों के तौर पर परीक्षित किया गया है, किन्तु उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कथन किया है कि वे गाँव में मौजूद नहीं थे। अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित नहीं किया है, किन्तु उनका साक्ष्य वर्तमान दाण्डिक अपील के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

मुनीशंकर प्रधान (अ॰ सा॰ 5) प्राथमिकी के गवाहों में से एक है। इस गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। मकरध्वज प्रधान (अ॰ सा॰ 1) प्राथमिकी का एक अन्य गवाह है तथा उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 1/1 के तौर पर सिद्ध एवं चिन्हित किया गया है, किन्तु उसने स्वयं न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते हुए स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखा है, बल्कि घटना सूचनादाता (अ॰ सा॰ 2–सोनू लोहार) द्वारा प्रकट किया गया है, किन्तु उसने अभियुक्त व्यक्तियों को घटनास्थल से भागते हुए देखा है, घायल को रक्तस्राव की उपहतियों के साथ भी देखा है।

संपूर्ण मामला मामले के सूचनादाता एवं पीड़ित (अ॰ सा॰ 2–सोनू लोहार) एवं एक अन्य पीड़ित सूचनादाता के पुत्र कृपाल लोहार, जिसकी परीक्षा अ॰ सा॰ 6 के तौर पर की गयी है, के साक्ष्य के इर्द–गिर्द घूमता है। सोनू लोहार (अ॰ सा॰ 2) ने अपने फर्दबयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि एक छोटे–मोटे मुद्दे पर दोनों भाईयों की पत्नियों के बीच झगड़ा हुआ था, घटना घटित हुई थी, जिसमें लाल सिंह लोहार तलवार से लैस होकर आया था तथा सूचनादाता के सिर एवं दोनों हाथों पर प्रहार किया था एवं उसके पुत्र कृपाल लोहार (अ॰ सा॰ 6) पर भी तलवार से अंधाधुंध रूप से प्रहार किया था। किन्तु अ॰ सा॰ 2 के तौर पर न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते हुए, इस गवाह ने लाल सिंह लोहार का नाम नहीं लिया है अथवा अभिकथित नहीं किया है, बल्कि किसी नरसिंग लोहार के विरूद्ध तलवार द्वारा प्रहार करने का आरोप लगाया है। अभियोजन ने अभिलेख पर यह नहीं लाया है कि नरसिंग लोहार वही व्यक्ति है जिसे लाल सिंह लोहार के नाम से जाना जाता है।

सूचनादाता के पुत्र कृपाल लोहार (अ॰ सा॰ 6) ने स्पष्ट रूप से कथित किया है कि उसपर लाल सिंह लोहार द्वारा तलवार के माध्यम से प्रहार किया गया था, जिसके कारण उसके हथेली पर उपहति आयी है तथा उपहति के दाग न्यायालय को दर्शाये गये हैं।

चूँकि जो प्रहार किया गया है वह अंधाधुंध नहीं किया गया है, जैसा कि सूचनादाता द्वारा अभिकथित किया गया है, इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपयुक्त प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन आरोप से दोषमुक्त करके धारा 324/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है।

अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य पर विचार करके, इस न्यायालय की राय यह है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का संबंध है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण का कोई दाण्डिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा संपत्ति के विभाजन के लिए दोनों भाईयों की पत्नियों के बीच झगड़ा हुआ था। उपहति रिपोर्टें

अभिलेख पर नहीं लायी गयी है और न ही डॉक्टर या अन्वेषण पदाधिकारी की इस मामले में परीक्षा की गयी है एवं इस प्रकार, अपीलार्थीगण को जेल भेजने के बजाय, यह यथोचित होगा कि अपीलार्थीगण जो कि गोत्रज हैं, को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाय।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।

निवेदनों एवं इसपर विचार करके कि उपहति रिपोर्टें अभिलेख पर नहीं लायी गयी हैं तथा घटना वर्ष 1993 की है, एवं इस प्रकार, अभिकथनों की प्रकृति एवं इसपर विचार करते हुए कि अपीलार्थीगण की पहले से कोई दोषसिद्धि नहीं की गयी है, यह न्यायालय शांति एवं समाज में सद्व्यवहार बनाये रखने के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए अपीलार्थीगण को दो जमानतदारों के साथ 1,000/- (एक हजार रूपये) का बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश देती है।

15. परिणामतः, वर्तमान दाण्डिक अपील दण्डादेश में यथा पूर्वोक्त उपान्तरण के साथ खारिज की जाती है।

16. अपीलार्थीगण जो जमानत पर हैं, उनके जमानत न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने के लिए एतद्द्वारा रद्द किये जाते हैं।

17. इस निर्णय की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरंत संबंधित न्यायालय को भेजे जायें।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

हरि सत्य गोप

बनाम

मेसर्स ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (C) No. 6293 of 2008. Decided on 27th June, 2018.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 49—भूमि बेचने की अनुमति प्रदान करने से इनकार—धारा 49 के अधीन अनुमति प्रदान करने से संबंधित आक्षेपित आदेश से याची को इस आधार पर इनकार किया गया है कि याची संपत्ति पर अपने अभिधान के बिन्दु पर प्राधिकार को संतुष्ट नहीं कर सका था—धारा 49 के अधीन अनुमति प्रदान करने से इनकार करने वाला आक्षेपित आदेश उपयुक्त प्रकार से पारित किया गया है किन्तु इसे सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के माध्यम से पक्षों के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के अध्यधीन होना चाहिए था—रिट याचिका सिविल न्यायालय के माध्यम से उनके अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा पाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए खारिज। (पैराएँ 11, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.—(1992) 4 SCC 61—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Rahul Gupta, Birendra Kumar, For the Petitioner; M/s Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the Resp. No. 1 & 2; Mr. Anoop Kumar Mehta, For the Resp. No. 8 & 9; Mr. Ashish Kr. Thakur, For the Resp.-State.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री राहुल गुप्ता को सुना जिनकी सहायता श्री बिरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

2. निजी प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री अनुप कुमार मेहता को सुना।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश लाला को सुना।

4. प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले स्थायी अधिवक्ता (भूमि एवं अधिकतम सीमा) के सहायक अधिवक्ता श्री आशीष कुमार ठाकुर को सुना।

5. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:—

(i) मौजा बरमुरी खाता सं० 50, भूखंड सं० 41, 49, 50, 51, 52, 62, 67, 188, 189 एवं 190 में अवस्थित रैयती भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 3.12 एकड़ है, के अंतरण के लिए बकायों का भुगतान करने एवं प्रोद्भूत लाभों का भुगतान करने का निर्देश निर्गत करने के लिए;

(ii) केस सं० 4987/1987 में सहायक बन्दोबस्ती पदाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 24.5.1993 के आदेश को अधिकारवान स्वामी–याची द्वारा प्रत्यर्थी सं० 1 को पूर्वोक्त भूखंडों के विक्रय की अनुमति प्रदान करने का प्रत्यर्थी सं० 4 को निर्देश निर्गत करने के लिए तथा याची का सतत खतियान बने रहने के लिए;

(iii) सी० एन० टी० केस सं० 1/1991 में प्रत्यर्थी सं० 6 द्वारा पारित दिनांक 14.11.1996 का आदेश (परिशिष्ट–10) एवं प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा पारित दिनांक 25.2.1997 का आदेश (परिशिष्ट 11) अभिखंडित करने के लिए।

6. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कोई संधू चरण पाल ग्राम बरमुरी के खेवट सं॰ 7 खाता सं॰ 50 के कुल 3.12 एकड भूमि के संबंध में अभिलिखित रैयत था। उसकी मृत्यु अपनी इकलौती पुत्री रोहिणी बाला दासी को पीछे छोड़ते हुए हो गयी थी जिसका भवतरण मांझी उर्फ खांकू पाल नामक एक पुत्र था जो याची का पिता था। वह निवेदन करते हैं कि साधु चरण पाल ने इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति निबंधित दान विलेख के माध्यम से रोहिणी बाला दासी नामक अपनी पुत्री के पक्ष में 23.2.1926 को दान कर दिया था तथा याची साधु चरण पाल नामक अभिलिखित रैयत के वंशज होने के फलस्वरूप संपत्ति का स्वामी बन जाने का दावा करता है। वह निवेदन करता है कि यद्यपि 23.2.1935 का अभ्यर्पण का निबंधित विलेख रोहिणी बाला दासी द्वारा सुरेन्द्र लायक नामक भूतपूर्व भूस्वामी एवं अन्य के पक्ष में निष्पादित किया गया था, किन्तु इसपर अमल नहीं किया गया था तथा याची या उनके पूर्वजों का संपत्ति पर कब्जा बना रहा। संपत्ति के कब्जे का दावा करने के क्रम में याची के विद्वान अधिवक्ता ने केस सं॰ 4987/87 में छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 89 के अधीन पारित दिनांक 24.5.1993 के आदेश को निर्दिष्ट किया है जो याची द्वारा खतियान के संशोधन के लिए संस्थापित किया गया था। याची की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने इस आदेश को निर्दिष्ट किया है तथा इंगित किया है कि संपत्ति फौती घोषित किया गया था तथा बिहार सरकार के नाम पर अभिलिखित किया गया था किन्तु याची द्वारा आवेदन दाखिल किये जाने के अनुसरण में इसे परिशुद्ध किया गया था तथा याची के नाम पर अभिलिखित करने का निर्देश दिया गया था। तद्नुसार, खतियान परिशुद्ध किया गया था। वह निवेदन करते हैं कि दिनांक 24.5.1993 के आदेश को किसी प्राधिकारी के समक्ष कभी चुनौती नहीं दी गयी थी तथा यह अंतिम बन गया है। याची के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि दिनांक 23.2.1935 के अभ्यर्पण के निबंधित विलेख के बावजूद इसपर अमल नहीं किया गया था तथा याची या साधु चरण पाल के वंशज होने के कारण याची के पूर्वजों का सतत कब्जा बना रहा था। वह निवेदन करते हैं कि इस पृष्ठभूमि में तथा पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 1 अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ के पक्ष में भूमि बेचने के लिए उपायुक्त के समक्ष छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। वह निवेदन करते हैं कि दाखिल आवेदन के अनुसरण में उपायुक्त ने दिनांक 30.10.1996/14.11.1996

के आक्षेपित आदेश के तहत उपायुक्त ने इस आधार पर अनुमति प्रदान करने से इनकार कर दिया था कि संपत्ति रोहिणी बाला दासी द्वारा दिनांक 23.2.1935 के निबंधित विलेख के माध्यम से अभ्यर्पित की गयी थी तथा तद्नुसार रोहिणी बाला दासी के वंशज संपत्ति पर अभिधान का दावा नहीं कर सकते। वह निवेदन करते हैं कि परिशिष्ट 10 के तहत इसकी अनुशंसा की गयी थी तथा अंतत: सी॰ एन॰ टी॰ केस सं॰ 01/1991 में उपायुक्त का अंतिम आदेश पारित किया गया था जिन्होंने उक्त रिपोर्ट के आधार पर छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अधीन अंतरण के लिए अनुमति प्रदान करने से इनकार करते हुए दिनांक 25.2.1997 का अंतिम आदेश पारित किया। वह आगे इंगित करते हैं कि यह भी अभिलिखित किया गया था कि इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति के संबंध में जमीनी बाला दासी द्वारा किया गया विक्रय भी विधि के अनुसार नहीं थी। तद्नुसार, प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि संपत्ति पर अभिधान का दावा सिद्ध करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मामले के इस पहलू को प्राधिकारियों द्वारा विचार में नहीं लिया गया है कि याची या उसके पूर्वजों का दिनांक 23.2.1935 के अभ्यर्पण विलेख के बावजूद संपत्ति पर लगातार कब्जा था तथा तद्नुसार छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अधीन अंतरण के लिए अनुमति प्रदान करने से इनकार करने के लिए दिया गया कारण दोषपूर्ण है तथा यह अपास्त किये जाने योग्य है।

7. याची के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 23.2.1935 के अभ्यर्पण के निबंधित विलेख के आधार पर भूतपूर्व भूस्वामी की पत्नियाँ जमीनी बाला दासी जिसकी मृत्यु 16.2.1966 को हो गयी थी, के पक्ष में दिनांक 24.2.1935 का सादा हुकुमनामा निष्पादित करने का दावा करती हैं किन्तु जमीनी बाला दासी के किसी पाखंडी ने दिनांक 31.3.1987 का विक्रय विलेख प्रत्यर्थी सं॰ 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया था तथा जाँच पर यह पाया गया था कि जमीनी बाला दासी की मृत्यु काफी पहले दिनांक 16.2.1966 को हो गयी थी तथा तद्नुसार जमीनी बाला दासी द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 31.7.1987 का विक्रय विलेख परिणामहीन था। याची के तर्क का मुख्य बल यह है कि दिनांक 23.2.1935 के अभ्यर्पण के निबंधित विलेख के निरपेक्ष रहते हुए रोहिणी बाला दासी समेत साधु चरण पाल नामक अभिलिखित रैयत के वंशज अभिलिखित अभिधारी बने रहे तथा दिनांक 23.2.1935 का अभ्यर्पण विलेख परिणामहीन था क्योंकि इसपर कभी अमल नहीं किया गया था।

8. दूसरी ओर, ईस्टर्न कोलफिल्ड लि॰ की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने प्रति शपथपत्र दाखिल किया है तथा पैराग्राफ सं॰ 17 पर विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण अपनाया है कि वर्ष 1987 में अपने आप को जमीनी बाला दासी होने का दावा करते हुए छद्मरूपित महिला द्वारा कूटरचित निबंधित विलेख निष्पादित किया गया था तथा सत्यापन पर यह पाया गया था कि जमीनी बाला दासी की मृत्यु निबंधित विलेख के निष्पादन के काफी पहले हो गयी थी तथा प्रति शपथपत्र में यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है उक्त कूटरचित निबंधित विलेख के अनुसरण में ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि के मूल्य के किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया था तथा अभिधान जमीनी बाला दासी के पास बना रहा था तथा उसकी मृत्यु के उपरांत यह उनके वैधानिक वारिसों एवं उत्तराधिकारियों के पास बना रहा था।

9. इस प्रत्यर्थीगण ने यह दृष्टिकोण भी अपनाया है कि जमीनी बाला दासी के वैधानिक उत्तराधिकारियों ने प्रत्यर्थी सं॰ 1 के साथ दिनांक 28.11.2007 का करार किया था तथा इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति का कब्जा लिया है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने भूतपूर्व भूस्वामी द्वारा जमीनी बाला दासी के नाम पर निर्गत किराया प्राप्ति तथा साथ ही बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रवर्तन में आने के उपरांत जमीनी बाला दासी के नाम पर निर्गत किराया रसीदों को भी निर्दिष्ट किया है।

10. वर्तमान निजी प्रत्यर्थीगण ने एक प्रति शपथपत्र भी दाखिल किया है तथा दिनांक 28.11.2007 का समझौता अभिलेख पर लाया है जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में निर्दिष्ट किया गया है। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि प्रश्नगत संपत्ति रोहिणी बाला दासी द्वारा निबंधित

विलेख के माध्यम से भूतपूर्व भूस्वामी के पक्ष में अभ्यर्पित किया गया था तथा बाद में इसे जमीनी बाला दासी के पक्ष में दिनांक 24.2.1935 के सादा हुकुमनामा के फलस्वरूप भूतपूर्व भूस्वामी की पत्नी द्वारा बन्दोबस्त किया गया था तथा जमीनी बाला दासी की मृत्यु 16.2.1966 को हो जाने तथा निजी प्रत्यर्थीगण के जमीनी बाला दासी के वंशज होने के कारण संपत्ति के वास्तविक स्वामी हैं। वह यह भी निवेदन करते हैं कि निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा निजी प्रत्यर्थीगण का कब्जा भी राज्य द्वारा निर्गत किराया रसीदों द्वारा संपुष्ट किया गया है। तद्नुसार, निजी प्रत्यर्थीगण निवेदन करते हैं कि वर्तमान याची का संपत्ति पर कोई अधिकार एवं हित नहीं था एवं इसलिए धारा 49 के अधीन अनुमति प्रदान करने से उपयुक्त प्रकार से याची को इनकार किया गया है। प्रत्यर्थी यह भी निवेदन करता है कि इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति के संबंध में अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा के संबंध में विवाद है एवं तद्नुसार इस रिट याचिका का निर्णय तथ्यों एवं विधि के विवादित प्रश्नों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **(1992) 4 SCC 61** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पैराग्राफ सं॰ 6 पर भरोसा किया है, जो निम्नवत पठित है:—

> *''प्रत्यर्थी सं॰ 1 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण जेटली ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन इस आधार पर किया है कि दिल्ली प्रशासन एवं पुलिस आयुक्त के विरूद्ध निर्देश निर्गत करने की प्रार्थना भी की गयी थी जो कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 थे। इसकी सराहना की जानी चाहिए कि वर्तमान अपीलार्थीगण उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 थे तथा उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा पिछले हिस्से तक पहुँच बनाने के लिए ग्रिल हटाये जाने के लिए उनके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण की प्रार्थना अनुज्ञात करना उपयुक्त समझा था। भूस्वामी-प्रत्यर्थीगण के दृष्टिकोण के मुताबिक, चूँकि पुलिस उसके विरूद्ध पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही थी, अतएव रिट याचिका दाखिल करना आवश्यक बन गया था। हम इस तर्क को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवाद एक अचल संपत्ति के संबंध में दो निजी प्रत्यर्थीगण के बीच है। इसके अतिरिक्त, गृह संपत्ति जो कि वर्तमान मामले में विवादित है, के एक भाग या किसी भी स्थिति में इसी संपत्ति के किसी अन्य भाग को प्रत्यक्षतः आच्छादित करने वाला वाद पहले ही सिविल न्यायालय में लम्बित है। प्रत्यर्थी अपीलार्थीगण द्वारा की गयी किसी शिकायत के आधार पर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने तथा पुलिस द्वारा उसपर की गयी कार्रवाई करने के उसके कदम को न्यायोचित ठहराता है। हम इससे सहमत नहीं हैं कि इस घटना के कारण प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल करने का हकदार था। इस न्यायालय तथा साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह बारंबार अभिनिर्धारित किया गया है कि एक नियमित वाद प्राईवेट व्यक्तियों के बीच संपत्ति के अधिकारों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए यथोचित उपचार है तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार उपलब्ध नहीं होगा वहाँ के सिवाय जहाँ किसी सांविधिक प्राधिकारी की ओर से किसी सांविधिक कर्तव्य के उल्लंघन का अभिकथन किया गया है। तथा ऐसे मामले में, न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को यथोचित निर्देश निर्गत करेगा। अगर प्रत्यर्थी की वास्तविक व्यथा दाण्डिक कार्यवाहियों को प्रारंभ किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने तथा उसपर कदम उठाये जाने के विरूद्ध है, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता समेत सामान्य विधि के अधीन उपलब्ध उपचार का लाभ प्राप्त करना चाहिए। उच्च न्यायालय ऐसे विवादों का निर्णय करने के लिए संवैधानिक अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है, जिसके लिए सामान्य विधि, सिविल या दाण्डिक के अधीन उपचार उपलब्ध है। यह किसी वाद या आवेदन के माध्यम से किसी वादकार को उपलब्ध सामान्य उपचार को*

प्रतिस्थापित करने के लिए आशयित नहीं है। अधिकारिता विशेष एवं असाधारण है तथा इसका प्रयोग आकस्मिक रूप से या हल्के रूप से नहीं किया जाना चाहिए। अतएव, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय अपील पर दिये गये अपने निर्णय में अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्देश निर्गत करने में दोषपूर्ण था। तद्नुसार अपील अनुज्ञात की जाती है, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है तथा उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज की जाती है। व्ययों को लेकर कोई आदेश नहीं होगा।''

वह निवेदन करते हैं कि याची सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकार, अभिधान एवं हित का निर्णय करवा सकता है तथा इस रिट याचिका में याची को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

11. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करके तथा पक्षों के अधिवक्ता की सुनवायी करने के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि याची रोहिणी बाला दासी जो अभिलिखित रैयत के वंशज हैं के माध्यम से संपत्ति पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित का दावा कर रहा है तथा वर्तमान प्रत्यर्थीगण संपत्ति पर अपने अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा का दावा दिनांक 23.2.1935 के अभ्यर्पण के निर्बंधित विलेख एवं जमिनी बाला दासी के पक्ष में कथित रूप से निष्पादित सादा हुकुमनामा के फलस्वरूप कर रहे हैं तथा वर्तमान प्रत्यर्थीगण जमिनी बाला दासी के वंशज या हित उत्तराधिकारी हैं।

12. इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि दोनों पक्षों, याचीगण एवं साथ ही प्राईवेट प्रत्यर्थीगण ने कब्जे के अपने दावे के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, किन्तु वे संपत्ति पर एक दूसरे के अभिधान पर गंभीरता से विवाद कर रहे हैं। छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अधीन अनुमति प्रदान करने से संबंधित आक्षेपित आदेश से याची को इस आधार पर इनकार किया गया है कि याची संपत्ति पर अपने अभिधान के बिन्दु पर प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं करा सका था तथा आक्षेपित आदेश द्वारा यह भी सम्प्रेक्षित किया गया है कि जमिनी बाला दासी के अभिधान का दावा भी सिद्ध नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अधीन अनुमति प्रदान करने से इनकार करने वाला आक्षेपित आदेश उपयुक्त प्रकार से पारित किया गया है, किन्तु यह सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के माध्यम से पक्षों के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के अध्यधीन होना चाहिए था। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये **(1992) 4 SCC 61** में प्रकाशित निर्णय की दृष्टि में इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का अवलम्ब संपत्ति के संबंध में पक्षों के बीच अभिधान के विवाद का निर्णय करने के लिए नहीं लिया जा सकता है।

13. तद्नुसार, यह रिट याचिका सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के माध्यम से पक्षों को अपने अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा की घोषणा करवाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है। एकबार पक्षों के अधिकार, अभिधान, कब्जा तथा हित की घोषणा कर दिये जाने पर तद्नुसार परिणाम अनुसरित होंगे।

14. समाप्त करने के पहले, यह न्यायालय अभिलेख पर यह लाना उपयुक्त पाता है कि तर्कों के क्रम के दौरान इस न्यायालय ने सम्प्रेक्षित किया है कि प्रत्यर्थीगण के अनुसार इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति के संबंध में प्राईवेट प्रत्यर्थीगण (जो जमीनी बाला दासी के माध्यम से संपत्ति पर दावा करते हैं) का प्रत्यर्थी सं॰ 1 के साथ दिनांक 28.11.2007 को समझौता हुआ है तथा संपत्ति का कब्जा प्रत्यर्थी सं॰ 1 को सुपुर्द किया गया है। स्वीकृत रूप से समझौता करने के पहले छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 49 या किसी अन्य धारा के अधीन उपायुक्त से अनुमति प्रदान करने की मांग नहीं की गयी है यद्यपि आक्षेपित आदेश में यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि जमीनी बाला दासी का भी संपत्ति पर कोई स्वामित्व

नहीं था। इसपर प्राईवेट प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया है कि संपत्ति पर कब्जा लेने के उद्देश्य से एवं उस प्रयोजन से जिसके लिए समझौता किया गया है, छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 49 या किसी अन्य प्रावधान के अधीन किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

15. यह न्यायालय अपने आप को दिनांक 28.11.2007 के समझौता के संबंध में कोई निष्कर्ष देने से परहेज कर रहा है, किन्तु यह निर्णय किसी भी प्रकार से दिनांक 28.11.2007 के उक्त समझौते की वैधानिकता एवं वैधता की जाँच पड़ताल करने, अगर ऐसी परामर्श दी जाती है, में प्रत्यर्थी राज्य प्राधिकारियों के मार्ग में नहीं आयेगा, जो छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के आलोक में प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के बीच किया गया है। यह सम्प्रेक्षण इस कारण से किया जा रहा है कि प्राईवेट प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी सं॰ 1 के बीच सम्व्यवहार का याचीगण एवं प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के दावे से प्रत्यक्ष संबंध है।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

गोविंद साह उर्फ दुर्गा साह (1254 में)

झूपर साह एवं अन्य (1259 में)

बनाम

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (SJ) Nos. 1254 with 1259 of 2003. Decided on 9th August, 2018.

एस॰ सी॰ सं॰ 46 वर्ष 2000/एस॰ टी॰ सं॰ 80 वर्ष 2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-1, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 4 जुलाई, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दोनों के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 304B/34—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961—धारा 2—दहेज मृत्यु—सामान्य आशय—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन अपराध का गठन करने के लिए मूलभूत अवयव गायब हैं—इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन भार अपीलार्थीगण पर डाला नहीं जा सकता है—मृतका की मृत्यु के तुरंत पहले दहेज की मांग या प्रताड़ना का कोई साक्ष्य नहीं है—अन्वेषण पदाधिकारी को भी इस मामले में परीक्षित नहीं किया गया है—अभियोजन अपीलार्थीगण के विरूद्ध अपना मामला सभी युक्तिसंगत संदेह की छाया से परे सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त। (पैराएँ 15 से 17)

निर्णयज विधि.—2014 (3) East Cr. C. 441 (SC), (2007) 9 SCC 721—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Anil Kumar Singh, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the State.

न्यायालय द्वारा.—पूर्वोक्त दोनों दाण्डिक अपीलें एक ही दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश से उद्भूत हुई है, इस प्रकार, दोनों को एक साथ सुना जा रहा है तथा सम्मिलित निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

इस माननीय न्यायालय के समक्ष दाण्डिक अपीलों के लम्बित रहने के दौरान, निर्मल साह (दा॰ अपील **(एस॰ जे॰ सं॰ 1259 वर्ष 2003 में मूल अपीलार्थी सं॰ 3)** की मृत्यु 20.12.2005 को हो गयी थी, किन्तु अपीलार्थी निर्मल साह के वैधानिक उत्तराधिकारियों या रिश्तेदारों द्वारा उसकी मृत्यु के 30 दिनों के भीतर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 394 के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है, इस प्रकार, अपीलार्थी निर्मल साह द्वारा दाखिल दाण्डिक अपील उपशमनित होती है।

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सतीष कुमार केशरी को सुना।

3. उपरोक्त दोनों दाण्डिक अपीलें एस॰ सी॰ सं॰ 46 वर्ष 2000/एस॰ टी॰ सं॰ 80 वर्ष 2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–1, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 4 जुलाई, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दोनों के विरूद्ध निर्दिष्ट हैं, जिसके द्वारा इन अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 304-B/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा सात वर्षों का कठोर कारावास अधिनिर्णीत किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने आगे आदेश दिया है कि अन्वेषण तथा अभिरक्षा में विचारण के दौरान अपीलार्थीगण द्वारा बितायी गयी अवधि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 428 के अधीन घटायी जायेगी।

4. अभियोजन मामला 30.8.1999 को 7:00 बजे शाम में ग्राम जमबाद में कोटाल पोखर पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी एवं पुलिस उपनिरीक्षक बी॰ बी॰ राय द्वारा अभिलिखित सूचनादाता छेदू लाल साह के फर्दबयान पर आधारित है, जिसमें सूचनादाता ने अभिकथन किया है कि उसने लगभग 20 वर्षीया अपनी पुत्री सावित्री देवी का विवाह हिन्दु रीति रिवाजों के अनुसार दो वर्ष पहले गोविंद उर्फ दुर्गा साह के साथ कराया था, तथा विवाह के समय सूचनादाता ने 8,000/- रूपये नकद एवं 4,000/- रूपये के गहने दिये थे। सूचनादाता ने यह भी कथन किया कि एक वर्ष तक उसकी पुत्री शांतिपूर्वक रही तथा इसके उपरांत, मृतका के ससुर निर्मल साह एवं उसके देवर/जेठ झूपर साह, कलियुग साह एवं गोविंद साह ने 5,000/- रूपयों की मांग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने विवाह के दौरान अधिक पैसे खर्च कर दिये हैं। यह अभिकथित किया गया है कि रक्षा बंधन के अंतिम दिन के एक दिन पहले जो कि बुधवार था अर्थात् 25.8.1999 को लगभग 12:00 बजे सूचनादाता की पुत्री सावित्री देवी अपने मायके आयी एवं कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे रक्षा बंधन के बाद 5,000/- रूपया लाने को भेजा है अन्यथा उसे ससुराल नहीं आना चाहिए। सूचनादाता ने यह कहकर अपनी पुत्री को शांत करवाया कि बरसात के उपरांत वह इस पैसे का भुगतान करेगा तथा अपनी पत्नी शांति देवी के साथ अपनी पुत्री को उसके ससुराल भेजा। आज अर्थात् 31.8.1999 को सुबह में गाँव जमबाद से तीन लोग आये तथा बताया कि उसकी पुत्री अचेत है। इसके अतिरिक्त, पूछताछ करने पर, उन्होंने अपना नाम एवं पहचान नहीं बताया न ही सूचनादाता उनके बारे में कुछ जान रहा है। सूचनादाता अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री के ससुराल गया तथा अपनी पुत्री का शव देखा तथा घर के सभी अंतेवासी मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे भाग गये थे। इसके उपरांत, गाँववाले आये एवं एवं उन्होंने भी ससुरालवालों की तलाश की, किन्तु उन्हें कहीं भी पाया नहीं जा सका था। गाँव में, सूचनादाता को सूचना मिली कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी पुत्री को 5,000/- रूपये दहेज की मांग के लिए मारा पीटा था तथा अपनी पुत्री के शव को देखने के उपरांत, सूचनादाता ने मृतका के शव पर कनपटी एवं गाल पर काला चिन्ह पाया था। सूचनादाता ने दावा किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने दहेज के तौर पर 5,000/- रूपये की मांग के लिए उसकी पुत्री की हत्या कर दी है, जिसे उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया था।

सूचनादाता के पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 304B/34 के अधीन जी॰ आर॰ सं॰ 317 वर्ष 1999 के तत्सम दिनांक 1.9.1999 की प्राथमिकी – कोटल पोखर (बरहरवा) पुलिस थाना केस सं॰ 64 वर्ष 1999 संस्थापित किया था।

5. अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 304B/34 के अधीन दिनांक 30.9.1999 का आरोप पत्र सं॰ 23 वर्ष 1999 प्रस्तुत किया। दिनांक 18.11.1999 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था तथा दिनांक 31.7.2000 के आदेश के तहत मामला सत्र न्यायालय

को सुपुर्द किया गया है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण के विरूद्ध 11.4.2007 को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 304B/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया है जिसके प्रति उन्होंने निर्दोष होने का अभिवचन किया है एवं इस प्रकार उन्हें विचारण पर रखा गया था।

6. अभियोजन ने कुल मिलाकर 14 अभियोजन गवाहों की परीक्षा की है तथा अपने मामले के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है अर्थात् फर्दबयान छेदी लाल साह (अ॰ सा॰ 5–सूचनादाता) द्वारा सिद्ध किया गया है तथा प्रदर्श 1 के तौर पर चिन्हित किया गया है एवं अ॰ सा॰ 14 (डॉ॰ निरंजन कुमार झा) द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया गया है तथा प्रदर्श 2 के तौर पर चिन्हित किया गया है।

पोचा साह, मृतका के चाचा की परीक्षा अ॰ सा॰ 1 के तौर पर की गयी है, हरि बोल साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 2 के तौर पर की गयी है, उमा चरण साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 3 के तौर पर की गयी है, लाखी राम साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 6 के तौर पर की गयी है, अगहनू साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 7 के तौर पर की गयी है, जोधन घोष की परीक्षा अ॰ सा॰ 8 के तौर पर की गयी है, डिंगा साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 9 के तौर पर की गयी है, काली पदो साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 10 के तौर पर की गयी है, क्षितीश चंद्र साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 11 के तौर पर की गयी है, ब्रिजनाथ साहा की परीक्षा अ॰ सा॰ 12 के तौर पर की गयी है। उक्त सभी गवाहों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

एतवारी साहा (अ॰ सा॰ 4) को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया है।

छेदूलाल साहा (अ॰ सा॰ 5) मामले का सूचनादाता तथा मृतका का पिता है तथा शांति देवी (अ॰ सा॰ 13–मृतका की माता) की इस मामले में परीक्षा की गयी है, किन्तु उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है यद्यपि सूचनादाता का फर्दबयान इस मामले के सूचनादाता (अ॰ सा॰ 5) द्वारा सिद्ध किया गया है तथा प्रदर्श 1 के तौर पर चिन्हित किया गया है, क्योंकि अ॰ सा॰ 5 (छेदूल लाल साहा) ने पैराओं 5, 6, 7 एवं 8 में अपने प्रति परीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसकी पुत्री मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी तथा उसके ससुराल वालों ने साहिबगंज में डॉक्टर से उसका इलाज भी करवाया था।

इस गवाह (अ॰ सा॰ 5) ने आगे कथन किया है कि उसकी दूसरी पुत्री के विवाह के दौरान, मृतका के ससुर (उसकी पुत्री–सावित्री देवी) ने उसे वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराया था। अभियोजन मामले पर सूचनादाता के प्रति परीक्षण के पैरा 7 में घातक प्रहार किया गया है, जहाँ सूचनादाता ने कथन किया है कि जिस धन की मांग मृतका के ससुर से की गयी थी, वह दहेज नहीं था और न ही उसकी पुत्री ने कभी अपने पति या ससुराल वालों के विरूद्ध कोई शिकायत की थी। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 8 में, इस गवाह (अ॰ सा॰ 5) ने स्वीकार किया है कि सह ग्रामीणों में से किसी ने भी मृतका के पति या ससुराल वालों के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की थी। यही विवरण सूचनादाता की पत्नी एवं मृतका सावित्री देवी की मां ने दिया है, जिसकी परीक्षा इस मामले में अ॰ सा॰ 13 के तौर पर की गयी है।

7. डॉ॰ निरंजन कुमार झा की परीक्षा अ॰ सा॰ 14 के तौर पर की गयी है तथा उसने प्रति परीक्षण के दौरान कहा है कि नाक या मुँह पर कोई उपहति नहीं थी। डॉक्टर ने यह भी मत दिया है कि दम घुटने से हृदय श्वसन तंत्र के विफल होने के कारण मृतका की मृत्यु हुई थी, तथा मृत्यु के बाद से गुजरा समय 24 घंटे से अधिक है। शव परीक्षण 1.9.1999 को संचालित किया गया था।

8. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के उपरांत, अपीलार्थीगण की 30.9.2002 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गयी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे निर्दोष हैं।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सुनवायी करने तथा अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरांत दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित किया है, जैसा कि उपर कहा गया है, जिसकी पूर्वोक्त दोनों दाण्डिक अपीलों में इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा आलोचना की गयी है।

पूर्वोक्त दोनों दाण्डिक अपीलें दोषसिद्धि के सम्मिलित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश से उद्‌भूत होती हैं, इस प्रकार, दोनों को इस सम्मिलित निर्णय द्वारा सुना तथा निपटाया जा रहा है।

10. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिंह को सुना।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि में दोषपूर्ण है तथा विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है, चूँकि दहेज की मांग के संबंध में बुनियादी अवयवों की इस मामले में पूर्ति नहीं की गयी है इस प्रकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन उपधारणा नहीं की जायेगी।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि प्राथमिकी तथा मृतका के पिता छेदू लाल साहा (अ॰ सा॰ 5) तथा मृतका की माता (अ॰ सा॰ 13) के साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि दहेज की कोई मांग की गयी थी, बल्कि इस गवाह (अ॰ सा॰ 5) ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 7 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दहेज की कोई मांग नहीं की गयी है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि जबतक कि अभियोजन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B की परिधि के अंतर्गत मामला स्थापित नहीं करता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन कोई उपधारणा अपीलार्थीगण के विरूद्ध नहीं की जा सकती।

11. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में **(2014) 3 East Cr. C. 441 (SC)]** में प्रकाशित **मनोहर लाल बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में पैरा 17 पर प्रकाशित निर्णय पर भरोसा किया है, जो निम्नवत पठित है:—

''17. उक्त धारा के प्रयोजन से, निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही उपधारणा की जा सकती है:—

(a) महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक उपहति द्वारा कारित हुई हो या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होती है।

(b) ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई हो।

(c) महिला को उसके पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अध्यधीन किया गया हो।

(d) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी मांग के संबंध में किया गया हो एवं

(e) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के तुरंत पहले किया गया हो।''

12. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया है।

''दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 की परिभाषा ''दहेज'' से तात्पर्य है–प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली या दी जाने के लिये प्रतिज्ञा की गई किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है–

(a) विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिए, या

(b) विवाह के किसी पक्ष के माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उक्त पक्षकारों के विवाह हेतु विचारण के तौर पर विवाह पूर्व या उसके पश्चात्, किन्तु इसमें उन व्यक्तियों की दशा में मेहर सम्मिलित नहीं होगा जिनपर मुस्लिम व्यक्तिगत विधान शरीयत लागू होता है।''

13. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ससुराल वालों द्वारा मांगी गयी ऐसी कोई वित्तीय सहायता या धन जिसका विवाह से कोई लेना-देना नहीं है, को द॰ प्र॰ अधिनियम की धारा 2 के अधीन दहेज के तौर पर बताया नहीं जा सकता है।

14. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में **(2007) 9 SCC 721** में प्रकाशित **अप्पासाहेब एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य** के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के आदान या प्रदान का पक्षों के बीच विवाह के साथ सहसंबंध होना आवश्यक है- धारित तथ्यों पर, किसी वित्तीय कठिनाई के कारण या अत्यावश्यक घरेलू व्यय पूरा करने के लिए या खाद खरीदने के लिए धन की मांग को दहेज के लिए धन की मांग के तौर पर नहीं बताया जा सकता है।''

15. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि छेदी लाल साहा (अ॰ सा॰ 5) सूचनादाता एवं मृतका के पिता एवं मृतका की माता शांति देवी (अ॰ सा॰ 13) के सिवाय अन्य सभी गवाहों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा गवाह एतवारी साहा (अ॰ सा॰ 4) को निविदत्त किया गया है, इस प्रकार, अ॰ सा॰ 5, अ॰ सा॰ 13 तथा अ॰ सा॰ 14 (चिकित्सा पदाधिकारी) जिन्होंने मृतका के शव का शव परीक्षण किया, के साक्ष्य के परिशीलन से, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B/34 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि दहेज की मांग के बुनियादी अवयव गायब हैं एवं गवाहों छेदी लाल साहा (अ॰ सा॰ 5) सूचनादाता एवं मृतका के पिता एवं शांति देवी (अ॰ सा॰ 13) मृतका की माता ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है, जैसा कि प्राथमिकी में दर्ज किया गया है बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उक्त मांग दहेज की मांग से संबंधित नहीं थी तथा मृतका के ससुर ने उसकी दूसरी पुत्री के विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे अ॰ सा॰ 14 चिकित्सा पदाधिकारी, जिन्होंने शव परीक्षण संचालित किया था, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में भी इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है तथा मृतका के मुँह या नाक पर हिंसा का कोई चिन्ह नहीं पाया था।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि 1.9.1999 के 24 घंटे पहले मृत्यु हुई थी, जब मृतका का शव परीक्षण किया गया था तथा अभियोजन मामले के अनुसार, मृतका की मृत्यु 31.8.1999 को हुई थी, इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य भी प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों के अनुरूप नहीं है।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि चिकित्सा पदाधिकारी (अ॰ सा॰ 14) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका की मृत्यु दम घुटने से कारित हृदय श्वसन तंत्र के विफल होने से हुई थी, इस प्रकार, प्राथमिकी में अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरूद्ध जो आरोप लगाया गया है, वह भी चिकित्सा रिपोर्ट के प्रतिकूल है।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा न किये जाने से भी अपीलार्थीगण को गंभीर प्रतिकूलता कारित हुई है

क्योंकि तथ्य जो अभिलेख पर लाया गया है, बचाव पक्ष द्वारा प्रति-परीक्षित नहीं किया जा सका था, इस प्रकार, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रह सकता है एवं तद्नुसार, अपीलार्थीगण के पक्ष में संदेह का लाभ देकर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B/34 के अधीन आरोप तथा दोषसिद्धि से अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाय।

16. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सतीश कुमार केशरी को सुना।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया है कि इसे अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर पारित किया गया है, इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रूप से अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है, क्योंकि मृतका (सुमित्रा देवी) की मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर अपने ससुराल में हो गयी थी, जो कि एक अस्वाभाविक मृत्यु थी।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्राथमिकी का परिशीलन करके निवेदन किया है कि दहेज की मांग करने का अभिकथन है।

राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य पर विचार करके विद्वान विचारण न्यायालय ने उपयुक्त प्रकार से अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है, इस प्रकार, यह न्यायालय इस चरण पर दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

17. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सतीश कुमार केशरी को सुना।

प्राथमिकी, अपीलार्थीगण के विरूद्ध विरचित आरोप तथा सभी चौदह गवाहों के अभिसाक्ष्य, दो प्रदर्श तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त/अपीलार्थीगण के बयान समेत अभिलेखों का परिशीलन किया।

इस न्यायालय ने अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया है कि 5,000/- रूपयों की ऐसी मांग को दहेज के तौर पर बताया नहीं जा सकता है तथा सूचनादाता (अ॰ सा॰ 5- छेदू लाल साह) के प्रति परीक्षण में दिये गये साक्ष्य के आधार पर अपना तर्क प्रबल बनाया है।

इस न्यायालय ने द॰ प्र॰ अधिनियम की धारा 2 के अधीन परिकल्पित प्रावधानों का भी परिशीलन किया है तथा यह अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के साथ पूरी तरह से सहमत है जिन्होंने निवेदन किया है कि इस मांग को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दहेज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह विवाह से संबंधित नहीं है।

(2007) 9 SCC 721 में प्रकाशित **अप्पासाहेब एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** के मामले में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का परिशीलन करके, इस न्यायालय ने पाया है कि 5,000/- रूपया की मांग जैसा कि प्राथमिकी में ही अभिकथित है, को दहेज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन अपराध गठित करने के लिए बुनियादी अवयव गायब हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन भार अपीलार्थीगण पर नहीं डाला जा सकता है। अभियोजन को अपना मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे करके अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरूद्ध अपना मामला सिद्ध करना होता है।

इस न्यायालय ने छेदी लाल साहा (अ॰ सा॰ 5), सूचनादाता तथा मृतका के पिता एवं शांति देवी (अ॰ सा॰ 13), मृतका की माता, जिसने जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है, उससे पूरी तरह से पलट

गयी है, यद्यपि उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, किन्तु उनके साक्ष्य अभियोजन मामले के प्रतिकूल हैं तथा मृतका की मृत्यु के ठीक पहले दहेज की मांग करने या उत्पीड़न करने का कोई साक्ष्य नहीं है। अन्वेषण पदाधिकारी को भी इस मामले में परीक्षित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सक ने कनपटी तथा गाल पर हिंसा का कोई चिन्ह या काला धब्बा नहीं पाया है बल्कि चिकित्सक (अ॰ सा॰ 14) ने मृतका के नाक या मुँह पर कोई उपहति नहीं पाया है तथा मत दिया है कि मृतका की मृत्यु दम घुटने से कारित हृदय श्वसन तंत्र के विफल होने के कारण हुई है।

18. इन तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करके, जैसा कि उपर कथन किया गया है एवं परिचर्चा की गयी है, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन अपीलार्थीगण के विरूद्ध अपना मामला सभी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने में बुरी तरह से विफल रहा है, इस प्रकार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304B/34 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है।

19. तद्नुसार, एस॰ सी॰ सं॰ 46 वर्ष 2000/एस॰ टी॰ सं॰ 80 वर्ष 2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, 1, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 4 जुलाई, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दोनों को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

20. अपीलार्थीगण, पहले से ही जमानत पर हैं, इस प्रकार उन्हें उनके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से निर्मुक्त किया जाता है।

21. तद्नुसार, पूर्वोक्त दोनों दाण्डिक अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं।

22. इस निर्णय की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरंत भेजे जायें।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

माउंट सहकारी गृह निर्माण समिति, (प्रा॰) लि॰

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 3402 of 2006. Decided on 20th June, 2018.

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950—धारा 4(h)—जमाबंदी का रद्दकरण—1 जनवरी, 1946 के उपरांत किये गये अंतरण को धारा 4(h) के अधीन कार्यवाही की विषय वस्तु बनायी जा सकती है—वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने पाया कि एक ओर अभिकथित हुकुमनामा वर्ष 1952 का था तथा यह एक असली दस्तावेज नहीं था तथा यह निष्कर्ष अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सम्पुष्ट किया गया था—जमाबंदी के रद्दकरण का आक्षेपित आदेश बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन कार्यवाहियों में अभिलिखित प्रतिकूल निष्कर्षों पर पारित किया गया था—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 से 10)

अधिवक्तागण.—Mr. Sunil Kumar Sinha, For the Petitioner; Mr. Ashish Kumar Thakur, For the Respondents.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार सिन्हा को सुना।

2. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले स्थायी अधिवक्ता (लैंड एण्ड सीलिंग) के सहायक अधिवक्ता श्री आशीष कुमार ठाकुर को सुना।

3. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:—

''विविध केस सं० 4/97TR 129R 15/2000-2001 में पारित दिनांक 17.7.2001 के विद्वान उपायुक्त के आदेश को अभिखंडित करने के लिए, जिसे राँची विविध अपील सं० 62 वर्ष 2005 में विद्वान आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर, डिवीजन राँची द्वारा दिनांक 20.12.2005 को सम्पुष्ट किया गया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन उक्त समिति माउंट सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों के नाम पर चल रही मांग/जमाबंदी ग्राम अरसंडे थाना सं० 159 आर० एस० भूखंड सं० 1441 खाता सं० 351 कांके जिला राँची के 3.80 एकड़ माप वाली उनकी भूमि के संबंध में रद्द कर दी गयी है। याची उक्त समिति के सदस्यों के नाम पर जमाबंदी फिर से तुरंत खोलने तथा साथ ही समिति के सदस्यों की पूर्वोक्त भूमि के संबंध में इसका किराया स्वीकार करने का आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति के एक रिट की भी प्रार्थना करते हैं।''

4. याची के अधिवक्ता निम्नवत निवेदन करते हैं:—

a. याची का सरोकार केवल जिला राँची में 3.80 एकड़ माप वाले ग्राम अरसंडे के खाता सं॰ 351 भूखंड सं॰ 1441 की भूमि के साथ है। वह निवेदन करता है कि जहाँ तक कि मौजा बोरेया के खाता सं॰ 402 भूखंड सं॰ 2094 के संबंध में संपत्ति का संबंध है, याची को इससे कोई सरोकार नहीं है।

b. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत संपत्ति पुनरीक्षण सर्वेक्षण खतियान में गैर मजरूआ खास के तौर पर अभिलिखित की गयी थी तथा बलदेव नारायण तिवारी नामक भूतपूर्व भूस्वामी की मृत्यु नि:संतान हो गयी थी। उसके भतीजे जोध नारायण तिवारी ने खाता सं॰ 351, भूखंड सं॰ 1441 की 3.80 एकड़ भूमि श्रीमती कुमुदिनी सिन्हा के नाम पर वर्ष 1952 में एक सादा हुकुमनामा के माध्यम से बन्दोबस्त कर दी थी जिसने बाद में 11.4.1967 को निबंधित विक्रय विलेख द्वारा भूमि श्रीमती ए॰ बी॰ डेविस को बेच दी थी, जिसने बाद में अपना नाम नामांतरण केस सं॰ 226 R/26/81-82 के तहत रजिस्टर II में अंतरित करवा लिया था एवं तत्पश्चात उसने संपूर्ण भूमि वर्ष 1989 में माउंट सहकारी गृह निर्माण समिति को बेच दी थी। उक्त समिति ने संपूर्ण भूमि निबंधित विक्रय विलेख के माध्यम से 38 विभिन्न व्यक्तियों को बेच दी थी जिसने भी अपना नाम रजिस्टर II में नामांतरित करवा लिया था। वह निवेदन करते हैं कि अंतरण के आदेश में, कोई अवैधानिकता नहीं है, किन्तु उपायुक्त, राँची द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन नोटिस निर्गत की गयी थी।

c. वह निवेदन करते हैं कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक प्रस्ताव दिनांक 8.11.99 के आदेश के तहत उप समाहर्ता भूमि सुधार के माध्यम से प्राप्त की गयी थी जिसका अपर समाहर्ता द्वारा दिनांक 17.8.2000 के आदेश के तहत अनुमोदन किया गया था तथा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन कार्यवाही प्रारंभ किया गया था।

d. याची ने अपना कारण बताओ दाखिल किया था तथा प्राधिकारी के समक्ष संपूर्ण तथ्यों का कथन किया था। प्राधिकारी ने दिनांक 17.7.2001 का आदेश पारित किया था तथा याची के विरूद्ध निष्कर्ष अभिलिखित किया था तथा इसके उपरांत याची ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया था जिसे विविध अपील सं॰ 62/2005 के तौर पर संख्यांकित किया गया था जो दिनांक 20.12.2005 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

e. एकमात्र बिन्दु जिसपर याची द्वारा तर्क किया गया है, यह है कि जमाबंदी श्रीमती कुमुदिनी सिन्हा तथा पश्चातवर्ती क्रेताओं के नाम पर खोला गया था तथा यह लम्बी चलने वाली जमाबंदी थी, अतएव,

जमाबंदी प्रत्यर्थीगण द्वारा रद्द नहीं की जा सकती थी। वह निवेदन करते हैं कि मामले के इस पहलू पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन आदेश पारित करते हुए मूल प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता निम्नवत निवेदन करते हैं:—

a. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के प्रावधानों के अनुसार, भूतपूर्व भूस्वामी समेत किसी भी व्यक्ति द्वारा सादा हुकुमनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

b. वह निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामले में, हुकुमनामा श्री बलदेव नारायण तिवारी के भतीजे द्वारा कथित रूप से निष्पादित किये जाने का दावा किया गया है जिनकी मृत्यु निस्संतान हो गयी थी।

c. स्वयं याची के मामले के अनुसार, हुकुमनामा वर्ष 1952 में अर्थात् स्वीकृत रूप से 1.1.1946 के बाद निष्पादित किया गया था जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) में वर्णित कट–ऑफ तिथि है इसलिए सादा हुकुमनामा ही अवैधानिक दस्तावेज है तथा तद्नुसार सादा हुकुमनामा के अनुसरण में पश्चातवर्ती कार्रवाई (वर्ष 1952 में कथित रूप से निष्पादित) अवैधानिक है।

d. अतएव बाद में जमाबंदी खोला जाना एवं नामांतरण किया जाना परिणामहीन आदेश होने के कारण अवैधानिक भी हैं।

e. वह निवेदन करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत दाखिल किया गया था तथा अपीलीय प्राधिकारी ने अपील दाखिल करने में विलम्ब को माफ करने से इनकार कर दिया है।

f. किन्तु, अपीलीय प्राधिकारी ने मामले पर गुणागुणों पर विचार किया है तथा अभिनिर्धारित किया है कि हुकुमनामा असली नहीं था।

g. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि हुकुमनामा के असली होने से संबंधित निष्कर्ष पर संपूर्ण रिट याचिका में याचीगण द्वारा भी विवाद नहीं किया गया है तथा रिट याचिका में याचीगण द्वारा जो एकमात्र आधार लिया गया है तथा याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है वह यह है कि लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता था।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन कार्यवाही आकृष्ट होती है अगर उक्त धारा में वर्णित पूर्वशर्तों को पूरा किया जाता है। इस मामले के प्रयोजनों से बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) निम्नवत पठित है:—

> *"(h) समाहर्ता को ऐसी संपदा या अभिधृति से गठित किसी भूमि के पट्टे की बन्दोबस्ती समेत किसी ऐसी संपदा या अभिधृति या इसके भाग के किराये के संग्रहण के लिए कार्यालय या कचहरी के तौर पर मुख्य रूप से प्रयुक्त किसी भवन में किसी प्रकार के हित के अंतरण के संबंध में जाँच करने की शक्ति होगी तथा अगर वह संतुष्ट है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने या राजकीय खजाने को क्षति कारित करने या इसके अधीन उच्चतर मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1946 के उपरांत किसी समय किया गया था, तब समाहर्ता संबंधित पक्षों को उपस्थित होने तथा सुनवायी करने की उपयुक्त नोटिस देने के उपरांत ऐसे अंतरण को रद्द कर सकेंगे तथा इसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को बेदखल करेंगे तथा ऐसे निबंधनों पर ऐसी संपत्ति का कब्जा लेंगे जो समाहर्ता को उपयुक्त एवं साम्यापूर्ण प्रतीत हो।*
>
> *परंतु यह कि इस खंड के अधीन समाहर्ता के आदेश के विरूद्ध अपील अगर ऐसे आदेश के साठ दिनों के भीतर दाखिल की जाती है, विहित प्राधिकारी के समक्ष*

होगी, जो जिले के समाहर्ता के दर्जे से नीचे का नहीं हो जो इसे विहित प्रक्रिया के अनुसार निपटायेंगेः

परंतु यह भी कि अंतरण को बातिल करने वाला कोई भी आदेश प्रभावी नहीं होगी न ही इसके अनुसरण में कब्जा लिया जायेगा जबतक कि ऐसा आदेश राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया हो।''

7. बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(h) के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि 1 जनवरी, 1946 के उपरांत किया गया अंतरण धारा 4(h) के अधीन कार्यवाही की विषय वस्तु हो सकती है। स्वीकृत रूप से वर्तमान मामले में, हुकुमनामा 1.1.1946 के उपरांत निष्पादित किया गया था। इस न्यायालय का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि धारा 4(h) के अधीन कार्यवाही प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ नहीं किया जा सकता था।

8. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने पाया कि एक ओर अभिकथित हुकुमनामा वर्ष 1952 का था तथा यह असली दस्तावेज नहीं था।

9. यह न्यायालय पाता है कि उपायुक्त द्वारा उक्त हुकुमनामा के संबंध में दिनांक 17.7.2001 के आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया है:—

(a) सादा हुकुमनामा अभिकथित रूप से किसी श्री जोध नारायण तिवारी द्वारा निर्गत किया गया है। स्वीकृत रूप से जोध नारायण तिवारी ग्राम अरसंडे का भूस्वामी नहीं था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केवल भूस्वामी ही सादा हुकुमनामा निर्गत करने में सक्षम थे।

(b) हुकुमनामा अभिकथित रूप से वर्ष 1952 में निर्गत किया गया है जबकि भूस्वामी केवल 1.1.1946 के पहले ही ऐसा करने में सक्षम थे।

(c) हुकुमनामा का परिशीलन दर्शाता है कि यह संख्यांकित नहीं है जबकि सभी असली सादा हुकुमनामे को भूस्वामी द्वारा एक क्रम संख्या दिये गये हैं।

(d) इस सादा हुकुमनामा पर तिथि के तौर पर 1.5.1972 के साथ किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। अगर यह वास्तविक रूप से वर्ष 1952 में निर्गत किया गया होता तब इसे 1972 के पहले किसी राजस्व पदाधिकारी के समक्ष या विधि के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया था।

(e) अगर इसे वास्तव में वर्ष 1952 में निर्गत किया गया था तब श्रीमती कुमुदिनी सिन्हा ने इस हुकुमनामा के आधार पर रजिस्टर-II में अपना नाम नामांतरित क्यों नहीं करवाया? सादा हुकुमनामा के समर्थन में कोई किराया रसीद नहीं दिया गया है।

उपर वर्णित सभी बिन्दु दर्शाते हैं कि सादा हुकुमनामा के फलस्वरूप इस भूमि की बन्दोबस्ती का वृत्तांत सरकारी भूमि हड़पने की दृष्टि से कूटरचित किया गया है। अभिलेख पर यह सुझाने के लिए कुछ भी नहीं है कि श्रीमती कुमुदिनी सिन्हा का वास्तव में अभिकथित सादा हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हुआ था। अतएव, श्रीमती कुमुदिनी सिन्हा, श्रीमती ए॰ बी॰ डेविस एवं माउंट सहकारी गृह निर्माण समिति से उद्भूत होने वाले सभी पश्चातवर्ती सम्व्यवहार विधि तथा राजस्व प्रक्रियाओं की दृष्टि में दोषपूर्ण हैं।''

इस पृष्ठभूमि में दिनांक 17.7.2001 का आक्षेपित आदेश उपायुक्त, राँची द्वारा पारित किया गया था। यह न्यायालय पाता है कि रिट याचिका में यह कथित किया गया है कि किराया रसीद जोध नारायण तिवारी द्वारा निर्गत किया गया था, किन्तु इस किराया रसीद के संबंध में न तो कोई विवरण वर्णित किया गया है और न ही इसकी कोई प्रति इस रिट याचिका के साथ दाखिल की गयी है। यह किराया रसीद अवर प्राधिकारियों के समक्ष दाखिल या पेश भी नहीं की गयी थी जैसा कि आक्षेपित आदेश से ही प्रकट है। इस पृष्ठभूमि में यह न्यायालय उपायुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 17.7.2001 के आक्षेपित आदेश

में कोई अवैधानिकता या अनुचितता नहीं पाता है जो कि एक सुतार्किक आदेश है तथा उपायुक्त ने उपयुक्त प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि इस सादा हुकुमनामा के अनुसरण में हुये सभी पश्चातवर्ती सम्व्यवहार विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण हैं।

(f) चूँकि प्रश्नगत संपत्ति पर बाद में जमाबंदी खोले जाने समेत याची का संपूर्ण दावा सादा हुकुमनामा पर आधारित है जिसे उपायुक्त, राँची द्वारा असली दस्तावेज नहीं पाया गया था तथा यह निष्कर्ष अपीलीय प्राधिकारी द्वारा संपुष्ट किया गया था, इस न्यायालय का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि जमाबंदी का आक्षेपित आदेश केवल बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन कार्यवाहियों में अभिलिखित प्रतिकूल निष्कर्ष हैं। इस न्यायालय का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची अनिर्बंधित दस्तावेज अर्थात् सादा हुकुमनामा के आधार पर किसी विधिक अधिकार, अभिधान, हित या कब्जा का दावा नहीं कर सकता है, जिसे असली नहीं पाया गया था, अगर उक्त दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी खोला खोला भी गया था तथा जारी रखा गया था।

(g) यह न्यायालय आगे पाता है संपूर्ण रिट याचिका में याची ने सादा हुकुमनामा की विशुद्धता के संबंध में दिनांक 17.7.2001 के आक्षेपित आदेश में अभिलिखित निष्कर्ष को चुनौती भी नहीं दी है तथा इस रिट याचिका में ग्रहण किया गया तथा याची के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया एकमात्र बिन्दु यह है कि लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। इन परिस्थितियों में रिट याची को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(h) यह न्यायालय यह भी पाता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने सम्प्रेक्षित किया है कि अपील ही निराशाजनक रूप से कालवर्जित था तथा यह चार वर्षों के उपरांत दाखिल किया गया था। संपूर्ण रिट याचिका में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने में विलम्ब के संबंध में कोई प्रकथन नहीं है तथा इसको लेकर कोई प्रकथन नहीं है कि क्या विलम्ब की माफी के लिए कोई याचिका कभी दाखिल की गयी थी या नहीं। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण रिट याचिका में इसको लेकर कोई कथन नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने में याची ने चार वर्षों का समय क्यों लिया। मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने उपयुक्त रूप से अपील को कालवर्जित अभिनिर्धारित किया है तथा उचित रूप से अपील को इसे ग्रहण करने के चरण पर ही खारिज कर दिया है।

(i) यह न्यायालय यह भी पाता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कि अपील कालवर्जित है, मामले को गुणागुणों पर विनिश्चित भी किया है तथा उपायुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 17.7.2001 का आदेश बरकरार रखा है। दोनों अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों की दृष्टि में कि याची द्वारा दावा किया गया अभिकथित सादा हुकुमनामा एक असली दस्तावेज नहीं है, यह न्यायालय आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनुचितता नहीं पाता है।

10. उपरोक्त निष्कर्षों की दृष्टि में तथा इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

माननीय श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति

परमेश्वर कुंभकार

बनाम

श्यामपद कुंभकार एवं अन्य

W.P.(C) No.5040 of 2017. Decided on 1st October, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XLI नियम 27—अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना—आवेदन का अस्वीकरण—सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन पर अपील की अंतिम सुनवायी के चरण पर विचार किया जायेगा—किन्तु, इस प्रकार के मामले में जिसमें प्रतिवादी अपीलीय न्यायालय द्वारा कारित तकनीकी त्रुटि पर वाद में कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है, अर्थात वह चरण जिसपर आवेदन सुना जाना चाहिए था, आक्षेपित आदेश के साथ हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 3 एवं 4)

निर्णयज विधि.—(2012) 8 SCC 148—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Ramchander Sahu, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

याची जो अभिधान वाद सं॰ 262 वर्ष 2011 में प्रतिवादी था, अभिधान अपील सं॰ 101 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 8.6.2017 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के अधीन उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री रामचंदर साहू निवेदन करते हैं कि अपीलीय न्यायालय को अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने की प्रचुर शक्ति है।

3. निस्संदेह, सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के उप-नियम 1(b) के अधीन अपीलीय न्यायालय किसी सारवान कारण से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकता है, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग सि॰ प्र॰ सं॰ के नियम 27 के अधीन उपबंधित परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाना है। यह प्रावधानित करता है कि पक्षों को अपीलीय चरण पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। स्वीकृत रूप से, प्रतिवादी ने अभिधान वाद सं॰ 262 वर्ष 2011 में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था किन्तु लिखित कथन वाद में प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य का रूप नहीं ले सकता है। **(2012) 8 SCC 148** में प्रकाशित **''भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं एक अन्य''** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XLI नियम 27 के अधीन आवेदन पर अपील की अंतिम सुनवायी के चरण पर विचार किया जायेगा। किन्तु, इस प्रकार के मामले में जिसमें प्रतिवादी अपीलीय न्यायालय द्वारा कारित तकनीकी त्रुटि पर वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, अर्थात् उस चरण पर जब पूर्वोक्त आवेदन सुना जाना चाहिए था, दिनांक 8.6.2017 के आक्षेपित आदेश के साथ हस्तक्षेप अवांछित है।

4. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

माननीय राजेश कुमार, न्यायमूर्ति

यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं॰ लि॰

बनाम

याकूब टोप्पो एवं अन्य

M.A. No.120 of 2013. Decided on 11th October, 2018.

मुआवजा मामला सं॰ 313 वर्ष 2002 में विद्वान पीठासीन पदाधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, राँची द्वारा पारित दिनांक 20.2.2013 के निर्णय के विरूद्ध।

मोटर यान अधिनियम, 1988—धाराएँ 168 एवं 173—दुर्घटना में मृत्यु—जहाँ तक मोटरसाईकिल का संबंध है, कोई योगदायी उपेक्षा नहीं थी तथा संपूर्ण उपेक्षा का जिम्मेदार बस

को ठहराया गया है—जहाँ तक मापदंडों का संबंध है, पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है तथा उस आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है—आयु 23 वर्ष, 4 महीने तथा 20 दिन अभिलिखित किया गया है, आय 5959/- रूपया प्रतिमाह के तौर पर लिया गया है, भावी संभावना 50% प्रदान किया गया है; व्यक्तिगत व्ययों के मद में आय के आधे की कटौती की गयी है क्योंकि मृतक अविवाहित था; 18 का गुणक प्रदान किया गया है—दुर्घटना अपराधकारी बस के चालक द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही से गाड़ी चलाये जाने के कारण घटित हुआ है—अपील खारिज। (पैराएँ 7, 8, 13, 14 एवं 15)

निर्णयज विधि.—2017 (4) JLJR (SC) 275—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Ashutosh Anand, For the Appellant; Mr. Arvind Kr. Lall, For the Resp. No.1 & 2.

आदेश

अपीलार्थी के अधिवक्ता तथा दावेदारों के अधिवक्ता को सुना। प्रत्यर्थी सं० 6–न्यू इंडिया एश्योरेंस कं० लि० की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

2. दिनांक 3.3.2014 के आदेश के तहत, यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि मामला प्रत्यर्थी सं० 6 के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से चलना चाहिए क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि० उपस्थित नहीं हुआ है। आज भी, प्रत्यर्थी सं० 6 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

3. पक्षों के अभिवचनों तथा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, तथ्य जो प्रतीत होता है यह है कि 23.11.2002 को, मृतक अर्थात तेज कुमार टोप्पो अपने दोस्त के साथ पिछले सीट पर सवार व्यक्ति के तौर पर निबंधन सं० JH-01B-4261 वाले मोटरसाईकिल से हुतार से मंडार की ओर यात्रा कर रहा था। वाहन अरूण कुमार खालखो द्वारा चलाया जा रहा था। यह अभिकथित किया गया है कि बिजुपारा बस्ती के निकट, निबंधन सं० BR-14P-3511 वाली बस ने मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मार दिया है, जिसके परिणामत: तेज कुमार टोप्पो को गंभीर चोटें आयी थी, जिसकी बाद में उसी दिन उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मृतक बिहार रेजिमेंट में कॉन्सटेबल था।

4. वर्तमान मामले में दो वाहनों के बीच दुर्घटना तथा मृत्यु पर विवाद नहीं किया गया है।

5. विद्वान अधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे विरचित किये हैं:-

1. क्या यथा विरचित मुआवजा मामला पोषणीय है?

2. क्या आवेदकों का मुआवजा का दावा करने का कोई वाद हेतुक या अधिकार है?

3. क्या दावा मामला आवश्यक पक्षकारों के संयोजन या असंयोजन से ग्रस्त है?

4. क्या मृतक तेज कुमार टोप्पो की मृत्यु अपराधकारी बस सं० BR-14P-3511 तथा मोटरसाईकिल सं० JH-01B-4261 के उपयोग से उद्भूत मोटर यान दुर्घटना के कारण परिणत हुई थी?

5. क्या दुर्घटना बस सं० BR-14P-3511 तथा मोटर साइकिल सं० JH-01B-4261 के चालकों के लापरवाह तथा उपेक्षापूर्ण चालन के कारण हुई थी?

6. क्या वाहनों अर्थात् BR-14P-3511 एवं मोटरसाईकिल सं० JH-01B-4261 के चालकों के पास दुर्घटना के तात्विक समय पर वैध तथा प्रभावकारी चालन अनुज्ञप्ति थी?

7. क्या दुर्घटना दोनों वाहनों के टकराने के कारण हुई थी इस प्रकार अगर मुआवजा अधिनिर्णीत किया जाता है, उसे दोनों वाहनों के मालिकों तथा बीमाकर्ताओं के बीच 50:50 के अनुपात में प्रभाजित कर दिया जाना चाहिए?

8. क्या आवेदक मुआवजा पाने के हकदार हैं? अगर ऐसा है तो किससे एवं किस सीमा तक?

9. क्या आवेदक कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों को पाने के हकदार हैं?

6. मुद्दा सं॰ 4, 5 एवं 7 पर विचार करते हुए, अधिकरण द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि दुर्घटना BR-14P-3511 सं॰ वाले बस के उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही से चालन के कारण घटित हुई है।

7. निष्कर्षों से, यह प्रतीत होता है कि कोई योगदायी उपेक्षा नहीं थी जहाँ तक कि मोटरसाईकिल का संबंध है तथा संपूर्ण उपेक्षा के लिए बस को जिम्मेदार ठहराया गया है।

8. जहाँ तक मापदंडों का संबंध है, पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं तथा उस आधार पर, निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है। आयु 23 वर्ष, 4 महीने एवं 20 दिन आकलित की गयी है; आय 5959/- रूपये प्रति माह के तौर पर लिया गया है, भावी संभावना 50% प्रदान की गयी है; व्यक्तिगत व्ययों के मद में आय के आधे की कटौती की गयी है; क्योंकि मृतक अविवाहित था; 18 का गुणक प्रदान किया गया है। इस प्रकार, उक्त कारक पूरी तरह से (2017) 4 JLJR (SC) 275 **(नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य)** में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आज्ञा के अनुरूप है।

9. बस तथा मोटरसाईकिल के चालकों की उपेक्षा के संबंध में उठाये गये विवाद से कोई संबंध नहीं है, जहाँ तक पीड़ित की मुआवजा की हकदारी तथा मात्रा का संबंध है।

10. प्रत्यर्थी सं॰ 6, जो मोटरसाईकिल का बीमाकर्ता है, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है।

11. अभिलेख विशेषकर प्रत्यर्थी सं॰ 6–न्यू इंडिया एश्योरेंस कं॰ लि॰ द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण रिपोर्ट (प्रदर्श 6) के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना के केवल ताथ्यिक विवरणों को प्रकट किया गया है तथा किसी पक्षकार की कोई उपेक्षा प्रकट ही नहीं की गयी है। टिप्पणी में, यह वर्णित किया गया है कि पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार तथा उत्तरदायी पाते हुए बस के चालक के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया है।

12. इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने अन्वेषण के उपरांत, बस चालक को दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाया है।

13. उक्त सामग्री की दृष्टि में, मैं जहाँ तक विद्वान अधिकरण द्वारा अभिलिखित इस प्रभाव के निष्कर्ष का संबंध है कि बस का मालिक दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था, दिनांक 20.2.2013 के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। दुर्घटना अपराधकारी बस के चालक के अंधाधुंध एवं लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई है।

14. उक्त परिचर्चा की दृष्टि में, मैं वर्तमान अपील में कोई सार नहीं पाता हूँ।

15. तद्नुसार, वर्तमान विविध अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

16. अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी सांविधिक राशि, अगर कोई हो, इसके संवितरण के लिए निष्पादक न्यायालय को अग्रसारित की जायेगी।

माननीय कैलाश प्रसाद देव, न्यायमूर्ति

सजनलाल जायसवाल एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 897 of 2004. Decided on 4th September, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 193 वर्ष 2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ V, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.4.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 21.4.2004 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 395 एवं 412—डकैती तथा चुरायी गयी वस्तु अपने पास रखना—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश—डकैती के आरोप से दोषमुक्ति—जब्ती गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये गये—अभियोजन ने यह सिद्ध करने के अपने भार का उन्मोचन नहीं किया है कि अपीलार्थियों का बेईमानी करने का इरादा था तथा उन्हें यह जानकारी थी कि विद्युत मोटर डकैती में चुरायी गयी वस्तुयें हैं—अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देकर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 412 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 12 से 14)

निर्णयज विधि.—(2002) 6 SCC 247 ; (1991) 2 Crimes 726—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s P.K. Mukhopadhyay, Birendra Kumar, Amicus Curiae, For the Appellants; Mr. Hardeo Prasad Singh, For the State.

न्यायालय द्वारा.—वर्तमान दाण्डिक अपील सत्र विचारण सं॰ 193 वर्ष 2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ V, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.4.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 21.4.2004 के दण्डादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने का दोषी पाया गया है तथा प्रत्येक को 5,000/- रूपयों के जुर्माना के साथ तीन वर्षों का कठोर कारावास अधिनिर्णीत किया है तथा जुर्माना की राशि के भुगतान के व्यतिक्रम में, छह माह का सामान्य कारावास भुगतने से दण्डित किया गया है। इसी आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया है।

2. अभियोजन मामला बी॰ के॰ सिन्हा, उप मुख्य खान अभियंता, इनक्लाइन माइन, सुदामडीह के समक्ष प्रभारी पदाधिकारी, सुदामडीह पुलिस थाना के समक्ष प्रस्तुत 13.12.1994 की लिखित रिपोर्ट पर आधारित है उसमें यह अभिकथन करते हुए कि डकैती पुराने ढलान पर 12.12.1994 की रात्रि शिफ्ट के दौरान लगभग 1:00 बजे कारित की गयी थी तथा लगभग 50,000/- रूपयें के गहने लूट लिये थे। सूचनादाता ने आगे अभिकथित किया कि 10-12 व्यक्ति ढलान खान के गेट सं॰ 2 से होकर घुस गये तथा लोगों को बंधक बना लिया, जो वहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे तथा पाँच विद्युत मोटर ले लिये थे जिनकी संख्यायें थी:- (1) Sl. No. 19420922/4C0429 (2) Sl. No. 19420930/4C0427 (3) Sl. No. 19420930/4C2780 (4) Sl. No. BEC-22652 (5) Sl. No. 85311187. सूचनादाता ने आगे अभिकथन किया कि शंकर तूरी प्रहरी गेट सं॰ 2 पर तैनात था, कन्हैया सिंह चालक प्रहरी के पास बैठा था, खेतू रवानी, टी॰ आर॰ डब्ल्यू॰ (इन्क्लाइन) तथा निजाम मियां, टी॰ आर॰ डब्ल्यू॰ (इन्क्लाइन) ड्यूटी पर थे, जब अज्ञात अभियुक्तों द्वारा यह अपराध किया गया था। इस बीच, अंबिका यादव एवं जगदीश रॉय नामक दो डंपर चालक वहाँ पहुँचे, जिन्हें भी डकैतों द्वारा पकड़ लिया गया था। डकैत रबर बेल्ट तथा एलुमिनियम केबल लादने का प्रयास कर रहे थे किन्तु वे ऐसा करने में सफल नहीं हो

सके। अपराध 30 मिनट तक कारित किया गया था जिससे लगभग 50,000/- रूपये की क्षति कारित हुई थी।

3. उप मुख्य खनन अभियंता, इन्क्लाइन माइन, सुदामडीह की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, सुदामडीह पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन सुदामडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 417 वर्ष 1994 दिनांक 13.12.1994 दर्ज किया है।

4. अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/412 के अधीन दिनांक 14.3.1995 के सं॰ 75 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

5. दिनांक 4.4.1995 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है तथा दिनांक 21.3.2002 के आदेश के तहत सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किया गया है।

6. वर्तमान अपीलार्थीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 395 एवं 412 के अधीन 25.7.2002 को आरोप विरचित किया गया है, जहाँ अपीलार्थीगण ने अपनी अंतर्ग्रस्तता से इनकार किया है तथा कथन किया है कि उन्हें इस मामले में मिथ्यापूर्वक फंसाया गया है, इस प्रकार, अपीलार्थीगण को विचारण पर रखा गया था। अन्य चार आरोपपत्रित अभियुक्तों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है।

7. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के क्रम में कुल पाँच गवाहों की परीक्षा की है तथा प्रदर्श 6/3 तक कई दस्तावेज भी प्रदर्शित किये थे। कन्हैया सिंह, डंपर चालक की परीक्षा अ॰ सा॰ 1 के तौर पर की गयी है, शंकर तूरी सुरक्षा प्रहरी की परीक्षा अ॰ सा॰ 2 के तौर पर की गयी है, निजाम मियां, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कर्मचारी की परीक्षा अ॰ सा॰ 3 के तौर पर की गयी है, हृदय कुमार लाला, अधिवक्ता लिपिक की परीक्षा अ॰ सा॰ 4 के तौर पर की गयी है तथा उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, प्रताप धारी सिन्हा, मामले के अन्वेषण पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी की परीक्षा अ॰ सा॰ 5 के तौर पर की गयी है।

चार जब्ती सूचियों पर हृदय कुमार लाला के हस्ताक्षर प्रदर्श 1 से 1/3 के तौर पर सिद्ध एवं चिन्हित किया गया है, लिखित रिपोर्ट का फॉरवर्डिंग पत्र प्रदर्श 2 के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है, प्राथमिकी पर शैलेन्द्र के हस्ताक्षर प्रदर्श 3 के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है, प्राथमिकी पर प्रभारी पदाधिकारी का पृष्ठांकन प्रदर्श 4 के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है, बबलू कुमार सिंह (फरार अभियुक्त) का इकबालिया बयान प्रदर्श 5 के तौर पर चिन्हित तथा सिद्ध किया गया है, चार जब्ती सूचियाँ प्रदर्श 6 से 6/3 के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध की गयी है।

8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थीगण का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन 24.3.2004 को अभिलिखित किया गया है, जहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही उनके कब्जे से कुछ भी बरामद किया गया है किन्तु उन्होंने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसके सिवाय कि उन्होंने जब्ती गवाह हृदय कुमार लाला (अ॰ सा॰ 4) का दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभिलिखित बयान सिद्ध किया है, जिसे बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श- A के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है।

9. पक्षों को सुनने तथा अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इन अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन दोषसिद्ध किया है किन्तु इसी आक्षेपित निर्णय द्वारा इन सभी तीनों अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीगण ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश की आलोचना करते हुए इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान दाण्डिक अपील दाखिल किया है।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ के॰ मुखोपाध्याय, अधिवक्ता जिनकी सहायता श्री बिरेन्द्र कुमार, न्यायमित्र द्वारा की गयी है, को सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि में दोषपूर्ण है तथा विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रह सकता है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन दोषमुक्त किया है तथा अपीलार्थीगण को गलत प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन दोषसिद्ध किया है।

विद्वान न्यायमित्र ने **(2002) 6 SCC 247** में प्रकाशित **के॰ वेंकटेश्वर राव उर्फ वेंकटलाल उर्फ आई॰ राव बनाम आरक्षी निरीक्षक के प्रतिनिधित्व में राज्य, आंध्र प्रदेश** के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि: **''वस्तुओं के चुरायी गयी वस्तुयें होने की जानकारी रखने तथा इसे सिद्ध करने का भार अभियोजन पर होता है तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर अभियोजन के इस भार का निर्वहन करने में विफल रहने पर'',** अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन दोषमुक्त किये जाने का हकदार होता है। विद्वान न्यायमित्र ने **(1991) 2 Crimes 726** में प्रकाशित **प्रसाद बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य में** उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है, जहाँ उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए पाँच अवयव अधिकथित किये हैं, जो निम्नवत हैं:—

(a) संपत्ति चुरायी गयी संपत्ति है।

(b) यह डकैती से संबंधित है,

(c) अभियुक्त ने इसे प्राप्त किया था या प्रतिधारित किया था,

(d) इस प्रकार की प्राप्ति या प्रतिधारण बेईमानी से की गयी है; तथा

(d) अभियुक्त जानता था या उसके पास विश्वास करने का कारण था कि संपत्ति उसके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति से प्राप्त या प्रतिधारित की गयी थी जो डकैतों के गिरोह का सदस्य है।

विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उनके घर से अभिकथित रूप से बरामद संपत्ति चुरायी गयी संपत्ति है, न ही अभियोजन ने यह सिद्ध किया है कि इन आवेदकों को उनके घर से बरामद संपत्ति चुरायी गयी होने के बारे में जानकारी थी। विद्वान न्यायमित्र ने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि ये जब्त विद्युत मोटर अभिकथित डकैती से संबंधित हैं, दूसरी ओर इन अपीलार्थियों को पहले ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन आरोप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। विद्वान न्यायमित्र ने आगे निवेदन किया है कि इन अपीलार्थियों द्वारा ऐसी वस्तुयें प्रतिधारित करना अपने आप में अवैधानिक नहीं थी और न ही अभियोजन ने यह सिद्ध किया है कि इन अपीलार्थियों का इन विद्युत मोटरों को प्रतिधारित करने का बेईमानी भरा आशय था जो डकैती से संबंधित हैं एवं इस प्रकार, विद्वान न्यायमित्र ने निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की दृष्टि में, जैसा कि उपर कथन किया गया है, अपीलार्थीगण संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने के हकदार हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ के॰ मुखोपाध्याय ने निवेदन किया है कि कन्हैया सिंह (अ॰ सा॰ 1) तथा जब्ती गवाह हृदय कुमार लाला (अ॰ सा॰ 4) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया

गया है। शंकर तूरी (अ॰ सा॰ 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने किसी अभियुक्त को नहीं पहचाना है। निजाम मियां (अ॰ सा॰ 3) का कथन इसी प्रकार का है। प्रताप धारी सिन्हा (अ॰ सा॰ 5–मामले के अन्वेषण पदाधिकारी) ने कथन किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 399 एवं 402 सहपठित आयुध अधिनियम की धाराएँ 25A/26 तथा 35 के अधीन एक भिन्न मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक बबलु कुमार सिंह ने अपना दोष स्वीकार किया है तथा अन्य मामले में बबलू कुमार सिंह का इकबालिया बयान वर्तमान मामले में प्रदर्श 5 के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है। बबलू कुमार सिंह द्वारा एक भिन्न मामले में की गयी ऐसी स्वीकारोक्ति के आधार पर इन अपीलार्थियों के घर से तीन विद्युत मोटर की बरामदगी की गयी है तथा जब्ती सूची तैयार किया गया है, जिसपर हृदय कुमार लाला (अ॰ सा॰ 4) द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जिसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा बचाव पक्ष ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने बयान प्रदर्शित कराये थे, जिसे प्रदर्श– A के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है। सह–अभियुक्त बबलू कुमार सिंह वर्तमान मामले में फरार है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इन अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है एवं इसलिए, उन्हें इस माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जाय।

11. राज्य के विद्वान अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक श्री हरदेव प्रसाद सिंह को सुना। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने इन अपीलार्थियों को उपयुक्त प्रकार से दोषसिद्ध किया है जिनके घरों से तीन विद्युत मोटर बरामद किये गये हैं, जो डकैती की विषय वस्तु है तथा जब्ती सूची तैयार की गयी है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन, यह प्रकट करना अपीलार्थीगण का कर्तव्य है कि इन विद्युत मोटरों को उन्होंने कहाँ से खरीदा है जिसे उनके घर से बरामद किया गया है एवं इस प्रकार, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर आधारित है।

12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ के॰ मुखोपाध्याय जिनकी सहायता श्री बिरेन्द्र कुमार, न्यायमित्र द्वारा की गयी है तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक, श्री हरदेव प्रसाद सिंह को सुना। इस न्यायालय ने अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य तथा विद्वान न्यायमित्र द्वारा उद्धृत निर्णय का परिशीलन किया है। इस न्यायालय ने कन्हैया सिंह (अ॰ सा॰ 1) तथा हृदय कुमार लाला (अ॰ सा॰ 4) के साक्ष्य की संवीक्षा की है। अ॰ सा॰ 1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अभियुक्तों में से किसी को नहीं पहचाना है तथा उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 4, जब्ती गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभिलिखित उसका बयान बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्श A के तौर पर चिन्हित एवं सिद्ध किया गया है, जहाँ उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में कुछ भी अभिलिखित नहीं किया गया है तथा उसने सुदामडीह पुलिस थाने के उप–निरीक्षक के दबाव में सादे कागज पर अपना हस्ताक्षर किया था। शंकर तूरी (अ॰ सा॰ 2) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अभियुक्तों में से किसी को भी नहीं पहचाना है। प्रताप धारी सिन्हा (अ॰ सा॰ 5–मामले के अन्वेषण पदाधिकारी) जिन्होंने अभियुक्तों के एक गिरोह को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 399 एवं 402 सहपठित आयुध अधिनियम की धाराओं 25A/26 तथा 35 के अधीन एक पृथक मामला दर्ज किया गया है। उस मामले

में, अभियुक्तों में से एक बबलू कुमार सिंह ने अपना दोष स्वीकार किया है तथा उसके आधार पर तीन विद्युत मोटरों को इन तीन अपीलाथियों के घर से बरामद किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से, यह प्रकट है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि इन अपीलार्थियों का कोई बेइमानी भरा आशय था या यह जानकारी थी कि ये वस्तुयें जो अभिकथित रूप से इन अपीलार्थियों के घर से बरामद किया गया है, डकैती की विषय वस्तु हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने इन तीन अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया है।

इस न्यायालय ने **(2002) 6 SCC 247 (ऊपर)** में यथा प्रकाशित विद्वान न्यायमित्र द्वारा उद्धृत निर्णय के पैराग्राफ 5 का परिशीलन किया है, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:– **''यह जानकारी सिद्ध करने का भार अभियोजन पर जाता है तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर अभियोजन के इस भार का निर्वहन करने में विफल रहने पर अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।''** यहाँ जब्ती गवाह जिसकी इस मामले में परीक्षा की गयी है, को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन ने यह सिद्ध करने के अपने भार का उन्मोचन नहीं किया है कि इन अपीलार्थियों का बेईमानी भरा आशय था तथा उन्हें जानकारी थी कि ये विद्युत मोटर डकैती की विषय वस्तु थी, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि इस मामले में परीक्षित जब्ती गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

13. उपर की गयी परिचर्चाओं पर विचार करके तथा अभियेाजन गवाहों के साक्ष्य से, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थीगण संदेह का लाभ प्रदान करके भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किये जाने के हकदार हैं।

14. परिणामत:, जी॰ आर॰ सं॰ 4767 वर्ष 1994 के तत्सम सुदामडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 417 वर्ष 1994 के संबंध में सत्र विचारण सं॰ 193 वर्ष 2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ V, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.4.2004 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 21.4.2004 के दण्डादेश एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं एवं अपीलार्थीगण संदेह का लाभ देकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 412 के अधीन आरोप एवं दोषसिद्धि से दोषमुक्त किये जाते हैं।

15. अपीलार्थीगण जो जमानत पर हैं, को उनके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से निर्मुक्त किया जाता है।

16. निर्णय से अलग होने के पहले, यह न्यायालय इस मामले में श्री बिरेन्द्र कुमार, न्यायमित्र द्वारा दी गयी सहायता की सराहना करता है।

17. तद्नुसार, वर्तमान दाण्डिक अपील अनुज्ञात की जाती है।

18. इस निर्णय की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु तुरंत संबंधित न्यायालय भेजे जायें।

19. जहाँ तक इस मामले के चारों फरार अभियुक्त व्यक्तियों का संबंध है, विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद को उन फरार अभियुक्तों के विरूद्ध विधि के अधीन आवश्यक आदेशिका निर्गत करके सभी प्रपीड़क कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, अगर उन्होंने विचारण का सामना नहीं किया है जो ऐसी आदेशिका निर्गत करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर वरीय आरक्षी अधीक्षक, धनबाद द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

माननीया अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

बिमला देवी एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 1966 of 2004. Decided on 20th July, 2018.

(क) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धाराएँ 46(4) एवं 71-A—भूमि का प्रत्यावर्तन—अभिलिखित रैयत को निबंधित दस्तावेज के आधार पर 1942 से संपत्ति से बेदखल किया गया था—विधि की दृष्टि में अभ्यर्पण के विलेख एवं बन्दोबस्ती के विलेख के संबंध में कोई अवैधानिकता नहीं थी क्योंकि यह वर्ष 1942 का था—मात्र इस कारण से कि अंतर्ग्रस्त संपत्ति भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन निर्गत अधिसूचना में सम्मिलित किया गया था, वह इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है कि निजी प्रत्यर्थी का वर्ष 1975 से ही संपत्ति पर भौतिक कब्जा था—प्रत्यावर्तन मामले एवं प्रत्यावर्तन अपील में पारित आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 13, 14 एवं 15)

(ख) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961—धारा 11—अधिकतम सीमा का निर्धारण—अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन से, व्यक्ति के पास संपत्ति का भौतिक कब्जा होने की आवश्यकता नहीं है—स्थानीय निरीक्षण एवं स्थानीय जाँच भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1961 के अधीन संचालित किया जाना है किन्तु यह संपत्ति का भौतिक कब्जा सत्यापित करने को नहीं कहता है। (पैरा 13)

निर्णयज विधि.—(2000) 5 SCC 141; 2004 (4) JLJR 109 (SC); (2008) 2 JCR 1 (SC); 1988 BLT 185; (1985) PLJR 732 (FB); AIR 1992 SC 196—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. Kundan Kumar Ambastha, For the Petitioners; M/s P.P.N. Roy, Pragati Prasad, For the Respondents.

आदेश

याचीगण की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री कुंदन कुमार अम्बष्ठ को सुना।

2. निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ रॉय को सुना जिनकी सहायता अधिवक्ता सुश्री प्रगति द्वारा की गयी है।

3. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री आशीष कुमार ठाकुर को सुना।

4. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:—

''इस रिट याचिका के परिशिष्ट 4 में अंतर्विष्ट प्रत्यावर्तन मामला सं॰ 16/85-86 में डी॰ सी॰ एल॰ आर॰, बेरमो द्वारा पारित दिनांक 7.2.1986 के आदेश जिसके द्वारा छो॰ अ॰ अधिनियम की धारा 46(4) में अंतर्विष्ट प्रावधान के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में ग्राम गझंडीह, थाना जरीडीह जिला गिरीडिह में अवस्थित खाता सं॰ 45 के भूखंड सं॰ 33 की 9.63 एकड़ भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए आदेश पारित किया गया है, को अभिखंडित करने के लिए यथोचित रिट/नियम/आदेश/निर्देश निर्गत करने के लिए एवं प्रत्यावर्तन अपील सं॰ 32/85-86 में अपर समाहर्ता, गिरीडिह द्वारा पारित दिनांक 12.5.1988 का आदेश अभिखंडित करने के लिए जिसके द्वारा याचीगण द्वारा दाखिल

अपील खारिज कर दी गयी है (परिशिष्ट–5) तथा इस रिट याचिका के परिशिष्ट–8 में अंतर्विष्ट याचीगण द्वारा दाखिल पुनरीक्षण खारिज करते हुए भूमि प्रत्यावर्तन पुनरीक्षण सं० 84/99 में आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर डिवीजन, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 25.11.2003 का आदेश अभिखंडित करने के लिए तथा ऐसे अन्य अनुतोष या अनुतोषों के लिए जिसका याचीगण को वैधानिक रूप से हकदार पाया जाय।''

5. याचीगण के अधिवक्ता निम्नवत निवेदन करते हैं:-

(a) तिलाई मांझी, बाबुलाल मांझी एवं ठाकुर मांझी इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति के अभिलिखित अभिधारी थे। दिनांक 20.4.1942 के अभ्यर्पण के निबंधित विलेख के माध्यम से अभिलिखित अभिधारी ने संपत्ति भूस्वामी के पक्ष में अभ्यर्पित कर दी थी जिसका संपत्ति पर कब्जा हो गया था एवं इसके उपरांत, भूतपूर्व भूस्वामी ने मूल रिट याचीगण के पिता के पक्ष में दिनांक 20.4.1942 के काबूलियत के एक अन्य निबंधित विलेख के माध्यम से संपूर्ण संपत्ति बन्दोबस्त कर दी थी। इसके उपरांत, याचीगण नियमित रूप से भूस्वामी को किराये का भुगतान कर रहे थे तथा राज्य में निहित होने के उपरांत, याचीगण को रैयत के तौर पर मान्यता दी गयी है तथा वे नियमित रूप से बिहार राज्य को किराये का भुगतान कर रहे हैं।

(b) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अभ्यर्पण के निबंधित विलेख एवं बन्दोबस्ती के निबंधित विलेख की तिथि जिसमें से दोनों 20.4.1942 की है, की तिथि से 43 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत, प्रत्यर्थी सं॰ 5 (चूँकि मृतक को प्रतिस्थापित किया गया था) ने छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46(4) के अधीन भूमि के प्रत्यावर्तन का दावा करते हुए 30.7.1985 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो तेनुघाट के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया यह अभिकथन करते हुए कि मूल प्रत्यर्थी सं॰ 3 को जबरदस्ती केवल आठ वर्ष पहले बेदखल किया गया था। इस आवेदन के आधार पर, भूमि प्रत्यावर्तन मामला सं॰ 16 वर्ष 1985–86 दर्ज किया गया था। इसके उपरांत, याची द्वारा एक कारण पृच्छा दाखिल की गयी थी यह कथन करते हुए कि उसका अभिलिखित काश्तकार द्वारा किये गये निबंधित अभ्यर्पण एवं भूतपूर्व भूस्वामी द्वारा किये गये निर्बंधित बन्दोबस्ती के आधार पर काफी पहले 20.4.1942 को पिछले 43 वर्ष तक भूमि पर स्वामित्व एवं कब्जा है। इसके उपरांत, उनका संपत्ति पर भौतिक कब्जा हो गया एवं उनका सतत कब्जा बना हुआ है।

(c) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि जैसा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पारित दिनांक 7.2.1986 के आदेश से प्रकट है, एक अभिवचन भी रखा गया था कि आवेदक का दावा परिसीमा द्वारा वर्जित था।

(d) वह निवेदन करते हैं कि इस रिट आवेदन के परिशिष्ट–4 के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन अनुज्ञात किया गया था। प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन अनुज्ञात करने का आधार यह था कि अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो द्वारा आवेदक के पिता के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन एक कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी जो कार्यवाही सं॰ 36 वर्ष 1973–74 थी तथा 1961 के पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन आवेदक के पिता द्वारा धारित भूमि का विस्तृत विवरण देते हुए प्रारूप विवरण प्रकाशित किया गया था जिसे कभी भी चुनौती नहीं दी गयी थी या प्रश्नाधीन नहीं किया गया था या वर्तमान याची द्वारा विवादित नहीं किया गया था एवं परिणामत:, 1961 के पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन उक्त प्रकाशन सभी संदेहों के परे संपुष्टि करता है कि विवादित भूमि 30.9.1975 को अर्थात् उस दिन जब 1961 के उक्त अधिनियम के धारा 11 के अधीन प्रारूप विवरण प्रकाशित किया गया था, अपीलार्थी के कब्जे में थी।

(e) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि एक ओर मूल प्राधिकार ने मामले पर विचार करते हुए 1961 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन पर संदेह के परे

प्रमाण का दस्तावेज धारित करते हुए भरोसा किया है कि प्रश्नगत भूमि 30.9.1975 को आवेदक के कब्जे में थी तथा वर्तमान याचीगण का दावा कि उनका 20.4.1942 से अर्थात् उस दिन से जब उन्होंने बन्दोबस्ती की थी, भूमि पर निरंतर कब्जा था जिसे सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे निर्धारित नहीं किया गया था।

(f) इसके उपरांत, याचीगण ने अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल किया तथा अपीलीय प्राधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो द्वारा दिये गये निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया तथा उनका निष्कर्ष पुनः 1961 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रारूप विवरण के प्रकाशन पर आधारित था।

(g) इसके विरूद्ध, याची ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि 1961 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रारूप अधिसूचना के आधार पर, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आवेदकों का संपत्ति पर कब्जा था तथा अभिनिर्धारित किया कि अंतिम प्रकाशन उपलब्ध नहीं था एवं तद्नुसार, ऐसा कोई निश्चायक निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता था एवं इसके उपरांत, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 2.4.1990 के आदेश के तहत पुनरीक्षण अनुज्ञात किया।

(h) इस आदेश के विरूद्ध, आवेदक ने रिट याचिका दाखिल किया जो सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1070 वर्ष 1990(R) था, जिसे दिनांक 10.7.1998 के आदेश के तहत निपटाया गया था तथा मामले को निम्नवत अभिनिर्धारित करके पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था:–

> *''दोनों अवर न्यायालयों द्वारा अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्ष प्रत्यर्थी आयुक्त द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किये बिना/अवर न्यायालयों द्वारा दिये गये कारण पर विचार किये बिना अपास्त किये गये हैं। आदेश को ध्यान में रखते हुए मैं पारित करने की प्रस्थापना करता हूँ कि पक्षों द्वारा इस चरण पर पेश किये गये निवेदनों पर कोई सकारात्मक निष्कर्ष देना आवश्यक नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रत्यर्थी आयुक्त ने कोई वैध कारण दिये बिना दोनों अवर न्यायालयों का आदेश अपास्त कर दिया है। तद्नुसार, मैं प्रत्यर्थी आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.5.88 का आदेश अभिखंडित करता हूँ, जिसकी प्रति इस रिट याचिका का परिशिष्ट 3 बनाया गया है तथा मामले को पक्षों को सुनने तथा साक्ष्य जो उनके समक्ष पेश किया जाता है उसपर विचार करने एवं इस न्यायालय के आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश के साथ उन्हें वापस प्रतिप्रेषित करता हूँ। आदेश को निवेदनों एवं साथ ही अभिलेख पर रखी गयी सामग्रियों के संदर्भ में एक युक्तिसंगत आदेश होना चाहिए। यह अभिलिखित किया जाय कि मैंने मामले के गुणागुणों पर कोई मत अभिव्यक्त नहीं किया है। परिणामतः दिनांक 3.4.1990 का आदेश अभिखंडित किया जाता है एवं यह रिट आवेदन उपर इंगित सीमा तक अनुज्ञात किया जाता है परंतु व्ययों के बिना।''*

(i) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 10.7.1998 के इस आदेश के अनुसरण में, आयुक्त ने पक्षों की सुनवायी करने के उपरांत दिनांक 25.11.2003 का नया आदेश पारित किया था जो कि इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश है। वह आगे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश के ही परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि सम्प्रेक्षण जो सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1070 वर्ष 1990(R) में दिनांक 10.7.1998 को पारित आदेश में किया गया था, के बावजूद कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं किया गया था।

(j) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि जहाँ तक कि याचीगण एवं निजी प्रत्यर्थीगण का संबंध है, समानान्तर जमाबंदियाँ चल रही हैं, एवं तद्नुसार, उक्त प्राधिकारी ने दोनों पक्षकारों में से किसी के भी पक्ष में चल रही जमाबंदी पर विचार नहीं किया है। किन्तु, वह निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती, जिसमें से दोनों दिनांक 20.4.1942 के हैं, को छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम,

1908 की धारा 71-A के प्रावधानों के अधीन अनुमान्य होना अभिनिर्धारित किया गया है इस आधार पर कि अगर जमीन्दार जमीन वापस भी ले लेता है, इसे केवल अनुसूचित जनजाति को ही बन्दोबस्त किया जायेगा एवं तद्नुसार, प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया है कि स्वयं बन्दोबस्ती ही शून्य है। उक्त प्राधिकारी ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि वर्तमान निजी प्रत्यर्थीगण ने कथन किया है कि भूमि हदबंदी मामला वर्ष 1975 में संस्थापित किया गया था एवं इसके उपरांत, उसे संपत्ति से बेदखल किया गया था एवं भूमि हदबंदी मामले के उपरांत, इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति अधिनियम 1961 के प्रावधानों की दृष्टि में निजी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्मुक्त किया गया था एवं अतएव, बेदखली की तिथि आठ वर्षों से अधिक नहीं हो सकती है।

(k) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 20.4.1942 का बन्दोबस्ती का निर्बंधित विलेख आक्षेपित आदेश द्वारा शून्य घोषित किया गया है इस आधार पर कि संपत्ति को अनुसूचित जनजाति समुदाय से न आने वाले व्यक्ति को बन्दोबस्त नहीं की जा सकती थी तथा आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि अभ्यर्पण का आक्षेपित विलेख शून्य घोषित नहीं किया गया है।

(l) याचीगण के अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती दोनों निर्बंधित दस्तावेज के माध्यम से की गयी थी एवं निर्बंधित दस्तावेज के पक्ष में उपधारणा होती है एवं तद्नुसार, इसपर अविश्वास नहीं किया जा सकता था या आक्षेपित आदेश द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था। वह यह भी निवेदन करते हैं कि अधिनियम 1961 के अधीन कार्यवाहियाँ एवं अधिनियम की धारा 11 के अधीन इसकी घोषणा, यद्यपि याची ने उसके प्रति अभ्यापत्ति नहीं की हो, यह इंगित नहीं करता है कि निजी प्रत्यर्थीगण 1975 तक संपत्ति पर काबिज थे।

(m) वह आगे निवेदन करते हैं कि यही तथ्य कि विवादित संपत्ति अभिलिखित काश्तकार द्वारा काफी पहले 20.4.1942 को एक निर्बंधित दस्तावेज द्वारा जमीन्दार के पक्ष में अभ्यर्पित की गयी थी, अभिलिखित काश्तकार के वंशज होने का दावा करने वाले व्यक्ति या अभिलिखित काश्तकार के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसा दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

(n) वह यह भी निवेदन करते हैं कि इसके अतिरिक्त, पक्षों में से किसी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया था एवं सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1070 वर्ष 1990(R) में पारित दिनांक 10.7.1998 के आदेश के बावजूद कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं किया गया था।

(o) याचीगण के अधिवक्ता ने **(2000) 5 SCC 141** में प्रकाशित निर्णय के पैराग्राफ संख्याओं 14, 15 एवं 16; (2004) 4 JLJR 109 (SC) **(सीटू साहू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** के पैराग्राफ सं॰ 13 एवं 14; **(2008) 2 JCR 1 (SC)** के पैराग्राफ सं॰ 5 एवं 1**988 BLT 185** के प्रासंगिक पैराग्राफ सं॰ 5 पर भरोसा किया है।

(p) याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि इस मामले में अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती वर्ष 1942 से संबंधित है तथा उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में निर्बंधन 5.1.1948 को अंत:स्थापित किया गया था तथा उन सम्व्यवहारों के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं था जो वर्ष 1942 में हुए थे। अतएव, संव्यवहार की विशुद्धता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती एक ही दिन अर्थात् 20.4.1942 को किये जाने से इसे एक अंतरण का सम्व्यवहार माना जाना चाहिए एवं इसे (1985) PLJR 732 (FB) में प्रकाशित इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की दृष्टि में एकल सम्व्यहार माना जाना चाहिए।

7. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि याचीगण सभी तीनों न्यायालयों में हार गये हैं तथा तथ्य का यह निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने के कारण कि निजी प्रत्यर्थी को आवेदन दाखिल

करने के केवल आठ वर्ष पहले संपत्ति से बेदखल किया गया था, अतएव तथ्य के ऐसे निष्कर्षों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति के प्रयोग में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है एवं साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

8. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि **AIR 1992 SC 196** में प्रकाशित **पांडे ओराँव** के मामले में पैराग्राफ सं॰ 6 पर यह कथन किया गया है कि निबंधित दस्तावेज जो निष्पादित किये गये हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह तिथि महत्वपूर्ण है जिसपर मूल निजी प्रत्यर्थी को संपत्ति से भौतिक रूप से बेदखल किया गया था तथा परिसीमा की अवधि की गणना संपत्ति से भौतिक रूप से बेदखली की तिथि से की जायेगी।

9. वह आगे निवेदन करते हैं कि बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन एक कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी तथा धारा 5 के अधीन रिटर्न दाखिल किये गये थे तथा जाँच की गयी थी तथा इसके उपरांत, अतिरिक्त क्षेत्र की घोषणा की गयी थी एवं उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन एक निर्णायक अधिसूचना निर्गत की गयी थी। इसके उपरांत, इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति भूमि हदबंदी क्षेत्र से मुक्त की गयी थी।

10. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन घोषणा या अधिसूचना पर कोई अभ्यापत्ति उठायी नहीं गयी थी एवं यह विशिष्ट अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक प्रमाण है कि मूल वर्तमान निजी प्रत्यर्थी सं॰ 5 का वर्ष 1975 में संपत्ति पर भौतिक कब्जा था एवं तद्नुसार, वर्तमान मामले में बेदखली की तिथि वर्ष 1975 है। किन्तु, अधिवक्ता ने सुनवायी के दौरान स्वीकार किया कि मामले में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं है एवं एकमात्र साक्ष्य जो मूल निजी प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पास था एवं जिसपर वह भरोसा कर रहा है वह वर्ष 1961 के पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन निर्गत अधिसूचना है।

11. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अतिरेक भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन विरचित नियमावली, जो कि 1963 की नियमावली है के नियम 8 को निर्दिष्ट किया है। उक्त नियमावली में, समाहर्ता द्वारा धारा 7 के अधीन प्राप्त सूचना धारा 6, 8 एवं 9 के अधीन भूधारकों की ओर से या उनके द्वारा दी गयी सूचना की जाँच करने के संबंध में धारा 10(1) के अधीन प्रक्रिया देते हुए विनिर्दिष्ट प्रावधान है। वह निवेदन करते हैं कि अंचल पदाधिकारी, अंचल विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए प्रावधान है तथा उन्हें सत्यापन करने की आवश्यकता होती है एवं की गयी घोषणा की जाँच करने की आवश्यकता होती है एवं तद्नुसार, संतुष्ट होने के उपरांत, धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी की जाती है।

12. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अगर याचीगण का संपत्ति पर कब्जा होता, संपत्ति को 1961 के पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना का एक भाग निर्मित किया जा सकता था। वह निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना में संपत्ति सम्मिलित किया जाना ही अपने आप में इस तथ्य का निश्चायक प्रमाण है कि मूल वर्तमान निजी प्रत्यर्थी का वर्ष 1975 में भौतिक कब्जा था। वह आगे निवेदन करते हैं कि अगर याचीगण इस अधिसूचना द्वारा व्यथित थे, वे इसके प्रति अभ्यापत्ति उठा सकते थे। ऐसा नहीं करने के कारण, याचीगण ने समय के प्रासंगिक बिन्दु पर स्वीकार किया था कि वर्तमान निजी प्रत्यर्थी का संपत्ति पर भौतिक कब्जा था।

13. पक्षों के अधिवक्ता की सुनवायी करने एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय निम्नवत पाता है:-

(a) वर्ष 1985 में, भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 46(4) के अधीन दाखिल किया गया था एवं आवेदन ने अभिकथित किया था कि याची ने उन्हें केवल आठ वर्ष पहले जबरदस्ती बेदखल कर दिया है एवं इस तर्क के समर्थन में कि 1975 तक मूल निजी प्रत्यर्थी का संपत्ति पर कब्जा था जिस एकमात्र साक्ष्य पर निजी प्रत्यर्थी ने भरोसा किया था वह बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन अधिसूचना था।

(b) पूर्वोक्त से सामना होने पर, वर्तमान याचीगण ने अपना कारण-पृच्छा दाखिल किया था एवं प्रख्यापित किया कि कि उनका वर्ष 1942 के पूर्वोक्त दो निर्बंधित विलेखों के परिणामत: संपत्ति पर कब्जा हुआ था एवं यह भी दावा किया था कि प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन परिसीमा की विधि द्वारा वर्जित था।

(c) मूल न्यायालय ने मामले का निर्णय करते हुए याचीगण का तर्क इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि याचीगण का तर्क सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे नहीं था एवं निजी प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत एकमात्र साक्ष्य अर्थात् कार्यवाही सं॰ 36 वर्ष 1973-74 में 1961 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन निर्गत अधिसूचना पर भरोसा किया था एवं अभिनिर्धारित किया कि कम से कम 30.9.1975 तक वर्तमान निजी पक्षकार का संपत्ति पर कब्जा था। उक्त प्राधिकार ने प्रत्यावर्तन हेतु याचिका अनुज्ञात किया क्योंकि बेदखली की अवधि केवल 8 वर्ष थी एवं परिसीमा की अवधि 12 वर्ष विहित की गयी है।

(d) अपीलीय न्यायालय ने मूल न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया एवं इसके उपरांत, पुनरीक्षण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके आदेश के साथ हस्तक्षेप किया कि प्रारूप प्रकाशन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान निजी प्रत्यर्थी का संपत्ति पर कब्जा था एवं अंतिम प्रकाशन नहीं किया गया था। इसके उपरांत, पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण अनुज्ञात कर दिया।

(e) पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध, मूल निजी प्रत्यर्थी ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1070 वर्ष 1990(R) दाखिल किया एवं इस माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुनरीक्षण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार नहीं किया था एवं इसने अवर न्यायालय द्वारा दिये गये कारणों पर विचार नहीं किया था एवं इसके उपरांत इस न्यायालय ने मामले को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए नये सिरे से सुनवायी के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास प्रतिप्रेषित कर दिया एवं यह भी इंगित किया कि इस न्यायालय ने मामले के गुणागुणों पर कोई राय अभिव्यक्त नहीं की थी।

(f) यह न्यायालय पाता है कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1070 वर्ष 1990(R) में पारित दिनांक 10.7.1998 के आदेश में इस न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता प्रदान किये जाने के बावजूद निजी प्रत्यर्थी ने कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने एकल दस्तावेज अर्थात् बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन अधिसूचना पर भरोसा किया था।

(g) यह न्यायालय यह भी पाता है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने नये सिरे से आदेश पारित करते हुए निर्बंधित बन्दोबस्ती को इस एकल आधार पर शून्य घोषित किया है कि भूमि अभ्यर्पित करने के उपरांत, इसे जमीन्दार द्वारा केवल अनुसूचित जनजाति के पक्ष में बन्दोबस्त किया जाना चाहिए था।

(h) अभिलिखित काश्तकार द्वारा तत्कालीन भूस्वामी के पक्ष में वर्ष 1942 में दिनांक 20.4.1942 के निर्बंधित अभ्यर्पण विलेख सं॰ 1551 के तहत अभ्यर्पण का एक निर्बंधित विलेख निष्पादित किया गया

था। प्रासंगिक समय पर अभिलिखित काश्तकार द्वारा भूस्वामी के पक्ष में भूमि का अभ्यर्पण उपायुक्त के पूर्वानुमोदन की पूर्व शर्त द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। ऐसा निर्बंधन 1947 के संशोधन अधिनियम के तहत 5.1.1948 के प्रभाव से अंत:स्थापित किया गया था। तद्नुसार अभ्यर्पण का यह विलेख निर्बंधित दस्तावेज होने के कारण न तो शून्य घोषित किया गया है और न ही विद्वान आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश शून्य घोषित किया जा सका था।

(i) उसी दिन अर्थात् 20.4.1942 को, निर्बंधित दस्तावेज के माध्यम से बन्दोबस्ती का एक अन्य विलेख तत्कालीन भूस्वामी द्वारा याचीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित किया गया था। इसे विद्वान आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश द्वारा इस एकल आधार पर शून्य घोषित किया गया है कि यह छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 72 के उल्लंघन में था क्योंकि ऐसा सांविधिक प्रावधान था कि भूस्वामी अभ्यर्पण के उपरांत केवल अनुसूचित जनजाति के रैयत के साथ ही भूमि पर खेती कर सकता था।

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 72 जैसा कि यह वर्ष 1942 में थी, निम्नवत पठित है:-

*''72. **रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण.**-(1) रैयत जो पट्टे या नियत अवधि के अन्य करार द्वारा आबद्ध नहीं है, कृषि वर्ष के अंत में अपनी जोत को अभ्यर्पित कर सकता है।*

(2) किन्तु अभ्यर्पण के बावजूद, रैयत अभ्यर्पण की तिथि के बाद आगामी कृषि वर्ष के लिए जोत के किराये की किसी क्षति के विरूद्ध भूस्वामी की क्षतिपूर्ति करने का दायी होगा, जबतक कि वह अभ्यर्पण करने के अपने इरादे की सूचना अभ्यर्पण के कम से कम चार महीने पहले भूस्वामी को नहीं दे देता है।

(3) रैयत अगर उपयुक्त समझता है, उपायुक्त के न्यायालय के माध्यम से नोटिस की तामीला करवायेगा जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत जोत या इसका कोई भाग अवस्थित है।

(4) जब किसी रैयत ने अपनी जोत अभ्यर्पित कर दी है, जोत को अपने कब्जे में ले सकेगा या इसे एक अन्य काश्तकार को कृषिकार्य हेतु दे सकेगा या स्वयं कृषि कर सकेगा।

(5) इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी जिसके द्वारा रैयत एवं उसका भूस्वामी जोत या जोत का एक भाग अभ्यर्पित करने की व्यवस्था कर सकेगा।''

इस धारा को 5.1.1948 के प्रभाव से 1947 में संशोधित किया गया था एवं उपायुक्त का पूर्वानुमोदन अंत:स्थापित करते हुए कतिपय निर्बंधन लगाये गये थे एवं तद्नुसार उक्त धारा 72 5.1.1948 के प्रभाव से निम्नवत पठित है:-

*''72. **रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण.**-(1) रैयत जो पट्टे या नियत अवधि के अन्य करार द्वारा आबद्ध नहीं है, कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त के लिखित पूर्वानुमोदन के साथ अपनी जोत को अभ्यर्पित कर सकता है।*

(2) किन्तु अभ्यर्पण के बावजूद, रैयत अभ्यर्पण की तिथि के बाद आगामी कृषि वर्ष के लिए जोत के किराये की किसी क्षति के विरूद्ध भूस्वामी की क्षतिपूर्ति करने का दायी होगा, जबतक कि वह अभ्यर्पण करने के अपने इरादे की सूचना अभ्यर्पण के कम से कम चार महीने पहले भूस्वामी को नहीं दे देता है।

(3) रैयत अगर उपयुक्त समझता है, उपायुक्त के न्यायालय के माध्यम से नोटिस की तामीला करवायेगा जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत जोत या इसका कोई भाग अवस्थित है।

(4) जब किसी रैयत ने अपनी जोत अभ्यर्पित कर दी है, जोत को अपने कब्जे में ले सकेगा या इसे एक अन्य काश्तकार को कृषिकार्य हेतु दे सकेगा या स्वयं कृषि कर सकेगा।

(5) इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी जिसके द्वारा रैयत एवं उसका भूस्वामी जोत या जोत का एक भाग उपायुक्त की लिखित सहमति के साथ अभ्यर्पित करने की व्यवस्था कर सकेगा।''

काश्तकार को छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 में धारा 3(xxvi) के अधीन परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत पठित है:-

''काश्तकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है एवं विशेष संविदा के माध्यम से उस व्यक्ति को उस भूमि के किराया का भुगतान करने का दायी होगा।''

शब्द रैयत को छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 6 में परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत पठित है:-

*''6. **रैयत का अर्थ.**-(1) रैयत से अभिप्रेत है मुख्य रूप से वह व्यक्ति जो इसपर स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े पर लिये गये सेवकों द्वारा या भागीदारों के सहयोग से खेती करने के प्रयोजन से भूमि धारित करने का अधिकार अर्जित करता है तथा इसमें उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया है, किन्तु इसमें मुंडारी खूँट कटियार सम्मिलित नहीं है।*

(2) कोई व्यक्ति तबतक रैयत समझा नहीं जायेगा जबतक कि वह किसी स्वत्वधारी के ठीक अधीन या किसी अभिधृति धारक के ठीक अधीन या किसी मुंडारी खूंट कटियार के ठीक अधीन भूमि धारण न करता हो।

(3) यह अभिनिर्धारित करने में कि क्या काश्तकार एक अभिधृति धारक है या रैयत, न्यायालय निम्नलिखित को ध्यान रखेगा-

(a) रीति रिवाज, एवं

(b) वह उद्देश्य जिसके लिए अभिधृति का अधिकार मूलतः अर्जित किया गया था।''

यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित आदेश में विद्वान आयुक्त का निष्कर्ष दोषपूर्ण है कि भूस्वामी ने अनुसूचित जनजाति के एक अन्य रैयत से साथ ही भूमि बन्दोबस्त कर सकता था क्योंकि धारा 72(4) स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि जब रैयत ने अपनी जोत अभ्यर्पित कर दिया है, भूस्वामी जोत पर प्रवेश कर सकता है या एक अन्य काश्तकार को इसे कृषि कार्य हेतु दे सकता है या स्वयं कृषि कर सकता है। भूस्वामी द्वारा भूमि बन्दोबस्त करने की शक्ति केवल अनुसूचित जनजाति के रैयत तक सीमित नहीं है, अपितु इसे एक अन्य काश्तकार को बन्दोबस्त करने एवं इसपर स्वयं खेती करने की शक्ति है। इस प्रकार यह न्यायालय पाता है कि विद्वान आयुक्त के निष्कर्ष कि भूस्वामी अभ्यर्पण के उपरांत केवल अनुसूचित जनजाति के रैयत के साथ ही कृषि कार्य कर सकता है, छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 के अधीन किसी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है।

(j) तर्क के क्रम के दौरान, पक्षों के अधिवक्ता विधि के किसी प्रावधान को इंगित नहीं कर सके थे जो जमीन्दार की शक्तियों पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित करता है। जहाँ तक अभ्यर्पण के विलेख का संबंध है, इसे शून्य दस्तावेज घोषित किया गया है। आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती एकल सम्व्यवहार है।

(k) पूर्वोक्त निष्कर्षों की दृष्टि में, यह न्यायालय पाता है कि संपत्ति के अभिलिखित काश्तकार को संपत्ति से काफी पहले 20.4.1942 को ही अभ्यर्पण के निबंधित दस्तावेज द्वारा तत्कालीन भूस्वामी द्वारा बेदखल किया गया था।

(l) यह न्यायालय यह भी पाता है कि संपत्ति तत्कालीन भूस्वामी द्वारा बन्दोबस्ती के निर्बंधित विलेख के माध्यम से याचीगण के पूर्वजों के पक्ष में 20.4.1942 को याचीगण के पूर्वजों के पक्ष में बन्दोबस्त किया गया था।

(m) यह न्यायालय यह भी पाता है कि जिस निर्णय पर प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा किया गया है वह (1985) PLJR 732 में प्रकाशित किया गया है एवं यह निवेदन किया गया है कि उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक ही तिथि पर किये गये अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती को एकल सम्व्यवहार माना जाना चाहिए अगर यह निबंधित दस्तावेज के माध्यम से भी किया गया है। यह न्यायालय यह भी पाता है कि उक्त मामले में अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती को एकल सम्व्यवहार माना जाना चाहिए था एवं अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती क्रमशः दिनांक 29.3.1954 एवं 30.3.1954 के अभ्यर्पण के निबंधित विलेख के माध्यम से प्रभावित हुये थे जो स्वीकृत रूप से 5.1.1948 के बाद के थे एवं उपायुक्त के लिखित पूर्वानुमोदन की अनुपस्थिति के कारण छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71-A के अधीन भूमि के प्रत्यावर्तन को आकृष्ट करने वाला अंतरण होना अभिनिर्धारित किया गया था। यह इस कारण से था कि 5.1.1948 के उपरांत निर्बंधन लाया गया था तथा रैयत द्वारा भूस्वामी को भूमि के अभ्यर्पण के पहले उपायुक्त से लिखित पूर्वानुमति अपेक्षित थी। वर्तमान मामले में अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती वर्ष 1942 की है यद्यपि इसे उसी तिथि को किया गया है जब वर्ष 1942 में ऐसा कोई निर्बंधन नहीं था। वर्तमान मामले में आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि इस मामले में अंतर्ग्रस्त अभ्यर्पण एवं बन्दोबस्ती एक और एक ही सम्व्यवहार थी। अभ्यर्पण विलेख पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन नहीं किये जाने से निबंधित दस्तावेज होने के कारण अभिलिखित काश्तकार द्वारा भूस्वामी के पक्ष में संपत्ति के अभ्यर्पण का वैध दस्तावेज है जिसके द्वारा अभिलिखित काश्तकार संपत्ति पर अपने सभी अधिकार खो देता है एवं तद्नुसार, निजी प्रत्यर्थीगण जो अभिलिखित काश्तकार के वंशज होने का दावा करते हैं, इसपर कोई अधिकार होने का प्राख्यान नहीं कर सकते हैं।

(n) (2000) 5 SCC 141 में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पैराओं 13, 14 एवं 15 पर वर्ष 1948 में 5.1.1948 के प्रभाव से पूर्वोक्त निर्बंधन अंतःस्थापित किये जाने पर विचार किया गया है एवं यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 5.1.1948 के पहले एवं 5.1.1948 के उपरांत किया गया अभ्यर्पण भिन्न-भिन्न आधार पर खड़ा है। उक्त पैराग्राफ निम्नवत उद्धृत किया जाता है:-

> *''13. इन अपीलों में हमारा सरोकार स्वीकृत मामले एवं धारा 72 के अधीन परिकल्पित अभ्यर्पण के माध्यम से अंतरण के वर्ग के साथ है एवं धारा 46 के अधीन परिकल्पित अंतरण के किसी अन्य कोटि या वर्ग के साथ नहीं जैसा कि यह 1947 के संशोधन अधिनियम के पूर्व थी। इस न्यायालय का सरोकार 1943 के पूर्व प्रभावी बनाये गये अभ्यर्पण के मामले पर विनिर्दिष्ट रूप से प्रयोज्य विधि से संबंधित किसी बिन्दु पर पांडे ओराँव एवं बिरसा मुंडा में प्रकाशित पूर्ववर्ती निर्णयों के साथ भी नहीं था किन्तु दूसरी ओर मुख्यतः धारा 71-A के विस्तार एवं परिधि के साथ था एवं तद्द्वारा शब्द 'अंतरण' के तात्पर्य एवं अंतर्वस्तु का उसमें उपयोग किया गया था। पश्चातवर्ती निर्णय में भी, धारा 46(4)(a) में आने वाले शब्द 'अंतरण' का उद्देश्य एवं अर्थ एवं वह भी 1976 में प्रभावी बनाये गये अभ्यर्पण के मामले में संव्यवहृत परिप्रेक्ष्य के साथ, विषय वस्तु था एवं न कि धारा 71-A की प्रयोज्यता।*
>
> *14. पांडे ओराँव में प्रकाशित निर्णय का परिशीलन दर्शायेगा कि यह 1947 के पहले अभ्यर्पण के मामले पर विचार नहीं करता था, चूँकि इस मामले में एवं समय के*

प्रासंगिक बिन्दु पर जब इस मामले में अभ्यर्पण किया गया था, छो० अ० अधिनियम में ऐसा कोई सांविधिक प्रावधान नहीं था जो अभिधृति अधिकारों के अभ्यर्पण के पहले उपायुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना परिकल्पित करता हो। यद्यपि निर्णय में कोई ताथ्यिक विवरण उपलब्ध नहीं है, यह इस तथ्य से प्रकट है कि उसमें जिसपर विचार किया गया था वह वर्ष 1969 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गये धारा 71-A के केवल विस्तार को लेकर था। जहाँ तक बिरसा मुंडा में प्रकाशित निर्णय का संबंध है, उसमें भी उस मामले में अभ्यर्पण की तिथि विनिर्दिष्ट रूप से कथित नहीं की गयी है। अन्यथा भी, निर्णय के पैरा 9 में इस प्रकार कथन किया गया है:–

''इस मामले में आवेदन धारा 46(4)(a) के अधीन किया गया है। अतएव, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि क्या संशोधन द्वारा अंतःस्थापित धारा 71-A प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रयोज्य है या नहीं।''

इस निर्णय में विचार में लिया गया धारा 46(4)(a) जो उसमें कथित किसी भी प्रकार से अंतरण प्रभावी बनाये जाने के पहले उपायुक्त का पूर्वानुमोदन परिकल्पित करता है, 5.1.1948 के प्रभाव से केवल वर्ष 1947 में अंतःस्थापित किया गया था एवं इस मामले में अभ्यर्पण के समय के प्रासंगिक बिन्दु पर ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था, जो 15.1.1942 को किया गया था। इन सब कारणों से, हमारा दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी के लिए भरोसा किये गये दोनों निर्णय न तो वर्तमान मामले में लागू होते हैं और न ही हमारे समक्ष रखे गये तर्कों का समर्थन करते हैं।

15. निस्संदेह, धारा 71-A के विस्तार के बारे में उच्च न्यायालय की समझ जैसा कि उसमें गौर किये गये उस न्यायालय के पूर्विक निर्णयों द्वारा निर्वचन किया गया है, इस न्यायलय द्वारा विधि की बाद की घोषणा की दृष्टि में सही या उपयुक्त नहीं हो सकता है किन्तु उच्च न्यायालय प्रतिवाद कर रहे प्रत्यर्थियों के दावों को बरकरार रखने के अपने निष्कर्ष को आधार बनाने पर केवल उस आधार पर अग्रसर नहीं हुआ था, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचीगण थे। उच्च न्यायालय ने अग्रेतर प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है कि क्या छो० अ० अधिनियम की धाराओं 46 एवं 72 में अंतर्विष्ट तत्कालीन मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के आलोक में 15.1.1942 को निबंधित विलेख द्वारा प्रभावी बनाये गये अभ्यर्पण के इस मामले में 1969 में अंतःस्थापित धारा 71-A आकृष्ट होती थी। सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 118 वर्ष 1996(R) में दिये गये आदेश के समर्थन में दिये गये अन्य कारणों एवं विचार की प्रकृति यह स्पष्ट करता है कि सांविधिक प्रावधान जैसा कि वे 15.1.1942 के पूर्व अस्तित्व में थे, न तो किसी काश्तकार द्वारा अपने हित का भूस्वामी के पक्ष में अभ्यर्पण के पहले उपायुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना परिकल्पित करता है और न ही ऐसा अभ्यर्पण अनुचित अभिनिर्धारित किया जा सकता था मात्रा इस कारण से कि यह कृषि वर्ष की समाप्ति के पहले नहीं हुआ था बल्कि इसके ठीक पहले। उन मुद्दों पर इस आधार की उपधारणा पर कार्यवाही करते हुए भूमि की प्रकृति के संदर्भ में उठाये गये विवाद पर विचार एवं निर्णीत किया गया दिखाई पड़ता है कि इसमें रैयती हित का अभ्यर्पण अंतर्ग्रस्त था। हम उक्त तर्क में कुछ भी अवैधानिक या अनुचित नहीं पाते हैं एवं उच्च न्यायालय में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष गुणागुण युक्त एवं प्रासंगिक बिन्दु पर प्रवृत्त सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत होते हैं। अतएव, हमारी दृष्टि में इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों के साथ कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।''

(o) यह न्यायालय यह भी पाता है कि बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन, यद्यपि स्थानीय निरीक्षण एवं स्थानीय जाँच कराया जाना होता है किन्तु यह संपत्ति का भौतिक कब्जा सत्यापित करने को प्राधिकारियों को नहीं कहता था।

(p) यह न्यायालय यह भी पाता है कि हदबंदी क्षेत्र निर्धारण के प्रयोजन से व्यक्ति का संपत्ति पर भौतिक कब्जा होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, 1961 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना के अतिरिक्त अंचलाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी की कोई जाँच रिपोर्ट किसी चरण पर पेश नहीं की गयी थी जिसने कथित रूप से 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जाँच संचालित किया था।

(q) तद्नुसार, यह न्यायालय पाता है कि मात्र इस कारण से कि इस मामले में अंतर्ग्रस्त संपत्ति बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन निर्गत अधिसूचना में सम्मिलित नहीं की गयी थी, यह इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है कि वर्तमान निजी प्रत्यर्थी का वर्ष 1975 तक संपत्ति पर भौतिक कब्जा था। तद्नुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष कि बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा के अधीन निर्गत अधिसूचना के आधार पर 1975 तक प्रत्यर्थी का संपत्ति पर भौतिक कब्जा था, अनुचित है। **AIR 1992 SC 196** में प्रकाशित प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया निर्णय जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा की अवधि की गणना संपत्ति से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की तिथि से की जानी चाहिए, याची को किसी प्रकार से मदद नहीं करता है क्योंकि यह न्यायालय पाता है कि प्रत्यर्थी का दावा कि 1975 के उपरांत उन्हें भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया था, ही अपने आप में पोषणीय नहीं है क्योंकि उक्त दावा मुख्य रूप से बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन निर्गत अधिसूचना पर आधारित है।

(r) वर्तमान मामले में, कम से कम वर्ष 1942 के अभ्यर्पण के पूर्वोक्त निर्बंधित विलेख के आधार पर जो कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं किया गया था, यह न्यायालय पाता है कि अवर प्राधिकारीगण इसे विचार में लेने में विफल रहे हैं कि इस निर्बंधित दस्तावेज के आधार पर, अभिलिखित काश्तकार को 1942 से ही संपत्ति से बेदखल किया गया था। मामले के इन पहलूओं पर प्राधिकारियों में से किसी द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारियों में से किसी ने भी इसपर विचार नहीं किया है कि विधि की दृष्टि में अभ्यर्पण के विलेख तथा बन्दोबस्ती के विलेख के संबंध में कोई अवैधानिकता नहीं थी जैसा कि यह वर्ष 1942 में थी।

(s) अभिलिखित काश्तकार द्वारा संपत्ति काफी पहले वर्ष 1942 में ही भूस्वामी को अभ्यर्पित कर दिये जाने से, अभिलिखित काश्तकार के वंशज संपत्ति पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

14. इस न्यायालय का यह भी सुविचारित दृष्टिकोण है कि मात्र इस कारण से कि सभी तीनों न्यायालयों ने रिट याचीगण के विरूद्ध निष्कर्ष दिया है, अत: यह इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकता है क्योंकि आक्षेपित आदेश दोषों से ग्रस्त हैं एवं पूर्वोक्त निष्कर्षों के अनुसार विधि के प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन करने में हुई त्रुटियों से ग्रस्त हैं।

15. पूर्वोक्त निष्कर्षों के संचयी प्रभाव के अनुसार, अवर प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश जो प्रत्यावर्तन मामला सं॰ 16/85-86 में डी॰ सी॰ एल॰ आर॰, बेरमो द्वारा पारित दिनांक 7.2.1986 का आदेश, प्रत्यावर्तन अपील सं॰ 32/85-86 में अपर समाहर्ता, गिरीडिह द्वारा पारित दिनांक 12.5.1988 का आदेश एवं भूमि प्रत्यावर्तन पुनरीक्षण सं॰ 84/99 में आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 25.11.2003 का आदेश है, दोषपूर्ण हैं एवं इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

16. यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

माननीय एच॰ सी॰ मिश्रा एवं रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्तिगण

काना नायक (316 में)

अंगद नायक (319 में)

अंटू नायक (321 में)

बनाम

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 316, 319 with 321 of 2009. Decided on 1st November, 2018.

एस॰ टी॰ केस सं॰ 19 वर्ष 2006 में अपर सत्र न्यायाधीश II, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 25.2.2009 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 26.2.2009 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 376(2)(g), 302/34 एवं 201—सामूहिक बलात्संग, हत्या एवं साक्ष्य गायब किया जाना—दोषसिद्धि एवं दण्डादेश—मृतका के योनिस्राव में पाये गये वीर्य के साथ अभियुक्त व्यक्तियों को जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं हुआ है—अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अभियुक्त अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहे हैं एवं अपीलार्थीगण कम से कम संदेहों का लाभ प्रदान किये जाने के हकदार थे—विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है—अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देकर आरोपों से दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 15 एवं 16)

अधिवक्तागण.–Mr. Navin Kumar Jaiswal, For the Appellants; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

न्यायालय द्वारा.—ये तीनों अपीलें एक ही आक्षेपित निर्णय से उद्भूत होती हैं, एवं इस प्रकार, हमने उन्हें एक साथ सुना है एवं उन्हें इस सम्मिलित आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. अपीलार्थीगण एस॰ टी॰ सं॰ 19 वर्ष 2006 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश II, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 25.2.2009 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 26.2.2009 के दण्डादेश द्वारा व्यथित हैं, जिसके द्वारा आवेदकों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376(G) [(sic) इसे 376(2)(g) होना चाहिए] 302/34 एवं 201 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है। दण्डादेश के बिन्दु पर, इन अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(g) के अधीन अपराध के लिए प्रत्येक को दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने एवं 5,000/- रूपये के जुर्माना का भुगतान करने से दण्डित किया गया है। उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने एवं 5,000/- रूपये के जुर्माने का भुगतान करने एवं एवं इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने एवं 3,000/- रूपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, एवं सभी दण्डादेशों को साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

4. सूचक लक्ष्मण गुंडुआ के फर्दबयान पर, 29.8.2005 को लगभग 11:00 बजे ग्राम रघुनाथपुर, थाना गोइकिया, जिला पश्चिम सिंहभूम में संस्थापित किया गया था, जिसमें यह कथन किया गया था कि 26.8.2005 को लगभग 8:00 से 9:00 बजे अपराह्न के बीच सूचनादाता अपने घर पर बीड़ी तैयार कर रहा था, जब अभियुक्त अंगद नायक, अंटू नायक एवं काना नायक वहाँ नशे की हालत में आये, बीड़ी

मांगी, एवं यह अभिकथित किया गया है कि बातचीत के दौरान अंगद नायक ने प्रकट किया कि उन्होंने टप्पू बोईपाई की पत्नी के साथ बलात्संग किया था, जब वह गोइकेरा हाट से लौट रही थी, एवं जब उसने कहा कि वह मामले को अपने पति एवं गाँववालों को बतायेगी, उन्होंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं शव को साड़ी की मदद से पेड़ से लटका दिया था। सूचनादाता ने अभियुक्त से पूछा कि क्या वह सच कह रहा था, जिसपर उसने यह कहते हुए अपने कथन संपुष्ट किया कि उन्होंने मृतका के पैर पर तीन जगह ब्लेड से काटे थे जो कि देखे जा सकते हैं। इसके उपरांत, सूचनादाता ने अपने चाचा शत्रुघन गुंडुआ एवं अभियुक्त अंगद नायक के साले किसी कविलास नायक को बुलाया, किन्तु वे नहीं आये। अगले दिन जो कि शनिवार था, गाँववालों में से हरेक को जानकारी हुई कि मृतका महिला का शव पेड़ पर लटका हुआ था, किन्तु उसने भय के कारण किसी को इन तथ्यों को नहीं बताया। इसके उपरांत गाँव में बैठक की गयी थी, जिसमें उसने गाँववालों को यह तथ्य प्रकट किया था। सूचनादाता के फर्दबयान के आधार पर, जी॰ आर॰ सं॰ 243 वर्ष 2005 के तत्सम गोईकेरा थाना केस सं॰ 27 वर्ष 2005 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध संस्थापित किया गया था एवं अन्वेषण ग्रहण किया गया था। अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने सभी तीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

5. मामले को सत्र न्यायालय सुपुर्द किये जाने के उपरांत, सभी तीन अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376(G), [376(2)(g) होना चाहिए], 302/34 एवं 34 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किया गया था एवं अभियुक्त व्यक्तियों के दोषी न होने का दावा करने पर एवं विचारण का दावा करने पर, उन्हें विचारण पर रखा गया था। विचारण के दौरान, अभियोजन द्वारा अन्वेषण अधिकारी एवं चिकित्सक, जिन्होंने मृतका के शव की शव परीक्षा की थी, समेत बारह गवाहों की परीक्षा की गयी थी।

6. अ॰ सा॰ 4 लक्ष्मण गुंडुआ इस मामले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह है। यह गवाह मामले का सूचनादाता है, एवं इसने कथन किया है कि घटना डेढ़ साल पहले शुक्रवार को घटित हुई थी। वह अपने घर में बीड़ियाँ तैयार कर रहा था, जब तीनों अभियुक्त अंगद, अंटू एवं काना आये एवं बीड़ी की मांग की। वे नशे की हालत में थे एवं अंगद ने सूचित किया कि उन्होंने टप्पू बोईपाई की पत्नी के साथ बलात्संग कारित किया था जब वह गोइकेरा बाजार से लौट रही थी, एवं जब उसने बताया कि वह अपने पति एवं गाँववालों को बता देगी, उन्होंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, उसकी जांघ को ब्लेड से काटा एवं साड़ी की मदद से शव को पेड़ से लटका दिया। अगले दिन, अर्थात् शनिवार को, गाँववालों को इस तथ्य के बारे में जानकारी हुई कि मृतका का शव पेड़ पर लटका हुआ था। रविवार को शव को पेड़ से नीचे उतारा गया था एवं गाँव में बैठक हुई थी, जिसमें इस गवाह ने इस तथ्य को गाँववालों को बताया था। उसका बयान पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसपर उसने अपना हस्ताक्षर किया था। उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है, जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने न्यायालय में सभी तीन अभियुक्तों को पहचाना है। अपनी प्रति-परीक्षा में, इस गवाह ने कथन किया है कि जब अभियुक्त ने इस गवाह के घर पर यह तथ्य बताया था, उसकी पत्नी एवं बच्चे भी मौजूद थे, किन्तु उसकी पत्नी ने यह तथ्य नहीं सुना था। उसने कहा है कि उसने अभियुक्त अंगद के साले को इस तथ्य के बारे में सूचित किया था, किन्तु उसने ग्राम मुंडा को सूचना नहीं दी थी। उसने यह तथ्य अगले दिन भी किसी को नहीं सूचित किया था। गाँव में सोमवार को बैठक की गयी थी, जिसमें उसने यह तथ्य प्रकट किया था। बैठक में, अभियुक्त मौजूद नहीं थे। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

7. अ॰ सा॰ 1 बुधराम गुंडुआ, अ॰ सा॰ 6 दिलीप कुमार नायक एवं अ॰ सा॰ 7 बासुदेव नायक ने कथन किया है कि उन्होंने मृतका की हत्या से संबंधित बैठक में भाग लिया था, किन्तु उन्हें उक्त बैठक में घटना के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। अ॰ सा॰ 2 गुरा बोइपाई ने यह भी कहा था कि उसने उक्त बैठक में भाग लिया था जिसमें लक्ष्मण ने कुछ सूचना दी थी, किन्तु कौन सी सूचना दी गयी थी, यह इस गवाह द्वारा बताया नहीं गया है।

8. अ॰ सा॰ 3 परदेशिया बोइपाई एवं अ॰ सा॰ 5 दुबलिया बोइपाई ने कथन किया है कि उन्होंने बैठक में भाग लिया था जिसमें लक्ष्मण गुंडुआ ने घटना के बारे में सूचना दी थी कि इन अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतका का बलात्संग कारित किया था एवं हत्या की थी तथा शव को लटका दिया था। उन्होंने शव भी देखा था। अ॰ सा॰ 3 परदेशिया बोइपाई ने यह भी कहा है कि उसने शव देखा था जिसमें गुप्तांगों में प्लास्टिक डाला हुआ था एवं उसके पैरों पर ब्लेड से काटा गया था। अ॰ सा॰ 5 दुबलिया बोइपाई वह व्यक्ति है, जिसने पेड़ पर शव लटका हुआ देखा था एवं गाँववालों को सूचित किया था।

9. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ जे॰ श्रीनिवास राव ने मृतका के शव का शवपरीक्षण 31.8.2005 को संचालित किया था एवं निम्नलिखित उपहतियाँ पायी थी:–

शव अत्यधिक विघटित था एवं औसत गठित था। चेहरे की त्वचा, सिर के आधा भाग से गायब था। सिर की खाल ढीले थे, अलग अलग थे, दोनों सॉकेट –खाली। जीभ, आंखें, कान, नाक कीड़ों द्वारा खा लिये गये थे। दायें मैक्सिला में केवल एक इनसाइजर दाँत थे, दो बायें इनसाइजर एवं एक केन्द्रीय इनसाइजर थे एवं शेष गायब थे। कई जगहों पर त्वचा छिले थे। पूरे शरीर पर कीड़े थे।

बाह्‌य

उपरी या निचले अंगों पर कोई उपहति या अत्यंतता या गहरा जख्म मौजूद नहीं था।

आंतरिक उपहतियाँ

(i) खाल के पिछले एवं बायें कनपट्टी क्षेत्रा पर खरोंच।

(ii) क्लेविकल के नीचे दायें भाग पर 3cm x 3cm आकार का खरोंच।

(iii) थायरॉयड उपास्थि के चारों ओर मुलायम उत्तकों में खरोंच था।

(iv) हायड अस्थि के दायें भाग के कॉर्नू का अस्थिभंग। श्वास नली एवं थायरॉयड के म्यूकोसा पर भूरे तथा काले रक्त के धब्बे मौजूद।

(v) योनि मार्ग में कापफी सारे कीड़े मौजूद थे एवं योनि मार्ग कीड़ों द्वारा खा लिया गया था।

(vi) आंतरिक अंग विघटित।

इस गवाह ने कथन किया है कि उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी, जो कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी एवं गर्दन की उपहतियाँ गर्दन पर दबाव के कारण मौजूद थी। हाथों से गला घोंटने के कारण मृत्यु हुई थी। उसने यह भी कथन किया है कि लैंगिक हिंसा से संबंधित मत इस तथ्य के कारण नहीं दिया जा सका था कि शव अत्यंत विघटित था। किन्तु, रासायनिक परीक्षण के लिए योनि स्राव परिरक्षित किया गया था। उन्होंने कहा है कि मृत्यु के समय से गुजरा समय 4 से 6 दिन था। उन्होंने शव परीक्षण अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर में होना सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था।

10. अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ हृदयेश कुमार सिन्हा एवं अ॰ सा॰ 12 अवनी कांत त्रिवेदी क्रमशः विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक एवं सहायक हैं, जिन्होंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सीरम संबंधी रिपोर्ट सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया था। अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ हृदयेश कुमार सिन्हा ने कथन किया है कि मृतका के योनिस्राव में वीर्य पाया गया था, जो कि समूह बी॰ का मानव रक्त था। प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि यह वीर्य रक्त समूह बी॰ वाले व्यक्ति का वीर्य था।

11. अ॰ सा॰ 10 निर्मल कुमार झा मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। इस गवाह ने कथन किया है कि 29.8.2005 को वह गोइकेरा पुलिस थाने में उपनिरीक्षक के तौर पर तैनात था। इस तिथि को, गाँव का मुंडा मान्धाता नायक आया एवं सूचना दिया कि मृतका का शव पेड़ से लटका पाया गया था। इस सूचना के बारे में सान्हा प्रविष्टि की गयी थी एवं वह घटनास्थल की ओर आगे बढ़ गया था। उसने लक्ष्मण गुंडुआ का बयान अभिलिखित किया था, एवं उसने फर्दबयान सिद्ध किया है जो प्रदर्श 4 चिन्हित की गयी थी। उसने फर्दबयान पर पृष्ठांकन प्रमाणित किया है, जो प्रदर्श 5 के तौर पर चिन्हित किया गया था एवं औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है, जो प्रदर्श 6 चिन्हित की गयी थी। उसने शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया, जो सिद्ध किया गया था एवं इसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया था। उसने शव को शव परीक्षण के लिए भेजा था। उसने घटना एवं घटनास्थल के विवरण दिये हैं जहाँ शव पाया गया था। उसने गवाहों के बयान अभिलिखित किये थे। उसने कथन किया है कि सभी तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण कर दिया था, जिसपर उसने उन्हें रिमांड पर लिया था, एवं उनके बयान भी अभिलिखित किये थे। उसने शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये थे एवं इसके उपरांत उसने अन्वेषण का प्रभार उपनिरीक्षक सुबोध कुमार सिंह को सुपुर्द कर दिया था, जिन्होंने मामले में आरोप पत्र पेश किया था। अपने प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया था एवं उसने कोई आलिप्तकारी सामग्री बरामद नहीं की थी। अ॰ सा॰ 8 सुबोध कुमार सिंह ने कथन किया है कि उसने मामले में केवल आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। उसने कथन किया है कि उसने मामले में अन्वेषण नहीं किया था।

12. अभियुक्त व्यक्तियों का बयान द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था, जिसमें उन्होंने उनके विरूद्ध साक्ष्य होने से इनकार किया। बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थियों को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यथा पूर्वोक्त दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है।

13. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। केवल अ॰ सा॰ 4 लक्ष्मण गुंडुआ का साक्ष्य है जिसने कथन किया है कि उसे घटना के बारे में अभियुक्त अंगद नायक द्वारा सूचना दी गयी थी, किन्तु उक्त सूचना भी अभिकथित रूप से 26.8.2005 को दी गयी थी, किन्तु उसने यह तथ्य पहली बार असामान्य विलम्ब के उपरांत 29.8.2005 को प्रकट किया था, जिसके लिए एक कोरे बहाने के सिवाय कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह भय के अधीन था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि प्राथमिकी में यह कथित किया गया है कि अभियुक्त ने उसे यह भी बताया था कि उसने मृतका का पैर तीन जगहों पर ब्लेड से काटा था, एवं अ॰ सा॰ 3 परदेशिया बोइपाई ने उन कटने की उपहतियों को देखने का दावा किया है, किन्तु अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ जे॰ श्रीनिवास राव का साक्ष्य एवं उसके द्वारा सिद्ध की गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 3 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ऐसी कोई उपहति मृतका के शव पर नहीं पायी गयी थी। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यह एक स्वीकृत

स्थिति है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पुलिस के समक्ष अपना दोष स्वीकार नहीं किया था, एवं विधि विज्ञान परीक्षण में पाये गये वीर्य से अपीलार्थीगण को जोड़ने के लिए कोई वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन आरोपों को सभी युक्तिसंगत संदेहों की छाया से परे सिद्ध करने में विफल रहा है एवं यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अपीलार्थीगण को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए था।

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है यह निवेदन करते हुए कि अ॰ सा॰ 4 लक्ष्मण गुंडुआ, जो कि इस मामले का सूचनादाता है ने जीवंत विवरण दिया है जैसा कि अभियुक्त अंगद नायक द्वारा उसे बताया गया था। चूँकि सूचनादाता भय के अधीन था, स्वाभाविक रूप से उसने मौन बनाये रखा था। उसने मामले को गाँववालों को बैठक में ही प्रकट किया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि शव परीक्षण में शव के विघटित हो जाने के कारण बलात्संग का साक्ष्य नहीं पाया जा सका था, किन्तु विधि विज्ञान परीक्षण में मृतका के योनिस्राव में मानव वीर्य पाया गया था, जो अभियोजन मामला पूरी तरह से अभियोजन मामला सिद्ध करता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन सभी युक्तिसंगत संदेहों की छाया के परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम रहा है, एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, जो इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप के योग्य हो।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत, हम पाते हैं कि मामला केवल अ॰ सा॰ 4 लक्ष्मण गुंडुआ के साक्ष्य पर टिका है, जिसने दावा किया है कि अभियुक्त अंगद नायक ने उसे संपूर्ण घटना बतायी थी। स्वीकृत रूप से, ऐसा प्रकटीकरण अगर अभियुक्त द्वारा किया गया था, 26.8.2005 को किया गया था, किन्तु इस गवाह ने मौन बनाये रखा एवं इसे किसी को भी नहीं बताया एवं यह पहली बार असामान्य विलम्ब के उपरांत 29.8.2005 को बताया गया था एवं इसके लिए एकमात्र बहाना यह बताया गया था कि वह भय के अधीन था। अगर इस प्रकटीकरण पर विश्वास भी कर लिया जाता है, हम पाते हैं कि सूचनादाता को यह भी प्रकट किया गया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतका के पैरों पर काटने के तीन निशान भी लगाये थे, एवं अ॰ सा॰ 3 परदेशिया बोइपाई ने भी शव पर कटने के तीन चिन्ह होने का दावा किया था, किन्तु अ॰ सा॰ 9 श्री जे॰ श्रीनिवास राव जिन्होंने मृतका के शव का शव परीक्षण किया था, का साक्ष्य इस तथ्य को पूरी तरह से झूठा सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, यह अभिकथित किया गया है सभी तीनों व्यक्तियों ने मृतका की हत्या कारित करने के पहले उसके साथ बलात्संग कारित किया था, किन्तु अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ हृदयेश कुमार सिन्हा का साक्ष्य एवं उनके द्वारा सिद्ध की गयी एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट प्रदर्श 9 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि केवल एक रक्त समूह–समूह बी॰ का वीर्य पाया गया था। किसी अन्य समूह का वीर्य नहीं पाया गया था एवं यह पूरी तरह से असंभावित है कि सभी तीन अभियुक्त व्यक्ति एक ही रक्त समूह के होंगे। मृतका के योनिस्राव में पाये गये वीर्य के साथ अभियुक्त व्यक्तियों को जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं किया गया है। हम अभिलेख से यह भी पाते हैं कि मृतका के पति की इस मामले में परीक्षा नहीं की गयी है, जो भी अभियोजन के विरूद्ध जाता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि अ॰ सा॰ 4 लक्ष्मण गुंडुआ द्वारा प्रकटीकरण करने में असामान्य विलम्ब किये जाने के कारण एवं उपर इंगित विरोधाभाषों के कारण उसका साक्ष्य बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है एवं इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, एवं अपीलार्थीगण कम से कम संदेहों का

लाभ पाने के हकदार थे। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि की दृष्टि में बरकरार नही रह सकता है।

16. पूर्वगामी कारणों से, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376(G) [धारा 376(2)(g) होना चाहिए], 302/34 एवं 201 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थीगण काना नायक, अंगद नायक एवं अंटू नायक को दोषसिद्ध एवं दण्डित करते हुए एस॰ टी॰ सं॰ 19 वर्ष 2006 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-II, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 25.2.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 26.2.2009 के दण्डादेश एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं। परिणामत:, अपीलार्थीगण को संदेहों का लाभ दिया जाता है एवं वे आरोपों से दोषमुक्त किये जाते हैं। सभी तीनों अपीलार्थीगण दण्डादेश भुगतते हुए अभिरक्षा में हैं। उन्हें तुरंत निर्मुक्त करने एवं स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है, अगर उनका निरोध किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

17. तद्नुसार, ये तीनों अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं। अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को इस निर्णय की एक प्रति के साथ तुरंत भेजे जायें।

माननीय एच॰ सी॰ मिश्रा एवं बी॰ बी॰ मंगलमूर्ति, न्यायमूर्तिगण

दीवाली चौधरी

बनाम

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 423 of 2005. Decided on 10th October, 2018.

सत्र विचारण सं॰ 126 वर्ष 1995 में सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 18.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 109/34—हत्या एवं दुष्प्रेरण—सामान्य आशय—आजीवन कारावास—चश्मदीद गवाहों ने दोषसिद्ध एवं सूचनादाता के बीच झगड़े से संबंधित अभियोजन मामले का समर्थन किया है एवं उसके दौरान गोलीबारी की गयी थी जिससे सूचनादाता को घातक उपहति कारित हुई थी—सूचनादाता का बयान अभियोजन साक्षियों द्वारा सिद्ध किया गया था एवं चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित था—अभियोजन में अभियुक्त द्वारा कारित दोहरे हत्या से संबंधित घटना की रीति अभिलेख पर लाने में संगतता थी—चश्मदीद गवाहों ने घटना एवं प्रहार के तरीके का पूरी तरह से सम्पोषण किया है—अन्वेषण अधिकारी की अपरीक्षा किसी प्रकार से अभियोजन विवरण की विश्वसनीयता का क्षरण नहीं करता था—अपील खारिज। (पैराएँ 22 से 26)

निर्णयज विधि.—(2008) 15 SCC 778; (2005)9 SCC 719; (2014) 4 S.C.R.-287—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s R.P. Gupta, O.P. Singh, For the Appellant; Mr. Azeemuddin, For the Resp.-State.

बी॰ बी॰ मंगलमूर्ति, न्यायमूर्ति.—अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह अपील सत्र विचारण सं॰ 126 वर्ष 1995 में सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 18.3.1995 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है जिसके द्वारा एकल अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 एवं धारा 109/34 के अधीन दोषी अवधारित किया गया है

एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भुगतने से दण्डित किया गया है एवं इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 109 एवं 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भुगतने से भी दण्डित किया गया है एवं दोनों दण्डादेश साथ-साथ चलेंगे।

3. अभियोजन मामला इमरजेंसी वार्ड, सदर अस्पताल, साहिबगंज में 20.4.1994 को 8:45 बजे अपराह्न में जरवाटोरी पुलिस चौकी के प्रभारी पदाधिकारी फ्रांसिस टोप्पो, उपनिरीक्षक द्वारा अभिलिखित झकसू ओराँव के पुत्र उमेश चंद्र ओराँव के फर्दबयान के आधार पर संस्थापित किया गया था जिसमें उसने कथित किया था कि आज शाम को 7 बजे अपराह्न में उसने दीवाली चौधरी को बताया था कि चूँकि तुमने पहले ही अपना घर बना लिया है अत: उससे अपना घर खाली करने का आग्रह किया। उस समय, अपीलार्थी अपने घर के निकट अवस्थित पान की दुकान में बैठा हुआ था किन्तु उसने सूचनादाता का घर खाली करने से मना कर दिया। तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने अपनी पान का दुकान बंद किया एवं घर के अंदर चला गया। कुछ समय के बाद, दीवाली चौधरी, राजू चौधरी, मनोज चौधरी एवं अपीलार्थी की माता उसके पास आये एवं उससे झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। इस बीच, दीवाली चौधरी ने मनोज चौधरी को उसे गोली मारने का आदेश दिया। इसके उपरांत, राजू चौधरी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली जो उसने लुंगी में छिपाया हुआ था एवं सूचनादाता पर गोली चलायी। यह देखकर, उसके पिता झकसू ओराँव ने मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया किन्तु राजू ने भी उसके पिता झकसू पर गोली चलायी, जिसके परिणामत: उपहति पाने के उपरांत वह गिर गया। गोली चलाने की यह घटना कई गाँववालों द्वारा देखी गयी थी एवं उन्होंने भी पीछा किया था एवं राजू चौधरी को पकड़ लिया था किन्तु अभियुक्त व्यक्ति भागने में सफल रहे थे। सूचनादाता के पिता को एक अस्पताल में ले जाया गया था जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। चूँकि सूचनादाता इसपर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था अत: उसने काली चरण धांगर एवं राम लाल मंडल की उपस्थिति में अपने बायें अंगूठे का निशान लगाया था।

मामले को दर्ज करने के लिए फर्दबयान थाने के प्रभारी पदाधिकारी को अग्रसारित किया गया था एवं तद्नुसार धाराएँ 302/34 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दिनांक 21.4.1994 का बोरियो थाना केस सं॰ 60 वर्ष 1994 दर्ज किया गया था। अग्रेतर मामला यह था कि सूचनादाता उमेश चंद्र ओराँव की मृत्युकालिक घोषणा कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा उसी दिन अर्थात् 20.4.1994 को उसकी मृत्यु के पहले 9:30 बजे अपराह्न में दर्ज की गयी थी।

4. अन्वेषण के उपरांत, राजू चौधरी, दीवाली चौधरी, मनोज चौधरी एवं लक्ष्मणिया देवी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था एवं संज्ञान लेने के उपरांत मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। चूँकि राजू चौधरी फरार था, अत: उसे फरार घोषित किया गया था एवं उसका विचारण अलग किया गया था। शेष तीन अभियुक्तों अर्थात् दीवाली चौधरी उर्फ शिव कुमार चौधरी, मनोज चौधरी एवं लक्ष्मणिया देवी के विरूद्ध झकसू ओराँव एवं उमेश चंद्र ओराँव की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था। इसके अतिरिक्त दीवाली चौधरी उर्फ शिव कुमार चौधरी एवं मनोज चौधरी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 109 एवं 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किया गया था।

5. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के क्रम में दस गवाहों की परीक्षा की थी, जबकि बचाव पक्ष ने अपनी ओर से दो गवाहों की परीक्षा की थी।

6. अ॰ सा॰ 1 फुलसरिया ने कथन किया कि घटना नौ वर्ष पहले की है एवं यह शाम का समय था। वह अपने घर पर थी। झगड़ा सुनने के उपरांत, वह अपने घर से बाहर आयी एवं देखा कि राजू, दीवाली एवं उसकी माता का उमेश के साथ झगड़ा हो रहा है। उसने यह भी देखा कि राजू ने उमेश पर गोली चलाई थी, जो उसके पिता झकसू को लगी थी। झकसू की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी एवं

घायल उमेश को अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसकी भी मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त व्यक्तियों राजू, दीवाली, मनोज एवं लक्ष्मणिया भागने में सफल रहे थे। इस गवाह ने अभियुक्त व्यक्तियों को पहचानने का दावा किया अगर उन्हें उसके समक्ष पेश किया जाता है। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने कथन किया कि झकसू एवं उमेश सहग्रामीण थे एवं वह उनकी रिश्तेदार नहीं थी। उसने यह भी कथन किया है कि वह इस बात से अवगत नहीं थी कि किस कारण से झगड़ा हो रहा था किन्तु उसने कहा कि गोली चलने के उपरांत दोनों गिर गये। तब वह अपने घर लौटी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह गलत बयान दे रही है।

7. अ॰ सा॰ 2 अर्जुन रिखियासन भी एक सहग्रामीण है जिसने कहा कि जब वह मेला देखने के उपरांत अपने घर लौट रहा था उसने देखा कि राजू चौधरी अपनी दुकान के निकट हल्ला कर रहा था। वह उमेश के साथ गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था। इस बीच, दीवाली के बड़े भाई उमेश एवं मनोज तथा माता लक्ष्मणिया भी वहाँ आये। राजू चौधरी ने पिस्तौल ले लिया एवं गोली चलायी। झकसू (उमेश के पिता) उनके बीच दौड़ता हुआ आया जो उसे लगी एवं जिसके परिणामत: झकसू की मृत्यु हो गयी। उमेश को अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसकी भी मृत्यु हो गयी। उसने आगे कथन किया कि गाँववालों ने राजू चौधरी को पकड़ लिया एवं मारने पीटने के उपरांत उन्होंने उसे पुलिस को सौंप दिया। राजू एवं दीवाली उमेश की जमीन पर रह रहे थे एवं वे उस भूमि को खाली करने पर राजी नहीं थे जिसके लिए झगड़ा हुआ था। उसने सभी अभियुक्तों को देखने के उपरांत पहचान लेने का दावा किया। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने कथन किया कि उसकी मौजूदगी में गोलीबारी की गयी थी जो दुकान के पूर्वी भाग में अवस्थित दुकान की ओर से चलायी गयी थी। राजू दस कदम की दूरी पर बैठा था। पुलिस ने उसका बयान भी अभिलिखित किया है। उसने अस्पताल ले जाने में उमेश की सहायता भी की थी जहाँ उमेश ने पुलिस के समक्ष कहा था कि राजू ने उसपर गोली चलायी थी। इस गवाह ने प्रति परीक्षण के दौरान कथन किया कि उसने राजू को पकड़ भी लिया था। उनके बीच विवाद का कारण सूचनादाता के घर से संबंधित है जिसपर राजू एवं दीवाली का कब्जा था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह झूठा बयान दे रहा है एवं उसने घटना नहीं देखी है।

8. अ॰ सा॰ 3 कौशल्या देवी को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 4 फागू लाल ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह मेला देखने जा रहा था जब वह गुमटी (दुकान) पार कर रहा था तब उसने देखा कि उमेश चंद्र दीवाली से उसका घर खाली करने को कह रहा था जिसपर दीवाली चौधरी उमेश चंद्र को गाली दे रहा था एवं घर खाली करने से मना कर दिया था। दीवाली चौधरी के आदेश पर राजू चौधरी ने उमेश पर गोली चलायी थी। उमेश गोली लगने के उपरांत गिर पड़ा था। उमेश का पिता उसे बचाने आया तब दीवाली चौधरी ने झकसू (उमेश के पिता) पर गोली चलायी थी। झकसू की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। इसके उपरांत, राजू चौधरी को गाँववालों द्वारा पकड़ लिया गया था एवं उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। उमेश को अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसने अपनी मृत्यु के पहले सदर अस्पताल में अपना बयान दिया था। उसने अभियुक्त व्यक्तियों को पहचाना था। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने स्वीकार किया कि वह उमेश एवं झकसू का रिश्तेदार है। उसे यह नहीं पता था कि दीवाली चौधरी कब से उमेश के घर में रह रहा था। उसने घटना देखा था जब वह मेला देखने जा रहा था एवं गुमटी (दुकान) के निकट पहुँचा था। वह उमेश के साथ भी गया था जब उसे अस्पताल ले जाया गया था। उमेश ने उसकी उपस्थिति में बी॰ डी॰ ओ॰/दारोगा जी को अपना बयान दिया है जिसमें उसने कथन किया था कि राजू चौधरी ने उसपर तथा झकसू पर गोली चलायी थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह झूठी गवाही दे रहा है।

10. अ॰ सा॰ 5 बातो देवी भी सहग्रामीण है। उसने कहा कि राजू चौधरी ने उमेश तथा उसके पिता झकसू पर गोली चलायी थी तब झकसू उसी स्थान पर गिर गया था जबकि उमेश घायल हो गया था एवं

उसे अस्पताल ले जाया गया था। उमेश ने अपनी मृत्यु के पहले बयान दिया था। उसने अभियुक्त व्यक्तियों को पहचान लेने का दावा किया। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने कहा कि उसने .303 से गोली चलते देखा था। उमेश एवं झकसू उसकी जाति के नहीं हैं। उसका घर झकसू के घर से दस कदम की दूरी पर स्थित है। वह शोर सुनकर घर से बाहर आयी थी एवं गोली चलते देखा था एवं झकसू को धरती पर गिरा हुआ भी देखा था। इसके उपरांत, उसने गाँववालों को राजू को पकड़ते भी देखा था एवं उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह झूठी गवाही दे रही है।

11. अ॰ सा॰ 6 सियाराम ओराँव सूचनादाता उमेश चंद्र ओराँव का भाई है एवं मृतक झकसू का पुत्र है। उसने भी उसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया। वह झगड़े की आवाज सुनने के उपरांत घर से बाहर आया एवं देखा कि दीवाली चौधरी जमीन एवं घर खाली करने को कहने की वजह से जो दीवाली चौधरी को दिया गया था उमेश चंद्र ओराँव के भाई के साथ झगड़ा कर रहा था। दीवाली चौधरी घर के अंदर गया एवं इसके उपरांत अभियुक्त मनोज चौधरी, राजू चौधरी दीवाली चौधरी के साथ आये, राजू चौधरी ने अपनी पिस्तौल से गोली चलायी जो उमेश चंद्र ओराँव को लगी। घायल होने पर, उसका पिता झकसू उसे बचाने आया तब दीवाली चौधरी ने झकसू पर गोली चलाई जिसके परिणामत: उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। उमेश ओराँव को अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसने अपना बयान दिया था। अपना बयान देने के उपरांत उसकी भी मृत्यु हो गयी थी। गाँववालों ने राजू चौधरी को पकड़ लिया था। उसने अभियुक्त व्यक्तियों को पहचान लेने का दावा किया। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने उत्तर दिया कि पहली गोली उमेश चंद्र ओराँव को लगी जो राजू द्वारा चलायी गयी थी। कुछ मिनट बाद, दीवाली ने उमेश के पिता पर गोली चलायी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उसने यह भी कथन किया कि उसके भाई ने उसकी उपस्थिति में अस्पताल में बयान दिया है। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह इस मामले में अभियुक्त व्यक्तियों को मिथ्यापूर्वक फंसा रहा है।

12. अ॰ सा॰ 7 सीताराम धनकर सहग्रामीण तथा पड़ोसी है जिसने उमेश चंद्र ओराँव एवं अभियुक्त व्यक्तियों के बीच घर के संबंध में झगड़ा के संबंध में इसी प्रकार का कथन किया है जिसे उमेश खाली करने को कह रहा था एवं इसके उपरांत राजू चौधरी ने उमेश चंद्र ओराँव पर गोली चलायी थी। वह गोली की उपहति खाने के उपरांत गिर पड़ा था। दीवाली चौधरी ने झकसू पर गोली चलायी थी जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। गाँववालों ने राजू चौधरी को पकड़ लिया था। उमेश को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया था जिसपर उमेश ने अपने अंगूठे का निशान लगाया था। इसके उपरांत, उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने न्यायालय में उपस्थित राजू की मां को पहचाना एवं अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को पहचान लेने का दावा किया। प्रति परीक्षा के दौरान, उसने कथन किया कि उसका घर घटनास्थल के निकट पश्चिमी भाग के निकट स्थित है। उसने अपने घर के दरवाजे से घटना देखा था। उसने यह भी कहा कि वह उमेश के साथ अस्पताल गया था जहाँ उसने बयान दिया था। उसने यह भी कहा कि घर खाली करने के लिए विवाद पिछले 4/5 दिनों से चल रहा था।

13. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ अजित निरंजन जिसकी उपस्थिति में उमेश चंद्र ओराँव के शव की शवपरीक्षा डॉ॰ महेश प्रसाद द्वारा की गयी थी, ने निम्नलिखित उपहतियाँ पायी थी:–

(i) छाती के बायें भाग के मध्य भाग पर गोदने के चिन्ह के साथ ½" x ½" आकार का विदीर्ण जख्म उलटे मार्जिन के साथ (प्रवेश का जख्म)

(ii) छाती के बायें भाग से पीठ पर 1½" x 1" का विदीर्ण जख्म उलटे मार्जिन के साथ (निकास का जख्म)। जख्म के विच्छेदन पर छाती के बायें भाग की छठी एवं सातवीं पसली का अस्थिभंग हुआ था। इल्यूरा एवं बायें फेफड़े का मध्य भाग फटा हुआ था एवं

बायाँ निलय भी पफटा हुआ पाया गया था। थोरासिक कैविटी रक्त से भरा पाया गया था।

उपहति आग्नेयायुध द्वारा कारित पाया गया था। मृत्यु का कारण सदमा एवं फेफड़े तथा छाती में रक्त जमा होना था। मृत्यु के बाद से गुजरा समय बारह से चौबीस घंटों के भीतर था।

उसी दिन स्व॰ टेकू मंडल के लगभग 65 वर्षीय पुत्र झकसू ओराँव उर्फ मंडल के शव की शव परीक्षा 9:30 बजे प्रातः की गयी थी तथा निम्नलिखित उपहतियाँ पायी गयी थी:-

कटने के स्पष्ट निशान के साथ मध्य उरोस्थि पर 2½" x 1" आकार का विदीर्ण जख्म। जख्म के विच्छेदन पर, उरोस्थि का अस्थिभंग पाया गया था। और अधिक विच्छेदन पर पेरिकार्डियम तथा हृदय पफटा हुआ पाया गया था। वक्षीय गुहा रक्त से भरी पायी गयी थी। उपहति तेज धारदार हथियार द्वारा कारित की गयी थी मृत्यु का कारण उक्त उपहतियों के कारण रक्त का जमा होना एवं सदमा था। मृत्यु के बाद से गुजरा समय चौबीस घन्टों के भीतर था।

14. मृतक झकसू ओराँव के पुत्र एवं मृतक उमेश चंद्र ओराँव के भाई अ॰ सा॰ 9 बिरेन्द्र मंडल ने यह भी कहा कि वह अपने घर में पढ़ रहा था एवं गाली-गलौज की भाषा उपयोग किये जाने को सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि दीवाली चौधरी उसके भाई उमेश चंद्र ओराँव से झगड़ रहा था क्योंकि वह जमीन एवं मकान खाली करने के मूड में नहीं था। इसके उपरांत, दीवाली चौधरी पुनः राजू चौधरी एवं मनोज चौधरी एवं अपनी माता लक्ष्मणिया देवी के साथ आया। दीवाली चौधरी ने उमेश पर गोली चलायी, जो उसकी छाती पर लगी फिर उसके पिता झकसू ने उसे बचाने का प्रयास किया तब दीवाली चौधरी ने उसपर भी गोली चलायी। दीवाली चौधरी भागने में सफल रहा किन्तु राजू चौधरी को गाँववालों द्वारा पकड़ लिया गया था। उमेश को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया था यद्यपि उसके पिता झकसू की उसी स्थान पर मृत्यु हो गयी थी। उमेश की भी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उसने न्यायालय में उपस्थित लक्ष्मणिया को पहचाना एवं अन्य अभियुक्तों को पहचानने का दावा किया। प्रति परीक्षा के दौरान, उसने कहा कि प्रासंगिक समय पर वह कक्षा IX में पढ़ रहा था किन्तु उसने घटना देखा था। उसका बयान पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था। उसने आगे कहा कि उमेश का बयान मजिस्ट्रेट आर॰ के॰ सिंह द्वारा अभिलिखित किया गया था। अब आर॰ के॰ सिंह की भी मृत्यु हो गयी है। उसने इस मामले में अभियुक्त व्यक्तियों को झूठा फंसाये जाने के बारे में सुझाव देने से इनकार किया ।

15. मृतक झकसू की पत्नी अ॰ सा॰ 10 गोगिया मसोमात ने कहा कि उसने अपने पुत्र उमेश एवं दीवाली चौधरी के बीच झगड़ा होने की आवाज सुनी थी जब वह घर से बाहर आयी एवं देखा कि दीवाली उमेश पर गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था। कुछ समय बाद, दीवाली राजू के साथ आया। दीवाली के आदेश पर, राजू ने उमेश पर गोली चलायी। वह गिर गया। उसका पति दौड़ते हुए उसे बचाने आया किन्तु पिस्तौल से गोली चलायी गयी थी। वह गिर गया एवं उसकी मृत्यु हो गयी। उमेश को अस्पताल ले जाया गया था। विवाद का कारण भूमि एवं घर खाली करने से संबंधित था। प्रति-परीक्षा के दौरान, उसने कहा कि पुलिस ने उसका बयान अभिलिखित किया था। उसने यह भी कहा कि उमेश ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था एवं इसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने यह भी कहा कि उस मजिस्ट्रेट की भी अब मृत्यु हो चुकी है।

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान अभिलिखित किया गया था जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य होने से इनकार किया था एवं अपने आप को निर्दोष होने का दावा किया था।

17. बचाव पक्ष ने भी अपनी ओर से दो गवाहों की परीक्षा की थी।

18. ब॰ सा॰ 1 प्रदीप कुमार कुंडु, कनीय अभियंता, (संकर्म), पूर्वी रेलवे, साहिबगंज ने न्यायालय से समन पाने के उपरांत अभिसाक्ष्य दिया कि 22.4.1994 को वह बरहरवा में पदस्थापित था। मनोज चौधरी उसका अधीनस्थ खलासी था। उसने दैनिक कर्मचारी निबंधन रजिस्टर प्रदर्श A के रूप में सिद्ध किया है यह दर्शाने के लिए कि अभियुक्त मनोज 20.4.1994 को 6:00 बजे शाम से अगले दिन 6:00 बजे प्रात: तक कर्तव्य पर था। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने कथन किया कि उसके अनुदेश के अधीन कार्य वितरण कराया जा रहा था। मनोज की उपस्थिति कि वह कर्तव्य पर था, इससे जानी जा सकती थी किन्तु उपस्थिति पत्रक प्रमण्डलीय कार्यालय को भेज दी गयी है।

19. ब॰ सा॰ 2 बासुकी नाथ गुप्ता खलासी है जिसने भी समन पाने के उपरांत अभिसाक्ष्य दिया था कि वह 20.4.1994 को 6:00 बजे प्रात: से 6:00 बजे शाम तक उपस्थित था, मनोज चौधरी भी उसके विभाग में कार्य कर रहा था एवं वे एक ही रजिस्टर में अपनी हाजिरी अंकित कर रहे थे। इसके उपरांत, कर्तव्य आवंटित किया जाता था। प्रति परीक्षण के दौरान, उसने कहा कि वह यह नहीं कह सकता कि 20.4.1994 को कितने कर्मचारी कर्तव्य पर थे एवं कितने खलासी ने उसके विभाग में कार्य किया था। उसने यह भी कहा कि किसी ने भी उसकी मौजूदगी में हाजिरी पंजी पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये थे क्योंकि वह बरहरवा प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर था।

20. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने तीन अभियुक्त व्यक्तियों जिनके नाम दीवाली चौधरी, मनोज चौधरी एवं लक्ष्मणिया देवी हैं, का विचारण करने के उपरांत केवल दीवाली चौधरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 एवं धारा 109/302 के अधीन दोषी पाया। अवर न्यायालय ने आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दीवाली चौधरी समेत सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया है। अवर न्यायालय ने मनोज चौधरी एवं लक्ष्मणिया देवी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन भी दोषमुक्त किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में सामने आने वाले तात्विक विरोधाभाषों को विचार में नहीं लिया है। इस मामले के अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा नहीं की गयी है जिसने अपीलार्थी को प्रतिकूलता कारित की है। स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। घटना की रीति अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकी थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 1 फुलसरिया एवं अ॰ सा॰ 2 अर्जुन रिखियासन ने कथन किया कि राजू चौधरी ने उमेश चंद्र ओराँव पर गोली चलायी थी अतएव, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दीवाली चौधरी की दोषसिद्धि पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है क्योंकि अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ अजित निरंजन ने झकसू ओराँव पर कोई आग्नेयायुध उपहति नहीं पायी थी। मृतक के पुत्र उमेश चंद्र के भाई अ॰ सा॰ 9 बिरेन्द्र मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका बयान अभिलिखित नहीं किया गया था अतएव, अपीलार्थी कम से कम संदेहों के लाभ का हकदार है।

21. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में संगतता है जो कि अ॰ सा॰ 1 फुलसरिया अ॰ सा॰ 2 अर्जुन रिखियासन, अ॰ सा॰ 4 फागू लाल, अ॰ सा॰ 5 बातो देवी, अ॰ सा॰ 6 सियाराम ओराँव एवं अ॰ सा॰ 7 सीताराम धांगर एवं अ॰ सा॰ 10 गोगिया मसोमात हैं। सभी ने कहा है कि सूचनादाता एवं दोषसिद्ध के बीच झगड़ा चल रहा था एवं इसके उपरांत दोषसिद्ध दीवाली चौधरी के आदेश पर, एक अन्य फरार अभियुक्त राजू चौधरी ने इस मामले के सूचनादाता उमेश पर गोली चलायी थी। जब उमेश के पिता झकसू ने उमेश को बचाने का प्रयास किया था तब उसे भी उपहतियाँ आयी थी एवं घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी थी।

22. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, एवं अभियोजन की ओर से तथा बचाव पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों की संवीक्षा पर, यह प्रतीत होगा कि अभियोजन गवाह अधिकांशत: चश्मदीद गवाह हैं,

दोषसिद्ध एवं सूचनादाता के बीच झगड़े के संबंध में अभियोजन मामला सिद्ध किया है एवं उस समय के दौरान गोलीबारी की गयी थी जिसमें सूचनादाता को उपहति कारित हुई थी जिसकी ईलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। उसके पहले सूचनादाता का कथन अभिलिखित किया गया था एवं अभियोजन गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया था जो कि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित है। यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी की अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं की गयी है किन्तु वह मामले में किसी अस्पष्टता में परिणत नहीं हुआ है क्योंकि अभियोजन में दोहरी हत्या से संबंधित घटना की रीति अभिलेख पर लाने में संगतता थी जिसने केवल दोषसिद्ध के दोषी होने के निष्कर्ष की ओर ले जायेगा। चूँकि मनोज चौधरी को दोषसिद्ध नहीं किया गया था अत: बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जो कि ब॰ सा॰ 1 प्रदीप कुमार कुंडु एवं ब॰ सा॰ 2 बासुकी नाथ गुप्ता का है, अपीलार्थी के लिए विचार में नहीं लिया गया था।

23. वर्तमान मामले में चश्मदीद गवाहों ने घटना एवं प्रहार की रीति का पूरी तरह से समर्थन किया है, अतएव, अन्वेषण पदाधिकारी की अपरीक्षा अभियोजन विवरण की विश्वसनीयता का क्षरण नहीं करता था। इस प्रतिपादना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2008) 15 SCC 778** में प्रकाशित **बिहारी राय बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड)** के मामले में प्रतिपादित किया गया था। यही दृष्टिकोण **(2005) 9 SCC 719** में प्रकाशित **बिरेन्द्र राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य** के मामले में भी प्रतिबिंबित हुआ था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी की अपरीक्षा ने बचाव पक्ष को कोई प्रतिकूलता कारित नहीं की है अगर चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य भरोसेमंद पाया गया हो। हमारी सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन विवरण का कथन किया है तथा सिद्ध किया है, अतएव, अन्वेषण अधिकारी की अपरीक्षा ने अपीलार्थी को कोई प्रतिकूलता कारित नहीं की है।

24. (2014) 4 S.C.R-287 में प्रकाशित **अशोक देबबर्मा उर्फ अचक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य** के मामले में निम्नवत अभिनिर्धारित किया गया था:-

> *''केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी को दं० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में नामजद नहीं किया गया था एवं, इस विलोप के कारण, अ० सा० 10 एवं अ० सा० 13 का न्यायालय में दिया गया साक्ष्य अविश्वसनीय है, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य का सारवान टुकड़ा नहीं था तथा दं० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन अभिलिखित बयान का उपयोग केवल विरोधाभास के प्रयोजनों से किया जा सकता है न कि सम्पोषण के लिए। हमारे दृष्टिकोण में, अगर कठघरे में गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय तथा भरोसेमंद है, उस साक्ष्य को केवल इस कारण से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष किया गया विशिष्ट कथन दं० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन अभिलिखित बयान में अंकित नहीं है.....* ***अतएव, मात्र यह तथ्य कि उस समय उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 161 के बयान में जामजद नहीं किया था, वह मौखिक साक्ष्य अस्वीकार करने का कारण नहीं होगा अगर उनका साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद पाया जाता है।''***

चश्मदीद गवाहों के मौखिक साक्ष्य भरोसेमंद हैं तथा विश्वसनीय पाये जाते हैं अतएव, अभियोजन अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में संगतता अभिलेख पर लाने में सफल रहा है।

25. उक्त परिस्थितियों में, अभियोजन अपना मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है एवं अवर न्यायालय ने उचित रूप से अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109/302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, जो हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है। अपीलार्थी दण्डादेश भुगतते हुए पहले से ही अभिरक्षा में है।

26. परिणामत:, अपील खारिज की जाती है। सत्र विचारण सं॰ 126 वर्ष 1995 में सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 18.3.2005 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश एतदद्वारा अपास्त किया जाता है।

27. अवर न्यायालय अभिलेख तुरंत संबंधित न्यायालय को लौटाया जाय।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैंने आदरणीय भ्राता श्री बी॰ बी॰ मंगलमूर्ति, न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय का परिशीलन किया है। माननीय न्यायाधीश द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सहमत रहकर, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि यद्यपि वर्तमान अभियुक्त द्वारा किये गये प्रहार के संबंध में चश्मदीद गवाहों के साक्ष्यों में कुछ विरोधाभाष हो सकता है एवं यद्यपि अ॰ सा॰ 8 (डॉ॰) अजित निरंजन का साक्ष्य दर्शाता है कि मृतकों में से एक झकसू ओराँव पर तेज धारदार हथियार से उपहतियाँ कारित की गयी पायी गयी थी, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का समर्थन नहीं करता है कि इस मृतक पर भी आग्नेयाधुध द्वारा प्रहार किया गया था, किन्तु यह तथ्य बना रहता है कि अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह तथ्य सिद्ध करने में सफल रहा है कि झगड़ा इस अभियुक्त दीवाली चौधरी द्वारा प्रारंभ किया गया था क्योंकि उसने मृतक का घर खाली करने से मना कर दिया था। यह यही अभियुक्त था जिसने अपने घर से फरार अभियुक्त समेत अन्य सहअभियुक्त व्यक्तियों को बुलाया था, तथा इस अपीलार्थी द्वारा आदेश दिये जाने पर, सूचनादाता एवं उसके पिता पर प्रहार किया गया था एवं घटना में आयी उपहतियों के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकार, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में लघु विसंगतियों के बावजूद, अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे घटना में मृत्यु कारित करने के इरादे से अपीलार्थी दीवाली चौधरी की सक्रिय भागीदारी सिद्ध करने में सफल रहा है, जिसका परिणाम दोनों मृतकों की संपत्ति हड़पने के प्रयास में अंतत: दोहरी हत्या में हुआ है।

मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में दोनों मृतकों की हत्या कारित करने में आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा है, जिसमें अपीलार्थी दीवाली चौधरी की भी भागीदारी थी एवं उसने अपराध कारित करने को दुष्प्रेरित किया था।

मैं भ्राता श्री बी॰ बी॰ मंगलमूर्ति, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त निर्णय के साथ सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।

माननीय डी॰ एन॰ पटेल एवं अमिताभ कुमार गुप्ता, न्यायमूर्तिगण

मनशा सिंह उर्फ राजेश सिंह

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No.154 of 2015. Decided on 1st October, 2018.

दाखिल खारिज—डी॰ सी॰ एल॰ आर॰ ने अपीलार्थी के पक्ष में किया गया नामान्तरण अभिखंडित कर दिया—डी॰ सी॰ एल॰ आर॰, राँची द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अंचलाधिकारी, नामकुम के समक्ष कार्यवाही एवं अभिधान अपील अपर न्यायिक आयुक्त, राँची के समक्ष लम्बित है—अंचल पदाधिकारी एवं डी॰ सी॰ एल॰ आर॰ को लम्बित मामलों का निर्णय करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 5, 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Dharmendra Kr. Maltiyar, For the Appellant; M/s Ravi Kumar Singh, Manoj Kumar No.3, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–इस याची का दावा है कि उसका पिता बुधु सिंह प्रश्नाधीन संपत्ति का स्वामी था एवं उसकी मृत्यु होने पर प्रश्नाधीन भूमि इस अपीलार्थी (मूल याची) एवं उसकी माता–मन्टुरानी देवी के पक्ष में 10 जुलाई, 2006 को नामान्तरित की गयी थी। इसके उपरांत, पाँच वर्षों तक यह प्रविष्टि इसी प्रकार चलती रही।

2. पाँच वर्षों की अवधि के उपरांत, रूक्मिणी देवी एवं उर्मिला देवी ने दावा किया कि वे प्रश्नाधीन संपत्तियों के स्वामिनी हैं क्योंकि उनके पिता एक ही बुधु सिंह थे। रूक्मिणी देवी एवं उर्मिला देवी प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 हैं। वे स्वामित्व का दावा कर रहे हैं एवं इसलिए उन्होंने नामान्तरण प्रविष्टि अभिखंडित करने के लिए उप–समाहर्ता, भूमि सुधार, राँची के समक्ष अपील दाखिल किया जो कि पहले ही इस अपीलार्थी (मूल याची) एवं मन्टूरानी देवी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जा चुकी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 द्वारा दाखिल अपील दिनांक 12 जुलाई, 2012 के आदेश (परिशिष्ट–8) के तहत उप समाहर्ता, भूमि सुधार, राँची द्वारा अनुज्ञात किया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी एवं मन्टूरानी देवी के पक्ष में की गयी नामान्तरण की प्रविष्टि अभिखंडित एवं अपास्त की गयी थी एवं प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 12 जुलाई, 2012 के आदेश (इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो का परिशिष्ट–8) के तहत रूक्मिणी देवी एवं उर्मिला देवी के नाम पर नामान्तरित की गयी थी।

3. उपायुक्त, भूमि सुधार, राँची ने प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 द्वारा दाखिल अपील अपीलार्थी एवं मन्टूरानी देवी के पक्ष में की गयी नामान्तरण प्रविष्टि को अभिखंडित करके दिनांक 12 जुलाई, 2012 के आदेश के तहत अनुज्ञात की गयी थी तथा मामले को अंचलाधिकारी, नामकुम को प्रतिप्रेषित किया गया था। आज की तिथि से, मामला अंचल पदाधिकारी, नामकुम के समक्ष लम्बित है।

4. इस बीच, अंचल पदाधिकारी, नामकुम के मामले का निर्णय करने के पहले, इस अपीलार्थी द्वारा उप समाहर्ता, भूमि सुधार, राँची के दिनांक 12 जुलाई, 2012 के आदेश के विरूद्ध एक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया था जिसे भी दिनांक 9 जनवरी, 2013 के आदेश (इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो का परिशिष्ट 12) के तहत खारिज किया गया था।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा एक और तथ्य इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि प्रोबेट मामला सं॰ 35 वर्ष 2002 भी किसी प्रेमनाथ सिंह द्वारा संस्थापित किया गया था जो कि बुधु सिंह का पुत्र है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रोबेट मामला सं॰ 35 वर्ष 2002 को अभिधान वाद सं॰ 4 वर्ष 2004 में सम्परिवर्तित किया गया था एवं यह अपर न्यायिक आयुक्त, राँची के समक्ष लम्बित है। इस प्रकार, दो कार्यवाहियाँ लम्बित हैं, जो हैं–

(a) उप समाहर्ता, भूमि सुधार, राँची द्वारा पारित दिनांक 12 जुलाई, 2012 के आदेश (इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो का परिशिष्ट–8) के अनुसरण में अंचल पदाधिकारी, नामकुम के समक्ष कार्यवाही, एवं

(b) अभिधान अपील सं॰ 4 वर्ष 2004 अपर न्यायिक आयुक्त, राँची के न्यायालय में लम्बित है।

पूर्वोक्त दोनों कार्यवाहियाँ एक ही भूमि के लिए लम्बित हैं जो कि इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में प्रश्नाधीन है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा काफी तर्क किया गया है कि रूक्मिणी देवी तथा उर्मिला देवी बुधु सिंह की पुत्रियाँ नहीं हैं एवं वे धनमंती कुंवर की पुत्रियाँ हैं। न तो रूक्मिणी देवी द्वारा और न ही उर्मिला देवी द्वारा कोई साक्ष्य दिया गया है कि वे बुधु सिंह की पुत्रियाँ हैं एवं धनवंती कुंवर की पुत्रियाँ

हैं। रूक्मिणी देवी या उर्मिला देवी द्वारा इस प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पाँच लम्बे वर्षों के उपरांत उप समाहर्ता, भूमि सुधार के समक्ष अपील दाखिल किया है। रूक्मिणी देवी या उर्मिला देवी द्वारा उप समाहर्ता, भूमि सुधार के समक्ष विलम्ब की माफी का कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है क्योंकि वे अंचल पदाधिकारी, नामकुम द्वारा पारित दिनांक 10 जुलाई, 2006 के आदेश को 2012 में चुनौती दे रहे थे। इस प्रकार, विलम्ब की माफी के लिए आवेदन दाखिल किये बिना, अपील उप समाहर्ता, भूमि सुधार द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2012 के आदेश (परिशिष्ट-8) के तहत अनुज्ञात की गयी थी। अभिधान वाद सं॰ 4 वर्ष 2004 लम्बित रहने के बावजूद, अर्जित की गयी भूमि के लिए मुआवजा झारखंड सरकार द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 द्वारा साठगांठ करके दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी झारखंड राज्य के पदाधिकारियों के विरूद्ध दाखिल किया जाना चाहिए था।

7. प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह अपीलार्थी भी एक angle नहीं है। उसका पिता बुधु सिंह से भिन्न है, जैसा कि जमानत आवेदन में कथन किया गया है। मामले को उप समाहर्ता, भूमि सुधार द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2012 के आदेश (परिशिष्ट-8) के तहत पूर्वोक्त अंचल पदाधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था।

8. चाहे जो हो, इन सभी तर्कों को अपीलार्थी द्वारा अभिधान वाद सं॰ 4 वर्ष 2004 में अंचल पदाधिकारी या अपर न्यायिक आयुक्त, राँची के समक्ष उठाया जा सकता है। मामले के इस पहलू की विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2015 के आदेश के तहत डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4027 वर्ष 2013 का निर्णय करते हुए उपयुक्त प्रकार से मूल्यांकन किया गया है एवं हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, यद्यपि, हम एतदद्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 को इस न्यायालय के समक्ष एक वचनपत्र दाखिल करने का निर्देश देते हैं कि अगर वे अंततः मामला हार जाते हैं, वे उस राशि का प्रतिदाय करेंगे जो उन्होंने प्रश्नाधीन भूमि के लिए मुआवजा के मद में प्राप्त किया है। यह शपथपत्र एवं वचनवंध प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 द्वारा आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल किया जायेगा ताकि अगर वे अंततः मामला हार जाते हैं, उनके द्वारा मुआवजा के मद में प्राप्त राशि लौटाया जाना होगा। यह शपथपत्र एवं वचनबंध प्रत्यर्थी सं॰ 8 एवं 9 द्वारा अलग अलग दाखिल किया जायेगा, जिसकी एक प्रति इस अपीलार्थी एवं झारखंड राज्य को दी जायेगी जिसमें विफल रहने पर मामले को 31 अक्टूबर, 2018 को पुनः बोर्ड पर सूचीबद्ध किया जायेगा।

9. एतदद्वारा, हम अंचल पदाधिकारी, नामकुम को मामले को यथाशीघ्र एवं व्यवहार्यतः किसी भी स्थिति में इस न्यायालय के आदेश के प्राप्ति की तिथि से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णीत करने का निर्देश देते हैं।

10. हम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची को अभिधान वाद सं॰ 4 वर्ष 2004 यथासंभव यथाशीघ्र अधिमानतः इस न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर दाखिल करने का भी निर्देश देते हैं। वाद के दोनों पक्ष अंचल पदाधिकारी, नामकुम एवं अपर न्यायिक आयुक्त, राँची के समक्ष अभिधान वाद सं॰ 4 वर्ष 2004 में सुनवायी में सहयोग करेंगे।

11. इन सम्प्रेक्षणों के साथ, लेटर्स पेटेन्ट अपील एतदद्वारा निपटायी जाती है।

12. शपथपत्र एवं वचनबंध आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के महापंजीयक के समक्ष दिये जायेंगे जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है, जो अभिलेख पर लिया जायेगा।